दश माला, खंड 29, अंक 11

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2002
12 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

54
3/7/03

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 11, मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2002/12 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय — **कॉलम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 205 1-41

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 206 से 221 42-71

अतारांकित प्रश्न संख्या 2213 से 2442 71-565

सभा पटल पर रखे गए पत्र 565-572

राज्य सभा से संदेश 572-573

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश 573

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण 573-574

सदस्यों द्वारा निवेदन

मुम्बई में घाटकोपर में एक बस में हुए बम विस्फोट के बारे में 574-586

नियम 377 के अधीन मामले 599-607

(एक) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को शीघ्र चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू 600

(दो) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में इफको के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनारायण पासी 600-601

(तीन) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुम्बई के पश्चिमी भाग में स्थित वन भूमि पर अतिक्रमण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया 601

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(चार) छावनी बोर्ड क्षेत्रों में, विशेष रूप से अंबाला छावनी बोर्ड में जिन लोगों को बंगले आवंटित किए गए हैं, उनसे ये बंगले खाली न कराया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया 601–602

(पांच) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान असम में फकीराग्राम और धुबरी के बीच विद्यमान छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल हमीद 602

(छह) एच.एफ.सी.एल. और एफ.सी.आई.एल. के पुनरुद्धार के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 602–603

(सात) आन्ध्र प्रदेश में महबूबनगर तथा अन्य जिलों के किसानों के लाभ के लिए अलमट्टी बांध से 70 टी.एम.सी. पानी छोड़े जाने के लिए कर्नाटक सरकार को राजी किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ 603

(आठ) आकाशवाणी केन्द्र, परभनी, महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर रेडियो स्टेशन का दर्जा दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव 603–604

(नौ) जोलारपेट्टी और होसुर बरास्ता कृष्णागिरी के बीच एक नई रेल लाइन बनाए जाने की मांग पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन 604

(दस) भारतीय खाद्य निगम को उड़ीसा में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के बारे में निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य 605

(ग्यारह) संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय 605–606

(बारह) महाराष्ट्र के जलगांव जिले को "केला निर्यात क्षेत्र" घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन 606

(तेरह) पश्चिमी बंगाल में मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 606–607

विषय	कॉलम
सरकारी विधेयक–पारित	607
(एक) मैसूर स्टेट लैजिसलेचर (डेलिगेशन आफ पावर्स) निरसन विधेयक	607–611
विचार करने के लिए प्रस्ताव	607
श्री सीएच. विद्यासागर राव	608, 609
श्री के.एच. मुनियप्पा	608
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	608–609
खंड 2 और 1	610
पारित करने के लिए प्रस्ताव	610
(दो) सूचना स्वातंत्र्य विधेयक	611–675
विचार करने के लिए प्रस्ताव	611
श्री रमेश चेन्नितला	611–615
श्री रतन लाल कटारिया	616–618
श्री सोमनाथ चटर्जी	618–626
श्री भर्तृहरि महताब	626–630
श्री प्रियरंजन दाशमुंशी	630–638
श्री अनादि साहू	638–642
श्री पी.एच. पांडियन	642–643
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	643–648
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	648–652
प्रो. रासासिंह रावत	653–655
श्री वरकला राधाकृष्णन	655–657
श्री शिवराज वि. पाटील	658
श्री के. येरननायडू	658–661
श्रीमती वसुन्धरा राजे	661–665
श्री प्रमोद महाजन	666
खंड 2 से 21 और 1	666–675
पारित करने के लिए प्रस्ताव	675

विषय	कॉलम
(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक	675–702
विचार करने के लिए प्रस्ताव	675
श्री वेद प्रकाश गोयल	675–679, 695–701
श्री रमेश चेन्नितला	679–681
श्री वरकला राधाकृष्णन	682–686
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	686–689
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	689–692
श्री ए. ब्रह्मनैया	692–693
श्री रामशेठ ठाकुर	693–694
प्रो. रासासिंह रावत	694
श्री अनादि साहू	694–695
डा. वी. सरोजा	695
खंड 2 से 28 और 1	702
पारित करने के लिए प्रस्ताव	702

लोक सभा

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2002/12 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में कल एक बस में बम ब्लास्ट हुआ है। इससे मुम्बई की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। मेरा इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव है ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मुम्बई में कल घाटकोपर में एक बस में बम विस्फोट होने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके कारण मुम्बई की कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। 1992 में मुम्बई में जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें आर्ग्यूमेंट की कार्यवाही खत्म हो गई है। ...*(व्यवधान)* मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में वह स्टेटमेंट दे और राज्य सरकार को ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए सहायता दे।

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल में मैं आप लोगों को यह प्रश्न उठाने की इजाजत दूंगा। अभी प्रश्न काल चलने दें।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

'हुडको' द्वारा चूककर्ता कंपनियों में निवेश

*202. **श्री प्रबोध पण्डा** :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अक्तूबर, 2002 के 'दि इकनोमिक टाइम्स' में 'हुडको' द्वारा दिए गए उन ऋणों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जो वसूल नहीं हो पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) उन कम्पनियों/नियमों का पिछले तीन वर्ष का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है, जिनमें 'हुडको' द्वारा भारी निवेश किया गया या ऋण/वित्तीय सहायता दी गई;

(च) क्या यह सही है कि 'हुडको' द्वारा जिन कम्पनियों में निवेश किया गया है या जिन्हें ऋण/वित्तीय सहायता दी गई है, उनमें से कुछ की पुनर्भुगतान स्थिति बहुत संदेहास्पद है;

(छ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का उन कंपनियों/निगमों/एककों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने ऋण राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज के भुगतान में चूक की है; और

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा इन कंपनियों/निगमों से शीघ्र ही अपनी बकाया राशि की वसूली हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) इसकी जांच की जा रही है।

(ङ) से (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा बाण्डों/डिबेंचरों में किए गए निवेश और उन पर अर्जित ब्याज का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन एजेंसियों ने हुडको से भारी ऋण लिया है तथा चूककर्ता एजेंसियों की सूची अनुबंध-II में है।

(ज) हुडको चूककर्ता एजेंसियों तथा संबंधित चूककर्ता राज्य सरकारों के साथ मामलों को उठा रहा है तथा लगातार दोषी रहने की स्थिति में मुकदमे दायर कर रहा है और मामले के हिसाब से एकमुश्त निपटान (ओटीएस) पैकेज तैयार कर रहा है।

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	निवेश/आबंटन की तारीख	राशि (करोड़ रु. में)	अवधि (वर्षों में)	31.3.02 तक ब्याज (करोड़ रु. में)	चूक, यदि कोई हो
1.	तमिलनाडु अवस्थापना विकास निगम (टीआईडीसीओ)	31.7.2000	10	7	2.58	नहीं
2.	कर्नाटक नवीकरणीय उर्जा विकास लि. (केआरईडीएल)	1.1.2000	194.02	10	50.25	नहीं
3.	तापी सिंचाई विकास निगम (टीआईडीसी)	5.10.2002	175	5	हाल ही में निवेश	नहीं
4.	गुजरात विद्युत बोर्ड (जीईबी)	3.10.2002	250	10	हाल ही में निवेश	नहीं
		कुल	629.02			

अनुबंध-II

दिनांक 1.4.99 से 31.10.2002 तक उन योजनाओं का राज्य-वार/एजेंसी-वार ब्यौरा जिनके लिए पर्याप्त ऋण (100 करोड़ रु. तथा उससे अधिक) जारी किया गया है

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/योजना का नाम	एजेंसी	जारी ऋण	चूक हां/नहीं
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	आकाशवाणी, हैदराबाद के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु लाइन आफ क्रेडिट	आंध्र प्रदेश इण्ड. इन्फ्रा. कारपोरेशन लि.	12700.00	नहीं
2.	राष्ट्रीय खेल, हैदराबाद के लिए खेल अवस्थापना	भारतीय खेल प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश	10252.00	हां
गुजरात				
1.	बल्क वाटर ट्रांसमीशन, शहरी क्षेत्र के लिए लाइन आफ क्रेडिट स्कीम	गुजरात स्टेट ड्रिंकिंग वाटर इन्फ्रा. कंपनी	15500.00	नहीं
2.	बल्क वाटर ट्रांसमीशन, पाइप लाइन राजकोट, जामनगर, शहरी क्षेत्र	गुजरात वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड	27300.00	नहीं
3.	मालिया बचाओ बल्क वाटर ट्रांसमीशन पाइप लाइन, कच्छ	गुजरात वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड	10000.00	हां

1	2	3	4	5
4.	पेयजल आपूर्ति शहरी क्षेत्रों के लिए लाइन आफ क्रेडिट स्कीम	नर्मदा जल संसाधन और जलापूर्ति	35000.00	नहीं
हरियाणा				
1.	राज्य राजमार्गों का सुधार/उन्नयन शहरी क्षेत्र	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास	13820.00	नहीं
कर्नाटक				
1.	रूरल हैबिटेट इम्प्रू. प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाइन आफ क्रेडिट	कर्नाटक लैंड आर्मी कारपोरेशन लि.	11000.00	नहीं
2.	सड़क विकास परियोजना के लिए लाइन आफ क्रेडिट शहरी क्षेत्र	कर्नाटक रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	15000.00	नहीं
3.	भूमि अधिग्रहण के लिए लाइन आफ क्रेडिट स्कीम, शहरी क्षेत्र	मेसर्स कर्नाटक स्टेट इंड. डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	15000.00	हां
4.	शहरी स्थानीय निकायों के लिए लाइन आफ क्रेडिट, फेज-2 शहरी क्षेत्र	कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनिज बोर्ड	10000.00	हां
महाराष्ट्र				
1.	महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	महाराष्ट्र जलापूर्ति सीवरेज बोर्ड	13970.00	नहीं
उड़ीसा				
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में ई.डब्ल्यू.एस. ग्रामीण आवास	उड़ीसा ग्रामीण आवास एवं विकास निगम लि.	10500.00	हां
राजस्थान				
1.	जोधपुर में अवस्थापना विकास के लिए लाइन आफ क्रेडिट	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम	10000.00	नहीं
2.	शहरी क्षेत्रों में अल्पकालीन कार्यशील पूंजी ऋण अवस्थापना	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	20000.00	नहीं
तमिलनाडु				
1.	शहरी क्षेत्रों में पाइप जल आपूर्ति प्रावधान	नगर पालिका प्रशासन एवं जल आपूर्ति	11307.78	हां
2.	शहरी क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के लिए निर्माण हेतु लाइन आफ क्रेडिट	लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार	14000.00	नहीं
3.	शहरी क्षेत्रों में 2653 मकानों के लिए लाइन आफ क्रेडिट ऋण	तमिलनाडु जल आपूर्ति व ड्रेनेज बोर्ड	10000.00	नहीं

1	2	3	4	5
4.	शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रावधान के लिए लाइन आफ क्रेडिट फेज-3	तमिलनाडु जल आपूर्ति व ड्रेनेज बोर्ड	15500.00	नहीं
5.	शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रावधान के लिए लाइन आफ क्रेडिट फेज-4	तमिलनाडु जल आपूर्ति व ड्रेनेज बोर्ड	14500.00	नहीं
पश्चिमी बंगाल				
1.	शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण हेतु लाइन आफ क्रेडिट	पश्चिम बंगाल अवस्थापना विकास वित्त निगम	11994.00	हां
2.	शहरी क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए लाइन आफ क्रेडिट	पश्चिम बंगाल अवस्थापना विकास वित्त निगम	50193.92	हां
3.	शहरी क्षेत्रों में सुधार और मजबूती हेतु लाइन आफ क्रेडिट	पश्चिम बंगाल अवस्थापना विकास वित्त निगम	13692.00	हां

श्री प्रबोध पण्डा : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है, यह अस्पष्ट है। उन्होंने मेरे प्रश्न के भाग (च) और (छ) का भी उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या तापी सिंचाई विकास निगम, टी.आई.डी.सी. चूककर्ता कम्पनी है या नहीं। प्रेस में छपा है कि "हडको" लगभग 500 करोड़ रुपये उन दो परियोजनाओं में निवेश कर रहा है जो कि चूककर्त्ताओं की सूची में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को उन चूककर्ताओं की जानकारी है जिन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है।

श्री अनन्त कुमार : वास्तव में किसी भी बांड में धन लगाने से पूर्व हम उसके गुण-दोष पर पर्याप्त ध्यान देते हैं और फिर हम सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करते हैं। केवल ऐसी जांच के बाद ही हमने तापी के बांड्स में धन लगाया है। बाजार से हमारे उधार की ऋण दर 9.22 प्रतिशत है। कूपन दर 11 प्रतिशत है फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इसकी जांच के लिए तैयार हैं ताकि ऐसा कोई भी अंशदान गैर-निष्पादित आस्तियां न बन सके।

श्री प्रबोध पण्डा : उन्होंने अब भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने उनसे यह पूछा था कि क्या यह कम्पनी जानबूझकर दोषी है या नहीं। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

प्रेस में यह भी छपा है कि 'हडको' के वित्त निदेशक, श्री गुप्ता ने ऐसे निवेश का विरोध किया था। परन्तु उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया गया। तब वे दिल्ली उच्च न्यायालय गए जिसने उन्हें ड्यूटी जाने का निर्देश दिया। यह अति गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने मामले की जांच कहां तक की है और जो कुछ मैंने कहा है वह सत्य है या नहीं।

श्री अनंत कुमार : सर्वप्रथम, तापी के संबंध में, महाराष्ट्र सरकार के पत्र के अनुसार अंशदान की विवरणिका और अंतरण एजेन्ट के पत्रानुसार तापी दोषी नहीं है। वित्त निदेशक के मामले के संबंध में मैं इस सभा को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तापी की फाइल में वित्त निदेशक की भी सहमति है हालांकि इसका संबंध मुख्य प्रश्न से नहीं है। इस कारण, इसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री जे.एस. बराड़ : मेरा मानना है कि मेरे माननीय मित्र द्वारा किये गये प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा ठीक ढंग से नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ऋण देने और बांड्स में निवेश किये जाते समय कुछ राजनीतिक कारण रहते थे। दो समूह जो कि यहां सूचीबद्ध हैं जिनमें 500 करोड़ रु. का निवेश किया गया है वे पहले ही जानबूझकर चूक करने वाले हैं। मैं सूची देखकर दंग रह गया। कुछ ऐसे राज्य है जहां इन निवेशों की सख्त आवश्यकता है और हम इन राज्यों के नाम का उल्लेख नहीं पाते हैं जैसेकि विशेषकर पंजाब/पंजाब राज्य में 'हडको' द्वारा निवेश किये जाने के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री अनंत कुमार : प्रश्न के पहले भाग में यह राजनैतिक पृष्ठभूमि या राजनैतिक दबाव या राजनैतिक दलों का विचार नहीं है जो कि शहरी आधारभूत ढांचे के विकास और आवासीय गतिविधियों के लिए 'हुडको' द्वारा ऋण देने को निर्देशित करता है। मैं मात्र रिकार्ड के लिए यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के सिंचाई विभाग के सचिव ने शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग के सचिव को उत्तर दिया था कि वे हमारे ध्यान में लाना चाहते हैं कि संयोग से विभिन्न निगम बांडों के निवेशकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है और इन निगमों की ओर से अब कुछ बकाया नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मुझे इस आशय का महाराष्ट्र सरकार का शासकीय पत्र प्राप्त हुआ है।

दूसरे ऋणों की राशि के संबंध में, जोकि हमने पंजाब राज्य को उधार दी है इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री जे.एस. बराड़ : राज्य के नाम का कोई उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया माननीय सदस्य को ब्यौरा भेज दीजिए।

श्री अनन्त कुमार : मैं माननीय सदस्य को बाद में ब्यौरा दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 'बी' और 'सी' केटेगरी के नगर निगमों और नगर परिषदों के क्षेत्र के विकास के लिए परियोजनाओं हेतु लोन के लिए कितने प्रस्ताव हडको के पास लम्बित हैं और उनमें से चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने प्रस्तावों पर लोन पारित किया गया है तथा शेष प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है?

श्री अनन्त कुमार : यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

श्री के. मलयसामी : महोदय, ऋण देने और निवेश के मामले में 'हडको' अच्छी सेवायें दे रहा है। यह सब अच्छी तरह किया जा रहा है। परन्तु जो विवरण आपने दिया है उसमें कई चूककर्ता हैं और नियमित भुगतान भी किये जा चुके है। ऋणों की स्वीकृति के मामले में आप क्या मापदण्ड अपनाते हैं? मैं जानता हूं कि आप कोई मापदण्ड अपनाते हैं। यहां निदेशक, वित्त है जो कि बोर्ड में जाता है। यह सब चीजे यहाँ हैं। क्या 100 करोड़ या उससे ज्यादा के ऋणों की विशेष जाँच की जाती है? क्या आप गंभीर मामलों के संबंध में दिमाग लगाते हैं? 100 करोड़ या उससे ज्यादा के ऋण बड़े मामले हैं। क्या आपके पास इस तरह के मामलों का निपटारा करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था है या आप उन्हें नियमित मामलों की तरह निपटाते हैं?

श्री अनंत कुमार : यह बहुत अच्छा प्रश्न है।

वास्तव में पिछले वर्ष 'हडको' की गैर-निष्पादनीय आस्तियां 6085 करोड़ रुपए की थी परन्तु पिछले छः माह में हमारी चुस्त कार्यशैली के कारण गैर-निष्पादनीय आस्तियां घटकर 3795 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।

इस कारण मुश्किल से 2290 करोड़ रुपए की हमारी गैर-निष्पादनीय आस्तियां लम्बित हैं। हम मामले पर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं माननीय सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस वित्त वर्ष के अंत तक मुश्किल से 'हडको' की कोई गैर-निष्पादित आस्तियां बचेंगी।

दूसरे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने से पूर्व 'हडको' प्राधिकृत निधि 385 करोड़ रु. थी।

किंतु अब 'हडको' की प्राधिकृत पूंजी 2500 करोड़ रुपए है। इसका मतलब, पिछले वर्ष हमने लगभग 8141 करोड़ रुपए स्वीकृत किये थे। उसमें से 2575 करोड़ रु. आवास को दिये गये और 5566 करोड़ रु. शहरी आधारभूत ढांचे के लिए दिये गये। इस वर्ष के लिए हमने 14000 करोड़ रु. की स्वीकृति का ऊंचा लक्ष्य रखा है। इसका मतलब हम 7000 करोड़ रु. आवास के लिए ग्रामीण गरीबों को देंगे और शेष 7000 रु. संपूर्ण देश के शहरी आधारभूत ढांचे के लिए देंगे।

माननीय मंत्री जी ने 100 करोड़ रु. से ज्यादा के ऋण देने के लिए अपनाये जाने वाले तरीके के बारे में पूछा है। वास्तव में, क्षेत्रीय स्तर, मण्डलीय स्तर और मुख्यालय स्तर पर इसकी समीक्षा होती है। तत्पश्चात्, यदि धनराशि लेने वाली एजेंसी सार्वजनिक या सरकारी होती है तो राज्य के मुख्य सचिव से बात की जाती है। जहां आवश्यक होती है वहां हम कानूनी कार्यवाही करते हैं। मैं मानता हूं कि यह हमारे सक्रिय दृष्टिकोण के कारण ही है कि चूक स्तर और गैर-निष्पादनीय आस्तियाँ न्यूनतम रखी गई हैं।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 'हुडको' द्वारा जो अलग-अलग राज्यों को धन

दिया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें उत्तर प्रदेश को कितना दिया गया है और जिन नगरों में धन का वितरण किया जा रहा है, क्या उसमें गरीबी और अनुसूचित जाति के बारे में कोई विवरण है तथा उत्तर प्रदेश में छोटी नगर पालिका और बड़ी नगर पालिकाओं का क्या विवरण है?

श्री अनंत कुमार : अध्यक्ष जी, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन मैं पूरा ब्यौरा माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार को आपने, महाराष्ट्र वॉटर सप्लाई बोर्ड को 139 करोड़ 29 लाख रुपये दिये हैं। महाराष्ट्र सरकार में ऐसी कई योजनाएं लम्बित हैं और महाराष्ट्र सरकार की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट आफ इंडिया से पैसा मिलना चाहिए। जो महाराष्ट्र सरकार की मांगें हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए क्या सरकार का विचार आने वाले बजट में महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैरा परिलम्बित स्कीम्स हेतु देने का कोई विचार है? ज्यादा से ज्यादा पैसा महाराष्ट्र सरकार को मिलना चाहिए। उसके बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री अनंत कुमार : हम महाराष्ट्र प्रशासन को और महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने के लिए तैयार हैं लेकिन उसके लिए जो प्रस्ताव और गवर्नमेंटल गारंटीज हमें चाहिए, वह उनको हमें देनी पड़ेगी तो हम सहायता देने के लिए तैयार हैं।

अर्द्ध-सैनिक बलों की बकाया राशि

***203. श्री वाई.जी. महाजन** :
श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्द्ध-सैनिक बलों की आवश्यकता पड़ने पर बुलाने पर उन पर होने वाला व्यय राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा राज्य-वार अर्द्ध-सैनिक बलों पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों पर अर्द्ध-सैनिक बलों पर हुए व्यय की बहुत भारी धनराशि बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकारों द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की आवश्यकता पड़ने पर उनकी तैनाती पर होने वाला व्यय, उन राज्यों को छोड़कर जिन्हें ऐसी अदायगियों से छूट प्राप्त है, राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता है। केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती पर राज्यों द्वारा अदा की गई अथवा उनसे प्राप्त तथा उनकी ओर बकाया राशि के राज्य-वार ब्यौरे इस विवरण के अनुबंध में दिए गए हैं।

इस मंत्रालय और संबंधित केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती लागत की वसूली का मामला राज्यों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को उनके प्रतिपूर्ति दावों के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशियों में समायोजन किया जाता है। कुछेक राज्य सरकारों ने अपने वित्तीय दबावों के कारण अदायगी करने में कठिनाई व्यक्त की है।

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य का नाम	गत 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती लागत के रूप में राज्यों द्वारा अदा की गई/राज्यों से प्राप्त धनराशि	1.4.2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती लागत की बकाया राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	175995215	1405866954
2.	असम	493781536	324924625
3.	बिहार	215433153	1114376097
4.	दिल्ली	0	4261316517
5.	गोवा	5153473	0
6.	गुजरात	29634958	16460272
7.	झारखंड	0	330810025

1	2	3	4
8.	हरियाणा	61038108	438415101
9.	केरल	1270760	2943800
10.	कर्नाटक	56960944	16985019
11.	महाराष्ट्र	19337518	6939716
12.	मध्य प्रदेश	23995477	832010
13.	उड़ीसा	18828156	34971973
14.	पांडिचेरी	11406157	161570
15.	पंजाब	291147857	2993238847
16.	राजस्थान	13156361	0
17.	तमिलनाडु	10470225	1010220706
18.	उत्तर प्रदेश	225600753	1759359433
19.	उत्तरांचल	0	4537700
20.	पश्चिम बंगाल	186252471	15260142
	कुल	183,94,63,122	1373,76,20,507

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्यों के कहने पर अर्ध सैनिक बलों को वहां भेजती है। अर्ध सैनिक बलों का जो खर्च होता है, वह केन्द्र सरकार वहन करती है या राज्य सरकार वहन करती है, यह मैं जानना चाहता हूं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अर्ध सैनिक बलों के उपयोग करने के कारण विभिन्न राज्यों से करोड़ों रुपये वसूल करने के लिए केन्द्र सरकार से कहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कई राज्यों ने आर्थिक दबाव के कारण अपनी असमर्थता बताई है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सभी राज्य ऐसे कहेंगे तो क्या केन्द्र सरकार का उनको छोड़ देने का विचार है?

[अनुवाद]

श्री सी.एच. विद्यासागर राव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती पर होने वाले खर्च के बारे में बताना चाहता हूं कि यह राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। कुछ राज्य सरकारों जो इन खर्चों से मुक्त हैं के सिवाय अन्य राज्य सरकारों को भुगतान करना होता है।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। करीब 13 अरब रुपए भारत सरकार या केन्द्र सरकार के राज्यों पर इस मद में बकाया हैं। पिछले तीन वर्षों से जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें कहीं यह नजर नहीं आ रहा है कि कोई भुगतान किया जा रहा है। जवाब में यह कहा गया है कि कुछ राज्य इस भुगतान से बाहर हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से राज्य हैं, जिन्हें भुगतान से बाहर रखा गया है और उन्हें भुगतान से बाहर रखने के क्या कारण हैं, यह "अ" प्रश्न है। "ब" प्रश्न यह है कि वे कौन-कौन से राज्य हैं, जिन्होंने इस भुगतान में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और क्या कारण बताए हैं? "स" प्रश्न यह है कि वे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने बकाए के भुगतान में रुचि ली है और आंशिक रूप से गत तीन वर्षों में भुगतान किया है और कितना किया है? जिन राज्यों ने अब तक न कोई भुगतान किया है और न ही भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, कृपया उनके नाम बताने का कष्ट करें? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चिन्मयानन्द जी, आप चार उप प्रश्न नहीं पूछ सकते। ए और बी तक ठीक है, आगे का सी और डी छोड़ दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव : सरकार ने जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को तैनाती के प्रभारों से मुक्त किया हुआ है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि असम राज्य सरकार तैनाती के खर्च का 10 प्रतिशत का भुगतान करेगी। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षा संबंधी खर्चा और अन्य खर्च के तहत वित्तीय समर्थन दिया जाता है। ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें तैनाती के खर्च से मुक्त रखा गया है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, जब भी मैं अर्द्ध सैनिक बलों संबंधी प्रश्न करने की कोशिश करता हूं, तो माननीय उपप्रधानमंत्री मेरा प्रश्न जानते हैं *...(व्यवधान)* यह अर्द्धसैनिक बलों के बारे में है जिनसे राज्यों द्वारा काम लिया जाता है। जब इसका प्रयोग लिया जाता है तो यह मात्र राज्य के उद्देश्य तक ही सीमित नहीं होता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग वे चार या पांच राज्यों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। इसलिए इसका खर्च एक राज्य से लेने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

इससे पूर्व मैंने उपप्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि अर्द्धसैनिक बलों का चयन करते समय आप अभ्यर्थियों को परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में देने की भी अनुमति नहीं देते हैं। इस संबंध में स्थायी समिति ने पूर्ण बहुमत से सिफारिश की थी। निसंदेह उपप्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को देखेंगे। अब, मैं इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा की बात है, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह अभी लम्बित है। यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

सुरक्षा दृष्टि के आकलन और बलों की उपलब्धता के अनुसार अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की जाती है। जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, वहां अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। आंध्र प्रदेश द्वारा खर्च की गई राशि वसूल की जायेगी।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : चूंकि उप प्रधान मंत्री महोदय इसके बारे में जानते हैं इसलिए उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : मैं पूरे दक्षिण क्षेत्र से क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाएं देने के संबंध में सरकार की स्थिति जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव : यह मूल रूप से मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री के. येरननायडू : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आई.ए.एस. और आई.पी.एस. परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने की अनुमति दे रहे हैं। अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती के बारे में उम्मीदवार सामान्यत: दसवीं और इण्टरमीडिएट स्तर तक पढ़े होते है। यदि हम उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में लिखने की अनुमति नहीं देते हैं तो दक्षिण से किसी का भी चयन नहीं होगा। यह हम लोगों की पीड़ा है ...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : इसीलिए, जहां तक भर्ती का प्रश्न है आंध्र प्रदेश से 2 प्रतिशत भर्ती होती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, जब आपको प्रश्न करने की अनुमति दी जाती है तो मैं आपको बात रखने की अनुमति दे सकता हूं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : आप गत एक वर्ष से इस पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, इस पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में लिखने की अनुमति देनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना मन नहीं बनाया है। निश्चय ही वे अपना मन बनाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : डेढ़ साल बीत गया है और मंत्री जी कहते हैं कि वह अभी तक इस पर विचार कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति में हमने चर्चा की है और हमने इसकी सिफारिश की है। अब यह सरकार के ऊपर है कि वह कहे कि परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में करानी होंगी ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : इसमें कोई वित्तीय अड़चन भी नहीं है ...*(व्यवधान)*

उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, सिफारिश आई है और मामले की जांच की जा रही है। मुझे आशा है कि इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, अर्ध सैनिक बलों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में अब केन्द्रीय पुलिस संगठन भी कार्य कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हर दिन आई.एस.आई. की गतिविधियां बढ़ रही हैं। सीमावर्ती देश बांग्लादेश आई.एस.आई. के एजेंटों को संरक्षण देने के लिए प्रमुख केंद्र है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री कई बार और गत सप्ताह भी उप प्रधान मंत्री से मिलने दिल्ली आये थे।

इस चर्चा के क्या परिणाम निकले? क्या राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री पश्चिम बंगाल राज्य की आज की स्थिति से निपटने हेतु अर्ध सैनिक बलों के अतिरिक्त किसी अन्य केंद्रीय बल की मांग कर रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, जब संविधान बनाया गया था तो प्रारम्भ में यह विचार किया गया था कि कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों पर रहेगी। परन्तु समय बीतने के साथ आंतरिक सुरक्षा को खतरा कई गुणा बढ़ गया है, हमारे यहां विद्रोह रहा है, हमारे यहां उग्रवाद रहा है, हमारे यहां आतंकवाद रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जो अर्ध सैनिक बल इन खतरों का सामना करने में राज्य सरकारों और राज्य पुलिस की सहायता करते हैं, उन पर दबाव बढ़ गया है। माननीय मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल और मुख्य मंत्री के बारे में प्रश्न किया है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप इन्हें मंत्री कब बना रहे हैं? यदि आप उन्हें मंत्री बनाते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह 'माननीय सदस्य' हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम लगातार राज्य सरकार और मुख्य मंत्रियों, जब भी वे आते हैं, के सम्पर्क में रहते हैं और उन राज्यों में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री यहां थे और उन्होंने मेरे साथ विचार-विमर्श किया था। मैं बस यही कह सकता हूं कि चाहे पश्चिम बंगाल हो या जम्मू-कश्मीर हो, सभी मामलों में हमें उनके साथ आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं पर विचार-विमर्श जारी रखना चाहिए और केंद्र सरकार उनको पूरा सहयोग देती है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय नेपाल में आई.एस.आई. की गतिविधियां बहुत बढ़ी हैं और वहां के रेडियो से भी भारत-विरोधी प्रचार किया जा रहा है, जिसका सीधा असर नेपाल से लगते हुए बिहार से सीमावर्ती इलाकों पर पड़ रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जिन राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है वहां इन फोर्सेज को लगाने के लिए, वित्तीय छूट की व्यवस्था करते हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर इन बलों को तैनात करते हुए, आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने का प्रयास सरकार करेगी।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रदेशों की वित्तीय स्थिति खराब है और कई कारणों से वह खराब है। लेकिन अपवाद जो किया गया है, उन प्रदेशों के नाम मेरे सहयोगी ने अभी-अभी लिये हैं। उनमें मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर और नार्थ-ईस्ट के प्रदेश हैं, जिनको डिप्लॉएमेंट चार्ज देने से एग्जम्प्ट किया गया है। बाकी जो प्रदेश हैं उनको एक्सपेंडिचर के नाम पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता केन्द्र देता रहता है। पुलिस फोर्सेज के आधुनिकीकरण के लिए देता रहता है, लेकिन डिप्लॉएमेंट ऑफ चार्ज के संदर्भ में उन्हें नहीं देता है। असम उत्तर-पूर्वी राज्यों का बड़ा प्रदेश है जिससे 10 प्रतिशत हम चार्ज करते हैं।

[अनुवाद]

शिक्षा प्रणाली

***204. श्री राधा मोहन सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किसी विद्यार्थी की योग्यता तीन घंटे की लिखित परीक्षा से जांची जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.बी.एस.ई. ने एक गैर-सरकारी संगठन आई.सी.एस.ई. द्वारा विकसित की गई नई शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अंक आधारित प्रणाली के स्थान पर 'मानक आधारित (स्टैंडर्ड बेस)' शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु नई पहल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) कार्य निष्पादन का मूल्यांकन अध्ययन और शिक्षण की किसी भी प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। शिक्षा में गुणवत्तामूलक सुधार लाने के लिए ठोस शैक्षिक कार्यनीति के अंग के रूप में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्हें सी.आई.एस.सी.ई. द्वारा तैयार की गई नई शिक्षा प्रणाली की कोई जानकारी नहीं है।

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा नीति में काफी परिवर्तन हुआ है और हम सम्पूर्ण शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या मात्र तीन घंटे की लिखित परीक्षा से विद्यार्थी की योग्यता की जांच की जा सकती है? मुझे इसका उत्तर मिला है कि कार्य नीति के अंग के रूप में परीक्षाएं आयोजित की जाती है। मेरा प्रश्न दूसरा है और उसका उत्तर दूसरा मिला है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है कि आप जिस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, किस स्तर पर दे रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उसे जांचने के लिए

परीक्षाएं की जाएं। सामान्य तौर पर परीक्षा में छात्र को क्या ज्ञान है, क्या उसने पढ़ा है, विषय को कहां तक समझा है, उस विषय को वह कैसे प्रयोग में लाता है, अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है, कोई समस्या आती है, अपनी जानकारी का उपयोग वह उसे कैसे करता है, उसकी कुशलता कितनी है, वह हर स्तर की शिक्षा के लिए अलग-अलग है। जैसी शिक्षा जिस स्तर पर है और जिस उद्देश्य से दी जा रही है, उसके हिसाब से परीक्षा प्रणाली होती है। तीन घंटे का प्रश्न विश्व भर में लगभग एक सामान्य स्तर माना गया है, एक समान समय माना जाता है। कहीं-कहीं दो घंटे और एक घंटे में इसे विभाजित भी किया जाता है लेकिन सामान्य तौर पर तीन घंटे में किया जाता है। आप उसमें किसी छात्र के व्यक्तित्व की सभी परीक्षा करना चाहें तब तीन घंटे में वह नहीं होती। उसका चरित्र कैसा है, उसकी हाजिरी कैसी है, उसका अनुशासन कैसा है, पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में वह कैसा है, संगीत जानता है या नहीं, अच्छा खिलाड़ी है या नहीं, ये सब बातें तीन घंटे में नहीं जानी जाती हैं लेकिन जितना वह पढ़ता है, जो पाठ्यक्रम पढ़ता है, वह उसे कितना जानता है, कैसे प्रयोग में लाता है, कितना कुशल है, यह तीन घंटे में जाना जा सकता है। एक समय ऐसा था जब यह समझा जाता था। आज भी लगभग सभी लोगों की यह राय है कि यह होना चाहिए कि वह अपने पाठ्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा समझें और उसे अच्छी तरह से समझा सके, लिख सके, बता सके। विश्व भर में यह माना जाता है कि हर छात्र में यह होना चाहिए कि जो वह जानता है उसे समझा कर लिख सकता है या नहीं और उसके बारे में प्रयोग कैसे कर सकता है। अभी तक विश्व भर में जो परीक्षा प्रणालियां हैं, उसमें यह हिस्सा छात्र की जानकारी का तीन घंटे में ही जाना जाता है। कहीं-कहीं जहां ज्यादा टैक्निकल है वहां दो घंटे या एक घंटे के हिसाब से उसे विभाजित किया जाता है जो एक अलग बात है लेकिन सामान्य शिक्षा में दुनिया भर में तीन घंटे की ही बात है। सवाल यह है कि क्या तीन घंटे में जितना वह पढ़ता है उतना जान सकता है या नहीं, उसे लिख सकता है या नहीं। इसके बारे में तरह-तरह के विचार किए गए हैं। प्रश्न पत्र कैसे बनाए जाएं, इस पर विचार होता है। परीक्षा पद्धति में प्रश्न पत्र सारे के सारे सामान्य हों या उसमें कुछ ऑबजैक्टिव हों या ऑबजेक्टिव और सामान्य मिल कर हों या पूरे तौर पर ऑबजैक्टिव हों यह अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग विषयों के हिसाब से इनका विभाजन किया जाता है, इसलिए परीक्षा के बारे में तीन घंटे का एक सामान्य चलता आया समय है। अगर कभी एक्सपर्ट यह समझेंगे कि तीन घंटे के बदले दो घंटे होने चाहिए या तीन के बदले चार घंटे होने चाहिए उस पर विचार हो जाएगा। सामान्य तौर पर तीन घंटे में कितनी जानकारी छात्रों से मिल सकती है, यही देखा जाता है।

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश में गैर-सरकारी संगठनों ने एक नई मानक आधारित परीक्षा पद्धति विकसित की है। मुझे इसका उत्तर मिला है कि बोर्ड को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेगी?

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, सी.बी.एस.ई., जो एक गैर-सरकारी संगठन है, उसके द्वारा नई शिक्षा प्रणाली विकसित किये जाने संबंधी प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है। हमने सब जानकारी ली तो मालूम हुआ कि सी.बी.एस.ई. को किसी भी शिक्षा प्रणाली का ज्ञान नहीं है लेकिन जो मानक आधारित बात कही गई है, उसके अंदर परीक्षा की जो प्रणाली निकली है, उस पर गंभीरता से विचार-विमर्श करने की जरूरत है क्योंकि उसके बारे में कई लोगों में मतभेद हैं। वे अपनी परीक्षा में मानक के अलावा स्कूलों में सालभर की परफौर्मैंस के आधार पर कुछ विषयों में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अंक जोड़ देते हैं। इस पर काफी आपत्ति की गई है। जहां तक मानकों का प्रश्न है, इसकी पद्धति सी.बी.एस.ई. देती है। वे अंक भी देते हैं और ग्रेड भी देते हैं। दुनिया के कुछ देशों में केवल ग्रेड्स ही दिये जाते हैं। इस बारे में यहां बार-बार 1999 से लेकर आज तक परिणाम सूचित करने की पद्धति को कैसे बदला जाये, चर्चा हो रही है। हम यह मानते हैं कि जब कभी कोई छात्र फेल हो गया तो फेल होने पर जीवनभर उसके मन पर एक बोझ सा बना रहता है। उसमें एक हीनभावना पैदा हो जाती है। वह पांचवें दर्जे में फेल हो गया, छठे दर्जे में फेल हो गया या दसवें दर्जे में फेल हो गया। इस बारे में शिक्षाविदों में विचार-विमर्श चल रहा है कि कैसे इसे ठीक किया जाये। वे एक छात्र को फेलशुदा छात्र के रूप में नहीं देखना चाहते कि कोई भी नवयुवक यह न समझे कि वह फेल हो गया। इस संबंध में अनेक प्रकार के सुझाव आये हैं जिस पर सी.बी.एस.ई. और सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : महोदय, आजादी से हमारी कक्षाएं प्रयोगशालाएं बन गई हैं और हमारे बच्चे पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सुधारों में प्रयोग करने के लिए गिनी पिग बन गए हैं। विभिन्न आयोगों के बावजूद शिक्षा अभी भी अधूरा कार्य है।

हमारी शिक्षा प्रणाली की समस्या यह है कि यह परीक्षोन्मुखी है। यह संज्ञानात्मक ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। हम असंज्ञानात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं लेते। हम रूढ़िवादी ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। हम नवीन ज्ञान की परीक्षा नहीं लेते। अत: शिक्षा जो कि एक आनंदपूर्ण अनुभव होना चाहिए वह विशेषकर परीक्षा के समय बहुत तनावपूर्ण बन जाता है।

परीक्षा परिणाम निश्चय ही किसी विद्यार्थी के समग्र विकास का सही मूल्यांकन नहीं होता। वस्तुत: कोई भी मार्क ट्वैन, एक अमरीकी हास्य कहानी लेखक, से सहमत होगा, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी भी अपनी स्कूली शिक्षा को अपनी शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। विन्सटन चर्चिल भी तीन साल तक एक ही कक्षा में रहे क्योंकि वह गणित में परीक्षा पास नहीं कर सके थे।

दसवीं में सी.बी.एस.ई. की चालू मूल्यांकन प्रणाली ग्रेड और अंक दोनों हैं। मेरा प्रश्न यह है—क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद केवल ग्रेडों पर विचार कर रही है? यदि ये केवल ग्रेड पर विचार कर रहे हैं तो क्या यह ग्रेड प्वाइंट एवरेज (जी.पी.ए.) पर भी विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आएं।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : इस जी.पी.ए. का विद्यार्थियों का विश्वविद्यालयों में प्रवेश और छात्रवृत्तियों इत्यादि के प्रयोजनार्थ मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

दूसरे, क्या एन.सी.ई.आर.टी. परीक्षा प्रणाली में तीन घटकों पर विचार करेगी:

(एक) एक घटक साख होना चाहिए जो कि विद्यार्थी एक अवधि में अर्जित करते हैं; (दो) अध्यापक द्वारा आंतरिक और निरंतर मूल्यांकन; और (तीन) एक लिखित घटक। आंतरिक मूल्यांकन घटक कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए क्योंकि आप किसी विद्यार्थी को तीन घंटे की परीक्षा में ही नहीं जांच सकते।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आएं।

...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : क्या प्रश्न पत्र तैयार करने में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिए जाने का कोई प्रस्ताव है? प्रश्न पत्र या तो बहुत सरल होता है अथवा बहुत कठिन होता है। प्रश्न पत्र समस्या पैदा कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : समस्या सदस्य की है। हां, मंत्री महोदय।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : कभी-कभी प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अभी आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत महत्वपूर्ण विषय सारी शिक्षा और उसके साथ-साथ परीक्षा प्रणाली के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैंने पहले ही यह निवेदन किया है कि इस मामले में विभिन्न बोर्ड्स हैं, विभिन्न परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं। उनकी अपनी-अपनी समस्याएं हैं, अपनी-अपनी धारणाएं हैं और अपने-अपने विशेषज्ञ हैं। उन सबके साथ हमारा परामर्श बराबर चलता रहता है। जहां तक केन्द्र सरकार का सवाल है, हम कांप्रीहैन्सिव कांटीन्युअस इवैलुएशन, जिसे (सी.सी.ई.) कहते हैं, उसके द्वारा हम छात्रों की अन्य बातों की भी परीक्षा लेते हैं। लेकिन यह केवल सी.बी.एस.ई. में होता है। अन्य राज्यों के बोर्ड्स में भी होता होगा, हमें उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर नहीं होता। क्योंकि उनके प्रमाण-पत्र में यह नहीं लिखा होता। हमारे प्रमाण-पत्रों में हम देते हैं कि यह लड़का संगीत में या ड्रामा में अच्छा है या अच्छा खिलाड़ी है। यह सब हम प्रमाण-पत्र में लिखते हैं और हम निरंतर इवैलुएशन करते रहते हैं। यह सही बात है कि एक कांप्रीहैन्सिव टैस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें समग्र छात्र के बारे में जानकारी मिले, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिले। उसमें क्या गुण हैं, क्या प्रतिभा है, उसका कैसे विकास हो सकता है, इन सबके बारे में जानकारी मिले। इसके लिए सी.बी.एस.ई. जो हमारी केन्द्र सरकार का बोर्ड है, उसके अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हैं। हम बाकी बोर्ड्स को भी सलाह देते रहते हैं कि इस मामले में वे अपने यहां परीक्षा पद्धति और प्रमाण देने की पद्धति विकसित करें और जैसा मैंने कहा कि हमारी बराबर उनसे इस बारे में चर्चा होती रहती है।

अध्यक्ष महोदय, एन.सी.ई.आर.टी. में ग्रेड सिस्टम दिये हैं। दुनिया में कहीं 95 ग्रेड्स हैं, कहीं नौ ग्रेड्स हैं। आज हम सी.बी.एस.ई. में नौ प्वाइंट ग्रेड ले रहे हैं। हम दूसरे राज्यों से भी कह रहे हैं कि आप भी इसकी तरफ आइये। हमारा यह भरोसा है कि आने वाले समय में इसके महत्व को समझकर कि परीक्षा

ज्यादा दबाव वाली न हो, मैं इस बारे में बहुत सावधान हूं। मुझे बराबर चिंता रहती है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे परीक्षा के दिन रोते हैं, कहते हैं कि हम इम्तिहान देने नहीं जायेंगे, क्योंकि उन पर परीक्षा का दबाव है। उसके बड़े कारण हैं, केवल परीक्षा पद्धति नहीं है। हर एक माता-पिता यह कहते हैं कि 98 परसेन्ट क्यों नहीं लाये, 97 परसेन्ट क्यों नहीं लाये, जाओ पढ़ो। वे जरूरत से ज्यादा दबाव उनके ऊपर डालते हैं। उसके कारण बहुत सी समस्याएं आती हैं। हम इसके बारे में बहुत सावधान हैं कि परीक्षा पद्धति दबाव वाली न हो। वह बच्चों को विकसित करे न कि उन्हें कुंठित करे। हम बराबर इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो हमारी शिक्षा नीति है यह उसका एक अंग भी है कि परीक्षा का मतलब यह न हो कि किसी व्यक्ति ने कितना पढ़ा है, रट लिया है, उसे केवल उसी की जानकारी न हो, उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का उसमें परिचय मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जहां से भी अच्छे सुझाव आते हैं हम बराबर राज्य सरकारों से परामर्श करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण समस्या है और पूरी तरह से इसकी तरफ हमारा ध्यान है।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सबसे उपेक्षित क्षेत्र खेलों का है। विद्यार्थी समुदाय में अधिकतर विद्यार्थियों में केलों के प्रति रुचि और जागरूकता नहीं है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यह समय की मांग है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर कालेज स्तर तक खेलों का अलग पाठ्यक्रम शामिल किया जाए और इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा से कालेज शिक्षा तक एक समान पाठ्यक्रम बनाने पर विचार करेगी? क्या सरकार फाइनल हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक भाषायी प्रश्न पत्र रखने पर भी विचार करेगी? विद्यार्थियों पर दबाव है। विद्यार्थियों की मानसिकता है कि वे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र अथवा जीव विज्ञान तथा गणित पर अधिक ध्यान देते हैं। इसलिए, क्या सरकार दो परीक्षा पत्रों के स्थान पर केवल एक परीक्षा पत्र रखने पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, यह एक दूसरी दिशा का प्रश्न है। हर राज्य अपना-अपना सिलेबस, अपना-अपना पाठ्यक्रम खुद बढ़ाता है। हम बराबर कहते हैं और हमारी शिक्षा नीति में यह है कि खेलकूद और स्वास्थ्य की तरफ भी शिक्षा में ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमारे पाठ्यक्रम में तो है। लेकिन हर राज्य सरकार उसको क्रियान्वित करेगी, इसमें बड़ी कठिनाइयां हैं। दिल्ली शहर में ऐसे अनेक स्कूल हैं जिनके पास खेलने का स्थान नहीं है। ऐसे ही जितने भी महानगर हैं-मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर और अहमदाबाद आदि हैं, इनमें जो शहरी स्कूल हैं, इनमें बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, जो हो नहीं सकते क्योंकि जमीन की ऐसी स्थिति है। अगर हम उनसे कहते भी हैं कि खेलना कंपलसरी करो तो उनके सामने कठिनाइयां आती हैं। यह ऐसा सवाल है जिसको राज्य सरकारें अपने स्तर पर हल करेंगी। हमारा सुझाव रहता है कि इसका व्यवस्था करें और हमने कुछ सुझाव उनको भी दिये हैं। हमारे जो सी.बी.एस.ई. के विद्यालय हैं, उसमें हम बराबर कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स हों। जो शर्त रखी गई है एफिलियेशन की, उसमें भी खेल-कूद के लिए स्थान होना अनिवार्य है, लेकिन दिक्कत आती है। इन बड़े शहरों में जो स्कूल हैं, वे कहते हैं कि इतनी जगह हमारे पास नहीं है। आप इस समस्या को स्वयं जानते हैं।

जहां तक सवाल है कि केवल फिजिक्स, कैमिस्ट्री पर ही बल न रहे, हम तो चाहते हैं कि अन्य विषय और विशेषकर भाषाओं के विषय भी पढ़ें, हिन्दी भी पढ़ें, अंग्रेजी भी पढ़ें। जो मानविकी के विषय हैं, सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, वे भी पढ़ें। ...*(व्यवधान)* बायो-टैक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं, वह तो साइन्स में शामिल है और माननीय सदस्य साइन्स के अलावा कह रहे हैं। लेकिन कौन सा बोर्ड वे अपने यहां अनिवार्य करेंगे, यह हम उनको दबाव नहीं डाल सकते, यह उनका अधिकार है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, प्रत्येक शिक्षा प्रणाली में उपलब्धियों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि बच्चों में परीक्षा के दौरान अधिक तनाव और दबाव रहता है। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मंत्री जी विद्यार्थियों के स्तर पर आधारित परीक्षा प्रणाली तैयार क्यों नहीं कर रहे हैं? मंत्री जी अंक आधारित प्रणाली के बजाय स्टैंडर्ड-आधारित प्रणाली पर परीक्षा की प्रणाली तैयार क्यों नहीं कर सकते ताकि परीक्षाओं में लिखना विद्यार्थियों के लिए बहुत सरल होगा।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहां सी.बी.एस.ई. में यह प्रथा है कि हम उनको ग्रेड्स भी दे रहे हैं। हम चाहते हैं और इस बारे में राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं कि अगर सब ग्रेड सिस्टम पर आ जाएं तो अच्छा है। लेकिन उसके बारे में अनेक स्थानों से यह आपत्ति आने लगती है कि ग्रेडेशन और नैरो होना चाहिए। नौ पॉइंट के बदले

95 पॉइंट होना चाहिए, 20 पॉइंट होना चाहिए। फिर बात वही आ जाती है और फिर ग्रेड सिस्टम में कठिनाइयां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमने इसका एक रास्ता निकाला है कि हम बच्चों को मौका देते हैं कि वह अपने आपको सुधार सकें। अगर कहीं नंबर कम रह गए हैं तो अगले साल, उससे अगले साल और फिर अगले साल-तीन बार परीक्षा में बैठने का मौका हाई स्कूल के छात्रों को इसलिए दिया जाता है कि जिस विषय में नंबर कम आए हैं, उसको सुधार सकें। लेकिन आज सवाल है कि बच्चों पर इम्तिहान का दबाव है, इम्तिहान का जितना है, उससे ज्यादा उनके घर वालों का है। यह दबाव आपको शहरों में दिखाई देता है क्योंकि वहां कंपीटीशन है, प्रतिस्पर्द्धा है। अगर 95-96 प्रतिशत नंबर नहीं आए तो यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं मिलेगा। फिर उनको इंजीनियरिंग और डाक्टरी में जाना है और यही बनना है। ये जो समस्याएं हैं समाज की और परिवार की समस्याएं हैं। माता-पिता की तरफ से जो दबाव है, वह भी भारी दबाव है। इसलिए हमने कोशिश की है कि एक काउंसलिंग की पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके द्वारा मां-बाप को बताएं और बच्चों को भी बताएं कि इसमें क्या प्रतिभा है और यह क्या बन सकता है, आप जबर्दस्ती कोशिश करके इसे इंजीनियर या डाक्टर मत बनाइए, यह दूसरे विषयों में अच्छा कर सकता है। यह काउंसलिंग से हम इंतजाम कर रहे हैं ताकि परीक्षा का दबाव कम हो। इसमें विद्यालय का सवाल नहीं है, परिवार का, समाज का और प्रतिस्पर्द्धा का भी दबाव है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

+
*205. **श्री चन्द्रकांत खैरे :**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तीस उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को अगले वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है और इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि एकत्रित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या विनिवेश के लिए सूचीबद्ध किए गए सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इन प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार को विनिवेश प्रक्रिया के कार्यान्वयन में कौन-सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

[अनुवाद]

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ऐसे 35 मामले हैं, जहां विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है और विनिवेश प्रगति पर है, होटल के 7 मामले संयुक्त क्षेत्र में हैं, जहां सरकार, राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर रही है, दो मामले ऐसे हैं, जहां विनिवेश 7 सितम्बर, 2002 से तीन महीने के लिए आस्थगित रखा गया है, दो मामले ऐसे हैं, जहां पहले कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद विनिवेश के प्रक्रिया फिर से आरम्भ नहीं की गई है बाजार में अवशेष शेयरों की बिक्री के माध्यम से विनिवेश का एक मामला और अनुबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7 मामले ऐसे हैं, जहां विनिवेश आयोग से विनिवेश करने की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) वर्ष 2003-2004 के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। विनिवेश से जुटाई जाने वाली धनराशि कम्पनी के मूल सिद्धान्त, बोलीदाताओं की अभिरुचि, बाजार परिस्थितियों तथा अन्य सम्बद्ध कारक जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। 47 मामलों में से 28 मामले घाटे में चलने वाली इकाइयां हैं। इसके अलावा विनिवेश आयोग से विनिवेश करने की सिफारिशों के साथ प्राप्त 7 मामलों में से दो घाटे में चलने वाले हैं। लोक उद्यम सर्वेक्षण 2000-2001 के अनुसार वर्ष 2000-2001 के लिए प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की वित्तीय स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ङ) विनिवेश निर्णयों का क्रियान्वयन कार्यात्मक रूप से जटिल है और यह समय-साध्य कार्य है। विनिवेश के लिए विकसित की गई क्रियाविधि में विस्तृत तथा बहु-चरणीय अन्तर्मंत्रालय परामर्शों तथा निर्णय लेने की संयुक्त प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हालांकि यह समय-साध्य है फिर भी पारदर्शिता के हित में तथा यह सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि अलग-अलग दृष्टिकोणों का तालमेल बिठाया जाए। अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति को उनका विनिवेश करने से पूर्व स्वीकार्य स्तरों तक परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। घाटे में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पुनर्संरचना की आवश्यकता हो सकती है और यह भी समय-साध्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जल्दबाजी में कोई बिक्री न हो और बेचे गए शेयरों का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो, सरकार विनिवेश प्रक्रिया के समय का सावधानीपूर्वक अंशाकन करती है, जिससे विलम्ब भी हो सकता है।

अनुबंध

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/इकाईयां	वर्ष 2000-01 में लाभ/हानि
1	2	3
क.	**उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम, जिनमें विनिवेश का निर्णय ले लिया गया है और विनिवेश प्रगति पर है**	
1.	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	(−) 39.06
2.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	(+) 27.31
3.	बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड	(+) 6.01
4.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी	(+) 1.74
5.	बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कम्पनी	(−) 45.22
6.	भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड	(+) 0.94
7.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड	(+) 17.76
8.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	(−) 1956.58
9.	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड	(−) 2.19
10.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	(−) 71.41
11.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	(−) 105.80
12.	इन्स्ट्रूमैन्टेशन कंट्रोल वाल्वस लिमिटेड, पलाक्कड	(+) 0.16
13.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	(−) 29.76
14.	मेकॉन लिमिटेड	(−) 51.36
15.	मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	(+) 12.39
16.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	(+) 655.83
17.	नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट लिमिटेड	(+) 0.09
18.	नेपा लिमिटेड	(+) 4.86
19.	भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	(+) 26.65
20.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	(+) 382.56
21.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया	(−) 66.43
22.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड	(+) 0.07

1	2	3
23.	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड	(+) 123.86
24.	मैगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड	(+) 20.05
25.	स्पांज आयरन इण्डिया लिमिटेड	(+) 6.64
26.	भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड	(-) 37.69
27.	इन्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड, कोटा (मदर यूनिट)	(-) 34.52
28.	हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड	(+) 32.80
29.	होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, संतूर होटल एयरपोर्ट, दिल्ली (सेफेयर दिल्ली सहित)	(-) 17.73
30.	होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, सेफेयर मुम्बई	(+) 0.62
31.	आई.टी.डी.सी. होटल सम्राट, नई दिल्ली (पट्टा-सह-प्रबंधन नियंत्रण)	(-) 2.36*
32.	आई.टी.डी.सी. होटल जयपुर अशोक	(-) 2.30
33.	आई.टी.डी.सी. होटल, पाटलीपुत्र अशोक	(-) 0.50
34.	आई.टी.डी.सी. होटल, कलिंग अशोक	(-) 1.40
35.	आई.टी.डी.सी. होटल, जम्मू अशोक	(-) 0.80
ख.	**भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त क्षेत्र होटल सम्पत्तियां, जिनके लिए सरकार, राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रही है**	
36.	होटल नीलांचल अशोक, पुरी	(-) 0.98
37.	होटल लेकव्यूह अशोक, भोपाल	(-) 56.83
38.	होटल रांची अशोक, रांची	(-) 71.10
39.	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी	(-) 0.20
40.	होटल पाण्डिचेरी अशोक, पाण्डिचेरी	(-) 0.25
41.	होटल दोनयी पोलो अशोक, ईटानगर	(+) 0.014
42.	होटल पंजाब अशोक, आनन्दपुर साहिब	(-) 0.08**
ग.	**विनिवेश 7.9.2002 को तीन महीने के लिए स्थगित किया गया**	
43.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	(+) 920.12
44.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(+) 1088.01
घ.	**पहले की बिक्री के लिए प्रतिक्रिया न होने के बाद विनिवेश प्रक्रिया पुनः आरम्भ नहीं की गई**	
45.	एयर इण्डिया	(-) 44.13

1	2	3
46.	इण्डियन एयरलाइन्स	(-) 159.17
ङ.	**शेष बचे शेयरों की बाजार में खुली पेशकश**	
47.	मारुति उद्योग लिमिटेड	(-) 269.40
च.	**विनिवेश आयोग से प्राप्त सिफारिशें**	
48.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(+) 725.92
49.	रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड	(+) 7.47
50.	प्रोजेक्टस एण्ड इक्यूपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(+) 2.58
51.	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड	(+) 65.60
52.	सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(-) 78.26
53.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	(+) 38.49
54.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	(-) 18.98

*वर्ष 1999-2000 का घाटा

**31.3.2002 की स्थिति के अनुसार संचित घाटा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, विनिवेश होने वाले उपक्रमों की जो सूची उत्तर में लगी है, मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का एक उद्देश्य था कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले, उस संदर्भ में इन सरकारी उपक्रमों की स्थापना की गई थी।

सरकारी उपक्रम के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, यह उद्देश्य पहले से चलता आ रहा है, लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सरकारी उपक्रम लॉस में जा रहे हैं और लॉस में जाने का कारण, कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां थीं जिसके समय में विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन उसी नीति को अपनाते हुए एन.डी.ए. सरकार ने भी, कांग्रेस सरकार के प्रपोजल को चालू किया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रम में जो लॉस हो रहा है, जिसे केन्द्र सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है उसका कारण इनसे डिवीडेंड का नहीं मिलना है। कुछ ऐसे सरकारी उपक्रम हैं जिनसे डिवीडेंड मिल रहा है, लेकिन सरकार का एक ऐसा नजरिया हो रहा है कि सब सरकारी उपक्रमों का विनिवेश किया जाए। उसके कारण उनमें कार्यरत कई कर्मचारी और कामगार बहुत दुखी हो रहे हैं, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंच रही है। उन सरकारी उपक्रमों के लॉस में जाने का कारण मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ऐसे उपक्रम के जो सुपरवाइजर कैटेगरी के लोग हैं, जो सी.एम.डी. या ई.डी. लैवल के योग हैं, उनकी गलत पालिसी की वजह से वे उपक्रम घाटे में जा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि सरकार ने ऐसे बड़े-बड़े अधिकारियों की कोई जांच कराई या उन्हें निकाला है, जिनकी गलत नीतियों के कारण उपक्रम घाटे में गए। यदि वे अधिकारी रिटायर भी हो गए हैं, तो भी उनका अता-पता जरूर होगा, उनसे धन की रिकवरी करनी चाहिए। कई सरकारी उपक्रमों के सी.एम.डी. ने लाखों-करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके अपनी सम्पत्ति जमा की है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने उपक्रम हैं जिनके बारे में आप ऐसी जांच कराना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : महोदय, माननीय सदस्य ने तीन बातें पूछी हैं। मैं उनमें से प्रत्येक का उत्तर दूंगा।

उनकी पहली आशंका यह है कि लाभ कमाने वाली कंपनियों सहित सभी कंपनियों को बेचा जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

श्री अरुण शौरी : यदि आप अनुमति दें तो मैं तथ्य सामने रखूंगा। क्योंकि इस मामले में सभा के अंदर और बाहर बहुत सारी गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है। गत दो वर्षों में विनिवेश संबंधी 34 सौदे किये गए हैं। उनमें से 24 कंपनियां घाटे में चल रही थी। उन्होंने कहा है कि "वर्ष 1991 से 2000 के बीच क्या स्थिति थीं?" इस अवधि के दौरान उन कंपनियों का विनिवेश हुआ उनमें से मात्र दो कंपनियां घाटे में चल रही थी और 37 कंपनियां लाभप्रद कंपनियां थी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री महोदय ने दो दिन पहले कहा है कि विनिवेश प्रधान मंत्री और उप प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ दिया गया है। यह अखबारों में प्रकाशित हुआ था। यदि यह प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री के ऊपर छोड़ दिया है तो उन्हें उत्तर में इस जवाब को शामिल करना चाहिए। उन्होंने दो दिन पहले सार्वजनिक तौर पर कहा है कि विनिवेश प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब उत्तर में वे ऐसा नहीं कह रहे हैं। उत्तर अत्यंत ही संक्षिप्त होना चाहिए कि मामले को प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री के ऊपर छोड़ दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मंत्री जी को उत्तर देने का सुझाव दे रहे हैं?

श्री अरुण शौरी : उन्हें मेरा उत्तर लिखवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जानकारी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल यही बात मैंने उनसे करने को कहा है?

श्री अरुण शौरी : दूसरी बात माननीय सदस्य ने रोजगार के प्रश्न पर सही कहा था। यह माननीय सदस्य का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1991 और 2000 के बीच जब कोई महत्वपूर्ण विनिवेश नहीं हुआ था तो सरकारी उपक्रमों में रोजगार 2.3 मिलियन से घटकर 1.7 मिलियन हो गया। कोई विनिवेश नहीं हुआ था क्योंकि कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक नहीं थी और रोजगार के बारे में यह सभी बातें घटित हो रही थी।

वे अपनी तीसरी बात के संबंध में बिल्कुल सही हैं कि यह कोई जिम्मेदारी नहीं है अथवा किसी व्यक्ति का मामला नहीं है कि सरकारी उद्यम की स्थिति के लिए कामगार जिम्मेवार है। वास्तव में संपूर्ण मामला यह है कि एक सरकारी संस्कृति है जो केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के उपक्रमों में विकसित हुई थी जिससे ये सभी समस्याएं जन्म ले रही हैं।

श्री ए.सी. जोस : यहां एक अनिश्चितता की स्थिति है। कोई नहीं जानता है कि किन-किन कंपनियों का विनिवेश होने जा रहा है। कोई व्यक्ति यह नहीं जान रहा है? खतरे की तलवार प्रत्येक कंपनी पर है। कोई नहीं जानता है कि क्या होने जा रहा है। कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आएगी तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : मेरा क्वश्चन आंसर होने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री अरुण शौरी : इसका कारण यह है कि सदस्य ने उत्तर नहीं पढ़ा है। 47 कंपनियों की पूरी सूची जिन पर कार्य हो रहा है, प्रश्न के अनुबंध में दी गयी है।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, यहां 54 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको उनके प्रश्न का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने उन्हें कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : अनुबंध में पूरी सूची दी गई है कि कौन-कौन सी कंपनियां लाभ में चल रही हैं और कौन-कौन सी कंपनियां घाटे में चल रही हैं।

रोजगार के मुद्दे और जिम्मेदारी निर्धारित करने के विषय में आपने अनेक उद्यमों में सुधार हेतु बहुत प्रयास किये हैं। आप स्थिति से अवगत हैं। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक (कैग) ने स्थिति का बार-बार उल्लेख किया है कि गलत खाते और गबन के कारण सचमुच में मामले दायर किये गए हैं लेकिन गत 20 वर्षों से लालफीताशाही के कारण उन मामलों का कुछ नहीं हुआ।

आपको याद होगा कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म के मामले में सी.बी.आई. ने लगभग छह मामले दायर किये गए और वर्ष 1993 से ये मामले चल रहे हैं। जिम्मेदारी निर्धारित करने के मामले में मैं पूरी तरह आपके साथ हूं लेकिन मामले का तथ्य यह है कि

वे कामगार नहीं बल्कि अन्य लोग जिम्मेदार हैं और यहां लालफीताशाही संस्कृति भी है।

तीसरी बात कही गई कि क्या पुनर्गठन के लिए कोई प्रयास किया गया है। आपने स्वयं ऐसे पुनर्गठन के ऐसे 14 प्रस्तावों के बारे में पहल की थी। गत दस वर्षों में ऐसे 30 पुनर्गठन प्रस्ताव आये हैं जिससे सरकारी राजकोष को 35 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये के बीच घाटा हुआ लेकिन किसी भी एक कंपनी को अर्थक्षम नहीं बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप हमें इस इतिहास से सीख लेनी चाहिए।

पहली बात यह कहना अनुचित है कि लाभकारी कंपनियों को अब भी बेचा जा रहा है और यह पहले भी नहीं हुआ था। दूसरी बात यह याद करना बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न राज्य सरकारें बिल्कुल यही कर रही हैं। सभा संभवत: यह जानना चाहती है कि पंजाब सरकार हमारे साथ पूरी तरह संपर्क में है। यदि आप उनके वेबसाइट को देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने हमारी प्रक्रिया और संरचना को अपनाया है। तमिलनाडु सरकार ने हमें नवंबर में लिखा था। कल और आज उनके अधिकारी यहीं हैं। उन्होंने हमें लिखा है। लिखित में उन्होंने कहा है कि हमने केन्द्र सरकार के मानक को अपनाने का निर्णय लिया है।" पश्चिम बंगाल पहले ही कर चुकी है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल आपका मानक नहीं अपना रहा है।

श्री अरुण शौरी : नहीं। वे बिलकुल हमारे मानक अपना रहे हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : वे बिल्कुल सर्वाधिक खराब मानक अपना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : मेरी सप्लीमेंट्री आने दीजिए?

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : एक मामले में उन्होंने हमारे मानक को नहीं अपनाया। यह ग्रेट इस्टर्न होटल का मामला था जिसमें एक निजी सौदे द्वारा एक कंपनी को बिना किसी खुली बोली के किसी एक फ्रांसीसी कंपनी को दिये जाने की मांग की गई। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उनका क्या मानक है? क्या उनका मानक सेंटूर होटल का है? *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : सेंटूर होटल के संबंध में मैं अभी ब्यौरा देने के लिए तैयार हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं सेंटूर होटल के संबंध में उत्तर दूं, तो मैं इसे अभी तुरंत उपलब्ध करा दूंगा यदि आप मुझे आदेश दें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री क्वश्चन में यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात को जानते हैं क्योंकि आप भी पब्लिक एंटरप्राइजेज के मंत्री रहे थे, आपके सामने 12 उपक्रम के प्रपोजल चर्चा में आए थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एच.एम.टी. कंपनी के बारे में मैंने आपके सामने धरना दिया था, उसका डिस-इनवेस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसका एक फायदा यह हुआ कि अब वह कम्पनी प्राफिट मेकिंग यूनिट बन गई है। अगर इसी प्रकार से घाटे में जाने वाली सरकारी उपक्रम के मैनेजमेंट के ऊपर रेस्पांसिबिलिटी डाली जाए, तो सभी लॉस मेकिंग यूनिट, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट हो सकती हैं।

महोदय, आपको तो मालूम ही है कि हमारे सूचना के स्रोत तो शिव सेना प्रमुख माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे हैं। उन्होंने दशहरे की पब्लिक मीटिंग में हमारे मुम्बई के एयरपोर्ट, सेंटार होटल के बारे में कहा था। मैं आपको उस एयरपोर्ट-सेंटार होटल के बारे में बताना चाहता हूं कि आपके अधिकारी ऐसे हैं कि उन्होंने उसे बत्रा कंपनी को बेच दिया और बेचने के बाद बत्रा कंपनी ने उसे छ: महीने के बाद ही सहारा कंपनी को बेच दिया और इसमें उसने 27.25 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा लिया। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है और प्रश्न भी है कि जब आप विनिवेश करते हैं, तो उसमें ऐसी शर्त क्यों नहीं लगाते कि 10 वर्ष तक उसे किसी अन्य को नहीं बेचा जा सकता है। जो फायदा सेंटॉर होटल को बेचने में बत्रा कंपनी को हुआ वह फायदा सेन्ट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं मिल सकता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? आज परिस्थिति यह है कि सेंटॉर होटल से 650 मराठी एम्पलाइज को निकाला गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसमें घोटाले की बू आ रही है। वे सही हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री महोदय, अब कृपया जवाब दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह माननीय मंत्री महोदय का माडल है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि वहां 650 मराठी एम्पलाइज हैं जिसको सहारा के नये मैनेजमेंट ने बन्दूक दिखाकर वी.आर.एस. लेने के लिए कम्पेल किया। ...*(व्यवधान)* उनको वी.आर.एस. का कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि उन 650 मराठी इम्पलाइज का क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर दें। उत्तर देना मंत्री महोदय का अधिकार है और वे उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा दो प्रश्न उठाये गये हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लाभ सहारा कंपनी को मिला और सरकार को वह लाभ नहीं मिला। यह पहला प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। कृपया बैठ जाइये। दूसरी बात उन्होंने तात्कालिक मामले का भी प्रश्न पूछा है, वह यह है कि सभी कर्मचारियों को सेण्टूर होटल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिये बाध्य किया गया। ये दो प्रश्न हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उत्तर देना मंत्री का अधिकार है और वे उत्तर देंगे। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम औने-पौने दाम पर बेचने का अधिकार नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, आपको इस तरह चिल्लाने का अधिकार नहीं है। आप इस तरह कैसे चिल्ला सकते हैं? यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें जवाब देने दीजिए कि क्या वे तैयार हैं या नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, मंत्री महोदय को उत्तर देने का अधिकार है। मैं उनका नाम पुकार चुका हूं। यदि आप इस तरह चिल्लाते रहे, तो प्रश्न काल समाप्त हो जायेगा और माननीय सदस्य के पास उनका उत्तर सुनने के लिये समय नहीं बचेगा। जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, वे उसका उत्तर चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के हित में, मंत्री महोदय को उत्तर देना है और आपको उनका उत्तर सुनना है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अम्बेडकर जी, आप बैठिये। आठवले जी, आप बैठिए। बसुदेव आचार्य जी, कृपया आप भी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : यदि वे आरोप लगाते हैं, तो उन्हें उत्तर भी सुनना चाहिये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, कृपया बैठ जाइये। यह तरीका नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइये। जिस तरह आप सभा में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वह तरीका ठीक नहीं है। मंत्री महोदय आप उत्तर देना जारी रखिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपका उत्तर रिकार्ड में आयेगा।

कृपया अब उत्तर दीजिए। श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर, जिस तरह आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान खड़ा कर रहे हैं वह

ठीक तरीका नहीं है। यह ठीक तरीका नहीं है। यह प्रश्न पूछने का ठीक तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : पहली बात यह है कि निविदायें आमंत्रित की गई थीं। पहली बार जब लोगों ने निविदायें दी थी तो इसे अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह आरक्षित मूल्य से कम थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा आरक्षित मूल्य की समीक्षा की गई थी......

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप दस मिनट का समय बढ़ा दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : आप जितना चाहे, उतना समय बढ़ा दीजिए।

[अनुवाद]

निविदायें नामंजूर कर दी गईं। दिल्ली समेत सभी सेण्टूर होटलों की निविदायें नामंजूर की गईं। हमने विनिवेश संबंधी कैबिनेट समिति को पेपर वापस कर दिये क्योंकि विनिवेश विभाग के अस्तित्व में आने से पहले ही कार्य पूरा हो गया था ...*(व्यवधान)* जो ये आरोप लगाते हैं वे इतना भी नहीं जानते क्योंकि भारतीय होटल निगम एयर इंडिया की सहायक कंपनी है। एयर इंडिया और नागर विमानन मंत्रालय ने विनिवेश कार्य किया। लेन-देन संबंधी दस्तावेज पूरे कर लिये और तब केवल वित्तीय निविदा के लिये हमसे कहा गया। जब निविदायें आईं तब 21 पार्टियां थीं अंत में केवल 4 पार्टियां बचीं ...*(व्यवधान)* एक निविदा आई। वह आरक्षित मूल्य से कम थी और नामंजूर कर दी गई, और फिर...

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : तब बतरा आये ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : नहीं, यह वही बतरा था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं, वह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह विनिवेश के नाम पर घोटाला है ...*(व्यवधान)* इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप देना चाहिये ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी सी.बी.आई. से जांच करवा दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से प्रश्न पूछ सकता हूं। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को किस पर सहमत होना है, उसका निर्णय उनको करना है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : महोदय, बात श्री बतरा वाली है, जिसकी निविदा नामंजूर कर दी गई थी और तब ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : श्री अम्बेडकर, कृपया सुनिये। मैं उत्तर दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अपना जवाब जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अरुण जी, आपका उत्तर रिकार्ड में आयेगा। कृपया उत्तर दीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय सही नहीं कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री अरुण शौरी : महोदय, निविदा 65 करोड़ रुपये की थी। शुरू में इसे अस्वीकार इसलिये कर दिया गया क्योंकि जैसा आप जानते हैं जो राज है, आरक्षित मूल्य 73 करोड़ रुपये था। उसी व्यक्ति श्री बतरा की निविदा नामंजूर कर दी गई। उसके बाद हम मामला विनिवेश मामलों संबंधी कैबिनेट समिति के पास ले गये। एक शर्त बदली गई और इस व्यक्ति ने 85 करोड़ रुपये निविदा दी। इस तरह इसकी बिक्री की गई ...*(व्यवधान)* अब जैसा कि आप जानते हैं जब संपत्ति की शत-प्रतिशत बिक्री की गई तो प्रतिबंधात्मक खंड शामिल नहीं किये गये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर, कृपया बैठ जाइये ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजा जाना है। यह घोटाला है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया, इनकम्प्लीट रह गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह समाप्त हुआ। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री अरुण शौरी : मैं चर्चा के लिये तैयार हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अरुण जी, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। अब हम एक अलग विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप इंडियन एक्सप्रेस में वापस चले जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हमारे सामने एक अन्य मुद्दा है।

श्री अरुण शौरी : जब हमने चर्चा आरम्भ की थी तो वे कोरम के लिये भी नहीं बैठे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अरुण जी, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी

***206. श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्र सरकार से पेंशन नहीं मिल रही है;

(ख) क्या हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कुछ प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों के लगभग 7,000 मामलों में पेंशन पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

(ख) और (ग) हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान बॉर्डर कैम्पों में भाग लेने के आधार पर सम्मान पेंशन प्राप्त करने हेतु प्राप्त दावों की संवीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया था। चूंकि समिति द्वारा संस्तुत मामलों के संबंध में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं, इसलिए इन सभी मामलों को, दावों का सत्यापन करने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को भेजा गया था। अभी तक राज्य सरकारों से 2963 सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और इन मामलों में आगे की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

(घ) यद्यपि, इन मामलों को यथासंभव शीघ्रता से निपटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं; तथापि, इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

दिल्ली सरकार की शक्तियों में कटौती

***207. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार की शक्तियों में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो कम की गई शक्तियों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण एवं औचित्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दिल्ली राज्य सरकार के विभिन्न नेताओं द्वारा विरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस संबंध में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रशासन हेतु दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(छ) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ज) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ज) सरकार ने ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा और इसके मंत्रिपरिषद को संविधान के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों को किसी भी तरह से कम करती हों। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में ''सरकार'' शब्द की परिभाषा और कार्य संचालन से संबंधित नियमों में किए गए संशोधनों पर जारी अनुदेशों का विरोध तथ्यों पर आधारित नहीं है।

जहां तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान करने से प्रशासन में ढांचागत परिवर्तनों का संबंध है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, अप्रैल, 1999 में, इस विषय पर अपने विचार बताने के लिए लिखा गया था। तथापि, राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक संकल्प अग्रेषित किया है जिसके तहत दिल्ली विधान सभा ने यह संकल्प पारित किया कि व्यापक सहमति के आधार पर प्रमुख संस्थागत और ढांचागत सुधार करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आगे यह भी कहा है कि राज्य का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को ठोस बनाने के लिए उसकी विभिन्न नागरिक ग्रुपों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने की योजना है।

शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में असमानता

***208. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन असमानताओं को कम करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या निर्धन और ग्रामीण युवक उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना एक सतत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 संशोधित) में ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत एक निर्धारित स्तर तक जाति, संप्रदाय, क्षेत्र अथवा स्त्री-पुरुष का भेद किए बिना सभी छात्रों को सम कोटि की शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। इसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए समान शैक्षिग ढांचा, एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचा तथा न्यूनतम अधिगम शामिल हैं। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की सभी योजनाओं में शिक्षा सुलभ रूप से उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार ने हाल ही में संवैधानिक दायित्व को पूरा करने की दृटि से 'सर्व शिक्षा अभियान' शुरू किया है ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को 8 वर्षीय निःशुल्क तथा अनिवार्य कोटिपरक शिक्षा प्रदान की जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसकी कार्य योजना में भी ग्रामीण क्षेत्रों में और लाभ वंचित वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसके कार्यान्वयन के क्रम में कई योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं जो मुख्यतः निर्धन तथा ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करती हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न प्रकार की 'समानता तथा उपलब्धता' योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जैसे 'अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य लाभवंचित वर्गों हेतु उपचारी कोचिंग, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों

को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा सेवाओं में प्रवेश करने योग्य बनाने हेतु कोचिंग की योजनाएं'। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठने वाला लाभवंचित वर्गों के उम्मीदवारों के मामले में बुनियादी अपेक्षाओं में छूट तथा आरक्षण का प्रावधान है। शिक्षा प्रणाली की औपचारिक धारा के अतिरिक्त लाभवंचित वर्गों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अपने पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय मुक्त स्कूल शिक्षा संस्थान द्वारा स्कूल स्तर पर शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाते हैं जबकि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अपने अनेक अध्ययन केन्द्रों, जो अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्र में हैं तथा 'ज्ञान वाणी' तथा 'ज्ञान दर्शन' चैनल द्वारा युवकों की उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सरकार ने शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण उच्च शिक्षा के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की भी स्थापना की है।

आंगनवाड़ी परियोजनाएं

***209. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :**
श्रीमती जसकौर मीणा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने आंगनवाड़ी कामगार/सहायक हैं और उनमें से कुल कितनों को अब तक प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों द्वारा उन विकास खण्डों में आंगनवाड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि दी गई थी और इसके स्थान पर केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना इसे अन्य स्थानों में चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 30.9.2002 की स्थिति के मुताबिक, कुल 582194 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों में से 522252 कार्यकर्त्रियां प्रशिक्षित थीं। इसी प्रकार, 525936 आंगनवाड़ी सहायिकाओं में से 477574 आंगनवाड़ी सहायिकाएं प्रशिक्षित थीं।

(ख) आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के कार्यकरण के संबंध में हर माह राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। इन रिपोर्टों के अनुसार, जिन ब्लॉकों में परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, वे वही ब्लाक हैं, जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लश्कर-ए-तोय्यबा की गतिविधियां

***210. श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लश्कर-ए-तोयबा नाम के एक अत्यधिक खतरनाक आतंकवादी संगठन ने देश के विभिन्न भागों, विशेषकर बड़े शहरों में अपने ठिकाने बना लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे ठिकानों को नष्ट करने हेतु कोई ठोस योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बताया जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा (एल.ई.टी.) द्वारा जम्मू और कश्मीर के अलावा, देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड में अपना नेटवर्क फैला लिया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार, समय-समय पर, उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियों के संबंध में खतरे की आशंका के बारे में राज्य सरकारों को सुग्राही बनाती रही है। केन्द्र सरकार द्वारा अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधियां जारी करके राज्यों की सहायता भी की जाती है।

केन्द्र सरकार ने आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा), 2002 अधिनियमित किया है, जिसके अंतर्गत एल.ई.टी. सहित 32 उग्रवादी संगठन आतंकवादी संगठनों के रूप में अधिसूचित किए गए हैं।

केन्द्रीय सुरक्षा और राज्य पुलिस बलों के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत से एल.ई.टी. मॉड्यूल निष्क्रिय किए गए हैं।

पुलिस हिरासत से भाग निकलना

***211. श्री अम्बरीश :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार दिल्ली में पुलिस की हिरासत से भाग निकलने वाले आतंकवादियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन पुलिस अधिकारियों द्वारा भी अर्जित चल-अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई पूछताछ/जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें दिल्ली में पुलिस हिरासत से कोई आतंकवादी भाग निकला हो। तथापि, दिल्ली पुलिस द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, आतंकवादी संबंधी अपराधों के एक मामले में सम्मिलित एक अभियुक्त 8 और 9 अगस्त, 2002 के बीच की रात को एक चलती रेलगाड़ी, जिसमें उसे गुजरात पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध दर्ज एक अन्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राजकोट ले जाया जा रहा था, से कूदकर भाग निकला।

दिल्ली पुलिस ने, इस गम्भीर चूक और ड्यूटी के प्रति लापरवाही के लिए जिम्मेदार दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की है। तथापि, वर्तमान में, उनकी सम्पत्तियों के संबंध में किसी औपचारिक जांच-पड़ताल को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई प्रथम दृष्ट्या प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

गैर-व्यपगत पूल से कोल इंडिया लिमिटेड को धनराशि

***212. श्री सुनील खां :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन ने एन.ई.सी. में निवेश हेतु प्रधान मंत्री के पूर्वोत्तर पैकेज के अंतर्गत मंत्रालय के गैर-व्यपगत पूल से धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एन.ई.सी. के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) एन.ई.सी. के अंतर्गत आने वाले खानों के विकास के लिए धनराशि का उपयोग करने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट की गई गैर-व्यपगत निधियों में से नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में उपयोग के लिए कोल इंडिया को वर्ष 2000-2001 में 55.14 करोड़ रु. तथा 2001-2002 में 28.65 करोड़ रु. मंजूर किए गए थे।

(ग) उपर्युक्त राशियां निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए निर्दिष्ट की गई हैं:

(1) अनुसंधान एवं विकास

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय अन्वेषण

(3) विस्तृत ड्रिलिंग

(4) पुनर्वास, आग तथा धंसाव का नियंत्रण

(5) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का बंद होना

***213. श्री चाडा सुरेश रेड्डी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे देश में प्रौढ़ शिक्षा के प्रयोजन को और धक्का नहीं लगेगा; और

(घ) यदि हां, तो प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु क्या वैकल्पिक प्रबंध किये हैं/किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। व्यय सुधार आयोग का यह मत था कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान एक कमजोर संस्था है और सार्थक शैक्षिक अथवा पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करने में अक्षम है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भली-भांति नियोजित तथा क्रियान्वित किया जा सकता है।

'सबके लिए शिक्षा'

***214. श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि 'सबके लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे देश में लगभग 4 लाख विद्यालयों और 40 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्याप्त विद्यालय खोलने और शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान में 2010 तक अतिरिक्त स्कूलों, अध्यापकों तथा निधियों की आवश्यकता राज्यों द्वारा जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं में निरूपित आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए केंद्र के हिस्से के रूप में योजनागत के तहत 21760 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर शिक्षा

***215. डा. जसवंतसिंह यादव :**
श्री मोहन रावले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी विद्यालयों और कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा का अभी तक उचित विकास नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो देश में कम्प्यूटर शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कम्प्यूटर शिक्षा के विकास हेतु बनाई गई और क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने हेतु धनराशि की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में स्थित स्कूलों और कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रसार के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में स्थित स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता के संवर्धन के निमित्त इस विभाग ने 2001-2002 के दौरान स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन की संशोधित स्कीम शुरू की है। स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन की संशोधित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा भेजी गई कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं के आधार पर इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं का परीक्षण सचिव (माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में गठित "परियोजना मानीटरी और मूल्यांकन दल" द्वारा किया जाता है और "परियोजना मानीटरी और मूल्यांकन दल" की सिफारिशों पर राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती हैं। सहायता-अनुदान केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को ही दिए जाते हैं। केन्द्र सरकार कुल संस्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत देती है और प्रति स्कूल के लिए अधिकतम राशि 5.00 लाख रु. तक होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें शेष 25 प्रतिशत वहन करती हैं। इस स्कीम में राज्य सरकार के अंशदान के अतिरिक्त अथवा उसके विकल्प के रूप में एम.पी.एल.ए.डी. से 25 प्रतिशत निधियां देने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति प्रति राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के एक स्कूल को स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित करेगी। प्रति स्मार्ट स्कूल अधिकतम 25 लाख रु. तक का अनुदान दिया जाएगा। तीन वर्ष में 10000 स्कूलों को शामिल करने के लिए अधिकतम 10 निकटवर्ती स्कूलों को कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान करने के लिए प्रति निकटवर्ती स्कूल 15000 की दर से केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति को निधियां दी जाएंगी। 2001-2002 के दौरान केन्द्र सरकार ने नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अतिरिक्त 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 74.00 करोड़ रुपये की राशि दी थी। दी गई इस राशि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-i में दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए कालेजों को सहायता देकर 1987 से ही कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा का संवर्धन करता आ रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारीवृन्द और छात्रों के मध्य कम्प्यूटर के सम्बन्ध में जागरूकता

उत्पन्न करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक 3919 कालेजों को अनुदान दिया है। इस स्कीम के अन्तर्गत अब तक जिन कालेजों को सहायता प्रदान की गई है उनकी सूची विवरण-II में है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में एम.सी.ए. कार्यक्रमों के संचालन के लिए विश्वविद्यालयों को भी सहायता प्रदान करता है। एम.सी.ए. कार्यक्रमों का संचालन करने वाले विश्वविद्यालयों की राज्य-वार सूची विवरण-III में है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में संस्वीकृत 75% राशि (रु. लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में जारी की जी रही राशि (रु. लाख में) 50%	स्कूलों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	900.00	450.00	180
2.	त्रिपुरा	250.00	125.00	50
3.	छत्तीसगढ़	500.00	250.00	100
4.	दादरा और नागर हवेली	70.00	35.00	14
5.	हरियाणा	500.00	250.00	100
6.	पश्चिम बंगाल	1114.7625	557.38125	300
7.	पंजाब	997.50	498.75	200
8.	आन्ध्र प्रदेश	1401.1875	700.59375	500
9.	तमिलनाडु	1000.00	500.00	200
10.	मणिपुर	250.00	125.00	50
11.	गोआ	250.00	125.00	50
12.	उत्तर प्रदेश	1500.00	750.00	300
13.	हिमाचल प्रदेश	500.00	250.00	100
14.	मिजोरम	200.00	100.00	40
15.	सिक्किम	145.00	72.5	29
16.	मध्य प्रदेश	1950.00	975.00	390
17.	गुजरात	1500.00	750.00	300
18.	मेघालय	295.00	147.5	59
19.	कर्नाटक	750.00	360.475	150
20.	नवोदय विद्यालय समिति	1425.00	163.30260	–
21.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	1775.00	200.00	–
	कुल	17273.45	7385.50260	3112

विवरण-II

15.7.2002 तक जिन कालेजों को कम्प्यूटर सुविधाओं के लिए सहायता दी गई है उनकी राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15.7.2002 तक जिन कालेजों को पहली बार सहायता प्रदान की गई उनकी संख्या
आन्ध्र प्रदेश	317
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	121
बिहार/झारखंड	195
दिल्ली	62
गोआ	9
गुजरात/दमन/दीव	241
हरियाणा	129
हिमाचल प्रदेश	37
जम्मू व कश्मीर	28
कर्नाटक	325
केरल	171
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	321
महाराष्ट्र	503
मणिपुर	41
मेघालय/मिजोरम/नागालैंड	17
उड़ीसा	208
पांडिचेरी	8
पंजाब/चंडीगढ़	206
राजस्थान	141
तमिलनाडु	211
त्रिपुरा	8
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	305
पश्चिम बंगाल	312
अखिल भारतीय जोड़	3919

विवरण-III

एम.सी.ए./एम.एस.सी. (कम्प्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	आंध्र
2.	हैदराबाद
3.	जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजीकल
4.	काकातिया
5.	नागार्जुन
6.	उस्मानिया
7.	श्री कृष्णादेवराय
8.	श्री पदमावती महिला
9.	श्री वेंकटेश्वर
	असम
10.	गुवाहाटी
	छत्तीसगढ़
11.	पंडित रवि शंकर
	गोवा
12.	गोवा
	गुजरात
13.	भावनगर
14.	गुजरात
15.	महाराजा शिवाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा
16.	नार्थ गुजरात
17.	सरदार पटेल
18.	सौराष्ट्र
19.	साउथ गुजरात

1	2
हरियाणा	
20.	कुरुक्षेत्र
21.	महर्षि दयानन्द
हिमाचल प्रदेश	
22.	हिमाचल प्रदेश
जम्मू व कश्मीर	
23.	जम्मू
झारखंड	
24.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान
कर्नाटक	
25.	बंगलौर
26.	गुलबर्गा
27.	कर्नाटक
28.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
केरल	
29.	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
30.	महात्मा गांधी
मध्य प्रदेश	
31.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय
32.	देवी अहिल्या
33.	रानी दुर्गावती
34.	विक्रम
महाराष्ट्र	
35.	पुणे
36.	श्रीमती नाथीबाई दामोदर टन्करसी महिला
37.	शिवाजी
मणिपुर	
38.	मणिपुर

1	2
उड़ीसा	
39.	बरहामपुर
40.	उत्कल
पंजाब	
41.	गुरू नानक देव
42.	पंजाबी
43.	थापर इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी
राजस्थान	
44.	जय नारायण व्यास
45.	मोहन लाल सुखाड़िया
46.	राजस्थान
47.	बनस्थली विद्यापीठ
तमिलनाडु	
48.	अलगप्पा
49.	अन्ना
50.	अन्नामलाई
51.	भारतीयार
52.	मदुरै कामराज
53.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान
54.	श्री अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फार होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फार वूमेन
उत्तर प्रदेश	
55.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
56.	अलीगढ़ मुस्लिम
57.	इलाहाबाद
58.	बनारस हिन्दू
59.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत

1	2
उत्तरांचल	
60.	हमेवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय
61.	गुरूकुल कांगडी
पश्चिम बंगाल	
62.	बर्द्धवान
63.	कलकत्ता
64.	जादवपुर
65.	नार्थ बंगाल
66.	विश्व भारती
दिल्ली	
67.	दिल्ली
68.	जवाहरलाल नेहरू
पांडिचेरी	
69.	पांडिचेरी

[अनुवाद]

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

***216. श्री सुरेश कुरूप :**
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु अधिक धनराशि का आवंटन करने, विशेष पुलिस बल बनाने और राज्य पुलिस के लिए निर्धारित धनराशि को बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार की दंगों और आतंकवाद पर काबू पाने और लड़ने हेतु राष्ट्रीय स्तर के एक पुलिस बल के गठन की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार की विभिन्न राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों, के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) भारत सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन हेतु अभी तक 21 राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर गृह मंत्रालय की शक्ति प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया है। राज्यों को निधियां तब तक जारी की जाएंगी जब उन्होंने गत दो वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां, इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इस्तेमाल कर ली हो। 10 राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता पहले ही जारी कर दी गई है और शेष राज्यों को निधियां शीघ्र ही जारी की जा रही हैं। राज्य सरकारों से, समय-समय पर पहले जारी की गई निधियों के पुनर्वैधीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव, अनुमोदित किए गए हैं और इस बारे में राज्यों को सूचित किया गया है। चालू वित्त वर्ष में निधियों के आवंटन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे और उन पर की गई कार्रवाई विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार के समक्ष दंगों और आतंकवाद को रोकने के लिए कोई राष्ट्र स्तरीय पुलिस बल खड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत 2000-01 से केन्द्रीय वार्षिक आबंटन बढ़ा कर 1000 करोड़ रु. कर दिया है और इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र मदों में, अन्य बातों के साथ-साथ, संचार उपकरण और आसूचना इकट्ठा करने के लिए उपकरण शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्य सरकारें इस योजना के तहत आवश्यक प्रस्ताव शामिल करके इन मदों का प्रापण कर रही हैं। इस योजना के तहत केन्द्रीय वार्षिक आबंटन बढ़ाने और उसमें उल्लिखित मदों को शामिल करने के लिए बुनियादी उद्देश्यों में से एक राज्य पुलिस बलों को समुचित रूप से सुसज्जित करना है ताकि आतंकवाद/उग्रवाद इत्यादि से आंतरिक सुरक्षा को पैदा हो रहे खतरे से राज्यों द्वारा बेहतर ढंग से निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक विशेष योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को माल के रूप में सहायता प्रदान करती है और उस योजना में शामिल मदों में से एक आधुनिक संचार उपकरण है। इसके अलावा, राज्य पुलिस बलों और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय तथा आसूचना के आदान-प्रदान के लिए समय-समय पर, पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान निधियों के आबंटन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत (28.11.2002 की स्थिति के अनुसार) जारी की गई धनराशि दर्शाने वाला ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

राज्य का नाम	वार्षिक आवंटन का केन्द्रीय हिस्सा (रु. करोड़ में)	वार्षिक कार्य योजना/अभी तक प्राप्त राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य के हिस्से सहित प्रस्ताव	जारी की गई केन्द्रीय निधियां
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	82.00	164.00	जारी की जा रही हैं
अरुणाचल प्रदेश	5.20	13.36	जारी की जा रही हैं
असम	38.70	78.59	जारी की जा रही हैं
छत्तीसगढ़	19.00	38.00	जारी की जा रही हैं
गोवा	2.00	8.42	1.9302172
गुजरात	50.00	117.52	जारी की जा रही हैं
हरियाणा	22.10	51.42	जारी की जा रही हैं
कर्नाटक	75.00	164.9188	74.6106062
केरल	31.50	74.07	31.1961572
मध्य प्रदेश	53.00	106.00	जारी की जा रही हैं
महाराष्ट्र	92.10	200.0633	67.4003038
मणिपुर	10.50	21.00	पिछले वर्षों में निधियों के कम इस्तेमाल के कारण अभी तक निधियां जारी नहीं की गई।
मेघालय	5.50	11.21	जारी की जा रही हैं
मिजोरम	5.50	16.22	5.4181538
नागालैण्ड	13.50	27.00	जारी की जा रही हैं
उड़ीसा	30.50	61.00	16.1924176
पंजाब	32.10	64.20	23.4863602

1	2	3	4
तमिलनाडु	68.10	120.11	67.546835
त्रिपुरा	5.60	25.75	5.5151804
उत्तर प्रदेश	123.52	117.52	जारी की जा रही हैं
उत्तरांचल	6.58	56.3585	4.8618842
कुल	-	-	298.1581156

नोट : कालम संख्या 4 में उपरिलिखित दस राज्यों को जारी की गई धनराशियों के अलावा, 8.77 करोड़ रु. की धनराशि (इस योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रु. के समग वार्षिक आबंटन से) सभी 28 राज्यों में पी.ओ.एल.एन.ई.टी. (पोल्नेट) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पुलिस वायरलैस समन्वय निदेशालय के सुपुर्द की गई हैं।

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिए विशेष मकानों का निर्माण

***217. श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि डी.डी.ए. ने दिल्ली में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और अन्य लोगों के लिए विशेष मकानों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो डी.डी.ए. की इस आवास योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मकान स्वीकृत करने या युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और अन्य आश्रितों के चयन का तरीका क्या है;

(घ) इस प्रकार के मकानों की लागत कितनी है; और

(ङ) इस योजना से संबद्ध विशष शर्तों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि "आपरेशन विजय" में शहीद अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों की विधवाओं/निकट संबंधियों/आश्रितों को आबंटन के लिए सितम्बर, 1999 में शुरू की गई 'विजयी वीर आवास योजना' के तहत सेक्टर 18ए, द्वारका में उन्होंने 414 तीन मंजिले फ्लैटों (312-2 बैड रूम और 102-3 बैडरूम फ्लैट) का निर्माण किया है। यह स्कीम 31.12.2002 तक खुली हुई है और स्कीम का दायरा बढ़ाकर इसमें मई, 1999 के पश्चात आपरेशनों में शहीद अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों को भी शामिल किया गया है।

(ग) स्कीम के तहत फ्लैटों के आबंटन के लिए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों आदि की पात्रता के बारे में सेना मुख्यालय द्वारा विधिवत संस्तुत आवेदन-पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण प्राप्त करता है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2 बैडरूम वाले फ्लैट की 4 लाख रु. तथा 3 बैडरूम वाले फ्लैट की 6 लाख रुपए की सब्सिडीयुक्त दर निर्धारित की है।

(ङ) उपर्युक्त (क) से (ग) में यथा उल्लिखित को छोड़कर स्कीम की कोई विशेष शर्तें नहीं हैं।

अर्द्ध-सैनिक बलों में अतिरिक्त बटालियन

***218. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद, प्राकृतिक विनाश आदि से लड़ने के लिए अर्द्ध-सैनिक बलों की वर्तमान संख्या देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अर्द्ध-सैनिक बलों जैसे सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी., बी.एस.एफ. और सी.आई.एस.एफ. के लिए कितनी अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा अर्द्ध-सैनिक बलों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए अर्द्ध-सैनिक बलों की कुछ और बटालियनों की स्वीकृति देने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु सेना पर निर्भरता कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) सरकार ने संभावित आंतरिक सुरक्षा स्थिति और इन ड्यूटियों हेतु सेना पर निर्भरता कम करने को ध्यान में रखते हुए देश में बलों की भावी आवश्यकताओं के आकलन के लिए 16 मार्च, 2000 को एक अंतर-मंत्रालयी ग्रुप (आई.एम.जी.) का गठन किया था। आई.एम.जी. द्वारा किए गए आकलन के आधार पर, सरकार ने 6 नवंबर, 2000 को, बलों को चरणबद्ध रूप से बढ़ाने का पहले ही अनुमोदन कर दिया है। बढ़ोत्तरी करने और बल खड़े करने संबंधी योजनाओं के ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

महिला कैदियों के बच्चे

***219. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्रीमती प्रभा राव :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को कारागारों में रह रहे बच्चों और उनकी माताओं की स्थिति को सुधारने हेतु 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस' (टी.आई.एस.एस.) द्वारा दिए गए सुझावों पर अपने रुख के बारे में उसे सूचित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इन सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों ने अपने निर्णय के बारे में उच्चतम न्यायालय को पहले ही सूचित कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में क्या अंतिम निर्णय दिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) उच्चतम न्यायालय ने आर.डी. उपाध्याय बनाम आन्ध्र प्रदेश और अन्य, 1994 की रिट याचिका (सिविल) सं. 559 में आई.ए.एं. 1 और 7 में, अपने दिनांक 29.8.2002 के आदेश में निम्न प्रकार से निदेश दिए:

> "इस प्रश्न पर श्री रणजीत कुमार को कुछ समय तक सुनने के बाद कि महिला विचारणाधीन कैदियों के बच्चों और दोष सिद्ध महिला अपराधियों को, जो जेल में हैं, क्या निदेश दिए जा सकते हैं, हम यह उपयुक्त मानते हैं कि इस मामले में भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों जो हमारे समक्ष पार्टी हैं और काउन्सेल जिनका प्रतिनिधित्व करता है, का जवाब मांग लिया जाये। श्री रणजीत कुमार ने हमारे समक्ष टाटा विज्ञान संस्थान द्वारा तैयार की गई पूरी कार्रवाई परियोजना रखी है। संबंधित राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और भारत सरकार का जवाब प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट की प्रतिलिपि, सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होने वाले काउन्सेल को दी जाये। रिपोर्ट की प्रतिलिपि रजिस्ट्री द्वारा बनायी जाये और आज से एक सप्ताह के भीतर सभी काउन्सेलों को दी जाये। उसके बाद चार सप्ताह के भीतर प्रत्येक राज्य, संघ शासित क्षेत्र और भारत सरकार का जवाब दायर किया जाये।"

अभी तक, मणिपुर, राजस्थन, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों, संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव तथा अंडमान और निकोबार से प्राप्त जवाबों को दायर कर दिया गया है। मामला निपटान के लिए अभी भी न्यायालय में लंबित है।

[हिन्दी]

'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' का क्रियान्वयन

***220. श्री बीर सिंह महतो :**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम/सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी राज्यों में इस योजना को क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना को प्रारंभ करने के बाद जारी किए गए/आवंटित किए गए/उठाए गए और बितरित किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी लोगों को एक वर्ष में कम से कम 150 दिन रोजगार प्रदान करके इस वर्ष सूखे से निबटने हेतु राज्य सरकारों को समर्थ बनाने के लिए केन्द्र सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (छ) काम के बदले अनाज कार्यक्रम जनवरी 2001 से मार्च 2002 तक चला था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) का विशेष घटक अप्रैल, 2002 से संचलन में है। पहले काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत तथा अब विशेष घटक के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत/मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के लिए गहन श्रम वाले कार्य शुरू किए जाते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए अथवा विशेष घटक के अंतर्गत शुरू किए जा रहे कार्यों के विवरणों की निगरानी योजना के प्रावधान के अनुसार की जाती है जिसमें योजना के अंतर्गत रिलीज किए गए खाद्यान्नों का उपयोग किया गया या किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा अलग से निगरानी नहीं की जाती है।

इन योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए लाभ को ग्रामीण गरीबों के लिए सृजित रोजगार के श्रमदिनों के रूप में आंका जाता है। सृजित श्रमदिनों की राज्यवार संख्या विवरण में संलग्न है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम आपदा प्रभावित सभी राज्यों में लागू था और एस.जी.आर.वाई. का विशेष घटक इस समय संचलन में है। चूंकि कार्यक्रम मांग आधारित है, कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्न प्रभावित राज्यों के लिए तब रिलीज किए जाते हैं जब उनसे मांग प्राप्त होती हैं। जुलाई 2002 से कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की जाने वाली मात्रा का निर्धारण इस प्रयोजनार्थ गठित कार्यदल/उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। प्रारंभिक रिलीज के पश्चात्, बाद की रिलीज, यदि आवश्यक हो, पहले रिलीज किए गए खाद्यान्नों के उपयोग पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों की रिलीज, उठाए गए खाद्यान्न तथा उपयोग की राज्यवार स्थिति विवरण में है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	काम के बदले अनाज कार्यक्रम								विशेष घटक			
		2000-2001				2001-2002				2002-2003			
		रिलीज किया गया खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न	उपयोग किए गए खाद्यान्न	सृजित लाख श्रम दिन*	रिलीज किया गया खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न	उपयोग किए गए खाद्यान्न	सृजित लाख श्रम दिन*	रिलीज किया गया खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न	उपयोग किए गए खाद्यान्न	सृजित लाख श्रम दिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	1650000	1650000	1650000	1982.48	1800000	1306193	1041815	1251.75
2.	बिहार	-	-	-	-	100000	2023	एन.आर.	एन.आर.	-	-	-	-
3.	छत्तीसगढ़	207000	207000	207000	300.26	419007	419007	419007	572.12	143116	124559	109383	64.65
4.	गुजरात	90000	90000	90000	1196.68	58105	46336	29220	388.52	-	-	-	-
5.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
6.	हिमाचल प्रदेश	11549	11549	11549	16.94	-	-	-	-	10000	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
7.	झारखण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
8.	कर्नाटक	-	-	-	-	100000	100000	100000	एन.आर.	200000	162805	एन.आर.	एन.आर.
9.	केरल	-	-	-	-	5000	5000	5000	एन.आर.	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	मध्य प्रदेश	63079	63079	63079	एन.आर.	188665	148033	113012	एन.आर.	211500	154240	44454	एन.आर.
11.	महाराष्ट्र	10000	10000	10000	100.00	140000	134970	52895	324.00	-	-	-	-
12.	उड़ीसा	100000	100000	100000	180.45	150000	146643	146270	301.22	400000	199970	137319	184.40
13.	राजस्थान	118145	118145	118145	8.49	621360	475217	364835	11.59	700000	200000	186923	293.20
14.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
15.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	200000	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
16.	उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	कुल	599773	599773	599773	1802.82	3432137	3127229	2880239	3579.93	3829616	2147767	1519894	1794.00

*आंकड़े अनंतिम हैं।
एन.आर.-राज्य सरकार द्वारा असूचित

[अनुवाद]

विश्व बैंक/विदेशी सहायता द्वारा वित्त पोषित पेयजल परियोजनाएं

***221. श्री सवशीभाई मकवाना :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विश्व बैंक विदेशों से वित्त पोषित क्रियान्वित की जा रही पेयजल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इसमें राज्य-वार कितनी अनुमानित जनसंख्या को शामिल किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में विश्व बैंक की सहायता/विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही पेयजल परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (लाख रुपये)	पूरा होने की संभावित तारीख	परियोजना पूरी होने के बाद कवर की जाने वाली संभवित आबादी
1	2	3	4	5	6
			एजेंसी-नीदरलैण्ड		
1.	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम जिले में समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति (एपी-3)	165.00	जून, 2001 (पूरा होने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई)	26,000

1	2	3	4	5	6
2.	गुजरात	घोघा क्षेत्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता	4644.00 (वास्तविक) 6880 (संशोधित)	दिसम्बर, 2004 (संशोधित)	1.64 लाख
			एजेंसी-डानिडा (डेनमार्क)		
3.	कर्नाटक	कर्नाटक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	5462.00	30.11.2002	लगभग 22.91 लाख
4.	तमिलनाडु	समेकित ग्रामीण स्वच्छता और जल आपूर्ति परियोजना चरण-2	4300.00	मार्च, 2004	उपलब्ध नहीं
			एजेंसी-ओ.डी.ए./डी.एफ.आई.डी. (यू.के.)		
5.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता	7430.00	31.3.1999 (पूरा होने की (रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई)	29 लाख
			एजेंसी-के.एफ.डब्ल्यू.-जर्मनी		
6.	राजस्थान	राजस्थान के 3 जिलों में समेकित जल आपूर्ति और स्वच्छता एवं सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम	39927.00	30.9.2002	लगभग 7.20 लाख (ग्रामीण 1.53 लाख (शहरी)
7.	प. बंगाल	प. बंगाल में ग्रामीण जल आपूर्ति बोलपुर, रघुनाथपुर जल आपूर्ति स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना	14897.00	फरवरी, 2003	बोलपुर-20.3 लाख रघुनाथपुर-1.05 लाख
8.	महाराष्ट्र	3 जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	15300.00	अप्रैल, 2003	4.31 लाख
			एजेंसी-जापान		
9.	केरल	ओ.ई.सी.एफ. से सहायता प्राप्त केरल जल आपूर्ति परियोजना आई.डी. पी-123	178745.00	25.2.2006 (यह परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई है)	ग्रामीण तथा शहरी दोनों के लिए 40 लाख (लगभग)

1	2	3	4	5	6
			एजेंसी-विश्व बैंक		
10.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	30000	मई, 2003	1000 गांवों को कवर करने की वास्तविक लक्ष्य की तुलना में 1217 गांवों को पहले ही कवर कर लिया गया है।
11.	कर्नाटक	कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना, जल निर्मल	*96520	2007	40 लाख
12.	केरल	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	*4337	31.12.2006	15 लाख

*प्रति डालर 48.26 रुपये दर से

असम में बाढ़ से सड़क की टूट-फूट

2213. श्री एम.के. सुब्बा : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष बाढ़ से बह गई सड़कों और क्षतिग्रस्त सड़कों के जीर्णोद्धार हेतु आपदा राहत कोष से असम सरकार को कितनी धनराशि जारी/स्वीकृत की गई है; और

(ख) बाढ़ों से जिले-वार कितने किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई?

गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) वर्ष 2002-03 के लिए आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में राज्य सरकार को 83.92 करोड़ रु. की कुल राशि जारी की गई। आपदा राहत कोष से राहत के लिए व्यय, ग्यारहवें वित्त आयोग और मानदंडों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार तत्काल प्रकृति की मरम्मत को छोड़कर क्षतिग्रस्त ढांचे की बहाली के लिए सहायता ग्राह्य नहीं है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ के दौरान अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त और बह गई हैं। तथापि, बाढ़ द्वारा प्रभावित सड़कों की विशिष्ट लंबाई सूचित नहीं की गई है।

विद्यालय के अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के वेतनमान का संशोधन

2214. श्रीमती कान्ति सिंह :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मार्च, 2002 में विद्यालय के अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के वेतनमान में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को इस संबंध में अभी आदेश जारी करने हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) भारत सरकार की सेवा में कार्यरत संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य स्वायत्त निकायों

में तैनात प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों (वरिष्ठ तथा चयन वेतनमान) को 1.1.1996 से संशोधित किया गया था जिसके लिये भारत सरकार द्वारा 4 अप्रैल, 2002 को आदेश जारी किये गये थे। संशोधन का ब्यौरा निम्नलिखित है:

	मौजूदा	संशोधित
प्रवेश वेतनमान	4500–7000	4500–7000 (कोई परिवर्तन नहीं)
वरिष्ठ वेतनमान	5000–8000	5500–9000
चयन वेतनमान	5500–9000	6500–10500

टैन्ट हाउसों द्वारा पार्कों/मैदानों की अवैध बुकिंग

2215. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनेक बड़े पार्क/मैदान टेन्ट हाउसों द्वारा विवाहों और उत्सवों के लिए जाली नामों से बुक किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और किसी अन्य एजेंसी द्वारा टेन्ट हाउसों द्वारा पार्कों/मैदानों की अवैध बुकिंग की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अवैध कार्यकलापों में संलिप्त टैन्ट हाउसों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि शादियों तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए जारी नाम पर टैंट हाउसों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले पार्कों/स्थलों की बुकिंग का कोई विशिष्ट मामला पाए जाने की जानकारी/सूचना नहीं है।

खुले मुहानों वाली खानों हेतु अलग कानून

2216. श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खुले मुहाने वाली खानों के लिए अलग कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत आने वाली कोयला खानें माफिया और ठेकेदारों के कारण मिट्टी भरने के प्रयोजन से बालू की अनुपलब्धता का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें समाप्त करने हेतु क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जी, हां। ओपनकास्ट खानों के लिए विनियम का प्रारूप विभिन्न स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है।

ओपनकास्ट खानों के लिए प्रस्तावित विनियम में ओपनकास्ट खदानों में प्रयुक्त की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावलियों, विवरणियों, नोटिसों एवं रिकार्ड, सुयोग्यता एवं उपयुक्तता की परीक्षाओं और प्रमाण-पत्रों, निरीक्षणों तथा खान कर्मचारियों के कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों, नक्शों और खंडों, खान कार्यशालाओं, आग, धूल, ध्वनि आदि के प्रति रक्षोपाय विस्फोटकों और शॉट फायरिंग ओपवनकास्ट खानों में प्रयुक्त सतह तथा ओपनकास्ट मशीनरी, संयंत्रों, उपकरणों व उपस्करों एवं विविध सुरक्षा प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावित विनियम की खास विशेषता का उद्देश्य "आदेशात्मक विनियमों" के बजाय "स्व विनियमों" की संकल्पना प्रदान करना है। प्रत्येक ओपनकास्ट खान प्रबंधन के लिए अपनी खान के संबंध में "सुरक्षा प्रबंध योजना" तैयार करके उसे कार्यान्वित करना होगा। इसमें खान की प्रौद्योगिकी में किसी भी भावी परिवर्तन पर ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा, कोयला तथा धातुमयी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सभी ओपनकास्ट खानों को "कोयला खान विनियम, 1957" तथा "धातुमयी खान विनियम, 1961" के बजाय इस एकल "ओपनकास्ट विनियम" द्वारा विनियंत्रित किया जाएगा।

(ग) और (घ) डब्ल्यू.सी.एल. माफिया और ठेकेदारों के कारण भराने के लिए रेत की अनुपलब्धता की किसी समस्या का सामना नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

सी.आर.पी.एफ. में भर्ती

2217. श्री छत्रपाल सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबलों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) उक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबलों की भर्ती में भ्रष्टाचार के बारे में पहले भी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल पद में लगभग 22000 पद खाली हैं जो वर्ष में सामान्य रूप से खाली होने वाले पदों तथा अतिरिक्त बटालियन और कंपनियां खड़ी करने की मंजूरी मिलने के कारण हैं।

(ख) भर्ती हेतु बनाई गई समय सारणी के अनुसार, इन पदों को मार्च 2003 तक भरे जाने की संभावना है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबलों की भर्ती में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से कार्रवाई की जाती है तथा जांच-पड़ताल की जाती है। एक केन्द्र पर की गई भर्ती रद्द कर दी गई थी और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के लिए नये सिरे से भर्ती आयोजित की गई। निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से भर्ती करने के लिए सभी आवश्यक निवारक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलना

2218. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ में लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने हेतु अब तक कितने आवेदन किए गए हैं;

(ख) कितने मामलों को वास्तव में निपटाया गया और लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदला गया;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने भूमि के वार्षिक रेट से पांच गुना के समान न्यूनतम परिवर्तन शुल्क/फीस निर्धारित करते हुए आदेश प्रख्यापित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह अधिसूचना इस योजना के तहत अनुबंध और निर्धारित शुल्क फार्मूला के विपरीत है;

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सामान्य मुख्तारनामा धारक, चंडीगढ़ में लीज होल्ड संपत्ति को फ्री होल्ड में बदलने के अधिकार से अब भी वंचित है;

(छ) यदि हां, तो क्या यह लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने की योजना का उल्लंघन है; और

(ज) यदि हां, तो इस परिवर्तन को बिना बाधा के लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा भिजवाई गई सूचना के अनुसार 3406 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) 3356 ।

(ग) जी, हां। चण्डीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 8.7.2002 की अधिसूचना द्वारा 1710 रु. प्रति वर्गमीटर की भूमि दर अधिसूचित की है बशर्ते कि परिवर्तन प्रभार वार्षिक लीज धनराशि/भूमि किराया का कम से कम पांच गुना हो।

(घ) जी, नहीं। यह अधिसूचना चण्डीगढ़ रिहायशी लीज होल्ड भूस्वामित्व का फ्रीहोल्ड भूस्वामित्व में परिवर्तन नियमावली, 1996 के नियम 5 के अनुसार है।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त (घ) में बताया गया है कि स्थिति कानूनों व नियमों के अनुसार है अतः कोई संशोधनात्मक उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।

(च) जी, नहीं। चण्डीगढ़ रिहायशी लीज होल्ड भूस्वामित्व का फ्रीहोल्ड भूस्वामित्व में परिवर्तन नियमावली, 1996 के नियम-8 के अनुसार उन मामलों में परिवर्तन की अनुमति दी गई है जिनमें पट्टेदार/उप पट्टेदार/आवंटिती ने संपत्ति का कब्जा छोड़ दिया है बशर्ते कि:

(1) परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास पंजीकृत तथा वैध मुख्तारनामा तथा संपत्ति पट्टेदार से उप पट्टेदार को अंतरित करने (बिक्री/अंतरण) का समझौता और मूल आवंटिती/पट्टेदार के साथ उचित संबंध का प्रमाण होना चाहिए।

(2) परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को स्थल के कब्जे का प्रमाण देना होगा।

(3) जिन मामलों में सामान्य मुख्तारनामा धारक इन नियमों के अंतर्गत पात्रता मानदंड पूरे करता है तो सामान्य मुख्तारनामा के आधार पर लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन तथा परिणामस्वरूप अंतरण विलेख की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते कि सामान्य मुख्तारनामा धारक द्वारा एक प्रतिभूति के साथ सुरक्षा बांड भेजना अपेक्षित होगा जिसमें प्रशासन और इसकी एजेंसियों को सामान्य मुख्तारनामा धारक को इस प्रकार की सुविधा देने की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है।

(छ) और (ज) जी, नहीं। उपर्युक्त (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयला नियंत्रण प्रणाली

2219. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र को कुछ राजनीतिज्ञों और राज्य प्रशासन एसोसिएट्स की सहायता से कोयला नियंत्रण प्रणाली को बनाए रखने/जारी रखने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के कुछ अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में कोयला उपभोक्ता परिसंघ, डीलरों और ट्रेडर्स आफ इंडिया की ओर से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने मौजूदा कानून अर्थात् कोलियरी नियंत्रण आदेश जनवरी, 2002 जिसमें प्रत्येक नागरिक को बिना किसी कठिनाई के अपनी जरूरत का कोयला मिलना चाहिए, के अंतर्गत उपयुक्त नीति विकसित करने के लिए कोल इंडिया लि. को उपयुक्त निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे निदेशों के कब तक जारी किए जाने और कार्यान्वयन हेतु कोल इंडिया लि. पर लागू किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) संघ सरकार को भारतीय कोयला उपभोक्ता फेडरेशन, डीलरों तथा ट्रेडर्स से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। फेडरेशन द्वारा उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं:

(1) पश्चिम बंगाल तथा दूसरे राज्यों में नॉन-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को खुली बिक्री योजना (ओ.एस.एस.) के अंतर्गत कोयला निर्मुक्त करना।

(2) स्पांज आयरन इकाइयों को कोयले की अनुपलब्धता।

(3) नॉन-कोर क्षेत्र के लिए कोयला बिक्री नीति बनने में विलम्ब होना।

(4) जाली उद्योगों को कोयला निर्मुक्त करना।

(5) कोयले को मुफ्त बिक्री योजना के अंतर्गत रखा जाना।

(6) फेडरेशन को इसके सदस्यों को वितरण के लिए कोयला आवंटित करना।

(7) पारदर्शी कोयला वितरण नीति।

(8) संशोधित कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 का उल्लंघन।

(9) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के अंतर्गत उपयुक्त कोयला बिक्री नीति प्रतिपादित करना।

(ग) और (घ) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के अधिलंघन में नए कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के जारी हो जाने से कोयले के विनियंत्रण का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने नॉन-कोर क्षेत्र को कोयले की बिक्री के लिए नीति को उदार बनाने का निर्णय लिया। तदनुसार सी.आई.एल. बोर्ड ने जून, 2001 में सहायक कंपनियों को नॉन-कोर क्षेत्र को कोयले की बिक्री के लिए अपनी स्वयं की प्रणाली तथा कार्यविधि प्रतिपादित करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया। ऐसी प्रणाली तथा कार्यविधि सी.आई.एल. द्वारा तैयार किए गए एकसमान दिशानिर्देशों के ढांचे के अंतर्गत तैयार की जाएगी। निर्णय के अनुसार, नई नीति का लक्ष्य पारदर्शी, उपभोक्ता अनुकूल तथा आसान होना है।

[हिन्दी]

गरीब और असहाय विधवाओं के लिए पुनर्वास पैकेज

2220. श्री सुबोध राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न धार्मिक शहरों में रहने वाली गरीब और असहाय विधवाओं को पुनर्वास पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पैकेज बिहार की गरीब और असहाय विधवाओं को भी दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की गरीब और असहाय विधवाओं की सूची तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) भारत सरकार ने कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं, जिनमें विभिन्न धार्मिक स्थानों पर परित्यक्त विधवाएं भी शामिल हैं, के पुनर्वास के लिए स्वाधार नामक एक राष्ट्र-व्यापी स्कीम शुरू की है, जो सभी राज्यों में लागू है।

(ग) और (घ) वृन्दावन और मथुरा में रहने वाली विधवाओं को छोड़कर, इस प्रकार की कोई सूची तैयार नहीं की गई है। इन विधवाओं की संख्या लगभग 3500 है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

2221. श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के संवितरण में किस दर तक कमी की है;

(ख) क्या इस समय पेंशन लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी नब्बे वर्ष से अधिक आयु के हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार को उक्त योजना के कब तक समाप्त होने की आशा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान ''स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना'' पर हुआ व्यय नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1997-98	177.52
1998-99	180.67
1999-00	198.43
2000-01	237.62
2001-02	192.87

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2001-02 को छोड़कर पेंशन के वितरण में बढ़ोतरी हुई है।

(ख) और (ग) यह मंत्रालय जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के आयुवार पृथक आंकड़े नहीं रखता है।

(घ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, तभी समाप्त होगी जब सभी स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके पात्र आश्रितों, जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है, को उनके देहान्त के पश्चात् पेंशन मिलना बन्द हो जाएगी।

ई.ए.एस. के पनधारा घटक

2222. श्री रघुनाथ झा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2001 की अपनी रिपोर्ट संख्या 22 के पृष्ठ 20-21 के पैरा संख्या 3.15 में बताया है कि विभाग का परिव्यय लघु समायोजनों के साथ स्थिर रहा है और इ.ए.एस. के पनधारा घटक का उदाहरण दिया है जिसके तहत इस योजना का एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के साथ इस योजना का विलय करने के बाद, परिव्यय घट गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं और इसमें परिवर्तन लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या समिति ने एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम में सुधार करने के लिए इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रमों के लिए निधियां हमेशा ही बजटीय सीमाओं के अध्यधीन आबंटित की जाती हैं। भूमि संसाधन विभाग ने समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के लिए अधिक आबंटन प्राप्त करने का प्रयास किया है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अन्तर्गत निधियों के आबंटन तथा इन्हें जारी करने में लगातार वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे की तालिका से देखा जा सकता है:

8वीं पंचवर्षीय योजना

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन (करोड़ रुपये में)	जारी निधियां (करोड़ रुपये में)
1992-93	16.83	16.82
1993-94	40.72	44.49
1994-95	49.20	53.04
1995-96	49.50	51.00
1996-97	50.50	50.80
योग	206.75	216.16

9वीं पंचवर्षीय योजना

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन (करोड़ रुपये में)	जारी निधियां (करोड़ रुपये में)
1997-98	50.00	53.95
1998-99	62.10	62.00
1999-2000	82.00	83.07
2000-2001	130.00	129.78
2001-2002	210.00	186.00
योग	534.10	514.80

सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) को मुख्यत: मजदूरी रोजगार योजना के रूप में बनाए रखने तथा 1.4.99 से सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अन्तर्गत नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं का स्वीकृत करना बन्द करने के संबंध में निर्णय लिए जाने के परिणामस्वरूप 1.4.99 से पूर्व सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अन्तर्गत आरंभ की गई वाटरशेड परियोजनाओं को भी पूरा करने के लिए भूमि संसाधन विभाग द्वारा निधियां उपलब्ध करायी गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को वर्ष 2001 में पहले ही संशोधित किया जा चुका है जिनमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए अधिक भूमिका की परिकल्पना की गई है। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पंचायती राज संस्थाएं, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की हैसियत से कई वाटरशेड परियोजनाएं कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले सकती हैं।

यह भी परिकल्पना की गई है कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा समीक्षा करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं में सुधार हेतु मार्गदर्शन देने का अधिकार होगा। गांव स्तर पर, ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के कार्यान्वयन, विशेषरूप से सामुदायिक संगठन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्णत: शामिल किया जाएगा। यह स्व-सहायता समूहों/प्रयोक्ता समूहों का गठन करने तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित परिसम्पत्तियों एवं सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों जैसे चरागाह भूमि, मत्स्य पालन के टैंकों, गांव की सार्वजनिक भूमि पर किए गए वृक्षारोपण, आदि कार्यों का संचालन और अनुरक्षण करने में सहायता देने और इन कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए अपने प्रशासनिक प्राधिकार एवं वित्तीय संसाधनों का प्रयोग कर सकती हैं। ग्राम पंचायत अपनी बैठकों में वाटरशेड विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा तथा इस संबंध में विचार-विमर्श कर सकती हैं।

विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान

2223. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 31 मार्च, 2002 को समाप्त पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों को राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौवीं योजना अवधि के दौरान दिए गए अनुदानों का उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा को दिए गए अनुदानों का पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से उपयोग नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उड़ीसा में संस्कृति विश्वविद्यालय को कोई अनुदान प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) योजनागत तथा योजनेत्तर योजनाओं के अंतर्गत वर्ष

2001-2002 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को दिये गये अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(च) और (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत रखी जाने वाली विश्वविद्यालयों की सूची में संस्कृति विश्वविद्यालय, उड़ीसा को शामिल किया गया है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार इस विश्वविद्यालय को अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये योग्य घोषित नहीं किया गया है।

विवरण

योजनागत और योजनेतर स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान विश्वविद्यालयों (राज्य-वार) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	2001-2002 (रुपये लाख में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	981.55
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	624.97
3.	श्री सत्य साईं उच्चतर अधिगम संस्थान, अनन्तपुर	69.73
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3484.59
5.	उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	750.00
6.	ए.पी. स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा	-
7.	आंध्र प्रदेश कृषि, हैदराबाद	-
8.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम	598.39
9.	डा. भीमराम अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	93.75
10.	जवाहर लाल नेहरू तकनीकी, हैदराबाद	245.11
11.	काकातिया, वारंगल	267.76
12.	नागार्जुन, गुण्टुर	643.36
13.	उस्मानिया, हैदराबाद	129.32
14.	श्री कृष्ण देवराय, अनन्तपुर	346.64
15.	श्री वेंकटेश्वर, तिरूपति	65.18
16.	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति	27.25

1	2	3
17.	तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद	-
18.	आचार्य एन.जी. राजे कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	-
अरुणाचल प्रदेश		
1.	अरुणाचल विश्वविद्यालय, ईटानगर	356.55
असम		
1.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	793.50
2.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	572.18
3.	असम कृषि, जोरहाट	-
4.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	239.93
5.	गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	447.50
बिहार		
1.	तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	189.06
2.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर	147.69
3.	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत, दरभंगा	27.36
4.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	31.61
5.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	278.91
6.	ललित नारायण मिथिला, दरभंगा	168.19
7.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	107.54
8.	राजेन्द्र कृषि, समस्तीपुर	-
9.	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	-
10.	बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, माधेपुरा	-
छत्तीसगढ़		
1.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	148.34
2.	इन्दिरा कला संगीत, खैरागढ़	30.94
3.	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	-
4.	पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	247.60

1	2	3
दिल्ली		
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	38320.13
2.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–
3.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	3830.01
4.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	5781.52
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	12.24
6.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	736.97
7.	स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	–
8.	श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	557.02
9.	राष्ट्रीय कला संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान इतिहास संस्थान, नई दिल्ली	12.07
10.	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	29.50
	हरियाणा	
1.	हरियाणा कृषि, हिसार	0.17
2.	कुरूक्षेत्र, कुरूक्षेत्र	579.89
3.	महर्षि दयानन्द, रोहतक	355.75
4.	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	100.06
5.	राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, करनाल	–
गुजरात		
1.	भावनगर, भावनगर	67.79
2.	गुजरात, अहमदाबाद	314.31
3.	गुजरात कृषि, दांडीवाडा	–
4.	गुजरात आयुर्वेद, जामनगर	–
5.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	688.50
6.	एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, बडोदरा	369.23
7.	नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	101.09
8.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लभ विद्यानगर	699.92
9.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	153.57
10.	साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	132.04

1	2	3
गोवा		
1.	गोआ विश्वविद्यालय, गोआ	230.94
हिमाचल प्रदेश		
1.	हिमाचल प्रदेश, शिमला	681.73
2.	हिमाचल प्रदेश कृषि, पालमपुर	–
3.	डा. वाई.एस.पी. यूनिवर्सिटी आफ हार्टीकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलम	–
जम्मू व कश्मीर		
1.	जम्मू, जम्मू	145.53
2.	कश्मीर, श्रीनगर	199.32
3.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	1.44
झारखंड		
1.	बिरसा कृषि, रांची	–
2.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	175.56
3.	बी.आई.टी., मेसरा, रांची	220.38
4.	इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद	91.17
5.	विनोबा भावे, हजारी बाग	0.74
कर्नाटक		
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	427.98
2.	केन्द्रीय भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	205.71
3.	गुलबर्ग, गुलबर्ग	193.36
4.	कन्नड़, हम्पी	17.86
5.	कर्नाटक, धारवाड	958.99
6.	कोवेम्पू, शिमोगा	173.28
7.	मंगलौर, मंगलौर	291.51
8.	मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मणिपाल	1.00
9.	मैसूर, मैसूर	447.36
10.	भारतीय राष्ट्रीय विधि संस्थान, बंगलौर	46.92
11.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर	–

1	2	3
12.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	–
13.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	–
केरल		
1.	कालीकट, कोझीकोड	348.05
2.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोचीन विश्वविद्यालय, कोच्ची	679.48
3.	केरल, तिरूवनन्तपुरम	372.52
4.	केरल कृषि, त्रिशूर	–
5.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	576.75
6.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालाडी	–
7.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर	21.37
मणिपुर		
1.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	244.91
मध्य प्रदेश		
1.	अवधेश पी. सिंह, रीवा	138.07
2.	बरखतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	372.53
3.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	34.10
4.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	609.48
5.	डा. एच.एस. गौड विश्वविद्यालय, सागर	213.66
6.	जवाहरलाल कृषि, जबलपुर	–
7.	जिवाजी, ग्वालियर	238.80
8.	लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	8.26
9.	माखनलाल सी.आर.पी. विश्वविद्यालय, भोपाल	–
10.	प्राच निकेतन सेंटर आफ एडवान्स स्टडी फार इंडोलॉजी एंड म्यूजियालॉजी	–
11.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	319.10
12.	विक्रम, उज्जैन	181.11
13.	एम.पी. भोज विश्वविद्यालय, भोपाल	1.40

1	2	3
महाराष्ट्र		
1.	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	206.44
2.	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनियर	–
3.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	826.24
4.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	–
5.	महात्मा फूल कृषि, राहूरी	–
6.	मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभनी	–
7.	डा. भीमराव अम्बेडकर, मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	243.88
8.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	340.05
9.	नार्थ महाराष्ट्र, जलगांव	196.12
10.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	1928.60
11.	पंजाब राव कृषि, अकोला	–
12.	एस.एन.डी.टी. महिला, मुम्बई	249.26
13.	शिवाजी, कोल्हापुर	330.03
14.	यशवन्तराव चाव्हाण, नासिक	–
15.	एस.आर.टी. मराठवाडा, नांदेड	211.29
16.	दक्खन स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान संस्थान कालेज	33.54
17.	गोखले नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	34.83
18.	अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	2.88
19.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई	789.97
20.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	1.00
21.	भारतीय विद्यापीठ, पुणे	3.30
22.	एम.जी. अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	665.75
मेघालय		
1.	पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग	3427.91
मिजोरम		
1.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम	1320.27

1	2	3
नागालैंड		
1.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	1260.24
उड़ीसा		
1.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर	124.77
2.	उड़ीसा ग्रामीण और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	1.10
3.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	272.19
4.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी	42.95
5.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	836.93
6.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	5.00
पाण्डिचेरी		
1.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी	1516.06
पंजाब		
1.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	1212.64
2.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	1397.40
3.	पंजाब एग्रीकल्चरल, लुधियानां	1.66
4.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	311.42
5.	थापर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	256.37
राजस्थान		
1.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	938.64
2.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	143.52
3.	कोटा ओपन विश्वविद्यालय, कोटा	-
4.	जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	138.66
5.	जे.वी. भारती संस्थान, लादौन	26.63
6.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय अजमेर	315.35
7.	एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	89.50
8.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	33.58
9.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	-
10.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	517.00

1	2	3
तमिलनाडु		
1.	अलागप्पा विश्वविद्यालय, करायकुद्दी	45.81
2.	अन्नामलाई, अन्नमलाई नगर	171.82
3.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	951.48
4.	भरतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	250.64
5.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	169.61
6.	डा. एम.जी.आर. मेडिकल, चेन्नई	–
7.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	1060.57
8.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई	1156.19
9.	मदर टैरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोड्डिडीकनाल	21.46
10.	एम. सुन्दरनगर विश्वविद्यालय, तिरूनेलविली	298.01
11.	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल, कोयम्बटूर	2.33
12.	तमिल विश्वविद्यालय, तंजावूर	29.55
13.	टी.एन.वी. एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	–
14.	सी.एल.आर.आई., चेन्नई	0.30
15.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज, चेन्नई	–
16.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	894.36
17.	श्री चन्द्रशेखरानन्द सरस्वती न्यायशास्त्र महाविद्यालय, कांचीपुरम	23.00
18.	श्री अविनाशलिंग गृह विज्ञान एवं उच्चतर शिक्षा महिला संस्थान कोयम्बटूर	714.08
19.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज एवं अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर	8.80
20.	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम	21.27
21.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नई	–
22.	शान माघो कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं शोध अकादमी, थंजावूर	16.00
त्रिपुरा		
1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	51.36
उत्तर प्रदेश		
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	962.30

1	2	3
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	15354.87
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	15327.52
4.	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	120.75
5.	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	353.87
6.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	-
7.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, आगरा	398.77
8.	डा. राम मनोहर लोहिया (अवध) विश्वविद्यालय, फैजाबाद	96.20
9.	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	346.58
10.	कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	160.08
11.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	282.50
12.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	35.71
13.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	161.11
14.	नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	-
15.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	150.46
16.	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	147.19
17.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	714.00
18.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	16.86
19.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	469.36
20.	संजय गांधी चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ	16.00
उत्तरांचल		
1.	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर	18.94
2.	एच.एन.बी. (गढ़वाल) विश्वविद्यालय, श्रीनगर	194.64
3.	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल	111.60
4.	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	259.47
5.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	1.40
6.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	531.96

1	2	3
पश्चिम बंगाल		
1.	बर्द्धवान विश्वविद्यालय, वर्द्धवान	289.05
2.	बी.सी. कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	–
3.	बंगाल इंजीनियरी कालेज, हावडा	96.09
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	905.01
5.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	1111.23
6.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	84.81
7.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	216.09
8.	रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता	42.66
9.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	93.02
10.	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन	3944.56
11.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	1.01
	गैर-विश्वविद्यालय/संस्थाओं को दिए गए अनुदान	
आंध्र प्रदेश		
1.	नेशनल प्लांट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद	–
2.	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	0.70
3.	अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद	0.10
केरल		
1.	वजहंजम सेन्टर फार मेरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम	0.22
2.	सेन्टर फार इलैक्ट्रानिक कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराईकुडी	0.44
महाराष्ट्र		
1.	कैंसर अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	–
	तमिलनाडु	
1.	बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोयम्बटूर	–
2.	सेन्टर फार रिसर्च आन न्यू इन्टरनेशनल एंड इको. आर्डर, चेन्नई	0.10
	अन्तः विश्वविद्यालय केन्द्र	
1.	कंसोर्टियम फार एजुकेशन कमीशन, नई दिल्ली	81.81

1	2	3
2.	इन्टर यूनिवर्सिटी सेन्टर फार एस्ट्रोनोमी एंड एस्ट्रो फिजिक्स, पूणे	625.50
3.	इन्टर यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम फार डी.ए.ई. फेसेलिटि, इन्दौर	942.00
4.	इंडियन इन्सटिट्यूट आफ एडवान्स स्टडीज, शिमला	35.00
5.	न्यूक्लियर साईंस सेन्टर, नई दिल्ली	1782.14
6.	एन.ए.ए.सी., बंगलौर	263.24
7.	इनफिल्बिनेट केन्द्र, अहमदाबाद	230.00

दिल्ली पुलिस में पीसीआर वैन

2224. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पीसीआर वैन कालों का उत्तर देती है और शिकायतकर्ता से सौ नम्बर पर काल करने के लिए कहते हैं जैसाकि दिनांक 26.9.02 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार में बताया गया है जिसमें पीसीआर प्रणाली का उद्देश्य ही विफल हो रहा है;

(ख) क्या दिल्ली में पीसीआर वैन प्रणाली की खामी की जांच करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन टेपों, जिनमें काल करने और उन्हें प्राप्त करने की तारीख और समय का रिकार्ड दर्ज होता है और किस तारीख और समय पर उन कालों पर कार्रवाई की गई, की गई कार्रवाई हेतु लेखा परीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पीसीआर वैन प्रणाली की खामी में सुधार करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने का दिल्ली पुलिस का सतत प्रयास है। संबंधित स्टाफ द्वारा की गई चूक की जांच की जाती है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) प्राप्त कालों के आडियो टेपों का विश्लेषण यदृच्छया आधार पर किया जाता है ताकि जवाबी कार्रवाई में लगने वाले औसतन समय, की गई कार्रवाई की गुणवत्ता और स्टाफ के व्यवहार का प्रबोधन किया जा सके।

(च) दिल्ली पुलिस द्वारा वाहनों के जवाबी कार्रवाई करने में लगने वाले औसतन समय को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में दिल्ली पुलिस के नियंत्रण कक्ष में अत्याधुनिक संचार उपकरण और ओटोमेटिक काल वितरण प्रणाली लगाना सम्मिलित है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता कार्यक्रम

2225. **श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के कितने कालेजों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत और कालेजों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कालेजों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च)/12(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य के 15 कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता कार्यक्रम हेतु शामिल किया गया है।

(ख) से (घ) जब भी उस कालेज/संस्था से, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है तथा जिसे संबंधित विश्वविद्यालय से स्थायी संबंधन भी प्राप्त हो चुका है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव प्राप्त होता है, उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12(ख) में शामिल करने के लिये कार्रवाई की जाती है। इस तरह से शामिल किये गये कालेज/संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं।

[अनुवाद]

वेश्यावृत्ति में बच्चों का संलिप्त होना

2226. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वेश्यावृत्ति में संलिप्त छोटे बच्चों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यौन पर्यटन में अत्यधिक वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बच्चों को यौन पर्यटन के पंजों और एड्स के सन्निकट खतरों से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) वर्ष 1992 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा छः महानगरों, नामतः बंगलौर, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुम्बई में वेश्यावृत्ति पर एक सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 1 लाख वेश्याओं में से 29.3% वेश्याएं 20 वर्ष से कम आयु की थीं।

हाल ही में सरकार द्वारा इस मुद्दे पर एक अन्य सर्वेक्षण भी कराया गया है।

(ग) और (घ) यौन पर्यटन की वृद्धि पर पूरा विश्व चिंतित है। महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के निवारणार्थ एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस मुद्दे को भी हल किया जायेगा। इस समस्या से निपटने हेतु सभी सम्बद्ध अभिकरणों के सहयोग से निवारण, प्रवर्तन, बचाव एवं पुनर्वास के संबंध में कई उपाय किए जा रहे हैं।

फार्मास्युटिकल निर्यात की गुणवत्ता

2227. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घटिया स्तर के फार्मास्युटिकल निर्यात की रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार औषध निर्यात हेतु गुणवत्ता नियंत्रण शुरू करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) निर्यातित औषधों की गुणवत्ता की अलग से जांच करना अपेक्षित नहीं होता है। तथापि, भारत से औषधों के निर्यात में काफी प्रगति हुई है और वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई.एस.) के आंकड़ों के अनुसार भारतीय औषधों तथा फाइन केमिकल के निर्यात में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वृद्धि निम्नानुसार दर्ज की गई है:

वर्ष	करोड़ रु.
1999-2000	7230.16
2000-2001	8757.47
2001-2002 (अनंतिम)	9751.20

औषधों की गुणवत्ता मूलभूत रूप से कुल गुणवत्ता प्रबंधन नीतियों से जुड़ी है जो कि अच्छी विनिर्मानमूलक परिपाटियों को अपनाए जाने पर निर्भर करती है। भारत सरकार ने देश में प्रत्येक विनिर्माता द्वारा अपनाए जाने के लिए अच्छी विनिर्माणमूलक परिपाटियों की अपेक्षाओं को उन्नत करने के लिए अपनी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 804(अ) दिनांक 11.12.2001 के तहत औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली की अनुसूची एम को संशोधित किया है।

रिहायशी इलाकों में भारी वाहन चलाना

2228. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रात में रिहायशी इलाकों में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि रिहायशी इलाकों में भारी वाहन न चलाए जाएं; और

(घ) इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रवार विशेषकर शालीमार बाग में कितनी बार औचक जांच की गई और कार्रवाई की गई जहां रात-दिन माल वाहन रिंग रोड से होकर आते हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में भारी मालवाहक, मध्यम मालवाहक और हल्के मालवाहक वाहनों के आवागमन को नियमित करने के लिए आदेश जारी किए हैं, जो कतिपय सड़कों और क्षेत्रों के संबंध में विशिष्ट समय के दौरान ऐसे वाहनों को चलाने तथा व्यर्थ खड़ा करने को निषेध करता है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का नियमित आधार पर चालान किया जाता है।

(घ) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर आकस्मिक जांच करते हैं कि वाहनों के चलाने पर लगाए गए प्रतिबंध कारगर रूप से लागू किए जाएं। अशोक विहार सर्किल के क्षेत्र, शालीमार बाग जिसका हिस्सा है, में प्रवेश प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष	भारी मालवाहक वाहन	हल्के मालवाहक वाहन
2000	2207	1214
2001	854	1015
2002 (15 नवंबर, 2002 तक)	786	565

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

2229. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संशोधित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरूआत से इसके तहत कितनी योजनाएं मंजूर की गई और कार्यान्वित की गई;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने सामुदायिक शौचालय बनाए गए;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई/मंजूर की गई और खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत क्या उपलब्धियां हुई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ङ) संशोधित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (आर.सी.आर.एस.पी.) 1.4.1999 से कार्यान्वित किया गया था। 1.4.99 और 31.3.2002 के दौरान आर.सी.आर.एस.पी. में (क) आबंटन आधारित कार्यक्रम, और (ख) संपूर्ण स्वच्छता अभियान थे। मार्च 2002 से आबंटन आधारित कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था। आर.सी.आर.एस.पी. में संपूर्ण स्वच्छता अभियान देश के 185 जिलों में "परियोजना मोड" में कार्यान्वित किया जा रहा है। आबंटन आधारित कार्यक्रम और संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में दिए गये हैं? राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, योजना के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं। संशोधित सी.आर.एस.पी. का मूल्यांकन नहीं किया गया है, तथापि राज्य एवं केन्द्र स्तर पर निगरानी की जाती है।

विवरण-I

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटन आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		आबंटन	रिलीज	खर्च	आबंटन	रिलीज	खर्च	आबंटन	रिलीज	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	570.77	657.67	301.38	203.67	751.02	436.27	77.00	18.61	440.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.00	15.00	8.65	11.50	0.00	7.50	4.11	0.00	0.00
3.	असम	792.82	0.00	5.00	303.95	0.00	35.00	108.55	54.27	23.00
4.	बिहार	1585.89	0.00	185.98	565.60	71.09	0.00	150.40	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	35.51	-	-
6.	गोवा	6.48	0.00	0.00	2.31	1.16	0.00	0.87	0.00	0.00
7.	गुजरात	250.00	125.00	12.21	126.79	0.00	112.49	47.93	0.00	0.00
8.	हरियाणा	179.05	0.00	6.87	63.87	0.00	2.32	24.15	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	70.56	35.28	136.90	25.17	12.58	104.78	9.52	9.52	49.10
10.	जम्मू व कश्मीर	87.86	0.00	0.00	31.34	0.00	0.00	11.85	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	-	-	-	-	-	-	63.44	-	-
12.	कर्नाटक	461.14	461.14	467.99	164.51	164.51	539.04	62.19	62.19	922.71
13.	केरल	298.28	253.03	275.03	106.41	324.90	357.39	40.23	133.04	302.06
14.	मध्य प्रदेश	876.21	438.11	407.23	312.54	156.27	69.77	82.65	0.00	17.39
15.	महाराष्ट्र	804.89	724.40	2720.37	287.11	143.55	849.69	108.55	108.55	54.27
16.	मणिपुर	52.98	8.96	15.43	20.31	0.00	14.28	7.26	0.00	0.00
17.	मेघालय	57.48	0.00	19.91	22.04	9.09	14.71	7.87	0.00	0.00
18.	मिजोरम	14.79	1.89	1.00	5.67	0.00	0.90	2.03	2.03	0.00
19.	नागालैण्ड	39.84	0.00	0.00	15.27	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	527.98	527.98	6.00	188.31	0.00	3.64	71.19	0.00	4.84
21.	पंजाब	155.13	0.00	0.00	55.36	0.00	0.00	20.93	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	राजस्थान	478.23	223.35	0.00	170.61	0.00	189.80	64.50	0.00	0.00
23.	सिक्किम	14.70	7.45	25.07	5.64	2.82	9.50	2.01	2.01	5.86
24.	तमिलनाडु	567.17	538.82	433.82	202.33	182.41	203.25	76.79	69.99	54.93
25.	त्रिपुरा	92.92	0.00	0.00	35.63	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	1962.33	567.28	663.49	699.94	349.96	567.28	252.36	126.18	231.78
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	12.26	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	852.60	0.00	342.25	304.12	0.00	142.28	114.98	0.00	0.73
29.	अण्ड. निकोबार द्वीपसमूह	5.00	0.00	0.32	4.88	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	5.00	0.00	0.08	3.88	0.00	0.05	3.88	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	5.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
33.	दिल्ली	5.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	5.00	0.00	2.53	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	5.00	2.50	2.15	2.68	0.00	1.55	2.69	0.00	2.05
36.	कपार्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	10865.10	4587.86	6039.66	3945.00	2169.36	3661.49	1492.30	586.39	2109.32

विवरण-II

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का विवरण

(लाख रु. में)

क्र.स.	राज्य/जिला	स्वीकृत माह/वर्ष	सूचित माह/वर्ष	कुल परियोजना परिव्यय	अनुमोदित अंश			निधियों की रिलीज		सूचित व्यय			कुल
					केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. आंध्र प्रदेश													
1.	खम्माम	11/99	9/02	918.80	613.41	195.25	110.14	184.02	58.58	153.81	26.19	38.19	218.19
2.	नालगोंडा	3/00	9/02	1465.00	973.90	303.35	187.75	292.17	91.00	428.18	316.28	105.43	849.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	प्रकाशम	3/00	8/02	1534.75	1019.94	302.80	212.01	305.98	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	चितूर	3/00	9/02	2042.24	1354.87	434.93	252.44	406.46	130.48	185.30	9.17	8.78	203.25
5.	नेल्लोर	3/01	9/02	1700.80	1129.53	327.21	244.06	338.86	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	आदिलाबाद	5/01	8/02	1697.88	1100.62	344.42	252.84	330.19	11.56	6.21	6.21	0.00	12.42
7.	अनंतपुर	5/01	8/02	1371.15	902.12	276.93	192.10	270.64	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	महबूबनगर	5/01	9/02	1898.66	1260.11	373.15	265.40	378.03	11.16	221.84	0.00	4.78	226.52
9.	निजामाबाद	5/01	9/02	1488.64	982.76	300.51	205.37	294.83	92.03	351.80	248.20	109.16	709.16
10.	विजयनगर	5/01	8/02	1325.46	881.81	258.49	185.16	264.54	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	बारांगल	4/02	8/02	1932.00	1277.20	385.60	269.20	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कुरनूल	4/02	8/02	2015.03	1336.02	419.45	259.56	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	गुंटूर	4/02	8/02	1851.20	883.42	485.06	482.72	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	पूर्वी गोदावरी	4/02	8/02	2000.00	1327.00	400.00	273.00	132.70	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	कुल	-	-	23241.61	15042.71	4807.15	3391.75	3548.08	600.79	1377.14	606.05	266.34	2249.53
2. अरुणाचल प्रदेश													
15.	लोहित	3/00	-	257.76	172.70	51.84	33.22	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	प. सिआंग	3/00	-	237.05	158.82	48.82	29.41	47.65	0.00	6.56	0.00	0.52	7.08
17.	दिबांग घाटी	1/02	6/02	95.40	65.03	19.67	11.70	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	अपर सुबनसिरी	1/02	-	164.93	110.96	34.00	19.97	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-	-	756.14	507.51	154.33	94.30	152.25	0.00	6.56	0.00	0.51	7.08
3. असम													
19.	कामरूप	1/00	-	206.74	136.09	41.35	29.30	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	जोरहाट	1/00	-	217.51	148.06	43.58	25.87	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सोनितपुर	1/00	-	235.93	159.91	47.30	28.72	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	कछार	6/01	7/02	285.00	184.22	56.95	43.83	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	धुबरी	6/01	7/02	299.67	198.99	59.91	40.77	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	गोलपाड़ा	6/01	7/02	245.63	163.88	49.12	32.63	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	कर्बी अंगलांग	6/01	7/02	305.97	142.56	80.85	82.56	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	करीमगंज	6/01	7/02	236.17	156.24	48.18	31.75	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	मोरीगांव	6/01	7/02	218.09	145.40	43.62	29.07	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	नालबेरी	6/01	7/02	368.73	240.46	73.55	54.72	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	शिबसागर	1/02	7/02	203.92	136.15	41.69	26.08	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-	-	2823.36	1811.96	586.10	425.30	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार												
30.	वैशाली	11/99	6/02	2237.60	1483.81	451.15	302.64	445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	प. चम्पारण	2/01	6/02	2087.34	1384.65	418.39	284.30	415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पटना	2/01	6/02	2093.15	1387.15	420.14	285.86	416.15	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	गया	2/01	6/02	2096.66	1390.79	420.27	285.60	417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	बांका	2/01	6/02	1605.98	1066.94	321.84	217.20	320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	मुजफ्फरपुर	5/01	6/02	1910.95	1268.23	382.98	259.74	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	छपड़ा (सारण)	5/01	6/02	1973.80	1309.71	395.62	268.47	392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.	मधुबनी	3/02	6/02	2014.66	1336.67	412.79	265.20	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.	कटिहार	3/02	6/02	2012.15	1335.02	405.47	271.66	400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.	बेगूसराय	3/02	6/02	1998.77	1325.84	402.18	270.75	397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-	-	20031.06	13288.81	4030.83	2711.42	3986.65	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़												
40.	दुर्ग	5/01	9/02	1147.64	764.44	229.66	153.34	229.33	0.00	49.99	0.00	0.00	49.99
	कुल	-	-	1147.64	769.44	229.86	153.34	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात												
41.	मेहसाना	1/00	4/02	508.80	337.87	116.37	54.56	101.36	34.90	55.27	55.17	0.00	110.44
42.	सूरत	1/00	4/02	491.33	311.27	118.24	61.82	93.38	35.47	48.81	24.68	0.00	73.49
43.	राजकोट	1/00	4/02	819.51	547.87	193.75	77.69	164.36	58.13	90.10	45.36	0.00	135.46
44.	अहमदाबाद	4/02	-	1148.08	752.01	248.62	137.45	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45.	गांधीनगर	4/02	-	285.84	184.50	67.63	33.71	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-	-	3253.56	2143.52	744.81	365.43	453.43	128.50	194.18	125.21	0.00	319.39
7.	हरियाणा												
46.	करनाल	10/00	10/02	970.44	446.56	222.08	301.80	133.97	66.42	64.13	29.34	10.00	103.47
47.	यमुनानगर	10/00	10/02	560.87	267.55	127.91	165.41	80.26	33.48	40.08	15.92	5.50	61.50
48.	भिवानी	1/02	10/02	309.03	206.86	60.01	42.16	62.06	0.00	18.48	1.24	1.24	20.96
49.	गुड़गांव	3/02	10/02	792.05	418.95	198.15	174.95	125.68	0.00	6.80	0.00	0.00	8.80
	कुल	-	-	2632.39	1339.92	608.15	684.32	401.97	100.00	129.49	46.50	16.74	192.73
8.	हिमाचल प्रदेश												
50.	सिरमोर	3/00	7/02	133.13	89.21	27.28	16.64	53.52	16.36	24.03	7.41	2.21	33.65
51.	हमीरपुर	3/02	-	199.00	95.50	51.80	51.70	28.65	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-	-	332.13	184.71	79.08	68.34	82.17	31.90	24.03	7.41	2.21	33.65
9.	जम्मू व कश्मीर												
52.	श्रीनगर	2/01	7/02	104.06	67.08	21.25	15.83	20.12	1.04	11.39	0.00	0.84	12.23
53.	ऊधमपुर	2/01	3/02	507.35	339.75	101.47	66.13	101.93	0.00	4.16	0.00	0.00	4.16
	कुल	-	-	611.41	406.83	122.62	81.95	122.05	1.04	15.55	0.00	0.84	16.38
10.	झारखंड												
54.	धनबाद	1/00	-	1426.85	948.71	297.89	180.25	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.	बोकारो	3/01	-	1072.96	713.75	208.94	150.27	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.	दुमका	1/02	-	2045.93	1348.81	435.76	261.36	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.	हजारीबाग	1/02	-	2040.43	926.42	544.25	569.76	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.	रांची	4/02	-	1994.35	1323.42	404.05	266.88	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59.	प. सिंहभूम	4/02	-	1341.85	735.82	320.65	285.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-	-	9922.37	5996.93	2211.54	1713.90	1340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक												
60.	बेल्लारी	1/00	8/02	1001.57	627.05	213.72	160.80	188.12	0.00	29.48	0.00	2.11	31.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61.	मैसूर	1/00	–	1114.26	739.95	262.94	111.37	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62.	मंगलौर	1/00	–	637.76	419.79	140.86	77.11	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	–	–	2753.59	1786.79	617.52	349.28	536.05	0.00	29.48	0.00	2.11	31.59
12.	**केरल**												
63.	कोलम	12/00	9/02	895.00	597.70	174.55	122.75	179.31	52.37	101.59	32.00	38.38	171.98
64.	कैसारगाड	12/00	9/02	1111.86	429.26	261.98	420.62	128.78	78.59	50.50	46.11	0.00	96.61
65.	अलपुझा	1/02	9/02	1656.13	1100.05	322.20	233.88	330.02	96.66	164.76	54.83	0.00	219.59
66.	तिरूवंतपुर	1/02	9/02	749.61	506.90	149.76	92.95	152.07	44.93	82.80	26.80	0.00	109.60
67.	मलयपुरम	1/02	9/02	759.86	510.98	152.36	96.52	153.29	45.71	84.00	26.93	0.00	110.93
68.	वायानाड	1/02	9/02	535.19	355.32	103.25	76.62	106.60	30.98	58.72	17.26	0.00	75.98
	कुल	–	–	5707.65	3500.21	1164.10	1043.34	1050.07	349.24	542.37	203.94	38.38	784.69
13.	**मध्य प्रदेश**												
69.	ग्वालियर	8/00	7/02	560.29	370.03	126.77	63.49	111.00	0.00	67.10	0.00	12.02	79.12
70.	सिहोर	8/00	–	369.08	239.39	94.22	35.47	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.	रायसेन	8/00	7/02	1086.33	717.05	227.26	142.02	215.11	0.00	31.50	0.00	2.70	34.20
72.	नरसिंहपुर	8/00	–	941.70	623.85	199.16	118.69	187.16	0.00	17.80	0.00	7.83	25.52
73.	होशंगाबाद	8/00	8/02	943.70	624.87	198.86	119.97	187.46	0.00	123.09	0.00	9.04	132.13
74.	बेतूल	1/02	–	1111.97	730.56	239.75	141.66	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.	खंडवा	4/02	–	1686.20	1125.22	345.20	215.78	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.	राजगढ़	4/02	–	1113.62	731.70	238.56	143.36	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	–	–	7812.89	5162.67	1669.78	980.44	1177.41	0.00	239.49	0.00	31.59	271.08
14.	**महाराष्ट्र**												
77.	अमरावती	1/00	9/02	1660.40	1097.65	337.13	225.62	329.30	156.72	78.73	14.69	90.50	183.92
78.	धुले	1/00	–	1084.55	722.80	220.76	140.97	216.84	152.54	49.81	7.84	0.00	57.65
79.	नांदेड़	1/00	–	1649.46	1064.77	359.37	225.32	319.43	157.66	64.18	10.08	0.00	74.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80.	राजगढ़	1/00	–	1262.73	826.82	290.26	145.65	248.05	174.13	62.13	10.25	0.00	72.38
81.	चन्द्रपुर	2/01	–	2290.14	1098.49	523.53	668.12	329.55	53.89	42.23	5.76	0.00	47.99
82.	रत्नागिरि	2/01	8/02	1795.79	877.22	416.58	501.99	263.17	75.27	37.30	5.09	0.00	42.39
83.	यावतमल	3/01	–	1990.34	935.63	453.99	600.72	280.68	80.26	41.37	5.83	0.00	47.20
84.	सांगली	3/01	–	978.45	472.93	221.58	283.94	141.88	31.53	29.15	3.30	1.10	33.55
85.	औरंगाबाद	3/01	7/02	1341.93	602.24	318.86	420.83	180.67	60.00	46.65	14.98	3.66	65.29
86.	अहमदनगर	4/02	–	2023.19	994.79	532.60	495.80	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87.	जलगांव	4/02	–	1977.13	1009.08	505.53	462.52	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88.	जालना	4/02	–	1685.80	809.52	437.16	439.12	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89.	नंददरबार	4/02	–	381.58	238.04	96.51	47.03	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	–	–	20121.49	10749.98	4713.88	4657.63	2614.72	942.00	451.55	77.82	95.26	624.63
15.	**मणिपुर**												
90.	प. इम्फाल	3/01	–	314.97	160.28	79.97	74.72	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	3/01	–	314.97	160.28	79.97	74.72	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	**नागालैंड**												
91.	दीमापुर	10/00	–	228.04	152.61	45.52	29.91	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92.	कोहिमा	3/01	–	262.94	175.64	52.63	34.67	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93.	मॉकोक्चुंग	3/01	–	98.18	66.19	19.66	12.33	19.86	0.00	17.11	0.00	3.12	20.23
94.	जुन्हेबोटो	4/02	–	206.65	137.88	44.71	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	–	–	795.81	532.32	162.52	100.97	118.33	0.00	17.11	0.00	3.12	20.23
17.	**उड़ीसा**												
95.	सुंदरगढ़	3/00	10/02	2019.38	1310.53	428.08	280.77	393.16	45.77	106.60	9.75	12.25	128.60
96.	गंजम	3/00	10/02	2062.51	1368.26	418.38	275.87	410.48	45.78	141.83	5.00	19.78	166.61
97.	बालासोर	3/00	11/02	2062.52	1368.26	415.10	279.16	410.48	45.78	345.06	5.00	72.50	422.56
98.	भद्रक	5/01	10/02	1349.80	896.47	270.52	182.81	268.94	0.00	44.02	0.00	4.44	48.46

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99. खुर्दा	6/01	-	1500.00	996.30	300.60	203.10	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100. जाजपुर	4/02	-	1977.03	1300.22	417.55	259.26	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101. नयागढ़	4/02	-	1537.78	1026.42	315.90	195.46	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102. कटक	4/02	10/02	1896.1	1249.71	396.43	250.07	124.97	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47
कुल	-	-	14405.23	9516.17	2962.56	1926.50	2139.58	137.33	637.98	19.75	108.97	766.10
18. पंजाब												
103. भटिंडा	12/00	-	487.79	314.17	106.40	67.22	94.25	0.00	67.55	0.00	15.12	82.67
104. मुक्तसर	3/01	9/02	365.14	244.49	73.04	47.61	73.35	0.00	60.78	0.00	22.17	82.95
105. मोगा	6/01	-	365.31	229.39	81.26	54.66	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106. पटियाला	4/02	-	304.00	165.20	80.80	58.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107. संगरूर	4/02	-	863.53	361.48	246.56	255.49	36.15	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00
कुल	-	-	2385.77	1314.73	588.06	482.98	289.09	0.00	133.33	0.00	37.29	170.62
19. राजस्थान												
108. सिकर	3/00	-	1533.41	1006.74	361.21	165.46	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. बारमेड़	3/00	-	191.04	1250.30	461.09	200.65	375.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. जयपुर	3/00	-	2069.40	1359.07	517.03	193.30	407.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. अलवर	3/00	-	2038.59	1334.16	481.99	222.44	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. झालवाड़	3/01	-	664.13	445.33	132.78	86.02	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. राजसमुंद	4/02	-	1145.14	763.33	254.29	127.66	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. अजमेर	4/02	-	1165.48	776.25	255.29	133.94	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. बूंदी	4/02	-	839.40	561.68	186.38	91.34	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. कोटा	4/02	-	830.10	554.95	179.71	95.44	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	-	-	12197.69	8051.81	2829.61	1316.27	1884.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. सिक्किम												
117. द. सिक्किम	11/99	8/02	47.59	29.21	10.91	7.47	17.52	11.48	18.69	11.18	3.51	33.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118.	प. सिक्किम	11/99	8/02	51.01	30.74	11.36	8.91	18.44	12.82	17.72	12.82	3.93	34.47
119.	उ. सिक्किम	3/02	8/02	181.24	107.89	43.47	29.88	32.37	0.00	2.17	0.00	0.00	2.17
120.	पू. सिक्किम	3/02	-	406.79	246.90	95.29	64.50	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-	-	686.63	414.74	161.03	110.86	142.40	24.30	38.58	24.00	7.44	70.00
21.	**तमिलनाडु**												
121.	कोयम्बटूर	11/99	9/02	1133.71	513.67	177.30	442.74	308.20	106.38	179.94	69.88	149.58	399.40
122.	कुडालोर	11/99	9/02	1148.59	742.91	255.75	149.93	445.74	153.44	267.04	101.83	46.95	415.82
123.	पेराम्बलूर	3/00	9/02	934.61	596.32	204.25	134.04	357.80	122.55	325.85	121.15	114.75	561.75
124.	वेल्लोर	3/00	7/02	1885.59	1182.53	453.69	249.37	709.52	272.24	694.38	235.78	185.00	1115.16
125.	इरोड	2/01	9/02	1100.03	701.87	240.68	157.48	421.12	144.41	266.99	92.80	64.88	424.67
126.	कन्याकुमारी	3/01	9/02	581.13	233.69	140.51	206.93	140.22	84.31	134.96	102.69	161.84	399.29
127.	विरुदुनगर	3/01	9/02	813.13	522.07	170.17	120.89	313.24	101.10	181.37	68.69	46.91	296.97
128.	तिरुचिरापल्ली	1/02	-	606.35	405.80	122.70	77.85	115.44	34.71	15.29	7.05	2.35	24.59
129.	मदुरई	1/02	9/02	560.43	299.79	141.51	119.13	84.27	40.56	11.68	0.00	0.00	11.68
130.	धरमापुरी	1/02	9/02	1721.87	1105.55	384.77	231.55	312.77	123.92	81.24	40.14	13.22	134.60
131.	कांचीपुरम	6/02	-	2006.13	984.00	521.60	500.53	98.40	52.16	6.83	0.00	0.00	8.33
132.	पुदुकोट्टई	6/02	-	1472.11	954.28	311.86	205.97	95.43	31.18	43.59	10.00	0.00	53.99
133.	करूर	6/02	-	864.29	555.25	183.84	12.20	55.53	18.38	10.77	0.00	0.00	10.77
134.	तिरुनेलवेली	6/02	-	937.72	598.06	221.25	118.41	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135.	थेनी	6/02	-	666.21	329.86	171.86	164.49	32.99	17.18	0.00	000	0.00	0.00
136.	रामनाथपुरम	6/02	-	2047.83	1030.50	504.84	512.49	103.05	0.00	2.39	0.00	0.00	2.39
	कुल	-	-	18479.73	10756.15	4206.58	3517.00	3653.53	1302.52	2222.32	850.01	785.28	3857.81
22.	**त्रिपुरा**												
137.	प. त्रिपुरा	12/00	-	1294.42	845.54	266.61	182.27	253.66	7.43	94.54	14.85	11.98	121.37
138.	उ. त्रिपुरा	6/01	-	585.73	383.55	118.91	83.27	115.07	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139.	द. त्रिपुरा	6/01	-	1431.49	571.98	328.55	530.96	171.59	7.42	111.16	0.00	5.00	116.16
140.	धलाई	1/02	-	394.79	259.89	81.00	53.90	77.97	6.77	14.50	5.40	1354.00	1373.90
	कुल	-	-	3706.43	2060.96	795.07	850.40	618.29	28.37	220.20	20.25	1370.98	1611.43
23.	**उत्तर प्रदेश**												
141.	मिर्जापुर	3/00	7/02	1174.86	765.16	247.06	162.64	229.55	55.13	166.37	11.90	26.35	204.62
142.	सोनभद्र	3/00	7/02	927.65	605.39	194.89	127.37	181.62	43.49	166.97	7.89	26.02	200.88
143.	चंदौली	3/00	7/02	607.84	408.17	116.90	82.77	122.45	9.26	105.86	8.68	17.81	132.35
144.	लखनऊ	3/00	7/02	679.78	439.80	140.68	99.30	131.94	31.39	83.07	23.69	16.98	123.74
145.	आगरा	8/00	7/02	343.06	223.73	75.15	44.18	67.12	22.55	60.83	17.25	8.24	86.32
146.	गाजीपुर	12/00	7/02	1030.98	590.68	216.74	223.56	177.20	15.34	168.62	13.35	28.91	210.88
147.	जौनपुर	12/00	7/02	1151.95	637.94	248.59	265.42	191.38	14.85	191.38	14.84	33.36	239.58
148.	वाराणसी	12/00	7/02	383.92	247.19	78.64	58.09	74.16	18.66	71.14	13.90	12.47	97.51
149.	बलिया	12/00	7/02	1396.45	797.41	323.31	275.73	239.22	96.99	181.40	57.21	36.74	275.35
150.	देवरिया	12/00	7/02	633.61	341.98	138.40	153.23	102.59	19.32	93.88	6.26	17.21	117.35
151.	आजमगढ़	2/01	7/02	710.47	473.12	147.98	89.37	141.94	7.47	107.90	4.85	18.19	130.94
152.	बिजनौर	2/01	7/02	846.76	540.14	178.35	128.27	162.04	15.10	154.16	13.54	28.74	196.44
153.	बदायूं	1/02	7/02	1340.32	731.45	316.12	292.75	204.93	61.17	13.84	0.00	3.46	17.30
154.	बाराबंकी	1/02	7/02	1231.16	765.89	260.19	205.08	215.86	64.44	15.32	0.00	1.86	17.18
155.	बस्ती	1/02	7/02	1460.75	924.85	302.48	233.42	261.54	78.07	3.43	0.00	0.86	4.29
156.	बहराईच	1/02	7/02	976.80	632.84	199.98	143.98	178.62	52.32	14.89	0.00	3.08	17.97
157.	इलाहाबाद	1/02	7/02	2021.07	1203.75	450.82	366.50	339.53	101.35	3.48	0.00	4.53	40.01
158.	ललितपुर	1/02	7/02	198.48	126.22	41.39	30.87	35.73	10.67	2.37	0.00	0.63	3.00
159.	जालौन	1/02	7/02	532.16	350.56	107.46	74.14	99.55	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
160.	चित्रकूट	1/02	7/02	318.14	201.42	69.47	47.25	57.00	17.02	8.35	0.00	0.00	8.35
161.	कानपुर नगर	1/02	7/02	602.82	369.08	133.59	100.15	104.42	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162.	कानपुर देहात	1/02	7/02	843.33	524.61	162.73	135.99	148.39	44.30	7.76	0.00	1.17	9.53
163.	बुलंदशहर	1/02	7/02	396.62	202.67	103.51	90.44	56.63	16.90	11.29	0.00	0.44	11.73
164.	सहारनपुर	1/02	7/02	127.64	87.04	27.24	13.36	24.72	7.38	12.05	0.00	1.99	14.04
165.	सुल्तानपुर	3/02	7/02	1158.52	631.86	276.74	249.92	189.56	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
166.	प्रतापगढ़	3/02	7/02	953.66	596.51	209.15	148.00	178.95	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
167.	गोरखपुर	3/02	7/02	1071.07	634.66	242.10	194.31	190.40	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
168.	भदोई	3/02	7/02	378.00	252.98	76.22	48.80	63.02	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-	-	23497.87	14307.10	5105.88	4084.89	4170.89	1050.72	1676.36	193.36	289.64	2159.36
24. उत्तरांचल													
169.	हरिद्वार	6/01	-	172.72	115.39	34.56	22.77	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	6/01	-	172.72	115.39	34.56	22.77	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. प. बंगाल													
170.	मेदिनापुर	8/00	7/02	2769.08	1806.13	671.41	291.54	1083.68	200.36	554.84	200.00	53.42	808.26
171.	हावड़ा	2/01	7/02	1011.21	461.61	220.56	329.04	138.48	66.17	80.04	34.41	0.00	114.54
172.	वर्धमान	3/01	7/02	2119.94	1033.86	305.94	780.14	310.16	91.78	123.62	29.97	61.85	215.44
173.	द.-24 परगना	3/01	7/02	1965.68	1031.84	304.22	629.62	309.55	91.26	0.52	161.22	0.00	161.74
174.	उ.-24 परगना	3/01	7/02	2066.40	1089.92	327.88	648.60	326.98	98.36	77.62	21.39	47.55	146.56
175.	द. दिनाजपुर	5/01	7/02	891.16	419.04	128.88	343.24	125.71	38.66	35.04	2.40	0.00	37.44
176.	मुर्शिदाबाद	5/01	7/02	1970.40	902.37	259.95	808.08	270.71	77.98	20.19	3.49	0.00	23.88
177.	जलपाईगुड़ी	5/01	7/02	1360.28	680.01	202.98	477.29	204.00	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
178.	मालदा	6/01	7/02	1721.37	811.95	249.08	660.34	243.59	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
179.	बांकुड़ा	4/02	7/02	2006.89	965.53	328.36	713.00	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180.	कूच बिहार	4/02	7/02	1462.51	641.17	188.99	632.35	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181.	हुगली	4/02	7/02	1998.94	1016.35	319.57	663.02	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182.	उ. दिनाजपुर	4/02	7/02	1731.87	685.82	222.05	824.00	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183.	नाडिया	4/02	7/02	2030.79	890.74	291.57	848.48	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-	-	25106.52	12436.34	4021.44	8648.74	3432.81	800.18	891.87	452.88	162.82	1507.57
26. पांडिचेरी													
184.	पांडिचेरी	6/01	9/01	248.90	158.06	0.00	90.84	47.42	0.00	27.65	0.00	1.12	28.77
	कुल	6/01	9/01	248.90	158.06	0.00	90.84	47.42	0.00	27.65	0.00	1.12	28.77
27. दादर व नगर हवेली													
185.	दा. व न. हवेली	4/02	-	42.14	31.50	0.00	10.64	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-	-	42.14	31.50	0.00	10.64	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	-	-	203187.70	122542.83	42686.83	37958.33	32820.09	5506.27	8847.59	2627.18	3219.53	14694.30

विवरण-III

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	निर्मित सामुदायिक शौचालयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	269
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	0
5.	छत्तीसगढ़	0
6.	गुजरात	0
7.	हरियाणा	0
8.	हिमाचल प्रदेश	24
9.	जम्मू व कश्मीर	20
10.	झारखण्ड	0
11.	कर्नाटक	4
12.	केरल	103
13.	मध्य प्रदेश	5
14.	महाराष्ट्र	3
15.	मणिपुर	0
16.	नागालैंड	0
17.	उड़ीसा	0
18.	पंजाब	41
19.	राजस्थान	0
20.	सिक्किम	88
21.	तमिलनाडु	157
22.	त्रिपुरा	0
23.	उत्तर प्रदेश	256
24.	उत्तरांचल	0
25.	प. बंगाल	4
26.	पांडिचेरी	0
27.	दादरा एवं नगर हवेली	0

[हिन्दी]

इन्दिरा महिला योजना

2230. श्री राज नारायण पासी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में केन्द्र प्रायोजित योजना 'इन्दिरा महिला योजना' के अंतर्गत जिले-वार और संगठन-वार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा खंड स्तर पर कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ताकि 'इन्दिरा महिला योजना' का विस्तार ग्रामों तक किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) इन्दिरा महिला योजना का पुनर्निरूपण किया गया है तथा इसका नया नाम 'स्वयंसिद्धा' रखा गया है। राशि राज्यों को निर्मुक्त की जानी है तथा इसका ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपए लाखों में)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03 (आज तक)
उत्तर प्रदेश	25.23	159.18	-
उत्तरांचल	4.41	22.00	-

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन इन्दिरा महिला योजना की अप्रयुक्त राशि में से 10.30 लाख रुपए व्यय करने की अनुमति दी गई है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वयंसिद्धा के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में 70 ब्लॉकों में गैर-सरकारी संगठनों का चयन किया गया था तथा उत्तरांचल द्वारा स्वयंसिद्धा के लिए आबंटित किए गए सभी 11 ब्लाकों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों का चयन किया गया था।

(ग) और (घ) यह स्कीम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा चयनित अधिकांश ब्लाक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इस स्कीम में प्रावधान है कि राज्य सरकारें स्वयंसिद्धा के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रक विभागों का पता लगाएंगी तथा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए ऐसे अभिनिर्धारित किए गए संबंधित केन्द्रक विभागों के माध्यम से कार्य करेंगी। ये केन्द्रक विभाग परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण कहे जाने वाले ब्लॉक-स्तरीय कार्यान्वयन अभिकरणों का अभिनिर्धारण करेंगे। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण कोई भी उपयुक्त अभिकरण, सरकारी अथवा गैर-सरकारी, हो सकता है, जिसमें जिला/मध्य-स्तरीय पंचायत संस्थाएं तथा गैर-सरकारी संगठन या सरकारी विभाग/संगठन शामिल हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली की सड़कों पर अनुपयुक्त वाहन चालक

2231. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री 19.3.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2453 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अभी भी सूचना की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास संबंधी रिपोर्ट

2232. श्री जय प्रकाश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास संबंधी रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों आदि का अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रिपोर्ट में उल्लिखित भारत की उक्त कमियों और गलतियों को दूर करने के लिए उठाए गए

कदमों का ब्यौरा क्या है और मानव विकास संबंधी बुनियादी समस्याओं का आकलन कराने पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई विश्व मानव विकास रिपोर्ट की विषय-वस्तु पर गौर किया है। मानव विकास क्षेत्रों, विशेषतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख एवं प्रारम्भिक शिक्षा के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में आवंटनों में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

[अनुवाद]

बिहार में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

2233. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में कितनी सड़कें बनाई गई हैं;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में यह योजना केवल नाम के लिए है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने बिहार में इस योजना को अन्य राज्यों के बराबर बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) बिहार के मामले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत 452.87 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 149.90 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए गए हैं। राज्य ने अक्तूबर, 2002 तक 19.65 करोड़ रुपये के व्यय की जानकारी दी है और अब तक किसी सड़क कार्य के पूरा किए जाने की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) से (ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क कार्य राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं। समीक्षा बैठकों में राज्य सरकार ने धीमी प्रगति के लिए अन्य बातों के साथ निविदाओं को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब, खान से धातु प्राप्त करने में कठिनाई और मानसून के दौरान कार्य पूर्ण रूप से बंद हो जाना आदि कुछ कारणों का उल्लेख किया है। निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया एवं धातु की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जाने की सूचना दी गई है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी भारत-यूरोपीय अध्ययन

2234. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के मध्य बृहत्तर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय संबंधों हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त संबंधों के क्या संभावित लाभ होंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) से (घ) जी नहीं, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर यूरोपीय संघ के साथ कोई औपचारिक सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम नहीं है।

हालांकि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए हाल ही में एक प्रस्ताव की शुरूआत की है। इस संकल्पना के ब्यौरे, एक आपसी विचार-विमर्श सत्र के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, की प्रस्तुति एवं इस पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त इन बैठकों की सिफारिशों को 23 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2002 के दौरान नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेन्ज (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) की पार्टियों के सम्मेलन (सी.ओ.पी.-8) के साइड इवेन्ट में प्रस्तुत किया गया। कई अंतर्राष्ट्रीय निधिकरण एजेन्सियों एवं संगठनों, जिनमें यूरोपीय संघ भी शामिल है, ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण हेतु संस्थागत प्रणालियों के निर्माण के लिए भारत के साथ सहयोग तथा सहायता की अपनी इच्छा व्यक्त की है। इस लक्ष्य को प्राप्त

करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्यौरेवार परियोजना प्रस्ताव तैयार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से निधि तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए पहले ही अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है।

ये संबंध जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से क्षेत्र में भविष्य के जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान करने के लिए हमारी दक्षताओं में सुधार को सरल बनाने, कृषि एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभाव का विश्लेषण करने तथा हमारी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम बनाने, से निपटने के लिए भाग ले रहे देशों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं में सुधार लाएंगे।

सेंटौर होटल का विनिवेश

2235. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री प्रबोध पण्डा :
श्री सुनील खां :
श्री महबूब जाहेदी :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 19 अक्तूबर, 2002 के "दि इकॉनामिक टाइम्स" और 12 अक्तूबर, 2002 के "इंडियन एक्सप्रेस" में क्रमशः आर.एस.एस. ग्रुपी गेन्स 35 परसेंट इन फोर मन्थस् ऑन सेन्टौर सेल और "सहारा इंडिया टू टर्न सेन्टौर होटल टू कोआपरेट आफिस कम्पलेक्स" शीर्षकों से प्रकाशित समाचार रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या बतरा हास्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सहारा ग्रुप को मुम्बई सेन्टौर होटल की बिक्री अवैध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री संबंधी समझौतों में एक खंड जोड़ने पर विचार कर रही है जिनमें खरीददार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा निर्धारित समयावधि से पूर्व उपक्रम को बेचने की स्थिति में इससे प्राप्त लाभ को सरकार के साथ बांटना होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) संतूर होटल एयरपोर्ट, मुम्बई (सी.एच.एम.ए.) का समस्त कारोबार, विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से 'स्लम्प सेल' के आधार पर 18.1.2002 को प्राप्त उनकी 83 करोड़ रुपए की वित्तीय बोली के आधार पर मैसर्स बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (बी.एच.पी.एल.) को हस्तांतरित किया गया था। होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. और बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. के बीच बिक्री करार 18.4.2002 को निष्पादित किया गया था और बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. के पक्ष में कारोबार का हस्तांतरण 5.6.2002 को सम्पन्न हुआ था। बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री ए.एल. बत्रा ने सूचित किया है कि दिनांक 10.10.2002 को बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. की समस्त शेयरधारिता, बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. के उस समय विद्यमान शेयरधारकों से सहारा इण्डिया ग्रुप द्वारा खरीद ली गई है। सहारा ग्रुप इण्डिया ने यह भी सूचित किया है कि बी.एच.पी.एल. के शेयरधारकों को प्रदत्त कुल सौदे का मूल्य 70.50 करोड़ रुपए की सीमा तक ओरियंटल बैंक आफ कामर्स से ऋण की पुन: अदायगी के अतिरिक्त 45 करोड़ रुपए था। सहारा इण्डिया ग्रुप ने यह भी सूचित किया है कि नया प्रबंधन, उच्चतम ग्राहक मानकों और गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप होटल चलाने का इरादा रखता है। बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. ने होटल के आधुनिकीकरण/नवीनीकरण के लिए अपेक्षित कदम उठाने आरम्भ कर दिए हैं।

(ग) और (घ) संतूर होटल एयरपोर्ट, मुम्बई के कारोबार को बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. को हस्तांतरण के लिए होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया और बत्रा हास्पीटलिटी प्राइवेट लि. के बी सम्पन्न बिक्री करार, होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया की पूर्वानुमति के बिना, करार के अधीन, करार के लाभ अथवा उत्तरदायित्व सौंपना प्रतिबंधित करता है। इसी प्रकार उस भू-भाग के लिए, जिस पर होटल अवस्थित है, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और बत्रा हास्पीटलिटी प्राइवेट लि. के बीच पट्टा करार, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना, बत्रा हास्पीटलिटी प्राइवेट लि. द्वारा सम्पत्ति को गिरवी रखने, किसी को सुपुर्द करने, हस्तांतरण करने अथवा सम्पत्ति को सह-पट्टे पर देने के लिए प्रतिबंधित करता है। विनिवेश सौदे के संबंधित विधिक सलाहकारों ने परामर्श दिया है कि इसके शेयरधारिता प्रतिमान तथा स्वामित्व में परिवर्तन होने के साथ, बत्रा हास्पीटलिटी प्राइवेट लि. की विधिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं आया है और संतूर होटल एयरपोर्ट मुम्बई के समस्त कारोबार के अधिकार, नाम, हित और बाध्यताएं बत्रा हास्पीटलिटी प्राइवेट लि. के पास ही बनी हुई हैं जो करार के

अनुसार संतूर होटल एयरपोर्ट, मुम्बई के कारोबार और मामलों का प्रबंधन कर रहा है। विधिक सलाहकार यह भी मानते हैं कि बत्रा हास्पीटलिटी प्राइवेट लि. द्वारा सहारा इण्डिया ग्रुप को संतूर होटल की बिक्री किए जाने से बिक्री करार और पट्टा करार अथवा उनके अधीन किन्हीं बाध्यताओं को सुपुर्द करने का कोई संकेत नहीं है। तथापि, उपरोक्त विधिक पहलुओं पर नागरिक विमानन मंत्रालय और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा आगे विचार किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वर्ण की मांग

2236. श्री बृजलाल खाबरी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सोने की मांग में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मुख्य स्वर्ण उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सोने का उत्पादन कितना था?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) देश में सोने की मांग के पक्के अनुमान नहीं हैं। तथापि, मोटे अनुमानों से पता चलता है कि भारत में सोने की मांग लगभग 600 टन प्रतिवर्ष है।

(ग) देश में प्राथमिक सोना केवल कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। तथापि, झारखंड और गुजरात राज्यों में तांबे के उत्पादन के दौरान उपोत्पाद के रूप में सोने की प्राप्ति होती है। देश में विगत तीन वर्षों के दौरान उपोत्पाद के रूप में सोने की प्राप्ति सहित होने का कुल उत्पादन तालिका में दिया गया है:

वर्ष	(किलोग्राम में)
1999-2000	2586
2000-2001	7712
2001-2002	10251

[अनुवाद]

बोर्ड परीक्षाओं के लिए मानदण्ड

2237. श्री अधीर चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के चेयरमैन ने देश में कक्षा दस में "विज्ञान और गणित में पास करना आवश्यक नहीं है" संबंधी मानदंड पर आपत्ति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में किस समय तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इसके अध्यक्ष ने हाल ही में विभिन्न बोर्डों की आयोजित की गई बैठक में राय व्यक्त की थी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने विचार-विमर्श के दौरान यह राय व्यक्त की थी कि नई सहस्राब्दि की चुनौतियों के मद्देनजर बोर्ड की परीक्षा में छठे "कौशल आधारित" विषय भी शुरू किए जा सकते हैं। यह सुझाव भी दिया गया था कि यदि विद्यार्थी गणित अथवा विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो जाता है किन्तु छठे विषय में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जा सकता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पनधारा विकास कार्यक्रमों की कार्य योजना में सुधार

2238. श्री शिवाजी माने :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्र की मांग के अनुरूप चालू पनधारा विकास कार्यक्रमों हेतु कार्य योजना में सुधार करने और सामूहिक जलग्रहण विकास परियोजना को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न जलग्रहण योजनाओं के अन्तर्गत किये गए कार्यों और प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) वनेतर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को वाटरशेड पद्धति के आधार पर विकसित करने हेतु समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सितम्बर, 2001 में संशोधित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सितम्बर, 2001 से पूर्व और 1 अप्रैल, 2000 के बाद स्वीकृत की गई चल रही वाटरशेड परियोजनाओं के लिए कार्य योजना वाटरशेड क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा परियोजना के और अधिक कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार तैयार की गई है।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही चालू वाटरशेड परियोजनाओं के तहत किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों में मृदा तथा नमी संरक्षण उपायों के जरिए भूमि अवक्रमण को रोकना तथा भू-जल के स्तर की पुनः पूर्ति हेतु जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करना, ईंधन लकड़ी एवं चारे सहित बायोमास के उत्पादन के लिए वृक्षारोपण तथा संबंधित कार्यकलाप करना शामिल है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत 38.03 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 436 परियोजनाएं, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत 81.34 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 16,268 परियोजनाएं तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत 41.57 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 8314 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वर्ष 1995-96 से लेकर अभी तक समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या तथा शामिल क्षेत्र को दिखाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या			शामिल क्षेत्र (हैक्टेयर में)		
		आई.डब्ल्यू.डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	38	2966	552	367912	1483000	276000
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	-	-	9800	-	-
3.	असम	30	-	-	230628	-	-
4.	बिहार	2	235	-	9000	117500	-
5.	छत्तीसगढ़	11	653	-	99106	326500	-
6.	गुजरात	26	1359	1676	255103	679500	838000
7.	हरियाणा	6	-	654	47723	-	327000
8.	हिमाचल प्रदेश	24	238	371	243732	119000	185500
9.	झारखण्ड	4	819	-	24679	409500	-
10.	जम्मू और कश्मीर	7	274	536	57447	137000	268000
11.	कर्नाटक	23	1386	832	233682	693000	416000
12.	केरल	3	-	-	29551	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मध्य प्रदेश	39	2086	–	321092	1043000	–
14.	महाराष्ट्र	20	2211	–	213143	1105500	–
15.	मणिपुर	8	–	–	7446	–	–
16.	मेघालय	7	–	–	34725	–	–
17.	मिजोरम	12	–	–	113118	–	–
18.	नागालैण्ड	17	–	–	178680	–	–
19.	उड़ीसा	30	684	–	21464	342000	–
20.	पंजाब	4	–	–	14731	–	–
21.	राजस्थान	29	680	3693	231739	340000	1846500
22.	सिक्किम	9	–	–	78006	–	–
23.	तमिलनाडु	24	904	–	172237	452000	–
24.	त्रिपुरा	4	–	–	19423	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	41	1066	–	410535	533000	–
26.	उत्तरांचल	15	452	–	113346	226000	–
27.	पश्चिम बंगाल	1	255	–	5460	127500	–
	योग	436	16268	8314	3802530	8134000	4157000

खरीद संबंधी निर्णय लेने में देरी

2239. मोहम्मद अनवारूल हक : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी टिप्पणियों में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 4.9.96 के मांगपत्र संख्या आई/00 आई/डी-15017/22/96 पी/4 के अंतर्गत खरीद संबंधी निर्णय लेने में परिहार्य विलंब के फलस्वरूप 60 जी.एस.एम. का 500 एम.टी. ऑफसेट प्रिंटिंग कागज 5.41 लाख रु. ऊंची दर पर मैसर्स शिवा पेपर मिल से खरीदा गया था;

(ख) क्या मंत्रालय इस हानि की जिम्मेदारी तय करने में असफल रहा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) लेखा परीक्षा के एक विशेष जांच दल ने अपनी आपत्तियों में यह उल्लेख किया था कि खरीद संबंधी निर्णय लेने में परिहार्य विलंब के फलस्वरूप 5.41 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब निम्नलिखित कारणों से था:

(1) निविदा देने वाली फर्मों की क्षमता के संबंध में स्पष्टीकरण,

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को खरीद में तरजीह देने संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्ज एच.पी.सी. के साथ बातचीत में समय लगा,

(3) वार्षिक बजट 1997-98 में उत्पाद शुल्क की पुनः संरचना, और

(4) निविदा देने वाली फर्म से अभ्यावेदन, जिसकी जांच में आपूर्ति विभाग के संदर्भ की भी जरूरत थी।

विलंब के कारण पारिस्थितिक और अपरिहार्य/अवश्यंभावी थे। इसके लिए लेखा परीक्षा को दिनांक 3.9.2002 के पत्र के तहत स्पष्ट किया जा चुका है और अब तक उनसे कोई अन्य टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्देशीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

2240. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अंतर्देशीय संगठित अपराध के संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन में हस्ताक्षर नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत के कन्वेन्शन का सदस्य न होने के कारण इसे हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके परिणामस्वरूप होने वाली नुकसान की भरपाई किस प्रकार करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार मामले पर ध्यान दे रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

मशीनों का प्रयोग

2241. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सिंगल कलर परफेक्टिंग आटोमेटिक आफसेट मशीन टीपी 94 (4 संख्या) रु. 3,13,14,850 (सभी विदेशी मुद्रा में) की कीमत पर खरीदी गई है;

(ख) क्या 1987 के बाद से इस मशीन का यदाकदा ही प्रयोग किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो वास्तविक उत्पादन के सही आंकड़े वर्क डोकिट में दिखाई गई उपयोग क्षमता और संबंधित प्रेस अधिकारियों द्वारा दैनिक कार्य-प्रगति पुस्तक का ब्यौरा क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) 4 टू कलर एण्ड परफैक्टिंग आटोमेटिक शीटफैड आफसैट-टी.पी.-94 मशीनें वर्ष 1986 में डी.जी.एस. एण्ड डी. के माध्यम से खरीदी गई थीं।

(ख) मशीनों की स्थापना के समय से ही इनका लगातार प्रयोग किया जा रहा है। ये मशीनें भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड में स्थापित हैं। वर्ष के दौरान यह मुद्रणालय ज्यादातर संसद के दोनों सदनों के छोटे-छोटे एवं समयबद्ध कार्यों को पूरा करता है। संस्करणों की संख्या के स्थान पर इस प्रकार के कार्यों को यथा समय संतोषजनक निष्पादन ही मुख्य बात होती है। छोटे कार्यों के लिए प्रतीक्षा एवं तैयारी की अवधि अधिक होती है, इसलिए तुलनात्मक रूप से क्षमता का उपयोग कम ही रहता है। इन मशीनों का औसत क्षमता उपयोग भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड के समग्र क्षमता उपयोग के समान अर्थात लगभग 36-37% है जिसे नगण्य नहीं कहा जा सकता है।

(ग) पिछले 6 वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मुद्रित कागजों की संख्या	क्षमता उपयोग का प्रतिशत
1996-97	1,07,10,820	36-73%
1997-98	1,09,48,750	37.55%
1998-99	1,05,49,260	36.18%
1999-2000	1,08,15,920	37.09%
2000-2001	1,10,33,850	37.84%
2001-2002	1,07,81,750	37.50%

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

2242. श्री सी.के. जाफर शरीफ : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात सरकार ने अक्तूबर, 2002 में पुलिस हिरासत में हुई मौतों के संबंध में जवाब-तलब किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस घटना के अन्य पहलू क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) को माह अक्तूबर, 2002 के दौरान, गुजरात राज्य से पुलिस हिरासत में मृत्यु के 3 मामलों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने राज्य सरकार से इन तीनों मामलों, प्रत्येक के संबंध में अपेक्षित रिपोर्टें अर्थात शव परीक्षा रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट मांगी है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, यह राज्य सरकार का काम है कि वह इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उपयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

मधुमेह की दवाइयों की कीमतें

2243. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19.9.2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के "प्राइस हाइक हिट्स डाइबेटिक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्सुलिन की कीमत घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन्सुलिन औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषध है। अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और यह डी.पी.सी.ओ., 1995 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा प्रारंभ की जाती है। इंसुलिन का उत्पादन देश में नहीं होता है और इसे आयात करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके आयात मूल्य के अनुसार देश में इसका मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। इंसुलिन सूत्रयोगों पर कोई सीमा/उत्पाद शुल्क नहीं है। निर्धन मरीजनों को इंसुलिन उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए एन.पी.पी.ए. ने इंसुलिन सूत्रयोगों के सभी विनिर्माताओं/आयातकर्ताओं से भेंट की है। कुछेक अग्रणी कंपनियों ने कहा है कि उन्होंने चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत लाभ न कमाने वाले संगठनों के जरिए गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों को विशिष्ट रियायती दरों पर इंसुलिन सूत्रयोग सप्लाई करने प्रारंभ किए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की निर्माण लागत

2244. श्री रामजी लाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1996 की लागत के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा दिल्ली में मेट्रो रेल की निर्माण लागत 6000 करोड़ रु. अनुमानित की गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो अनुमानित वास्तविक लागत कितनी है;

(ग) क्या उक्त परियोजना की अनुमानित लागत 12370 करोड़ रु. हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि 1996 से भवन निर्माण सामग्री की कीमतों और अन्य मदों के खर्च में हुई अचानक वृद्धि का परिणाम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) करों और शुल्कों को छोड़कर, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना की चरण-1 की निर्धारित लागत अप्रैल, 1996 मूल्य स्तर पर 4860 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) से (ङ) संशोधित लागत को अभी अंतिम रूप दिया जाना है तथा अनुमोदित किया जाना है। तथापि, कारीडोरों में परिवर्तन होने के कारण नेटवर्क की लंबाई बढ़ जाने तथा परियोजना लागत में करों एवं शुल्कों में शामिल करने, आधुनिक सवारी डिब्बों (कोचों) के प्रावधान तथा स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर प्रमुख ठेकों को अंतिम रूप देने और अनुमोदित विशिष्टियों जिनकी मूल परियोजना रिपोर्ट

में परिकल्पना नहीं की गई थी, के फलस्वरूप लागत में वृद्धि हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

चिकित्सा व्यय कम रखना

2245. श्री वाई.वी. राव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23.10.2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार ''कीपिंग मेडिकल कोस्ट डाउन'' की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या टिप्पणियां हैं;

(ग) चिकित्सा व्यय को निम्न स्तर पर बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों को अन्यत्र ले जाना

2246. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों को गैर-औद्योगिक क्षेत्रों से राजधानी के आस-पास के उपयुक्त क्षेत्रों में स्थानांतरित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे कारखानों को सितंबर, 2003 तक स्थानांतरित कर देना है परंतु भूमि के अधिग्रहण में देरी की वजह से इकाइयां पुन:स्थापित नहीं की जा सकतीं और इस तरह उच्चतम न्यायालय की समय सीमा समाप्त हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो भूमि के अधिग्रहण में आने वाली अड़चनें और कारण क्या हैं और उनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यह प्रक्रिया किस समय तक पूर्ण हो जायेगी;

(ङ) क्या अनधिकृत कालोनियां भूमि के प्रयोग में परिवर्तन के बगैर ही कृषि भूमि पर बना दी गयी हैं; और

(च) यदि हां, तो भूमि के प्रयोग में परिवर्तन किए बिना इन कालोनियों को बनाने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं और इन अनधिकृत कालोनियों द्वारा कब्जा की गई भूमि को खाली कराने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने गैर-नियोजित क्षेत्रों से नरेला, बादली, झिलमिल, पटपड़गंज तथा बवाना के औद्योगिक परिसरों में पुनर्स्थापन के लिए पात्र पाई गई 16410 इकाईयों को भूखण्डों/फ्लैटों के स्थायी आबंटन कर दिए हैं। सड़कें, बिजली, पानी तथा जल निकासी कार्यों सहित अवस्थापना विकास के विभिन्न चरणों में हैं या पूरी हो चुकी हैं। शेष 11,000 पात्र आवेदकों की सुविधा के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली सरकार ने नरेला, मुंडका तथा रोहिणी जोनों में 1930 एकड़ अतिरिक्त भूमि की पहचान की है। भूमि के अधिग्रहण में अतिक्रमणों का होना तथा पर्याप्त अवस्थापना का न होना जैसी बाधाएं व अड़चनें हैं। पुनर्स्थापन के लिए भूमि की पहचान व अधिग्रहण तथा अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं।

(ङ) और (च) यह सच है कि दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अनधिकृत कालोनियां मौजूद हैं। सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका सं. 4771/93-कामन काज बनाम भारत सरकार में दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु दिशानिर्देश दाखिल किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित की जाने वाली कालोनियों को अधिसूचित करने के निदेश दिए हैं। तथापि, दिल्ली सरकार से इन कालोनियों की सूची की प्रतीक्षा है।

ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ई.सी.एल.) से सेवानिवृत्ति प्राप्त मजदूर

2247. श्री विकास चौधरी : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से सन् 1998 के बाद कितने मजदूरों ने सेवानिवृत्ति प्राप्त की और उनमें से कितनों को पेंशन मिल रही है;

(ख) अभी कितने मजदूरों और कर्मचारियों को पेंशन मिलना शेष है और 1998 के बाद से उनमें से कितने मजदूरों ने पेंशन के लिए दावा नहीं किया है;

(ग) क्या भविष्य निधि कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्त मजदूरों को पेंशन के भुगतान में देरी में भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) कोल इंडिया लि. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	कर्मचारियों के ब्यौरे	संख्या
1.	1998 से ई.सी.एल. से अलग हुए कर्मचारियों की कुल सं.	42031
2.	1998 से अलग हुए कर्मचारियों में से सी.एम.पी.एफ.-98 के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों की कुल संख्या	34321
3.	पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या	11053
(ख)		
1.	कर्मचारियों की संख्या जिन्हें अभी पेंशन प्राप्त होनी है	23268
2.	इनमें से उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने 1998 से पेंशन का दावा नहीं किया है	20567

(ग) सी.एम.पी.एफ.ओ. के खिलाफ पेंशन के वितरण में भ्रष्टाचार तथा विलंब के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) सी.एम.पी.एफ.ओ. द्वारा पेंशन के वितरण में विलंब की शिकायतों पर सी.एम.पी.एफ. के क्षेत्रीय आयुक्तों के साथ आयोजित समन्वय बैठक में चर्चा की जाती है और उनका समाधान किया जाता है। सरकार ने पेंशन दावों के निपटान को मानीटर करने तथा उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक उच्च स्तरीय शीर्ष मानिटरिंग समिति का गठन किया है।

पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां

2248. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 नवम्बर, 2002 के स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.पी.) जैसी विभिन्न योजनाओं से अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो पाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण के अभाव के कारण कई कार्यक्रमों को धक्का लगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। समाचार पत्र में दी गई सूचना वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत वाटरशेड आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से परियोजना क्षेत्रों में सामुदायिक संसाधनों की उत्पादकता तथा ग्रामीण जीविका सहायता प्रणालियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

(ग) से (ङ) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के संबंध में प्रो. हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति की रिपोर्ट, जो अप्रैल, 1994 में प्रस्तुत की गई थी, में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि इन कार्यक्रमों को वाटरशेड आधार पर अभिकल्पित आयोजना के

बिना तथा स्थानीय लोगों को इनमें शामिल किए बिना ही अलग-अलग कार्यक्षेत्रों के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1995-96 से इन कार्यक्रमों का लोगों की भागीदारी तथा सामुदायिक अधिकारिता की संस्थागत प्रक्रियाओं के द्वारा समेकित वाटरशेड पद्धति का अनुसरण करते हुए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। आयोजना, कार्यान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन के स्तरों पर इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को वर्ष 2001 में संशोधित किया गया था।

उड़ीसा में पारादीप पेट्रो-रसायन

2249. **श्री खारबेल स्वाइं : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में "पारादीप पट्रोकेमिकल्स" परियोजना को लागू करने के संबंध में अब तक कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है इस परियोजना को स्थगित किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसको लागू करने में देरी होने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उड़ीसा में "पारादीप पेट्रोकेमिकल्स" परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कामकाजी महिलाओं की सहायता

2250. **श्री रामशकल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में कामकाजी महिला छात्रावासों के लिए कितने महिला संगठनों को सहायता दी गई है? इसका वर्षवार और संगठनवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

जिंक स्मेल्टर्स

2251. **श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी और निजी क्षेत्र में स्थापित जिंक स्मेल्टर्स की स्थानवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन जिंक स्मेल्टर्स की समस्याओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान और उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) प्राथमिक जस्ते का उत्पादन करने वाले और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (भारत सरकार और मैसर्स स्टरलाइट ऑपरच्युनिटी एण्ड वैंचर्स लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) और बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्राइवेट सैक्टर की एक यूनिट) के स्वामित्व वाले स्मैल्टरों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	स्मैल्टर का स्थान	संगठन का नाम
1.	देबारी, उदयपुर (राजस्थान)	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड
2.	विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	-वही-
3.	चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	-वही-
4.	अलवे, केरल	बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(ख) से (घ) जस्ते के प्राथमिक उत्पादकों से समय-समय पर प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों/अनुरोधों पर सरकार के मौजूदा अनुदेशों और नीतियों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और तदनुसार निर्णय लिए जाते हैं।

[हिन्दी]

गांधीनगर में आतंकवादी गतिविधियां

2252. श्री अवतार सिंह भडाना :
डा. डी.वी.जी. शंकर राव :
श्री रामदास आठवले :
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :
श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री राजो सिंह :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री भेरूलाल मीणा :
डा. अशोक पटेल :
श्री जय प्रकाश :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24.9.2002 को आतंकवादियों ने गांधीनगर के स्वामीनारायम मंदिर पर हमला करके बहुत से श्रद्धालुओं और सुरक्षाकर्मियों को मार दिया/घायल कर दिया;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच में पाये गये तथ्यों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा हमले का मुकाबला करने के लिए क्या सहायता दी गई;

(ग) क्या सरकार को धार्मिक स्थलों पर आक्रमण होने की संभावना के संबंध में पूर्व जानकारी थी;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यत्राही की गई;

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार गिरोह का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(च) क्या इस दुर्घटना में उग्रवादियों द्वारा प्रयुक्त हथियारों का पहले भी प्रयोग किया गया था;

(छ) यदि हां, तो प्रयोग किए गए/जब्त किए गए हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ज) एन एस जी कमांडों द्वारा अहमदाबाद पहुंचने में कितना समय लिया गया और कब उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया;

(झ) ऐसे घटना स्थलों पर एन एस जी कमांडों का त्वरित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ञ) धार्मिक स्थानों की सुरक्षा और भविष्य में आतंकवादियों की अनिष्टकर योजनाओं को निष्फल करने के संबंध में राज्यों को दिये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जांच चल रही है। केन्द्र सरकार ने आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान चलाने हेतु एन एस जी की एक टीम उपलब्ध कराई थी।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि धार्मिक स्थलों को खतरे के बारे मे कोई विशिष्ट सूचना नहीं थी।

(ङ) अभी तक की गई जांच-पड़ताल से पाक स्थित उग्रवादियों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अन्तर्गत होने के संकेत मिलते हैं। राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(च) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पूर्व में इसी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किए जाने के बारे में अभी तक किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है।

(छ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एके-56 राइफलों और लगभग 20 हथगोलों का प्रयोग किया गया। 12 मैगजीनों सहित ए.के. 56 राइफल के 94 जिंदा कारतूस और एक सक्रिय हथगोला जिसे बाद में एन एस जी टीम द्वारा निष्क्रिय किया गया, बरामद किए गए।

(ज) एन एस जी टीम 24 सितम्बर, 2002 को 2030 बजे दिल्ली से रवाना हुई और 2230 बजे मंदिर में पहुंची और 25 सितम्बर, 2002 को 01.00 बजे कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

(झ) जहां कहीं भी ऐसी कार्रवाई के लिए उनकी आवश्यकता होती है, एन एस जी कमाण्डों के त्वरित गमनागमन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।

(ञ) ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं और इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है। अपने-अपने राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न तरीके निकालना और ठोस कदम उठाने का काम राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार देश में आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में विभिन्न गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है और इस संबंध में संबंधित राज्यों को सुग्राही बनाती हैं। यह समय-समय पर राज्यों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान भी करता है। जब कभी राज्यों को जरूरत होती है तो केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती भी की जाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए निधियां भी प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को घाटा

2253. श्री पवन सिंह घाटोवार: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को हुए घाटे के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन घाटे में चलने वाले कोलफील्ड्स के पुनरुद्धार के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन.ई.सी.) में घाटे के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

(1) सभी भूमिगत खानें बहुत पुरानी हैं तथा काफी फैल चुकी हैं।

(2) तीव्र ढाल, गैस की अधिक मात्रा जो खानों को स्वत: तापन/आग के प्रति अति संवेदनशील बनाती है, छत तथा फर्श की नमर स्थितियों जैसी प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां।

(3) इस प्रकार की प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों के कारण बड़े पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है।

(4) उच्च उत्पादन तथा उत्पादकता के साथ ऐसी भू-खनन परिस्थितियों वाली मोटी सीमों के दोहन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी स्वदेशी रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने 2000-2001 और 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्वास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की गैर-व्यपगत निधि से 83.79 करोड़ रु. प्राप्त किए हैं। एन.ई.सी. ने एक पुनर्वास योजना सी.आई.एल. को प्रस्तुत की है। चूंकि भूमिगत प्रचालनों को अलाभकर पाया गया है, इसलिए ओपनकास्ट प्रचालनों पर बल दिया जा रहा है।

स्कूलों में मूल्य संबंधी शिक्षा

2254. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री राममोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 2002 में राजधानी में 'वेल्यु एजूकेशन इन इंडियन स्कूल्स एक्सपीरिएंसेज एण्ड स्ट्रेटेजीज' विषय पर एक तीन दिवसीय विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वालों और उठाये गये तथा चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) प्रतिभागियों द्वारा दिये गये सुझावों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने 19 से 21 अगस्त, 2002 तक नई दिल्ली में वैल्यू एजुकेशन इन इंडियन स्कूल्स-एक्सपीरिएंसेज एण्ड स्ट्रेटेजीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विषय पर एक तीन दिवसीय विचार-विमर्श का आयोजन किया था।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दिए ब्यौरों के अनुसार कार्यक्रम में 159 गणमान्य व्यक्तियों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनमें अन्य लोगों के साथ-साथ शिक्षक प्रशिक्षक, शिक्षक, नीति निर्माता, गैर-सरकारी संगठन, आदि भी शामिल थे।

निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:

(1) मूल्यपरक शिक्षा पर स्कूलों का अनुभव

(2) मूल्यपरक शिक्षा पर न्यूनतम कार्यक्रम

- (3) इंटरफेथ कम्यूनिकेशन पर स्कूल कार्यक्रम

(4) मूल्यपरक शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण

(5) मूल्यपरक शिक्षा में अनुसंधान

(6) मूल्यपरक शिक्षा पर आंतरिक प्रभाव

(7) कामिक्स/लघु कथाओं/नाट्य मंच/नृत्य, आदि के माध्यम से मूल्यपरक शिक्षा का संवर्धन

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में मूल्यपरक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है जो इस मामले में आगे की अनिवार्य कार्रवाई करेगा।

विवरण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने 19 से 21 अगस्त, 2002 को नई दिल्ली में "वैल्यू एजुकेशन इन इंडियन स्कूल-एक्सपीरिएंसेज एण्ड स्ट्रेटेजीज ऑफ इम्पलीमेंटेशन' पर आयोजित विचार-विमर्श के निम्नलिखित निष्कर्षों की सूचना दी है:

(क) बेलगाम उपभोक्तावाद और भौतिकवाद के दौर में सिविल सोसायटियों में मूल्यों की चिन्ता पर पुनः ध्यान देना। शिक्षा को परिणामोन्मुखी बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ख) प्रत्येक भारतीय को सिविल समाज में धर्मों और नीतिशास्त्र, सार्वभौमिक मानवीय चिन्ताओं, भारतीय संविधान और स्थानीय संस्कृतियों सहित भारतीय समाज की सामासिक सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि शिक्षा के मूल्य को समझा जा सके। योग ऐसा एक क्षेत्र हो सकता है।

(ग) शिक्षा में मानव अधिकारों और कर्त्तव्यों को समेकित करना।

(घ) समेकित व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल्यपरक शिक्षा सभी स्कूलों में शिक्षा का एक अभिन्न अंग होनी चाहिए।

(ङ) शिक्षा-शास्त्र और पठन-पाठन अनुभवों का लक्ष्य विज्ञान को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना, विकास की निरन्तर प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के संदर्भ में मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए। इसलिए शिक्षकों को अपने शिक्षण के माध्यम से मूल्यों के विकास में सहायक बनने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् सहित मूल्यपरक शिक्षा से जुड़े सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संगठनों को एकजुट होना चाहिए ताकि मूल्यों को समेकित करने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों को विकसित किया जा सके और शिक्षा को मूल्यपरक बनाने के लिए सामग्रियों और पद्धतियों को तैयार किया जा सके।

(छ) सभी धर्मों के बुनियादी ज्ञान से सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता में योगदान मिलेगा।

(ज) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने की तात्कालिक आवश्यकता है।

(झ) स्वदेशी ज्ञान के आधार को समकालीन वैज्ञानिक प्रगतियों के साथ सुदृढ़ता से जोड़ा जाना चाहिए।

अर्द्धसैनिक बलों को संचालनात्मक स्वायत्तता

2255. श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार जम्मू कश्मीर' में तैनात केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को संचालनात्मक स्वायत्तता बहाल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों द्वारा न केवल जम्मू कश्मीर में वरन् देश के अन्य भागों में भी संचालनात्मक स्वायत्तता की मांग की जाती रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्। जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद से लड़ने और निपटने में राज्य सरकार की मदद के लिए तैनात केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल राज्य सरकार द्वारा श्रीनगर और जम्मू में गठित दो एकीकृत मुख्यालयों (यू.एच.क्यू.) जिसकी अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री करते हैं, के पूर्ण समन्वय के अंतर्गत राज्य पुलिस के साथ बहु-बल व्यवस्था में कार्य करती है। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियां, युक्तियां और गतिशील तैनाती का यू.एच.क्यू. और राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर निरन्तर पुनरीक्षण, परिष्करण और प्रबोधन किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कोयले की विभिन्न दरों पर बिक्री

2256. डा. सुशील कुमार इन्दौराः
श्री रामजीलाल सुमनः

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयला विक्रय नीति के तहत कोयले की खानों से बिक्री किए जाने वाले समान किस्म के कोयले की बिक्री विभिन्न उपभोक्ताओं को भिन्न-भिन्न दरों पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो दरों का ब्यौरा क्या है और उपभोक्ताओं की किन श्रेमियों को यह बेचा जाता है और कोयले की दरों में असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) किस प्राधिकारी को कोयले की दरें तय करने का अधिकार दिया गया है और कोयले की दरें तय करने के लिए मानदंड क्या हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की अलग-अलग कोयला कंपनियों से अथवा यहां तक कि किसी एक सहायक कंपनी की अलग-अलग कोयला खानों से एक ही ग्रेड के कोयले के लिए अलग-अलग मूल्य लागू होते हैं और उपभोक्ता तद्नुसार अदायगी कर रहे हैं। परन्तु किसी एक विशेष कोलियरी से कोयले के किसी एक ग्रेड के लिए अलग-अलग उपभोक्ताओं से लिया जाने वाला मूल्य केवल एक ही है।

मूल्यों में भिन्नता, कोयले की विपणता तथा एक विशेष स्रोत से एक ही ग्रेड के कोयले के लिए उपभोक्ता की तरजीह के कारण पैदा होती है। सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कोयला कंपनियों से निष्कर्षित कोयले के अलग-अलग ग्रेडों के उपभोक्ताओं को मोटे तौर पर कोर-क्षेत्र के उपभोक्ता तथा नॉन-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोर-क्षेत्र के उपभोक्ताओं में विद्युत, सीमेंट, स्टील, उर्वरक तथा अन्यों में से उनके कैपटिव पावर संयंत्र (सी.पी.पी.) शामिल है। नॉन-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं में बी.आर.के. क्षेत्र, पेपर, शीसा सिरेमिक्स तथा ग्लास आदि शामिल हैं। दर तथा क्वालिटी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ग) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के लागू होने से कोयले को 1.1.2000 से पूर्णतः विनियंत्रित कर दिया गया है। सी.आई.एल. कोयले का उत्पादक होने के कारण कोयले के अलग-अलग किस्मों के मूल्यों को निर्धारित करने के अधिकार का प्रयोग करता है। सी.आई.एल. समय-समय पर कोयला उत्पादों की मांग, कोयले के उत्पादन के लिए आदान लागत में वृद्धि और आयातित कोयले का अवतरित मूल्यों जैसे बाजारी तत्वों पर विचार करते हुए कोयले की अलग-अलग किस्मों का मूल्य निर्धारित करता है।

विवरण

कोयला कंपनी का नाम	कोयले का ग्रेड—नॉन कोकिंग कोयला						
	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी
1	2	3	4	5	6	7	8
ईस्टर्न कोलफील्ड्स (अनुबंध-I में यथा सूचीबद्ध 102 यूनिटें)	1450	1370	1170	950	574	440	320
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (अनुबंध-II में सूचीबद्ध 8 यूनिटें नॉन-लांग फ्लेम कोयला	1177	1059	870	694	524	417	298
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.पी. खानें) (अनुबंध-III में सूचीबद्ध 2 यूनिटें)	1628	1447	1211	974	630	502	358

1	2	3	4	5	6	7	8
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (मुगमा (अनुबंध-IV में सूचीबद्ध 16 यूनिटें नॉन-लॉंग फ्लेम कोयला	1345	1197	1000	804	591	476	327
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजमहल-फील्ड) (अनुबंध-V में 2 यूनिटें) लॉंग फ्लेम कोयला	–	–	–	915	–	–	–
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (अनुबंध-V में 2 यूनिटें) नॉन-लॉंग फ्लेम कोयला	–	–	–	–	703	597	479
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (अनुबंध-I में यथा सूचीबद्ध 80 यूनिटें)	1110	1040	890	770	545	415	300
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. लॉंग फ्लेम कोयला	1000	940	810	700	–	–	–
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. नॉन-लॉंग फ्लेम कोयला	940	880	750	630	520	410	300
सेण्ट्रल कोलफील्ड्स (अनुबंध-VI में यथा सूचीबद्ध 6 यूनिटें)	1330	1203	1006	857	609	487	348
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (अनुबंध-VII में सूचीबद्ध 15 यूनिटें)	1248	1129	944	804	–	–	–
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. नॉन-लॉग फ्लेम कोयला	1166	1049	862	721	565	453	323
भारत कोकिंग कोल लि.	1135	1030	847	710	562	448	321
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. लॉग फ्लेम कोयला	1147	1039	867	740	–	–	–
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. नॉन-लॉंग फ्लेम कोयला	1072	964	792	664	527	420	300
महानदी कोलफील्ड्स लि. लांग फ्लेम कोयला	979	885	740	633	–	–	–
महानदी कोलफील्ड्स लि. नॉन-लॉंग फ्लेम कोयला	912	819	674	566	445	351	250
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1148	1083	1012	956	743	620	467

कोयला कंपनी का नाम	कोयले का ग्रेड—कोकिंग कोयला							
	एसजी-1	एसजी-2	डब्ल्यूजी-1	डब्ल्यूजी-2	डब्ल्यूजी-3	डब्ल्यूजी-4	एससीजी-1	एससीजी-2
भारत कोकिंग कोल लि. (अनुबंध-VIII में सूचीबद्ध 51 यूनिटें)	1970	1650	1440	1200	900	830	–	–
भारत कोकिंग कोल लि.	–	–	1337	1107	819	762	–	–
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–	–	1575	1305	964	896	–	–
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	–	–	1351	1120	828	771	–	–
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–	–	970	880	–	–	–	–
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (रानीगंज)	–	–	–	–	–	–	1420	1180
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–	–	–	–	–	–	1200	1000

प्रत्यक्ष फीड कोकिंग कोयला (अनुबंध-IX में सूचीबद्ध 14 यूनिट) 20% से अधिक परन्तु 21% से अनधिक राख	रन ऑफ माइन्स (रु. प्रति टन)	1960

(नोट: राख में 135 रु. प्रति टन की दर पर बोनस/पैनल्टी पर प्रति प्रतिशत कमी/वृद्धि)

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	ए. (यू.एच.वी. मूल्य 6200-6299 कि.कैल/कि.ग्राम)	1148
(असम का कोयला)	बी. (यू.एच.वी. मूल्य 5600-6199 कि.कैल/कि.ग्राम)	778

नोट:

1. ग्रेड ए में 6299 किलो कैलरी प्रति किलोग्राम से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 100 कि.कैल/कि.ग्राम के यू.एच.वी. के लिए ए ग्रेड की कीमत में 71 रु. प्रति मिलियन टन अतिरिक्त जोड़े जाएंगे।
2. 7099 कि.कैल/कि.ग्राम से अधिक के यू.एच.वी. के लिए आर.ओ.एम. कोयले हेतु कोयले की कीमत 1936 रु. होगी और स्टीम, स्लैक, रन ऑफ माइन कोयले के बीच कीमतों का अन्तर समान रहेगा।

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

1. दालुरबंद
2. पांडवेश्वर
3. केन्द्रा
4. कोटाडीह यूजी
5. कोटाडीह ओसीपी
6. कोटाडीह सीएचपी
7. सामला
8. दालुरबंद ओसीपी
9. नतुनडंगा
   (क) पूरे सामला (5 और 6 पिट्स)
   (ख) दरुला (दक्षिण सामला)

10. गंगारामचक

11. झांझरा 1 और 2 इनक्लाइन

12. झांझरा 3 और 4 इनक्लाइन

13. एमआईसी

14. नाकड़ाकोंडा

15. सोनपुरबाजारी प्रोजेक्ट

16. सोनपुरबाजारी प्रोजेक्ट (सीएचपी)

(क) न्युकेंडा यूजी

(ख) केंडा वेस्ट ओसीपी यूनिट

17. न्युकेण्डा सीएचपी

18. बहुला

19. बहुला सीएचपी

20. लोअर केण्डा

21. हरि पुर

22. चोरा

23. चोरा ओसीपी

24. सिदुली

25. सीएल जामबाद

26. मधाईपुर

27. मंडेरबोनी

28. बंकोला

29. सेन्टेनरी इनक्लाइन

30. श्यामसुन्दरपुर

31. कुमारडिही ए

(क) कुमारडीही 3 और 4 पिट्स

(ख) नार्थ इनक्लाइन

32. तिलाबोनी

33. मोईरा

34. खंडरा

35. कुमारडीही बी

(क) 5 और 6 पिट्स

(ख) गोइंका काजोरा ए और बी पिट्स

(ग) सी पिट

36. शंकरपुर

37. शंकरपुर ओसीपी

38. नाबा काजोरा

39. माधवपुर

40. लचीपुर

41. धनश्याम

42. खासकोजोरा

43. मधुजोरे

44. मधुसुदन पुर

45. पारसकोल

46. जामबाद

47. जामबाद ओसीपी

48. सेन्ट्रल कोजोरा

49. अमृत नगर

50. महावीर (महावीर पैच ओसीपी)

51. नॉर्थ सीआरसोल

52. कुनुस्तोरीआ

53. कुनुस्तोरीया सीएचपी

54. बांसरा

55. बांसरा ओसीपी

56. चोरा ब्लॉक माइन

57. पारसिया

58. पारसिया ओसीपी

59. पारसिया 6 और 7 इनक्लाइन
60. बेलबेद
61. अमरासोता इनकलाइन ए और बी
62. भनोरा वेस्ट ब्लॉक
63. गीरीमीन्त (कुसाडंग इनक्लाइन)
64. नीनगाह
65. एस एस इनकलाइन
66. न्यू गुसीक
67. मुसलीया
68. कालीपहाड़ी
69. चाकबल्लवपुर
70. मनोहरबेहल
71. तीरत
72. कुआरडिडी
73. रातीबाती प्रोजेक्ट (7 पीट)
74. चपुई खास
75. जे.के. नागर
76. जेमेहारी
77. निमचा
78. सत्तग्राम प्रोजेक्ट
79. मीठापुर
80. पुरे सीअरसोल
81. सत्त ग्राम इनक्लाइन
82. कालीदासपुर प्रोजेक्ट
83. अर्द्धग्राम ओसीपी
84. सीतलदासजी
85. जे के नागर फायर प्रोजेक्ट का क्षेत्र
86. रानी पुर
87. पारबेलीआ
88. दुवेस्वरी
89. भमुरिया
90. सीतलपुर
91. सोदीपुर
92. माऊथडीह
93. चिनकुरी 1 और 2 पिट्स
94. चिनकुरी 3 पिट्स
95. पतमोहना पिट
96. वेजडीहे
97. मेथानी यूजी
98. मेथानी ओसीपी
99. डीमोमेन
100. नरसामुदा
101. नागेस्वर
102. कंकरताला

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. चुरचा (एक्सपैन्शन और वेस्ट)
2. कतकोना (4)
3. पाण्डवपारा
4. विसरामपुर ओसीएम
5. जयनगर 3 और 4
6. जय नगर 5 और 6
7. कुन्दा 1 और 2
8. कुन्दा 7 और 8
9. बलरामपुर
10. दुग्गा ओसीएम
11. भट्ट गांव
12. कलीयाणी यूजी
13. महामाया

14. चीरीमीरी ओसी
15. वेस्ट चीरीमीरी ओसी
16. कोरिया ओसी/यूजी
17. कोरसिया यूजी/ओसी
18. अजन्ता इनक्लाइन
19. चीरीमीरी यूजी
20. दुमनहील यूजी (कोटमी सीम)
21. न्यु चरीमीरी पॉनरी हील (एनसीपीएच)
22. नॉर्थ चीरीमीरी (धोरेगीला/बिजोरा)
23. सोनाबानी
24. वेस्ट चोरीमीरी यूजी
    (क) कंचन इनक्लाइन
    (ख) मेन सीम
25. नॉर्थ चीरमीरी कपारती
26. राजनगर ओसीएम
27. बीजुरी
28. जीमार-2 (14 और 15)
29. कपिलधारा
30. कुरजा
31. मालगा
32. न्यूराजनगर (जेकेडी ए-1)
33. राजनगर (जेकेडी 4ए)
34. राजनगर 7 और 8 (जेकेडी 4-ए)
35. राजनगर 7 और 8 (जेकेडी ए-2)
36. सोमनाथ
37. साउथ जेकेडी (5 और 6)
38. वेस्ट जेकेडी
39. वेस्ट जेकेडी (बी सीम/पालकीमारा)
40. बेहराबंद पायलट माइन
41. डायखल पैच ओसी (जमुना ओसीएम)
42. कोटमा वेस्ट ओसीएम
43. भादरा 7 और 8 (नारायण ईनक्लाइन)
44. गोविन्दा
45. हाराद इनक्लाइन
46. जमुना 1 और 2
47. जमुना 3 और 4
48. जमुना 7 और 8
49. जमुना 9 और 10
50. जमुना 11 और 12
51. कोटमा
52. मीरा इनक्लाइन
53. अमलाई ओसीएम
54. बैगा ओसीएम
55. धनपुरी ओसीएम
56. अमलाई यूजी
57. बंगवार
58. धानपुरी इनक्लाइन
59. नवगांव
60. न्यू अमलाई यूजी
61. न्यु चचाई इनक्लाइन
62. राजेन्द्र यूजी
63. सुभाष इनक्लाइन
64. बीरसींधपुर
65. नवरोजाबादा ईस्ट (नं. 8)
66. नावरोजाबादा वेस्ट (नं. 5 और 10)
67. पाली
68. पीनौरा
69. पिपरिआ

70. उमरीआ

71. विन्ध्या

72. सीवानी यू.जी.

73. झिलमिरी यू.जी.

74. भासकरपारा यू.जी.

75. नॉर्थ चिरमिरि

76. बरतराई यू.जी.

77. सारदा ओसीएम

78. रेहार 1 और 2 यू.जी. माइन

79. अमादन्द (लोअर कोटम-2)

80. चिरिमिरि लोकल सीम

अनुबन्ध II

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. बोन्जी मेहारी ओसीपी

2. मोहनपुर ओसीएम

3. डाबोर

   (क) रंगाकानाली

   (ख) मुकताईचांदी इंक.

4. संग्रामगढ़

   (क) सामडीह (पी.बी़. इनक्लाइन)

5. गौरंगडीह

   (क) गौरंगडीह ओसीपी (डेबु)

   (ख) गौरंगडीह बेगुनिया

   (ग) खोइराबाद इनक्लाइन

अनुबंध III

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. चितरा ओसीपी

2. चितरा (यू.जी.)-डामागोरा इनक्लाइन

अनुबंध IV

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. कुमारधुबी (यू/जी)

2. बारमुरी प्रोजेक्ट

3. लखीमाता (यू/जी)

4. लख्खिमाता (न्यू एम.एस. इनक्लाइन)

5. कापासारा (यू.जी.)

6. मान्दमान इनक्लाइन

7. मान्दमान (बी.पी. इनक्लाइन)

8. सामपुर "बी" (यू.जी.)

9. राजपुरा-ओसीपी

10. नीरसा ओसीपी

11. खोदीआ (यू.जी.)

12. खोदीआ ओसीपी

13. छापपुरा-2 (यू.जी.)

14. बदजना (यू.जी.)

15. हारीआजाम

16. गोपीनाथपुर 1ए इंकलाइन

अनुबंध V

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. राजमहल ओसीपी

2. सीमलांग

अनुबंध VI

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. बचरा

2. चुरी

3. भुरकुन्डा (संगम प्रोजेक्ट)

4. सौण्डा

5. सौण्डा-डी, यूजी

6. अरगादा

अनुबंध VII

सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड

1. भुरकुन्डा
2. सेन्ट्रल सौण्डा
3. सायाल-डी
4. उरीमारी
5. नॉर्थ उरीमारी
6. हीन्देगीर
7. सिरका
8. गीडी-ए
9. गीडी-सी
10. रेलीगोरा
11. राजहारा
12. हुरीलांग
13. पीपरवार
14. कर्मा
15. कुजु

अनुबंध VIII

वाशरियों से सहयोजित कोकिंग कोल उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची

1.	मुरलीडीह 20/21	3 (मोह टी)
2.	भट्टडीह	3 (मोह टी)
3.	मुनीडीह	18 17 टी 17 बी 16 टी और बी
4.	नं. तीसरा	9/10 (लोकल 10) 1 (लोकल ओ)
5.	जॉयरामपुर	8 ए (लोकल 9)
6.	लोदना	9/10 (लोकल 10) 8 ए (लोकल 9) 11/12 8 7
7.	बागडीगी	9/10 (लोकल 10) 8
8.	जेलगोरा	13ए (लोकल 13) 13बी 11/12 14
9.	बरारी	13ए 11/12/13 9/8
10.	भावराह (एन.)	6 (लोकल 7) 12 (लोकल 11) 10 (लोकल 9) 11/12 (लोकल 12)
11.	भावराह (दक्षिण)	9/10 (लोकल 10/11) 8 ए (लोकल 9 बी) 4 टी
12.	भावराह ओसीपी	14/15 (13/14)
13.	3 पिट ओसीपी	9/10 (लोकल 10/11)
14.	नॉर्थ अमलाबाद/अमलाबाद	15 ए (लोकल 15) 16 एम (लोकल 16 टी)
15.	सुदामाडीह (साफ्ट)	8ए 9/10 11/12 लोकल
16.	सुदामडीह (इनक्लाइन)	6 8 लोकल 8ए
17.	फातेरडिह	8ए 7 6
18.	चन्दन ओसीपी (सुदामडिह सेक्टर)	1बी

19.	डोबारी	1(लोकल ओ)
20.	कुया	1(लोकल ओ)
21.	दामोडा	10 11/12 13
22.	मधुबन्ड	16ए/एबी (लोकल 15बी)
23.	फुलारीटन्ड	11/12 10
24.	बीएल-3 ओसीपी	10
25.	बीएल-2 ओसीपी	10/10 एसपीएल (लोकल 9) 11/12(लोकल 11/11) 13/14(लोकल 12) 15(लोकल 15)
26.	महेशपुर	10
27.	खारखारी	एल-12 17टी 14
28.	जोगीडिह	8 ए (लोकल 10 ए)
29.	बीएल-4 ओसी(सीओके)	10
30.	साऊथ गोविन्दपुर	10 ए (टी और बी) 10 बी
31.	कोरीडिह बजरंग	1
32.	सालनपुर	10(टी और बी)
33.	अंगारपथरा	9(लोकल 10 एसपीएल) 10(टी और बी)
34.	कतरास चोइटीडिह	10 9 (लोकल 10 ए) 8 बी (लोकल 9 टी)
35.	कतरास प्रोजेक्ट	10 8 बी (लोकल 9 टी)
36.	बंसदेवपुर	12 11

37.	कंकानी	10 11 12
38.	मुडीडीह	9(10ए) 10 (टी और बी) 10 8 बी (9 टी) 8 ए (9 बी)
39.	लोयाबाद	16 ए 16 12 11 10
40.	ईस्ट भुग्गातडीह	10
41.	ईना ओसीपी	11/12 15
42.	सीमलाबहल	10 बी 10 एम
43.	लकडीह दीप	जोगरात
44.	गंगा ओसीपी	10
45.	गोंडुडीह ओसीपी	10
46.	कुसुन्डा ओसीपी	10
47.	गोधरा यूजी और ओसी	10
48.	गोपालीचक	10 11 7 (लोकल 9)
49.	पुटकी	10
50.	गोपालीचक 5/6	14 10
51.	भागाबन्द	17बी 16ए

अनुबंध IX

सीधे फीड कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची

1.	भावराह (नॉर्थ)	14(लोकल 13), 18 टी 18 बी, 17, 14, 13
2.	भावराह (साऊथ)	17
3.	बलीहारी	11/12, 15
4.	पी. बी. प्रोजेक्ट	11/12
5.	भागाबन्द	15
6.	पुटकी	11/12
7.	कुस्टोरी	11/12
8.	बुर्रागढ़	14
9.	सीमलाबहल	11/12
10.	हुर्रीलाडिह	14, 11, 16
11.	भालगोरा	11/12
12.	मधुबन	16 सी (लोकल 15 टी)
13.	बेगुनीआ	चंच सीम
14.	विक्टोरिआ वेस्ट	लेकडिह

उर्वरकों की कीमतें

2257. **श्री रामानन्द सिंह:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न उर्वरकों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और उर्वरक उत्पादक कम्पनियां लाभ कमा रही हैं लेकिन किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है;

(ख) उर्वरकों की लगातार बढ़ती कीमतों के माध्यम से किसानों को लुटने से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न उर्वरकों की कीमतों और उनमें मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार यूरिया पर सब्सिडी और फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत प्रदान करती है। सरकार, एकमात्र नियंत्रित उर्वरक ''यूरिया'' के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है और नियंत्रणमुक्त 'पी' तथा 'के' उर्वरकों के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्य निर्दिष्ट करती है। सिंगल सुपर फ़ास्फेट के अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। संपूर्ण देश में कृषकों को एकसमान अधिकतम खुदरा मूल्य और निर्दिष्ट अधिकतम खुदरा मूल्यों, जैसा भी मामला हो, पर उर्वरकों की बिक्री की जाती है। प्रमुख उर्वरकों के मूल्यों में, फरवरी, 2000 में किए गए अंतिम मूल्य संशोधन से दो वर्षों के पश्चात देश में भौतिक स्थिरता और पोषकों के संतुलित उपयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिनांक 28.2.2002 को 5% की वृद्धि की गई थी। सरकार द्वारा अधिसूचित/निर्दिष्ट किए गए मूल्य सामान्यत: उर्वरकों की वास्तविक उत्पादन लागत से काफी कम रहे हैं।

देश में उर्वरकों की गुणवत्ता को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किए गए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के उपबंधों के तहत विनियंत्रित किया जाता है।

उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए देश में फरीदाबाद स्थित केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसीएंडटीआई) और मुंबई, कल्याणी व चेन्नई प्रत्येक में इसकी एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला सहित 66 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इन प्रयोगशालाओं की विश्लेषण क्षमता लगभग 1.20 लाख प्रतिवर्ष है। आयातित उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच सीएफक्यूसीएंडटीआई, फरीदाबाद तथा इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा तथा डिस्चार्ज बंदरगाहों पर राज्य सरकारों द्वारा भी की जाती है।

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा क्षेत्र

2258. **श्री अजय सिंह चौटाला:**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 2002 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''ओपनिंग अप द एजुकेशन सेक्टर इज इंडिया रेडी फॉर द चैलेन्ज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा क्षेत्र खोलने जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या योजना बनाई गई है; और

(ङ) हमारे देश और संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षकों को संविदा आधार पर रखने के प्रस्ताव से संबंधित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का कुशलतापूर्वक सामना करने की आवश्यकता का भी उल्लेख है।

(ग) भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और सेवाओं के व्यापार संबंधी सामान्य करार का एक पक्षकार देश है। सेवाओं के व्यापार संबंधी सामान्य करार के शिक्षा क्षेत्र के संबंध में कोई प्रतिबद्धता अभी तक नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) सरकार इस मुद्दे से अवगत है और सरकार कोई भी प्रस्ताव रखने से पूर्व देश की आवश्यकता और अपेक्षा, सुरक्षा, सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक प्रभाव इत्यादि को ध्यान में रखती है।

[हिन्दी]

साक्षरता के बारे में विश्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणी

2259. श्री राम टहल चौधरी:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत की साक्षरता के बारे में कोई टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या सग्कार ने राज्य सरकारों से इस रिपोर्ट की जांच करने तथा उनकी साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रिपोर्ट की जांच के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के पश्चात् सरकार को कितनी सफलता मिली है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) 'पावर्टी इन इंडिया-द चैलेंज आफ उत्तर प्रदेश' नामक अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने साक्षरता के बारे में टिप्पणियां की हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जनगणना 2001 की रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता में 1991 और 2001 के बीच लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद यहां निरक्षरों की संख्या काफी है तथा साक्षरता में लैंगिक अंतराल को पाटने की आवश्यकता है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. जिला पर बल देते हुए मिशन रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान नामक एक नई योजना शुरू की गई है। सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं संगत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। इसके लक्ष्य निम्नवत हैं:

* 2003 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, 'स्कूल वापसी' शिविर में हों;
* 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें;
* 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करें;
* जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर बल;
* प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक सभी लैंगिक एवं सामाजिक अंतरालों को पाटना;
* 2010 तक सार्वभौमिक अवधारणा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रयास पूर्ण साक्षरता अर्थात 2005 तक 75% की पोषणक्षम प्रभावसीमा को प्राप्त करना है। 15-35 आयु-वर्ग के निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करके यह मिशन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम का मुख्य बल महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा देना है।

[अनुवाद]

डीडीए द्वारा भूमि का आवंटन

2260. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 सितंबर, 2002 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में "वाच आउट फार ए टेम्पल कॉम्पलेक्स अलॉन्ग 50 एकर्स ऑफ द यमुना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि डीडीए ने मंदिर न्यास को भूमि आवंटित करने हेतु निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि डेलही-अरबन आर्टस कमीशन ने परियोजना पर इस कारण से आपत्ति जाई थी कि भूमि प्रयोग में बदलाव से पनधारा और भूमिगत जल की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि एक मंदिर तथा सांस्कृतिक परिसर का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ बोचासनवासी श्री अक्षर पुरषोत्तम संस्थान को यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया में मंडलीय पृथक-पृथक दरों के आधार पर दिनांक 19.1.2000 को 12 हैक्टेयर का एक भूखंड आबंटित किया गया था। समिति द्वारा आगे किए गए अनुरोध पर डीडीए द्वारा दिनांक 10.1.2002 को 11.5 हेक्टेयर का एक और भूखंड भी आबंटित किया गया है जिसमें से 6 हेक्टेयर भूमि पार्किंग के लिए है। भूमि की मांगी गई कीमत का भुगतान हो जाने के बाद, भूमि समिति को सौंप दी गई है।

(ग) से (ङ) डीडीए ने आगे सूचित किया है कि मानदंडों के अनुसार सांविधिक अनुमति प्राप्त कर ली गई है। दिल्ली नगर कला आयोग ने सूचित किया है कि उसने कतिपय शर्तों के अधीन सांस्कृतिक परिसर के नक्शे और भवन योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। "ग्रामीण/कृषि और जल निकाय (वाटर बाडी) से भूमि उपयोग का परिवर्तन सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग में करने की अधिसूचना उपयुक्त प्रक्रिया अपनाने के बाद भारत सरकार द्वारा जनता को जानकारी देते हुए तभी उनसे आपत्तियां एवं सुझाव मांगते हुए जारी की थी।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण कार्य

2261. श्री हरिभाई चौधरी :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण कार्य, अतिक्रमण और स्थानीय निकायों की उपेक्षा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये गतिविधियां स्थानीय एजेंसियों अर्थात् डीडीए/एमसीडी/एनडीएमसी आदि के उन अधिकारियों की उपेक्षा से हुई है जिन्होंने विगत में भवन निर्माणकर्ताओं और अतिक्रमण/अनधिकृत रूप से निर्माण करने वालों को प्रोत्साहित किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बताया है कि उनके क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण नहीं देखा गया है। तथापि, अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का पता लगाना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। स्थानीय निकायों और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) शिकायत मिलने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। दिल्ली नगर निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भवन निर्माण विभाग के 216 इंजीनियरों के विरुद्ध बड़ी शास्ति और 220 इंजीनियरों के विरुद्ध लघु शास्ति लगाई है। 80 इंजीनियरों को निलंबित किया गया। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम ने इस अवधि के दौरान इंजीनियरी विभाग के 334 अधिकारियों को दंडित किया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 1.4.2000 से 31.10.2002 तक 36 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की है।

[हिन्दी]

मितव्ययिता

2262. **डा. बलिराम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न शीर्षों पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार और देश और विदेश के अन्दर एसटीडी और आईएसडी बिलों, बिजली बिलों विशेषकर एअरकंडीशनरों और कूलरों के बिलों तथा ऐसे अन्य व्ययों सहित प्रचार-प्रसार विज्ञापन, मनोरंजन, खान-पान उद्घाटन समारोह, सेमिनार यात्रा पर होने वाले व्ययों में कटौती करने के लिए कोई मितव्ययिता अभियान चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग तथा उर्वरक विभाग द्वारा अपने सचिवालय के लिए विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान किए गए व्यय के वर्षवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II पर हैं।

(ख) और (ग) मितव्ययिता और संदर्भाधीन मदों पर व्यय कम करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक मार्गदर्शी रूपरेखाएं/अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं। मंत्रालय के दोनों विभाग इन मार्गदर्शनों/अनुदेशों का पालन कर रहे हैं।

विवरण-I

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान अपने सचिवालय के लिए व्यय के विभिन्न मदों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा

(रुपए हजारों में)

शीर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
वेतन	3,36,52	3,50,28	3,56,31
मजदूरी	10,20	8,42	7,96
समयोपरि भत्ता	6,71	6,99	6,80
स्वदेश यात्रा	16,58	14,70	16,25
विदेश यात्रा	7,03	9,52	22,48
कार्यालय व्यय	77,69	84,96	84,76
व्यवसाय से संबंधित सेवाएं	-	23	0.22
प्रकाशन	2,25	1,84	4,86
अन्य प्रशासनिक व्यय	66	2,40	2,68

विवरण-II

उर्वरक विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान अपने सचिवालय के लिए व्यय के विभिन्न मदों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा

(रुपए हजारों में)

शीर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002
वेतन	37633	39277	40426
मजदूरी	235	254	182
समयोपरि भत्ता	631	679	677
स्वदेश यात्रा	936	1731	1015
विदेश यात्रा	160	522	1094
कार्यालय व्यय	10025	9690	10026
अन्य प्रशासनिक व्यय	277	264	230
प्रकाशन	143	212	800
व्यवसाय से संबंधित सेवाएं	253	47	54
किराया दर तथा कर	803	792	574

[अनुवाद]

रसायन उद्योग में रुग्णता

2263. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में रसायन उद्योग बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्योग में आई रुग्णता के उत्तरदायी कारकों की पहचान कर ली गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार रसायन उद्योग को और अर्थक्षम बनाने के लिए मौलिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) भारत में रसायन उद्योग की प्रगति हो रही है तथा किसी व्यापक औद्योगिक रुग्णता का कोई संकेत नहीं है। फिर भी, सरकार उद्योग से यह सुनिश्चित करने के लिए सतत बातचीत करती रही है ताकि विकास में आने वाली बाधाओं की पहचान कर समस्याओं का समाधान किया जा सके।

[हिन्दी]

दोपहर का भोजन

2264. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
डा. चरणदास महंत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोषक आहार के लिए प्रति लाभार्थी केवल एक रुपया का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस राशि को बढ़ाने का तथा इसमें अपने शेयर को भी बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को क्रियान्वित करने में अपनी अक्षमता दर्शायी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ज) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान देश के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) जी, नहीं। मध्याह्न भोजन योजना के अनुसार, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 100 ग्राम अनाज प्रति छात्र प्रति विद्यालय-दिवस की दर से आबंटित किया जाता है तथा भारतीय खाद्य निगम डिपो से वितरण स्थल/विद्यालय तक अनाज पहुंचाने के लिये लदान भाड़े की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

(च) और (छ) जी, हां। डब्ल्यू.पी.(सी.) 196/2001 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.11.2001 के आदेश के अनुसार इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने पका हुआ भोजन प्रदान करने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये निधियों की मांग की है।

(ज) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं। वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान इस योजना के अंतर्गत किये गये व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	व्यय (करोड़ रु. में)
2001-2002	1030.26
2002-2003	954.03 (28.11.2002 तक)

कोयले का उत्खनन

2265. डा. चरणदास महंत : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत कोयले का उत्खनन करने वाली सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कौन-कौन सी कंपनियां हैं और उनकी कौन-कौन सी खानें हैं और वे कहां-कहां स्थापित हैं तथा प्रत्येक खान से किन-किन श्रेणियों के कोयलों का उत्खनन किया जाता है;

(ख) कोयला का उत्खनन करने वाली उक्त कंपनियों को वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान जारी कोयला परमिटों का ब्यौरा क्या है और उन सरकारी और निजी उद्योगों/कंपनियों/फर्मों/फर्म विशेष तथा उनके कार्यस्थलों, कोयले की श्रेणी और उनकी महीनावार और वर्षवार उत्खनन मात्रा (मीट्रिक टन में) का ब्यौरा क्या है जिनके लिए परमिट जारी किया गया है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) कोयला विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सी.आई.एल. तथा इसकी सात सहायक कंपनियां कोयले का उत्पादन और विपणन कर रही हैं। प्रचालित की जा रही खानों के नाम तथा स्थान और उत्पादित किए जा रहे कोयले के ग्रेड नीचे दिए गए हैं:

कंपनी का नाम	राज्य	जिला जहां खानें स्थित हैं	खनित किए जाने वाले कोयले के ग्रेड कोकिंग	नॉन-कोकिंग
1	2	3	4	5
ई.सी.एल.	प. बंगाल	बर्द्धवान, बंकुरा, पुरूलिया	*डब्ल्यू-3 और 4, **एस.सी.	ए,बी,सी,डी,ई,एफ
	झारखंड	गोड्डा, पाकुर, देवगढ़ और धनबाद		
बी.सी.सी.एल.	झारखंड	धनबाद	*एस.-1 और 2, *डब्ल्यू-1, 2, 3 और 4, @एसएलवी	बी,सी,डी,ई,एफ
	प. बंगाल	बर्द्धवान		

1	2	3	4	5
सी.सी.एल.	झारखंड	हजारीबाग, बोकारो गिरीडीह, रांची, छपरा, पलामू और लतेहर	*डब्ल्यू-2, 3, 4	ए,बी,सी,डी,ई,एफ
एन.सी.एल.	मध्य प्रदेश	सीधी		सी,डी,ई
	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र		
डब्ल्यू.सी.एल.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर, यवतमाल और नागपुर	*डब्ल्यू-2	बी,सी,डी,ई
	मध्य प्रदेश	बेतुल, छिंदवाड़ा		
एस.ई.सी.एल.	छत्तीसगढ़	कोरिया, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़	**एस.सी.	ए,बी,सी,डी,एफ
	मध्य प्रदेश	शहडोल, उमरिया		
एम.सी.एल.	उड़ीसा	झरसुगुडा, अंगुल और सुंदरगढ़		बी,सी,डी,ई,एफ
एन.ई.सी. (सीआईएल के अधीन)	असम	तिनसुकिया, शिबसागर और दिब्रूगढ़		ए
	मेघालय	गारो हिल्स		

*डब्ल्यू 1, 2, 3 और 4-वाशरी ग्रेड 1, 2, 3 और 4, **एस.सी.-सेमी कोकिंग, #एस 1 और 2-इस्पात ग्रेड 1 और 2, @एसएलवी-स्पेशल लो वोलेटाइल कोल

(ख) कोयले के लिए परमिट जारी करने की कोई प्रणाली नहीं है। कोर-क्षेत्र तथा नॉन-कोर क्षेत्र, दोनों के उपभोक्ता सी.आई.एल. स्रोतों से कोयला प्राप्त कर रहे हैं। कोर क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति विभाग में गठित की गई स्थायी लिंकेज समिति द्वारा प्रदान की गई लिंकेजों के अनुसार की जाती है। नॉन-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति लिंकेजों/स्पांसरशिप के प्रति की जाती है। कोयले की आपूर्ति खुली बिक्री योजना, ट्रेड चैनल नेटवर्क आदि जैसी विभिन्न बिक्री योजनाओं के अंतर्गत की जाती है।

[अनुवाद]

देश में पॉलीमर का उत्पादन

2266. **श्री पी.एस. गढ़वी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर गुजरात में, पॉलीमर का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) बहुदेशीय उपयोग हेतु पॉलीमर के विकास के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी/निजी क्षेत्रों में उन नये क्षेत्रों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां पॉलीमर के उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पॉलीमर के विकास हेतु अनुसंधान और विकास संबंधी स्वीकृत प्रस्तावों का राज्यवार और गुजरात के संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में गुजरात सहित राज्य-वार प्रमुख पॉलिमरों का उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बहु उपयोग हेतु पॉलिमरों के विकास के लिए सरकार के विचाराधीन कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भारतीय पॉलिमर उद्योग, मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक पॉलिमर अनुप्रयोग के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। पॉलिमर, अपने प्रभावकारिता तथा लागत-प्रभावी होने के कारण लकड़ी, कागज इत्यादि जैसी पारंपरिक सामग्रियों का प्रतिपूरक बना हुआ है।

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पॉलिमर के अनुसंधान तथा विकास के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

विवरण

यूनिट मी. टन में

राज्य/वर्ष	पॉलिमर का उत्पादन						कुल योग
	एलडीपीई	एलएलडीपीई	एचडीपीई	पीपी	पीएस	पीवीसी	
1	2	3	4	5	6	7	8
1999-2000							
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	47815	0	47815
गुजरात	84069	118512	329997	733831	6339	477169	1749917
महाराष्ट्र	100168	103603	155748	62842	93542	122296	638199
राजस्थान	0	0	0	0	13273	28573	41846
तमिलनाडु	0	0	0	0	0	110961	110961
उत्तर प्रदेश	0	31810	86014	0	0	0	117824
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0
देश के शेष भाग में	0	0	0	0	0	0	0
कुल	184237	253925	571759	796673	160969	738999	2706562
2000-2001							
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	51153	0	51153
गुजरात	84322	124719	335189	1018488	156	495301	2058175
महाराष्ट्र	99845	121664	149360	68750	138674	124644	702937
राजस्थान	0	0	0	0	5264	33541	38805
तमिलनाडु	0	0	0	0	0	106797	106797
उत्तर प्रदेश	0	39313	155236	0	0	0	194549
पश्चिम बंगाल	0	89169	117757	82666	0	0	289592
देश के शेष भाग में	0	0	0	0	0	0	0
कुल	184167	374865	757542	1169904	195247	760283	3442008

1	2	3	4	5	6	7	8
2001-2002							
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	58551	0	58551
गुजरात	90055	115049	362799	1154498	0	517090	2239491
महाराष्ट्र	96473	109375	135310	68966	169873	140109	720106
राजस्थान	0	0	0	0	34	33765	33799
तमिलनाडु	0	0	0	0	0	138659	138659
उत्तर प्रदेश	0	70010	180917	0	0	0	250927
पश्चिम बंगाल	0	158211	207799	146706	0	0	512716
देश के शेष भाग में	0	0	0	0	0	0	0
कुल	186528	452645	886825	1370170	228458	829623	3954249

[हिन्दी]

एन.सी.एल. में हुई दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुई मशीनें

2267. **श्री सईदुज्जमा : क्या कोयला और खान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मध्य प्रदेश के नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली की विभिन्न परियोजनाओं में हुई दुर्घटनाओं के कारण कितनी शावेल, डम्पर, डोजर और अन्य मशीनें नष्ट हुई;

(ख) उक्त शावेल, डम्पर और अन्य मशीनों में से प्रत्येक का कार्यकाल कितना होता है;

(ग) उक्त दुर्घटनाओं के क्या मुख्य कारण बताए गए हैं और क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष किले?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश की किसी भी परियोजना में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं के कारण कोई शॉवेल, डम्पर, डोजर तथा अन्य मशीनें नष्ट नहीं हुई हैं। कभी-कभी दुर्घटना में कुछ छिट-पुट नुकसान होता है जिसकी मरम्मत कराई जाती है/सुधारा जाता है और मशीन को पुनः चालू किया जाता है।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

विदेशी भागीदारी के साथ समेकित आवासीय टाउनशिप

2268. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी भागीदारी से समेकित आवासीय टाउनशिप की स्थापना करने हेतु एक परियोजना का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस टाउनशिप के कहां स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) इसमें कौन-कौन से विदेशी भागीदार हैं और उनमें से प्रत्येक का कितना योगदान है; और

(घ) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) गुड़गांव, हरियाणा।

(ग) और (घ) विदेशी भागीदारों के नाम निम्नलिखित हैं:

(1) मेसर्स कोन्टूर बिन्टेज एसडीएन बीएचडी (मलेशिया में पंजीकृत एक कंपनी) तथा

(2) मेसर्स तान श्री जी. ज्ञानलिंगम (मलेशिया नागरिक)।

अमीरात बैंक ग्रुप द्वारा प्रवर्तित मेसर्स ट्राइकलर इन्वेस्टमेंट लि. ने भी परियोजना में निवेश करने का प्रस्ताव किया है।

आवेदक कम्पनी को भारत सरकार द्वारा दिनांक 4.1.2002 के 2002 के श्रृंखला प्रेस नोट सं. 3 के तहत जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना तथा इक्विटी ढांचे के सही ब्यौरे के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित करना अपेक्षित है।

उड़ीसा के महाचक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान

2269. श्री भर्तृहरि महताब : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको ने उड़ीसा के महा-चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लाभार्थियों को आश्रय प्रदान करने हेतु लाभार्थियों की पहचान की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वर्ष-वार कितने लाभान्वितों को आश्रय प्रदान किया गया;

(घ) क्या हुडको लाभार्थियों को पूरा अनुदान प्रदान किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) प्रत्येक लाभार्थी को कब तक आश्रय प्रदान किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हडको ने नवम्बर, 1999 से उड़ीसा राज्य में अक्तूबर, 1999 के भयंकर चक्रवात के चक्रवात पीड़ित व्यक्तियों के लिए 3.47 लाख मकानों के निर्माण हेतु 1416.25 करोड़ रु. की ऋण सहायता स्वीकृत की है।

वास्तविक एवं वित्तीय ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) हडको राज्य द्वारा पदनामित एजेंसियों को ही ऋण उपलब्ध कराता है तथा अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(च) राज्य सरकार द्वारा पदनामित एजेंसियों को हडको ऋण प्राप्त करने के लिए औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है। ये एजेंसियां स्थल पर कार्य की प्रगति के आधार पर लाभभोगियों को धनराशि जारी करती हैं।

विवरण

उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित विभिन्न जिलों में वर्ष-वार एवं योजना-वार स्वीकृत तथा जारी किए गए ऋण का ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	जारी राशि (लाख रु. में)	स्वीकृत इकाई	पूरी की गई इकाइयां	निर्माणाधीन इकाइयां	इकाइयां जहां कार्य आरंभ नहीं किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 1999-2000 के लिए							
1.	जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, जाजपुर कटक, खुर्दा, पुरी,	10500.00	10500.00	30000	20543	9457	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	बालासोर, भद्रक, क्योंझर तथा ढेनकनाल जिलों में भयंकर चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर (ग्रामीण) वर्ग की आवास योजना (चरण-1)						
2.	जगतसिंह पुर, केन्द्रपाड़ा, जाजपुर, कटक, खुर्दा, पुरी, बालासोर, भद्रक, क्योंझर तथा ढेनकनाल जिलों में भयंकर चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर (ग्रामीण) वर्ग की आवास योजना (चरण-2)	7000.00	7000.00	20000	13695	6305	0
3.	गंजम, जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, कटक, पुरी जिलों में भयंकर चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ग्रामीण) की आवास योजना (फेज-1)	5250.00	3750.00	15000	10297	4703	0
4.	गंजम, जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, कटक, पुरी जिलों में भयंकर चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ग्रामीण) की आवास योजना (फेज-2)	3500.00	2500.00	10000	6848	3152	0
5.	जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, जाजपुर, कटक, खुर्दा, पुरी और मयूरभंज जिलों में भयंकर चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर (ग्रामीण) वर्ग की आवास योजना (चरण-3)	4375.00	3125.00	12500	8532	3968	0
6.	राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में ऋण	50000.00	50000.00	100000	100000	0	0
	कुल वर्ष 1999-2000 के लिए	80625.00	76875	187500	159915	27585	0

1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 2000-2001 के लिए							
1.	केन्द्रपाड़ा, जाजपुर, ढेनकनाल जिलों के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ग्रामीण) की आवास योजना	5250.00	2574.00	15000	0	0	15000
2.	जगतसिंहपुर, क्योंझर, भद्रक तथा ढेनकनाल के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ग्रामीण) की आवास योजना	7000.00	3430.00	20000	0	0	20000
3.	पुरी, कटक, खुर्दा, बालासोर के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ग्रामीण) की आवास योजना	5250.00	2574.00	15000	0	0	15000
4.	गंजम और ढेनकनाल के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ग्रामीण) की आवास योजना	1050.00	0.00	3000	0	0	3000
5.	पुरी, कटक, जाजपुर और बालासोर के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ग्रामीण) की आवास योजना	1050.00	0.00	3000	0	0	3000
6.	केन्द्रपाड़ा, खुर्दा, भद्रक, जगतसिंह पुर के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ग्रामीण) की आवास योजना	1400.00	0.00	4000	0	0	4000
7.	राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में ऋण	20000.00	20000.00	40000	0	40000	0
	कुल वर्ष 2000-2001 के लिए	41000.00	28578.00	100000	0	40000	60000
वर्ष 2001-02 के लिए							
1.	राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में ऋण	20000.00	20000.00	60000	0	0	60000
	कुल वर्ष 2001-02 के लिए	20000.00	20000.00	60000	0	0	60000
	सकल योग	141625.00	125453.00	347500	159915	67585	120000

स्त्री शक्ति पुरस्कार

2270. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'स्त्री शक्ति पुरस्कार' प्रदान किए जाने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार को संसद सदस्यों से विशेषकर महाराष्ट्र के संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं:

1. नामित व्यक्ति महिला होनी चाहिए, जो कि नामांकन की तारीख को जीवित एवं 30 वर्ष से अधिक आयु की हो।

2. नामित महिला ने निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में उत्कृष्ट योगदान दिया हो:

(1) बेसहारा, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त, अत्याचारों व संघर्षों के शिकार होने इत्यादि जैसी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं एवं बच्चों को समर्थन तथा उनका पुनर्वास।

(2) शिक्षा एवं प्रशिक्षण।

(3) स्व-सहायता दलों का संवर्द्धन।

(4) कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों में महिलाओं को समर्थन, जिसमें कड़े श्रम में कमी लाने वाली प्रौद्योगिकी का संवर्धन शामिल है।

(5) पर्यावरण संरक्षण।

(6) स्वास्थ्य, जिसमें स्वदेशी दवा पद्धतियों का प्रचार शामिल है।

(7) समुदाय-आधारित कार्यक्रमों सहित कलाओं व प्रचार-माध्यमों के जरिए महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता व चेतना जगाना।

3. नामित महिला की उपलब्धियों का दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

(ख) से (घ) जी हां। सभी नामांकन राष्ट्रीय चयन समिति के सम्मुख विचारार्थ रखे गए थे।

नागा नेशनल काउन्सिल से शांति वार्ता

2271. श्री विनय कुमार सोराके : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागा नेशनल काउन्सिल का लंदन से जारी वह वक्तव्य सरकार के सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार और नेशनल काउन्सिल ऑफ नागालैंड (एन.एस.सी.एन.) के बीच चल रही शांति वार्ता से शांति स्थापित नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने प्रयासों को पुख्ता करने के लिए एन.एन.सी. से शांति वार्ता की पेशकश करने का है; और

(ग) एन.एस.सी.एन.-आई.एम. के साथ हुई शांति वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। सरकार पूर्वोत्तर में शांति बहाली के लिए कटिबद्ध है और इसलिए जो भाई-चारे के रास्ते से भटक गए हैं, उन सभी को, हिंसा का रास्ता छोड़ने और संविधान के भीतर बातचीत करने के लिए आगे आने का निमंत्रण दिया है। एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) के साथ शांति वार्ता जारी है।

आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत धन का आवंटन

2272. श्री दिलीप संघाणी :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "इंटिग्रेटिड डेवलपमेंट आफ स्माल एंड मीडियम टाउन्स स्कीम" के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया और राज्यों द्वारा उपयोग किए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया और कितना धन निर्गत किया गया;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत लाए गए शहरों का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार स्थानीय निकायों के पास धन की कमी को देखते हुए और अधिक धन आवंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना में राज्य-वार कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई योजनाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा योजना-वार और राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) स्कीम के अंतर्गत 268 नए कस्बे शामिल किए गए। 23640.40 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई और पूरे देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों द्वारा 31841.45 लाख रुपये का उपयोग (खर्च) किया गया। नौवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) नौवीं योजना में स्कीम के तहत शामिल कस्बों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में है।

(घ) से (च) जी, हां। भारत सरकार ने लगभग 900 नए तथा चालू कस्बों को शामिल करने की स्कीम हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिव्यय बढ़ाकर 1304.65 करोड़ रुपये का निर्णय लिया है। राज्यवार परिव्यय (अस्थाई) विवरण-III में दिया गया है।

(छ) चालू वर्ष (2002-03) चूंकि दसवीं पंच वर्षीय योजना का पहला वर्ष था, इसलिए इसमें अभी 25.11.2002 तक 93 परियोजनाएं पहले ही शामिल कर ली गई हैं। शामिल की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

नौवीं योजना के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. के तहत वर्ष-वार शामिल नए कस्बे, जारी केंद्रीय सहायता और सूचित व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98			1998-99			1999-2000		
		कस्बा सं.	जारी केन्द्रीय सहायता	खर्च	कस्बा सं.	जारी केन्द्रीय सहायता	खर्च	कस्बा सं.	जारी केन्द्रीय सहायता	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	164.62	1037.24	2	942.87	1379.14	4	552.79	1414.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	8.00	115.00	0	4.00	0.00	2	33.00	0.00
3.	असम	1	51.86	62.91	1	15.00	1.90	2	80.11	149.78
4.	बिहार	0	0.00	194.07	2	20.00	133.62	0	0.00	14.62
5.	छत्तीसगढ़	0	26.90	0.00	1	67.00	75.00	1	50.00	61.45
6.	गोवा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	29.50	0.00
7.	गुजरात	2	362.55	443.72	1	167.95	828.17	4	453.17	1282.36
8.	हरियाणा	2	22.00	0.00	0	128.00	106.62	0	0.00	121.27
9.	हिमाचल प्रदेश	1	15.00	137.00	1	26.00	153.30	4	113.00	18.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	जम्मू व कश्मीर	0	19.00	87.44	0	70.00	162.51	0	0.00	0.00
11.	झारखंड	0	0.00	0.00	0	0.00	105.62	0	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	1	163.00	432.50	2	246.04	687.97	4	578.17	395.78
13.	केरल	0	232.41	167.84	1	110.63	244.24	2	120.79	246.43
14.	मध्य प्रदेश	0	181.04	105.11	1	329.42	279.68	3	233.35	141.73
15.	महाराष्ट्र	0	566.23	1073.61	2	446.84	1708.42	4	722.81	1194.00
16.	मणिपुर	0	20.00	19.61	0	10.50	14.00	0	0.00	120.86
17.	मेघालय	0	19.60	0.00	0	0.00	39.30	1	61.80	0.00
18.	मिजोरम	0	24.00	73.00	0	34.40	105.22	3	74.00	57.04
19.	नागालैंड	0	9.00	45.30	0	0.00	0.00	0	0.00	95.54
20.	उड़ीसा	0	28.00	126.91	1	124.34	91.13	4	174.00	77.42
21.	पंजाब	3	39.00	88.52	1	53.00	86.91	3	238.99	136.23
22.	राजस्थान	2	162.50	354.23	0	187.31	419.90	0	92.00	210.42
23.	सिक्किम	1	12.00	0.00	0	0.00	69.75	2	30.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0	149.00	340.22	2	172.73	367.59	4	278.26	318.50
25.	त्रिपुरा	1	42.00	63.70	1	16.00	57.01	2	55.06	0.00
26.	उत्तरांचल	0	0.00	43.40	0	0.00	29.98	0	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0	116.00	732.88	4	101.00	305.77	4	68.00	539.02
28.	पश्चिम बंगाल	0	146.50	338.21	2	191.97	336.59	4	297.20	314.70
29.	अंडमान व नि.द्वी.स.	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
30.	दादर व नगर हवेली	0	0.00	0.00	0	12.00	0.00	0	0.00	0.00
31.	दमण व दीव	0	10.00	0.00	0	8.00	0.00	0	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	0	0.00	0.01	0	0.00	0.00	1	30.00	000
	कुल	16	2601.50	6082.40	25	3505.00	7787.94	60	4346.00	6930.75

क्र.सं.	राज्य	2000-01			2001-02			कुल		
		कस्बा सं.	जारी केन्द्रीय सहायता	खर्च	कस्बा सं.	जारी केन्द्रीय सहायता	खर्च	कस्बा सं.	जारी केन्द्रीय सहायता	खर्च
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	253.50	76.50	11	608.04	1324.11	20	2521.82	5231.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	3.52	1	16.00	0.00	4	61.00	118.52
3.	असम	2	31.00	47.44	3	258.30	24.09	9	436.27	286.12
4.	बिहार	2	30.00	0.00	3	200.49	50.50	7	250.49	392.90
5.	छत्तीसगढ़	1	166.00	119.28	4	158.20	0.00	7	468.10	274.31
6.	गोवा	1	8.00	0.00	0	0.00	0.00	3	37.50	0.00
7.	गुजरात	4	621.76	441.86	9	430.00	117.23	20	2035.43	3113.34
8.	हरियाणा	2	264.60	131.76	3	205.40	0.00	7	620.00	359.65
9.	हिमाचल प्रदेश	2	136.44	146.95	2	104.50	156.07	10	394.94	621.95
10.	जम्मू व कश्मीर	0	138.44	32.05	1	220.00	46.00	1	347.24	328.00
11.	झारखंड	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	105.62
12.	कर्नाटक	4	710.97	735.61	6	613.69	44.63	17	2312.76	2296.49
13.	केरल	1	239.75	648.48	4	258.50	1.51	8	962.08	1308.50
14.	मध्य प्रदेश	4	266.20	322.76	10	446.00	13.49	18	1456.01	862.77
15.	महाराष्ट्र	4	815.83	1551.05	2	653.60	1567.53	12	3195.31	7094.61
16.	मणिपुर	0	32.00	6.61	2	48.00	55.81	2	110.50	216.89
17.	मेघालय	0	0.00	0.00	1	0.00	24.17	1	81.40	63.47
18.	मिजोरम	0	0.00	114.00	1	148.00	145.26	4	280.40	494.52
19.	नागालैंड	2	112.00	0.00	0	0.00	30.25	2	121.00	171.09
20.	उड़ीसा	2	255.00	140.17	8	269.00	156.29	15	870.34	591.92
21.	पंजाब	2	78.00	59.68	1	150.00	87.97	10	558.99	459.31
22.	राजस्थान	3	192.00	419.67	3	387.50	181.37	8	1021.31	1585.59

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23.	सिक्किम	2	32.00	0.00	1	60.00	55.57	6	134.00	125.32
24.	तमिलनाडु	4	210.71	274.57	11	537.93	99.40	21	1349.03	1400.28
25.	त्रिपुरा	1	48.00	48.72	0	113.00	51.90	5	274.06	221.33
26.	उत्तरांचल	0	0.00	0.00	3	240.00	0.00	3	240.00	72.38
27.	उत्तर प्रदेश	4	559.86	108.34	19	1010.25	452.72	31	1855.11	2138.73
28.	पश्चिम बंगाल	4	515.14	506.71	6	434.00	409.17	16	1585.31	1905.38
29.	अंडमान व नि.द्वी.स.	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
30.	दादर व नगर हवेली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	12.00	0.00
31.	दमण व दीव	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	18.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	30.00	0.01
	कुल	53	5617.00	5935.73	114	7570.90	5095.13	268	23640.40	31841.85

विवरण-II

9वीं योजना अवधि के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत शामिल कस्बे

राज्य/योजना	क्र.सं.	कस्बा	शामिल किए जाने का वर्ष
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
9 वीं योजना	1.	मछलीपटनम	1997-98
	2.	करीमनगर	1997-98
	3.	मछेरला	1998-99
	4.	गजूवाका	1999-2000
	5.	रामगुंडम	1999-2000
	6.	महबूबनगर	1999-2000
	7.	मांडापेट्टा	1999-2000
	8.	तेनाली	2000-01
	9.	नलगोंडा	2000-01

1	2	3	4
	10.	नांदयाल	2001-02
	11.	सूर्यापेट	2001-02
	12.	बापतला	2001-02
	13.	कोवूर	2001-02
	14.	नोजीविडू	2001-02
	15.	सिरसिला	2001-02
	16.	पेडाना	2001-02
	17.	अनन्तपुर	2001-02
	18.	सदाशिवपेट	2001-02
	19.	अनकापल्ले	2001-02
	20.	कादरी	2001-02
अरुणाचल प्रदेश			
9वीं योजना	1.	तेजू	1997-98
	2.	चेंगलेंग	1999-2000
	3.	सेप्पा	1999-2000
	4.	रोइंग	2001-02
असम			
9वीं योजना	1.	बारपेटा	1997-98
	2.	मारीगांव	1998-99
	3.	हेलाकंडी	1999-2000
	4.	धेमाजी	1999-2000
	5.	बोकाखट	2000-01
	6.	डिगबोई	2000-01
	7.	डिब्रूगढ़	2001-02
	8.	होजाई	2001-02
	9.	विश्वनाथ वरैली	2001-02

1	2	3	4
बिहार			
9वीं योजना	1.	माधेपुरा	1998-99
	2.	रक्सौल	1998-99
	3.	अररिया	2000-01
	4.	खगरिया	2000-01
	5.	नरकटियागंज	2001-02
	6.	औरंगाबाद	2001-02
	7.	भाभुआ	2001-02
छत्तीसगढ़			
9वीं योजना	1.	बैकुंठपुर	2001-02
	2.	बालोड	1998-99
	3.	भाटापाड़ा	1999-2000
	4.	रायपुर	2000-01
	5.	काठगोरा	2001-02
	6.	धमतारी	2001-02
	7.	कोरबा	2001-02
गोवा			
9वीं योजना	1.	मापुसा	1999-2000
	2.	पेरनेम	1999-2000
	3.	कानाकोना	2000-01
गुजरात			
9वीं योजना	1.	अम्बाजी	1997-98
	2.	मांडवी	1997-98
	3.	डकोर	1998-99
	4.	ढोलका	1999-2000
	5.	अंजर	1999-2000

1	2	3	4
	6.	ऊना	1999-2000
	7.	उमरेठ	1999-2000
	8.	गांधीधाम	2000-01
	9.	जेतपुर	2000-01
	10.	ध्रंगधरा	2000-01
	11.	कपाडवानी	2000-01
	12.	कोदीनार	2001-02
	13.	वंकानेर	2001-02
	14.	लिम्डी	2001-02
	15.	धानदुका	2001-02
	16.	खेड	2001-02
	17.	प्रांतिज	2001-02
	18.	कडी	2001-02
	19.	बगसारा	2001-02
	20.	खम्भलिया	2001-02
हरियाणा			
9वीं योजना	1.	यमुनानगर	1997-98
	2.	पेहोवा	1997-98
	3.	भिवानी	2000-01
	4.	अम्बाला सिटी	2000-01
	5.	सिरसा	2001-02
	6.	हांसी	2001-02
	7.	कुरूक्षेत्र	2001-02
हिमाचल प्रदेश			
9वीं योजना	1.	रामपुर	1997-98
	2.	धर्मशाला	1998-99

1	2	3	4
	3.	सोलन	1999-2000
	4.	चम्बा	1999-2000
	5.	थियोग	1999-2000
	6.	कुल्लू	1999-2000
	7.	पालमपुर	2000-01
	8.	नलागढ़	2000-01
	9.	ज्वालामुखी	2001-02
	10.	पोंटा साहिब	2001-02
जम्मू तथा कश्मीर			
9वीं योजना	1.	अनन्तनाग	2001-02
कर्नाटक			
9वीं योजना	1.	सिमोगा	1997-98
	2.	हसकोट	1998-99
	3.	गुडलूपेट	1998-99
	4.	नवलगुंड	1999-2000
	5.	मानवी	1999-2000
	6.	दावनगेरी	1999-2000
	7.	गुलबर्गा	1999-2000
	8.	अठानी	2000-01
	9.	अलन्त	2000-01
	10.	बिरूर	2000-01
	11.	देवनहल्ली	2000-01
	12.	चमराज नगर	2001-02
	13.	मुंडरागी	2001-02
	14.	केरूर	2001-02
	15.	हंगल	2001-02
	16.	इंदी	2001-02
	17.	तमकुर	2001-02

1	2	3	4
केरल			
9वीं योजना	1.	मुवत्तुपुझा	1998-99
	2.	ओट्टापालम	1999-2000
	3.	कोठामंगलम	1999-2000
	4.	नार्थ पेरावूर	2000-01
	5.	कुंडगल्लूर	2001-02
	6.	इंजलकोडा	2001-02
	7.	पाला	2001-02
	8.	पोनान्नी	2001-02
मध्य प्रदेश			
9वीं योजना	1.	स्था	1998-99
	2.	खजुराहो	1999-2000
	3.	झाबुआ	1999-2000
	4.	खुरई	1999-2000
	5.	धनपुरी	2000-01
	6.	नागोड़	2000-01
	7.	नागोंग	2000-01
	8.	सुकंटची	2000-01
	9.	बरवानी	2001-02
	10.	जावात	2001-02
	11.	राजपुर	2001-02
	12.	छौरई	2001-02
	13.	गढकोटा	2001-02
	14.	सिद्धी	2001-02
	15.	रायसेन	2001-02
	16	चुरहट	2001-02
	17.	लहर	2001-02
	18.	हट्टा	2001-02

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
9वीं योजना	1.	गंगाखेड	1998-99
	2.	सिलोड	1998-99
	3.	सतना	1999-2000
	4.	धमनगांव	1999-2000
	5.	रोहा	1999-2000
	6.	कोल्हापुर	1999-2000
	7.	ऊमरखेड	2000-01
	8.	फैजपुर	2000-01
	9.	रावेर	2000-01
	10.	जिंतूर	2000-01
	11.	देसाईगंज	2001-02
	12.	अकोला	2001-02
मणिपुर			
9वीं योजना	1.	मोईरंग	2001-02
	2.	कुम्बी	2001-02
मेघालय			
9वीं योजना	1.	शिलांग	1999-2000
मिजोरम			
9वीं योजना	1.	चम्पई	1999-2000
	2.	इनथियाल	1999-2000
	3.	सेहा	1999-2000
	4.	लेगपुई	2001-02
नागालैण्ड			
9वीं योजना	1.	दीमापुर	2000-01
	2.	किफिरे	2000-01
उड़ीसा			
9वीं योजना	1.	पट्टामुडंई	1998-99

1	2	3	4
	2.	आनंदपुर	1999-2000
	3.	शौरो	1999-2000
	4.	बारपाली	1999-2000
	5.	बालासोर	1999-2000
	6.	अस्का	2000-01
	7.	बंकी	2000-01
	8.	करंजिया	2001-02
	9.	केसिंगा	2001-02
	10.	बालुगांव	2001-02
	11.	राजगंगपुर	2001-02
	12.	चिकुटी	2001-02
	13.	तलचेर	2001-02
	14.	गुनुपुर	2001-02
	15.	रायरंगपुर	2001-02
पंजाब			
9वीं योजना	1.	आनन्दपुर साहिब	1997-98
	2.	फतेहपुर साहिब	1997-98
	3.	पट्टी	1997-98
	4.	मुक्तसर	1998-99
	5.	सुल्तानपुर लोधी	1999-2000
	6.	कपुरथला	1999-2000
	7.	नकोदर	1999-2000
	8.	जगराव	2000-01
	9.	दशबीरा	2000-01
	10.	गढ़शंकर	2001-02
राजस्थान			
9वीं योजना	1.	सालमबेर	1997-98
	2.	देशनोक	1997-98

1	2	3	4
	3.	हनुमानगढ़	2000-01
	4.	बलोत्रा	2000-01
	5.	डिडवाना	2000-01
	6.	नाथद्वारा	2001-02
	7.	भंडेर	2001-02
	8.	सूरतगढ़	2001-02
सिक्किम			
9वीं योजना	1.	सिंगटम	1997-98
	2.	जोरथांग	1999-2000
	3.	पाकयोंग	1999-2000
	4.	जेजिंग	2000-01
	5.	सोरेंग	2000-01
	6.	रांगलीबाजार	2001-02
तमिलनाडु			
9वीं योजना	1.	सुरमपट्टी	1998-99
	2.	उडनचतरम	1998-99
	3.	डिन्डीगल	1999-2000
	4.	डेवागुट्टई	1999-2000
	5.	बेलौर	1999-2000
	6.	कन्याकुमारी	1999-2000
	7.	कीनाथुकडुबु	2000-01
	8.	विलाथीकुलम	2000-01
	9.	पेराबुरानी	2000-01
	10.	चिंगम	2000-01
	11.	पेरियाकुलम	2001-02
	12.	थंजावुर	2001-02
	13.	राजापल्लायम	2001-02
	14.	पल्लाधुर	2001-02

1	2	3	4
	15.	शिवकासी	2001-02
	16.	उल्लदुरपेट	2001-02
	17.	गुडालूर	2001-02
	18.	थोंडी	2001-02
	19.	आरएस नगलम	2001-02
	20.	चिनासलम	2001-02
	21.	कालाकडडु	2001-02
त्रिपुरा			
9वीं योजना	1.	सोनामुरा	1997-98
	2.	कमलपुर	1998-99
	3.	तेलयामुरा	1999-200
	4.	सबरोम	1999-2000
	5.	रानीबाजार	2000-01
उत्तरांचल			
9वीं योजना	1.	देहरादून	2001-02
	2.	हल्द्वानी-काठगोदाम	2001-02
	3.	पिथौरागढ़	2001-02
उत्तर प्रदेश			
9वीं योजना	1.	कुशीनगर	1998-99
	2.	उझानी	1998-99
	3.	नानौता	1998-99
	4.	नबाबगंज	1998-99
	5.	जलालाबाद	1999-2000
	6.	कुंडा	1999-2000
	7.	खेमरी	1999-2000
	8.	चित्रकूट धाम	1999-2000
	9.	हरिहरपुर	2000-01
	10.	महाराजगंज	2000-01

1	2	3	4
	11.	ककरोही	2000-01
	12.	नीयोतानी	2000-01
	13.	हरैया	2001-02
	14.	अमेठी	2001-02
	15.	खथौली	2001-02
	16.	सरयाना	2001-02
	17.	खोकरा	2001-02
	18.	बाबरपुर-अजितमल	2001-02
	19.	ओइल-ढकवा	2001-02
	20.	गोहंद	2001-02
	21.	मिलक	2001-02
	22.	हंडया	2001-02
	23.	झिंझना	2001-02
	24.	झांसी	2001-02
	25.	मथुरा	2001-02
	26.	बांसगांव	2001-02
	27.	बनत	2001-02
	28.	दोस्तपुर	2001-02
	29.	नीवारी	2001-02
	30.	तिलहर	2001-02
	31.	देवबन्द	2001-02
प. बंगाल			
9वीं योजना	1.	जोईनगर	1998-99
	2.	डबराजपुर	1998-99
	3.	दैनहाट	1999-2000
	4.	टाकी	1999-2000
	5.	एगरा	1999-2000
	6.	दुर्गापुर	1999-2000

1	2	3	4
	7.	बागांव	2000-01
	8.	रामजीवनपुर	2000-01
	9.	खरार	2000-01
	10.	खीपाई	2000-01
	11.	ताहिरपुर	2001-02
	12.	बेलडांगा	2001-02
	13.	जमुरिया	2001-02
	14.	जयगंज-आजमगंज	2001-02
	15.	कोपर्स कैंप	2001-02
	16.	नलहाटी	2001-02
पांडिचेरी			
9वीं योजना	1.	औलग्रेट	99-2000

विवरण-III

दसवीं योजना के लिए आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के तहत राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता का अस्थाई नियतन

कुल नियतन	1304.65 करोड़ रुपये
घटाएं पूर्वोत्तर राज्य (10%)	130.47 करोड़ रुपये
घटाएं संघ शासित प्रदेश	5.00 करोड़ रुपये
कुल ग्रांट नियतन	1169.18 करोड़ रुपये

क्र.सं.	राज्य	अखिल भारत की तुलना में राज्यों में छोटे तथा मंझोले कस्बों में आबादी का प्रतिशत	धन राशि का नियतन (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9.77	113.41
2.	बिहार	4.16	48.29
3.	छत्तीसगढ़	2.4	27.86
4.	गोवा	0.41	4.76
5.	गुजरात	6.44	74.75
6.	हरियाणा	2.88	33.43
7.	हिमाचल प्रदेश	0.38	4.41
8.	जम्मू और कश्मीर*	-	8.42
9.	झारखंड	2.55	29.60
10.	कर्नाटक	7.12	82.65
11.	केरल	4.15	48.17
12.	मध्य प्रदेश	6.78	78.70
13.	महाराष्ट्र	9.96	115.61
14.	उड़ीसा	3.57	41.44
15.	पंजाब	3.14	36.45

1	2	3	4
16.	राजस्थान	6.18	71.73
17.	तमिलनाडु	8.58	99.59
18.	उत्तरांचल	1.3	15.09
19.	उत्तर प्रदेश	14.35	166.57
20.	पश्चिम बंगाल	5.88	68.25
21.	संघ शासित प्रदेश	–	5.00
22.	पूर्वोत्तर राज्य	–	130.47
	कुल	–	1304.65

*जम्मू व कश्मीर राज्य का नियतन अनुमानित आबादी पर आधारित है।

विवरण-IV

वर्ष 2002-03 (नवम्बर 25, 2002 के अनुसार) के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के तहत शामिल कस्बे

राज्य	क्र.सं.	कस्बे
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.	सलूर
	2.	मचेरियल
	3.	नरसापुर
	4.	बेलमपल्ली
	5.	समालकोट
छत्तीसगढ़	6.	दिल्ली-राजहरा
	7.	पेंदरा
	8.	दुर्ग
गुजरात	9.	मनसा
	10.	बालासिनोर
हिमाचल	11.	बिलासपुर
	12.	सुंदरनगर
	13.	कोटखाई
जम्मू कश्मीर	14.	पुलवामा
कर्नाटक	15.	नेलामंगला
	16.	अनेकील
	17.	हरियाला
	18.	चित्तागुप्पा
	19.	कोन्नूर
	20.	खानापुर
	21.	यादगिरी
	22.	अराकलगुड़
	23.	भालकी
	24.	मैलिंगापुर
	25.	मुलगुंड
मध्य प्रदेश	26.	शिवपुरी
	27.	बीरसिंहपुर
	28.	खिल्चपुर
	29.	अकोदिया
	30.	मंगावन
	31.	रामपुर-बगलेन
	32.	तेंदूखेड़ा
	33.	रामपुर-नाकिन
	34.	शाजापुर
	35.	मनसा
	36.	जीरापुर
महाराष्ट्र	37.	खेत
	38.	श्रीरामपुर
	39.	सांगली-मिराज-कुपवाड
	40.	जवाहर

1	2	3
	41.	जलगांव
	42.	वनी
	43.	लातूर
	44.	तमसार
	45.	धूले
	46.	शिरपुर-वरवाडे
	47.	उदगीर
	48.	नांदेड़-वांगला
	49.	राजापुर
	50.	बीड
	51.	गघनलज
	52.	इस्लामपुर
	53.	परभानी
	54.	चंदरपुर
मणिपुर	55.	सुगनु
	56.	ककचिंग-खोनू
	57.	सुमरऊ
	58.	क्वाटा
	59.	वगनई
	60.	हेरॉक
	61.	ओनम
	62.	अंद्रो
	63.	शिकोंग-शिकमई
मिजोरम	64.	ममित
पंजाब	65.	सरदूलगढ़
	रमन-मंडी	
राजस्थान	67.	पोखरण

1	2	3
	68.	टोक
	69.	रावतभाटा
तमिलनाडु	70.	पुछूवलयल
	71.	तिरूपुर
	72.	ओरथानाडू
उत्तर प्रदेश	73.	मवाना
	74.	नगरम
	75.	रानीपुर
	76.	अग्रवाल ततरी
	77.	घिरोर
	78.	सादाबाद
	79.	पिलखुवा
	80.	करनावल
	81.	गढ़मुक्तेश्वर
	82.	कासगंज
	83.	चरथावल
	84.	मऊ
	85.	महमूदाबाद
	86.	गंगोह
पश्चिम बंगाल	87.	दार्जिलिंग
	88.	जलपाईगुडी
	89.	बलूरघाट
	90.	पुरुलिया
	91.	कालना
	92.	कटवा
	93.	रायगंज

[हिन्दी]

एन.सी.ई.आर.टी. का निजीकरण

2273. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री अखिलेश यादव :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 30.10.02 के 'राष्ट्रीय सहारा' में ''एन.सी.ई.आर.टी. का निजीकरण'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार का ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां। सरकार को उक्त समाचार का संज्ञान है।

(ख) उक्त समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के बीच अनुपात; निजी प्रकाशकों/राज्य पाठ्य-पुस्तक एजेन्सियों को पाठ्य पुस्तकों की पाण्डुलिपियां प्रकाशन के लिए देने और क्षेत्रीय कार्यालयों को समाप्त करन के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से संबंधित 'व्यय समीक्षा समिति' की सिफारिशों के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हुए विचार-विमर्श का भी उल्लेख है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सूचित किया है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय पहले ही बन्द कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्/सरकार द्वारा अन्य दो मुद्दों की जांच की जा रही है।

शिक्षा का मानदंड निर्धारित करने हेतु नीति तैयार किया जाना

2274. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अम्बानी-बिरला समूह द्वारा ''पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर नॉर्म्स इन एजुकेशन'' नामक प्रकाशित समाचार पर सरकार द्वारा की गई पहल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्च शिक्षा के निजीकरण और 'प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट' को अधिनियमित करने की कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शिक्षा विकास संबंधी योजना को क्रियान्वित किए जाने का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) इस रिपोर्ट में निहित प्रासंगिक सिफारिशों पर विचार किया गया है तथा उन पर ध्यान दिया गया है। गैर सरकारी क्षेत्र की कुछ उत्कृष्ट संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

अपराधियों को जेल भेजने हेतु मसौदा

2275. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से पिछले एक वर्ष में सरकारी भूमि के अतिक्रमण, देह व्यापार, यौन शोषण और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार आदि में लिप्त अपराधियों को जेल भिजवाने के संबंध में अनुमोदन के लिए कोई विधिक मसौदा/ विधेयक प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी

2276. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के मासिक, डाउ केमिकल्स के समक्ष नए तथ्यों को पेश कर भोपाल

गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए बेहतर मसौदा तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करने और अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने पर जोर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई संगठनों ने भी यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन से हुई क्षति का आधिकारिक आकलन हेतु सरकार से मुलाकात की है जिससे कि कार्पोरेशन को पर्यावरणीय पुनर्वास और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु कीमत अदा करने को कहा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के मामले पर विचार किया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.2.89 तथा 15.2.89 के जरिये भोपाल गैस पीड़ितों के अधिकारों और देयताओं से संबंधित या उत्पन्न सभी दावों के सम्पूर्ण निबटान के लिए मुआवजे के तौर पर 470 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि भारत संघ को देने हेतु यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन को निदेश दिया था। यूसीसी ने यह धनराशि दे दी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औषधि कंपनियों द्वारा अधिक कीमत वसूल किया जाना

2277. श्री रामरती बिन्द : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डेल्टा नामक रैनबैक्सी की सहयोगी कंपनी द्वारा 'रिवाइटल' का विपणन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसर्स डेल्टा ने इस औषधि के निर्माण हेतु मूल्य संबंधी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि नैप्पा (एन.ए.पी.पी.ए.) ने इस औषधि की अधिक कीमत वसूल किए जाने पर रेनबैक्सी को नोटिस जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो उस पर कितनी अधिक कीमत लगाई गई थी और उससे कितनी वसूल की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) रिवाइटल का उत्पादन तथा बिक्री मेसर्स रेनबैक्सी द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण (पी.एफ.ए.), नियम 1995 के अंतर्गत खाद्यपूरक के रूप में न कि औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है।

नेशनल-क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो

2278. श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के पास वह फिंगरप्रिंट मैनुअल नहीं है जो किसी ब्यूरो के सुचारू कार्यकरण के लिए अत्यावश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश भर के सभी फिंगरप्रिंट ब्यूरो (एफ.पी.बी.) को फिंगरप्रिंट विश्लेषण और आपराधिक प्रशिक्षण प्रणाली (एफ.ए.सी.टी.एस.) से लैस करने के लिए क्या नये कदम उठाये गये हैं ताकि अपराधियों के फिंगरप्रिंटों के रखरखाव, उनकी पहचान और उनके तुलनात्मक अध्ययन करने में उनकी सहायता की जा सके;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न राज्यों के फिंगरप्रिंट ब्यूरो (एफ.पी.बी.एस.) पकड़े गये अपराधियों की उंगलियों के निशानों का रखरखाव करने में विफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्यों के फिंगरप्रिंट ब्यूरो की रिकॉर्डों के रखरखाव में विफलता के कारण अन्तर्राज्यीय अपराधों की जांच बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(च) क्या एन.सी.आर.बी. द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने अवहेलना की है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किये गये उत्तरदायित्वों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। फिंगर प्रिंट मैन्युअल विद्यमान

है और इसे 29 अगस्त, 2001 को अद्यतन तथा प्रकाशित किया गया है।

(ग) अपराधियों के फिंगर प्रिंट के रखरखाव, पता लगाने तथा मिलान करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से फिंगर प्रिंट अनैलसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम (एफ.ए.सी.टी.एस.) छः राज्यों नामतः दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, केरल में तथा एक केन्द्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो में स्थापित किया गया है।

(घ) और (ङ) 1999 में हुए फिंगर प्रिंट ब्यूरोक्स के छठे निदेशक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि गिरफ्तार व्यक्तियों जिन्हें एक वर्ष अथवा उससे अधिक का कठोरतम कारावास दिया जा सकता है उनके फिंर प्रिंट पर्चियों को दोष सिद्ध व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट पर्चियों के साथ फिंगर प्रिंट ब्यूरो के रिकार्ड में रखा जाएगा। सभी राज्यों के फिंगर प्रिंट ब्यूरो को गिरफ्तार व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट पर्चियों का रिकार्ड रखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के तहत केन्द्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो ने 6.9.1999 से, गिरफ्तार व्यक्तियों के फिंगर प्रिंटों के रिकार्ड को रखना प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पांडिचेरी और उड़ीसा जैसे राज्यों ने इसे कार्यान्वित कर दिया है। दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा अन्तर्राज्यीय रिकार्ड का रखरखाव भी किया जाता है जिसका राज्यों द्वारा अपने उन अपराधों की जांच पड़ताल में प्रयोग किया जा सकता है जिसमें अन्तर्राज्यीय अपराधी अन्तर्ग्रस्त होते हैं।

(च) जी नहीं, श्रीमान। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और राज्य फिंगर प्रिंट ब्यूरो पूर्ण सद्भावना से कार्य कर रहे हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस

2279. श्री रामदास आठवले :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिटी कोर्ट ने बलात्कार मामले की कार्रवाई में घोर दुर्व्यवहार का प्रदर्शन करने के कारण दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस के एक अधिकारी की एक बार फिर खिंचाई की है जैसाकि 23 अगस्त, 2002 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'कोर्ट पुलिस अप कॉप फॉर मिसहैन्डिलिंग रेप केस' शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान कोर्ट द्वारा दुर्व्यवहार के कारण दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की कितनी बार खिंचाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे सभी मामलों में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(च) 1.1.2002 से 10.11.2002 के दौरान जनप्रतिनिधियों से, विशेषकर दक्षिण-पश्चिम जिला के जनप्रतिनिधियों से, दिल्ली पुलिस को कितनी शिकायतें मिली है; और

(छ) दिल्ली पुलिस द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त को जमानत इसलिए दे दी गई क्योंकि पीड़ित महिला की यह शिकायत कि अभियुक्त ने उसका यौन उत्पीड़न किया है, जांच-पड़ताल अधिकारी द्वारा लिए गए बयान में रिकार्ड नहीं की गई थी।

(ग) दिल्ली पुलिस ने जांच-पड़ताल अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी है।

(घ) गत एक वर्ष के दौरान ऐसे 14 मामले (उपरिलिखित मामले सहित) हुए हैं जिनमें न्यायालयों ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी रिकार्ड की है।

(ङ) जांच-पड़ताल में न्यायालय द्वारा इंगित कमियों को दिल्ली पुलिस द्वारा भविष्य में अपने जांच अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु परिचालित किया गया है।

(च) और (छ) 1 जनवरी, 2002 से 31 अक्तूबर, 2002 तक की अवधि के दौरान, जन प्रतिनिधियों से दिल्ली पुलिस को 161 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक शिकायत दक्षिण-पश्चिम जिले से संबंधित थी। इन शिकायतों की जांच की गई और 6 शिकायतें सही पाई गई। दिल्ली पुलिस ने इन मामलों के संबंध में 2 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और 4 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध ''निन्दा'' दण्ड दिया है।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियां

2280. श्री अमर रायप्रधान : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों के भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी समझा जा रहा है और दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें बांग्लादेशियों के रूप में गिरफ्तार किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 2000, 2001 और 2002 (30.11.2002 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा इसे कितने भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बांग्लादेशियों के आग्रह पर भारतीय नागरिकों के उत्पीड़न के संदर्भ में कितने संसद सदस्यों ने लिखा है; और

(घ) भारतीय नागरिकों को इस तरह उत्पीड़ित किए जाने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान किए जाने के दौरान किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार नहीं किया है।

(ग) 1 जनवरी, 2000 से 15 नवम्बर, 2002 की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को संसद सदस्यों से 21 पत्र प्राप्त हुए जिनमें यह शिकायत की गई कि भारतीय नागरिकों को इस आड़ में उत्पीड़न किया जा रहा है कि वे बांग्लादेशी हैं। तथापि, जांच के दौरान ऐसी किसी भी शिकायत की पुष्टि नहीं हो सकी है।

(घ) अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस के पास एक अन्तर्निहित तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को उत्पीड़ित न किया जाये।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) द्वारा भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोग

2281. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में विभिन्न कोयला उत्पादक क्षेत्रों में महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा भूमि के अधिग्रहण के कारण कितने लोग विस्थापित हुए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में और कोयला खान क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए कोई कार्य योजना आरंभ की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रारंभ से (2.4.1992 से) उड़ीसा में विभिन्न कोयलाधारी क्षेत्रों में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि के अधिग्रहण के कारम 1364 परिवार विस्थापित हुए हैं।

(ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक व्यापक पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास नीति तैयार की है जिसका एम.सी.एल. सहित सी.आई.एल. की सभी सहायक कंपनियों में अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) ऊपर (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

शिक्षा के लिए धनराशि का आबंटन

2282. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर, 2002 के 'द हिन्दू' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत के रक्षा मंत्री ने बंगलौर में ''एजूकेशन हेड नेवर रिसीव्ड द प्रायरिटी इट डिजर्व्ड नो अदर कन्ट्री इन दी वर्ल्ड विल बी एज गिल्टी एज इंडिया ऑन दिस काउन्ट' नामक वक्तव्य दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस वक्तव्य पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त योजना में शिक्षा क्षेत्र को कितनी वरीयता दी गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) 'द हिन्दू' में कथित रूप से विचार सरकार के मत को नहीं दर्शाते। राष्ट्रीय मतैक्य से विकसित वर्ष 1992 में यथा-संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने एक व्यापक ढांचा निर्धारित किया है जो शैक्षिक विकास को उसकी समग्रता में दिशा

प्रदान करता है। इसकी सार्थकता अब भी बरकरार है और यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय अवधारणा में शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है और सर्वांगीण और शिक्षा में अवसर की समानता संबंधी मुद्दों के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से अनवरत रूप से व्यक्त होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों और इसकी कार्य-योजना के अनुरूप अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार एवं कार्यान्वित किया गया है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग) की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है।

सरकार ने शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है और शिक्षा हेतु आवंटनों को बढ़ाने का सतत प्रयास कर रही है। शिक्षा हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना में 43825 करोड़ रु. का योजनागत परिव्यय है। यह नौवीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित 24908.38 करोड़ रु. की तुलना में 75.94% की वृद्धि है। यह दर्शाता है कि संसाधनों की कमी तथा अन्य प्रतियोगी प्राथमिकताओं के बावजूद दसवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

चकमा जनजाति की नागरिकता

2283. श्री पी.सी. थामस : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में चकमा जनजाति की नागरिकता का मुद्दा सरकार के समक्ष लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। मामला विचाराधीन है।

(ग) से (ङ) जी हां, श्रीमान। नागरिकता के अलावा, उठाए गए अन्य मुद्दों, मूल सुविधाओं की बहाली, स्कूलों को पुनः खोलना, आंगनबाड़ी केन्द्र और चकमा बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र देने से संबंधित है। राज्य सरकार से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

विज्ञान शिक्षा के लिए अनुदान

2284. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से वर्ष 2002-2003 के लिए विज्ञान शिक्षा सुधार के लिए अनुदान बढ़ाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान और आज तक राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक राज्य को प्रदान की गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) "विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को बेहतर बनाना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के अनुसार निधियों की उपलब्धता की शर्त पर निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान अब तक छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक राज्य सरकारों को क्रमशः 108.60 लाख रु. तथा 500.00 लाख रु. की निधियां प्रदान की गई हैं। अनुदान की राशि बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की पाठ्यपुस्तकें

2285. प्रो. ए.के. प्रेमाजम :
डा. रामचन्द्र डोम :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया है कि वे पाठ्यपुस्तकों से आपत्तिजनक भागों को हटाने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो पाठ्यक्रम से आपत्तिजनक भागों को किस सीमा तक हटा दिया गया है;

(ग) क्या एन.सी.ई.आर.टी. ने उच्चतम न्यायालय को उन व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की है जिनसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने के कार्य में परामर्श लिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों और अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संज्ञान में आई गलतियों को परिषद ने दूर कर दिया है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने एक हजार से अधिक व्यक्तियों/संस्थाओं की एक विस्तृत सूची माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश की थी। इस सूची में शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, इतिहासकार, विशेषज्ञ/शिक्षक, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, राज्यों के शिक्षा मंत्री, इत्यादि शामिल हैं।

शिष्य और शिक्षक अनुपात

2286. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शिष्य/शिक्षक अनुपात क्रमशः 72 प्रतिशत और 96 प्रतिशत है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से वर्ष 2000-01 के दौरान प्राप्त विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में नामांकन आंकड़ों तथा शिक्षकों की संख्या के आधार पर संगणित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात निम्नानुसार हैं:

राज्य	विद्यालय			
	प्राथमिक	मिडिल	हाई	उच्चतर माध्यमिक
उत्तर प्रदेश	42:1	29:1	40:1	41:1
पश्चिम बंगाल	55:1	46:1	42:1	40:1

विद्यालयों अथवा वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना

2287. श्री ए. नरेन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यालय रहित बस्तियों के एक किलोमीटर के दायरे के भीतर विद्यालय अथवा वैकल्पिक विद्यालय स्थापित करने के एक कार्यक्रम की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य-वार कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो देश में राज्य-वार ऐसी किन-किन बस्तियों की पहचान की गयी है; और

(घ) इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां। 'शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा' नामक योजना, जो सर्व शिक्षा अभियान का एक घटक है, के अन्तर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 1 कि.मी. की परिधि के भीतर 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के न्यूनतम 15 बच्चों (अपवाद के मामले में 10 बच्चों) वाली बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों की स्थापना करना भी शामिल है।

(ख) से (घ) आवश्यक सर्वेक्षण करना संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है जो जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा योजना के तहत अब तक 1.07 लाख से अधिक केंद्रों को अनुमोदित कर दिया गया है। शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के घटकों हेतु अपेक्षित निधियों का परिमाण इस योजना के मानदण्डों के अनुरूप राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करना

2288. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने का

विचार कर रहा है जैसाकि दिनांक 10 नवम्बर, 2002 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू.जी.सी. ने इस संबंध में कोई विस्तृत योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्यार्थियों को कोर विषयों में निपुण और व्यावसायिक विषयों में कुशल बनाने के लिए उच्च शिक्षा में कौन-कौन से आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रस्ताव है कि एक मुक्त और लचीला शिक्षा दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि, छात्र डिग्री और इसके साथ उपयोगी कार्यक्रमों को एक साथ कर सकें। तदनुसार, छात्रों को इस बात की अनुमति दी जा सकती है कि वे डिग्री प्राप्त करने के साथ-साथ उच्च डिप्लोमा भी कर सकते हैं अथवा गहन व्यावसायिक विषय के अध्ययन के लिए एक और वर्ष के लिए अध्ययन कर सकते हैं तथा चौथे वर्ष के अंत में दो डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तीन वर्षीय अवर स्नातक पाठ्यक्रम संरचना को और अधिक लचीला बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है ताकि छात्रों को डिग्री के साथ-साथ उपयोगिता उन्मुख प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा कार्यक्रम एक साथ करने की अनुमति दी जा सके। चुनिन्दा विश्वविद्यालयों से अपने स्तर पर आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है ताकि छात्र या तो प्रथम या द्वितीय या तृतीय वर्ष या तीनों वर्षों में प्रत्येक वर्ष कौशल उन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर सकें।

[हिन्दी]

दिल्ली में आवंटित सरकारी भूमि का बाजार मूल्य

2289. श्री अखिलेश यादव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाओं को आबंटित सरकारी भूमि का बाजार मूल्य कितना है और सरकार को आबंटन मूल्य के अनुसार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): भूमि और विकास कार्यालय संस्थानों को भूमि का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरों पर करता है। इसी प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि उसके द्वारा भूमि का आवंटन केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि नियम 5.6 तथा 7 के तहत विनिर्दिष्ट कुछ श्रेणियों को छोड़कर डीडीए द्वारा विकसित की गयी सारी भूमि निर्धारित प्रीमियम पर नीलामी/टेंडरों के जरिए आवंटित की जानी होती है। नियम 5.6 तथा 7 के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का आवंटन समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर किया जाता है। गत तीन वर्षों में भूमि और विकास कार्यालय द्वारा भूमि के आवंटन में ली गयी प्रीमियम की कुल राशि 9746.38 लाख रुपये है। इसी प्रकार गत तीन वर्षों में नजूल नियमों के नियम 5, 6 तथा 7 के तहत किये गये भूमि आवंटनों के जरिए डी.डी.ए. को मिली कुल राशि 28913.83 लाख रुपये हैं।

शिक्षा के लिए सहायता

2290. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार को शिक्षा के लिए मंत्रालय के अलावा विदेशों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या-क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

क्रोमाइट खानों का बंद किया जाना

2291. श्री अनन्त नायक : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कितनी क्रोमाइट खानें हैं और इन खानों में श्रमिकों की अनुमानित स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ क्रोमाइट खानों को या तो बंद कर दिया गया है अथवा बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन खानों को बंद किए जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने के प्रस्ताव हैं जिससे कि श्रमिकों को रोजगार से हटाने के कार्य को बंद किया जा सके?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (घ) खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा में 21 क्रोमाइट खानें हैं और इन खानों में श्रमिकों की अनुमानित संख्या 5932 है। वर्किंग और नॉन-वर्किंग खानों का जिला-वार वितरण और उनके श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जिला	क्रोमाइट खानों की संख्या		श्रमिकों की अनुमानित संख्या
	वर्किंग	नॉन-वर्किंग	
धेनकनाल	2	1	545
जाजपुर	13	शून्य	4,602
क्योंझर	4	1	785
कुल	19	2	5,932

सूचित किया गया है कि ये खानें वन प्राधिकारियों के आदेशों तथा/अथवा श्रमिक समस्याओं के कारण नॉन-वर्किंग हैं। तथापि, भारतीय खान ब्यूरो को इनमें से किसी भी खान के परित्याग की सूचना नहीं मिली है।

बॉक्साइट का उत्पादन/मांग

2292. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में बॉक्साइट के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एल्यूमिनियम के विविध उपयोग को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान देश में बॉक्साइट की मांग और आपूर्ति कितनी है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जी हां। सरकार एल्यूमिनियम के न्यू इन्नोवेटिव उपयोगों के लिए खान विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान, जवाहर लाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर (जे.एन.ए.आर.डी.डी.सी.) के माध्यम से अनुसंधान को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में एल्यूमिनियम का उपयोग बढ़ाने के लिए एग्रेसिव प्रोमोशन के संबंध में उपयुक्त कदम उठाने हेतु एल्यूमिनियम उद्योग को प्रेरित किया है।

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में बॉक्साइट की मांग तथा आपूर्ति निम्नवत है:

(मात्रा हजार टन)

वर्ष	मांग	आपूर्ति
1999-2000	6935 (वास्तविक खपत)	7913
2000-2001	6985 (वास्तविक खपत)	8198

वर्ष 2001-02 के लिए आपूर्ति 9158 हजार टन है। तथापि, वर्ष 2001-02 के लिए मांग भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं है। चूंकि मांग की वार्षिक रूप से गणना की जाती है, इसको अभी एकत्र और संकलित किया जा रहा है।

महिलाओं के लिए प्रजनन रोधी टीका

2293. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.एम.आर. द्वारा वर्ष 1983 में शुरू किए गए महिलाओं के लिए प्रजनन रोधी टीके पर अनुसंधान के रूप में आरंभ किए गए मानव नैदानिक परीक्षण अंतिम चरण-3 में पहुंच गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चरण-1 और चरण-2 के अनुसंधान परीक्षणों से गुजर चुके टीके को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जैवप्रौद्योगिकी विभाग महिलाओं के लिए प्रजननरोधी टीके का विकास करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा अनुसंधान फाउंडेशन का वित्त पोषण कर रहा है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(छ) क्या भारत में किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं में बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा महिलाओं के लिए किसी प्रजननरोधी टीके का वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) वर्ष 1987 के पश्चात् जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए चरण-1 और चरण-2 नैदानिक परीक्षणों में कितनी महिलाओं ने भाग लिया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) और (ख) "प्रजनन नियंत्रण हेतु प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोण" परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एन.आई.आई.), नई दिल्ली द्वारा विकसित प्रजनन-रोधी टीके अर्थात् बी.एच.सी.जी. के अनुसंधान कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में मानव नैदानिक परीक्षण अभी तक चरण-3 में नहीं पहुंचे हैं। कैंडिडेट टीके ने चरण-1 और चरण-2 शुरू किए गए नैदानिक परीक्षण पूरे कर लिए हैं। नैदानिक आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण से कई ऐसे मूलभूत मामलों का पता चला है जिनका समाधान बड़े पैमाने पर जांचों को लेने से पहले अनुसंधान स्तर पर किया जाना है।

(ग) और (घ) चरण-1 और चरण-2 के परीक्षणों से गुजर चुके इस टीके पर इस समय आगे अध्ययन किए जा रहे हैं। गैर-बी-टी-सेल एपीटोपों का प्रयोग करके आनुवंशिक रूप से विजातीय मानव जनसंख्या में और मूलभूत प्रतिरक्षा-विज्ञान में इस टीके की प्रतिरक्षाजनत्व और निरंतरता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान कार्य इस समय एन.आई.आई. में चल रहा है।

(ङ) और (च) महिलाओं के लिए प्रजनन-रोधी टीके का विकास करने के लिए अभी तक किसी भी व्यक्ति या अनुसंधान फाऊंडेशन को किसी परियोजना का वित्तपोषण नहीं किया गया है।

(छ) और (ज) किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या अन्तर्राष्ट्रीय एजन्सियों द्वारा भारत में महिलाओं के लिए किसी प्रजनन-रोधी टीके के विकास हेतु वित्तपोषण नहीं किया जा रहा है।

(झ) 5 केन्द्रों पर आयोजित चरण-1 के नैदानिक परीक्षणों में कुल 140 स्वैच्छिक व्यक्तियों ने भाग लिया। चरण-2 के अन्तर्गत 3 केन्द्रों पर किए गए परीक्षणों में 110 मानव स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

[हिन्दी]

देश में खानें

2294. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थानवार कुल कितनी खानें हैं;

(ख) देश में कोयला खानों से प्रतिदिन कितने टन कोयला निकाला जाता है;

(ग) इन खानों में प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत व्यक्तियों की खानवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन खानों में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अर्थपूर्ण नीति तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) मेघालय को छोड़कर देश में, राज्य-वार खानों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	सी.आई.एल.	एस.सी.सी.एल.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	-	70	-	70
असम	6	-	-	6

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	56	–	1	57
जम्मू और कश्मीर	–	–	4	4
झारखण्ड	165	–	11	176
महाराष्ट्र	50	–	–	50
मध्य प्रदेश	78	–	–	78
उड़ीसा	22	–	–	22
उत्तर प्रदेश	3	–	–	3
पश्चिम बंगाल	97	–	2	99
सम्पूर्ण भारत	477	70	18	565

(ख) देश में कोयला खानों से औसत रूप में प्रति दिन होने वाले कोयला उत्खनन (उत्पादन) की मात्रा लगभग 898047 टन है।

(ग) दिनांक 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार सी.आई.एल. और एस.सी.सी.एल. में कम्पनी-वार नियोजित व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

कम्पनी	1.4.2002 को श्रमशक्ति
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1,19,723
भारत कोकिंग कोल लि.	1,08,043
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	74,887
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	75,005
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	94,073
महानदी कोलफील्ड्स लि.	22,216
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	17,212
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	3,930
सी.एम.पी.डी.आई.	3,485
कोल इंडिया लि. मुख्यालय	1,348
सी.आई.एल. का जोड़	5,19,922
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	99,442
सकल जोड़	6,19,364

सी.आई.एल. की सहायक कंपनियां अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करती हैं। तथापि, कुछ कामों के लिए ठेकेदारों को नियोजित किया जाता है जो बदले में अपने श्रमिकों को तैनात करते हैं। सी.आई.एल. की प्रत्येक सहायक कम्पनी तथा एस.सी.सी.एल. की कोयला खानों में विभिन्न कार्यों में ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है:

कम्पनी	ठेकेदारों के श्रमिकों की संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	3,952
भारत कोकिंग कोल लि.	1,244
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	7,000
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	3,301
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	13,255
महानदी कोलफील्ड्स लि.	6,754
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	5,774
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	3000

(घ) और (ङ) कोयला कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। कर्मचारियों और उनके परिवारों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे–आवास, जलापूर्ति, चिकित्सा सेवा तथा खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित शिक्षा

सुविधाएं। प्रबंधन और मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों वाले कल्याण बोर्ड इन गतिविधियों की देख-रेख के लिए शीर्ष स्तर पर सी.आई.एल. में तथा कम्पनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आई.सी.आई.सी.आई. और बायो-टैक पार्क

2295. **श्री के. येरननायडू : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आई.सी.आई.सी.आई. नॉलेज पार्क और बायोटैक पार्क के प्रबंधकों का विभिन्न नियमों और विनियमों के अन्तर्गत स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने की शक्तियां प्रत्यायोजित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ग) महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आई.सी.आई.सी.आई. नॉलेज पार्क और बायोटेक पार्क के प्रबंधकों को विभिन्न नियमों और विनियमों के अंतर्गत स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने की शक्तियां प्रत्यायोजित करने का अनुरोध नहीं किया था। औषधियों तथा फार्मास्यूटिकल्स एवं कृषि फसलों के बारे में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार को क्रमशः भारत के औषध महानियंत्रक (डी.सी.जी.(आई)), स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से सम्पर्क करना होगा। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जी.एम.ओ.) और पुनर्योगज डी.एन.ए. उत्पादों के मामले में स्वीकृति के लिए, राज्य सरकार को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाए गए नियम 1989 का पालन करना होगा। निर्णय लेने में लगने वाले समय में कमी करने तथा प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाने के उद्देश्य से अब संबंधित विभागों और एजेन्सियों द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, विनियामक स्वीकृति को सुविधाजनक बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग में आवेदनों की जांच हेतु सिंगल विंडो प्रणाली कार्य कर रही है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

2296. **श्री भीम दाहाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना के विशेष प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसके लिए अतिरिक्त धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आगंनवाड़ी केन्द्रों द्वारा कब तक कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है।

(रुपये लाखों में)

राज्य	बनाए जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	आबंटित कुल राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	300	375.00	187.50
असम	2350	2937.50	1468.75
मणिपुर	660	825.00	412.50
मेघालय	310	387.50	193.75
मिजोरम	200	250.00	125.00

1	2	3	4
नागालैंड	400	500.00	250.00
त्रिपुरा	520	650.00	325.00
सिक्किम	60	75.00	37.50
कुल	4800	6000.00	3000.00

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण का कार्य जनवरी, 2003 तक पूरा कर लें।

जोन ''सी'' में व्यापक विनिर्माण हेतु निर्धारित क्षेत्र

2297. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के लिए मास्टर प्लान का ब्यौरा क्या है जिसमें वर्तमान जोन ''सी'' में व्यापक निर्माण कार्य के लिए लगभग 410 एकड़ (162 हैक्टेयर) भूमि निर्धारित थी तथा ऐसे क्षेत्र की सीमाएं क्या हैं और इसमें कौन-कौन से मुख्य औद्योगिक क्षेत्र शामिल किए गए हैं; और

(ख) विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कितने हैक्टेयर/एकड़ भूमि आबंटित की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) दिल्ली मास्टर प्लान, 1962 के तहत 7 विभिन्न स्थानों पर कुल 3600 एकड़ भूमि, जिसमें आजादपुर रिंग रोड नार्थ (जोन-सी) में 410 एकड़ भूमि शामिल है, व्यापक उद्योगों के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित थी।

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान-1962 के तहत तत्कालीन प्रस्तावित व्यापक औद्योगिक क्षेत्र का ब्यौरा इस प्रकार है:

स्थान	एकड़
1. मार्शलिंग यार्ड के समीप ओखला के दक्षिण में	908
2. नजफगढ़ रोड क्षेत्र	369
3. रेवाड़ी रेलवे लाइन तथा नए औद्योगिक रोड के बीच	331
4. रोहतक रोड और रोहतक फ्लाई लाइन के बीच	194
5. रोहतक फ्लाई लाइन के उत्तर में	469
6. आजादपुर रिंग रोड नार्थ	410 (जोन-सी)
7. शाहदरा, नई रेलवे लाइन तथा नए राजमार्ग के बीच	919

जैव यूरिया का उत्पादन

2298. श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई विदेशी कंपनी/देश भारत में जैव यूरिया का उत्पादन करने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकीय युक्तियां प्रदान करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसी जैव-प्रौद्योगिकी युक्तियों का आविष्कार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) सरकार को विदेशी कंपनी/देश के

माध्यम से किसी जैव यूरिया उर्वरक और इसके प्रौद्योगिकीय उन्नयन की जानकारी नहीं है।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्यों का योगदान

2299. श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल से प्राप्त उपकर से पी.एम.जी.एस.वाई. कोष में सरकार द्वारा किये गये योगदान का ब्यौरा क्या है और इस योजना के आरंभ होने से इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): सरकार ने मोटर स्पिरिट (एम.एस.) और हाइस्पीड डीजल (एच.एस.डी.) की बिक्री पर एक रुपया प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया है जिससे प्राप्त मुनाफा केन्द्रीय सड़क कोष में जमा होगा। डीजल शुल्क से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सड़क कोष अधिनियम के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) की शुरूआत से आज तक निधियों की राज्यवार रिलीज संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

शुरूआत से आज तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रिलीज को दर्शाने वाला ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	(दिनांक 28.11.02 तक) रिलीज की गई राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	419.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.95
3.	असम	155.00
4.	बिहार	149.90
5.	छत्तीसगढ़	191.03
6.	गोवा	10.00
7.	गुजरात	119.81
8.	हरियाणा	55.18
9.	हिमाचल प्रदेश	132.36
10.	जम्मू व कश्मीर	20.00
11.	झारखंड	230.05
12.	कर्नाटक	208.94
13.	केरल	47.36
14.	मध्य प्रदेश	465.64
15.	महाराष्ट्र	264.71
16.	मणिपुर	80.00
17.	मेघालय	80.67
18.	मिजोरम	46.46
19.	नागालैंड	45.28
20.	उड़ीसा	354.70
21.	पंजाब	79.66
22.	राजस्थान	290.09
23.	सिक्किम	33.16
24.	तमिलनाडु	187.82
25.	त्रिपुरा	51.60
26.	उत्तर प्रदेश	669.22
27.	उत्तरांचल	130.63
28.	पश्चिम बंगाल	284.65
	कुल (राज्य)	4889.52
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	अंडमान व निकोबार	10.59
30.	दादरा व नगर हवेली	5.00
31.	दमन व दीव	5.00
32.	दिल्ली	5.00

1	2	3
33.	लक्षद्वीप	4.89
34.	पांडिचेरी	5.00
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	35.48
	कुल जोड़	4925.00

[हिन्दी]

विशेष बल

2300. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश पर परमाणु अथवा जैव-रसायन हमलों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक विशेष त्वरित कार्रवाई बल गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बल को कब तक गठित कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) नाभिकीय जैविक और रासायनिक संबंधी आपदाओं के दौरान संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों के वैज्ञानिकों/तकनीशियनों के सहयोग के लिए विशेषज्ञ हस्तक्षेप के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल की चार कम्पनियों को पूर्व निर्धारित करने, प्रशिक्षण देने, शस्त्रों से लैस करने और तैनात करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

जल निर्मल परियोजना

2301. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के एक शिष्टमंडल ने कर्नाटक राज्य का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल ने कितने जिलों का दौरा किया है;

(ग) विश्व बैंक दल द्वारा परियोजना निर्मल राज्य के विभिन्न जिलों में क्रियान्वित निर्मल नामक पेयजल और स्वच्छता परियोजना के संबंध में क्या मूल्यांकन किया गया है;

(घ) इन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी हां। जल निर्मल परियोजना के लिए विश्व बैंक परियोजना निर्माण मिशन ने वर्ष 2001 के दौरान कर्नाटक का दौरा किया। विश्व बैंक निरीक्षण मिशन ने हाल में अगस्त, 2002 में कर्नाटक का दौरा किया था।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने आठ जिलों का दौरा किया जिसमें जल निर्मल परियोजना के अंतर्गत छह जिले और क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत दो जिले शामिल हैं।

(ग) विश्व बैंक मिशन ने सूचना दी कि जल निर्मल परियोजना में शामिल होने के लिए ग्राम पंचायतों में जबरदस्त उत्साह था।

(घ) जल निर्मल परियोजना की गतिविधियां आरंभ हो गई हैं। प्रायोगिक बैच के 20 ग्राम पंचायतों में परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ हो गया है और 289 ग्राम पंचायतों का बैच योजना बनाने के चरण में है।

(ङ) से (छ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल निर्मल परियोजना का कार्यान्वयन चालू वर्ष से आरंभ हो गया है और प्रगति पर है। विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग छह वर्ष (2002-2007) की परियोजना अवधि के दौरान किया जाना है।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में समानता

2302. श्री मोहन रावले : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि भिन्न-भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में समानता लाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना (एस.एस.एस.पी.एस., 1980) के अंतर्गत केन्द्रीय राजस्व से पेंशन पा रहे स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन की राशि देशभर में एक समान है। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं के अंतर्गत अपने राज्य राजस्व से स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली राशि का संबंध है, इस प्रकार की सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार का इस संबंध में एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि राज्य पेंशन योजनाएं संबंधित राज्य सरकारें स्वयं बनाती है और पेंशन राज्य निधियों से वितरित की जाती है।

मणिमाजरा में कन्या महाविद्यालय

2303. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिमाजरा, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कन्या महाविद्यालय की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) चंडीगढ़ संघ राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार मणिमाजरा, चंडीगढ़ में छात्रा कालेज की जरूरत महसूस नहीं की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

2304. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत राज्य-वार कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये जा रहे जिलों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ राज्यों में पूर्व सूखा प्रवण क्षेत्रों तक सिंचाई परियोजना पहुंची है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे क्षेत्रों जिन्हें हाल ही में सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम हेतु आवश्यकता की कोई समीक्षा की गई है; और

(च) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत शामिल किये गए जिलों की संख्या की समीक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत 16 राज्यों में 181 जिलों को शामिल किया गया है। राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है:

आन्ध्र प्रदेश (11), बिहार (6), छत्तीसगढ़ (8), गुजरात (14), हिमाचल प्रदेश (3), जम्मू एवं कश्मीर (2), झारखण्ड (14), कर्नाटक (15), मध्य प्रदेश (23), महाराष्ट्र (25), उड़ीसा (8), राजस्थान (11), तमिलनाडु (15), उत्तर प्रदेश (15), उत्तरांचल (7), पश्चिम बंगाल (4)।

(ख) से (च) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या की समीक्षा करने या इसमें कमी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन, पशुधन, भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। कार्यक्रम के कार्यकलापों को लगभग 500 हैक्टेयर के प्रत्येक वाटरशेड तक सीमित रखा गया है। राज्यों द्वारा वाटरशेडों का चयन जल की उपलब्धता सहित बहुत से तत्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के लिए लागू वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त-2001 के अनुसार सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं पहले से ही आवश्यकता पर आधारित हैं, जिनका मूल उद्देश्य भूमि की उत्पादकता, स्थल स्थिति तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूखा प्रवण क्षेत्रों को विकसित करना है।

विज्ञान परिसर की स्थापना

2305. श्री एम.के. सुब्बा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार गुवाहाटी में एक विज्ञान परिसर की स्थापना हेतु असम साइंस सोसाइटी की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है और राज्य में अन्य परियोजनाओं की स्थापना के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और केन्द्र सरकार की इसमें कितनी भागीदारी है; और

(घ) परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी, नहीं। सरकार ने गुवाहाटी में विज्ञान परिसर की स्थापना को स्वीकृत नहीं किया है। हालांकि असम साईस सोसाइटी वहां एक विज्ञान परिसर की स्थापना कर रही है जिसके लिए डा. मनमोहन सिंह, सांसद राज्य सभा ने अपनी एम.पी.एल.ए.डी. निधि से योगदान दिया है।

(ख) से (घ) लागू नहीं होते।

दिल्ली विश्वविद्यालयों में प्राचार्यों और व्याख्याताओं की नियुक्ति

2306. श्रीमती प्रभा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राचार्यों और व्याख्याताओं की नियुक्ति से संबंधित अध्यादेश में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप नहीं पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में इसकी समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने दिनांक 8.7.2002 को आयोजित अपनी बैठक में विश्वविद्यालय के कॉलेजों में लेक्चररों और प्रधानाचार्यों के लिए चयन समिति के गठन के संबंध में विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में संशोधन पारित किये थे। इन संशोधनों की जांच करने पर यह देखा गया कि ये संशोधन चयन समितियों के गठन से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुरूप नहीं हैं इसलिए विजिटर ने इन संशोधनों के प्रवर्तन को स्थगित कर दिया है।

[हिन्दी]

विद्यालयों में सुविधाएं

2307. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1993 में कराये गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों में विद्यालय के अपने भवन, खेल परिसर और पुस्तकालय इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, 1993 के अनुसार 4.2% प्राथमिक स्कूल तथा 1.96% उच्च प्राथमिक स्कूल खुले में या तंबुओं में तथा 12.1% प्राथमिक स्कूल और 7.2% उच्च प्राथमिक स्कूल कच्चे भवन या छप्परों में चल रहे थे। इसके अलावा, 45.8% प्राथमिक स्कूलों तथा 36.5% उच्च प्राथमिक स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं थी तथा 89% प्राथमिक स्कूलों एवं 70.1% उच्च प्राथमिक स्कूलों में शौचालय नहीं थे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत नया स्कूल भवन, अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष, शौचालय तथा पेयजल सुविधा सहित स्कूली सुविधाओं में सुधार के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस द्वारा पुराने वाहनों के बदले नए वाहन खरीदना

2308. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस को पुराने वाहनों के बदले नए वाहन खरीदने हेतु वित्त मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने में बहुत अत्यधिक समय लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में औसत कितना समय लिया जा रहा है;

(ग) क्या पुलिस आयुक्त इन वाहनों की खरीद के लिए अधिकृत नहीं है जबकि अन्य सभी विभागाध्यक्ष इसके लिए अधिकृत हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार नए वाहनों की खरीद हेतु पुलिस आयुक्त को अधिकृत करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। यदि बदले जाने वाले वाहन को, निर्धारित मानदण्डों के अनुसार "बेकार" घोषित कर दिया जाता है तो पुराने वाहनों के बदले नए वाहन खरीदने हेतु वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है।

(ग) और (घ) दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पुराने वाहन के बदले में 2 लाख रु. तक की लागत का नया वाहन खरीदने की शक्तियां प्राप्त है बशर्ते वाहन को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार "बेकार" घोषित किया गया है। और इसकी कीमत 2 लाख रु. से अधिक न हो।

(ङ) से (छ) दिल्ली पुलिस के वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा गठित एक नीति नियोजन ग्रुप ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त को प्रत्येक मामले में 5 लाख रु. तक की वित्त सीमा तक, पुराने वाहनों के बदले नए वाहन खरीदने की शक्तियां प्रदान की जाये।

फार्म हाऊस

2309. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 26.2.2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 18 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाग (ग) के संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाले फार्म हाऊसों के ब्यौरों की सूची जिनके गांव का नाम, स्वीकृत फार्म हाऊसों की संख्या, निर्मित फार्म हाऊसों की संख्या और उन फार्म हाऊसों की संख्या जहां 28.3.2002 की अनधिकृत निर्माण है, विवरण-I में दी गई है। सभी 407 अधिकृत (उन फार्म हाऊसों को मिलाकर जहां कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं हैं)/अधिकृत फार्म हाऊस जिनका 28.3.2002 को डीडीए के विकासपरक क्षेत्र में सर्वेक्षण किए गए उन फार्म हाऊसों की ग्राम-वार सूची विवरण-II में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाले फार्म हाऊसों का ब्यौरा

क्र.सं.	गांव का नाम	मंजूर किए गए फार्म हाउसों की सं.	मौजूदा या निर्मित फार्म हाउसों की सं.	अनधिकृत निर्माण वाले फार्म हाऊसों की सं.	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	असोला	117	107	65	
2.	छतरपुर	121	67	48	

1	2	3	4	5	6
3.	सतबाडी	55	49	41	
4.	फतेहपुरबेरी	105	98	51	
5.	डेरा मंडी	181	107	91	
6.	जोनापुर	221	122	33	
7.	भट्टी	36	23	12	
8.	सुल्तानपुर	144	83	74	
9.	महरौली	183	62	55	
10.	चंदन हौला	18	11	10	
11.	गदईपुर	135	67	52	
12.	मैदानगढ़ी	2	2	2	
13.	घिटोरनी	90	84	83	
14.	विजवासन	135	131	129	
15.	कापसहेड़ा	49	49	47	
16.	समलखा	45	41	41	
17.	किशनगढ़	6	5	4	
18.	रजोकरी	122	113	109	
19.	घेवड़ा	14	14	14	
20.	छावला	55	52	51	
21.	रेवलाखानपुर	47	42	38	
22.	पपरावत	28	28	25	
23.	छिछांव कलां	15	14	12	
24.	झाटीकरा	17	13	11	
25.	कंगनहेड़ी	23	22	21	
26.	आया नगर	19	1	1	
27.	दिनदार पुर	9	8	8	
28.	सलाहपुर	14	4	4	

1	2	3	4	5	6
29.	पींडवाला खुर्द/कलां	13	11	11	
30.	भरथल	15	15	1	
31.	गुमानहेड़ा	1	–	–	
32.	हिरनकुदमा	5	3	3	
33.	बक्कारगढ़	10	8	6	
34.	बादूसराय	10	–	–	
35.	तिलंग कोटला	2	–	–	
36.	सुल्तानपुरी	1	–	–	
37.	उजवा	4	–	–	
38.	बरपोला	13	1	1	
39.	आदमपुर पट्टी	1	1	–	
40.	पंजाब खोर	2	–	–	
41.	पालम	1	1	–	
42.	रंगपुरी	34	31	2	
43.	टिकरी कला	4	2	2	
44.	अकबरपुर	5	4	4	
45.	मितरॉव	11	10	8	
46.	अकबर माजरा	5	–	–	
47.	मुंदेला खुर्द	2	–	–	
48.	पुष्पांजलि	1	–	–	
49.	नसीरपुर	4	4	–	
50.	झड़ोदा	2	2	2	
51.	पोछनपुर	1	1	–	
52.	नीलवाल	2	1	–	
53.	सहिबाबाद	9	–	–	
54.	मलिकपुर	2	–	–	

1	2	3	4	5	6
55.	असलतपुर	2	–	–	
56.	नांगलोई	1	1	–	
57.	मुंडका	1	1	1	
58.	राधोपुर	9	–	–	
59.	धूल सिरास	3	–	–	
60.	मोहम्मदपुर	7	3	3	
61.	कैर	1	–	–	
62.	मल्हार बंद	1	–	–	
63.	बमनौली	23	2	1	
64.	मंगोलपुर	1	1	1	
65.	नीलोठी	10	7	3	
66.	रोलाखुर्द	2	–	–	
67.	जफरपुर	3	–	–	
68.	रनहौला	7	–	–	
69.	धनसा	2	1	–	
70.	ईसापुर	2	2	2	
71.	मसूदपुर	4	–	–	
72.	असलतपुर	2	–	–	
73.	कमरूद्दीन	1	–	–	
74.	हिरनकी	47	27	17	
75.	बकौली	14	4	3	
76.	मखमैलपुर	5	–	–	
77.	बख्तावरपुर	57	29	15	
78.	हमीदपुर	21	7	6	
79.	सिंधू	1	–	–	
80.	बवाना	6	3	3	

1	2	3	4	5	6
81.	कुतुबगढ़	–	–	–	
82.	कंझवाला	7	3	2	
83.	कादीपुर	7	1	1	
84.	औछंदी	2	1	1	
85.	अलीपुर	12	4	1	
86.	सिंगोला	32	27	12	
87.	जिंदपुर	14	1	–	
88.	जंगोला	5	1	–	
89.	सनौथ	16	3	2	
90.	खामपुर	1	–	–	
91.	ममूरपुर	5	–	–	
92.	मोहम्मदपुर माजरा	11	2	–	
93.	नांगल ठाकरन	4	–	–	
94.	वाजिदपुर	4	–	–	
95.	पुथखुर्द	3	–	–	
96.	रानी खेड़ा	2	–	–	
97.	रसूलपुर	1	–	–	
98.	रसूलपुर	1	–	–	
99.	सिरसपुर	2	–	–	
100.	निजामपुर	6	1	1	
101.	दौलतपुर	5	–	–	
102.	शाहबाद दौलतपुर	3	–	–	
103.	चांद पुर	2	–	–	
104.	बुद्धपुर	6	–	–	

1	2	3	4	5	6
105.	ज्यौंति	2	1	1	
106.	टिकरीखुर्द	1	–	–	
107.	बड़वाला	6	1	1	
108.	होलम्बी कलां	2	–	1	
109.	लामपुर	10	1	1	
110.	ताजपुर खुर्द	5	–	–	
111.	जाटकोर	1	–	–	
112.	मंगेशपुर	3	–	–	
113.	पुथ खुर्द	7	3	3	
114.	लादपुर	5	–	–	
115.	कटेवाड़ा	2	2	2	
116.	पंसली	1	1	1	
117.	मदनपुर डबास	2	–	–	
118.	पहलादपुर	2	–	–	
119.	लिबासपुर	2	–	–	
120.	राजापुर	1	–	–	
121.	दरियापुर	4	1	1	
122.	कटेवाड़ा	3	1	2	
123.	भलस्वा	2	–	–	
124.	पल्ला	4	–	–	
125.	खादीपुर	2	2	1	
126.	सरूपनगर	1	1	–	
127.	मुकंदपुर	1	1	–	
128.	मखमैलपुर	4	4	4	

1	2	3	4	5	6
129.	इब्राहिमपुर	1	1	1	
130.	गढ़ीखुसरो	11	1	1	
131.	अम्बाहेड़ी	1	–	–	
132.	सौरपुर	21	16	–	
133.	शालीपुर गढ़ी	1	1	–	
	कुल	2658	1684	1266	

नोट: 1. 600 फार्म हाउस ऐसे हैं जो स्वीकृति प्राप्त हैं परन्तु इनमें कोई निर्माण नहीं हुआ है।

2. दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में स्वीकृत कुल फार्म हाउस = 1684 + 600) = 2284

3. विकास क्षेत्र में फार्म हाउसों की संख्या = (2658 – 2284) = 2374

विवरण-II

दिल्ली विकास प्राधिकरण

ग्राम-वार ब्यौरे के अनुसार फार्म हाउसों की संख्या दर्शाती समेकित सारणी

क्र.सं.	विकास क्षेत्र/ग्राम	सर्वे किये गये फार्म हाउसों की कुल सं.	अधिकृत (उन फार्म हाऊस) सहित जहां कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है)	अनधिकृत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	171/172	बमनौली	43	20	23
2.		भरथल	12	16	6
3.		बिजवासन (पार्ट)	6	2	4
4.		पोचनपुर	3	1	2
	कुल		64	29	35
5.	175	होलम्बी कलां	82	50	32
6.		होलम्बी खुर्द	45	31	14
7.		भोरगढ़	7	5	2
8.		अलीपुर	24	23	1
9.		खेरा कला	21	11	10

1	2	3	4	5	6
10.		खेरा खुर्द	12	11	1
11.		नरेला	8	4	4
12.		इरादत	12	12	0
		नगर/नयाबांस	211	147	64
13.		कुल	40	17	23
14.	176	रंगपुर (पार्ट)	51	11	40
15.		रजोकरी (पार्ट)	17	2	15
16.		समालखा (पार्ट)	12	2	10
17.		किशनगढ़ (पार्ट)	12	1	11
		सुलतानपुर (पार्ट)	132	33	99
		कुल सकल योग	407	209	198

फार्म हाऊस

2310. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुल्तानपुर, छतरपुर जैसे दिल्ली के गांवों में फार्म हाऊसों की संख्या कितनी है और राजस्व रिकार्डों के अनुसार फार्म हाऊसों के मालिकों के नाम और पते, खसरा संख्या और क्षेत्रफल क्या हैं; और

(ख) इन गांवों में गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु कृषि भूमि का दुरूपयोग करने वाले फार्म हाऊसों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोसाइटियों को संस्थागत भूमि का आवंटम

2311. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997 के बाद डीडीए द्वारा किन-किन सोसाइटियों को संस्थागत भूमि का आवंटन किया गया है, किस तारीख को प्रायोजित की गई है और प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा कितने क्षेत्रफल की भूमि की सिफारिश की गई है तथा डीडीए द्वारा कितने क्षेत्रफल भूमि आवंटित की गई है और किस तिथि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या इनमें से कुछ सोसाइटियों को वर्ष 1997 के पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थागत भूमि का आवंटन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में ऐसे आवंटनों की तारीख सहित आवंटित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) जनवरी, 1997 के पश्चात सरकार द्वारा कौन-कौन सी सोसाइटियों को प्रायोजित किया गया है लेकिन डीडीए द्वारा आवंटन नहीं किया गया है तथा आवंटन न किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा प्रत्येक मामलों में सिफारिश की गई तारीख/क्षेत्र क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रायोजन तिथि के आधार पर वरिष्ठता पर आवंटन नहीं किया है; और

(च) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन के लिये लंबे समय से इंतजार कर रही वरिष्ठ सोसाइटियों के बाद सिफारिश की गई सोसाइटियों को भूमि आवंटन करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

यूनिसेफ से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2312. श्री राजो सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिसेफ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को बिहार में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार परियोजना की क्या स्थिति है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) यूनीसेफ द्वारा बिहार सरकार को निम्नलिखित कार्यक्रम क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है:

मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल

प्राथमिक शिक्षा

सुरक्षित पेयजल और पर्यावरणीय स्वच्छता

बाल विकास एवं पोषाहार

महिला विकास एवं सशक्तिकरण

बाल संरक्षण संबंधी मुद्दों सहित बाल अधिकार समझौते का संवर्द्धन

परियोजनाओं का ब्यौरा एवं स्थिति नीचे दी गई है:

स्वास्थ्य : यूनीसेफ ने बिहार में उच्च जोखिम वाले ब्लॉकों में पोलियो उन्मूलन हेतु समुदायों का सामाजिक संघटन करने तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री प्रदान करने में बिहार सरकार की सहायता की है। कोल्ड चेन प्रणाली स्थापित की गई है। कोल्ड चेन संचालकों को इलैक्ट्रिकल एवं गैर-इलैक्ट्रिकल, दोनों प्रकार की कोल्ड चेन प्रणाली के अनुरक्षण हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

शिक्षा : यूनीसेफ ने बिहार में कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान की है:

बिहार शिक्षा परियोजना,

प्रारंभिक शिक्षा विकास हेतु राज्य कार्यक्रम (स्पीड)

इसके अतिरिक्त, यूनीसेफ राज्य शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को सहायता प्रदान कर रहा है।

बाल विकास एवं पोषाहार कार्यक्रम

यूनीसेफ ने राज्य सरकार को विशेषकर क्षमता निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान की। यूनीसेफ ने राज्य आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्य बल, पोषाहार कार्य बल एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास राज्य समन्वयन समितियों को सुदृढ़ करने के राज्य सरकार के प्रयासों में भी सहायता प्रदान की। यूनीसेफ ने 9 माह से 5 वर्ष की आयु के 1 करोड़ 30 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाने वाले राज्य-व्यापी विटामिन 'ए' अनुपूरण अभियानों में भी सहायता प्रदान की। पांच जिलों में स्कूल जाने वाली किशोरियों हेतु पोषाहारीय रक्ताल्पता नियंत्रण परियोजना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही है।

समुदाय संकेन्द्रित कार्रवाई के अंतर्गत पश्चिम चम्पारण एवं गया में महिला दलों के महिला संघ बनाए गए हैं।

जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम

वर्ष 1998 के अंत तक ऐसी 2522 दुर्गम बस्तियों में कम-से-कम एक जल-स्रोत उपलब्ध कराया गया है, जहां कोई भी जल-स्रोत उपलब्ध नहीं था।

बाल श्रम

यूनीसेफ सहायता-प्राप्त बाल श्रम परियोजनाओं का प्रमुख नीतिगत परिणाम प्रशिक्षण प्रदान करने, सरकार को सलाह देने हेतु राज्य बाल श्रम आयोग की स्थापना करना था।

हेल्पलाइनें स्थापित की गई हैं, जिन्होंने शिकायतों के निवारणार्थ कानूनी, चिकित्सकीय एवं परामर्श स्रोतों को संघटित किया है तथा पुलिस सहायता मुहैया कराई है।

महिलाओं के साथ हिंसा, विशेषकर घरेलू हिंसा से निपटने हेतु सामुदायिक भागीदारी से सरकार के भीतर तंत्र की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की गई।

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. के होटलों की पुन: बिक्री

2313. श्री नरेश पुगलिया: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे विनिवेशित होटलों की संख्या कितनी है जिन्हें उनके खरीददारों द्वारा अन्य पक्षों को पुन: बेच दिया गया है;

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के होटलों की पुन: बिक्री के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बिक्री समझौते में एक खंड को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि आई.टी.डी.सी. के होटलों के खरीददार कल्पित विशिष्ट अवधि के लिए इनकी पुन: बिक्री नहीं करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत पर्यटन विकास निगम की कोई भी विनिवेशित होटल परिसम्पत्तियां उनके क्रेताओं द्वारा फिर से बेची नहीं गई हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) होटल अशोक बंगलौर, जिसे दीर्घकालिक पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबंध पर दिया गया है, के मामले को छोड़कर, अन्य 18 परिस्पत्तियों में सरकार/भारत पर्यटन विकास निगम की शत-प्रतिशत शेयरधारिता, संबंधित क्रेताओं को बेच दी गई है। शेयर खरीद करार, क्रेताओं को शेयरों की पुन: बिक्री से नहीं रोकते हैं। चूंकि सरकार इन परिसम्पत्तियों में अपनी शत-प्रतिशत शेयरधारिता को बेच रही थी, अत: कोई भी प्रतिबन्धात्मक शर्त सरकार को प्राप्त होने वाले मूल्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती थी। तथापि, करारों में यह शर्त लगाई गई है कि क्रेता भूमि का उपयोग केवल शहर/क्षेत्र पर लागू मास्टर प्लान के अनुसार ही कर सकते हैं। इसके अलावा, होटल अशोक, बंगलौर, होटल एयर पोर्ट अशोक, कोलकाता और कुतुब होटल, लोधी होटल, होटल कनिष्क, होटल इन्द्रप्रस्थ, होटल रणजीत, नई दिल्ली और चण्डीगढ़ परियोजना, जहां भूमि संबंधित प्राधिकरणों नामत: भारत विमान पत्तन प्राधिकरण, शहरी विकास विभाग (भूमि एवं विकास कार्यालय) और चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा पट्टे पर दी गई है, परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के लिए पट्टाधारक की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। संबंधित एजेसियों के मानक उपबन्धों के आधार पर लगाए गए इस प्रकार के प्रतिबंध पट्टे पर दी गई भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों पर लागू होंगे।

मशीनों की उपयोगिता क्षमता

2314. श्री अधीर चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरीदाबाद और नासिक के मुद्रण प्राधिकारी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) के समक्ष मशीनों नामत: उच्च गति कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम गिलोटीन काटने वाली मशीनों की उपयोगिता क्षमता को प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं;

(ख) क्या इन मशीनों की खरीद पर खर्च की गई 18.38 लाख रुपए की धनराशि व्यर्थ चली गई थी;

(ग) क्या उक्त मशीनों का परिचालन करने हेतु भर्ती किए गये कर्मचारी को बिना कार्य के भुगतान किया गया है; और

(घ) उक्त मशीनों की खरीद के क्या औचित्य हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) ऑडिट दल को उपयोगिता क्षमता से संबंधित सूचना मुहैया नहीं करायी जा सकी क्योंकि प्रैसों में इस प्रकार की सहायक मशीनों की आकलिक क्षमता नियत नहीं की जाती है। केवल मुख्य मुद्रण मशीनों के मामले में आकलित क्षमता नियत होती है और उपयोगिता क्षमता की जांच की जाती है। ऑडिट को इस बारे में दिनांक 7.8.2001 को अवगत करा दिया गया है। ऑडिट से उसके बाद कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त हुयी है।

(ख) से (घ) कथित मशीनें किसी भी प्रिंटिंग प्रैस के लिए आवश्यक सहायक उपकरण हैं और प्रैसों में स्थापना के समय से ही यह उपयोग में हैं। इसी प्रकार इन मशीनों को चलाने के लिए किसी विशेष कर्मचारी दल की भर्ती नहीं की गयी और प्रैस के नियमित बाइंडिंग स्टाफ द्वारा ही यह काम किया जाता है।

गांवों में हैंडपंप/नलकूप लगाना

2315. श्री रामजी मांझी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा 13 राज्यों में 2002 (सिविल) की अपनी रिपोर्ट सं. 3 से पृष्ठ 114 में रिकार्डों की कराई गई नमूना जांच से यह पता चला है कि 85301 हैंडपंप, 80046 नलकूप, 752 पाइप योजनाएं, 687 पावर पम्प, 1268 लघु जल योजनाएं और 35 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं जिनमें 369.20 करोड़ रुपये धनराशि का कुल निवेश अंतर्ग्रस्त है, न तो कार्य कर रही थीं और न ही परिचालन में थी;

(ख) क्या मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार लगाए गए 37,57,862 हैंडपंपों में से 85854 हैंडपंप कार्य नहीं कर रहे थे;

(ग) क्या भारी संख्या में ऐसे जल प्रदान करने वाले उपकरणों के खराब होने के कारणों की जांच कराई गई है और लोगों को पेयजल की उचित आपूर्ति हेतु इन्हें पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इससे क्या निष्कर्ष निकले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (घ) वर्ष 2002 के लिए सी. एंड ए.जी. की रिपोर्ट सं. 3 के अध्याय-III के पैरा 7 (मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए) में अन्य बातों के साथ-साथ यह देखा गया है कि मार्च, 2001 तक लगाए गए 37,57,862 हैंडपम्पों में से 3,85,854 हैंडपम्प काम नहीं कर रहे थे। रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 13 राज्यों में रिकार्डों के नमूना जांच से यह भी पता चला है कि 369.20 करोड़ रु. के कुल निवेश से 85301 हैंडपम्प, 80,046 टयूबवैल, 752 पाइप जल आपूर्ति योजनाएं, 687 पावर पम्प, 1,268 छोटी जल योजनाएं तथा 35 आर.डब्ल्यू.एस.एस. बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी अथवा विभिन्न कारणों की वजह से चालू नहीं थी जैसे कि स्रोतों का सूख जाना, कलपुर्जों का खराब हो जाना, जल के स्तर का नीचे चला जाना, बोरवैलों को भरना, पाइपों में रुकावट आ जाना, पम्पिंग मशीन तथा वितरण प्रणाली का खराब हो जाना, स्थानीय निकायों द्वारा खराब रख-रखाव तथा स्रोतों का चयन करने के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को न अपनाना आदि।

पेय जल आपूर्ति राज्य विषय होने के कारण पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने की योजनाएं राज्यों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को बनाने, मंजूर और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं।

सी. एंड ए.जी. रिपोर्ट में निहित अधिकांश टिप्पणियां राज्य विशिष्ट हैं तथा इसलिए इन पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारों को उनसे संबंधित टिप्पणियों पर अपनी राय भेजने के लिए पहले ही आग्रह कर दिया गया है।

मुद्रण कागज का अनुप्रयुक्त भंडार

2316. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार टेम्पल, स्ट्रीन, संत्रगाथी, निलोखेड़ी, फरीदाबाद (पीएसयू) और भुवनेश्वर स्थित सरकारी मुद्रणालयों में 22.05 लाख रुपये के मुद्रण कागज जिसे 1.4.1996 के पहले खरीदा गया था, का अनुप्रयुक्त भंडार है;

(ख) क्या कैग ने अपनी टिप्पणी में रिकार्ड किया है इसमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि और मुद्रण कागज की गुणवत्ता खराब होने के कारण ब्याज का भारी घाटा हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) लेखा परीक्षा संबंधी एक विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि 1.4.1996 से पूर्व खरीदे गए 22.05 लाख रु. मूल्य का मुद्रण कागज (प्रिंटिंग पेपर) अनुप्रयुक्त पड़ा हुआ था। इसने इस बात का भी उल्लेख किया था कि इसमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि के कारण ब्याज का घाटा हुआ है और मुद्रण कागज की गुणवत्ता में भी काफी गिरावट आ गई है।

मुद्रणालयों के लिए कागज मुख्य/मूल कच्ची सामग्री है और प्रत्येक मुद्रणालय को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए विभिन्न किस्मों के कागज का भण्डार रखना पड़ता है। उल्लिखित कागज का भण्डार अधिक नहीं है जब हम इसकी तुलना लगभग 30 करोड़ रु. मूल के कागज की वार्षिक खपत से करते हैं। इसके अलावा, कागज के इस भण्डार का उपयोग किया जा रहा है और कागज ने अपनी गुणवत्ता एवं उपयोगिता खोई नहीं है। लेखा परीक्षा को स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

सी.एस.एल. और एच.एस.एल. का विनिवेश

2317. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश आयोग ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सी.एस.एल.) का कम से कम 51 प्रतिशत विनिवेश करने और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच.एस.एम.) के 100 प्रतिशत निजीकरण करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। विनिवेश आयोग ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में कम-से-कम 51 प्रतिशत इक्विटी का और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में सरकार की समस्त शेयरधारिता का विनिवेश करने की सिफारिश की है। सरकार को आयोग की सिफारिश पर अभी निर्णय लेना है।

गरीबी उपशमन कार्यक्रम

2318. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किए गए विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में किसी खामियों पर ध्यान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किए गए गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का मध्यावधि मूल्यांकन किया। इस मध्यावधि मूल्यांकन ने सुझाव दिया कि नौवीं योजना में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के समानुपात और संख्या में कमी के अनुमान योजनावधि के प्रथम दो वर्षों में अनुभव नहीं किए गए है।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछ मामलों में अयोग्य लाभार्थियों द्वारा उठाए गए लाभ, परियोजनाओं को पूरा होने में विलम्ब, कार्यान्वयन प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं की अपर्याप्त भागीदारी और कुछ मामलों में कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाना मुख्य खामियां हैं।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर दबाव डालता रहा है। योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने और गरीबों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक चार सूत्री कार्यनीति अपनाई गई है जिसमें (1) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (2) पारदर्शिता, (3) लोगों की साझेदारी और (4) ग्राम सभाओं के माध्यम से उत्तरदायित्व-सामाजिक लेखा परीक्षा शामिल हैं।

काम के बदले अनाज

2319. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-02 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और अन्य दक्षिणी राज्यों को कितनी परिमाण में चावल का वितरण किया गया है;

(ख) कितने लोगों के लाभान्वित होने की आशा थी और एक वर्ष के अंदर कितना कार्य पूरा किया जाएगा;

(ग) क्या इन तथ्यों को सत्यापित किया गया है कि चावल का उचित वितरण किया गया था और कार्य पूरे हो गए थे;

(घ) क्या चावल के वितरण और कार्य के पूरा होने में अनियमितता सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) वर्ष 2001-02 के दौरान, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 16,50,000 मीट्रिक टन (चावल), कर्नाटक को 1,00,000 मीट्रिक टन (57,460 मीट्रिक टन चावल और 42540 मीट्रिक टन गेहूं) और केरल को 5000 मीट्रिक टन (चावल) खाद्यान्न रिलीज किए गए थे।

(ख) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए सृजित रोजगार के श्रमदिवस के रूप में लाभ को मापा जाता है। राज्य से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2001-02 के दौरान आंध्र

प्रदेश में 1982.48 लाख श्रमदिवस सृजित किए गए थे। केरल और कर्नाटक राज्य सरकारों ने रोजगार सृजन के संदर्भ में प्रगति की रिपोर्ट नहीं दी।

(ग) इन राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आबंटित खाद्यान्न राज्य सरकारों द्वारा उठा लिए गये थे और उपयोग कर लिए गए थे।

(घ) और (ङ) केरल के मामले में, भारी वर्षा से प्रभावित लोगों के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 5000 टन चावल आबंटित किया गया था। भारी वर्षा के कारण बिना कार्य शुरू किए ही खाद्यान्नों का मुफ्त वितरण प्रभावित लोगों के बीच कर दिया गया था, जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के अनुसार नहीं था। इस मामले को केरल राज्य सरकार को भेज दिया गया है, ताकि कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्नों को नियमित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। आंध्र प्रदेश के मामले में कुछ शिकायतें इस मंत्रालय को प्राप्त होने के साथ-साथ काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्नों के दुरूपयोग के संबंध में कुछ प्रेस रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। ये शिकायतें उपयुक्त और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि 155 सरकारी कर्मचारी, 6 सरपंच, 56 राइस मिल मालिक, 94 उचित मूल्य दुकानदार और 73 ट्रांसपोर्टर अनियमितताओं में शामिल पाए गए थे। राज्य सरकार ने इन दोषी कर्मचारियों/लोगों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है।

निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस में साइक्लोट्रान और पी.ई.टी. स्कैन की स्थापना

2320. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 'बार्क' के परामर्श से डी.एस.टी. ने दक्षिण राज्यों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक साइक्लोट्रॉन और पी.ई.टी. स्कैन की स्थापना हेतु निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक स्थल की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त परियोजना डी.एस.टी. से अभी भी धनराशि प्राप्त करने का इंतजार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने धनराशि को शीघ्र जारी करने हेतु डी.एस.टी. को कोई संदेश जारी किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल गैस त्रासदी

2321. **श्री प्रबोध पण्डा :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ने यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई संबंधी एक श्वेत पत्र की मांग की है और 1500 करोड़ रुपए के मुआवजे की धनराशि के तुरंत वितरण की भी मांग की है जो केन्द्र और राज्य सरकार के पास अभी भी अवितरित की गई धनराशि पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अभी भी न्याय का इंतजार है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य अभियुक्त यूनियन कार्बाइड के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध भोपाल जिला न्यायालय में सी.बी.आई. द्वारा 15 वर्ष पहले एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह मामला न्यायालय में लंबे समय से लंबित है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध आपराधिक

कार्यवाहियों और तत्संबंधी मामलों पर श्वेत-पत्र के बारे में सरकार ने एक प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ग) सरकार को मुद्दों की जानकारी है और यह भोपाल गैस पीड़ितों को सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। इसने भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने और अधिनिर्णय के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 के तहत कल्याण आयुक्त का कार्यालय सृजित किया है। कुल मिलाकर दावेदारों द्वारा 10,29,431 मामले दायर किए गए थे, जिनमें से 31 अक्टूबर, 2002 के अंत तक 10,29,265 मामले निपटा दिए गए हैं। मुआवजे के रूप में 1521.56 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।

(घ) से (च) सी.बी.आई. ने यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष मि. वारेन एंडरसन और अन्यों के विरुद्ध 1984 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा दायर किया था। चूंकि मि. एंडरसन अदालत में उपस्थित नहीं हुए, अतः उनके मामले को अन्य आरोपियों से अलग कर दिया गया था। एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उनके विरुद्ध प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की गई है। यू.एस.ए. के साथ प्रत्यर्पण संधि की अपेक्षाओं के अनुरूप एक संशोधित अनुरोध अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विनिवेश किये गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनु. जाति/ अनु. जनजाति के कर्मचारी

2322. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक विनिवेश किये गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य तबकों के कर्मचारियों की स्थिति और संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त श्रेणियों के लोगों को प्रदान की गई आरक्षण सुविधा दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी कर्मचारियों के हित संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण वाले विनिवेश के मामलों में अनुकूल साझीदार के साथ शेयर खरीद करार और शेयर धारक करार में उपयुक्त उपबंध किए जाते हैं। इन करारों में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करते हुए एक विधिक अंश शामिल किया जाता है कि अनुकूल साझीदार इस बात को स्वीकार करता है कि सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के लाभ के लिए अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में कतिपय सिद्धान्तों का अनुसरण करती है और यह कि अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कम्पनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा, कम्पनी के कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी करने की दशा में अनुकूल साझीदार अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की छंटनी अन्त में हो।

विनिवेश नीति

2323. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्रीमती जसकौर मीणा :
श्री विनय कुमार सोराके :
योगी आदित्यनाथ :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री भेरूलाल मीणा :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री अनंत नायक :
श्री के.पी. सिंह देव :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री के. येरननायडू :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के विनिवेश की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनियों विशेषकर बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. की महत्वपूर्ण बिक्री के लिए सरकार के प्रस्ताव के विरुद्ध केन्द्रीय मंत्रियों और नोडल मंत्रालय सहित प्रतिपक्ष और कुछ अन्य तबकों से विरोध हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के प्रस्तावों पर अन्तर्मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से समय-समय पर विचार करती रहती है। सभी प्रासंगिक दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद सरकार अनुमोदित नीति के अनुसार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश के बारे में अन्तिम निर्णय लेती है। फरवरी, 2002 में सरकार ने विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के बीच परस्पर विचार-विमर्श करके तैयार किए जाने वाली रूपात्मकताओं के साथ, जिन पर अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि./हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. में अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश करने का 'सिद्धान्त रूप में' निर्णय लिया था। अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों का कार्यकरण

2324. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री रामशकल :
श्री रामदास रुपला गावीत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित विद्यालयों के कार्यकरण के संबंध में कतिपय सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन हेतु राज्यों को निर्देश दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1993 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 317 टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य में दिनांक 31.10.2002 को निर्णय दिया है।

न्यायालय से इस निर्णय की प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त होनी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरक क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु नीति

2325. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में और विदेशों में स्थित उर्वरक इकाइयों में संयुक्त उद्यम की स्थापना हेतु एक नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे संयुक्त उद्यमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अंतर-मंत्रालयीय कृतक बल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृतक बल द्वारा सरकार को कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) विदेशों में उर्वरक क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए एक दीर्घावधि नीति को अंतिम रूप देने हेतु सरकार द्वारा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों और घरेलू उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए सचिव, उर्वरक विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था। इस कार्यदल की मसौदा रिपोर्ट अंतिम रूप देने हेतु परिचालित की गई है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु भारत-रूस संयुक्त केन्द्र

2326. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एवं रूस ने विकसित एवं विकासशील देशों को सामूहिक प्रयासों से विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने हेतु एक संयुक्त केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों को इससे किस प्रकार लाभ पहुंचेगा;

(घ) क्या इस संबंध में दोनों देशों के द्वारा कोई दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारत एवं रूस ने चालू संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की भी समीक्षा की है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ज) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) आई.एल.टी.पी. के लिए भारत-रूसी संयुक्त परिषद (भारत और रूस के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एकीकृत दीर्घावधि कार्यक्रम) ने बंगलौर में 6-7 नवम्बर, 2002 को सम्पन्न अपने 11वें सत्र में मास्को में संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की जो प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण संबंधी समस्याओं का निष्पादन कर सके।

(ख) प्रस्तावित केन्द्र का उद्देश्य आई.एल.टी.पी. परियोजनाओं तथा दोनों में से किसी एक पक्ष में उपलब्ध हाई-टेक प्रौद्योगिकियों के परिणामों के औद्योगिक उपयोग को उत्प्रेरित करना है।

(ग) इस केन्द्र से औद्योगिक प्रौद्योगिकियों को अद्यतन करने तथा दोनों देशों में उन्नत प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त उद्यम सृजित करने में भी सहायता मिलेगी।

(घ) और (ङ) एक वृहत् दीर्घावधि कार्यक्रम के निरूपण के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(च) जी, हां।

(छ) और (ज) संयुक्त परिषद द्वारा चल रही संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और 91 परियोजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया। संयुक्त परिषद द्वारा कार्यक्रम में 43 नई परियोजनाओं को शामिल किया गया। इसके अलावा चूर्ण धात्विकी एवं नए पदार्थों, ओरल पोलियो वैक्सीन निर्माण, उन्नत कम्प्यूटिंग अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संयुक्त केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों द्वारा उनके संबंधित थिमैटिक क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने में होने वाली समस्याओं का निपटान किया जा रहा है। संयुक्त परिषद द्वारा आयुर्वेद अनुसंधान; गैस हाईड्रेट्स; भूकम्प विज्ञान एवं चिकित्सकीय यंत्रीकरण के क्षेत्रों में ऐसे संयुक्त केन्द्र स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।

[हिन्दी]

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

2327. डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
श्री रामजीलाल सुमन :
डा. ए.डी.के. जयशीलन :
श्री नवल किशोर राय :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विद्यार्थियों की संख्या के मद्देनजर विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) सितम्बर 2002 तक सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य में उक्त धनराशि से कितने विद्यालय खोले जाने हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा हेतु धन उपलब्ध कराने के बावजूद राज्य प्राय: इसे व्यय करने में असमर्थ होते है;

(च) इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या दसवीं योजना के दौरान वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सुगम बनाने हेतु धन में 75% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राजस्थान सहित देश में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान ढांचे के अंग के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम राजस्थान के 19 जिलों सहित 271 जिलों में लागू किया जा रहा है। सितम्बर 2002 तक इन कार्यक्रमों के तहत अनुमोदित राशि का ब्यौरा तथा प्रत्येक राज्य में अनुमोदित नए स्कूलों की संख्या संलग्न है। इन कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत भी राजस्थान को निधियां जारी की गई हैं:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	जारी की गई राशि (नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार)
1.	लोक जुंबिश परियोजना	27805.00
2.	शिक्षा कर्मी	16208.00
3.	जनशाला (भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र) परियोजना	628.38

(ङ) और (च) त्वरित एवं कारगर उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन समितियों को जारी की जाती हैं। निर्धारित अवधि के भीतर निधियों का उपयोग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया जा रहा है तथा समय-समय पर व्यय की मानीटरिंग की जा रही है।

(छ) और (ज) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा हेतु योजना आयोग द्वारा 27,850 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सितम्बर 2000 तक की स्थिति के अनुसार प्राइमरी स्कूलों की संख्या	निम्नलिखित के तहत जारी की गई राशि		20.11.2002 तक अनुमोदित स्कूलों की संख्या	
			सर्व शिक्षा अभियान (नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार)	जि.प्रा.शि. कार्यक्रम (सितम्बर, 2002 तक की स्थिति के अनुसार)	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	55901	4072.97	536.68	6579	854
2.	अरुणाचल प्रदेश	1303	1727.46	–	14	170
3.	असम	33236	3669.03	234.81	0	0*
4.	बिहार	53351	3282.28	220.36	3844	647

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	–	485.53	214.35	198	771
6.	गोवा	1046	0	–	0	0#
7.	गुजरात	15602	13309.19	112.64	1460	0
8.	हिमाचल प्रदेश	10508	2539.56	97.30	0	862
9.	हरियाणा	11013	3100.89	201.64	83	235
10.	झारखण्ड	–	711.06	48.00	2064	0
11.	जम्मू और कश्मीर	10860	2141.44	–	314	44
12.	केरल	6758	1194.22	154.36	0	0
13.	कर्नाटक	22314	5303.56	401.40	1525	0
14.	मध्य प्रदेश	87049	3072.46	793.34	0	4108
15.	मणिपुर	2572	137.09	–	0	0#
16.	मेघालय	4685	925.63	–	667	863
17.	मिजोरम	1224	547.37	–	0	0*
18.	महाराष्ट्र	42167	4818.41	323.61	1052	0
19.	नागालैंड	1491	597.55	–	0	0
20.	उड़ीसा	42104	3422.64	168.88	3050	200
21.	पंजाब	13076	10668.33	–	473	0
22.	राजस्थान	34948	3908.75	213.50	707	0
23.	सिक्किम	501	114.05	–	11	8
24.	तमिलनाडु	31142	10187.36	204.35	1395	1040
25.	त्रिपुरा	2081	1587.49	–	55	0
26.	उत्तर प्रदेश	97886	13005.83	988.99	6351	450
27.	उत्तरांचल	–	2242.01	33.11	629	122
28.	पश्चिम बंगाल	52385	12618.39	200.65	1000	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	207	12.68	–	0	0#
30.	चंडीगढ़	46	0.00	–	0	0#

1	2	3	4	5	6	7
31.	दादरा और नागर हवेली	138	8.00	-	0	0#
32.	दमन और दीव	53	12.00	-	0	0#
33.	दिल्ली	2735	42.50	-	0	0#
34.	लक्षद्वीप	19	6.98	-	1	0
35.	पांडिचेरी	337	48.37	-	0	0*
	कुल					

#वार्षिक योजनाएं प्राप्त नहीं हुई।
*वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा हेतु विशेष परियोजना के अंतर्गत चावल जारी करना

2328. श्री सुरेश कुरूप : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने खाद्य सुरक्षा हेतु विशेष परियोजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को नि:शुल्क वितरण करने हेतु राज्य को 1,21,752 मीट्रिक टन चावल जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को एक परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों से भी ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी हां, मजदूरों में मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु केरल सरकार ने 121752 मीट्रिक टन खाद्यान्न रिलीज किए जाने के लिए एक विशेष परियोजना प्रस्तुत की है।

(ख) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक या सामान्य संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन, मुफ्त वितरण के लिए नहीं अपितु उन मजदूरों की मजदूरी के आधे भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा जो योजना के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्य में लगे हुए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयला क्षेत्र का विनिवेश

2329. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान कोयला क्षेत्र में किया गया कुल विनिवेश वर्षवार कितना है;

(ख) क्या उक्त अवधि में किए गए विनिवेश के उत्पादन में कोई सुधार दर्शाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि विनिवेश ने कामगारों को बुरी तरह प्रभावित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो विनिवेश करने से पहले कोयला मजदूरों के हितों का बचाव करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कोई विनिवेश नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय पुलिस संगठन हेतु परीक्षा

2330. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चार केन्द्रीय पुलिस संगठनों हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित करने का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पुलिस संगठनों में सहायक कमांडेंट के राजपत्रिक रैंक के प्रवेश स्तर की परीक्षा का आयोजन उनके मंत्रालय द्वारा गठित विशेष चयन बोर्ड के समस्त पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अर्द्धसैनिक बलों द्वारा बारी-बारी से कराया जाता हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। चार केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल, सहायक कमान्डेन्ट की भर्ती बारी-बारी से करते रहे हैं। सरकार ने सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भा.ति.सी.पु. और एस.एस.बी. में सहायक कमान्डेन्ट पद पर भर्ती का काम वर्ष 2003-04 से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

2331. श्री रामानंद सिंह :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 के अंतर्गत धन आबंटित/जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 हेतु योजना के अंतर्गत संवितरित धनराशि का उपयोग राज्यों द्वारा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु इस पर किए गए व्यय के अनुरूप कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(झ) अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ञ) क्या निर्माणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण संबंधी मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया जाता है; और

(ट) यदि हां, तो कार्य की निगरानी करने वाले अभिकरणों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत अब तक 7553.27 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और 28 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सितम्बर, 2002 तक 2459.64 करोड़ रुपये के व्यय/किए गए कार्य के मूल्य की सूचना दी गयी है, जिसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2001-02 में स्वीकृत प्रस्तावों के लिए चालू वर्ष के दौरान शेष निधियों की रिलीज की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ङ) से (ट) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत किए गए सड़क कार्य भारतीय सड़क संगठन द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप होने चाहिए। कार्य का कार्यान्वयन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि कार्य निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप हो। की गई यादृच्छिक गुणवत्ता जांच से पता चलता है कि कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई सड़कें सामान्यत: अच्छी गुणवत्ता की होती हैं। कुछ सड़क कार्यों के मामले में इन जांच के दौरान मालूम हुई कमियों को संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

विवरण

पी.एम.जी.एस.वाई. 2000-2001 एवं 2001-2002

		2000-01				2001-02		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आबंटन	स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य	रिलीज की गई राशि	सितम्बर, 02 तक व्यय	स्वीकृत प्रस्ताव का मूल्य	रिलीज की गई राशि	सितम्बर, 02 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	190.00	244.62	195.00	254.87	415.35	224.65	44.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.00	40.95	40.95	40.95	80.00	45.00	30.73
3.	असम	75.00	75.00	75.00	59.53	154.92	80.00	27.81
4.	बिहार	150.00	149.89	149.90	12.00	302.98	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	87.00	91.99	92.41	53.28	184.45	98.62	59.99
6.	गोवा	5.00	5.00	5.00	5.00	10.16	5.00	0.00
7.	गुजरात	50.00	57.76	59.81	43.66	106.15	60.00	47.78
8.	हरियाणा	20.00	20.57	25.18	20.12	65.00	30.00	1.45
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	60.00	60.00	58.81	132.36	72.09	15.67
10.	जम्मू व कश्मीर	20.00	20.09	20.00	9.00	60.33	0.00	2.00
11.	झारखंड	110.00	105.92	110.05	96.00	230.26	120.00	0.00
12.	कर्नाटक	95.00	102.94	100.57	88.12	203.35	108.37	0.45
13.	केरल	20.00	16.98	19.71	13.58	47.65	27.65	8.56
14.	मध्य प्रदेश	213.00	207.13	217.64	97.41	513.68	248.00	74.97
15.	महाराष्ट्र	130.00	130.21	130.21	124.92	263.90	134.50	0.15
16.	मणिपुर	40.00	40.00	40.00	31.33	80.71	40.00	0.00
17.	मेघालय	35.00	34.95	34.95	34.95	80.72	45.72	3.00
18.	मिजोरम	20.00	23.12	19.93	18.46	46.53	26.53	20.95
19.	नागालैंड	20.00	19.75	19.75	18.47	45.53	25.53	14.11
20.	उड़ीसा	175.00	170.88	179.70	97.73	350.00	175.00	43.38
21.	पंजाब	25.00	27.93	24.66	21.15	74.29	55.00	23.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	राजस्थान	130.00	140.09	140.09	91.04	263.05	150.00	105.96
23.	सिक्किम	20.00	13.16	13.16	13.16	37.81	20.00	13.70
24.	तमिलनाडु	80.00	152.01	99.25	120.45	115.81	88.57	7.94
25.	त्रिपुरा	25.00	24.75	24.75	24.76	51.85	26.85	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	315.00	324.22	321.11	285.58	638.83	348.11	63.41
27.	उत्तरांचल	60.00	58.99	60.63	30.00	140.41	70.00	1.00
28.	पश्चिम बंगाल	135.00	138.58	135.00	80.71	281.07	149.65	0.00
	कुल (राज्य)	2340.00	2496.49	2414.41	1845.04	4977.15	2474.84	611.43
	संघ राज्य क्षेत्र							
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	10.00	10.01	10.59	0.26	22.38	0.00	0.00
30.	दादरा व नगर हवेली	5.00	0.00	0.00	0.00	9.95	5.00	0.00
31.	दमन व द्वीव	5.00	5.00	5.00	0.35	10.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-
33.	लक्षद्वीप	5.00	0.00	0.00	0.00	4.89	4.89	0.00
34.	पांडिचेरी	5.00	5.00	5.00	2.56	7.40	0.00	0.00
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	35.00	25.01	20.59	3.17	54.62	14.89	0.00
	कुल जोड़	2375.00	2521.50	2435.00	1848.21	5031.77	2489.73	611.43

[अनुवाद]

भारत के एटलस का संकलन

2332. **श्री वाई.वी. राव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1800 से 2000 तक के भारत के एटलस का संकलन करने की परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1800 से 2000 तक के लिए भारत सरकार का एटलस संकलित करने हेतु किसी परियोजना को निधि प्रदान नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों का नामांकन एवं बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे

2333. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छह से चौदह वर्ष के बीच के आयु समूह के कितने बच्चों ने विद्यालयों में नामांकन करवाया और कितने बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी;

(ख) क्या सरकार ने इस आयु के समूह के वास्तविक रूप से पूरे वर्ष विद्यालय जाने वाले बच्चों के प्रतिशत आंकड़े तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विद्यालयों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले और चौदह वर्ष से ज्यादा की आयु के बच्चों का नामांकन न करने का रवैया 8 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के विरुद्ध है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राजधानी में 8 से 14 वर्ष के आयु समूह के अनुमानित 12 लाख से ज्यादा बच्चों ने य। तो पढ़ाई छोड़ दी है या वे कभी भी विद्यालय नहीं गए;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्रीय विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को कोई अनुदेश जारी किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी के अनुसार 6-14 आयु-वर्ग के 15.7 करोड़ बच्चे नामांकित हैं तथा कक्षा I-VIII के मामले में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 53.7% है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित सर्वेक्षण (52वां चक्र) के अनुसार कक्षा I-V के मामले में कल उपस्थिति अनुपात 85 तथा VI-VIII के मामले में 65 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (ज) सरकारी नीति के अनुसार 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को चाहे उनकी उम्र अधिक हो गई हो या पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हों, स्कूलों में नामांकित किया जाना है। दिल्ली की स्थिति से संबंधित ब्यौरा राज्य सरकार से एकत्र किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

सामान्य शिक्षा में विस्तृत कक्षा समूह के अनुसार सकल उपस्थिति अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विस्तृत कक्षा समूह	
	I-V	VI-VIII
1	2	3
आंध्र प्रदेश	86	56
अरुणाचल प्रदेश	90	65
असम	91	73
बिहार	54	51
गोवा	118	99
गुजरात	95	67
हरियाणा	106	86
हिमाचल प्रदेश	118	97
जम्मू और कश्मीर	88	81
कर्नाटक	87	61
केरल	109	97
मध्य प्रदेश	84	62
महाराष्ट्र	106	80
मणिपुर	91	93
मेघालय	111	86
मिजोरम	102	108
नागालैंड	105	107
उड़ीसा	75	59

1	2	3
पंजाब	100	86
राजस्थान	74	56
सिक्किम	118	75
तमिलनाडु	98	80
त्रिपुरा	110	82
उत्तर प्रदेश	80	54
पश्चिम बंगाल	94	63
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	108	116
चंडीगढ़	142	57
दादर और नगर हवेली	98	61
दमन और दीव	138	69
दिल्ली	107	93
लक्षद्वीप	138	96
पांडिचेरी	86	107
अखिल भारत	85	65

(स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 52वां चक्र)

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास अनुकंपा आधार पर रोजगार देने संबंधी लंबित मामले

2334. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला और खान मंत्री 21 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4292 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 1 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1996 से पहले मारे गए कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने संबंधी लंबित मामलों की संख्या वर्षवार कितनी है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान वर्ष 1996 के पहले मृत कर्मचारियों के ऐसे मामलों की संख्या वर्षवार कितनी है;

(ग) क्या एन.सी.डब्ल्यू.ए. के अन्तर्गत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वर्ष 1996 का कोई विशेष महत्व है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जैसा कि कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा सूचित किया गया है कि 45 मामलों (1996 से पूर्व) में रोजगार के लिए विचार नहीं किया जा सका।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान 1996 से पूर्व के मृत्यु के किसी मामले को पास नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता

2335. डा. बलिराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19.7.2002 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'मेनी स्कूल्स आर येट टू गेट एन सी ई आर टी बुक्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या एन.सी.ई.आर.टी. अब तक विद्यार्थियों को नवीन पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा पाने में असफल रहा है;

(ङ) क्या कई राज्य सरकारों ने समय की बर्बादी से बचने के लिए ग्यारहवीं कक्षा की एन.सी.ई.आर.टी. की नवीन पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समाचार में यह कहा गया है कि स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जारी

कक्षा-XI की अंग्रेजी और मनोविज्ञान पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर शेष पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं। यह भी कहा गया है कि पुस्तक की खुदरा दुकानों में पुस्तकों की मांग इनकी आपूर्ति से अधिक है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार इसके द्वारा इस सत्र के लिए कक्षा XI के लिए 22 नई पाठ्यपुस्तकें छापी जानी अपेक्षित थी। इनमें इतिहास और हिन्दी की पाठ्य पुस्तकें शामिल नहीं हैं जिन्हें जारी करना माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्थगित कर दिया था। इन 22 नई पाठ्य-पुस्तकों में से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने 14 पाठ्य पुस्तकें जुलाई, 2002 में मुद्रित कर जारी कर दी थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने अब सामाजिक विज्ञान, हिन्दी और इतिहास सहित सभी स्कूली विषयों में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कर दी हैं।

(ङ) और (च) सरकार को मिजोरम को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

2336. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्र में किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उच्च विद्यालय है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान शैक्षणिक योग्यता लागू करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों द्वारा किए जा रहे कार्य एवं नियम एवं शर्तों की समीक्षा करने और केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत उनको अतिरिक्त वेतन देने के लिए सहमत मंत्रालयों/विभागों/राज्यों की पहचान करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है;

(च) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) से (ज) जी, हां। आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दी जा रही सुविधाओं/लाभों की समीक्षा करने के लिए अगस्त, 1998 में गठित राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करना; उन्हें संगठित क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों के समान प्रसूति अवकाश का लाभ देना; उनके पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए समुदाय द्वारा अंशदान करना, समर्पित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को पुरस्कृत करने की स्कीम शुरू करना; आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कल्याण कोष की स्थापना करना तथा राज्य सरकारों द्वारा अंशदायी समूह बीमे का प्रावधान करना शामिल हैं।

बहुत-सी सरकारें, नामतः हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, पंजाब, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्र, जैसे चण्डीगढ़, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पाण्डिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को क्रमशः 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक और 40 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रतिमाह तक अतिरिक्त मानदेय प्रदान कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के पोषाहार घटक के अंतर्गत 50 रुपए प्रतिमाह की दर से निष्पादन-आधारित अतिरिक्त मानदेय का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रसूति के लिए 135 दिन की सवेतन अनुपस्थिति की अनुमति है। समर्पित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पुरस्कृत करने की स्कीम शुरू की गई है।

[अनुवाद]

विद्यालयों को टेलीविजन सेट उपलब्ध कराना

2337. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में कई विद्यालयों को केन्द्रीय सहायता से टेलीविजन सेट उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है और विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य हेतु इस योजना में नियत धनराशि कितनी है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें रही हैं कि विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य में डीलरों द्वारा खराब एंटिना उपलब्ध कराए जाने के कारण कई विद्यालयों में टेलीविजन सेट काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान, 1000 स्कूलों के लिए 1000 रंगीन टी.वी. सेटों के क्रय हेतु मध्य प्रदेश सरकार को 97,50,000 रु. की राशि संस्वीकृत की गई है। बाद में इस अनुदान के उपयोग की वैधता अवधि 31.12.2002 तक बढ़ा दी गई है। तथापि हाल में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। वर्ष 1991-92 तक रंगीन टी.वी. सेटों के क्रय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 5.31 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार को और कोई अनुदान नहीं दिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उक्त राशि का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाई।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष 1010 स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक स्कूल को एक रंगीन टेलीविजन मुहैया कराया जाना है। इस खरीद के लिए राज्य बजट में केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में 77,02,300 रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1989-90 में 2204 टेलीविजन सेट प्रदान किए गए थे। वर्ष 1997-98 में 365 टेलीविजन सेट प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार 2369 स्कूलों को टेलीविजन सेट प्रदान किए जा चुके हैं जिनमें से 1043 टेलीविजन सेट सही कार्य कर रहे हैं।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार से इस मामले में उनके द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा भेजने का अनुरोध किया गया है।

सुरक्षित पेयजल हेतु जल शोधन संयंत्र

2338. श्री रामजी मांझी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में जल शोधन संयंत्र स्थापित करने हेतु कई सौ करोड़ रुपये आबंटित किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक ऐसे संयंत्र स्थापित न करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न कराने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और वे अभी भी खारेपन, फ्लोराइड, लौह तत्व की अधिकता वाले जल को प्राप्त कर रहे हैं; और

(ङ) ऐसे राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ग) वर्ष 1992-98 के बीच भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के उप मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में फ्लोराइड, लवणता, लौह, संखिया से मुक्त स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए लगभग 1345 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अनुमोदित लागत सहित स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

उप मिशन कार्यक्रम में फलूराइड निवारक संयंत्र, लवण निवारक संयंत्र, लौह निवारक संयंत्र आदि की स्थापना कर एवं वैकल्पिक स्रोत से पाइप द्वारा जल आपूर्ति के जरिए गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की कल्पना की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा लवण निवारक संयंत्र, फलराइड निवारक संयंत्र और लौह निवारक संयंत्र की स्थापना से संबंधित ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-II, III और IV में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्यों का विषय हैं। राज्य सरकारें अपने संसाधनों से ग्रामीण पेय जल आपूर्ति की योजनाओं/परियोजनाओं को कार्यान्वित करती हैं। भारत सरकार जल संकट को दूर करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके प्रयासों में सहायता करती है। दिनांक 1.4.1998 से ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत परियोजना तैयार करने, अनुमोदित करने एवं कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को अंतरित की गई हैं। खारापन, फ्लूराइड, लौह अधिकता से मुक्त स्वच्छ पेय जल प्रदान करने के लिए उपमिशन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों के 15 प्रतिशत तक राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्य सरकारों से ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए बार-बार अनुरोध किए गए हैं ताकि ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जा सके।

विवरण

दिनांक 28.11.2002 तक एस.एस.आर.सी., आर.जी.एन.डी.डब्ल्यू.एम., ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उप मिशन परियोजनाओं के राज्यवार सार

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित लागत	भारत सरकार की प्रतिबद्धता	भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई निधियां	भारत सरकार के बाकी हिस्से
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	56	57101.66	42807.52	41218.29	1589.24
2.	असम	1	2.18	1.63	1.63	0.00
3.	गुजरात	6	6177.45	4633.09	4258.79	374.31
4.	हरियाणा	2	1459.34	1096.00	1021.97	74.03
5.	कर्नाटक	7	3195.37	2396.52	926.76	1469.76
6.	केरल	3	1959.00	1469.25	956.98	512.27
7.	मध्य प्रदेश	5	7091.10	5318.31	2984.80	2333.51
8.	मेघालय	6	783.04	587.29	517.68	69.61
9.	मिजोरम	2	344.80	258.60	229.30	29.30
10.	उड़ीसा	7	1697.21	1272.90	850.45	422.45
11.	पंजाब	2	2846.00	2134.50	2053.75	80.75
12.	राजस्थान	7	14768.84	11181.36	5754.35	5427.01
13.	सिक्किम	1	154.31	115.73	77.15	38.58
14.	तमिलनाडु	5	6277.42	4625.99	4066.26	559.73
15.	त्रिपुरा	1	152.00	114.00	114.00	0.00
16.	उत्तर प्रदेश	4	3728.26	2796.68	2709.04	87.64
17.	प. बंगाल	4	26836.89	20127.67	19980.76	146.91
	कुल	119	134574.87	100937.04	87721.95	13215.10

विवरण-II

अनुमोदित/स्थापित किए गए लवण निवारक संयंत्र

राज्य	संयंत्रों की संख्या		
	अनुमोदित	स्थापित किए गए	चालू
आंध्र प्रदेश	14	14	10
गुजरात	12	11	1
हरियाणा	2	2	2
महाराष्ट्र	2	2	2
राजस्थान	122	85	30
तमिलनाडु	22	20	20
प. बंगाल	3	3	0
लक्षद्वीप	10	10	10
पांडिचेरी	7	3	2
कुल	194	150	77

विवरण-III

अनुमोदित/स्थापित किए गए फ्लूराइड निवारक संयंत्र

राज्य	अनुमोदित संयंत्रों की सं.		स्थापित संयंत्रों की सं.		कार्यरत संयंत्रों की सं.	
	एफ एवं डी	एचपीए	एफ एवं डी	एचपीए	एफ एवं डी	एचपीए
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	30	269	29	264	10	–
हरियाणा	5	–	5	–	3	–
गुजरात	353	–	201	–	161	–
कर्नाटक	10	9	2	9	2	–
मध्य प्रदेश	2	28	2	23	2	1
महाराष्ट्र	2	2	2	2	2	–
पंजाब	2	–	2	–	2	–

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	40	64	40	28	13	1
तमिलनाडु	4	11	–	11	–	–
उत्तर प्रदेश	–	12	–	12	–	–
केरल	–	2	–	–	–	–
कुल	448	397	283	349	195	38

एफ एवं डी : भरना एवं निकालना
एच पी ए : हैण्ड पम्प लगा हुआ

विवरण-IV

अनुमोदित/स्थापित लौह निवारक संयंत्र

राज्य	संयंत्रों की संख्या		
	अनुमोदित	स्थापित	कार्यरत
असम	3772*	3772*	2500
अरुणाल प्रदेश	67	67	40
बिहार	2500	395	200
केरल	30	30	30
मध्य प्रदेश	3479*	3116*	476
महाराष्ट्र	74	50	35
मणिपुर	255	248	150
मेघालय	235**	223**	170
मिजोरम	156	156	120
नागालैण्ड	174	174	एन.ए.
उड़ीसा	3780	768	450
तमिलनाडु	25	6	0
त्रिपुरा	500	165	45
उत्तर प्रदेश	319*	319*	250
प. बंगाल	1000	22	15
पांडिचेरी	20	13***	13
कुल	16386	9524	4494

*अन्य योजनाओं में असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्रमशः स्थापित 1875, 2467 एवं 43 संयंत्र सहित।

**एन.ई.ई.आर.आई. डिजाइन के स्वीकृत 35 संयंत्रों में से 23 संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

***13 संयंत्र रिचर्डसन और क्रूडास डिजाइन पर आधारित पाइप जल आपूर्ति वाले हैं।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

2339. श्री दिलीप संघाणी :
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत, विशेषकर गुजरात में नियुक्त किए गए शिक्षकों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत और जारी की गई धनराशि वर्षवार कितनी है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्यों में नियुक्त शिक्षकों को वेतन का संवितरण न किए जाने का क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार पहले से नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं को बनाए रखना सुनिश्चित करेगी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या देश में विद्यालयों की अवसंरचना में सुधार करने के इसके उद्देश्यों को योजना ने प्राप्त किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) आपरेशन ब्लैकबोर्ड (ओ.बी.) की विस्तारित योजना के तहत 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों में तीसरे अध्यापक के पद और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए अतिरिक्त अध्यापकों के पद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उन्हें मंजूर कर दिए गए थे। गुजरात सरकार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संस्वीकृत पदों पर नियुक्त अध्यापकों की संख्या और योजना के तहत जारी पिछले 3 वर्ष के दौरान निधियां संलग्न है।

(ग) से (ङ) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत सृजित सभी नए पदों को वेतन भुगतान के लिए जिस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नियुक्तियां की गई थीं उसके अंत तक शामिल कर लिया जाता था। पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद अध्यापकों के वेतन संबंधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को 10वीं योजना में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समाहित कर लिया गया है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा की गई योजना के मूल्यांकन के अनुसार 1993 में शिक्षण कक्षों की औसत उपलब्धता प्रति प्राथमिक स्कूल 2.3 थी, जो 1999 में बढ़कर 3.3 हो गई। शिक्षकों की 2 अथवा उससे अधिक संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1986 में 71.54% थी जो 1999 में बढ़कर 84.9% हो गई है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विस्तापित आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत संस्वीकृत नियुक्त शिक्षकों के पद				संस्वीकृत तथा जारी की गई राशि		
		तृतीय शिक्षक		अतिरिक्त शिक्षक		1999-00	2000-01	2001-2002
		संस्वीकृत	नियुक्त	संस्वीकृत	नियुक्त			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	20849	20849	5380	5074	1800.00	7751.60	5568.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	225	225	0	0	11.50	115.64	104.34
3.	असम	1723	0	6730	2851	1141.03	2305.79	1523.25
4.	बिहार	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5.	झारखण्ड	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	2	1	0	0	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	199	199	1294	0	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	838	838	347	347	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	1200	1200	2668	2426	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	3855	3772	18916	18382	8850.65	12782.65	13113.97
12.	केरल	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश*	22163	22163	6445	6445	5856.16	9048.93	6561.57
14.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	4200	4200	10969	7064	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	200	200	733	733	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	171	171	106	106	125.00	131.56	105.85
19.	नागालैंड	95	0	161	0	29.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	5258	5258	10023	7827	1263.30	0.00	1060.92
21.	पंजाब	0	0	2687	1353	830.54	1794.11	1525.00
22.	राजस्थान	1692	1692	2903	1903	1612.75	1584.80	2116.36
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	4613	1610	0	0	1751.59	209.40	2959.50
25.	त्रिपुरा	210	210	435	435	248.85	248.85	300.90
26.	उत्तर प्रदेश**	11800	11800	5310	5107	6372.00	6256.43	8902.82
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	0.00	0.00	2566.34
28.	पश्चिम बंगाल	3750	2992	2353	0	957.00	1430.23	3310.51
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0	0	196	196	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0	0	44	44	8.79	36.22	38.17
	कुल	83045	77380	77610	60293	30858.16	43696.21	49757.50

*22163 में से छत्तीसगढ़ में तृतीय शिक्षकों के 4974 पद हैं।
*6445 में से छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त शिक्षकों के 1770 पद है।
**1180 में से उत्तरांचल में तृतीय शिक्षकों के 2640 पद हैं।
**5310 में से उत्तरांचल में अतिरिक्त शिक्षकों के 882 पद हैं।

सुरक्षा संबंधी कार्यकलापों के अन्तर्गत धन का न्यून उपयोग

2340. श्री रघुनाथ झा : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खनन और सुरक्षा को अपेक्षित महत्व न देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान न्यून योजना परिव्यय किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोयला खान संबंधी कार्यकलापों में धन का 45% तक न्यून उपयोग किया गया है जैसा कि ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन संख्या 2001 के 17 के पैरा 2.186 में उल्लेख किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या समिति ने खान सुरक्षा महानिदेशालय को सुदृढ़ करने और खनन मानचित्रों को अद्यतन बनाने और सुरक्षा लेखा परीक्षा की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है;

(छ) यदि हां, तो कोयला खानों में अपेक्षित सुरक्षोपाय करने हेतु समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ज) क्या उक्त समिति ने कोयले संबंधित मामलों एवं उसमें सुधार लाने हेतु विस्तार से विचार किया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) कोयला खनन और सुरक्षा पर समुचित ध्यान तथा महत्व दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। 2001-02 में कम परिव्यय होने का मुख्य कारण कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.) ऋण का निरस्त होना है।

(घ) सी.आई.एल. में 1999-00 तथा 2000-01 में, दोनों में कुल सुरक्षा बजट (पूंजी तथा राजस्व दोनों) का उपयोग 82% से ऊपर रहा है। तथापि, पूंजीगत बजट का उपयोग 1999-00 में 47.6% तथा 2000-01 में 57.9% रहा है।

(ङ) "पूंजी" शीर्ष के अन्तर्गत सुरक्षा बजट का उपयोग कभी विलम्बित हो जाता है क्योंकि कई सुरक्षा मदों (सामान) को विश्व निविदा के माध्यम से विदेशों से अधिप्राप्त करना होता है क्योंकि इन मदों का स्वदेशी रूप से विनिर्माण नहीं किया जाता है। इसके अलावा, कई सुरक्षा मदों को डी.जी.एम.एस. अनुमोदन प्राप्त करना तथा बी.आई.एस. विनिर्देशनों के अनुरूप होना होता है। कभी-कभी डी.जी.एम.एस. कुछेक सुरक्षा मदों के लिए कुछ अवधि का अनन्तिम अनुमोदन प्रदान करता है। विश्व निविदा के माध्यम

से ऐसी अधिप्राप्ति में समय लगता है और कभी डी.जी.एम.एस. का अनुमोदन समाप्त हो जाता है तथा अधिप्राप्ति की कार्रवाई विलंबित हो जाती है। इस प्रकार उपर्युक्त बाधाओं से सुरक्षा तथा बचाव के लिए पूंजी बजट का उपयोग प्रभावित होता है।

(च) और (छ) जी, हां। समिति द्वारा यथा संस्तुत खनन नक्शों को सी.आई.एल. तथा इसकी अनुषंगियों की खानों में संविधि के अनुसार अद्यतन किया जा रहा है। सी.आई.एल. तथा इसकी अनुषंगियों द्वारा सुरक्षा आडिट भी किए जा रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि सी.आई.एल.की सभी सहायक कम्पनियों में दो वर्षों में कम से कम एक बार सुरक्षा आडिट किए जाएं। समिति द्वारा यथा संस्तुत, डी.जी.एम.एस. को सुदृढ़ करने के बारे में समिति को यह सूचित किया गया था कि कोयला और खान मंत्रालय के लिए डी.जी.एम.एस. को वित्तीय सहायता देना अथवा डी.जी.एम.एस. के अन्तर्गत तैनात करने के लिए सी.आई.एल. के आन्तरिक सुरक्षा संगठन से अधिकारियों को मुक्त करना/हटाना संभव नहीं होगा। डी.जी.एम.एस. को सुदृढ़ बनाने के लिए डी.जी.एम.एस. द्वारा श्रम मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है और इस पर विचार किया जा रहा है। संविधि में संशोधन करके बाहरी आडिट का प्रस्ताव पहले ही पाइपलाइन में है।

(ज) से (ञ) स्थायी समिति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की, कि सी.एस.आर.पी. ऋण के निरस्त होने के कारण केन्द्रीय योजना परिव्यय में अत्यधिक कमी होने से सी.आई.एल. के क्षमता निर्माण की 4 परियोजनाओं में समय आधिक्य होगा। समिति को यह विश्वास नहीं था कि 15 परियोजनाओं के लिए संसाधन अन्तराल को जिसमें सी.एस.आर.पी. ऋण के अंतर्गत उपकरण का प्रतिस्थापन अन्तर्ग्रस्त है, सी.आई.एल. के आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा। समिति ने इच्छा व्यक्त की, कि सरकार सी.एस.आर.पी. ऋण के निरस्त्रीकरण की समीक्षा करे ताकि परियोजनाएं जिन्हें इस ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना था, निश्चित समय में पूरी की जा सकें।

सी.एस.आर.पी. ऋण के अन्तर्गत कवर की गई सी.आई.एल. की 24 परियोजनाओं में से 9 क्षमता में वृद्धि करने तथा 15 उपकरण के प्रतिस्थापन के लिए थी। क्षमता बढ़ाने की 9 परियोजनाओं में से 5 पूरी कर ली गई हैं और शेष 5 की स्थिति निम्नानुसार है:

पारेज ईस्ट ओ.सी.पी. सी.एस.आर.पी. ऋण के अन्तर्गत सभी उपकरण मुहैया कराए गए। परियोजना को पूरा कर लिया गया है। विलम्ब मुख्यत: आर. एण्ड आर. समस्या के कारण हुआ था।

दुधीचुवा ओ.सी.पी. आर.सी.ई. अनुमोदन के कारण सभी कार्यकलाप लंबित थे। आर.सी.ई. को अनुमोदित कर दिया गया है और परियोजना आर.सी.ई. में निर्धारित समय में पूरी कर ली जाएगी।

लखनपुर ओ.सी.पी.–पूर्ण

भरतपुर ओ.सी.पी.–पूर्ण

15 परियोजनाओं में उपकरण के प्रतिस्थापन को सी.आई.एल. के आन्तरिक संसाधनों से चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

2341. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश में विलंब करना बाजार और सरकार की छवि के लिए बुरा साबित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय उद्योग विनिवेश संबंधी हाल के बयानबाजी से अप्रसन्न है और इस संबंध में आपत्ति की है;

(ग) क्या उनके अनुसार विनिवेश की असफलता से बाजार की संवेदनशीलता तथा इन उद्योगों का कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री से विनिवेश नीति को जारी रखने पर तत्काल अंतिम निर्णय लेने का आग्रह किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मुद्दों पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) विनिवेश आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक होने के नाते इसमें आई किसी भी बाधा के आभास का बाजार की भावनाओं पर तुरंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और खास तौर पर ऐसी परिस्थितियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाजार पूंजीकरण में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

(ख) और (ग) विशेषज्ञों द्वारा किसी ऐसे विलम्ब की नकारात्मक परिस्थितियों के बारे में आशंकाएं वास्तव में व्यक्त की गई हैं जो आमतौर पर सुधार प्रक्रिया और विशेषकर विनिवेश में हो सकती है।

(घ) और (ङ) विनिवेश नीति को बन्द नहीं किया गया है। विनिवेश कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है और सरकार इस कार्यक्रम की सफलता के लिए उन सभी मसलों का समाधान निकालने में तत्पर है जिनको हल किए जाने की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा

2342. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर आतंक का राज्य फैलाने वाले नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल आफ नागालैंड के कार्यकर्ताओं के कारण मणिपुर को शेष देश से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल के तैनात करने हेतु मणिपुर की संयुक्त समिति के सदस्यों से सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 एवं 53 पर कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल को तैनात करने का है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा संघर्ष विराम के विस्तार के साथ जातिय संघर्ष बढ़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। मणिपुर सरकार ने पहले राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम कार्यान्वित करने संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार को इस स्कीम को कार्यान्वित करने और सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की स्कीम के अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ) जातीय संघर्षों के बढ़ने के बारे में कोई रिपोर्टें नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों में, उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए सेना, अर्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों द्वारा समन्वित कार्रवाई करना, राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन शामिल है। राज्य और केन्द्र सरकार दोनों स्तरों पर स्थिति का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की रुग्ण इकाइयां

2343. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कई इकाइयों को रुग्ण घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च 2002 तक इन इकाइयों को संयंत्रवार कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इन इकाइयों में निजी क्षेत्र के निवेश हेतु विनिवेश विभाग से परामर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो इन इकाइयों के विनिवेश के संबंध में निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) की अधिकतर खानें घाटा वहन कर रही हैं। 31.3.1999 को ई.सी.एल. का संचित घाटा, इसके निवल मूल्य से अधिक हो जाने के कारण, कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन (बी.आई.एफ.आर.) बोर्ड को संदर्भित किया गया था। बी.आई.एफ.आर. ने ई.सी.एल. को फरवरी, 2001 में एक रुग्ण कंपनी के रूप में घोषित किया था।

(ग) ई.सी.एल. ने मार्च, 2002 तक 4124.14 करोड़ रु. घाटा वहन किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपरोक्त भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

गुजरात में कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटाइजेशन

2344. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण के डिजिटाइजेशन हेतु और प्रायोगिक परियोजना के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुरोध पर विचार किया गया है और इसकी मंजूरी दी गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) गुजरात में इस समय कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण मानचित्रों के अंकीकरण के संबंध में दो प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। गुजरात राज्य के संबंध में कोई भी अतिरिक्त प्रस्ताव इस मंत्रालय में लंबित नहीं है। इसी बीच, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूरी हो चुकी प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणामों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है और अतिरिक्त परियोजनाओं संबंधी प्रश्न पर विचार इस समिति की रिपोर्ट की जांच के पश्चात ही किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं

2345. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जा रही महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन परियोजनाओं हेतु वित्तीय आबंटन का वर्षवार, राज्यवार एवं परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों एवं विभिन्न स्वैच्छिक संगठन को उपलब्ध कराए गए धन का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जा रही महिला एवं बाल विकास स्कीमों, खर्च की गई राशि और परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्कीमों का ब्यौरा विभाग की वर्ष 2001-2002 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आबंटित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रबोधन एवं मूल्यांकन तंत्र बनाए गए हैं। जब कभी भी धनराशि का दुरुपयोग का कोई मामला सिद्ध हुआ है, तो दोषी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002	समग्र स्थिति (विगत तीन वर्ष हेतु)
1	2	3	4	5	6
	आई.सी.डी.एस.-सामान्य				कार्यशील आई.सी.डी.एस. ब्लाकों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	817.00	681.00	1895.39	39
2.	असम	2211.00	5070.97	6188.61	151
3.	मणिपुर	840.48	1254.75	901.07	34
4.	मेघालय	535.00	664.97	1060.15	32
5.	मिजोरम	535.66	868.85	572.95	21
6.	नागालैण्ड	1245.00	1941.60	1907.00	52
7.	सिक्किम	129.75	156.01	192.35	5
8.	त्रिपुरा	646.06	630.98	1481.36	36

1	2	3	4	5	6
	उदिश–आई.सी.डी.एस.-प्रशिक्षण कार्यक्रम				प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	50.00	–	75.00	1558
2.	असम	75.00	125.00	55.00	5200
3.	मणिपुर	20.00	33.00	60.00	–
4.	मेघालय	5.00	40.00	45.00	1255
5.	मिजोरम	5.00	20.00	45.00	550
6.	नागालैण्ड	15.00	50.00	50.00	993
7.	सिक्किम	5.00	–	–	234
8.	त्रिपुरा	20.00	5.00	40.00	1476
	बालिका समृद्धि योजना				लाभार्थियों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	6.21	2.50	–	36538
2.	असम	143.66	105.00	–	46220
3.	मणिपुर	7.65	10.75	5.50	4360
4.	मेघालय	11.90	–	–	5257
5.	मिजोरम	2.05	5.00	2.50	3744
6.	नागालैण्ड	3.54	1.25	–	1102
7.	सिक्किम	2.17	1.25	–	731
8.	त्रिपुरा	11.60	8.50	4.25	11640
	स्वयंसिद्धा (2000-01 से आरम्भ)				स्वीकृत ब्लॉक परियोजनाओं की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	3.16	2.05	–
2.	असम	–	7.68	–	17
3.	मणिपुर	–	2.41	7.00	1
4.	मेघालय	–	2.91	15.60	3
5.	मिजोरम	–	2.41	–	उपलब्ध नहीं
6.	नागालैण्ड	–	3.16	14.00	4

1	2	3	4	5	6
7.	सिक्किम	–	2.41	7.00	1
8.	त्रिपुरा	–	2.41	7.00	उपलब्ध नहीं
	जागरूकता विकास परियोजनाएं				**आयोजित शिविरों की संख्या**
1.	अरुणाचल प्रदेश	4.70	3.91	7.90	265
2.	असम	6.53	11.87	19.55	418
3.	मणिपुर	4.72	2.33	–	113
4.	मेघालय	1.31	3.34	15.07	178
5.	मिजोरम	3.50	3.84	11.97	176
6.	नागालैण्ड	3.39	4.06	15.11	206
7.	सिक्किम	0.70	3.85	12.53	158
8.	त्रिपुरा	2.96	3.07	9.74	151
	शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम				**महिला लाभार्थियों की संख्या**
1.	अरुणाचल प्रदेश	5.26	4.97	8.11	300
2.	असम	–	26.48	10.44	1850
3.	मणिपुर	–	10.79	–	375
4.	मेघालय	1.4	4.05	5.60	350
5.	मिजोरम	–	4.71	7.18	600
6.	नागालैण्ड	4.2	14.4	–	700
7.	सिक्किम	0.44	1.37	1.47	100
8.	त्रिपुरा	1.44	6.14	3.89	375
	सामाजार्थिक कार्यक्रम				**आयोजित महिला शक्ति मेले**
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	2.00	तदैव
2.	असम	–	–	5.50	तदैव
3.	मणिपुर	–	–	2.00	तदैव
4.	मेघालय	–	–	2.50	तदैव
5.	मिजोरम	–	–	4.00	तदैव
6.	नागालैण्ड	–	–	3.00	तदैव
7.	सिक्किम	–	–	1.50	तदैव
8.	त्रिपुरा	–	–	4.57	तदैव

1	2	3	4	5	6
	अल्पावास गृह				स्वीकृत गृहों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.02	6.07	4.91	5
2.	असम	12.06	24.58	30.05	25
3.	मणिपुर	7.57	9.82	–	12
4.	मेघालय	–	–	–	–
5.	मिजोरम	–	–	–	–
6.	नागालैण्ड	–	4.69	2.54	4
7.	सिक्किम	–	2.34	1.84	2
8.	त्रिपुरा	9.12	6.75	13.33	12
	प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्टेप)				महिला लाभार्थियों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
2.	असम	–	–	153.80	10000
3.	मणिपुर	51.53	24.64	26.91	2000
4.	मेघालय	–	–	9.03	500
5.	मिजोरम	–	–	–	–
6.	नागालैण्ड	28.28	32.95	35.44	3350
7.	सिक्किम	–	–	39.43	1000
8.	त्रिपुरा	–	94.58	17.55	840
	महिला आर्थिक कार्यक्रम				महिला लाभार्थियों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	6.41	0.45	150
2.	असम	6.47	48.94	20.58	2055
3.	मणिपुर	16.30	33.52	6.16	2695
4.	मेघालय	–	7.36	–	300
5.	मिजोरम	–	21.90	–	625
6.	नागालैण्ड	3.02	4.00	11.17	490
7.	सिक्किम	–	–	–	–
8.	त्रिपुरा	–	30.82	0.57	425
	कामकाजी महिला होस्टल				स्वीकृत होस्टलों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	6.05	11.71	10
2.	असम	4.99	18.13	12.72	14
3.	मणिपुर	17.54	6.50	21.62	14

1	2	3	4	5	6
4.	मेघालय	–	–	–	3
5.	मिजोरम	–	–	–	3
6.	नागालैण्ड	13.26	10.56	44.64	14
7.	सिक्किम	–	–	–	2
8.	त्रिपुरा	–	–	–	1
	शिशु गृह स्कीम				लाभार्थियों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	12.83	13.24	25.15	2450
2.	असम	252.43	25.50	30.24	5675
3.	मणिपुर	32.71	4.99	5.63	1475
4.	मेघालय	2.50	3.46	36.33	3650
5.	मिजोरम	25.60	25.00	30.84	4225
6.	नागालैण्ड	4.43	22.60	6.74	7875
7.	सिक्किम	16.93	23.00	26.8	3125
8.	त्रिपुरा	46.09	56.91	12.2	7575

दिल्ली में भूमि आबंटन संबंधी लंबित प्रस्ताव

2346. **श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर मिंटो रोड क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों/पब्लिक विद्यालयों को भूमि का आबंटन करने हेतु कई प्रस्ताव भूमि विकास कार्यालय में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक की तिथि के अनुसार उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और ये प्रस्ताव कब से लंबित पड़े हैं;

(ग) इन प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

साक्षरता कार्यक्रम

2347. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान हेतु, विशेषकर बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इस योजनावधि के दौरान राजस्थान में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य और वहन किया गया व्यय जिलावार और वर्षवार कितना है; और

(ग) इन जिलों में इस कार्यक्रम की सफलता की प्रतिशतता कितनी है और इन जिलों में अब तक निरक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राजस्थान सहित पूरे देश के 15-35 आयु-वर्ग के निरक्षरों को कार्य-साधक साक्षरता प्रदान करके राष्ट्रीय साक्षरता मिशन वर्ष 2005 तक 75% साक्षरता के पोषणक्षम प्रभाव सीमा को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए व्यय का जिलावार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता में उपलब्धि का जिलावार ब्यौरा, साक्षरता में दसकीय वृद्धि तथा 7 वर्ष और इससे अधिक आयु-वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-2002) के दौरान किया गया जिलावार और वर्षवार व्यय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	गंगानगर	53.56	6.37	17.76	8.23	4.52
2.	हनुमानगढ़	38.26	8.82	12.64	8.77	9.64
3.	बीकानेर	47.96	12.37	44.70	28.60	26.72
4.	चुरू	71.60	43.60	21.40	31.09	12.62
5.	झुंझुनु	9.05	40.47	22.73	2.95	1.66
6.	अलवर	13.00	30.47	37.46	15.97	4.70
7.	भरतपुर	47.77	12.99	5.63	22.45	33.32
8.	धौलपुर	27.35	16.73	5.44	4.95	4.87
9.	करौली	0.00	0.00	33.89	16.18	0.00
10.	सवाई-माधोपुर	68.43	39.78	17.69	12.82	0.35
11.	दौसा	58.38	13.06	35.57	23.76	0.12
12.	जयपुर	150.65	19.50	18.21	35.62	21.76
13.	सीकर	39.51	45.63	2.93	11.01	61.11
14.	नागौर	110.00	157.00	12.00	60.00	7.00
15.	जोधपुर	17.28	29.78	31.18	14.46	22.83
16.	जैसलमेर	39.54	42.73	7.73	28.60	19.64
17.	बाड़मेर	46.48	76.26	27.05	61.79	156.17
18.	जालौर	109.63	92.89	19.00	105.00	13.00
19.	सिरोही	20.87	12.99	8.03	20.58	7.45

1	2	3	4	5	6	7
20.	पाली	44.96	14.00	0.00	36.28	42.22
21.	अजमेर	54.70	64.62	102.19	29.78	202.98
22.	टोंक	30.57	9.62	4.84	31.69	35.42
23.	बुंदी	15.87	41.90	11.39	17.66	17.67
24.	भीलवाड़ा	10.59	40.53	4.87	4.16	11.69
25.	राजसमंद	15.05	3.85	4.51	7.36	5.79
26.	उदयपुर	29.68	14.34	87.00	8.34	0.00
27.	डुंगरपुर	12.24	14.22	31.58	49.58	2.28
28.	बांसवाड़ा	75.62	40.49	12.66	124.17	7.83
29.	चित्तौड़गढ़	101.80	48.41	23.53	60.12	0.00
30.	कोटा	58.92	17.62	12.45	34.06	15.42
31.	बारन	21.94	15.07	11.16	20.41	33.83
32.	झालावार	36.97	67.59	16.70	35.80	16.45

नोट : आंकड़े साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित हैं।

विवरण-II

क्र.सं.	जिले का नाम	जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर	1991-2001 के दौरान दशकीय वृद्धि	निरक्षर व्यक्तियों की संख्या (आयु-वर्ग 7 वर्ष तथा इससे अधिक)
1	2	3	4	5
1.	गंगानगर	64.84	20.29	5,26,546
2.	हनुमानगढ़	65.72	27.05	4,34,480
3.	बीकानेर	57.54	15.81	5,74,882
4.	चुरू	66.97	32.19	5,10,732
5.	झुंझुनु	73.61	26.01	4,18,643
6.	अलवर	62.48	19.39	9,08,811
7.	भरतपुर	64.24	21.28	6,00,371
8.	धौलपुर	60.77	25.68	3,01,093

1	2	3	4	5
9.	करौली	64.59	29.86	3,39,589
10.	सवाई-माधोपुर	57.34	20.30	3,89,369
11.	दौसा	62.75	25.88	3,93,517
12.	जयपुर	70.63	20.25	12,79,325
13.	सीकर	71.19	28.70	5,41,877
14.	नागौर	58.26	26.46	9,40,558
15.	जोधपुर	57.38	16.69	9,95,368
16.	जैसलमेर	51.40	21.35	1,93,127
17.	बाड़मेर	59.65	36.67	6,18,067
18.	जालौर	46.51	22.75	6,10,753
19.	सिरोही	54.39	22.45	3,11,932
20.	पाली	54.92	18.96	6,70,983
21.	अजमेर	65.06	12.72	6,34,510
22.	टोंक	52.39	18.72	4,72,374
23.	बुंदी	55.80	23.05	3,48,937
24.	भीलवाड़ा	51.09	19.44	8,09,037
25.	राजसमंद	55.82	22.73	3,57,608
26.	उदयपुर	59.26	24.36	8,75,610
27.	डुंगरपुर	48.32	17.77	4,53,204
28.	बांसवाड़ा	44.22	18.22	6,62,854
29.	चित्तौड़गढ़	54.37	20.09	6,83,591
30.	कोटा	74.45	19.21	3,38,102
31.	बारन	60.37	23.80	3,31,546
32.	झालावार	57.98	25.04	4,08,522
	कुल			1,79,35,918

नोट : आंकड़े भारत की जनगणना, 2001 की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम

2348. **श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक दशक से भी अधिक समय पूर्व आरम्भ किए गए 'आंगनवाड़ी कार्यक्रम' के नाम से लोकप्रिय समेकित बाल विकास कार्यक्रम, जो यू.एन.डी.पी. के तत्वावधान में चलाया जा रहा है, पर सरकारी उपेक्षा के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या अधिकारी इन केन्द्रों की नियमित जांच नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) यू.एन.डी.पी. के तत्वावधान में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। तथापि, 1975 में शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, अर्थात् समेकित बाल विकास सेवा स्कीम राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से ऐसा पता नहीं चलता है कि इस स्कीम का कार्यान्वयन सरकारी उपेक्षा के कारण प्रभावित हुआ है।

इस्पात क्षेत्र में विनिवेश

2349. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्रों का विनिवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) सरकार की घोषित नीति यह है कि वह सामान्य मामलों में गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा उससे कम नीचे लाएगी। सरकार ने इस नीति और विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में स्पांज आयरन इण्डिया लि. में अपनी शत-प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है और विनिवेश की प्रक्रिया अभी आरम्भिक चरणों में है। विगत समय में भारत इस्पात प्राधिकरण में अल्पांश शेयरों की बिक्री के माध्यम से विनिवेश किया गया था। भारत इस्पात प्राधिकरण की पुनर्संरचना के लिए इस्पात मंत्रालय के प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला स्थित विद्युत संयंत्र, भिलाई स्थित कैप्टिव पावर प्लाण्ट-2, भिलाई इस्पात संयंत्र का आक्सीजन प्लाण्ट-2, सलेम इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर स्थित मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, भद्रावती में स्थित विश्वेश्वरैया आयरन तथा स्टील प्लाण्ट और राउरकेला के उर्वरक संयंत्र में विनिवेश करने पर विचार किया गया है।

केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड और राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों में भ्रष्टाचार

2350. **श्री छत्रपाल सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड और राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(घ) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 34 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो आमतौर पर रिश्वत की मांग करने और विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान की निर्मुक्ति के लिए परेशान करने से संबंधित हैं। इन सभी शिकायतों की जांच की गई है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता ब्यूरो के अनुदेशों तथा अन्य नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

केरल में कीटनाशी का दुष्प्रभाव

2351. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में वितरित किए गए 'इंडोसल्फान' कीटनाशी को विनाशकारी पाया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जवाबदेही निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) जैसा कि संबंधित प्रशासनिक विभाग नामतः कृषि तथा सहकारिता विभाग ने सूचित किया है, केरल में इंडोसुल्फान के एरियल स्प्रेयिंग के कारण कथित रूप से बताई गई असाधारण बीमारी की उन्हें जानकारी है।

उपर्युक्त चिंता को देखते हुए, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अधीन गठित पंजीकरण समिति ने (1) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान तथा केरल सरकार द्वारा गठित डा. अचुथन समिति, की रिपोर्टों, केरल में इंडोसुल्फान के एरियल स्प्रेयिंग के संबंध में केरल सरकार की रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित रिपोर्टों (2) इंडोसुल्फान के सुरक्षा मूल्यांकन की जांच करने तथा इसके निरंतर या सीमित प्रयोग या इसके अन्यथा प्रयोग के संबंध में सिफारिश करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.एम.एस.) और राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (एन.आई.ओ.एच.) से विशषज्ञों को शामिल करके एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

केरल राज्य के प्रभावित कासरगाड क्षेत्र में आवश्यक चिकित्सा सहायता देने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

पेयजल की आपूर्ति

2352. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री शिवाजी माने :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्षेत्रीय सुधारों के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की पेयजल की मांग की पूर्ति राज्यवार किस सीमा तक हुई;

(ग) क्या सरकार राज्यों में पेयजल की आपूर्ति के लिए किए जा रहे कार्यों में सहयोग दे रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता और सहयोग से कितने गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है; और

(च) उक्त योजना के अन्तर्गत अभी और कितने गांवों को अभी शामिल किया जाना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (च) जल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य के प्रयासों में मदद करती है। ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए देश के 67 प्रायोगिक जिलों में क्षेत्र सुधार आरंभ किए गए हैं।

भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 72,859 कवर न की गई और 3,52,423 आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 22,963 कवर न की गई और 1,87,733 आंशिक रूप से कवर की गई ग्रामीण बसावटों को कवर कर पाना संभव हुआ है। 12.11.2002 तक देश में 14,22,664 ग्रामीण बसावटों में से सिर्फ 15,102 कवर न की गई और 1,23,636 आंशिक रूप से कवर की गई ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति सुविधा प्रदान करना शेष है। बसावटों के कवरेज की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उन्हें प्राप्त शक्तियों के अनुसार बनाई, स्वीकृत और कार्यान्वित की जाती हैं। इसीलिए केन्द्र सरकार स्तर पर विशेष योजनाओं के ब्यौरे नहीं होते हैं।

विवरण

ग्रामीण जल आपूर्ति के अंतर्गत बसावटों के कवरेज की स्थिति

(12.11.02 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बसावटों की स्थिति				वितरण प्रतिशत			
		एन.सी.	पी.सी.	एफ.सी.	कुल	एन.सी.	पी.सी.	एफ.सी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	14676	55056	69732	0.00	21.05	78.95	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	329	893	3076	4298	7.65	20.78	71.57	100.00
3.	असम	588	18563	51518	70669	0.83	26.27	72.90	100.00
4.	बिहार	0	0	105340	105340	0.00	0.00	100.00	100.00
5.	छत्तीसगढ़	0	0	50379	50379	0.00	0.00	100.00	100.00
6.	गोवा	8	40	348	396	2.02	10.10	87.88	100.00
7.	गुजरात	72	1548	28649	30269	0.24	5.11	94.65	100.00
8.	हरियाणा	0	48	6697	6745	0.00	0.71	99.29	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	921	9613	34833	45367	2.03	21.19	76.78	100.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1709	3576	5899	11184	15.28	31.97	52.74	100.00
11.	झारखंड	484	132	99480	100096	0.48	0.13	99.38	100.00
12.	कर्नाटक	3	20170	36509	56682	0.01	35.58	64.41	100.00
13.	केरल	782	6879	2102	9763	8.01	70.46	21.53	100.00
14.	मध्य प्रदेश	0	0	109489	109489	0.00	0.00	100.00	100.00
15.	महाराष्ट्र	2016	24171	59743	85930	2.35	28.13	69.53	100.00
16.	मणिपुर	10	186	2595	2791	0.36	6.66	92.98	100.00
17.	मेघालय	342	802	7495	8639	3.96	9.28	86.76	100.00
18.	मिजोरम	0	454	457	911	0.00	49.84	50.16	100.00
19.	नागालैण्ड	349	569	607	1525	22.89	37.31	39.80	100.00
20.	उड़ीसा	0	0	114099	114099	0.00	0.00	100.00	100.00
21.	पंजाब	1433	2149	9867	13449	10.66	15.98	73.37	100.00
22.	राजस्थान	5774	5617	82555	93946	6.15	5.98	87.87	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	सिक्किम	0	372	1307	1679	0.00	22.16	77.84	100.00
24.	तमिलनाडु	0	0	66631	66631	0.00	0.00	100.00	100.00
25.	त्रिपुरा	93	307	7012	7412	1.25	4.14	94.60	100.00
26.	उत्तर प्रदेश*	0	0	243633	243633	0.00	0.00	100.00	100.00
27.	उत्तरांचल	119	913	29976	31008	0.38	2.94	96.97	100.00
28.	पश्चिम बंगाल	0	11516	67520	79036	0.00	14.57	85.43	100.00
29.	अं.व निको. द्वीप	0	121	383	504	0.00	24.01	75.99	100.00
30.	दा. व न. हवेली	30	241	245	516	5.81	46.71	47.48	100.00
31.	दमन व द्वीव	0	0	32	32	0.00	0.00	100.00	100.00
32.	दिल्ली	0	0	219	219	0.00	0.00	100.00	100.00
33.	लक्षद्वीप	0	10	0	10	0.00	100.00	0.00	100.00
34.	पांडिचेरी	40	70	157	267	14.98	26.22	58.80	100.00
35.	चण्डीगढ़	0	0	18	18	0.00	0.00	100.00	100.00
	कुल	15102	123636	1283926	1422664	1.06	8.69	90.25	100.00

एन.सी.-कवर की गई, पी.सी. आंशिक रूप से कवर की गई,
एफ.सी.-पूरी तरह कवर की गई
*उत्तर प्रदेश के मामले में एफ.सी. बसावटों में शहरी क्षेत्र में शामिल 125 बसावटें शामिल हैं (उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र सं. 392/20 सूत्रीय कार्यक्रम/ग्रामीण-1 दिनांक 9.4.2002 से प्राप्त जानकारी के अनुसार)।

खनन संबंधी पट्टा और लाइसेंस

2353. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास राज्य स्वीकृति हेतु खनन संबंधी कितने पट्टे और भावी लाइसेंस लंबित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने आवेदनों को स्वीकृति की गई है;

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा शेष आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (ङ) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 10(3) के अंतर्गत टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे की मंजूरी संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाती है उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम की पहली अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट खनिजों के लिए रियायतों की मंजूरी हेतु केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मूल रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और कानून के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार उन पर कार्रवाई करके उनका निपटान करती है। केंद्र सरकार का अनुमोदन कम से कम समय में शीघ्रता से प्रदान करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से

प्राप्त होने वाले प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं और इस प्रकार के मामलों में राज्य सरकारों से ऐसे मामलों के तत्काल निपटान हेतु पूरी सूचना/अतिरिक्त सूचना देने का अनुरोध किया जाता है।

27.11.2002 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के पास टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों की मंजूरी के लिए 82 आवेदन पत्र लंबित हैं। वर्ष 1999-2002 के दौरान 27.11.2002 तक खनिज रियायत की मंजूरी के लिए 885 आवेदन पत्रों का निपटान कर दिया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 1999-2000 (27.11.2002 के स्थिति के अनुसार) के दौरान निपटाए गए आवेदन-पत्रों* की संख्या	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या (27.11.2002) की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	146	4
2.	बिहार	19	–
3.	गोवा	13	1
4.	गुजरात	37	3
5.	हरियाणा	7	–
6.	हिमाचल प्रदेश	6	1
7.	जम्मू और कश्मीर	3	–
8.	कर्नाटक	108	5
9.	केरल	27	5
10.	मध्य प्रदेश	85	10
11.	महाराष्ट्र	52	9
12.	उड़ीसा	108	17
13.	राजस्थान	107	15
14.	सिक्किम	2	–
15.	तमिलनाडु	121	13
16.	उत्तर प्रदेश	3	–
17.	झारखंड	14	3
18.	छत्तीसगढ़	27	5
	कुल	885	82

*आवेदन पत्रों का अर्थ टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र हैं।

प्राथमिक शिक्षा हेतु विश्व बैंक से सहायता

2354. श्री सुबोध मोहिते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने सबके लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी सरकार के कार्यक्रम हेतु व्यापक समर्थन प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) विश्व बैंक ने 12 जून, 2002 को घोषणा की थी कि वर्ष 2015 तक सभी बालिकाओं और बालकों का गुणवत्तापरक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा प्रदान करने संबंधी सहस्राब्दि विकास उद्देश्य को पूरा करने हेतु विकासशील देशों की सहायता करने के लिये "सभी के लिये शिक्षा-फास्ट ट्रैक" में भाग लेने हेतु भारत सहित 23 देशों को आमंत्रित किया जायेगा। ये संसाधन, जिनका लगभग आधा भाग अनुदान के रूप में तथा आधा भाग ऋण के रूप में होगा, प्राथमिक शिक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जैसे बहुपक्षीय/द्विपक्षीय आधार पर मिलने वाली अन्य सहायता के अतिरिक्त होंगे। भारत सरकार ने 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पहले ही राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के निधियन के लिए संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए निर्धारित राशि की उपलब्धता के आधार पर बाह्य सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत अप्रयुक्त धनराशि

2355. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के सामने राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि के उचित उपयोग की सबसे बड़ी चुनौती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि को वापस करने के निदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों द्वारा निधियों का उपयुक्त और पूर्ण उपयोग हो, यह बात सरकार की गंभीर चिंता का विषय है।

(ख) योजनाओं के मार्गनिर्देशों का अनुपालन न किए जाने के कुछ मामले जिनमें निधियों का दुर्विनियोजन और दुरुपयोग शामिल है, कतिपय राज्यों में देखे गये हैं। अनेक राज्य ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध धनराशि का पूर्ण उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में नहीं कर पाये हैं जिसके फलस्वरूप बाद के वर्ष में अथ-शेष अधिक रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जैव उर्वरकों को बढ़ावा

2356. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए गौ-शालाओं को अनुदान देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मनुष्य और पशुधन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) दसवीं योजना के दौरान एक नई योजना "कार्बनिक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना" प्रक्रियाधीन है और इसमें राष्ट्रीय कार्बनिक खेती संस्थान की स्थापना करना सम्मिलित है। इसके कृत्य, देश में कार्बनिक खेती को बढ़ावा देना और इसके विभिन्न पहलुओं को सुसाध्य बताना होंगे। इस योजना में, फल और सब्जी की व्यर्थ मिश्रण इकाइयों जैसी कार्बनिक आदान इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन और जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयों तथा वर्मीकल्चर के लिए हैचरिज को सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ) देश में उर्वरकों की खपत मात्र 90 किग्रा./ प्रति हेक्टेयर है जिसका मानव तथा पशुओं के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत प्रस्तुत परियोजनाएं

2357. श्री के. येरननायडू : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 7 विशेष परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत राज्य के 22 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों के लिए आवर्ती धन सहायता उपलब्ध कराने के लिए सात परियोजना प्रस्ताव भेजे थे। तथापि, परियोजना अनुमोदन समिति (पी.ए.सी. ने पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी के परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते समय यह महसूस किया था कि राज्य सरकार को इस परियोजना और इसी तरह की अन्य 6 परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से संपर्क करने की सलाह दी जा सकती है। तदनुसार राज्य सरकार को सलाह दे दी गई है।

सर्व शिक्षा कार्यक्रम

2358. श्री भीम दाहाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर और सिक्किम में ऐसे बच्चों की संख्या काफी है जो स्कूल नहीं जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार द्वारा सर्व-शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को काफी धनराशि जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें विलम्ब होने और संबंधित जिलों में केंद्रों की पहचान न हो पाने के कारण इस धनराशि को अभी व्यय नहीं किया जा सका है; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों द्वारा अब तक कितनी राशि व्यय की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्कूल बाह्य बच्चों की अनुमानित संख्या 281958 है।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को 6354.25 लाख रु. जारी किये हैं।

वर्ष 2002-2003 के लिए अनुमोदित राशि का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2002-03
1.	अरुणाचल प्रदेश	2510.91
2.	असम	*
3.	मणिपुर	*
4.	मेघालय	जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं प्राप्त नहीं
5.	मिजोरम	1602.24
6.	नागालैंड	1971.17
7.	सिक्किम	930.93
8.	त्रिपुरा	1654.98

*वर्ष 2002-03 हेतु जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के लिए इस कार्यक्रम के तहत असम को क्रमशः 3574 लाख, 4700 लाख और 1800 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

समयपुर सघन औद्योगिक क्षेत्र की अनियोजित योजना में सूचीबद्ध उद्योग

2359. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.पी.डी.-2001 के जोन "सी" हेतु क्षेत्रीय विकास योजना अध्याय 1.2 में नियोजित योजना, अनियोजित योजना और गैर औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले सूचीबद्ध उद्योग स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समयपुर सघन औद्योगिक क्षेत्र की अनियोजित योजना में 78 उद्योगों को सूचीबद्ध करने के क्या कारण हैं जिन्हें औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत नहीं माना जा सकता;

(ग) क्या एम.पी.डी.-2001 के संदर्भ में क्षेत्रीय विकास योजना को विन्यास योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जोन "सी" की जोनल योजना का अध्याय (चैप्टर) 1.2 दिल्ली में जोन की स्थिति के बारे में है।

(ख) जोन "सी" की जोनल योजना के मूल पाठ के अनुसार समयपुर बादली विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र में 78 औद्योगिक इकाईयां चल रही हैं और इनके साथ औद्योगिक नीति के अनुसार निबटा जा सकता है।

(ग) और (घ) जोनल विकास योजना मास्टर प्लान तथा विन्यास योजना (ले आउट प्लान) के बीच की एक कड़ी है। विन्यास योजना किसी उपयोग जोन में परिसरों के अनुमत्य उपयोग विनिर्दिष्ट करती है जिस तरह कि मौजूदा मामले में उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त विन्यास योजना में एक सब-डिविजन योजना के रूप में जोनल योजना के भू-उपयोग प्रस्तावों का ब्यौरा होता है।

पेयजल स्रोत

2360. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पृथ्वी सम्मेलन 2002 आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और इस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या सरकार ने गांवों के पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने की उच्च प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों में पेय जल स्रोतों को उपलब्ध कराने हेतु कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, हां।

(ख) पृथ्वी सम्मेलन, 2002 के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अप्रैल, 2004 तक देश की सभी ग्रामीण बसावटों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के अधीन विशिष्ट योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें मंजूरी दी जाती है तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण

स्थायी विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन ने पर्यावरण और विकास प्रक्रिया पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 10 वर्ष की समीक्षा के रूप में कार्य किया और कार्यसूची 21 के कार्यान्वयन में प्रमुख उपलब्धियों और बाधाओं की पहचान की। डब्ल्यू.एस.एस.डी. द्वारा विचार किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन, उपभोग और उत्पादन की अस्थायी पद्धति में बदलाव, आर्थिक और सामाजिक विकास के प्राकृतिक संसाधन आधार की सुरक्षा और प्रबंधन, आर्थिक और सामाजिक विकास के प्राकृतिक संसाधन आधार की सुरक्षा और प्रबंध, विश्व भूमंडलीकरण में स्थायी विकास, स्वास्थ्य और स्थायी विकास, छोटे द्वीपों और विकासशील देशों का स्थायी विकास, कार्यान्वयन के साधन तथा स्थायी विकास के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क शामिल हैं।

शिखर सम्मेलन का प्रमुख निष्कर्ष था कि इसने अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची के प्रमुख तत्व के रूप में ''स्थायी विकास'' की पुनः पुष्टि की और गरीबी का सामना करने और पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई पर विशेष बल दिया। शिखर सम्मेलन के फलस्वरूप स्थायी विकास की समझ-बूझ का विस्तार हुआ और इसे मजबूत बनाया गया, खासकर गरीबी, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बीच मुख्य संपर्क स्थापित किए गए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों और विभिन्न बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के उद्देश्यों को दुहराने के अलावा, भारत सहित विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई समन्वित नीति के परिणामस्वरूप शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित पर सहमति हुई:

(1) वर्ष 2015 तक स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधा पाने वाले लोगों की संख्या को आधा बढ़ाना।

(2) वर्ष 2015 तक बिना स्वच्छ ऊर्जा वाले लोगों के अनुपात में कमी लाना।

(3) आवश्यक संसाधनों से विकासशील देशों की मदद करना ताकि धीरे-धीरे पुनः सक्रिय की जा सकने वाली ऊर्जा के हिस्से में वृद्धि की जा सके।

(4) उत्पत्तिमूलक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष और एक समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी पद्धति से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाना।

(5) अस्थायी खपत और उत्पादन की मौजूदा पद्धति से हटने में विकसित देश आगे आएं।

(6) इको-लेबलिंग, जीवन-चक्र मानदंड और आई.एल.ओ. के कोरे श्रम मानदंडों को शामिल करने के रूप में छद्म व्यापारिक प्रतिबंध लगाने में विभिन्न समूहों द्वारा किए गए प्रयासों पर सफलतापूर्वक रोक लगाना।

शिखर सम्मेलन के बाद राजनीतिक उद्घोषणा और कार्यान्वयन की योजना में विकाससील देशों की चिंताओं को उजागर किया गया है और डब्ल्यू.एस.डी. में आए सभी देशों की सहमति को दर्शाया गया है। कार्यान्वयन की योजना में इन मुद्दों का समाधान करने के लिए शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की गई है। सरकार वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं की बेंचमार्क के निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी करती है जिसमें स्थायी विकास के सभी तत्व शामिल हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने विश्व शिखर सम्मेलन में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र बनाया है।

शिक्षा यात्रा

2361. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि शिक्षा यात्रा नामक शिक्षा का अधिकार संबंधी एक अभियान पूरे भारत में चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) जी, हां। सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति की उद्देश्य से जनता में जागृति पैदा करने तथा वातावरण तैयार करने और समुदाय के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, नई दिल्ली ने देश के चार भिन्न-भिन्न भागों (पंजाब तथा बिहार से 23 सितम्बर, 2002 को, तमिलनाडु से 3 अक्तूबर को तथा गुवाहाटी से 30 सितम्बर, 2002 को; सभी चारों यात्राएं 18 अक्तूबर, 2002 को बंगलौर में जा मिली) से एक सर्व शिक्षा अभियान यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा से संबंधित किसी मांग की प्राप्ति इस मंत्रालय को नहीं हुई है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों हेतु परियोजनाओं की रामीक्षा

2362. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी उन्मूलन योजनाएं अप्रभावी साबित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों की पहचान करने की वर्तमान पद्धति की समीक्षा करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए घोषित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लाभों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लाभ के लिए अलग से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (ए.जी.एस.वाई.), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) तथा इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) को कार्यान्वित कर रहा है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय बी.पी.एल. परिवारों के लाभ के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) और अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारी योजना, मासिक प्रगति रिपोर्टों और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों के साथ वार्ताओं के जरिए अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करता है।

(ङ) जी, हां।

(च) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का पता लगाने के लिए चालू वर्ष के दौरान बी.पी.ए. जनगणना शुरू करने की सलाह दी गई है। इस प्रयोजन के लिए 13 सामाजिक आर्थिक सूचकांकों सहित एक-स्कोर-आधारित सर्वेक्षण अनुसूची शुरू की गई है तथा जनगणना के निष्कर्ष के आधार पर बी.पी.एल. सूची बनाई जाएगी। मंत्रालय के कार्यक्रमों के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा बी.पी.एल. सूची से किया जाता है जिसे ग्राम सभा द्वारा ही अनुमोदित किया जाना होता है।

(छ) वर्ष 2001-2002 के दौरान कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या अनुबंध में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2001-02 के दौरान बी.पी.एल. लोगों के लिए प्रमुख योजनाओं के तहत उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेजीएसवाई श्रमदिनों की संख्या	एसजीएसवाई स्वरोजगारियों की संख्या	ईएएस श्रमदिनों की संख्या	आईएवाई मकानों की संख्या	टीपीडीएस बीपीएल परिवारों की अनुमानित सं. (लाख में)	एएवाई परिवारों की अनुमानित सं. (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	143.94	79211.00	159.45	82228.00	34.40	6.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.57	1564.00	4.84	4542.00	0.84	0.15
3.	असम	206.71	15805.00	200.66	46817.00	15.55	2.81
4.	बिहार	156.17	146925.00	138.13	167979.00	55.23	10.00
5.	छत्तीसगढ़	76.09	26907.00	299.00	22996.00	16.88	2.87
6.	गोवा	0.57	2016.00	0.09	317.00	0.41	0.07
7.	गुजरात	39.32	20963.00	30.42	27497.00	17.95	3.25
8.	हरियाणा	48.84	14847.00	57.94	9814.00	6.68	1.21
9.	हिमाचल प्रदेश	13.90	9091.00	11.91	3852.00	4.35	0.79
10.	जम्मू व कश्मीर	21.51	14978.00	11.34	7632.00	6.23	1.13
11.	झारखण्ड	149.00	70699.00	121.37	49052.00	20.28	3.66
12.	कर्नाटक	84.36	42944.00	88.04	43824.00	26.49	4.80
13.	केरल	31.71	27046.00	33.11	21372.00	13.16	2.38
14.	मध्य प्रदेश	242.52	63910.00	225.82	64962.00	34.93	6.32
15.	महाराष्ट्र	229.39	70602.00	217.08	88773.00	55.32	10.02
16.	मणिपुर	3.67	0.00	0.00	0.00	1.41	0.25
17.	मेघालय	17.25	8950.00	6.69	3953.00	1.55	0.28
18.	मिजोरम	4.24	3822.00	5.77	1275.00	0.58	0.10
19.	नागालैण्ड	4.28	1138.00	4.08	4441.00	1.05	0.19
20.	उड़ीसा	236.80	59233.00	174.28	101443.00	27.93	5.05
21.	पंजाब	8.75	6272.00	9.75	5317.00	3.96	0.72

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	72.13	36053.00	82.56	30471.00	20.58	3.73
23.	सिक्किम	3.39	2145.00	2.01	1754.00	0.36	0.07
24.	तमिलनाडु	139.54	54614.00	132.51	43540.00	41.18	7.45
25.	त्रिपुरा	30.06	20652.00	43.52	10382.00	2.50	0.45
26.	उत्तर प्रदेश	261.08	121400.00	185.68	171944.00	90.42	16.37
27.	उत्तरांचल	26.74	17715.00	12.38	11245.00	4.22	0.76
28.	पश्चिम बंगाल	94.56	15480.00	61.85	71553.00	43.85	7.94
29.	अण्ड. निकोबार द्वीप समूह	16.03	470.00	0.13	858.00	0.24	0.04
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.03
31.	दादर व नगर हवेली	0.00	26.00	0.03	77.00	0.15	0.03
32.	दमन व द्वीव	0.00	26.00	0.00	66.00	0.03	0.01
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.63
34.	लक्षद्वीप	0.21	0.00	0.15	15.00	0.03	0.004
35.	पांडिचेरी	0.19	437.00	0.06	266.00	0.71	0.13

*जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) तथा सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) को अब सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) में मिला दिया गया है।

भारी उद्योगों का विनिवेश

2363. **श्री गुनीपाटी रामैया :**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विनिवेश हेतु भारी उद्योगों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों के विनिवेश का निर्णय लिया गया है;

(ग) इन उद्योगों की वित्तीय स्थिति क्या है;

(घ) विनिवेश के लिए निर्धारित प्राथमिकता, यदि कोई हो, का आधार क्या है; और

(ङ) इनका कब तक विनिवेश किए जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) विनिवेश नीति के अनुसार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को "महत्वपूर्ण" और "गैर-महत्वपूर्ण" के रूप में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित उद्योगों की "महत्वपूर्ण" उद्योगों के रूप में पहचान की गई है।

(1) आयुद्ध तथा गोला बारूद और सुरक्षा उपस्करों से संबद्ध मदें रक्षा वायुयान तथा युद्धपोत;

(2) परमाणु ऊर्जा (आण्विक ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों और कृषि संबंधी औषधियों और गैर-महत्वपूर्ण उद्योगों में विकिरण तथा रेडियो आइसोटोप के अनुप्रयोग को छोड़कर);

(3) रेल यातायात।

अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम "गैर-महत्वपूर्ण" माने गए हैं जिनमें सरकारी इक्विटी का 26 प्रतिशत अथवा, यदि आवश्यक हो, उसके निचले स्तर तक विनिवेश करने का निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाता है।

(ख) और (ग) ऐसे 54 मामले हैं जो प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची, उनकी स्थिति और उनकी वित्तीय स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) विनिवेश की प्राथमिकता, बाजार परिस्थितियों, विनिवेश की प्रकृति और अन्य ऐसे कारक को ध्यान में रखकर तय की जाती है जिससे प्राप्य मूल्य के प्रभावित होने की संभावना रहती है।

(ङ) विनिवेश एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। तथापि, विनिवेश के लिए अपनाई गई प्रक्रिया जटिल है, जिसमें बहु-स्तरीय अन्तर्मंत्रालय परामर्श और संयुक्त रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। इससे यह पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है कि निश्चित रूप से कब कोई मामला पूरा हो जाएगा। विनिवेश बाजार परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए समय का सावधानीपूर्वक अंशाकन करती है कि सर्वोत्तम बिक्री अर्थागम प्राप्त हो। यह सौदा पूरा करने के लिए समय-सीमा को कुछ-कुछ अनिश्चित बना देता है। इन कारणों की वजह से प्रत्येक सौदे में पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि कब वह पूरा हो जाएगा। तथापि, विनिवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/इकाईयां	वर्ष 2000-01 में लाभ/हानि
1	2	3
	क. उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम, जिनमें विनिवेश का निर्णय ले लिया गया है और विनिवेश प्रगति पर है	
1.	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	(-) 39.06
2.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	(+) 27.31
3.	बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड	(+) 6.01
4.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी	(+) 1.74
5.	बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कम्पनी	(-) 45.22
6.	भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड	(+) 0.94
7.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड	(+) 17.76
8.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	(-) 1956.58
9.	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड	(-) 2.19
10.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	(-) 71.41
11.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	(-) 105.80
12.	इन्स्ट्रूमैन्टेशन कंट्रोल वाल्वस लिमिटेड, पलाकड	(+) 0.16

1	2	3
13.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	(-) 29.76
14.	मेकॉन लिमिटेड	(-) 51.36
15.	मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	(+) 12.39
16.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	(+) 655.83
17.	नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट लिमिटेड	(+) 0.09
18.	नेपा लिमिटेड	(+) 4.86
19.	भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	(+) 26.65
20.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	(+) 382.56
21.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया	(-) 66.43
22.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड	(+) 0.07
23.	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड	(+) 123.86
24.	मैगनीज और इण्डिया लिमिटेड	(+) 20.05
25.	स्पांज आयरन इण्डिया लिमिटेड	(+) 6.64
26.	भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड	(-) 37.69
27.	इन्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड, कोटा (मदर यूनिट)	(-) 34.52
28.	हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड	· (+) 32.80
29.	होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, संतूर होटल एयरपोर्ट, दिल्ली (सेफेयर दिल्ली सहित)	(-) 17.73
30.	होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, सेफेयर मुम्बई	(+) 0.62
31.	आई.टी.डी.सी. होटल सम्राट, नई दिल्ली (पट्टा-सह-प्रबंधन नियंत्रण)	(-) 2.36*
32.	आई.टी.डी.सी. होटल जयपुर अशोक	(-) 2.30
33.	आई.टी.डी.सी. होटल, पाटलीपुत्र अशोक	(-) 0.50
34.	आई.टी.डी.ी. होटल, कलिंग अशोक	(-) 1.40
35.	आई.टी.डी.सी. होटल, जम्मू अशोक	(-) 0.80
	ख. भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त क्षेत्र होटल सम्पत्तियां, जिनके लिए सरकार, राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रही है	
36.	होटल नीलांचल अशोक, पुरी	(-) 0.98

1	2	3
37.	होटल लेकव्यूह अशोक, भोपाल	(-) 56.83
38.	होटल रांची अशोक, रांची	(-) 71.10
39.	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी	(-) 0.20
40.	होटल पाण्डिचेरी अशोक, पाण्डिचेरी	(-) 0.25
41.	होटल दोनयी पोलो अशोक, ईटानगर	(-) 0.014
42.	होटल पंजाब अशोक, आनन्दपुर साहिब	(-) 0.08**
	ग. विनिवेश 7.9.2002 को तीन महीने के लिए स्थगित किया गया	
43.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	(+) 820.12
44.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(+) 1088.01
	घ. पहले की बिक्री के लिए प्रतिक्रिया न होने के बाद विनिवेश प्रक्रिया पुनः आरम्भ नहीं की गई	
45.	एयर इण्डिया	(-) 44.13
46.	इण्डियन एयरलाइन्स	(-) 159.17
	ङ. शेष बचे शेयरों की बाजार में खुली पेशकश	
47.	मारुति उद्योग लिमिटेड	(-) 269.40
	च. विनिवेश आयोग से प्राप्त सिफारिशें	
48.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(+) 725.92
49.	रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड	(+) 7.47
50.	प्रोजेक्टस एण्ड इक्यूपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(+) 2.58
51.	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड	(+) 65.60
52.	सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(-) 78.26
53.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	(+) 38.49
54.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	(-) 18.98

*वर्ष 1999-2000 का घाटा

**31.3.2002 की स्थिति के अनुसार संचित घाटा

[हिन्दी]

कापार्ट द्वारा आरम्भ की गई योजनाएं

2364. **श्री राजनारायण पासी :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में कापार्ट के अंतर्गत योजनाओं हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत परियोजनाओं और आबंटित/प्रयुक्त धनराशि और इन संगठनों द्वारा व्यय न की गई राशि का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में धनराशि के दुर्विनियोजन के कितने मामले पाये गए है और उनमें संलिप्त पाये गए स्वैच्छिक संगठनों और पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

यमुना घाट का विकास

2365. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 2002 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में यमुना घाट का धार्मिक स्थल के रूप में विकास के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) उक्त घाट का कब तक विकास किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि विभिन्न अवसरों पर यमुना क्षेत्र में आने वाले लोगों को सुविधाएं प्रदान करने और इस क्षेत्र का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है। तथापि, अभी इस परियोजना पर केवल विचार ही किया जा रहा है और विस्तृत प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

1984 के दंगे

2366. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिख विरोधी दंगा पीड़ित समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने नवम्बर, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामलों को दिल्ली पुलिस से केन्द्रीय जांच ब्यौरों के विशेष न्यायालय को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस को इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कुछ संगठनों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, मानसरोवर पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज दो प्रथम सूचना रिपोर्टें सं. 320/96 और 321/96 को वर्ष 2001 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित किया गया। इन मामलों की पुनः जांच पड़ताल करने के बाद, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस के निष्कर्षों की पुष्टि की है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज और जांच-पड़ताल किए गए एक मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अलग से की गई थी। इन दोनों मामलों को मिला दिया गया और इनकी सुनवाई उसी न्यायालय में की जा रही है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में केन्द्र सरकार के माध्यम से परियोजनाओं को आगे बढ़ाना

2367. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान बैंक आफ इन्टरनेशनल-कॉपरेशन के एक मिशन ने राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कर्नाटक सरकार द्वारा गरीबी के स्तर को कम करने के प्रयासों की प्रशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मिशन ने राज्य योजना बोर्ड के दौरे और उसके उपाध्यक्ष से विचार-विमर्श के उपरान्त अपनी यह राय दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या जापान बैंक आफ इन्टरनेशनल कापरेशन ने कर्नाटक सरकार को राज्य परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देने के लिए केन्द्र सरकार के माध्यम से परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कर्नाटक सरकार की सहायता हेतु केन्द्र सरकार किस सीमा तक सहमत हुई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

आलेख चयन मानदंड

2368. श्री मोहन रावले : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचना, शिक्षा और संचार प्रभाग द्वारा आलेखों, श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमों के मूल्यांकन और चयन हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सूचना, शिक्षा और संचार प्रभाग द्वारा इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और आम लोगों पर उनके प्रभाव की निगरानी और देख-रेख की जाती है;

(ग) सूचना, शिक्षा और संचार प्रभाग का मुद्रित सामग्री श्रव्य-दृश्य और फिल्म निर्माण के संबंध में कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना, शिक्षा और संचार प्रभाग के बजटीय आवंटन और इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान किसी दृश्य और श्रव्य 'स्पोट्स' का निर्माण किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान आकाशवाणी/दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विभाग द्वारा दिखाया, प्रसारित अथवा उपयोग नहीं किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) मंत्रालय में संबंधित कार्यक्रम प्रभाग से परामर्श कर स्क्रिप्ट और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम पर विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

(ख) मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमों सहित सभी आई.ई.सी. गतिविधियों की गुणवत्ता एवं प्रभाव के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों के बीच ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आई.ई.सी. प्रभाग द्वारा अधिकांश उपलब्ध संचार साधनों के जरिए आई.ई.सी. गतिविधियां चलाई जाती हैं। प्रिंट मीडिया में अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में आवधिक रूप से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच व्यापक वितरण के लिए विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रमों पर बुकलेट और पर्चे भी छापे जाते हैं। आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित दिशा-निर्देश, नियमावली, मूल्यांकन अध्ययन भी छापे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (श्रव्य और श्रव्य-दृश्य) में श्रव्य/दृश्य स्पॉट के साथ-साथ हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में आधे घंटे के कार्यक्रम भी बनाये जाते हैं और दूरदर्शन पर दिखाये/आकाशवाणी पर प्रसारित किये जाते हैं।

(घ) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	आबंटन (लाख रु. में)	उपयोग (लाख रु. में)
1.	1999-2000	2395.00	2395.00
2.	2000-2001	2060.00	2060.00
3.	2001-2002	1881.72 + 3580.00* (*बचत से पुनर्विनियोजन द्वारा)	5461.72

(ङ) से (छ) उपर्युक्त अवधि के दौरान, आधे घंटे की अवधि के 1015 विडियो कार्यक्रम के साथ-साथ हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में 44 श्रव्य स्पॉट, 188 वीडियो स्पॉट, 29 भाषाओं और बोलियों में आधे घंटे की अवधि के 35 रेडियो कार्यक्रम और हिन्दी तथा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 15 मिनट की अवधि के 119 प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम बनाए गए थे दूरदर्शन के समाचार और सम-सामयिक कार्यक्रम से संबंधित चैनल द्वारा निर्मित दो को छोड़कर ये सभी कार्यक्रम प्रसारित/दिखाए जा चुके हैं।

दिल्ली में मेट्रो रेल हेतु कर्मचारी

2369. श्रीमती प्रभा राव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मेट्रो रेल के कर्मचारियों को इन अत्याधुनिक रेलगाड़ियों के रख-रखाव और संचालन के संबंध में अत्यावश्यक प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है और इस तरह से भर्ती किए गए कर्मचारियों द्वारा रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा;

(ग) क्या इन रेलगाड़ियों की आपूर्ति करने वाले देशों के तकनीकी और अन्य कर्मचारी भी इस सेवा की शुरूआत के आरम्भिक चरण में इन रेलगाड़ियों का संयुक्त रूप से संचालन करने हेतु उपलब्ध रहेंगे; और

(घ) यदि हां, तो सभी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों की तैनाती को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां। स्टाफ को परिसंपत्तियों के रखरखाव और प्रचालन में अपेक्षित आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) विधिवत प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा ट्रेनें प्रचालित की जाएगी।

(ग) परिसंपत्तियों को प्रारंभिक चरण में काम में लाने के लिए ठेके में पर्यवेक्षकों और सामग्रियों के संदर्भ में तकनीकी सहायता का प्रावधान भी है।

(घ) लगाए जाने वाले स्टाफ को तकनीकी और प्रचालन संबंधी मामलों पर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

शिक्षा सुविधाएं

2370. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 19 करोड़ बच्चों में मात्र 3.5 करोड़ बच्चों को ही पूर्ण शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने वाले 3.5 करोड़ बच्चों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2002-2003 में इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि दी गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) 6-14 आयु-वर्ग में अनुमानित 19.2 करोड़ स्कूली बच्चों में से सिर्फ 3.5 करोड़ बच्चे स्कूल से जुड़े नहीं हैं। सरकार इन स्कूल-बाह्य बच्चों को स्कूलों में लाने तथा विद्यमान स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान कर रही है। प्रदान की जा रही सुविधाओं में निम्नलिखित बातें शामिल हैं-नए स्कूल/शिक्षा गारंटी योजना केंद्र खोलना, स्कूल भवनों तथा अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, मध्याह्न भोजन, स्कूल सुधार अनुदान, शिक्षक अनुदान, अनुरक्षण अनुदान आदि। 2002-2003 में इन कार्यकलापों के लिए आवंटित कुल राशि 4430.5 करोड़ रुपए है।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का परित्याग

2371. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वर्ष 2002 (सिविल) की रिपोर्ट 3 के पैरा 5.3 में उल्लेख किया गया है कि कई राज्यों में योजनाओं को त्यागने के कारण 197.52 करोड़ रु. का अपव्यय हुआ है;

(ख) क्या वर्ष 1998-2001 के दौरान 18,245 नलकूपों की खुदाई के लिए निर्धारित 22.70 करोड़ रु. की कुल लागत में से 16.58 करोड़ रु. के खर्च पर मात्र 9244 नलकूप लगाए गए;

(ग) क्या लक्षित ग्रामीण लोगों को लौह तत्व मुक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका;

(घ) क्या सरकार ने मामले की जांच की है और वर्ष 1972-73 और 1998-2001 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत योजनाओं को त्यागने के क्या कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (च) वर्ष 2002 के लिए सी. एंड ए.जी. की रिपोर्ट सं. 3 के अध्याय-III (मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए) में 1997-98 से 2000-2001 की अवधि के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है तथा विभिन्न टिप्पणियां की गई हैं जिनमें ऐसी टिप्पणियां भी शामिल हैं जिनका इस प्रश्न में उल्लेख है। रिपोर्ट के पैरा 5.3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह देखा गया है कि 19 राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों ने औसतन 197.52 करोड़ रु. खर्च करने के बाद 2,371 योजनाओं को इनके निष्पादन के दौरान बंद कर दिया जिसके फलस्वरूप समस्त खर्च निष्फल हो गया है। यह बताया गया है कि ये योजनाएं विभिन्न कारणों की वजह से असफल हो गई हैं जैसा कि स्रोत सूख गए हैं, ट्यूबवैलों का बेकार हो जाना, जल का कम बहाव, भू और कच्चे जल उपलब्ध न होना, स्थलों का गलत चयन, भूमि उपलब्ध न होना, स्थानीय लोगों द्वारा उठाई गई आपत्तियां, अन्य विवाद, डैम कार्य पूरे न होना, उपचारी संयंत्रों को न बनाना, महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध न होना, डिजाइन और ड्राइंग में त्रुटियां आदि। आयोजना में गंभीर त्रुटियों और अप्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप अन्य योजनाएं बीच में समाप्त हो गई।

पेय जल आपूर्ति राज्य विषय होने के कारण पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने की योजनाएं राज्यों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को बनाने, मंजूर और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं।

सी. एंड ए.जी. रिपोर्ट में निहित अधिकांश टिप्पणियां राज्य विशिष्ट हैं तथा इसलिए इन पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारों को उनसे संबंधित टिप्पणियों पर अपनी राय भेजने के लिए पहले ही आग्रह कर दिया गया है।

सरकारी प्रेसों में लगायी गयी मशीनें/उपकरण

2372. श्री अधीर चौधरी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 2000 में लोक लेखा समिति को विभिन्न सरकारी प्रेसों में लगायी गयी मशीनें/उपकरण और लगभग 90121.244 मीट्रिक टन प्रिंटिंग पेपर की खरीद के संबंध में जानकारी दी है;

(ख) क्या इस संबंध में दी गयी जानकारी 22.11.2001 को राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की विशेष जांच रिपोर्ट में दी गयी जानकारी से भिन्न है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) भारत सरकार के विभिन्न प्रेसों में लगाई गई मशीनों/उपस्करों तथा कागज की खरीद प्रक्रिया के बारे में सूचना जुलाई, 2000 में लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) और (ग) लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक सूचना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विशेष जांच रिपोर्ट में दी गई सूचना से भिन्न नहीं थी। तथापि, विशेष जांच रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्ष में भिन्नता थी। बुनियादी भिन्नता कवल विभिन्न मशीनों की क्षमता उपयोग सीमा के बारे में थी। लेखा परीक्षा ने निविदा स्वीकृति में उल्लिखित ''क्षमता दर'' के आधार पर ''क्षमता उपयोग'' का आकलन किया है। लेखा परीक्षा ने कुल वार्षिक कार्य घंटों के साथ मशीन की अधिकतम गति को गुणा किया है। लेखा परीक्षा की इन आपत्तियों के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया है कि ''क्षमता उपयोग'' मशीन की ''वार्षिक आकलित क्षमता'' के अनुसार निकाला जाता है न कि निविदा स्वीकृति में उल्लिखित ''क्षमता दर'' के अनुसार। जैसा कि निविदा स्वीकृति में दर्शाया गया है। अधिकतम गति जैसा कि निविदा स्वीकृति में दर्शाया गया है, केवल आदर्श स्थितियों में ही प्राप्त की जा सकती है जो व्यवहारिक रूप में नहीं होती। किसी मशीन विशेष की गति कार्यों की प्रकृति तथा अन्य विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा समय के साथ-साथ मशीन की संचलन क्षमता में कमी आती है। अतः मशीन की ''वार्षिक आकलित क्षमता'' नियमित अंतरालों पर आंकी जाती है और समय-समय पर यह बदलती रहती है। यह स्पष्टीकरण दिनांक 7.8.2001 को लेखा परीक्षा को दे दिया गया था और लेखा परीक्षा से अभी तक कोई अन्य टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में ज्योतिष पाठ्यक्रम शुरू करना

2373. **श्री प्रबोध पण्डा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के नाम क्या हैं जहां ज्योतिष, वैदिक गणित और कर्मकाण्ड पढ़ाया जा रहा है;

(ख) इन विषयों को पढ़ने के लिए कितने विद्यार्थियों ने अपना नाम दर्ज कराया है; और

(ग) इन विषयों को पढ़ाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कितने शिक्षक नियुक्त किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 16 विश्वविद्यालयों में केवल वैदिक ज्योतिष शास्त्र को शुरू करने का अनुमोदन प्रदान किया है, जिनकी सूची संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

विवरण

वैदिक ज्योतिष शास्त्र विभाग के लिए चुने गए विश्वविद्यालयों की सूची

1. बी.आर. अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, आगरा
2. बी.आई.टी.एस., मेसरा
3. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
4. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
5. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
7. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै
8. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
9. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
10. रांची विश्वविद्यालय, रांची
11. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
12. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति
13. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट
14. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी
15. शनमुघ कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान अकादमी, तमिलनाडु
16. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

नई इकाई क्षेत्र प्रणाली

2374. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अक्तूबर, 2002 में प्रमुख समाचार पत्रों में संपत्ति कर निर्धारण हेतु नई इकाई क्षेत्र प्रणाली के संबंध में प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या एक छोटे दुकानदार द्वारा अपने घर की ऊपरी मंजिल पर कुछ सामान रखने पर व्यावसायिक दरों पर गृह कर और जलकर देना होगा जबकि उसका पड़ोसी आवासीय उद्देश्य के लिए उसी प्रकार के घर के उपयोग के लिए कम कर देगा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सम्पतिकर का निर्धारण करते समय कारक यथा–स्वयं रहना, भूखंड का कुल क्षेत्र और कवर्ड एरिया, निर्माण का वर्ष और लागत और संपत्ति का आवासीय/व्यावसायिक उपयोग आदि कारकों पर भी विचार किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो इसके लिए किन तौर-तरीकों को अपनाये जाने का विचार है; और

(छ) पुराने घरों में स्वयं रहने वाले लोगों के हितों की किस प्रकार रक्षा किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (छ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि संपत्ति कर के लिए इकाई क्षेत्र प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। आगे की कार्रवाई समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति

2375. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशों में अध्ययन हेतु सरकार द्वारा कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलने की संभावना है; और

(ग) यह छात्रवृत्ति देने के लिए निर्धारित मानदण्ड का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विभिन्न देशों के साथ सम्पन्न किए गए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत पिछले तीन वर्ष के दौरान दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या इस प्रकार है:

1999-00	73
2000-01	86
2001-02	117

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान लगभग 150 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्राप्त होने की संभावना है।

(ग) चयन का मानदण्ड योग्यता है जिसका निर्णय एक समिति करती है जिसमें विनिर्दिष्ट विषयों के विशेषज्ञ, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले देश के प्रतिनिधि होते हैं। शैक्षिक उपलब्धि, व्यावसायिक अनुभव, अनुसंधान प्रस्ताव की गुणवत्ता, उद्देश्य की स्पष्टता, सामान्य व्यक्तित्व, परिपक्वता, छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले देश की जानकारी और सम-सामयिक मामलों की सामान्य जानकारी के आधार पर आवेदन पत्रों की छंटाई और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के बाद अभ्यर्थियों के नाम अंतिम चयन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले देश को भेज दिये जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के गांवों का विकास

2376. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के गांवों विशेषत: देश के दक्षिणी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र के गांवों के त्वरित विकास हेतु नई पहल तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के समक्ष विचारार्थ प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी/कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों के साथ-साथ देश के सभी हिस्सों के ग्रामीण गांवों का तेजी से विकास करना है।

(ख) प्रमुख कार्यक्रमों में ये शामिल है-संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जल संभरण विकास, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।

(ग) मंत्रालय योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केन्द्रीय अंश प्रदान करता है। सबसे निचले स्तर पर कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक चार सूत्री रणनीति अपनायी गई है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

* योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना
* पारदर्शिता
* लोगों की भागीदारी
* जवाबदेही-ग्राम सभाओं के जरिए सामाजिक लेखापरीक्षा

(घ) चालू वर्ष के दौरान, विभिन्न आबंटन आधारित कार्यक्रमों अर्थात् संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2002-2003 के दौरान राज्यवार केन्द्र आवंटन (लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.जी. आर.वाई.	एस.जी. एस.वाई.	आई.ए. वाई.	ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	47001.96	3068.31	12070.22	14865.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2621.63	127.10	569.03	4977.00
3.	असम	68009.55	3302.59	12823.65	8407.00
4.	बिहार	89969.59	7300.00	32787.84	7406.00
5.	छत्तीसगढ	22995.77	1620.58	2064.05	2443.00
6.	गोवा	392.24	50.00	77.98	122.00
7.	गुजरात	15756.48	1154.96	3468.85	6699.00
8.	हरियाणा	8746.44	679.48	1172.95	2946.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4070.32	286.16	518.91	5643.00
10.	जम्मू व कश्मीर	5035.85	354.16	620.72	12388.00
11.	झारखण्ड	58020.32	2751.41	9633.38	3063.00
12.	कर्नाटक	34287.46	2317.00	6243.52	12313.00
13.	केरल	15666.87	1039.63	3868.97	3698.00
14.	मध्य प्रदेश	47397.06	3474.22	7202.92	7159.00
15.	महाराष्ट्र	61453.75	4580.15	11077.83	16829.00
16.	मणिपुर	4566.58	221.40	679.51	1826.00
17.	मेघालय	5116.94	248.05	902.85	1957.00
18.	मिजोरम	1184.06	57.40	216.73	1398.00
19.	नागालैण्ड	3319.34	170.16	582.84	1454.00
20.	उड़ीसा	52883.81	3509.50	9716.97	6225.00
21.	पंजाब	7058.36	330.22	777.00	2581.00
22.	राजस्थान	21835.74	1759.38	3273.06	26750.00
23.	सिक्किम	1311.36	63.55	156.25	597.00

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडू	41024.41	2713.06	6061.33	5358.00
25.	त्रिपुरा	8246.10	399.75	1318.25	1734.00
26.	उत्तर प्रदेश	134999.52	10509.37	22100.00	13022.00
27.	उत्तरांचल	9856.20	552.30	2295.43	3083.00
28.	पश्चिम बंगाल	53516.84	3900.11	13026.91	8545.00
29.	अण्ड. निकोबार द्वीपसमूह	272.39	50.00	146.82	13.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	270.93	50.00	77.05	7.00
32.	दमन व द्वीव	30.27	50.00	31.89	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	5.00
34.	लक्षद्वीप	48.16	50.00	2.50	0.00
35.	पांडिचेरी	383.18	50.00	72.90	5.00
	अखिल भारत	827349.48	56790.00	165640.01	183518.00

ए.जी.आर.वाई.–सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

एस.जी.एस.वाई.–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

आई.ए.वाई.–ईंदिरा आवास योजना

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.–त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

[अनुवाद]

दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियां

2377. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने एतिहासिक जामा मस्जिद और इसके आस-पास के क्षेत्र के आतंकवादी और समाज विरोधी गतिविधियों हेतु दुरूपयोग के संबंध में केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई कट्टर आतंकवादी जामा मस्जिद में छुपे हुए हैं और क्या मस्जिद के आस-पास के क्षेत्र का गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐतिहासिक जामा मस्जिद का आतंकवादियों द्वारा दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भारत-अर्जेंटिना सहयोग

2378. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्जेंटिना ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अर्जेंटिना से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अर्जेंटिना के साथ संयुक्त रूप से जैव प्रौद्योगिकी के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान और विकास में निवेश

2379. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य कई विकासशील देशों की तुलना में भारत की अनुसंधान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धियों में विशेष गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनुसंधान उपलब्धियों के संदर्भ में भारत 1980 में 8वें स्थान से गिरकर 1995 में 13वें स्थान पर पहुंच गया और वर्तमान में इसका स्थान 15वां है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या यह भी सच है कि यह गिरावट उस समय आई है जब देश में विश्वविद्यालयों की संख्या दुगनी हो गयी और अनुसंधान और विकास पर व्यय लगभग 16 गुना बढ़ गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ज) क्या गत 20 वर्षों में भारत में तैयार वैज्ञानिक पेपरों की संख्या 15000 से घटकर 12000 रह गयी है;

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ञ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों पर 34083.37 करोड़ रु. का निवेश किया गया और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके 76950.43 करोड़ रु. तक कर दिए जाने का अनुमान है। इस निवेश में केन्द्र एवं राज्य सरकारों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की आंतरिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एस.आई.आर.ओ.) के अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय शामिल हैं।

भारत में अनुसंधान की उपलब्धियों में गिरावट नहीं आई है। वस्तुतः विगत 20 वर्षों में भारत में तैयार किए गए वैज्ञानिक लेखों में वृद्धि हुई है और 1981 में प्रकाशित 15034 लेखों की तुलना में 2001 में इनकी संख्या बढ़कर 25339 हो गई है। साइंस साइटेशन इंडैक्स के आधार पर भी भारतीय शोध उपलब्धियों की संख्या 1981 में 13119 से बढ़कर 2001 में 13425 हो गई है, तथापि कवर की गई पत्रिकाओं की संख्या 1981 में 34 थी जो घट कर 2001 में 10 हो गई है।

साइंस साइटेशन इंडैक्स डाटा बेस के अनुसार भारत का स्थान 1980 में 8वां, 1995 में 14वां और 2000 में .15वां था। तथापि साइंस साइटेशन इंडैक्स डाटाबेस के आधार पर शोध उपलब्धियों की तुलना वास्तविक नहीं है क्योंकि भारत के लिए पत्रिकाओं की इसको कवरेज बहुत कम है और विगत 2 दशकों में यह अस्थिर रही है। वर्तमान में डाटा बेस द्वारा 5600 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाक्षिकों को कवर किया जाता है जिसमें भारत के केवल 10 पाक्षिक ही शामिल हैं। साइंस साइटेशन इंडैक्स में शामिल की गई भारतीय पत्रिकाओं की संख्या 1981 में 34 थी जो 1995 में घटकर 11 और 2001 में 10 हो गई है।

राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की गई खोज

2380. श्री वाई.वी. राव :
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :

क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय महासागार प्रौद्योगिकी संस्थान ने संभावित हड़प्पा पूर्व सभ्यता के संकेत दिए थे;

(ख) यदि हां, तो अन्वेषण का आधार क्या है;

(ग) इस मामले में आगे अनुसंधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा क्या खोज की गयी है;

(ङ) क्या किसी पुरानी सभ्यता के संबंध में कोई नयी जानकारी प्रकाश में आयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) महासागर विकास विभाग, भारत सरकार के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान को अक्टूबर 2000 से मार्च 2001 के दौरान संभात की खाड़ी में किए गए अन्तर्जल सर्वेक्षण के समय 30-40 मीटर जल गहराई में समुद्र के बीच में नदी क्षेत्र की तरह निर्मित क्षेत्र का पता चला। गुजरात में हजीरा के पश्चिम में फैले लगभग 9 किलोमीटर क्षेत्र में सुनिर्मित गृह बेसमेंट जैसे अवशेष दिखाई दिए यह क्षेत्र बालू तरंगों एवं बालू ऊर्मिकाओं से आंशिक रुप से आच्छादित है। सर्वेक्षण के लिए लगाए गए साइडस्कैन सोनार से बिंबों का चित्रण किया गया है जिससे कई नये ज्योमितीय आकारों का पता चलता है जो सामान्यत: मानव निर्मित होते हैं।

नवम्बर-दिसंबर 2001 में किए गए बाद के सर्वेक्षणों के दौरान समुद्र संस्तर से विभिन्न वस्तुएं निकाली गई। इकट्ठी की गई वस्तुओं में से कार्बनीकृत लकड़ी को सी^{14} तकनीक का उपयोग करके काल निर्धारण के लिए बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ एवं राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ले जाया गया है। प्रारम्भिक परिणामों से पता चलता है कि लकड़ी के नमूने 7500 ई. पूर्व के हैं।

इन परिणामों और इकट्ठी की गई कुछ वस्तुओं को 16 जनवरी, 2002 को आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में सार्वजनिक किया गया। बस्ती की काल अवधि का निर्णय करने के लिए बहुविधात्मक बहुसंस्थागत टीमों द्वारा इस क्षेत्र में और व्यापक सर्वेक्षण अध्ययन तथा अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) अनुवर्ती कार्रवाई के रुप में एन.आई.ओ.टी. परिसर में पहली जुलाई, 2002 को कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें पुरातत्वविज्ञान, भूविज्ञान, भूआकृतिविज्ञान, भूकालानुक्रम और समुद्री प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 50 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यशाला में दिए गए सुझावों के आधार पर कई संगठनों और संस्थाओं को इस अभिमत से संबंधित प्रस्ताव देने को कहा गया जो कैम्बे खाड़ी के समुद्री पुरातात्विक खोजों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

(ङ) और (च) हाल ही में अक्टूबर 2002 में एन.आई.ओ.टी. ने और सर्वेक्षण किए जिसमें कई अनूठे नमूने एकत्र किए गये हैं, जिन पर विभिन्न अध्ययन तथा परीक्षण किए जा रहे हैं।

मदरसों को वित्तीय सहायता

2381. श्री अनंत गुढे :
श्री पी.सी. थामस :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मदरसों के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए मदरसों को अनुदान के रूप में कितनी राशि राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी राशि संवितरित की गई;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत, केन्द्र या राज्य सरकार अधिनियम या वक्फ बोर्डों के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों के लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत उन स्वैच्छिक एजेंसियों को ही वित्तीय सहायता देने के लिए विचार किया जाता है जो तीन वर्ष से अस्तित्व में हैं। सभी प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों द्वारा विधिवत् भेजे जाते हैं तथा उनकी सिफारिश की जाती है। ये अनुदान हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन इत्यादि जैसे विषयों के शिक्षकों के वेतन के लिए होते हैं। पुस्तक बैंकों, विज्ञान और गणित किटों के लिए भी अनुदान दिये जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए देश में मदरसों के लिए अनुदान के रूप में दी गई कुल राशि का विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) जी, हां। चालू वित्त वर्ष के दौरान, इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

राज्य	राशि (रु. लाख में)
1	2
केरल	18.06
उत्तर प्रदेश	406.10
आंध्र प्रदेश	12.51
त्रिपुरा	45.72
मध्य प्रदेश	90.05

सहायता अनुदान समिति द्वारा 7 नवम्बर, 2002 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय सहायता के उक्त प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें इस शर्त पर अनुमोदित कर दिया गया कि संबद्ध सरकार से लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिये जाएं।

विवरण

वितरित की गई राशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश	22.37	15.2	12.51
2.	बिहार	47.44	-	-
3.	चंडीगढ़	0.044	0.106	0.36
4.	दादरा व नगर हवेली	0.72	-	0.72
5.	उड़ीसा	81.12	94.08	-
6.	मध्य प्रदेश	-	220.96	147.18
7.	महाराष्ट्र	2.16	-	-
8.	कर्नाटक	42.30	51.12	-
9.	त्रिपुरा	-	-	38.53
10.	उत्तर प्रदेश	264.60	264.60	0.37
11.	पश्चिम बंगाल	-	-	1.40
12.	केरल	-	15.12	-
	कुल	460.76	661.11	201.08

माध्यमिक और उच्च शिक्षा

2382. डा. बलिराम :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री शिवाजी माने :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) उच्च और माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से देश में क्रियान्वित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) राज्य सरकारों को योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(घ) उपर्युक्त प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इन्हें किस हद तक प्राप्त किया जा सका है;

(ङ) क्या सरकार राज्य सरकारों की उपलब्धियों से संतुष्ट है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रासायनिक पेस्टनाशी का उत्पादन

2383. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रासायनिक पेस्टनाशी के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक पंजीकृत पेस्टनाशी के वार्षिक उत्पादन और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में निर्मित इन पेस्टनाशियों का निर्यात भी किया गया;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान पेस्टनाशियों का निर्यात भी किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता है।

(ग) से (ङ) महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी, कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़े के आधार पर मुख्य पेस्टिसाइडों के आयात तथा निर्यात से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में हैं। उत्पादन के बाजार मूल्य के बारे में कोई आंकड़ा नहीं रखा गया है। प्रमुख पेस्टिसाइडों के संगठित क्षेत्र का उत्पादन जिनका अनुवीक्षण इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराएगा। आंकड़ों से संकलित किया जाता है, संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

आयात

(यूनिट टन)

क्र.सं.	पेस्टिसाइड	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	पाराथियॉन (मिथाइल)	361	335	755
2.	इन्डोसल्फान	62	0	0
3.	साइप्रमीथ्रिन	0	35	33

1	2	3	4	5
4.	एलुमीनियन फोस्फाइड	0	0	2
5.	मिथाइल ब्रोमाइड	76	229	195
	2 योग (अन्य सहित)	499	599	987
	पेस्टिसाइड मात्रा मी. टन में	5379	5934	7240
	डी.जी.सी.आई.एस. कोलकाता के अनुसार मूल्य रु. लाख में	23693	22100	36202

विवरण-II

निर्यात

(यूनिट टन)

क्र.सं.	पेस्टिसाइड	1999-2000	2000-01	2001-02
1.	डी.डी.टी.	16	64	25
2.	मेलाथियॉन	2806	2278	2248
3.	पाराथियॉन (मिथायल)	112	48	11
4.	डाईमीथोएट	297	115	121
5.	डी.डी.वी.पी.	187	204	230
6.	क्यूनालफोस	205	259	209
7.	इन्डोसल्फान	3434	2489	2385
8.	साइप्रमीथ्रिन	3773	4618	5692
9.	फेमथियॉन	0	3	0
10.	लिंडेन	280	83	103
11.	जिराम (थियोकार्बामेट)	21	26	0
12.	2, 4-डी	1865	1004	492
13.	आईसोप्रट्यूरॉन	1500	2094	633
14.	एलुमीनियम फास्फेट	632	1098	1094
	योग (अन्य सहित)	15128	14383	13243
	पेस्टिसाइड (मी. टन में)	89405	47875	51479
	डी जी सी आई एस कोलकाता के अनुसार मूल्य रु. लाख में	100411	121532	135645

विवरण-III

उत्पादन

(यूनिट टन)

क्र.सं.	पेस्टिसाइड	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	डी.डी.टी.	3638	3786	3513
2.	मेलाथियॉन	6049	5900	5597
3.	पाराथियॉन (मिथाइल)	1860	1979	2055
4.	डाईमिथोएट	1447	1463	847
5.	डिडिविपि	2495	2648	2832
6.	क्यूनालफोस	2218	2649	2111
7.	मोनोक्रोटोफोस	9522	8319	6706
8.	फोस्फामिडोन	4673	3470	534
9.	फोरेट	6140	6101	4767
10.	इथियॉन	3383	3456	4132
11.	एन्डोसल्फॉन	8287	8508	4489
12.	फेनवालरेट	1394	1632	1192
13.	सायप्रमीथ्रन	3771	4438	5128
14.	एनिलफोस	900	848	596
15.	एसिफेट	2884	3109	4354
16.	क्लोरोपायरिफोस	7513	8033	6950
17.	फोसालोन	514	582	513
18.	मेटासायस्टोक्स	744	583	660
19.	एबाटे	185	265	1
20.	फेमथियॉन	155	189	69
21.	ट्राइएजाफोस	845	847	1523
22.	लिंडेन	1107	483	266
23.	टेमफोस	6	176	208

1	2	3	4	5
24.	डेल्टामिथ्रिन	104	124	97
25.	एल्फामिथ्रन	361	115	303
26.	केपटॉन व केपटाफोल	1125	1383	1177
27.	कार्बेन्डाजिम (बाविस्टिन)	900	678	702
28.	कालिविन्सन (ट्राइडेमोरफ)	35	38	61
29.	मानकोजेब	10323	9889	11628
30.	कोपरोविन्सक्लोराइड	219	0	18
31.	2, 4-डि	1348	1290	215
32.	बूटाक्लोर	706	224	363
33.	आइसोप्रोटून	4610	3752	3779
34.	ग्लायफोसेट	1676	674	409
35.	पाराकयूएट	1374	1239	1000
36.	डाइयूरान		24	0
37.	एटराजाइन	128	0	203
38.	फ्लूक्लोरालिन (टेक.)	154	50	133
39.	जिंक फॉस्फाइड	474	592	338
40.	एलुमूनियम फॉस्फाइड	1842	2461	2184
41.	मिथाइल ब्रोमाइड	100	63	41
42.	डाइक्लोफोल	124	106	109
	योग	95333	92274	81803

आई.एस.आई. की गतिविधियां

2384. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के 18वीं स्थापना दिवस समारोह के दौरान कहा था कि आई.एस.आई. के विरुद्ध विश्वव्यापी कार्रवाई की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने पहले दक्षिण एशिया में इस संबंध में कूटनीतिक रूप से कोई पहल की है जिसे बाद में पूरे विश्व में अनुसरित किया जाना था;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के पास एशिया और विशेषत: भारत में आई.एस.आई. और अल-कायदा के बीच सांठगांठ के संबंध में कोई ठोस रिपोर्ट है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) कार्यक्रम के दौरान उप प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया

कि कुछ देश अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आतंक का सहारा ले रहे हैं और इन्होंने तालिबान, अल-कायदा और आई.एस.आई. का उल्लेख आतंकवाद के स्रोत के रूप में भी किया। संसार भर में आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में आई.एस.आई. की भूमिका को भी उजागर किया गया और इसी के साथ-साथ तालिबान और अल-कायदा की तर्ज पर आई.एस.आई. के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया।

पाक आई.एस.आई. और इसके द्वारा समर्थित अन्य उग्रवादी संगठनों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने के लिए कई देशों के साथ मिलकर संयुक्त कार्य ग्रुप गठित करके कूटनीतिक पहलें की गई हैं। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए इस मुद्दे को विभिन्न/बहुपक्षीय मंच पर भी उठाया गया है।

उपलब्ध आसूचना जानकारियों से अल-कायदा और आई.एस.आई. के बीच गठजोड़ का पता चलता है।

भेषज उद्योग में अनुसंधान और विकास

2385. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भेषज उद्योग में अनुसंधान और विकास के लिए 150 करोड़ रु. के आबंटन की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस राशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) वितरण करने वाले प्राधिकारियों के नाम क्या है;

(घ) अब तक कितनी धनराशि वितरित की गई है; और

(ङ) वर्ष 2002-2003 के लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) सरकार ने फरवरी, 2002 में 'भेषज नीति 2002' घोषित की है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि पी.आर.डी.एस.एफ. के उपयोग के संचालन के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी.डी.बी.) के अनुरूप औषध विकास संवर्धन बोर्ड (डी.डी.पी.बी.) को भी गठित करेगा, के प्रशासनिक नियंत्रण में भेषज अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पी.आर.डी.एस.एफ.) को स्थापित करने के लिए सिद्धांत रूप में मंजूरी शामिल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 10वीं योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

गुजरात द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

2386. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं के संबंध में गुजरात सरकार ने प्रस्ताव अग्रेषित किए हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) अनुमोदित की गई विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों और गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा उन पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

(1) त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.)- पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के विभिन्न कस्बों के लिए 2591.37 लाख रुपये की परियोजना लागत की सत्रह (17) जलापूर्ति स्कीमें अनुमोदित की गई थी। नई परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्य सरकार को जारी की गई केन्द्रीय सहायता राशि वर्ष 1999-2000 में 347.25 लाख रु., वर्ष 2000-2001 में 386.10 लाख रु. और वर्ष 2001-2002 में 464.34 लाख रु. थी। स्वीकृत राशि और खर्च की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये है।

(2) छोटे और मझौले कस्बों का समेकित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.)-अनुमोदित प्रस्तावों और गत तीन वर्षों के दौरान, चालू परियोजनाओं सहित इन प्रस्तावों के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये है।

(3) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वी.ए.एम.बी. ए.वाई.)-यह स्कीम दिसम्बर, 2001 से लागू हुई है। भारत सरकार ने वर्ष 2001-2002 में 2016 रिहायशी इकाइयां और 440 शौचालय शीट बनाने के लिए 384 लाख रु. की इमदाद राशि जारी की थी।

(4) निर्मित केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क-गत तीन वर्षों में सत्रह (17) निर्मित केन्द्रों के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और

इस अवधि के दौरान कुल 85 लाख रु. की अनुदान सहायता मंजूर की गई। कुल 67.50 लाख रु. की अनुदान राशि जारी की गई है। कार्य में प्रगति न होने और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण शेष अनुदान राशि जारी नहीं की गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये हैं।

17 निर्मित केन्द्रों में से 16 निर्मिति केन्द्र भूकंप-प्रभावित क्षेत्रों में मंजूर किए गए थे, अतः इन 16 निर्मिति केन्द्रों के लिए हडको द्वारा 104 लाख रु. और बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा 80 लाख रु. (मशीनों के रूप में) का अतिरिक्त अनुदान भी अनुमोदित किया गया था।

विवरण-I

गुजरात में वर्ष 1999-2000 के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	स्वीकृति की तारीख	परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	जून, 2002 तक किया गया व्यय
1.	खरालू	अप्रैल, 99	223.26	111.63	347.25	184.60
2.	खेडब्रह्मा	अप्रैल, 99	256.13	128.07	(1999-2000)	176.20
3.	विशाबदर	अप्रैल, 99	159.20	79.60		152.45
4.	अदित्याना	अप्रैल, 99	170.93	85.47	386.10	145.19
5.	चिखली	जून, 99	113.32	56.66	(2000-2001)	119.29
6.	वनथाली	जून, 99	128.6	64.30		117.45
7.	शलाया	दिसम्बर, 99	343.84	171.92	464.34	299.27
8.	देवगढ़बारिया	नवम्बर, 2000	214.63	107.32	(2001-2002)	102.96
9.	भांवड	दिसम्बर, 2000	302.42	151.21		208.17
10.	रानावद	फरवरी, 01	169.17	84.59		86.88
11.	कुटियाना	फरवरी, 01	160.56	80.28		163.00
12.	दामनगर	फरवरी, 01	59.35	29.68		0.00
13.	लाठी	फरवरी, 01	43.20	21.60		0.00
14.	वैयत	फरवरी, 01	54.95	27.48		26.39
15.	बाबरा	फरवरी, 01	93.68	46.84		0.00
16.	संतरामपुर	फरवरी, 01	68.88	34.44		0.00
17.	पलयाद	फरवरी, 01	29.25	14.63		0.25

विवरण-II

गुजरात राज्य के लिए छोटे और मझोले कस्बों का समेकित विकास स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान अनुमोदित प्रस्ताव, जारी की गई केन्द्रीय सहायता और सूचित व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता			सूचित व्यय
		1999-2000	2000-2001	2001-02	(संचयी)
1	2	3	4	5	6
1.	नांदियाड	72.76	-	-	382.47
2.	पलिताना	23.48	-	-	137.56
3.	धौराजी	14.93	-	-	10.85
4.	पाडरा	36.00	-	-	250.15
5.	इंदौर	25.00	25.00	-	119.92
6.	जामनगर	80.00	80.00	-	704.76
7.	भावनगर	73.00	71.41	-	404.36
8.	द्वारका	30.00	-	-	64.52
9.	ढोलका	22.00	5.60	-	-
10.	अंजार	22.00	8.00	-	-
11.	ऊना	22.00	8.00	-	-
12.	उमरेठ	22.00	8.00	-	-
13.	बौरसाड	-	22.09	-	79.97
14.	पैरागढ़	-	8.67	-	55.45
15.	सावरकुंडला	-	2.50	-	21.26
16.	बाबुला	-	30.00	-	123.82
17.	मौदसा	-	2.00	-	140.19
18.	आनन्द-1	-	70.00	-	348.19
19.	बरवौली	-	90.00	90.00	95.95
20.	अम्बाजी	-	13.50	-	28.26
21.	माण्डवी	-	29.00	-	50.57

1	2	3	4	5	6
22.	गांधी ग्राम	–	70.00	–	–
23.	जैतपुर	–	50.00	–	–
24.	धरनगाधरा	–	48.00	–	–
25.	कापड़वंज	–	30.00	–	–
26.	डाकोर	–	–	32.00	14.57
27.	कोडिनार	–	–	33.00	–
28.	वानकानेर	–	–	45.00	–
29.	लिम्दी	–	–	45.00	–
30.	धंधुका	–	–	45.00	–
31.	खेड	–	–	45.00	–
32.	प्रंटजी	–	–	45.00	–
33.	कादी	–	–	30.00	–
34.	बगासरा	–	–	40.00	–
35.	खम्भाला	–	–	40.00	–
	कुल	453.17	621.77	430.00	3022.82

विवरण-III

गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित निर्मित केन्द्रों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	निर्मित केन्द्र का नाम	एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	साबरमति, अहमदाबाद	अधीक्षक, अहमदाबाद के.प्री.	20.1.2001	5.00
2.	भुज-I (ई.क्यू.) कच्छ	गुजरात आवास बोर्ड	3.3.2001	5.00
3.	जामखम्भालिया (ई.क्यू.) जामनगर	गुजरात आवास बोर्ड	3.3.2001	5.00
4.	मौरवी (ई.क्यू.) राजकोट	गुजरात आवास बोर्ड	3.3.2001	5.00
5.	रापर (ई.क्यू.) कच्छ	गुजरात आवास बोर्ड	3.3.2001	5.00
6.	भाचू (ई.क्यू.) कच्छ	गुजरात आवास बोर्ड	3.3.2001	5.00
7.	अंजार (ई.क्यू.) कच्छ	गुजरात आवास बोर्ड	3.3.2001	5.00

1	2	3	4	5
8.	सुरेन्द्रनगर (ई.क्यू.) सुरेन्द्रनगर	गुजरात आवास बोर्ड	3.3.2001	5.00
9.	राजकोट (ई.क्यू.) राजकोट	गुजरात आवास बोर्ड	3.3.2001	5.00
10.	भुज-II (ई.क्यू.) कच्छ	गुजरात आवास बोर्ड	3.3.2001	5.00
11.	जामबुधिया (ई.क्यू.) राजकोट	डीआरडीए	29.3.2001	5.00
12.	भीमासर (ई.क्यू.) राजकोट	अनार्दी फाउंडेशन	29.3.2001	5.00
13.	हलबाद (ई.क्यू.) सुरेन्द्रनगर	श्रमिक विकास संस्थान अंति	29.3.2001	5.00
14.	फाला (ई.क्यू.) जामनगर	विजय ज्योत ग्राम विकास ट्रस्ट	29.3.2001	5.00
15.	नाखातरमा (ई.क्यू.) कच्छ	डीआरडीए	29.3.2001	5.00
16.	धुधई (ई.क्यू.) कच्छ	राष्ट्रीय स्वाभिमान	11.4.2001	5.00
17.	धौलावीरा कच्छ	हडको	11.4.2001	5.00

आदिवासी/ग्रामीण क्षेत्रों में कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

2387. **श्री पी.आर. किन्डिया :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना-वार आबंटित/जारी धनराशि कितनी है और उन्होंने कितनी धनराशि का उपयोग किया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन एजेंसियों को कापार्ट द्वारा सहायता उपलब्ध करायी गयी और इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन एजेन्सियों के कार्यकरण की लगातार समीक्षा की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्यवार प्राप्त परिणाम क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने इन एजेन्सियों के कार्यकरण में कोई अनियमितता पाई है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) विवरण संलग्न हैं।

(घ) जी, हां। कपार्ट द्वारा सहायता प्राप्त सभी एजेंसियों के काम-काज की समीक्षा प्रतिनियुक्ति किए गए परियोजना मूल्य निर्धारकों द्वारा वित्तपोषण से पूर्व मूल्यांकन, मध्यावधि और परियोजना के पूरा होने के बाद मूल्यांकन के जरिए की जाती है।

(ङ) परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और समीक्षा के परिणाम अलग-अलग हैं। कुल मिलाकर इन स्वैच्छिक संगठनों के निष्पादन को संतोषजनक पाया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम और पता	योजना परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	क्या स्वैच्छिक संगठन के कामकाज का मूल्यांकन किया गया है	मूल्यांकन का परिणाम
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य : असम (वर्ष 1999-2000)							
1.	आंचलिक ग्राम उन्नयन परिषद, गांव जानिया, ब्लॉक मंडिया	सभी के लिए स्वास्थ्य (पीसी)	5,46,530	5,46,530	5,46,530	जी हां	संतोषजनक
2.	अता भोकमारी सोसायटी डेव. एसो., अता भोकमारी, सारूपेटा, पक्का, बेतबेरी	एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत हैंडपंपों को लगाना	7,98,275	7,98,275	7,98,275	जी हां	संतोषजनक
3.	ब्यूरो आफ इंटीग्रेटिड रूल डेव., राजगढ़, गुवाहाटी-3	आपरेशन सेकैंड क्रोप (ओआरपी)	35,946	35,946	35,946	जी हां	संतोषजनक
4.	सेंटर फॉर यूथ एंड रूरल डेव. बंगटोल, बंगेनगांव	जातीय हिंसा से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास (पीसी)	5,87,400	5,87,400	2,93,700	किया जाना है	-
5.	तामुलपुर आंचलिक ग्रामधन संघ कुमारीकता, तमुलपुर	एआरडब्ल्यूएसपी कार्यक्रम	7,06,930	7,06,930	4,60,530	किया जाना है	-
6.	ग्लोबल हल्थ अमन्यूनेशन एंड पापुलेशन कंट्रोल आग्रे., रंगाली, पी. ओ. जुमारपुर	ग्रामीण गरीब किसानों के लिए वर्मीकाम्पेक्ट	2,67,250	-	-	-	मंजूरी वापिस ली गयी
7.	सेलसिन आफ डोन बोस्को सीक्रड हार्ट कालेज, होवली	जातीय हिंसा से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास (पीसी)	5,87,400	-	-	-	टी/सी नहीं भेजी गई
8.	देश भक्त रूरल डेव. एसो. भवतारदावा बाजार, नालीगांव, बारपेटा	कृषि विकास के लिए लघु (पीसी)	8,57,040	8,57,040	4,28,520	किया जाना है	-
9.	सीपाजर डायमंड क्लब, कम्यूनिटी सेंटर, सीपाजर, दारंग	किफायती स्वच्छता (पीसी)	4,40,000	4,40,000	4,40,000	जी हां	संतोषजनक
10.	मॉडर्न खादी एंड विलेज इंडस्ट्री समिति, इरालीगोल	आरसीसी रिंगवैल के लिए योजना प्रस्ताव (पीसी)	4,94,710	1,65,736	1,65,736	किया जाना है	-

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	तेजपुर जि. महिला समिति, पी.ओ. तेजपुर, ब्लॉक गाभारू	141 किफायती स्वच्छता शौचालयों का निर्माण (पीसी)	3,32,000	1,65,100	1,65,100	किया जाना है	-
12.	डी.ओ. : एन.वाई.आई.पी. ओ. : एल.ओ. यूथ सोसा., वार्ड सं. 5, कोशीविला के पास	स्थायी आय सृजन कार्यक्रम (पी.सी.)	8,22,399	5,28,069	5,28,069	किया जाना है	-
13.	सीपाजर डायमंड क्लब, कम्यूनिटी सेंटर, सीपाजर, दारांग	एसएचजी सदस्यों के लिए एस एचजी संबंधी कार्यशाला (ओबी)	20,980	20,980	20,980	जी हां	संतोषजनक
14.	सोदू असम पथार परिचलाना समिति, बी.के. ककाती रोड़, गुवाहाटी	दुग्ध परियोजना (पीसी)	3,61,240	1,80,620	1,80,620	जी हां	लाभार्थियों की भागीदारी न होने के कारण समाप्त
15.	ब्यूरो आफ इंटीग्रेटिड रूरल डेव., राजगढ़ रोड़, गुवाहाटी	प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशाला (ओ.बी.)	29,708	29,708	29,708	जी हां	संतोषजनक
16.	पहुमारा आंचलिक रूरल डेव. एसो. सारूपेट्टा, भवानीपुर डेव. ब्लॉक	कृषि विकास के लिए लघु सिंचाई (पी.सी.)	2,97,860	2,97,860	1,49,100	किया जाना है	-
17.	सेंटर फॉर डेव. एक्शन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नालोजी, सवापता स्वाहिद पथ, सारूमतारिया, दीसपुर	लाभार्थियों का संगठन (ओ.बी.)	51,393	51,393	51,393	जी हां	संतोषजनक
18.	वेल्फेयर इंस्टीट्यूट फॉर दा हैंडिकैप, 18, एम.सी. रोड़, गुवाहाटी कल्ब के पास, कामरू	सी.बी.आर. प्रशिक्षण	50,000	50,000	50,000	जी हां	संतोषजनक
वर्ष 2000-2001							
19.	जन कल्याण खादी ग्रामोद्योग उन्नयन केंद्र, गांव जाराबारी, पी.ओ. अलीकुच्ची	ग्रामीण गरीबों के लिए आय सृजन कार्यक्रम (पी.सी.)	79,890	79,890	51,340	किया जाना है	-
20.	राजीव ओपन इंस्टीट्यूट, राजविला, अम्बिका पैटी, सिल्चर	चतलाहूर क्षेत्र के लिए समेकित विकास परियोजना	8,29,000	2,20,000	2,20,000	जी हां	कार्यान्वयन उचित न होने के कारण एफ.ए.एस.

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	दिओरी जागरण महिला समिति, अदराहा दिओरी गांव, खोवांग, दिबरूगढ़	गरीबी रेखा से नीचे की ग्रामीण महिलाओं का विकास (पी.सी.)	85,000	85,000	44,450	किया जाना है	-
22.	आंचलिक ग्राम उन्नयन परिषद, जानिया, मंडिया	समेकित ग्रामीण विकास परियोजना (पी.सी.)	5,35,840	5,35,840	2,52,770	किया जाना है	-
23.	बर्नीबारी युवक संघ, बर्नीबारी, नालबेरी	लघु सिंचाई परियोजना (पी.सी.)	8,53,575	8,53,575	4,43,759	किया जाना है	-
24.	डी.ओ. : एन.वाई.आई.पी. ओ : एल ओ यूथ सोसा., वार्ड सं. 5, कोशीविला के पास	कार्यशाला युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम	40,317	40,317	40,317	जी हां	संतोषजनक
25.	ग्रीन हार्ट नेचर कल्ब, वार्ड सं. 6, कोकराझार	समेकित पुनर्वास कार्यक्रम (पी.सी.)	2,38,250	1,19,125	1,19,125	किया जाना है	-
26.	रूरल वाउलेटरी सेंटर, अकाजन, बोरगांव	लाभार्थियों का संगठन (ओ.बी.)	4,61,300	-	-	-	निबंधन और शर्तें प्राप्त नहीं की गई
27.	गोरीपुर विवेकानंद कल्ब, वार्ड सं. 3, गोरीपुर, रूपसी विकास ब्लॉक	सिंचाई के लिए सामुदायिक ट्यूबवैल (पी.सी.)	8,37,340	8,37,340	4,18,670	किया जाना है	-
28.	सोसाइटी फार दा प्रोमेशन ऑफ यूथ एंड मैसिस आश्रम रोड, उलुबारी, गुवाहाटी-7	स्वैच्छिक संगटनों की क्षमता निर्माण (ओ.बी.)	1,19,400	-	-	-	निबंधन और शर्तें भेजी नहीं गई
29.	रूरल वूमन अपलिफ्टमैंट एसो. आफ असम, जापोरीगोग हाई स्कूल रोड, सुन्दरपुर, गुवाहाटी	सिंचाई परियोजना (पी.सी.)	4,95,849	3,28,484	3,28,484	किया जाना है	-
30.	सेंटर फार रूरल डेव. खानापारा, गुवाहाटी	ग्रामश्री मेला (ओ.बी.)	2,69,794	2,69,794	2,69,794	जी हां	संतोषजनक
31.	सीपाजर डायमंड क्लब, कम्यूनिटी सेंटर, सीपाजर, दारंग	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पी.सी.)	3,60,300	3,05,150	3,05,150	किया जाना है	-
वर्ष 2001-2002							
32.	गांव उन्नयन संघ, द. बिजेरा, पी. ओ. जानीगोग	पी.सी. के अंतर्गत लघु वित्त कार्यक्रम	1,35,000	45,000	45,000	किया जाना है	-
33.	चनमारी यूथ कल्ब, लीलाचीला, चनमारी	फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए समेकित आयोजना (पी.सी.)	2,12,920	1,20,240	1,20,240	किया जाना है	-

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	सेविका निकेतन कुमारीकता, नालबेरी	स्व सहायता समूहों का गठन (पी.सी.)	4,80,000	2,10,000	2,10,000	किया जाना है	-
35.	असम गो सेवा समिति, बेलटोला, गुवाहाटी	ग्रामीण गो सेवा (केंद्र (पी.सी.)	93,120	-	-	-	निबंधन और शर्तें प्राप्त नहीं की गई
36.	गोरीपुर विवेकानंद क्लब, वार्ड सं. 3, गोरीपुर, रूपसी विकास ब्लॉक	एस.एच.जी. का गठन और लोकप्रिय बनाना (पी.सी.)	4,50,000	1,50,000	1,50,000	किया जाना है	-
37.	जन कल्याण खादी ग्रामोद्योग उन्नयन केंद्र, गांव जाराबारी, पी.ओ. अलीकुच्ची	समेकित विकास के लिए व्यापक आयोजना (पी.सी.)	3,36,996	1,70,773	1,70,773	किया जाना है	-
38.	देशबंधु कल्ब बिहेराबाजार	व्यापक स्वच्छता और पर्यावरण परियोजना (पी.सी.)					निबंधन और शर्तें प्राप्त नहीं की गई
39.	डी.ओ. : एन.वाई.आई.पी. ओ. : एल.ओ. यूथ सोसा., वार्ड सं. 5, कोशीविला के पास	असम और अरुणाचल प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों के साथ कार्यशाला (ओ.बी.)	87,000	43,500	43,500	किया जाना है	-
40.	तिनसुखिया गांव ट्राइबल महिला समिति, तिनसुखिया, लालमती, दिबरूगढ़	जागरूकता सृजन और एस.एच. जी. का गठन (ओ.बी.)	45,000	21,750	21,750	किया जाना है	-
41.	सेंटर फॉर डेव. एक्शन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नालोजी, सवापता स्वाहिद पथ, सारूमतारिया, दीसपुर	एस.एच.जी. का गठन और सुदृढ़ बनाना (ओ.बी.)	1,07,000	-	-	-	निबंधन और शर्तें प्राप्त नहीं की गई
42.	वेल्फेयर इंस्टीट्यूट फॉर दा हैडिकैप, 18, एम.सी. रोड़, गुवाहाटी कल्ब के पास, कामरू	अपंगता योजना के अंतर्गत सी.बी. और परियोजना	5,75,415	-	-	-	निबंधन और शर्तें प्राप्त नहीं की गई
वर्ष 2002-2003							
43.	नार्थ ईस्ट वाउलेंट्री एसो. आफ रूरल डेव. दखगिन गांव कहेलीपारा, गुवाहाटी-19	करिमाटोरियम का प्रदर्शन और प्रचार (आर.टी.)	2,84,000	1,42,000	1,42,000	किया जाना है	-
44.	लारकुची आंचलिक बोकाटा उन्नयन समिति, पो.बो. लारकुची	ग्रामीण गांवों में उन्नत करिमाटोरियम का निर्माण (आर.टी.)	2,84,000	-	-	-	निबंधन और शर्तें प्राप्त नहीं की गई
45.	अंकन अकादमी पुथीमारी, कामरू	ईंधन वाले करिमाटोरियम को लोकप्रिय बनाना (आर.टी.)	2,84,000	1,42,000	1,42,000	किया जाना है	-

1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य : अरुणाचल प्रदेश (वर्ष 1999-2000)							
1.	अरुणाचल प्रदेश रूरल इंस्टीट्यूट, ई सेक्टर, शिव मंदिर के पास, नारलागंज	ग्रामीण आर्थिक विकास कार्य (पी.सी.)	1,30,900	1,29,900	1,29,900	जी हां	संतोषजनक
2.	हिमालय परर्वन अध्ययन आवाम, संसरासन संस्थान पो.बो. धोलतिर, चावणी, गढ़वाल	वाटर मिलर का कन्वेंशन (आर.टी.)	54,311	54,311	54,311	जी हां	संतोषजनक
3.	गोविंद वल्लभ पंत हिमाचल पर्यावरण आवास विकास संस्थान, विवेक विहार, इटानगर	सलोपिंग कृषि भूमि प्रौद्योगिकी	70,000	70,000	70,000	जी हां	संतोषजनक
राज्य : मेघालय (वर्ष 1999-2000)							
1.	आई.सी.ए.आर. रिसर्च कॉम्पलेक्स फॉर एन.ई.एच. रीजन, उमराइ रोड, उमकी	वाटरशेड प्रबंधन संबंधी अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (सैट)	1,72,432	1,72,432	1,72,432	जी हां	संतोषजनक
2.	वाउलेंटियर हल्थ एसो. आफ मेघालय, गोनका इंजीनियरिंग कॉम्पलेक्स, शिलॉंग	गैर-सरकारी संगठनों और सरकार की अंतर कार्यवाही को उन्मुख बनाना (ओ.आर.पी.)	16,000	16,000	16,000	जी हां	संतोषजनक
	वर्ष (2001-2002)						
3.	नार्थ ईस्टर्न इंडिया कमेटी ऑन रिलीफ एंड डेव., लाइटर्न खराह, शिलॉंग	विपदा प्रबंध और स्थायी कार्यक्रम (आं.बी.)	48,000	-	-	-	मंजूरी वापिस ली गयी
	वर्ष (2002-2003)						
4.	पीपल्स इनीसिएटिव फॉर प्रामोशन ऑनसोशल-इक्नॉमिक अवेयरनेस एंड राईट्स, सर्कट हाउस के पास, टूरा	गारो हिल्स के जनजातीय किसानों का विकास (आय सृजन)(पी.सी.)	2,42,000	-	-	-	निबंधन और शर्तें प्राप्त नहीं की गई
राज्य : त्रिपुरा (वर्ष 1999-2000)							
1.	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकाम, 9/4 कृष्णनगर रोड, अगरतला	आर.डब्ल्यू.एच. प्रणाली का विस्तार (आर.टी.)	2,55,800	2,55,800	1,32,236	किया जाना है	-
2.	राज्य इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिंस्ट्रेशन एंड रूरल डेव., ए.डी. नगर, अगरतला	ग्रामीण विकास और एस.एच.जी., ओ.बी. के विशेष संदर्भ के साथ गैर-सरकारी संगठन	20,000	3,000	3,000	जी हां	अधिक निधियों की जरूरत न होने के कारण समाप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	स्वामी जी जनकल्याण संगठन, न. 1 टीला, बिलोनिया	40 आर.डब्ल्यू.एच. प्रणाली निर्माण, आर.टी.	4,57,500	4,57,500	2,42,550	किया जाना है	-
4.	सी.एस.डब्ल्यू.आर. मिलारमठ, अगरतला	टी.आर.सी. परियोजना	40,00,000	10,40,000	10,40,000	मध्यावधि मूल्यांकन कराना है	प्रतीक्षा है
5.	एन.बी. इंस्टीट्यूट फॉर रूरल टेक्नोलॉजी,	किफायती निर्माण	9,00,000	9,00,000	9,00,000	मध्यावधि मूल्यांकन किया गया	संतोषजनक
	वर्ष (2000-2001)						
6.	वाउलेंटियर हैल्थ एसो. आफ, त्रिपुरा, पो.बो. कुंजाबन, अगरतला वर्ष (2001-2002)	वर्षा जल एकत्रीकरण ढांचा, आर.टी.	2,45,700	2,45,700	1,04,750	किया जाना है	-
	वर्ष (2001-2002)						
7.	नार्थ ईस्ट विलेज डेव. सोसा., पो.बो. इन्द्रानगर, सदारा सन डिविजन, प. त्रिपुरा	त्रिपुरा में वर्षाजल एकत्रीकरण	4,69,850	2,39,725	2,39,725	किया जाना है	-
राज्य : मणिपुर (वर्ष 1999-2000)							
1.	यूनाइटेड एक्शन फॉर रुरल डेव. वार्ड, पो. नुंगवा, मणिपुर	बकरी पालन परियोजना (पी.सी.)	1,99,040	99,520	-	हां	मंजूरी के अनुरुप परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई
2.	इंटीग्रेटेड रुरल डेव. सर्विस, लिलौंग चचिंग, सीडी ब्लॉक, बंगोई, इम्फाल	कम इंधन वाले शवदाह गृहों का निर्माण (आर.टी.)	1,68,081	95,332	-	हां	वही
3.	अन्नालोन क्रिश्चयन डेव. कमिटि, नागनरम स्टेडियम रोड, पो.बा. 47, इम्फाल	चंडेल जिले में लाभार्थियों का संगठन (ओ.आर.पी.)	93,100	38,000	38,000	अभी किया जाना है	-
4.	गंफागोल एरिया डेव. सोसाइटी, गंफालजोई, चकपीकारोंग, मोरेह, वार्ड-1	सूअर पालन और विकास परियोजना (पी.सी.)	1,81,500	1,81,500	1,81,500	हां	संतोषप्रद
5.	सोशल इनवारमेंट एंड रुरल टेक्नो. काउंसिल, पल्लेलकोटलेनडाही, टीडी टंगनोपाल	हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, डवाकरा	4,65,700	-	-	-	टी. और सी. प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	सेंटर फॉर सोशल डेव., पैलेस कम्पाउंड, इम्फाल	ग्रामीण भूमि में आर्थिक विकास के लिए लोगों का कार्य (पी.सी.)	3,26,205	3,26,205	1,29,577	अभी किया जाना है	-
7.	क्रिश्चियन सोशल डेव. ऑर्गे., पो.बा., 11, पंचाई, चंडेल	सूअर पालन परियोजना (पी.सी.)	3,09,980	3,09,980	3,09,980	हां	संतोषप्रद
8.	रिनेवल मिनिस्ट्री, तामेंगलांग, जादोनंग बाजार	जनजाति महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम (पी.सी.)	1,19,360	1,19,360	1,19,360	-वही-	-वही-
9.	यूनियन वालंटरी यूथ काउंसिल, कैसामपट मोधु भवन, इम्फाल	कंपोजिट फिश कल्चर डेवल. प्रोजेक्ट (पी.सी.)	3,68,932	3,68,932	3,68,942	-वही-	-वही-
10.	टी. लैलोफाई यूथस डेवल. आर्गे., टी. लैलोफाई, पो. सूगरा	सूअर पालन परियोजना (पी.सी.)	1,96,320	1,96,320	98,160	अभी किया जाना है	-
11.	सर्विस फार एडवांसमेंट आफ रुरल डेवल., इचुरम कियारपकोह, कंगपोकपी, सेनापति	सूअर पालन परियोजना (पी.सी.)	1,32,420	66,210	66,210	-वही-	-
12.	फ्रेंडशिप सेंटर, खुराई कांगपाल, थौबाल, मणिपुर	दुग्ध उत्पादन (पी.सी.)	2,53,320	1,26,660	1,26,660	-	ग्रामीण विकास एम.ओ.ए. में उल्लिखित उद्देश्यो के अनुरुप नहीं है
13.	ग्राम सेवा संघ, वचस्पति लैरक ब्रह्मफापुर नहाबम, मणिपुर	कम ईंधन वाले शवदाहगृह (आर.टी.)	1,04,464	1,04,464	1,04,464	हां	संतोषप्रद
14.	वालन्टियर्स फार रुरल हेल्थ एंड एक्शन लैंडिग, एम.पी.सी. वंगजिंग, थौबाल, मणिपुर	मधुमक्खी पालने के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी (आटर्स)	1,38,600	1,38,600	94,000	अभी किया जाना है	-
15.	मणिपुर डीफ एंड म्यूट एसो., वाहिंगबमलेकाई, इम्फाल	अपंग व्यक्तियों के लिए साइकिल, रिक्शा मरम्मत केन्द्र	1,20,000	77,750	-	प्रगति रिपोर्ट अप्रैल, 2003 में देना है	-
	वर्ष (2000-2001)						
16.	इंटीग्रेटेड रुरल वेलफेयर एसो., यारीपॉक विश्रमाहा, यारीपॉक थौबाल	सूअर और वनस्पति विकास (पी.सी.)	2,02,600	2,02,600	2,02,600	हां	संतोषप्रद

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मणिपुर नॉर्थ इको. डेव. एसो., सेनापति, ब्लॉक तदुबी,	सूअर पालन परियोजना (पी.सी.)	2,12,850	1,06,100	-	-	मुख्यालय को भेज दिया गया
18.	वालंटियर्स फॉर रुरल एक्शन, लामडिंग, एसपीओ वांगजिंग, थौबाल	साल्ट और बायोमास संरक्षण प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण (आर.टी.)	2,26,000	-	-	-	टी और सी नहीं भेजा गया
19.	वीकर सेक्शन डेव. सोस. न्यू सेल्सी, कंगलाटोंगबी, मोंटबुंग, मणिपुर	समेकित सूअर और कम्पेनियन फारमिंग (पी.सी.)	2,95,400	2,95,400	2,95,400	हां	सतोषप्रद
20.	अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, वांगजिंग सोरोखैबम, लेकाई, थौबाल	लाभार्थियों का संगठन	97,875	47,700	47,700	अभी किया जाना है	-
21.	वालंटरी सर्विस फॉर सोशल डेव., यूनम खूनो, पंगी, यंगडंग, इम्फाल	समेकित मत्स्य पालन विकास परियोजना (पी.सी.)	2,83,172	2,83,172	1,18,948	-वही-	-
22.	एस.सी./एस.टी. बैकवर्ड वूमन एंड चिल्ड्रेन डेव. ऑग., थौबाल, खुमाऊ, मणिपुर	-वही-	3,10,387	3,10,387	1,62,370	-वही-	-
23.	सोसाइटी फॉर वूमन्स एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन, अथोकपाम, खुमाऊ, थौबाल	कृषि के लिए वर्मीकम्पोस्ट (आर.टी.)	3,33,475	-	-	-	-
24.	वालंटरी ऑर्गे. फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, संजेनवाम, नामबोल	सूअर और मत्स्य पालन परियोजना (पी.सी.)	1,73,810	86,905	-	अभी किया जाना है	-
25.	द डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ट, डिस्ऐबलड इंस्टी. एंड रिहैबीलिऐशन सोस., अपरलम्का, चुडाचांदपुर	अपंगता पर कमका सी.बी.आर. परियोजना	18,24,950	4,85,450	-	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	-
	वर्ष (2001-2002)						
26.	कम्यूनिटी डेव. आर्गे., पंगलटावी काक्चिंग, थौबाल, मणिपुर	वूमन एग्रीकल्चरल पाल्ट्री विथ कम्पेनियन फार्मिंग (पी.सी.)	52,000	52,000	10,000	अभी किया जाना है।	-

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	थांगियाओ वूमन वेलफेयर ऐसो., थांगियाओं बाजार, वाइखौंग, मणिपुर	ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूह को बढ़ावा (ओ.बी.)	45,000	31,500	-	-वही-	-
28.	लेडिज गाइडेंस सेंटर, क्यामगेई, चेंचीपुर, इम्फाल, मणिपुर	स्वसहायता समूहों का निर्माण और प्रोत्साहन (पी.सी.)	45,000	19,500	-	-वही-	-
29.	खांगजारौन वूमन सोसा., पो.-5, फॉरेस्ट कालोनी, तामेंगलौंग, मणिपुर	स्वसहायता समूहों का निर्माण (पी.सी.)	84,000	42,000	-	-वही-	-
30.	इंटीग्रेटेड रूरल वेलफेयर ऐसो. इयरीपॉकविष्णुन्नाहा, इयरीपॉक थौबाल	कम ईंधन वाले शवदाहगृहों का निर्माण (आर.टी.)	3,23,160	3,23,160	1,46,580	-वही-	-
31.	सोसियो इकोनामिक एंड कल्चरल डेव. ऑर्ग., किनुथांगका, नाम्बोल, विष्णुपर, मणिपुर	माइक्रो प्लानिंग के अंतर्गत समेकित ग्रामीण स्वच्छता (पी.सी.)	85,944	-	-	-	टी और सी प्राप्त नहीं हुआ।
32.	साइंटिफिक एंड ह्यूमैनेटेनिरियन एसो. फॉर नॉलेज फॉर टैक. इनोवेशन	छतों से वर्षाजल एकत्रीकरण (आर.टी.)	2,26,700	1,08,790	-	अभी किया जाना है।	-
33.	चिवैलरी पोवर्टी एलीवेशन डेव. प्रोजेक्ट, कालीनामाई, माऊ, माउकरमसेनापति	विशिष्ट महिला समूह कार्यक्रम (ओ.बी.)	50,000	33,500	-	-वही-	-
34.	मणिपुर डीप एंड म्यूट एसो. वाहेंगबम लिकाई, इम्फाल	अपंग व्यक्तियों के लिए साइकिल रिक्शा मरम्मत प्रशिक्षण केन्द्र	1,20,000	77,750	-	प्रगति रिपोर्ट अप्रैल, 2003 में देने हैं।	-
	वर्ष (2002-2003)						
35.	इंटीग्रेटेड सोशिओ डेव. आर्गे., पूराना राजबाड़ी, नांगमीबंग, इम्फाल, मणिपुर	समेकित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम (पी.सी.)	1,48,890	70,055	-	अभी किया जाना है।	-
36.	रूरल ट्राइबल डेव. आर्गे., टऊथंग राइसमिल न्यू लम्बूलैंड	समेकित ग्रामीण विकास परियोजना (पी.सी.)	1,95,313	-	-	-	-
37.	यूथ वालंटरी आर्गे., हाईकप, यारीपॉक, इम्फाल, मणिपुर	किफायती ईंधन वाले शवदाहगृह प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार (आर.टी.)	2,84,000	1,42,000	-	अभी किया जाना है।	-

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	ऑल मणिपुर फिशर वूमनस वेलफेयर एसोस., सेनाकिथल, लामपील	समेकित सामुदायिक विकास परियोजना (पी.सी.)	1,72,984	1,09,944	-	अभी किया जाना है।	-
39.	इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल डेव. एंड ट्रेनिंग सेंटर, पऊरोखंगजिंग अवांगलइकाई कईना रोड, इरीलबुग, मणिपुर	इंट्रोडक्शन एंड पापुलेसन ऑफ वर्मीकम्पोस्ट फॉर एग्रीकल्चर (आर.टी.)	79,000	-	-	-	-
40.	रुरल सर्विस एजेंसी, पैलेस कम्पाउंड, इम्फाल, मणिपुर	किफायती ईंधन वाले शवदाहगृह का निर्माण (आर.टी.)	2,84,000	-	-	-	-
41.	एसो. फॉर विलेज अपलिफ्टमेंट, लामडिंगलऊपाल लिकाई, वांगजिंग, मणिपुर	किफायती ईंधन वाले शवदाहगृह प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार (आर.टी.)	2,84,000	1,42,000	-	अभी किया जाना है।	-
42.	वालंटियर्स फार रुरल हेल्थ एंड एक्शन, लामडिंग, वांगजिंग, थौबाल	पेय और सिंचाई वाले जलों के लिए वैकल्पिक उपाय (पी.सी.)	9,46,537	-	-	-	-
43.	सोशिओ इकानॉमिक डेव. आर्गे., अथोकपम, थौबाल	किफायती ईंधन वाले शवदाहगृह का निर्माण (आर.टी.)	2,84,000	1,42,000	-	अभी किया जाना है।	-
44.	इंटीग्रेटेड रुरल एरिया डेव. आर्गे., सालम, थाओंगजम	किफायती ईंधन वाले शवदाहगृह का निर्माण (आर.टी.)	4,19,000	2,09,500	-	अभी किया जाना है।	-
45.	काउंसिल ऑफ यूथ फॉर डेव. एंड कॉपरेशन, पुकाहो पंगाई, अहालुप, मणिपुर	ग्रामीण किसानों के लिए मत्स्य पालन (पी.सी.)	2,10,000	-	-	-	-
46.	वांगजिंग वूमन एंड गर्ल्स सोसा., वांगजिंग थौबाल	वर्मीकम्पोस्ट प्रोजेक्ट (आर.टी.)	82,000	-	-	-	-
47.	वालंटरी सर्विस सेंटर, मुतुंग फिबौ, मयायीलिकाई, मायंग	समेकित फार्मिंग विकास परियोजना (आर.टी.)	5,21,329	2,57,050	-	अभी किया जाना है।	-
48.	इन्वायरमेंट एक्शन सपोर्टिंग यूथस, यूरिपॉक पोलेम, लिकाई, इम्फाल	किफायती ईंधन वाले शवदाहगृह का निर्माण (आर.टी.)	1,22,500	-	-	-	-
49.	द यूथ स्टेप फारबार्ड सेंटर, वांगजिंग बाजार, थौबाल, मणिपुर	ग्रामीण किसानों के लिए वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण (आर.टी.)	1,06,700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	क्रिश्चियन सोसल डेव. आर्गे., पो.बा.-11, पंचाई, चंडेल, मणिपुर	साल्ट-चंडेल में युवा स्वसहायता समूह (पी.सी.)	3,04,400	-	-	-	-
51.	सेंटर फॉर रुरल एडवांसमेंट, विष्णुपुर, मणिपुर	दुबारा उपयोग में लाये जाने वाले किफायती शवदाहगृह (आर.टी.)	4,32,250	-	-	-	-
52.	नेशनल रुरल डेव. ऐसो. कथिकोकारोंग, तदुबी, सेनापति	समेकित बागवानी विकास कार्यक्रम (पी.सी.)	4,00,665	-	-	-	-
53.	सेंट्रल वूमन्स आर्गे., वांगजिंग, सोरुखईबम लिकाई, वांगजिंग थौबाल	किफायती ईंधन वाले शवदाहगृह प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार (आर.टी.)	4,32,250	-	-	-	-
54.	ऑल मणिपुर हैंडीकैप्ड ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सोसा., सोमबुंग, इम्फाल	शारीरिक रुप से अपंग व्यक्तियों का प्रशिक्षण	3,91,000	-	-		निबंधन और शर्तें प्राप्त नहीं हुई है।
राज्य : नागालैंड (वर्ष 1999-2000)							
1.	फूड फार हंगरी वीमेन चुंगलिईमसेन, मॉकॉकचुंग, नागालैंड	सूअर पालन के जरिए आय सृजन (पी.सी.)	3,22,080	2,14,720	2,14,720	हां	कार्यान्वयन और रखरखाव का रिकार्ड निर्धारित स्तर तक नहीं था।
2.	इमेरॉल्ड सोसाइटी, चिजामी फेक जिला, नागालैंड	मत्स्य पालन (पी.सी.)	3,00,718	2,14,263	-	अभी किया जाना है।	-
	वर्ष (2001-2002)						
3.	विक्ट्री क्लब चिकरी पफूतसेरो, नागालैंड	फ्रूट प्रोसेसिंग एंड प्रीजर्वेशन (आर.टी.)	5,97,850	1,73,250	-	अभी किया जाना है।	-
4.	कूकी यूथ कल्चरल क्लब, फाईपीजंग, फुल नगार्जन, दीमापुर	कार्य के जरिए आर्थिक सुदृढ़ीकरण (पी.सी.)	52,304	52,304	6,600	-वही-	-
5.	चिवांग सोसाइटी तियांग, नागालैंड लालकी	सी.बी.आर. प्रशिक्षण	31,400	31,400	31,400	बाद का मूल्यांकन किया जाना है।	
	वर्ष (2002-2003)						
6.	अगापे वूमन वेलफेयर सोसा., चुमुकेदिना, ब्लॉक न. 111 दीमापुर	अनु. जन जाति की महिलाओं के लिए समेकित जनजाति विकास कार्यक्रम (पी.सी.)	-	-	-	-	निबंधन और शर्तें प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हरालू कालोनी वूमन सोसा, हरालू कालोनी बर्मा कैम्प, दीमापुर	जनजातिय महिलाओं के लिए आय सृजक कार्यक्रम (पी.सी.)	25,850	-	- -		-
8.	यंग पीपुल्स वेलफेयर सोसा., अध्यक्ष वर्मा कैम्प, पावर हाउस, दीमापुर	विशेष महिला समूह कार्यक्रम (ओ.बी.)	27,000	-	- -		-
राज्य : मिजोरम (वर्ष 1999-2000)							
1.	मिजोरम मिकेईसुईबखान पॉल, एमएचआईपी एचओ ट्रेजरी, स्क्वायर आईजॉल, तलांगगम	सूअर पालन और दर्जी प्रशिक्षण परियोजना (पी.सी.)	2,55,100	2,55,100	1,27,550	अभी किया जाना है।	-
	वर्ष (2000-2001)						
2.	मिजोरम मिकेईसुईबखाम पॉल, एमएचआईपी एचओ ट्रेजरी, स्वायर आईजॉल, तलांगगम	सम्पर्क सड़कों का निर्माण	5,37,290	2,54,259	2,54,259	अभी किया जाना है।	-
	वर्ष (2001-2002)						
3.	मिजोरम महिला संगठन मऊबाक, आईजॉल	सूअर पालन परियोजना के जरिए स्वरोजगार	3,38,000	66,000	66,000	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	-
4.	मिजोरम गोरखा यूथ एसो. आईजॉल, मिजोरम	स्वैच्छिक संगठनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला (ओ.बी.)	76,161	76,161	76,161	हां	संतोषप्रद
राज्य : सिक्किम (वर्ष 1999-2000)							
1.	नवज्योति संघ नामरांग, नामरांग बस्ती, तुमीन ब्लॉक, सिक्किम	वर्मीकम्पोस्ट प्रशिक्षण एवं उत्पादन (आर्टस)	1,47,750	1,47,750	80,325	अभी किया जाना है।	-

सीमा विवाद

2388. श्री नरेश पुगलिया : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई वर्ष बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद नहीं सुलझाया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने अब संविधान के अनुच्छेद 131 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में जाने का निर्णय लिया है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) कर्नाटक के साथ अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय में जाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार के किसी निर्णय की भारत सरकार को जानकारी नहीं है।

ट्रैफिक जाम

2389. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में व्यस्ततम चौराहों पर ट्रेफिक जाम होने से उत्पन्न अनेक समस्याओं और गंतव्य पर पहुंचने में लोगों को हो रहे विलम्ब पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिजली गुल होने के कारण सिग्नल बंद होने के फलस्वरूप ट्रेफिक जाम होने को कम करने के लिए व्यस्त चौराहों पर सौर ऊर्जा सिग्नल लाईटों को उपलब्ध कराने का है;

(ग) क्या दिल्ली में वाहनों की लगातार बढ़ रही संख्या भी यातायात बाधित होने का एक प्रमुख कारण है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यातायात को मुम्बई के समान प्रवाहमय, नियमित और अनुशासित बनाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) व्यस्ततम समय के दौरान ज्यादा यातायात के कारण कुछेक चौराहों पर यातायात की अबाध आवाजाही प्रभावित होती है।

(ख) दिल्ली पुलिस ने एक पाइलट प्रोजेक्ट शुरू की है जिसके अंतर्गत व्यस्ततम चौराहों में से एक चौराहे पर एक सौर ऊर्जा ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था की गई है।

(ग) वाहनों की बढ़ती संख्या भी दिल्ली की सड़कों पर यातायात को प्रभावित करती है।

(घ) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा यातायात की अबाध आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों में, प्रमुख यातायात गलियारों (कोरिडोर्स) पर यातायात सिग्नलों को समकालिक बनाना, व्हीकल्स एक्चुएटिड ट्रैफिक सिग्नल और ऑनलाइन कम्प्यूट्राइज्ड एरिया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थापित करना, सड़क संकेत लगाना और सड़क चिह्नों को पेंट करना, यातायात प्रबंध योजनाओं में सुधार लाना, तेज गति चैक करने, लाल बत्ती लांघने को चैक करने और लेन अनुशासन को लागू करने के लिए राडार गनों, इंटरसेप्टरों तथा रेड स्पीड कैमरों का इस्तेमाल करना, शराब पीकर वाहन चलाने को रोकने हेतु एल्कोमीटर का इस्तेमाल, सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए उनका विश्लेषण करना ताकि उपचारी उपाय किए जा सकें, यात्रियों में यातायात नियमों और सुरक्षा मानदंडों के बारे में जागरूकता पैदा करना, और स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के लिए यातायात प्रशिक्षण पार्कों की स्थापना करना।

गरीबी स्तर निश्चित करने के मानदण्ड

2390. श्री के.पी. सिंह देव :
श्री एम. दुराई :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी स्तर के निर्धारण हेतु नयी प्रणाली को शुरू करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या कितनी है तथा देश के विभिन्न हिस्सों में उनका जीवन स्तर कैसा है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, नहीं। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए पद्धति का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था।

(ख) दल की प्रमुख सिफारिश यह है कि "आय" दृष्टिकोण और साथ ही "व्यय" दृष्टिकोण, जिसमें "निष्काषण मानदंड" को भी काम में लाया गया था, के साथ अनुभव की गई कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए बी.पी.एल. जनगणना 2002 के लिए प्रत्येक परिवार की "अंक आधारित रैंकिंग", जिनमें उनकी जीवन की दशा का उल्लेख हो, का पालन किया जा सकता है। ऐसे रैंकिंग के लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों सूचकों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) सरकार ने अधिकांश सिफारिशें मान ली हैं और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चालू वर्ष के दौरान बी.पी.एल. जनगणना करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

2391. श्री छत्रपाल सिंह : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में साईस एण्ड सोसाइटी डिवीजन द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को राज्य-वार कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी गयी है;

(ख) क्या उक्त विभाग ने गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर जिलों तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान स्वीकृत नहीं किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्तावों को 'रेकरी' द्वारा इन संगठनों के पक्ष में की गयी टिप्पणियों के बावजूद साइंस एण्ड सोसाइटी डिवीजन ने अस्वीकृत कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान कितने संगठनों ने अपने प्रस्ताव साइंस एण्ड सोसाइटी डिवीजन को प्रस्तुत किये; और

(छ) इन संगठनों के विषय में 'रेकरी' द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान के रूप में विज्ञान और समाज प्रभाग द्वारा दी गई निधियों के बारे में राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

राज्य	1999-2000 (लाख रु. में)	2000-2001 (लाख रु. में)	2001-2002 (लाख रु. में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	27.00	15.01	26.88
असम	4.34	18.01	23.55
बिहार	26.80	24.99	12.80
छत्तीसगढ़	-	-	6.00
दिल्ली	57.65	61.30	54.39
गुजरात	12.02	14.05	18.00
हरियाणा	7.72	2.85	14.62
हिमाचल प्रदेश	11.54	25.00	20.35
जम्मू और कश्मीर	8.50	20.00	8.00
झारखण्ड	-	-	38.36
कर्नाटक	37.41	16.29	27.82
केरल	65.01	62.20	70.65
मध्य प्रदेश	40.21	20.50	72.93
महाराष्ट्र	71.10	41.47	63.71
मणिपुर	12.88	4.75	68
मेघालय	2.00	5.00	शून्य
नागालैण्ड	4.00	शून्य	शून्य

1	2	3	4
उड़ीसा	6.16	25.97	45.62
पाण्डिचेरी	7.03	20.50	16.64
राजस्थान	9.23	15.55	23.27
सिक्किम	19.61	7.50	शून्य
तमिलनाडु	34.66	69.12	74.98
त्रिपुरा	5.45	3.50	5.74
उत्तर प्रदेश	93.48	40.62	100.98
उत्तरांचल	-	-	82.36
पश्चिम बंगाल	48.65	33.96	63.26

उत्तर प्रदेश के सभी भागों में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विज्ञान और समाज प्रभाग को कई परियोजना प्रस्ताव भेजे गए हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन के घटकों तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर सहायता हेतु केवल कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाता है। सामान्यत: 5 विशेषज्ञों से उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने की सामान्य परंपरा का पालन किया जाता है। टिप्पणी सहित प्रस्ताव की जांच विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है जो प्रस्ताव के गुण दोष तथा उपलब्ध निधियों के आधार पर अंतिम सिफारिश करती है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विज्ञान और समाज प्रभाग को भेजे गए किसी भी परियोजना प्रस्ताव के संबंध में श्री रेकरी से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस प्रभाग द्वारा कुल 923 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किए गए।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाएं

2392. श्री ए. नरेन्द्र : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक देश में राज्य-वार कितनी पनधारा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या ये परियोजनाएं उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पायी है जिनके लिए उनकी स्थापना हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं में से राज्य-वार कितनी परियोजनाएं देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ङ) क्या उन परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाएं भिष्प्रभाव अवस्था में हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग जनजातीय क्षेत्रों विशेषरूप से उन क्षेत्रों, जहां पर पेयजल की अत्यधिक कमी है, और जहां पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/छोटे तथा सीमान्त किसान/भूमिहीन श्रमिक/गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अधिक संख्या में रहते हैं तथा जहां पर वनेतर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि आदि की बाहुल्यता है, के सहित देश में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को 1.4.1995 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वाटरशेड पद्धति के आधार पर विकसित करने हेतु तीन कार्यक्रमों, अर्थात समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भूमि अवक्रमण को रोकना, ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाना तथा बायोमास, विशेषरूप से ईंधन लकड़ी तथा चारे की

उपलब्धता को बढ़ाना है। विभाग में प्राप्त हुई सूचना के अनुसार पूरी हो चुकी परियोजनाएं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही हैं जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत की गई वाटरशेड परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या तथा उनके कार्यान्वयन के लिए जाली की गई कुल निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए निगरानी करने हेतु एक व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। निधियां उपयोग प्रमाणपत्रों, लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरणों, आदि के आधार पर चरणबद्ध रूप में जारी की जाती हैं। इनमें स्वतंत्र एजेंसियों/मूल्यांकनकर्त्ताओं के जरिए परियोजनाओं के मध्यावधिक मूल्यांकन की भी एक प्रणाली मौजूद है। इसके अलावा, स्थल पर निरीक्षण करने/मूल्यांकन करने के लिए भूमि संसाधन विभाग के अधिकारी भी परियोजना क्षेत्रों का दौरा करते हैं। विभाग के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें किसी परियोजना की निष्प्रभावी स्थिति को दिखाया गया हो। तथापि, यदि किसी परियोजना का कार्यान्वयन समुचित स्तर का नहीं पाया जाता है तो उसे समय से पहले ही बन्द कर दिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या			जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)		
		आई.डब्ल्यू. डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.	आई.डब्ल्यू. डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	38	2966	552	89.21	239.60	47.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	–	–	0.95	–	–
3.	असम	30	–	–	27.10	–	–
4.	बिहार	2	235	–	0.72	19.34	–
5.	छत्तीसगढ़	11	653	–	10.16	22.64	–
6.	गुजरात	26	1359	1676	37.48	85.81	150.16
7.	हरियाणा	6	–	654	5.95	–	62.19
8.	हिमाचल प्रदेश	24	238	371	32.01	13.62	35.72
9.	झारखण्ड	4	819	–	1.90	21.22	–
10.	जम्मू और कश्मीर	7	274	536	10.34	17.20	54.20
11.	कर्नाटक	23	1386	832	37.78	90.17	46.14
12.	केरल	3	–	–	4.78	–	–
13.	मध्य प्रदेश	39	2086	–	63.76	178.18	
14.	महाराष्ट्र	20	2211	–	23.14	113.68	–
15.	मणिपुर	8	–	–	12.83	–	–
16.	मेघालय	7	–	–	2.61	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मिजोरम	12	–	–	11.11	–	–
18.	नागालैण्ड	17	–	–	34.20	–	–
19.	उड़ीसा	30	684	–	30.71	32.76	–
20.	पंजाब	4	–	–	1.39	–	–
21.	राजस्थान	29	680	3693	30.90	52.30	412.86
22.	सिक्किम	9	–	–	11.73	–	–
23.	तमिलनाडु	24	904	–	21.42	60.95	–
24.	त्रिपुरा	4	–	–	1.60	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	41	1066	–	78.75	94.38	–
26.	उत्तरांचल	15	452	–	9.56	11.62	–
27.	पश्चिम बंगाल	1	255	–	0.45	12.88	–
28.	अन्य	–	–	–	2.50	0.52	0.15
	योग	436	16268	8314	592.54	1066.87	808.30

वी.ए.एम.बी.ए.वाई. कार्यक्रम के अंतर्गत मकानों का आवंटन

2393. **श्री के. येरननायडू :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से वी.ए.एम.बी.ए.वाई. कार्यक्रम के अंतर्गत 50,000 मकानों के आवंटन का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) प्रधानमंत्री द्वारा हैदराबाद में दिनांक 2.12.2001 को "वाम्बे" कार्यक्रम की शुरूआत करते समय "वाम्बे" के तहत 50,000 मकानों के निर्माण की घोषणा के आधार पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से 11400.00 लाख रुपये की सब्सिडी लेकर वाम्बे के तहत वर्ष 2002-2003 में 50,000 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव करते हुए प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा।

वर्ष 2001-2002 के दौरान वाम्बे के तहत 4000 मकानों के निर्माण हेतु राज्य सरकार को 1200.00 लाख रुपये की राशि जारी की गयी थी तथा चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के लिए 2499.55 लाख रुपये की राशि नियत की गयी है जिसमें से 57.88 लाख रुपये वाम्बे के तहत जारी किये जा चुके हैं।

चालू वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए राज्य सरकार ने 2728.20 लाख रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से 10910 रिहायशी मकानों के निर्माण का परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

वाम्बे एक मांग-मूलक स्कीम होने के कारण केन्द्रीय अंश तभी जारी किया जायेगा जब सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाये और धन भी उपलब्ध हो।

पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु एकीकृत पनधारा विकास परियोजना

2394. **श्री भीम दाहाल :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम ने भूमि आधारित क्रियाकलापों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी उन्मूलन हेतु एकीकृत पनधारा विकास परियोजना से संबंधित प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास जिला-वार कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (घ) असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैण्ड के पूर्वोत्तर राज्यों से वनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान प्राप्त हुए हैं। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2002-03 के दौरान अभी तक मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों से समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अन्तर्गत कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राप्त हुए, स्वीकृत किए गए तथा मंत्रालय में लंबित पड़े परियोजना प्रस्तावों का राज्य-वार और जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु प्राथमिकता वर्ष दर वर्ष आधार पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श से निर्धारित की जाती है। उन लंबित परियोजना प्रस्तावों जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नहीं किया जाता है, पर भी अगले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार के साथ परामर्श से प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु विचार किया जाता है। उन लंबित परियोजना प्रस्तावों जिन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया जाता है, राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाता है। चूंकि परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाना बहुत से तत्वों पर निर्भर करता है जिनमें परियोजना प्रस्तावों की मार्गदर्शी सिद्धान्तों के साथ समनुरूपता, चालू परियोजनाओं में हुई प्रगति, जिलों की प्राथमिकता निर्धारित किया जाना, आदि शामिल हैं, अतः इस संबंध में कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राथमिकता सूची में शामिल जिलों के नाम	प्राप्त परियोजना प्रस्ताव	स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव	लम्बित परियोजना प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1.	असम	धेमजी, गोलाघाट, सोनितपुर, कारबी, आंगलौंग, लखिमपुर, नगांव, हैलाकण्डी, कछार, डिब्रुगढ़, मोरीगांव, कामरूप तथा एन.सी. हिल्स	धेमजी, गोलाघाट, सोनितपुर, कारबी, आंगलौर, लखिमपुर, हैलाकण्डी, कछार डिब्रुगढ़, मोरीगांव, कामरूप, एन. सी. हिल्स तथा नलबारी (प्राथमिकता निर्धारितन हीं की गई)	धेमजी, गोलाघाट, सोनितपुर, कारबी, आंगलौंग, लखिमपुर	हैलाकण्डी, कछार, डिब्रुगढ़, मोरीगांव, कामरूप तथा एन. सी. हिल्स
2.	अरुणाचल प्रदेश	पापमपारे, लोअर-साबनसिरी, कुरूंग, खुमे, तवांग, चांगलैण्ड तथा पश्चिमी सैंग	पापमपारे, लोअर-साबनसिरी, कुरूंग, खुमे, तवांग	शून्य	पापमपारे, लोअर साबनसिरी, कुरूंग खुमे तथा तवांग

1	2	3	4	5	6
3.	मणिपुर	इम्फाल पूर्वी, चन्देल, चुराचान्दपुर, तुयेनसांग तथा सेनापाटी	इम्फाल पूर्वी, चन्देल, चुराचान्दपुर, तुयेनसांग तथा सेनापाटी	शून्य	इम्फाल पूर्वी, चन्देल, चुराचान्दपुर, तुयेनसांग तथा सेनापाटी
4.	मेघालय	जिलों की प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई	प्राप्त नहीं हुए	स्वीकृत नहीं किए गए	शून्य
5.	मिजोरम	लांगतालयै, कोलासिब, मामित, सरचहिप तथा आइजवाल	प्राप्त नहीं हुई	स्वीकृत नहीं किए गए	शून्य
6.	नागालैण्ड	दीमापुर, वोखा, मोकॉकचुंग, जुनेबोटो तथा कोहिमा	दीमापुर, वोखा, मोकॉकचंग, जुनेबोटो तथा कोहिमा	शून्य	दीमापुर, वोखा, मोकॉकचंग, जुनेबोटो तथा कोहिमा
7.	सिक्किम	जिलों की प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई	प्राप्त नहीं हुई	स्वीकृत नहीं किए गए	शून्य
8.	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, धालाय तथा दक्षिणी त्रिपुरा	प्राप्त नहीं हुए	स्वीकृत नहीं किए गए	शून्य

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों का दुरूपयोग

2395. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन 1800 स्वैच्छिक संगठनों की पहचान की है जो ग्रामीण विकास परियोजनाओं की सरकारी निधियों के दुरूपयोग में संलिप्त हैं, जैसा कि दिनांक 12.11.2002 के 'दैनिक जागरण' में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संगठनों को काली सूची में डाला है;

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या की जा रही है; और

(ङ) उनसे सरकारी निधियों की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) कपार्ट ने अब तक ऐसे 273 स्वैच्छिक संगठनों का पता लगाया है जिन्होंने संदिग्ध दुर्विनियोजन सहित विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं की हैं।

(ख) 273 स्वैच्छिक संगठनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) जी, हां। सभी 273 स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है।

(घ) और (ङ) निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(1) संबंधित स्वैच्छिक संगठनों से दुर्विनियोजित धन की वसूली के लिए सम्बद्ध जिला कलेक्टरों को अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए पत्र लिखे गए हैं।

(2) संबंधित स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण समाप्त करने के लिए पंजीकारों को पत्र लिखे गए हैं।

(3) पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में संबंधित स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र लिखे गए हैं।

विवरण

कपार्ट द्वारा काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम और पता	काली सूची में डाले जाने का कारण
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	अरूणधती युवाजन संगम, बादनागुडम जि. प. गोदावरी	(बोगस संगठन) दुरूपयोग और अनियमतताएं करना
2.	ब्राइटर इंटाग्रेटिड रूरल डेव. सोसा., 1/180-4 लाल बहादुर नगर, अनंतपुर	धन का दुर्विनियोजन
3.	कुडप्पा जिला ग्राम सेवा समिति, हाजिराहमादुल्ला स्टेट, कुडप्पा	दुर्विनियोजन
4.	कुडप्पा जिला हरिजन क्ररित्वा और बेणुकबदिना जाथुला विमोचन समिति 21/46, कुडप्पा	असहयोग/दुराचार
5.	दिव्य ज्योति महिला, 18-4-31, मेन बाजार, अलागडा, जि. कुर्नूल	दोषी संगठन और जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना
6.	स्वास्थ्य और कल्याण सेवा केंद्र, गडडीपाडु जि. गुण्टूर	मानीटर के साथ असहयोग और गंभीर अनियमितताएं
7.	ज्योति महिला मंडली, आर.एस. रोड, कोटूर, जि. कुडप्पा	स्वीकृति से पूर्व गंभीर चूकें पता लगी
8.	बहुउद्देश्यीय सामाजिक विकास सोसा., गांव गुण्डलापल्ली, पो.आ. दुग्गानागर्जपल्ली, वाया पुल्लीवेन्दला, जि. कुडप्पा	दुरूपयोग और अनियमिताएं करना
9.	नागमणी फिल्म और टी.वी. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आफ सक्टेंग, नागमणी फिल्मस, जि गुंटूर	स्वीकृति से पूर्व गंभीर चूकें पता लगी
10.	नवजीवन ग्रामीण विकास सोसा., संगम, कुडप्पा	स्वीकृति से पूर्व गंभीर चूकें पता लगी
11.	निर्मल वीकर सेक्शन महिला मंडली, जि. गुंटूर	असहयोग/दुर्व्यवहार
12.	ग्रामीण जागरण विकास संगठन, अनन्तपुर	असहयोग/दुर्व्यवहार
13.	ग्रामीण विकास और समेकित सामाजिक मूल्यांकन सोसा., 3-6-551/1, हममवत नगर, हैदराबाद	स्वीकृति से पूर्व गंभीर चूकें पता लगी
14.	ग्रामीण शिक्षा कृषि और सामुदायिक स्वास्थ्य सोसा., म.न. 16, 32 एस.ए., धामवरम जि. अनन्तपुर	आस्तित्व में न होना और दो समानान्तर संगठन चलाना
15.	ग्रामीण लोक विकास सोसा., कोयलागुंडम, गांव चौटसेप्पल मंडल, जि. नालगौंडा, आंध्र प्रदेश	असहयोग/दुर्व्यवहार
16.	सोशल सर्विस सोसा., चिनामाधुपल्ली, चेन्नूर मंडल, जि. कुडप्पा	दुरूपयोग और अनियमितताएं करना

1	2	3
17.	सोशल वैल्फेयर सोसा. फार वीकर कम्युनिटी, चिनामाधुपल्ली, चेन्नूर मंडल, कुडप्पा जि.	असहयोग/दुर्व्यवहार
18.	सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ हेल्थ एजूकेशन रिहेबीलिटेशन एंड एजूकेशन (एस.पी.एच.ई.आर.ई.) अनन्तपुर	असहयोग/दुर्व्यवहार
19.	सोसाइटी फार नेच्चुरल स्टडीज (एस.ओ.एन.एस.), म.सं. 206, खानापुरम हवेली इंडस्ट्रियल एरिया, खम्माम	असहयोग/दुर्व्यवहार
20.	तालामर्ला इन्टेगरेटिड रूरल डेव. एंड सोशल एजूकेशनल सोसा., सत्य साई तालुक जि. अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	असहयोग/दुर्व्यवहार
21.	द गिरिजन लेजर वेल्फेयर कंट्रेक्ट सोसा. कुडप्पा	स्वीकृति से पूर्व गंभीर चूकें पता लगी
22.	द रयाल सीमा नेल्लोर और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट्स वीकर सेक्सन रूरल डेव. सोसा., कुडप्पा	स्वीकृति से पूर्व गंभीर चूकें पता लगी
23.	द रूरल लेबर वैल्फेयर बोर्ड, कुडप्पा	स्वीकृति से पूर्व गंभीर चूकें पता लगी
24.	यंग ईवानजेलिस्टिक सोसा., साई नगर, जि. अनन्तपुर	दुरूपयोग और अनियमितताएं करना
25.	डाउन ट्रोडन डेव. सोसा., ग्राम	रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में जालसाजी
26.	किसान डेव. सोसा., पेदानापल्ली, बी सिटटीपाली, चिलामपुर, जि. अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	निधियों का दुरूपयोग
	असम	
1.	स्वाहिद कनकलता शिल्प कला केंद्र, पी.ओ. कोवरीपथार, सोनितपुर	परिवार आधारित/दुरूपयोग हुआ
	बिहार	
1.	अखिल भारतीय दलित विकास परिषद, अनीसाबाद, पटना	स्वैच्छिक संगठन के होने का पता नहीं चला
2.	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास सेवा परिषद्, मोकामा, पटना	स्वैच्छिक संगठन के होने का पता नहीं चला
3.	अखिल भारतीय सामाजिक परिषद, पटना	स्वैच्छिक संगठन के होने का पता नहीं चला
4.	अखिल भारतीय सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान, 209, आशियाना टावर, पटना	स्वैच्छिक संगठन के होने का पता नहीं चला
5.	आल इंडिया रूरल रिसर्च सेंटर, बैलेब रोड, पटना	स्वैच्छिक संगठन के होने का पता नहीं चला
6.	आल इंडिया सोसा. फार रिसर्च इन रूरल एरिया, नार्थ कृष्ण पुरी 10, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पटना	स्वैच्छिक संगठन ने जाली बैंक आश्वासन लेटर प्रस्तुत किया
7.	अम्बा सामाजिक विकास संस्थान, हाजीगानी, पटना शहर, पटना	स्वैच्छिक संगठन के होने का पता नहीं चला

1	2	3
8.	भारत महिला विकास संस्था, उर्दू बाजार, जि. दरभंगा	स्वैच्छिक संगठन ने जाली बैंक आश्वासन लेटर प्रस्तुत किया
9.	भारतीय ग्रामीण कल्याण परिषद, फारसी, मोकामा, पटना	स्वैच्छिक संगठन के होने का पता नहीं चला
10.	भारतीय ग्रामीण युवा विकास झाऊगंज, पटना शहर	स्वैच्छिक संगठन के होने का पता नहीं चला
11.	भारत महिला विकास संघ, बाजीतपुर रोड, पी ओ बाद, जि. पटना	स्वैच्छिक संगठन के होने का पता नहीं चला
12.	भारतीय सामाजिक समता न्याय परिषद, डीबी रोड, डाकखाना सहरसा	स्वैच्छिक संगठन ने जाली बैंक आश्वासन पत्र दिया
13.	बिहार ग्रामीण सेवा परिषद, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
14.	बिहार महिला प्रगतिशील केंद्र, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
15.	बिहार नागरिक सेवा परिषद, सबलपुर, दीदारगंज, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
16.	बिहार परामारिक ऊर्जा विकास संस्थान, हथवा मार्केट बानी रोड के सामने, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
17.	बिहार प्रगतिशील महिला उत्थान सेवा, दरीबाबाद, भादु रोड, सरमा पटना शहर, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
18.	बिहार समाज कल्याण विकास परिषद, जि. मोकामा	परियोजनाओं का अनुसूचित कार्यान्वयन
19.	बिहार सेवा चेतना, नवादा	स्वैच्छिक संगठन ने जाली बैंक आश्वासन पत्र दिया
20.	दरभंगा जिला खादी ग्रामोदय संस्थान, दरभंगा	स्वैच्छिक संगठन द्वारा अनुदानों का दुरूपयोग
21.	देशभक्ति चेतना परिषद, मोहला, पुरन्दपुर, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
22.	डा. अम्बेडकर ग्रामअभिमुख विकास संस्थान, फरासी मोहल्ला, मोकामा, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
23.	डा. अम्बेडकर समाज कल्याणकारी योजना समिति मोकामा, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
24.	डा. जाकिर हुसैन सामाजिक अध्ययन विकास चेतना परिषद, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
25.	ग्रामीण विकास अवाम अनुसंधान केंद्र, बजीतपुर रोड, पो.बा. आर एस बरच, जि. पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
26.	गुरू गोविन्द सिंह महिला विकास परिषद, हमिंदर गली, पटना सिटी, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
27.	गुरू नानक महिला शिल्प कला केंद्र, पटना	

1	2	3
28.	हरिजन गिरिजन अल्पसंख्यक उत्थान परिषद, फारसी मोहल्ला, मोकामा	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
29.	हिन्द सेवा सदन, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
30.	इंदिरा अंतोदय ग्रामभिमुख प्रशिक्षण केंद्र, मोकामा जि. पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
31.	जय प्रभा ग्रामभिमुख अंतोदय विद्यापीठ, मोकामा, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
32.	जय प्रभा ग्रामीण चेतना विकास समिति, चामोरिया पटना सिटी, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
33.	जन विकास समिति, हरूननगर कालोनी, फुलवाडी शरीफ, पटना	परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताएं
34.	जनभिमुख विकास संस्थान, गांव चातीपरम, खुशारूपुर, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
35.	कमला नेहरू समाज कल्याण केंद्र, गोपालगंज सासाराम, जि. रोहतास	परियोजनाओं का अनुचित कार्यान्वयन
36.	कांता ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार	परियोजना धारकों तथा बैंक ने ऋण भुगतान में गंभीर अनियमितता बरती
37.	कस्तूरबा प्रतिष्ठान महिला सिलाई केंद्र, नियूरा, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
38.	कोसीकंचल औद्योगिक विकास परिषद, डाकघर और पो.आ. शारदा नगर, पो.बा. सहरसा	स्वैच्छिक संगठन ने जाली बैंक आश्वासन पत्र प्रस्तुत किया
39.	लोहिया सेवा परिषद, डाक्टर टोली, मोकामा, पटनास	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
40.	लोक नायक जय प्रकाश आश्रम सेवा परिषद किला रोड, पटना सिटी, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
41.	महिला मंडल, अंबर लालू पोखर रुपन भवन बिहार शरीफ	
42.	माता जन कल्याण प्रगतिशील विकास परिषद बिला मोनी, हाथीदा, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
43.	नालंदा नारी शिक्षा विकास सस्थान, नौगढ़, नालंदा	
44.	नारायणी महिला सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
45.	नव चेतना समिति, पटना	स्वैच्छिक संगठन नहीं है
46.	परिवर्तन सामाजिक विकास संस्थान, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
47.	पाटलिपुत्र बाल महिला कल्याण संस्थान, किला रोड, पटना सिटी, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
48.	पाटलिपुत्र ग्रामीण सेवा विकास प्रतिष्ठान, हाजीगंज, पटना सिटी, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला

1	2	3
49.	पीड़ित शोषित हरिजन अवाम आदिवासी कल्याण बी-13, विजय हनुमाननगर, पटनास	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
50.	रचना, बोरिंग रोड, चौराहा, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
51.	रामवती प्रशिक्षण केंद्र, गांव और डाकघर राजतारा जि. कटिहारा	स्वैच्छिक संगठन के सचिव की बदनीयती
52.	रश्मि रति नव चेतना समिति, रश्मि ज्योति भवन, नई जाकनपुर, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
53.	राष्ट्रीय मानव कल्याण समिति, जि. पटना	स्वैच्छिक संगठन ने बैंक के जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए
54.	रूपा महिला प्रशिक्षण संस्थान, बाजीतपुर रोड पो.बा. आर.एस. बरच, पटना	परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन तथा तथ्यों को गलत ढंग से पेश करना
55.	सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र, गांव एवं डाकघर पतराही, आर.एस. झानझाहरपुर, जि. मधुबनी, बिहार	स्वैच्छिक संगठन द्वारा निधियों का अनुचित उपयोग
56.	समरपिट, प. पाली, पा.बा./जि. किशनगंज	परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन
57.	सर्वोदय आश्रम, बिहार शरीफ, पटना	अनेक अनियमितताएं
58.	श्री राजेन्द्र समाज सेवा संस्थान, कुनीपुकरा, बिहार	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
59.	वीर कुंवर सिंह सामाजिक जागृति परिषद, चामोरिया, पटना	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
60.	विनोबा ग्रामभिमुख चेतना केंद्र, पटना सिटी	स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का पता नहीं चला
61.	जन विकास परिषद, हारूननगर कालोनी, पो.बा. फुलवाड़ी शरीफ, पटना, बिहार	पी/पी द्वारा जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए
	दिल्ली	
1.	आल इंडिया एसो. फार वेल्फेयर आफ डाऊन ट्रोडन, 10/111, खिचडीपुर, नई दिल्ली, चन्द्र तिलक मार्ग, प. बाबरपुर, नई दिल्ली	निधियों का दुरूपयोग
2.	अखिल भारत समाज उत्थान समिति, ए 3.5/1 एल आई जी, रोहिणी, सै. 7, दिल्ली	निधियों का दुरूपयोग
3.	भारत सेवा समिति, सदतपुर, करावल नगर रोड, दिल्ली	निधियों का दुरूपयोग
4.	बाल और विधवा महिला कल्याण सोसा. एक्स-103/4, गली नं. 2, ब्रह्मपुरी, नई दिल्ली	परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन तथा एक व्यक्ति के नियंत्रणाधीन
5.	ग्राम भारती सेवा आश्रम, चन्द्र तिलक हाऊस, इंडिया मार्ग, प. बाबरपुर, नई दिल्ली	अन्य स्वैच्छिक संगठन के साथ आपसी संबंध
6.	ललित कोशी सेवा आश्रम, 77 बैंक कालोनी, नंदनगरी, नई दिल्ली	दुर्विनियोजन

1	2	3
7.	नार्थ इंडिया वेल्फेयर सोसा., 279/1, एक्स ब्लाक, गली नं. 9, ब्रह्मपुरी, नई दिल्ली	परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन तथा एक व्यक्ति के नियंत्रणाधीन
8.	समाज सुधार सोसा. एफ-18 धमपुर, नजफगढ़, नई दिल्ली	परियोजना और मूल्यांककों के साथ सहयोग नहीं, परिवार आधारित और पी.आर./यू.सी. प्रस्तुत नहीं की
9.	सचेतना, 237, सै. 3, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	अनुचित कार्यान्वयन
10.	समर फील्ड एजूकेशन सोसा. मकान नं. 31, गली नं. 13-14, ब्रह्मपुरी, नई दिल्ली	परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन तथा एक व्यक्ति के नियंत्रणाधीन
11.	विकास एजूकेशनल एंड सोशल वेल्फेयर सोसा., 456/एस-1, विकासपुरी, नई दिल्ली	परियोजना और मूल्यांककों के साथ सहयोग नहीं, ये स्वैच्छिक संगठन श्री विनोद मेहरा, श्री धर्मवीर सिंह रांगल तथा इनके परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे हैं।
	हरियाणा	
1.	बंजरभूमि सुधार मंडल, 19/563 दिल्ली रोड, सोनीपत स्टैंड, रोहतक	जाली रिकार्ड
2.	देहात विकास केंद्र, डा. गांव, डानगाडा अहीर, जि. रोहतक	अनुचित कार्यान्वयन
3.	गुलिया ग्रामोदय संघ, जहांगीरपुर, जि. रोहतक	अनुचित कार्यान्वयन
4.	हिन्दुस्तान प्रोसेसिंग सिरीअल एंड प्लसिस ग्रामोदय इंस्टीट्यूट बनसोगेट, करनाल	अनुचित कार्यान्वयन
5.	लोक सेवा दल, 137, पुचंद हैल्थ क्लब, एम.टी. जि. रोहतक, हरियाणा	अनेक अनियमितताएं
6.	रथी ग्रामोदय संघ, मी. बहादुरगढ़, रोहतक	अनेक अनियमितताएं
7.	ग्रामीण विकास और अनुसंधान केंद्र, दिल्ली रोड, सोनीपत रोड, रोहतक	जाली रिकार्ड
8.	सरस्वती एजूकेशनल एसो., 484/18, शिवाजी पार्क, गुड़गांव, हरियाणा	परिवार के सदस्यों द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठन चलाए गए हैं।
9.	शीड क्लब, ग्राम/पो संजरवास, जि. भिवानी, हरियाणा	निगरानी के दौरान एफ.सी.ई. के साथ असहयोग
10.	सामाजिक कल्याण एवं कमजोर समुदायों के लिए सोसा., 246, ब्लोजा निवास, सरकुलर रोड, झज्झर, जि. रोहतक	एक/एक ही कार्यालय अधिकारी द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठन चलाया जाना
11.	महिला सामाजिक कल्याण सोसा., 798/27, मेडिकल क्रासिंग, मॉडल टाउन, जि. रोहतक, हरियाणा	अनेक अनियमितताएं

1	2	3
	झारखण्ड	
1.	केंद्रीय औद्योगिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण सह उत्पादन संस्थान, शास्त्रीनगर, गुमला	स्वैच्छिक संगठन मौजूद नहीं
2.	राहुल जनवादी संस्थान, रूरल जनबादी क्लब, सेक्टर 2, साइट-4, रांची	परियोजना धारक द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई
3.	राष्ट्रीय विकास के लिए युवा जागरण, द्वारा-रघुनाथ राय, गोविन्द भवन, जि. देवघर, झारखंड	स्वैच्छिक संगठन द्वारा मनगढ़ंत और जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना
	केरल	
1.	बापू जी सेवक समाज, पो. चक्कुपल्लम कुमिली, इडुक्की	सभी चालू/पाइप लाइन परियोजनाओं को समय पूर्व बंद करने का महानिदेशक का निदेश
2.	पी.के.पी. मेमोरियल महिला समाजम, पो. नेदुंगोलन, जि. क्वीनोल	निधियों का दुरूपयोग
3.	थ्रिक्काडवूर फिश कल्चर समिति, कुरूपुसा पीरेनाद, कवीनोल	कोई कार्य नहीं किया गया
	कर्नाटक	
1.	ए नीड, चिल्ट्रा कुरूंगडा, गोरीबिंदपुर जि. कोलार	मौजूद नहीं
2.	आदर्श ग्रामीण विकास सोसा. जि. कोलार	मौजूद नहीं
3.	अमर एसो. वीरानदहली एक्सटेंशन, गौरीबिंदुपुर, जि. कोलार	मौजूद नहीं
4.	भाग्यज्योति एजुकेशन ट्रस्ट, रत्ना निवास, 11-8896, रामनगर गुलबर्गा, जि. कोलार	मौजूद नहीं
5.	चेतना, द्वारा बेदन्ना फोर्ट, गोरीबिंदपुर, जि. कोलार	मौजूद नहीं
6.	चिन्थालु एजुकेशन एंड रूरल डेव. सोसा. जि. कोलार	परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन
7.	हरिजन गिरिजन कल्याण समिति जि. कोलार	मौजूद नहीं
8.	कार्तिक फाउंडेशन, के.पी. टेम्पल स्ट्रीट जि. कोलार	मौजूद नहीं
9.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, मालापुर जि. मांधा	परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन
10.	कुमार ग्रामोद्योग संघ, थिरूमानी जि. कोलार	मॉनीटर के साथ असहयोग
11.	लक्ष्मीनारायण ग्रामीण विकास सोसा. जि. कोलार	मौजूद नहीं
12.	महालक्ष्मी महिला मंडल, वाया पेरेसेन्द्रा, जि. कोलार	मौजूद नहीं
13.	ममता धार्मिक संगठन उलीगोम्बु, जि. कोलार	परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन
14.	मैसूर सामाजिक शिक्षा केंद्र, भगाड़ी, जि. बंगलौर	गतिविधियों की पुनरावृत्ति
15.	नालंदा शिक्षा एवं आर्थिक विकास सोसा. बीडागेणा हाल्ली, जि. कोलार	मौजूद नहीं

1	2	3
16.	सेक्रेड रूरल डेव. बागेपल्ली, जि. कोलार	मौजूद नहीं
17.	शंथाला महिला मंडल, चिलेकबल्लापुर तालुक, जि. कोलार	मौजूद नहीं
18.	श्री मारूति ग्रामोद्योग संघ, डोडा चिम्मालाही, जि. कोलार	परियोजना कार्यान्वित करने में असफल
19.	श्री वेंकटेश्वर सिल्क खादी ग्रामोद्योग संघ जि. कोलार	मौजूद नहीं
20.	त्रिपाठी वेल्फेयर सोसा. पो. गुलबंडा, जि. कोलार	मौजूद नहीं
21.	जनार्दन खादी ग्रामोद्योग उद्योग संगठन, नंदनजमान, मित्ताहाली, चिन	स्वैच्छिक संगठन की कोई प्रतिक्रिया नहीं
	मणिपुर	
1.	आल मणिपुर मशरूप ग्रोवर एसो., इम्फाल	निधियों का अनुचित उपयोग
2.	मारम खोनौवूमन्स सोसा. जि. सेनापति, मणिपुर	मौजूद नहीं
3.	यूनेवन रूरल डेव. आग्रेनाइजेशन, जि. थौबाल, मणिपुर	स्वैच्छिक संगठन द्वारा कदाचार
4.	साउथ इस्टर्न चाइल्ड केअर सेंटर, खुनारक, वांगखेम, मणिपुर	मॉनिटर को घूस देने की कोशिश और निधियों का दुरूपयोग
5.	महिला समुदाय कल्याण संगठन, सेगु रोड, इम्फाल, मणिपुर	निधियों का दुरूपयोग
6.	तामेई एरिया ट्राइबल डेव. एसो., तलौलांग, जि. तमेंगलांग	स्वैच्छिक संगठन की कोई प्रतिक्रिया नहीं
7.	सोपेरमेन वूमन सोसा. जि. सेनापति, मणिपुर	स्वैच्छिक संगठन की कोई प्रतिक्रिया नहीं
8.	बांग्रिंगलोन क्रिश्चन वूमन सोसा. ऑफिस कम रेटर हाउस ए आर एक्स-सर्विसमेन एसो. मिनूथौंग, रगैलोंग रोड, इम्फाल, मणिपुर	निधियों का दुरूपयोग
	मिजोरम	
1.	समारतिन सोसाइटी आफ मिजोरम, वी-20 आइजाल, मिजोरम	पंजीकरण प्रमाण पत्र का जाली होना
2.	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रुरल एरियाज, बुंगवान आइजॉल	पंजीकरण प्रमाण पत्र का जाली होना
3.	मिजोरम बुद्धिस्ट डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, देमाक्वीर, मिजोरम	सी.आर.एस.पी. कार्यक्रम को क्रियान्वित न करना
	महाराष्ट्र	
1.	श्री योगानंद शिक्षण प्रसारक मंडल, पारतुर, जिला-जालना, महाराष्ट्र	अनुदानों का दुरुपयोग
2.	मधुबनी कुष्ठ रोग निर्मूलन संस्थान, जम्बूलघाट, जिला-चन्द्रपुर, महाराष्ट्र	निधियों का गंभीर दुरुपयोग

1	2	3
3.	गायत्री एजुकेशन सोसाइटी नागपुर, महाराष्ट्र	अनुचित कार्यान्वयन
4.	सोशियल इकोनामिक असिस्टेंस फॉर रुरल एंड सिटी हैबिटेट पुणे, महाराष्ट्र	अनुदानों का दुरुपयोग
	मध्य प्रदेश	
1.	आदर्श ग्रामीण सेवा समिति, भोपाल	आपत्तिजनक गतिविधियां
2.	बनवासी आदिवासी उत्थान सेवा समिति गाडोरा, मौरैना	मौजूद नहीं और जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना
3.	चम्बल शिक्षा प्रसार समिति, गाडोरा, मौरैना	गंभीर अनियमितताएं
4.	लोक कल्याण समिति, सी-8 कौशल नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	स्वैच्छिक संगठन की कोई प्रतिक्रिया नहीं
5.	मध्य भारतु, बी-36 कमला नगर, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश	गंभीर अनियमितताएं
6.	मानव विकास समिति, गणेशपुर मौरैना, मध्य प्रदेश	गंभीर अनियमितताएं
7.	प्रिया सामाजिक कल्याण सेवा समिति, लामते हाऊस, एम.आई.जी. भिंड पुलिस स्टेशन, इंदौरा, मध्य प्रदेश	नकली दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना
8.	संसाधन विकास संस्थान, टिकर्णी नगर, भोपाल	आर.टी.डी. कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया।
9.	सतपुड़ा समेकित ग्रामीण विकास संस्थान, भेंसदेही, जिला-बेतूर, मध्य प्रदेश	स्वैच्छिक संगठन का उत्तर न दिया जाना
10.	स्वरोजगार महिला संघ, गांधी भवन, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश	वी.ओ. का उत्तर न दिया जाना
11.	श्री अभयशिक्षा प्रसार समिति गुधरा, जबलपुर	अविश्वसनीय संगठन
	नागालैंड	
1.	वेस्टर्न यूनाइटेड क्लब, न्यू मार्केट रोड, कोहिमा	अस्तित्व में नहीं
2.	बाल कल्याण समिति चिपफुथिप्फे, कोहिमा	अस्तित्व में नहीं
3.	ट्रेनिंग युवा संघ, टेनिंग टाउन, कोहिमा	अस्तित्व में नहीं
4.	वाइजमेंस फेलोशिप, इन्टरप्राइज वोंखेथुंग मिशन कम्पाऊंड, कोहिमा	अस्तित्व में नहीं
5.	लिक्या महिला समिति, लिक्या कालोनी, वोखा टाउन जिला-दीमापुर	अस्तित्व में नहीं
6.	लोविस्तो कल्याण समिति, विश्वेमा, कोहिमा	अस्तित्व में नहीं
7.	व्रिकन क्लब, लेरी कालोनी, कोहिमा	उपयुक्त रिपोर्ट के लिए मॉनिटर को घूस देने की कोशिश

1	2	3
8.	स्टडी एंड एक्शन फार कमप्रीहेन्सीव डेवल., दीमापुर, कोहिमा	वी.ओ. का उत्तर न दिया जाना
9.	ग्रामीण उत्थान केन्द्र, कोहिमा	वी.ओ. का उत्तर न दिया जाना
10.	जनजातीय कल्याण विकास संघ, नहारबाड़ी, दीमापुर, नागालैंड	जाली पंजीकरण प्रमाण पत्र
	उड़ीसा	
1.	कॉम्युनिटी एकशन फॉर रुरल डेवल., बासाम, ढेंकनाल	निधियों का दुरुपयोग
2.	युगशक्ति पल्ली उन्नयन क्लब, ढेंकनाल	गांव के सरपंच से शिकायत
3.	श्री अरविन्दो पठागार, बराडा, जिला-ढेंकनाल	कार्यक्रम का अनुचित कार्यान्वयन
4.	मानव सम्बल विकास समिति, 27 बुदेश्वरी कालोनी, भुवनेश्वर	मानीटर की प्रतिकूल रिपोर्ट
5.	अबज आदिवासी हरिजन सेवा संघ, संस्थापुर, जिला-ढेंकनाल, उड़ीसा	वी.ओ. का उत्तर न दिया जाना
6.	राजीव गांधी यूथ क्लब, ढेंकनाल	मानीटर की प्रतिकूल रिपोर्ट
	राजस्थान	
1.	आदर्श बाल विद्या मंदिर, कृष्णा कालोनी, हिनडौन सिटी, सवाई माधोपुर	निधियों का दुर्विनियोग, कार्य का द्विगुणीकरण और परिवार के सदस्यों द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठन का संचालन
2.	आदर्श बाल विद्या मंदिर सोसायटी खैराहीगंज, जिला-अलवर	निधियों का दुर्विनियोग, कार्य का द्विगुणीकरण और परिवार के सदस्यों द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठन का संचालन
3.	आदर्श बाल विद्या मंदिर समिति, खेदीगंज, अलवर	निधियों का दुर्विनियोग, कार्य का द्विगुणीकरण और परिवार के सदस्यों द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठन का संचालन
4.	अखिल भारतीय विकास संस्थान अखिल भारतीय विकास संस्थान, हिन्डौन सिटी, सवाई माधोपुर	निधियों का दुर्विनियोग, कार्य का द्विगुणीकरण और परिवार के सदस्यों द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठन का संचालन
5.	चेतना पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, नेहरु नगर, जयपुर	काली सूची में डाले गए चेतना पब्लिक स्कूल समिति से अंत: संबंध
6.	चाइल्ड होम पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, किसान मार्ग, जयपुर	परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन और खराब गुणवत्ता की सामग्री उपयोग में लाई गई
7.	गांधी नवयुवक मंडल, बमान बडौदा, कौशलपुर, सवाई माधोपुर	परियोजना स्वीकृत करवाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग किया गया।
8.	गांधी शिक्षा संस्थान समिति, सवाई माधोपुर	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. का अनुचित कार्यान्वयन एवं झूठी सूचना देना

1	2	3
9.	गांधी युवा मंडल, बामन बडौदा, सवाई माधोपुर	परियोजना स्वीकृत करवाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग किया गया
10.	ग्रामीण मेवाड़ सेवा समिति, भरतपुर	असंतोषजनक कार्य/ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.
11.	ग्रामीण विकास सोसायटी, खड़ेरी, सवाई माधोपुर	निधियों का दुर्विनियोग, कार्य का द्विगुणीकरण और परिवार के सदस्यों द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठन का संचालन
12.	किशोरी शिक्षण एवं प्रशिक्षण उद्योग संस्थान, भरतपुर	कार्यान्वयन नहीं
13.	नरोत्तम विद्या मंदिर, घेर कोट मनिया, भरतपुर	झूठी सूचना देना एवं परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन
14.	नवजीवन एजुकेशन एंड इवांगलिकल सोसायटी, गंगापुर सिटी	वांछित तरीके से डवाकरा परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई।
15.	नवोदय समाज कल्याण विकास समिति, आर्यानगर, अलवर	नकली दस्तावेज
16.	नेहरू विद्या मंदिर समिति, मथुरा गेट, भरतपुर	सी.आर.एस.पी. का खराब कार्यान्वयन
17.	राजस्थान ग्रामीण विकास समिति राजगढ़, अलवर	परिवार में स्थित संगठन
18.	राजस्थान महिला बच्चे विकास समिति, भरतपुर	परिवार स्थित संगठन
19.	राजस्थान महिला बाल विकास समिति, भरतपुर	परियोजना स्वीकृत कराने के लिए अनुचित साधन का प्रयोग किया
20.	ग्रामीण शिक्षा विकास सोसायटी नसिया कालोनी, गंगापुर	इस सोसायटी एवं नवजीवन ई.ई. सोसायटी का एक ही कार्यालय प्रभारी
21.	सार्वजनिक विकास सेवा संस्थान, सवाई माधोपुर	निधियों का दुर्विनियोग, कार्य का द्विगुणीकरण और परिवार के सदस्यों द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठन का संचालन
22.	तिलक बालिका मोडर्न शिक्षा, जयपुर	उचित प्रोत्साहन की कमी/सामग्री का दुरुपयोग
23.	विकटोरिया मॉनटेसरी स्कूल शिक्षा समिति, राजनगर, जयपुर	काली सूची में दर्ज चेतना पब्लिक स्कूल समिति से अर्न्तसंबंध
24.	ग्रामीण विकास सोसायटी, समोगर, भरतपुर	निधियों का दुर्विनियोग, कार्य का द्विगुणीकरण और परिवार के सदस्यों द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठन का संचालन
25.	ग्रामीण विकास सोसायटी लापावली, सवाई माधोपुर	निधियों का दुर्विनियोग, कार्य का द्विगुणीकरण और परिवार के सदस्यों द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठन का संचालन

1	2	3
	तमिलनाडु	
1.	राजा एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, तिरुनेलवेली, कट्टाबोम्मन जिला	वी ओ का उत्तर न दिया जाना
2.	सेल्वम एजुकेशनल एंड चेरीटेबल ट्रस्ट, नागर क्वायल, जिला-कन्याकुमारी, तमिलनाडु	वी ओ का उत्तर न दिया जाना
3.	सुचेता कृपलानी डेव. सेंटर, रामनाथ	वित्तीय अनियमितताएं एवं बदनीतियां
4.	विलेज डेव. ऑर्गे. पुधुर अडमंगलम	नहीं है।
5.	वील आर्गेनाइजेशन चतिरापट्टी, पूर्वीमुखी पुदुकोट्टई	परियोजनाओं के कार्यान्वयन में खामियां
	उत्तर प्रदेश	
1.	आदर्श ग्रामोद्योग विकास संस्थान, रामपुर, गुय्या तालाब	अनुचित कार्यान्वयन
2.	अखिल भारतीय कल्याण परिषद, अराहेड़ा आगरा	गंभीर अनियमितताएं
3.	अंजना समाज कल्याण समिति, प्रतापपुर, फिरोजाबाद	दस्तावेजों को प्रस्तुत न किया जाना एवं निगरानीकर्त्ताओं के साथ सहयोग न करना
4.	अर्जुनवाही प्रौद्योगिकी विकास संस्थान, जियादेच, इलाहाबाद, उ.प्र.	परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए झूठे साधनों का उपयोग किया गया
5.	आर्या ग्रामोदय विद्या मंदिर ट्रस्ट, जल वायु विहार सोसा. सेक्टर-21, नोएडा	जाली बैंक पत्र
6.	भारतीय ग्रामीण सेवा मंडल सेशगढ़, जिला-बरेली	नहीं है
7.	भारतीय ग्रामोद्योग विकास समिति, ग्वालानगर, जिला-रामपुर	परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया
8.	भारतीय ग्राम्य विकास सोसा., लखनऊ	निगरानीकर्त्ताओं का प्रतिकूल रिपोर्ट
9.	भारतीय महिला विकास संस्थान धमौरा, मोरादाबाद, उ.प्र.	निगरानीकर्त्ताओं का प्रतिकूल रिपोर्ट
10.	भारतीय विकास संस्थान, पुरदिलनगर, अलीगढ़-204124	जाली दस्तावेज
11.	भवानी शिक्षा समिति, चिनौती, लखनऊ उ.प्र.	निगरानीकर्त्ताओं का प्रतिकूल रिपोर्ट
12.	चाइल्ड एंड वूमन डेव. सोसा. गंगाखेड़ा, कनौसी के समीप, आर. डभ्.एस.ओ., लखनऊ	निधियों का दुर्विनियोजन एवं अक्षम संगठन
13.	दुर्गेश शिक्षा निकेतन समिति लोहना, पिपरसानो, लखनऊ	निगरानीकर्त्ताओं का प्रतिकूल रिपोर्ट
14.	फोरेस्ट्री एंड रुरल डेव. ऑर्गे. 9 स्टेट बैंक कालोनी, मुजफ्फरनगर	प्रतिकूल मूल्यांकन रिपोर्ट

1	2	3
15.	ग्राम विकास संस्था, पवसारा, मुरादाबाद, उ.प्र.	एन.ई.ई. सोसायटी में एक ही कार्यालय अधिकार का होना
16.	ग्राम विकास मंडल, शाहपुर जैनपुर, अरणावली, भोला फ्रॉड, मेरठ	कार्यान्वयन नहीं
17.	ग्राम विकास संस्थान, मृहाकुर, आगरा, उ.प्र.	कई अनियमितताएं
18.	ग्रामोदय, भीखनपुर, गाजियाबाद	कई अनियमितताएं एवं निधियों का दुरुपयोग
19.	ग्रामोदय विकास मंडल, रामबाग, सूरजकंड, मेरठ, उ.प्र.	अनुचित कार्यान्वयन
20.	ग्रामोदय, तेहरी, देवरिया, उ.प्र.	वही
21.	ईंद्राणी ग्रामीण विकास समिति, पाटला, रामपुर	उपयोग नहीं किया गया और अनुदान की वापसी नहीं
22.	जगदेव सेवा संस्थान, देवरिया खास, देवरिया	नहीं है
23.	जयभारत नर्सरी स्कूल समिति, गोसाई तालाब, सिविल लाईन्स, मिर्जापुर, उ.प्र.	स्वैच्छिक संगठन की कोई प्रतिक्रिया नहीं।
24.	जय मां पद्मावती कल्याण समिति, 32 हनुमानगढ़, फिरोजबाद	कपार्ट का जाली हस्ताक्षर
25.	जन जागरण परिषद, साहिबाबाद, इलाहाबाद	निगरानीकर्त्ताओं के साथ असहयोग
26.	जन कल्याण संस्थान, बाल्डको भवन, जलकल रोड, देवरिया	परियोजना के कार्यान्वयन में कई अनियमितताएं और एफसी.ई. के साथ असहयोग
27.	जन उद्योग ग्रामीण विकास कल्याण समिति, अम्बेडकर कालोनी, फिरोजाबाद, उ.प्र.	प्रतिकूल मूल्यांकन रिपोर्ट
28.	काल निकेतन विद्यालय समिति, लखनऊ	निगरानीकर्त्ताओं की प्रतिकूल रिपोर्ट
29.	काशी हस्तकला प्रतिष्ठान, वाराणसी, उ.प्र.	निधियों का गलत उपयोग
30.	खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, मुरादाबाद, उ.प्र.	अनुचित कार्यान्वयन
31.	खादी ग्रामोद्योग सेवा सदन रामपुर, आगापुर रोड, रामपुर	अनुचित कार्यान्वयन और स्वैच्छिक संगठन का असंतोषप्रद निष्पादन
32.	लक्ष्मी विकसित सेवा संस्थान, जोगिया, हाथरस, अलीगढ़	जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
33.	महिला एवं बाल कल्याण समिति नैनीलर, देवरिया	जाली दस्तावेज
34.	नौतन ग्राम विकास समिति, गोवाहर, बिजनौर, उ.प्र.	स्वैच्छिक संगठन की कोई प्रतिक्रिया नहीं
35.	प्रगति सेवा संस्थान, 151, बोडिंग हाऊस, हरदोई	जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए
36.	पुष्पा विकास समिति, सिविल लाईन्स, बदायूं	असंतोषप्रद कार्यान्वयन

1	2	3
37.	राजा चेत सिंह शिक्षा संस्थान नतीलमली, वाराणसी	दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना
38.	सहयोग ग्रामोद्योग विकास संस्था, गांधीनगर, कुमारकुंज, मुरादाबाद	परियोजना का कार्यान्वयन नहीं
39.	रुरल रिफोर्म, मुरादाबाद	परिवार आधारित संगठन
40.	सर्व इंडिया, शास्त्री नगर, मेरठ	अक्षम संगठन
41.	शारदा सेवा समिति ग्राम-चिरगोरा, देवरिया	जाली दस्तावेज
42.	श्री विद्यानाथ विद्यालय समिति, लखनऊ	मॉनीटर की प्रतिकूल रिपोर्ट
43.	श्री दुर्गादेवी सेवा समिति, पल्लीयारेल सिलंग, जिला-हरदोई	निधियों का दुर्विनियोग एवं तथ्यों का गलत अभ्यावेदन
44.	तारा देवी शिक्षा समिति, नेहरु नगर, देवरिया	जाली दस्तावेज
45.	विकास संस्था, रकाबा, अमीला	गलत सूचना देना
46.	विनोबा आदर्श शिक्षा समिति, विनोबा नगर, नाय बाजार, नैनी, इलाहाबाद	जाली दस्तावेज
47.	विवेक साधना मंदिर, गहमर पट्टी, जिला-गाजीपुर	निधियों का दुरुपयोग
48.	विवेकानंद संस्था, अकबरपुर, फैजाबाद	गलत सूचना देना
49.	ग्रामीण विकास युवा संघ ग्राम-बेहटा जिला बुलन्दशहर	अनुचित कार्यान्वयन एवं असहयोग
50.	युवा एवं बाल विकास समिति, देवरिया	परिवार स्थित संगठन मॉनीटर के साथ असहयोग
51.	मानव कल्याण एवं उत्थान संस्थान, मथुरा-उ.प्र.	ग्रामीण विकास मंत्रालय को जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना
52.	अखिल भारतीय महिला एवं बाल उत्थान समिति, जिला-मिर्जापुर	अनुचित कार्यान्वयन के कारण
53.	महिला विकास संस्थान, देहरादून	अनुचित कार्यान्वयन के कारण
	पश्चिम बंगाल	
1.	बयारशिंग शिवाजी संघ, पो. टाल्डी, जिला-दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल	मॉनिटर (आवास) की प्रतिकूल रिपोर्ट
2.	जनकल्याण ब्रोतोचारी संस्था, जिला-24 परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल	स्वैच्छिक संगठन का दुर्भावपूर्ण इरादा
3.	भाटर प्रबंधन सोसायटी, डा. अम्बेडकर आवासिक शिक्षा निकेतन, भाटर, जिला-वर्दवान	एडवोकेट की नोटिस के अनुसार कार्यकर्त्ता के बीच मतभेद मामला अदालत में लंबित

1	2	3
4.	मातनगिनि सेवा संघ, पश्चिम बंगाल	निधियों के दुर्विनियोग की शिकायत जैसा कि एफ.सी.ई. द्वारा सूचित किया गया, अवांछित स्तर के कार्य तथा लाभार्थियों का परिवर्तन
5.	नारी "व" शिशु कल्याण समिति, जिला-24 परगना (दक्षिण)	अनेक अनियमितताएं एवं निधियों का दुरुपयोग
6.	ग्रामीण गरीब जल कल्याण संघ, निचू कालोनी जिला-वर्दवान	निधियों का दुरुपयोग एवं जाली पंजीकरण प्रमाणपत्र, पेयजल परियोजनाओं का खराब कार्यान्वयन और कापार्ट की निधियों का गबन
7.	सेवक समिति, अटल बिहारी जन भवन ग्राम किस्मत दीवान चौक, मिदनापुर	मॉनीटर (सी.आर.एस.पी.) की प्रतिकूल रिपोर्ट
8.	बेरोजगार युवक कार्यकर्त्ता सोसायटी जिला-वर्दवान	तथ्यों का गलत अभ्यावेदन, आवास परियोजना का निष्पादन असंतोषजनक पाया गया
9.	विवेकानन्द चाइल्ड वेल्फेयर होम लकद्वीप, जिला-दक्षिण 24 परगना	कार्यक्रम का अनुचित कार्यान्वयन निधियों का गबन तथा एफ.सी.ई. के साथ असहयोग
10.	कालीगंज ब्लॉक ग्रामीण खुकद्रा एवं खुटीर शिल्प जल कल्याण समिति दंगापारा, पश्चिम बंगाल	वी.ओ. का असंतोषजनक उत्तर
11.	आशा कल्याण सोसायटी	संगठन का असंतोषजनक निष्पादन

[अनुवाद]

राज्यों में क्रोमाइट का दोहन

2396. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राज्यों में क्रोमाइट के भंडार क्षेत्रों की खोज की गई है;

(ख) उन राज्यों में, राज्य-वार लगभग कितना क्रोमाइट है;

(ग) क्या उन राज्यों में उपलब्ध क्रोमाइट के उचित दोहन के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में क्रोमाइट भंडारों का पता चला है। खान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ संगठन भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) के अनुसार 1.4.2002 को क्रोमाइट भंडारों की राज्यवार अनुमानित मात्रा निम्नवत है:

क्र.सं.	राज्य	भंडार (हजार टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	186.77
2.	झारखंड	465.53
3.	कर्नाटक	2114.35
4.	महाराष्ट्र	542.50
5.	मणिपुर	91.50
6.	उड़ीसा	110691.50
7.	तमिलनाडु	282.12
	अखिल भारतीय योग	114374.27

(ग) और (घ) पट्टाधारी क्षेत्रों में खनिजों का उचित विदोहन करने के लिए खनन योजनाएं भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। खनन पट्टे की अनुमति मिलने पर अनेक निजी

खान-स्वामियों के साथ-साथ राज्य सरकारी निगमों द्वारा क्रोमाइट का खनन किया जाता है। उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड एक राज्य सरकारी उद्यम ने मूल्य वृद्धि हेतु निम्न ग्रेड क्रोम अयस्क का ग्रेड बढ़ाने के लिए क्रोम अयस्क सज्जीकरण संयंत्र स्थापित किया है और बौला-नौसाही क्षेत्र में बंगुर क्रोमाइट खानों में भूमिगत खान का विकास किया है। क्रोमाइट के संबंध में भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने देश की कुल संसाधन क्षमता का आकलन करने के लिए उड़ीसा, कर्नाटक और उत्तर-पूर्व की ओफिओलाइट बेल्ट में क्रोमाइट क्षमता वाले सभी क्षेत्रों में विस्तृत गवेषण करने की सिफारिश की है।

विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

2397. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों के लिए सरकार को कोई पेंशन योजना अग्रेषित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) ''पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी पेंशन योजना, 1999'' की मुख्य-मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी पेंशन योजना, 1999 शुरू करने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है।

विवरण

''1. विनियम 1 अप्रैल, 1998 से लागू होंगे अर्थात् उन लोगों पर लागू होंगे जो 31 मार्च, 1998 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हो चुके थे।

2. ये विनियमन उन सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्होंने 2 अक्तूबर, 1993 को अथवा उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन कार्यग्रहण किया है।

3. जो कर्मचारी 2.10.1993 से पहले विश्वविद्यालय की सेवा में थे और इन पेंशन विनियमों के प्रवर्तन की तारीख को विश्वविद्यालय की सेवा में हैं उन पर भी इन विनियमों के अधीन यह पेंशन स्कीम तब तक लागू होगी जब तक इनमें से कोई कर्मचारी स्पष्ट रूप से यह विकल्प नहीं दे दे कि इन विनियमों के अधीन यह पेंशन योजना उस पर लागू नहीं हो।

4. 31.3.1998 को अथवा इसके बाद लेकिन इन विनियमों की अधिसूचना के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस अधिसूचना की तिथि से पेंशन पाने के हकदार होंगे लेकिन सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिसूचना की तिथि तक पेंशन की बकाया राशि पाने के हकदार नहीं होंगे।

राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना

2398. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की किशोर बालाओं, गर्भवती एवं धाए माताओं को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना इस वर्ष मुश्किल से शुरू हो पायी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी असफलता के क्या कारण हैं और योजना के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं और कितना खर्च हुआ है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के तुलनात्मक आंकड़े क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस, 2001 के उपलक्ष्य में की गई उद्घोषणा के अनुपालनार्थ योजना आयोग ने राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अंतर्गत अभिनिर्धारित अल्प-पोषित किशोर लड़कियों तथा गर्भवती और शिशुवती माताओं को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 51 जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना चलाने के लिए राज्यों को वर्ष 2002-03 के लिए 103.33 करोड़ रुपए की विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का जुलाई, 2002 में अनुमोदन किया और इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए।

वित्त मंत्रालय ने अक्तूबर, 2002 में राशि निर्मुक्त की और राज्यों ने इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। चूंकि, यह राशि अक्तूबर, 2002 में निर्मुक्त की गई है, इसलिए विफलता का प्रश्न ही नहीं उठता।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का कोयला भण्डार

2399. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के क्षेत्र-वार और ग्रेड-वार कुल कोयला भण्डार का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत 10 वर्षों में वर्ष-वार कितना उत्पादन, उत्पादकता, श्रमशक्ति, लाभ और हानि हुई;

(ग) क्या श्रमशक्ति में गिरावट से घाटा बढ़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी.एस.आई. के अनुसार 1.1.2002 को सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) के कमान क्षेत्र में कोयले का कुल भण्डार 36.78 बिलियन टन है। जी.एस.आई. द्वारा भण्डार को प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी में अद्यतन किया जाता है। जी.एस.आई. के अनुसार 1.1.2002 को 1200 मीटर तक की गहराई पर सी.सी.एल. के कमाण्ड क्षेत्र में भण्डार का कोलफील्ड-वार तथा ग्रेड-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(बिलियन टन में)

क्र.सं.	कोलफील्ड	कोकिंग कोल (ग्रेड)	नॉन-कोकिंग कोल (ग्रेड)	कुल भण्डार
1.	ईस्ट बोकारो	6.870 (डब्ल्यू I/डब्ल्यू IV)	0.166 (ई से जी)	7.036
2.	वेस्ट बोकारो	4.537 (डब्ल्यू I/डब्ल्यू IV)	0.268 (ई से जी)	4.805
3.	रामगढ़	0.933 (डब्ल्यू I/डब्ल्यू IV)	0.038 (डी से जी)	0.971
4.	नार्थ करनपुरा	3.721 (डब्ल्यू III/डब्ल्यू IV)	10.842 (बी से जी)	14.563
5.	साउथ करनपुरा	0.774 (डब्ल्यू III/डब्ल्यू IV)	5.239 (ए से जी)	6.013
6.	औरंगा*	–	2.997 (ई से जी)	2.997
7.	हुतर	–	0.249 (ए से ई)	0.249
8.	डाल्टनगंज	–	0.143 (बी से एफ)	0.143
9.	गिरिडीह	0.002 (डब्ल्यू IV/एफ)	–	0.002
	कुल	16.837	19.942	36.779

*यह सी.सी.एल. के पट्टे के बाहर है।

(ख) गत दस वर्षों के दौरान सी.सी.एल. का उत्पादन, उत्पादकता, श्रमशक्ति, लाभ तथा हानि निम्नानुसार है:

वर्ष	कोयला उत्पादन (एम.टी.)	ओ.बी.आर. मि. घनमीटर	उत्पादकता (टी.ई.)	1 अप्रैल को श्रमशक्ति	लाभ/हानि करोड़ रु.
1	2	3	4	5	6
1992-1993	32.42	52.09	1.50	96990*	41.56
1993-1994	33.50	50.95	1.61	95676	62.06

1	2	3	4	5	6
1994-1995	31.20	48.36	1.60	94404	(-) 118.96
1995-1996	30.76	44.09	1.60	92816	(-) 1.43
1996-1997	32.18	42.91	1.65	91649	(-) 15.52
1997-1998	33.07	42.99	1.69	88122	(-) 85.67
1998-1999	32.18	46.53	1.78	84993	(-) 149.35
1999-2000	32.40	46.54	1.89	80916	(-) 121.24
2000-2001	31.75	47.55	1.99	77882	(-) 792.91
2001-2002	33.81	46.30	2.13	74887	(-) 108.32

*1.4.1993 के अनुसार

(ग) और (घ) श्रमशक्ति में कमी और वेतन तथा मजदूरी लागत में परिणामी बचत के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-01 में कम्पनी का घाटा मुख्यत: निम्न कारणों से काफी बढ़ा है:

(1) 1.7.1996 से कर्मचारियों तथा 1.1.1997 से अधिकारियों के वेतन में संशोधन के कारण वेतन तथा मजदूरी 464.45 करोड़ रु. की वृद्धि।

(2) वेतन में संशोधन के कारण उपदान/अवकाश नकदीकरण के प्रावधान के लिए 65.99 करोड़ रु. की वृद्धि।

(3) वर्ष के दौरान 214.19 करोड़ रु. के विवादित देयों के समाधान/पुनर्मूल्यांकन के आधार पर खराब तथा संदेहास्पद ऋणों को बट्टेखाते डालना/उनके लिए प्रावधान।

वर्ष 2001-02 में लागत के उक्त असाधारण तत्वों के जारी न रहने और उत्पादन, उत्पादकता तथा बिक्री वसूली में सुधार के कारण कम्पनी की लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है और वर्तमान प्रवृति को देखते हुए, स्थिति में वर्ष 2002-03 में और सुधार होगा।

बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना

2400. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों में बहुत से बच्चे कुपोषण के शिकार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) गम्भीर कुपोषण में कमी आ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-1 (1992-93) के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 0-4 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के कम वजनी मामले 14.8% थे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 0-3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के कम वजनी मामले 11.6% हैं।

(घ) और (ङ) कुपोषण एक बहु-आयामी समस्या है और यह समस्या परस्पर जुड़े कई कारणों का परिणाम है, जैसे परिवार में खाद्य असुरक्षा, क्रय शक्ति का अभाव, निरक्षरता, महिलाओं की निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल तथा आस-पास की स्वच्छता की कमी, खाद्यान्न, पोषण तथा साफ-सफाई के बारे में अज्ञानता, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, आदि। भारत सरकार इस संबंध में अनेक कार्यक्रम चला रही है, जैसे समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना का पोषाहार घटक, प्राथमिक शिक्षा में पोषाहारीय सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यक्रम, आदि।

[हिन्दी]

झरिया की कोयला खानों में लगी भूमिगत आग

2401. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला शहर, झरिया की खानों में लगी भूमिगत आग पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इस आग को नियंत्रित करने के लिए अब तक उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) "भारत कोकिंग कोल लिमिटेड" द्वारा इस उद्देश्य के लिए अमरीका से लिए गए एक करोड़ बीस लाख डालर का सफल उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शहर को खाली कराने और विस्थापितों को अन्यत्र पुनर्वासित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) झरिया शहर बड़ी खान आगों जैसे कुजमा, लोडना, सिमलाबहल/भालगोरा, ईना तथा राजापुर आदि से घिरा हुआ है। तथापि, वर्तमान में झरिया शहर के नीचे कोई खान आग नहीं है।

झरिया शहर के चारों ओर आग तथा धंसाव को नियंत्रित करने के लिए बी.बी.सी.एल. द्वारा उठाए गए/जा रहे कदम इस प्रकार हैं:

(1) पूर्व में, (1976-1988 के दौरान) बीसीसीएल में कुल 22 आग परियोजनाएं अनुमोदित तथा कार्यान्वित की गई थी, जिनमें से 5 झरिया शहर के चारों तरफ की खानों में थी।

(2) झरिया जल बोर्ड टैंक तथा बाटा मोड़ और बस स्टैण्ड पर स्थिरीकरण का कार्य पर्यावरणीय प्रबंधन तथा धंसाव नियंत्रण (ई.एम.एस.सी.) के अन्तर्गत पूरा हो चुका है। ई.एम.एस.सी. के अन्तर्गत राजापुर तथा लोडना में आग तथा धंसाव से निपटने की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(3) बीसीसीएल, पृथक स्टॉपिंग्स के निर्माण, रेत फ्लशिंग, इनर्ट गैस इन्जैक्शन, सतह पर ब्लैंकेटिंग, खुदाई, खाई बनाना, जल इकट्ठा करना, पौधा रोपण आदि के माध्यम से झरिया शहर के चारों ओर फैली भूमिगत तथा सतह की आगों को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठा रही है।

(4) झरिया शहर के चारों ओर निर्दिष्ट स्थल हैं जो आग तथा धंसाव के प्रभावों से संकटग्रस्त हैं। ये स्थल हैं-छोइथीकुली, कटरास मोड़, इन्दिरा चौक, कुकुरथापा, परसाटाण्ड के समीप नई कालोनी, खास झरिया (भाग), समशेर नगर, बोकापहाड़ी, 1 पिट क्षेत्र, धसकापट्टी सुरटाण्ड तथा हनुमानगढ़ी। इन स्थलों में अस्थिर के रूप में निर्दिष्ट मकानों की कुल संख्या गैर-बीसीसीएल मकानों के लिए 1441 तथा बीसीसीएल मकानों के लिए 237 है। इन मकानों को स्थानांतरित किए जाने को ईएमएससी के अंतर्गत बीसीसीएल के सर्वाधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरण नामक निदर्शन योजना में शामिल किया गया है। यह निदर्शन योजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) 12 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता से वर्ष 1994 में एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना "झरिया खान आग नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना" आरम्भ की गई। यह झरिया कोलफील्ड हेतु अग्नि शमन कार्यक्रम के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के लिए नैदानिक अध्ययन है और क्रमशः मैसर्स गाई-मैटकैम तथा मैसर्स नारवेस्ट के सहयोग से आयोजित की गई। अध्ययन के पूरा होने के बाद, एक कार्यशाला आयोजित की गई तथा कार्यशाला दस्तावेज तैयार किया गया। इस विश्व बैंक अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष 1996-1997 में प्रस्तुत किए गए, जो इस प्रकार है:

* आग का समग्र क्षेत्र 17 वर्ग कि.मी. से घट कर 8.9 वर्ग कि.मी. रह गया।
* झरिया, किरकेण्ड तथा अन्य निर्मित क्षेत्र आग से संकटग्रस्त हैं।
* आग को तत्काल पूर्ण रूप से बुझाया जाना सम्भव नहीं है परन्तु इन आगों को और अधिक फैलने को विभिन्न उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है।
* 22300 परिवारों को स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है जिसमें से 10800 परिवार अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में रह रहे हैं जिन्हें तत्काल पुनर्वासित किया जाना अपेक्षित है और इसमें लगभग 770 करोड़ रु. अपेक्षित होंगे।
* धनबाद पाथेरडीह रेल लाइन तथा अदरा गोमोह रेल लाइन संकटग्रस्त हैं और उनके लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक

हैं। एकरा, कारी तथा चटकारी जोहड़ में तत्काल भूमि स्थिरीकरण किया जाना अपेक्षित है।

* आग नियंत्रण/धंसाव नियंत्रण, पुनर्वास तथा पर्यावरणीय नियंत्रण की कुल लागत 4071 करोड़ रु. अनुमानित की गई और कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा 15-20 वर्ष थी।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, झरिया शहर को खाली कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऊपर (क) तथा (ख) में उल्लिखित निदर्शन योजना के अनुसार झरिया शहर के चारों और निर्दिष्ट संकटग्रस्त स्थलों के स्थिरीकरण को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

संघ राज्य प्रशासन द्वारा अपनाये जाने वाले मानदंड और प्रोटोकॉल

2402. **श्री मोहन रावले : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्यों के साथ पत्र व्यवहार करते समय संघ राज्य प्रशासन द्वारा अपनाये जाने वाले अपेक्षित मानदंडों और प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे उदाहरण आये हैं जिनमें मानदंडों और प्रोटोकॉलों के अनुपालन के संबंध में संघ राज्य प्रशासन ने कोताही कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि इन मानदंडों और प्रोटोकॉल का कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जाये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से संसद सदस्यों से व्यवहार और पत्राचार करते समय, सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 मई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/2/2000-स्थापना (क) के अधीन निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) और (ग) एक मामले में, जो सरकार के ध्यान में आया है, दमण और द्वीव प्रशासन को यह सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं कि संसद सदस्यों से प्राप्त सभी पत्रों पर अनिवार्य रूप से तत्परता से कार्रवाई की जाय और अंतिम उत्तर समय सीमा के भीतर भेजा जाय।

(घ) सरकार द्वारा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 23 मई, 2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/2/2000-स्थापना (क) के तहत जारी अनुदेश सख्ती से अनुपालन करने हेतु संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाए गए हैं।

विद्यालय भवन

2403. **श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 21,219 विद्यालय भवनों के पूरा करने के कार्यक्रम को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम की लागत कितनी है और राज्य-वार इस प्रकार के विद्यालय भवनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान तथा इसके घटक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और लोक जुंबिश परियोजना के तहत गत तीन वर्षों में 54800 स्कूल भवनों के निर्माण को अनुमोदित किया है। स्थानीय परिस्थितियों तथा स्कूल के आकार के आधार पर स्कूल निर्माण की लागत राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है। निर्माण के लिए अनुमोदित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 (20.11.02 तक) के दौरान सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा लोक जुंबिश परियोजना के तहत निर्माण के लिए अनुमोदित स्कूलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कूल भवन	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6394	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	94	48
3.	असम	1317	0

1	2	3	4
4.	बिहार	1839	31
5.	छत्तीसगढ़	1998	729
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	808	0
8.	हिमाचल प्रदेश	660	0
9.	हरियाणा	330	257
10.	झारखण्ड	1367	0
11.	जम्मू और कश्मीर	626	16
12.	केरल	94	0
13.	कर्नाटक	2065	0
14.	मध्य प्रदेश	15854	0
15.	मणिपुर	0	0
16.	मेघालय	270	0
17.	मिजोरम	20	0
18.	महाराष्ट्र	1683	0
19.	नागालैंड	24	8
20.	उड़ीसा	1879	0
21.	पंजाब	90	0
22.	राजस्थान	3451	0
23.	सिक्किम	13	0
24.	तमिलनाडु	94	16
25.	त्रिपुरा	26	17
26.	उत्तर प्रदेश	9419	562
27.	उत्तरांचल	591	20
28.	पश्चिमी बंगाल	800	1290
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0
32.	दमन और दीव	0	0
33.	दिल्ली	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0
	कुल	51806	2994
	कुल योग		54800

पुराने डीजीटेक पीटीएस सिस्टम की खरीद

2404. श्री अधीर चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निदेशक (प्रिंटिंग) ने एक फर्म के साथ गुप्त समझौता किया है और जुलाई 1991 में नासिक प्रेस के लिए एक पुराना डीजीटेक पीटीएस सिस्टम खरीदा है;

(ख) क्या प्रेस प्राधिकारी उक्त सिस्टम की उपयोग क्षमता सीएजी दल को बताने में असफल रहे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) नासिक मुद्रणालय के लिए डिजिटैक पीटीएस सिस्टम सितम्बर, 1988 में डीजीएस एण्ड डी के माध्यम से खरीदा गया था। यह प्रणाली पुरानी नहीं थी बल्कि जब इसे खरीदा गया था तब यह नई प्रौद्योगिकी थी।

(ख) लेखा परीक्षा दल को क्षमता उपभोग के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी क्योंकि ऐसी सहायक मशीनों के लिए मुद्रणालयों में आकलित क्षमता निर्धारित नहीं की जाती है। केवल मुख्य मुद्रण मशीनों के बारे में आकलित क्षमता निर्धारित की जाती है और क्षमता उपयोग पर नजर रखी जाती है। तथापि, लेखा परीक्षा दल को उत्पादन आंकड़े 7.8.2001 को उपलब्ध करा दिए थे। लेखा परीक्षा से अभी तक आगे कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) उपरोक्त "ख" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि

2405. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने शहरी क्षेत्र के लिए सुधार संबंधी मानदंड बनाए हैं जिसके आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन निधि वितरित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या 500 करोड़ रुपये के शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि में से विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा निर्धारित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी राज्य को प्रथम किस्त तब आवंटित की जाती है जब वह शहरी विकास मंत्रालय के साथ किसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर देता है;

(घ) यदि हां, तो अब तक राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) क्या इन राज्यों के कोई मूल्यांकन रिपोर्ट मांगे जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां, शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यूआरआईएफ) को राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में देने हेतु, उसे लागू करने के लिए चालू वर्ष के बजट में 500.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य की शहरी आबादी के आधार पर राज्यवार नियतन का हिसाब लगाया है और इसे वार्षिक योजना का आकार निर्धारित करते समय राज्य स्रोतों में शामिल किया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में शहरी सुधार किए जाएंगें:

(1) संकल्प द्वारा राज्य स्तर पर शहरी भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियमन अधिनियम का निरसन;

(2) स्टाम्प शुल्क को धीरे-धीरे कम करते हुए तर्कसंगत बनाना ताकि यह दसवीं योजनावधि के अंत तक 5% से अधिक न रहे;

(3) किराया आवास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किराया नियंत्रण कानूनों का सुधार;

(4) पंजीकरण की कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया शुरू करना;

(5) शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का मुख्य स्रोत बनाने के लिए संपत्ति कर में सुधार तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन की व्यवस्था करना ताकि वसूली क्षमता दसवीं योजनावधि के अंत तक कम से कम 85% तक पहुंच जाए;

(6) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समुचित उपभोक्ता प्रभार लगाना ताकि दसवीं योजनावधि के अंत तक प्रचालन एवं रखरखाव की संपूर्ण लागत वसूल की जा सके;

(7) शहरी स्थानीय निकायों में लेखों में दोहरी प्रविष्टि व्यवस्था शुरू करना।

(ग) और (घ) किसी राज्य को पहली किशत शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद दी जाएगी। अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है क्योंकि किसी राज्य ने भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। इसके अलावा संबंधित राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद तथा विभिन्न सुधार उपायों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष से और धनराशि किश्तों में दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	मद	कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत	नियतन (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
	क. विशेष श्रेणी के राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.08	0.40
2.	असम	1.19	5.95
3.	हिमाचल प्रदेश	0.21	1.05
4.	जम्मू और कश्मीर	0.88	4.40
5.	मणिपुर	0.20	1.00
6.	मेघालय	0.16	0.80
7.	मिजोरम	0.15	0.75

1	2	3	4
8.	नागालैंड	0.12	0.60
9.	सिक्किम	0.02	0.10
10.	त्रिपुरा	0.19	0.95
11.	उत्तरांचल	0.76	0.80
	उप योग (क)	4.0	19.8
ख. सामान्य श्रेणी राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.19	35.95
2.	बिहार	3.04	15.20
3.	छत्तीसगढ़	1.46	7.89
4.	गोवा	0.23	1.15
5.	गुजरात	6.62	33.10
6.	हरियाणा	2.14	10.70
7.	झारखंड	2.10	10.50
8.	कर्नाटक	6.26	31.40
9.	केरल	2.90	14.50
10.	मध्य प्रदेश	5.64	28.20
11.	महाराष्ट्र	14.37	71.55
12.	उड़ीसा	1.93	9.65
13.	पंजाब	2.89	14.45
14.	राजस्थान	4.63	23.15
15.	तमिलनाडु	9.55	47.75
16.	उत्तर प्रदेश	12.09	60.45
17.	पश्चिम बंगाल	7.88	39.40
	उप योग (ख)	90.9	454.7
ग. संघ शासित प्रदेश			
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4.40	22.45
2.	पाण्डिचेरी	0.23	1.15
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.04	0.20
4.	चंडीगढ़	0.28	1.40
5.	दादरा एंड नगर हवेली	0.02	0.10
6.	लक्षद्वीप	0.01	0.05
7.	दमन एवं दीव	0.02	0.10
	उप योग (ग)	5.1	25.5
	कुल योग	100.0	500.0

ग्रामीण विकास योजनाओं की वित्तपोषण प्रणाली में परिवर्तन

2406. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कुछ ग्रामीण विकास योजनाओं की वित्तपोषण प्रणाली में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं की वित्तपोषण प्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसायन उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास

2407. **श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसायन उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर खर्च की गई वार्षिक धनराशि की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या उद्योग के अनुसंधान एवं विकास पर यथेष्ट ध्यान दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) उद्योग के अनुमानों के अनुसार भारतीय रसायन उद्योग द्वारा आर एंड डी पर किया गया व्यय कुल कारोबार के अनुपात के रूप में कुछ विकसित देशों द्वारा किए जा रहे व्यय की अपेक्षा कम है। तथापि, भारतीय रसायन उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर रहा है और निर्यात में वृद्धि हो रही है।

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आरंभ करना

2408. **श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (एन.एच.आर.डी.पी.) किस वर्ष आरंभ किया गया था;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राज्यों में मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के आरंभ से अब तक मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ द्वारा मध्य प्रदेश में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) इस मंत्रालय ने ऐसा कोई भी कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकारें मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

यातायात पुलिस

2409. **श्री पी.आर. किन्डिया : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अप्रैल, 2002 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में 'ट्रैफिक पुलिस यूज़ डाइवरसन्स फॉर ब्राइब्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) दिल्ली यातायात पुलिस का कब से गुप्त तौर पर अवैध रूप से 'हफ्ता' वसूलने का कार्य चल रहा है; और

(घ) दिल्ली यातायात पुलिस की इस घृणित गतिविधि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। संदर्भाधीन मद में यह आरोप लगाया गया है कि यातायात पुलिस कार्मिक, दोस्त दुकानदारों (वेंडर्स), ड्राप-बाक्सों, मेसेन्जर सर्विस और मासिक कूप/स्टीकर जारी करके गैर कानूनी परितोषण एकत्र करते हैं। समाचार में लगाए गए आरोपों की, समाचार के प्रकाशन के बाद की गई कड़ी निगरानी के बाद इस समाचार को एक अटकलबाजी और तथ्यहीन पाया गया। दूसरी तरफ, इस प्रकार के मामले हैं जिनमें कुछ व्यक्तियों को निर्दोष ड्राईवरों को इस झूठे आश्वासन के साथ कि स्टीकर जारी करके ठग लिया है कि ऐसे स्टीकर उन्हें किसी भी यातायात नियम के उल्लंघन के लिए अभियोजन से बचाएंगे। वस्तुत: स्थिति यह है कि दिल्ली पुलिस इस प्रकार के कूपनों/स्टीकरों वाले वाहनों का नियमित रूप से चालान करती है।

एनएससीएन (आईएम) पर से प्रतिबंध हटाया जाना

2410. **श्रीमती प्रभा राव :**
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिजोरम के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार की तरफ से एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) पर से प्रतिबंध हटाने का आमंत्रण दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में गतिरोध को समाप्त करने में असफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इन मुद्दों को हल करने के लिए नागा नेताओं द्वारा रखी गई मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(घ) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिन पर सरकार के सहमत होने का विचार है और उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिन पर केन्द्र सरकार और नागा नेताओं के बीच अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत एन.एस.सी.एन. सहित इसके सभी धड़ों, शाखाओं और प्रमुख संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित करने संबंधी अधिसूचना 26.11.2002 को समाप्त हो गई है। एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) ने प्रस्तावों का एक सैट प्रस्तुत किया है जो उनके विचार से नागा समस्या के व्यापक समाधान हेतु बातचीत के लिए आधार प्रदान करेंगे। इस सम्बन्ध में इस अवस्था पर ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की अपराध में संलिप्तता

2411. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जिन पर कदाचार/फौजदारी जुर्मो का आरोप है और अन्य प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी/आरोप पत्र/सी.बी.आई. के मामले/पुलिस के मामले दर्ज कराये गये हैं/विभागीय जांच की गई है अथवा किये जाने की प्रक्रिया चल रही है;

(ख) इस प्रकार के भ्रष्टाचार और अन्य संबंधित अपराधों में वर्ष-वार और राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या कदाचार और अन्य अपराधों में संलिप्तता के मामलों में वृद्धि होने के कारण इस प्रकार के मामलों के दर्ज होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार का विचार उपयुक्त उपचारात्मक/पाबंदीयुक्त उपाय करने का है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उपयुक्त आधार पर भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 7(1)(ख) के अंतर्गत राज्य सरकारों को भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने की शक्तियां प्राप्त हैं जो संबंधित राज्य सरकारों के लिए कार्य कर रहे हैं।

सूचना राज्य सरकारों से मंगाई जा रही है।

[हिन्दी]

एनओआरएडी योजना

2412. **श्री छत्रपाल सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनओआरएडी योजना के अंतर्गत मंत्रियों, लोक सभा और राज्य सभा और विधान सभाओं के सदस्यों और लोक प्रतिनिधियों द्वारा कितने संस्थानों की सिफारिश की गई है;

(ख) सदस्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन तिथियों को सिफारिश की है और इस योजना के अंतर्गत संस्तुत संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

आईएवाई के अंतर्गत अतिरिक्त मकान

2413. **श्री के. येरननायडू :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर आंध्र प्रदेश से आई.ए.वाई. के अंतर्गत अतिरिक्त मकानों के निर्माण संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी निधि आवंटित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत अतिरिक्त मकानों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, संलग्न विवरण के अनुसार आई.ए.वाई. के अंतर्गत अतिरिक्त मकानों के निर्माण के लिए अन्य राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) आई.ए.वाई. के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए मकान बनाने हेतु निधियां पूर्व निर्धारित मानदण्डों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच आबंटित की जाती हैं। तदनुसार, चालू वर्ष के लिए निर्धारित निधियां पहले ही आबंटित कर दी गई हैं। इसलिए आई.ए.वाई. के अंतर्गत अतिरिक्त मकानों के अनुरोध पर अब विचार नहीं किया जा सकता।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त मकानों के लिए अनुरोध

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	प्रस्तावित मकानों की संख्या		कुल
			नया निर्माण	सुधार	
1.	अरुणाचल प्रदेश	ऊपरी सिआंग	49	–	49
		पूर्वी कामांग	600	–	600
2.	असम	कोकराझार	22705	–	22705
3.	बिहार	बाढ़ प्रभावित जिले	42780	51479	94259
4.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	324	146	470
5.	महाराष्ट्र	थाणे	700	800	1500
6.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	17041	–	17041
7.	उत्तर प्रदेश	बांदा	500	–	500

ग्राम न्यायालयों से संबंधित संशोधन विधेयक

2414. श्री भीम दाहाल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम न्यायालयों से संबंधित एक संशोधन विधेयक केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक के कब तक संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्राम न्यायालयों से संबंधित कोई संशोधन विधेयक लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाल स्वास्थ्य और मातृ परिचर्या का विकास

2415. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की रिपोर्ट सं. 3 में पृष्ठ सं. 127 पर इस तथ्य का खुलासा किया है कि 1992-99 के दौरान बाल विकास, उनके स्वास्थ्य और मातृत्व परिचर्या के लिए 8534 करोड़ रु. प्रदान किए जाने के बावजूद मौजूदा स्थितियों में कोई सराहनीय परिवर्तन नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत सरकार ने बाल स्वास्थ्य और मातृ परिचर्या में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट संख्या 3 (न कि वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 3) में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया है कि आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों का 75% प्राप्त कर लिया गया है तथा आई.सी.डी.एस. के राष्ट्रीय मूल्यांकन (निपसिड-1992); आई.सी.डी.एस. सर्वेक्षण, मूल्यांकन तथा अनुसंधान 1997-99 (सी.टी.सी.-आई.एम.सी.डी.-1995); आई.सी.डी.एस. के राष्ट्रीय समवर्ती मूल्यांकन (एन.सी.ए.इ.आर. 2000-01) इत्यादि के अनुसार लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषाहार तथा शैक्षणिक स्तर पर स्कीम का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। इस रिपोर्ट में शिशु मृत्यु दर में कमी (वर्ष 1996 में प्रति हजार 72) की धीमी गति, राज्य सरकारों द्वारा पूरक पोषाहार के वितरण में विसंगतियों, राज्य सरकारों द्वारा पूरक पोषाहार का कम प्रावधान करने, कुछ राज्यों में आरोग्यकर आहार का प्रावधान न करने, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, इत्यादि का उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) स्कीम के प्रभाव में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में स्कीम का विस्तार; पूरक पोषाहार के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों पर जोर डालना तथा स्कीम के मानदण्डों के अनुसार सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना; आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का विकेन्द्रीकरण, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, सेवाओं में गुणात्मक सुधार इत्यादि शामिल हैं।

बच्चों के लिए कार्यक्रम

2416. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के बच्चों के लिए शांति संस्कृति और अहिंसा हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक के तौर पर 2001-2010 तक दशक के लिए संयुक्त राष्ट्र की उद्घोषणा के दृष्टिगत, सरकार ने भारत के बच्चों के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 2000 को "अन्तर्राष्ट्रीय शांति संस्कृति वर्ष" और 2001-2010 दशक को "विश्व के बच्चों के लिए शांति संस्कृति और अहिंसा संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय दशक" घोषित किया था। यूनेस्को को सदस्य देशों और सम्बद्ध सदस्यों को इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु प्रेरित करने और संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यक्रम और कार्यकलापों के बीच ताल-मेल बैठाने का कार्य सौंपा गया था। तदनुसार यूनेस्को ने सभी राष्ट्रीय आयोगों से ऐसे कार्यकलाप चलाने का अनुरोध किया था जिनसे 'शांति संस्कृति' के संदेश का प्रचार-प्रसार हो सके। यह वर्ष 14.9.1999 को विश्व भर में औपचारिक रूप से शुरू हो गया था जो 20वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतिम सत्र का पहला दिन था और इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की संज्ञा दी गई थी।

शान्ति संस्कृति और अहिंसा भारत के लिए कोई नया विषय नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने एक समारोह आयोजित करके इस वर्ष का आरंभ किया। इस समारोह में शिक्षा सचिव ने 'शांति संस्कृति' पर भाषण दिया और लब्धप्रतिष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगना सुश्री सोनल मानसिंह ने इस समारोह में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों तथा अतिथियों के समक्ष नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसका मुख्य विषय शांति का संदेश था। इस समारोह में शामिल अतिथियों ने शांति संस्कृति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। सभी राज्य सरकारों, सम्बद्ध स्कूलों, यूनेस्को क्लबों, नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन से भी संस्कृति पर कार्यकलाप आयोजित करने और शांति संस्कृति घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री आवास में आयोजित एक सादे समारोह में इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राज्य सरकारों, सम्बद्ध स्कूलों, यूनेस्को क्लबों, नवोदय विद्यालय समिति तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित किए गए कार्यकलापों के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय आयोग तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम ने 28 दिसम्बर, 2000 से 2 जनवरी, 2001 तक संयुक्त रूप से 'सांस्कृतिक विरासत पर एक वृहत्त अंतर्राष्ट्रीय युवामंच' का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय

आयोग ने गुड़गांव, फरीदाबाद, शिमला, देहरादून, जम्मू, पटना, कोलासिब, भोपाल, पटौदी और दिल्ली में शांति संस्कृति पर 10 कार्यशालाओं का आयोजन किया और इनके आयोजन का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों, विद्यार्थियों तथा यूनेस्को क्लबों आदि को शांति संस्कृति आन्दोलन में शामिल करना था।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर ब्रह्मकुमारी समाज ने इस आन्दोलन में सहभागिता हेतु यूनेस्को के साथ एक करार सम्पन्न किया। चार हजार स्वयंसेवकों के कार्यबल का गठन करके उन्होंने सात मास की अवधि के भीतर केवल भारत में ही शांति सन्देश घोषणापत्र पर 350 लाख से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर लिए।

मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मणिपाल में 1999 से ही शांति संस्कृति तथा अहिंसा पर एक यूनेस्को पीठ कार्य कर रही है।

जहां तक ''विश्व के बच्चों के लिए शांति संस्कृति और अहिंसा संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय दशक'' का सम्बन्ध है, इस दशक के प्रत्येक वर्ष में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने अपेक्षित है। यूनेस्को ने वर्ष 2001 के लिए यह सुझाव दिया था कि सभ्यताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र वार्ता वर्ष तथा नस्लवाद, नस्ल-भेद, विदेशी-द्वेष तथा तत्संबंधी असहिष्णुता के विरुद्ध जनमत जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने पर जोर दिया जाए। अक्तूबर-नवम्बर, 2001 के दौरान सम्पन्न यूनेस्को महा सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष ने महासभा को यह सूचना दी कि भारत सभ्यताओं के बीच वार्ता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना चाहता है और महानिदेशक ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इस सम्मेलन का आयोजन करने संबधी अन्य ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

यह आयोग ''विश्व के बच्चों के लिए शांति संस्कृति और अहिंसा संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय दशक'' के सिलसिले में एक व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहा है। पिछले वर्ष इस व्याख्यानमाला के अंग के रूप में दो व्याख्यान दिए जा चुके हैं जिसमें से एक व्याख्यान परमपावन दलाई लामा ने तथा दूसरा व्याख्यान आचार्य विद्यानन्दजी मुनिराज ने दिया था।

सिटी मांटेसेरी स्कूल, लखनऊ को ''शांति और सहिष्णुता के लिए शिक्षा के शाश्वत मूल्यों का संवर्धन करने संबंधी इसके प्रयासों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों को ऐसे समय में अक्षुण्ण रखने के लिए जबकि इन मूल्यों और सिद्धान्तों को दी जा रही चुनौतियों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, को मान्यता प्रदान करते हुए'' इसे शान्ति की शिक्षा के लिए यूनेस्को पुरस्कार, 2002 दिया गया है।

सुरक्षित पेयजल के लिए खर्च

2417. श्री रामजी मांझी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने 1998 की अपनी रिपोर्ट सं. 3 केन्द्रीय सरकार (सिविल) निष्पादन मूल्यांकन में ग्रामीण जनसंख्या को असुरक्षित पेयजल की आपूर्ति में सैकड़ों करोड़ रुपये के अत्यधिक खर्च, धन, भंडार (स्टोर्स) के दुरुपयोग और आवश्यकता से अधिक खरीद आदि सहित कई चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन मामलों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (घ) 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (1998 का सं. 3) अध्याय-VI जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा सभी राज्यों के लिए 1992-97 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय पेयजल मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है, को 11 जून, 1998 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, उल्लेख किया गया है कि 17 राज्य सरकारों ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों से 348.43 करोड़ रु. के अधिक खर्च का वहन किया।

ग्रामीण जल आपूर्ति राज्यों का विषय है और ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाएं राज्य क्षेत्र निधियों के अंतर्गत मुहैया कराई जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करने का प्रयत्न करती है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें मंजूरी देने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं।

प्रत्येक राज्य से संबंधित टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि सभी संबंधित राज्यों ने सी.ए.जी. रिपोर्ट में उल्लिखित अधिकांश टिप्पणियों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की है। इस प्रकार एकत्र की गयी जानकारी पर आधारित कृत कार्रवाई नोट की प्रधान लेखापरीक्षा

निदेशक, नई दिल्ली द्वारा जांच की गई और 22 जून, 1999 को इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (निगरानी प्रकोष्ठ) के जरिए लोक सभा सचिवालय, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ब्रांच में प्रस्तुत किया गया था।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों से अनियमित रुप से किए गए अत्यधिक खर्च की वसूली निम्नलिखित राज्यों को रिलीज की गई त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों से की गई थी:

क्र.सं.	राज्य का नाम	के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों से वसूल की गई राशि
1.	गुजरात	1997-98 की दूसरी किस्त से 631.50 लाख रु.
2.	कर्नाटक	1998-99 की दूसरी किस्त से 193.00 लाख रु.
3.	उड़ीसा	1998-99 की प्रथम किस्त से 150.62 लाख रु.
4.	पंजाब	1997-98 की दूसरी किस्त और 1998-99 की पहली किस्त से 257 लाख रु.
5.	राजस्थान	1997-98 की दूसरी किस्त से 1040.91 लाख रु.
6.	सिक्किम	1998-99 की पहली किस्त से 32.88 लाख रु.
7.	तमिलनाडु	1997-98 की दूसरी किस्त से 246.08 लाख रु.
8.	उत्तर प्रदेश	1997-98 की दूसरी किस्त से 2455 लाख रु.
9.	प. बंगाल	1998-99 की पहली किस्त से 1673.09 लाख रु.
	कुल	6680.08 लाख रु.

दंगा पीड़ित राज्यों को राहत

2418. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दंगा पीड़ित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंजूर की गई राहत का स्वरूप और प्रमात्रा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंजूर की गई/जारी की गई और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई राशि कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) दंगा पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है और इसलिए, केन्द्र सरकार दंगों के मामलों में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को कोई भी मुआवजा या वित्तीय सहाता प्रदान नहीं करती रही है। तथापि, प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल, 2002 में गुजरात के मामले में 150 करोड़ रु. के एक राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई थी जिसमें से 121.19 करोड़ रु. की मंजूरी दी गई है और अभी तक 66.44 करोड़ रु. इस्तेमाल किए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तांतरण

2419. श्री नरेश पुगलिया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विधान सभा ने 18 जुलाई, 2002 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तांतरित किए जाने के पक्ष में एक संकल्प पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विधान सभा ने 18.7.2002 को एक संकल्प पारित किया था, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण, तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार को स्थानान्तरित करने की सिफारिश की गई थी।

(ग) अनुच्छेद 239 ए ए, 3 ए के अंतर्गत विशिष्ट उपबंध के नाते, राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 64, 65 और 66, जहां तक ये प्रविष्टि 1, 2 और 18 से संबंधित हैं, दिल्ली के संबंध में इन्हें भारत सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया है। प्रविष्टि 18 भूमि संबंधी विषय के संबंध में है, अत: दिल्ली सरकार भूमि संबंधी मामलों पर कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है। इस संवैधानिक उपबंध को ध्यान में रखे हुए और यह कि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 नामक कानून के अन्तर्गत बनाया गया है, जो दिल्ली में भूमि के नियोजन और विकास को देखता है, अधिनियम का प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण का नियंत्रण भारत सरकार के पास ही रहेगा और दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित संकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण पर छापे

2420. **श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण में बड़े स्तर पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पिछले कुछ महीनों में सी.बी.आई. द्वारा डी.डी.ए. में बड़े पैमाने पर छापे मारने की उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों की मान्यता रद्द करना

2421. **श्री वाई.वी. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नियमों के उल्लंघन के कारण कई स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। नियमों का उल्लंघन करने के कारण 1.4.2001 से 30.11.2002 के बीच 17 स्कूलों का सम्बद्धन समाप्त कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने के कारण जिन स्कूलों का सम्बद्धन समाप्त कर दिया गया है, उनका विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	सम्बद्धन संख्या	पता
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	1314	बी.एच.ई.एल., हायर सेकेण्ड्री स्कूल्स रामचन्द्रपुरम, भेल टाउनशिप, हैदराबाद-500032
2.	1356	माण्टेसरी पब्लिक स्कूल महबूब नगर, आलमपुर, आंध्र प्रदेश-509152
3.	1402	एयर फोर्स स्कूल, एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद-500043, आंध्र प्रदेश
4.	1449	विजनाना विहार रेसीडेन्शिल स्कूल, स्कूल केशवा नगर, नुटाक्की-522303, आंध्र प्रदेश
बिहार		
5.	3309	इण्डियन स्कूल आफ लर्निंग सीनियर सेकेण्ड्री स्काकत्रास मोढ़ पीओ-झरिया, धनबाद जिला, बिहार-828111
6.	3324	इण्डियन स्कूल ऑफ लर्निंग पीओ सरायढेला, धनबाद, बिहार-828127
हरियाणा		
7.	5431	रामकृष्ण पब्लिक स्कूल विवेकानन्द आश्रम, सेक्टर-19, फरीदाबाद, हरियाणा-121002

1	2	3
8.	5768	लाला जगन नाथ जैन पब्लिक स्कूल रनिया रोड पीओ भाम्बूर, सिरसा, हरियाणा-125055
9.	5790	एच.आर.एच.के. पब्लिक स्कूल दुबुआ कालोनी, ए ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा
कर्नाटक		
10.	8325	इम्पैक्ट रेसीडेन्शियल स्कूल आई.सी. मेन रोड, सहकार नगर बंगलौर, कर्नाटक-560032
केरल		
11.	9368	हिल टॉप पब्लिक स्कूल पुतियारा, कालीकट, केरल-673004
मध्य प्रदेश		
12.	10396	आयुध निर्माणी सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, आयुध नगर, इटारसी, मध्य प्रदेश
उड़ीसा		
13.	15322	हिन्दजिंक विद्यालय जिंक नगर, जिला-सुन्दरगढ़, उड़ीसा-770072
राजस्थान		
14.	17352	श्री राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल 6, शक्तिनगर, सी-रोड पाओटा, जोधपुर, राजस्थान-342001
दिल्ली		
15.	27068	हिमालय पब्लिक सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल डी-12, सेक्टर-7, रोहिणी दिल्ली-110085
तमिलनाडु		
16.	19429	मदुरा पब्लिक स्कूल पोन्मेनि, जयानगर, मदुरै-625010
उत्तर प्रदेश		
17.	21860	आर्मी स्कूल नं. 2 बरेली (उत्तर प्रदेश)

साक्षरता के लिए दशक पुरस्कार

2422. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की साक्षरता और महिला साक्षरता के लिए 'दशक उपलब्धि पुरस्कार' के विरुद्ध आलोचना और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त हुए ऐसे अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुरस्कार और जिलों के चयन की मौजूदा योजना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुरस्कारों की प्रणाली में संशोधन करने के प्रस्तावित कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा विभिन्न जिलों/गैर-सरकारी संगठनों को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस-2001 के अवसर पर दिए गए पुरस्कारों के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इस अभ्यावेदन में कहा गया था कि यद्यपि लोगों को बेहतर ढंग से कार्य करने हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता है, तथापि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अपात्र लोग अपने निजी लाभ हेतु ऐसे पुरस्कारों की जोड़-तोड़ न कर पायें।

(ग) और (घ) जब कभी साक्षरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उस समय मानदण्ड निर्धारित करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये पुरस्कार केवल पात्र जिलों को ही दिए जाएं।

द्वीप समूह पहचान पत्र

2423. श्री मोहन रावले : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन 15 वर्षों से द्वीप समूहों में रह रहे व्यक्तियों को द्वीप समूह पहचान पत्र जारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्डों को जारी करने का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इसे विधान द्वारा कानूनी रूप से मान्यता/समर्थन प्राप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। द्वीप समूह पहचान पत्र उन द्वीपवासियों को जारी किए जा रहे हैं जो 9.3.1993 की स्थिति के अनुसार 15 वर्ष की अवधि से निरंतर द्वीप समूह में रह रहे हैं। द्वीप पहचान पत्र जारी करने का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में भारी संख्या में लोगों के आगमन को रोकना और ऐसे द्वीपवासियों की पहचान करना, जो द्वीप समूहों के स्थाई निवासी होने के कारण सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और छूटों के पात्र हैं और उनकी पहचान करना जिन्हें ये प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे जिससे द्वीप समूहों पर जनसंख्या का बोझ कम करने का तरीका विकसित होगा।

(ग) और (घ) द्वीप समूह के स्थाई निवासियों को द्वीप समूह पहचान पत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों भू-राजस्व और भूमि सुधार विनियमन, 1966 के तहत बनाए गए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भू-राजस्व और भूमि सुधार नियम, 1968 के नियम 170 (2) के सभिप्राय में जारी किए जा रहे हैं।

मुद्रण निदेशालय में अनियमितताएं

2424. श्री अधीर चौधरी :
श्री मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नियंत्रक-महालेखा परीक्षक वर्ष मार्च 1999 को समाप्त होने वाली रिपोर्ट (2000 की सं. 2) में मुद्रण निदेशालय के विरुद्ध किए गए अभ्यारोपण और 22.11.2001 को राज्य सभा में रखी गई विशेष जांच रिपोर्ट से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन से उपचारी उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2000 की रिपोर्ट सं. 2 (सिविल) के पैरा 5.2 की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई नोट प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा कार्यालय, आर्थिक और सेवा मंत्रालयों द्वारा पुनरीक्षित किए जाने के बाद 20.2.2001 और 13.3.2001 को निगरानी सेल, वित्त मंत्रालय को भेजे गए। उपर्युक्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पैरा की सामग्री लोक लेखा समिति की अग्रिम सूचनार्थ 24.8.2001 को लोक सभा सचिवालय को भी भेज दी गई थी। उसके बाद से, इस संबंध में कोई अन्य सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

लेखा परीक्षा द्वारा विशेष जांच रिपोर्ट मई, 2001 में भेजी गई थी और लेखा परीक्षा द्वारा मांगी गई सामग्री/सूचना 27.7.2001 और 3.9.2002 को भेज दी गई थी। तत्पश्चात, लेखा परीक्षा से कोई फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपचारी उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) सरकार ने भारत सरकार मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण/ पुनर्संरचना के लिए अनुमोदन दे दिया है और इस संबंध में कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।

(2) मुद्रणालयों के कार्य निष्पादन की कड़ी निगरानी की जा रही है। प्रबंधकों से उत्पादन में सुधार लाने के लिए मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करने के बारे में कार्य-स्थल पर्यवेक्षकों के साथ साप्ताहिक बैठकें करने के लिए बारम्बार कहा जाता है।

(3) राज्य बिजली बोर्डों को बिना किसी विघ्न के बिजली आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया गया है। मुद्रणालयों को नियमित रूप से कागज/कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

(4) प्रबंधकों से कार्य के आबंटन के लिए स्थानीय/राज्य सरकारों से संपर्क करने के लिए कहा गया है।

(5) बकाया कार्यों के निपटान के लिए लंबित कार्यों की नियमित निगरानी की जाती है।

(6) बिल बनाने की प्रक्रिया और मांगकर्ताओं से मुद्रण प्रभार की उगाही में तेजी लाने के लिए मुद्रणालयों में चरणबद्ध तरीके से वाणिज्यिक लेखाकरण प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

(7) बकाया मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए उच्चतम स्तर पर मांगकर्ताओं को नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

(8) मुद्रणालयों में समग्र सुधार लाने के लिए कुछ मामलों में मुद्रणालय के प्रभारी की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की गई है। मासिक प्रबंधकीय नियंत्रण की मासिक रिपोर्ट, लंबित कार्यों की मासिक रिपोर्ट, बिलों को भेजने और बकाया मुद्रण प्रभारों आदि की तिमाही रिपोर्ट आदि के द्वारा मुद्रणालय के कार्य-निष्पादन की निगरानी की जा रही है।

(9) मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों के अध्यक्षों से अपनी वार्षिक और आनुषंगिक दोनों प्रकार की मुद्रण संबंधी जरूरतों को नियोजित करने के लिए कहा गया है ताकि अधिकाधिक कार्य भारत सरकार मुद्रणालयों द्वारा निष्पादित किए जा सकें। उनसे हस्तलेखों की कैमरा-रेडी प्रतियां/फ्लॉपी भी देने के लिए कहा गया है ताकि मुद्रण कार्य को शीघ्रता से निपटाया जा सके।

सतत् शिक्षा योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों की स्थापना

2425. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में केन्द्र सरकार की सतत् शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थापित किया गया ग्राम पुस्तकालयों, विशेष रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र के पुस्तकालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी केंद्रीय सहायता जारी की गई;

(ग) क्या देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में और अधिक ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निरक्षरता को समाप्त करने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) सतत शिक्षा योजना के तहत सतत शिक्षा केंद्र तथा नोडल सतत शिक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं, जहां पुस्तकालय सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित सतत शिक्षा केंद्रों और नोडल सतत शिक्षा केंद्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) निधियां उपलब्ध होने पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सहित देश के सभी शेष जिलों को सतत शिक्षा योजना के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निरक्षरता उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदम नीचे दिए गए हैं:

(1) जिले पर बल देते हुए मिशन रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान नामक एक नई योजना आरंभ की गई है। सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं संगत शिक्षा प्रदान करने के लिए है। इसके लक्ष्य निम्नवत है:

* 2003 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, 'स्कूल वापसी' शिविर में हों;
* 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें;
* 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करें;
* जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर बल;
* प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक सभी लैंगिक एवं सामाजिक अंतरालों को पाटना;
* 2010 तक सार्वभौमिक अवधारणा।

(2) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रयास 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग के निरक्षरों को कार्यसाधरक साक्षरता प्रदान कर 2005 तक पूर्ण साक्षरता अर्थात् 75% साक्षरता की पोषणक्षम प्रभाव-सीमा को प्राप्त करना है।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित सतत शिक्षा केंद्रों/नोडल सतत शिक्षा केंद्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सतत शिक्षा केंद्र (पुस्तकालय सुविधा प्रदान करने वाले)	नोडल सतत शिक्षा केंद्र (पुस्तकालय सुविधा प्रदान करने वाले)
1.	आंध्र प्रदेश	13,079	1,568
2.	बिहार	0	0
3.	चंडीगढ़ (संघशासित क्षेत्र)	360	40
4.	छत्तीसगढ़	1,820	180
5.	गुजरात	4,341	469
6.	हरियाणा	370	41
7.	हिमाचल प्रदेश	465	52
8.	झारखण्ड	763	85
9.	कर्नाटक	7,062	764
10.	केरल	3,439	495
11.	मध्य प्रदेश	826	92
12.	महाराष्ट्र	4,288	485
13.	मिजोरम	360	40
14.	उड़ीसा	0	0
15.	पांडिचेरी (संघशासित क्षेत्र)	164	18
16.	पंजाब	0	0
17.	राजस्थान	5,271	689
18.	तमिलनाडु	2,455	379
19.	त्रिपुरा	1,189	113
20.	पश्चिम बंगाल	17,325	2,338
21.	उत्तर प्रदेश	743	93
22.	उत्तरांचल	0	0
	कुल	64,320	7,941

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-2002) तथा चालू वित्तीय वर्ष (2002-2003) के दौरान 26.11.2002 तक सतत शिक्षा योजना के तहत संस्वीकृत/जारी किए गए अनुदान की स्थिति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत/जारी किया गया अनुदान	चालू वित्तीय वर्ष (2002-2003) के दौरान 26.11.2002 तक संस्वीकृत/जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2212.27	701.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	20.00	-
4.	बिहार	612.48	-
5.	छत्तीसगढ़	-	10.00
6.	दिल्ली	20.00	-
7.	गोवा	-	-
8.	गुजरात	1843.09	1720.35
9.	हरियाणा	74.1	-
10.	हिमाचल प्रदेश	280.55	-
11.	जम्मू और कश्मीर	-	-
12.	झारखण्ड	-	12.50
13.	कर्नाटक	3324.35	1810.79
14.	केरल	1557.29	-
15.	मध्य प्रदेश	308.78	3475.79
16.	महाराष्ट्र	2337.21	10.00
17.	मणिपुर	13.00	-
18.	मेघालय	15.00	-

1	2	3	4
19.	मिजोरम	258.06	59.40
20.	नागालैंड	6.60	-
21.	उड़ीसा	598.33	-
22.	पंजाब	129.21	-
23.	राजस्थान	1646.06	2328.30
24.	सिक्किम	-	-
25.	तमिलनाडु	2287.10	530.70
26.	त्रिपुरा	390.55	-
27.	उत्तरांचल	237.11	-
28.	उत्तर प्रदेश	1125.34	2262.28
29.	पश्चिम बंगाल	3768.66	-
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.43	-
31.	चंडीगढ़	79.86	91.40
32.	दादरा और नगर हवेली	-	-
33.	दमन व दीव	-	-
34.	लक्षद्वीप	-	-
35.	पांडिचेरी	82.08	-
	कुल	23227.51	13012.99

हार्ड क्राउन ग्लासस का उत्पादन

2426. **श्री ए. ब्रह्मैया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में "हार्ड क्राउन ग्लासस" के उत्पादन की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या देश में कोई भी उद्यमी ऐसे ग्लासस के उत्पादन के लिए आगे नहीं आया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में इसके उत्पादन को उत्साहित करने में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) तथा अन्य संस्थानों के सामने आने वाली बाधाओं/अड़चनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का इसके उत्पादन के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) प्रयोगशालाओं में मशीनरी को विकसित कराने का प्रस्ताव है;

(च) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का हार्ड क्राउन ग्लासस के उत्पादन के लिए भारतीय उद्यमियों को कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) चश्मों के लिए हार्ड क्राउन ग्लास के उत्पादन हेतु यह सुविधा वर्ष 1960 में मेसर्स भारत ऑफ्थेल्मिक ग्लास लि., दुर्गापुर में स्थापित की गई थी जिसे वर्ष 1980 में बंद कर दिया गया था।

(ख) से (घ) उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, अब ऐसे ग्लासों को कम लागत पर आयात किया जा सकता है। अतः उद्यमियों के लिए ऐसे ग्लासों का उत्पादन करना लागत प्रभावी नहीं है।

(ङ) और (च) जी नहीं। कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडिया केम-2002

2427. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायन और फार्मास्युटिकल्स संबंधी एक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-इंडिया केम, 2002 सितंबर, 2002 महीने में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा रसायन उद्योग के लिए गठित किए गए कार्यबल की मार्च, 2002 में जमा/प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार रसायन उद्योग में हो रहे विश्वव्यापी परिवर्तनों के दृष्टिगत किसी प्रकार के नीतिगत परिवर्तनों पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा गठित रसायन उद्योग पर कार्य बल की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। रिपोर्ट में की गई कई सिफारिशों/सुझावों के लिए व्यापक अंतर-मंत्रालयीय परामर्श के साथ-साथ राज्य सरकारों तथा उद्योग संघों के साथ विस्तृत परामर्श करने की आवश्यकता है। परामर्श की यह प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

मंत्री का लंदन का दौरा

2428. श्रीमती प्रभा राव : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अगस्त, 2002 में लंदन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे और द्विपक्षीय तथा अन्य मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का प्रश्न भी विचार-विमर्श के दौरान सामने आया था; और

(घ) इस प्रकार की गतिविधियों से बाज आने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में ब्रिटिश सरकार किस हद तक सहमत है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) माननीय उप प्रधानमंत्री ने, युनाइटेड किंगडम के उप प्रधान मंत्री श्री जॉन प्रेसकोट के आमंत्रण पर एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 20 अगस्त से 23 अगस्त, 2002 तक युनाइटेड किंगडम का दौरा किया और ब्रिटिश नेताओं के साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और विश्वस्तरीय मुद्दों पर बातचीत की।

(ग) और (घ) ब्रिटिश नेताओं को, सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के बारे में भारत की चिंता के प्रति पूर्णतः सुग्राही बनाया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी वक्तव्य में सीमा पार से आतंकवादी ग्रुपों को सहायता देने में पाकिस्तान का हाथ स्वीकारा गया है।

जम्मू और कश्मीर को अतिरिक्त अधिकार

2429. श्रीमती रेणुका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी वार्ताकार अथवा अन्य प्रकार की सहायता से जम्मू और कश्मीर को दिए जाने वाले अतिरिक्त अधिकारों और पैकेज की प्रकृति के ब्यौरों के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सरकार के प्रतिनिधि ने 25 जुलाई और 9 अगस्त, 2002 को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति के साथ प्राथमिक विचार-विमर्श के दो दौर किए हैं। अब चूंकि राज्य में नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है शक्तियों के अन्तरण और इससे संबंधित मामलों पर आगे विचार-विमर्श नई सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति के साथ की जाएगी, यदि और जब राज्य सरकार अपने अधिकृत व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये कार्य दिवसों का सृजन

2430. श्री रामजी मांझी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और भूमिहीन ग्रामीण कामगारों के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कामगारों को खंदकों के काम पर लगाने के बजाए लाखों रुपये खर्च करके भारी मशीनरी को प्रयोग में लाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और भूमिहीन श्रमिकों के लिये रोजगार हेतु कितने श्रम दिवस सृजित किये गये और वास्तव में उन्हें कितने कार्य दिवसों में कार्य पर लगाया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी हां। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त मजदूरी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के पूर्ववर्ती मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को मिलाकर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई थी।

(ग) और (घ) जी हां। मंत्रालय को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसे संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ताकि उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें और कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रम प्रधान कार्यों पर ध्यान दिया जा सके।

(ङ) राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और भूमिहीन मजदूरों के लिए सृजित रोजगारों के श्रम दिवसों की संख्या नीचे दी गई है:

(लाख श्रम दिवस)

वर्ष	कार्यक्रम	कुल	अनु.जाति/अनु. जनजाति	अन्य	भूमिहीन मजदूर
2000-01	ई.ए.एस.	2183.92	1234.97	948.95	902.60
	जे.जी.एस.वाई.	2602.94	1404.84	1198.10	998.45
2001-02	एस.जी.आर.वाई. (ई.ए.एस.)	2605.54	1419.20	1175.00	1012.91
	एस.जी.आर.वाई. (जे.जी.एस.वाई.)	2624.24	1440.93	1183.31	999.44

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

2431. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तैयार किए गए कार्य के लिए वस्तुओं तथा कारणों के निर्धारित विवरण को इतना निम्न स्तर पर तैयार किया है जिससे कि श्रमिक आठ घंटे काम करने के बाद भी न्यूनतम मजदूरी नहीं कमा सकता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्यों को कोई दिशा-निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन दिशा-निर्देशों का राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जाता है;

(च) यदि नहीं, तो दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले राज्यों के नाम क्या है; और

(छ) राज्यों द्वारा ऐसे दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (छ) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी आंशिक रूप से नकद में तथा आंशिक रूप से खाद्यान्नों के रूप दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। पुरुष और महिला दोनों प्रकार के श्रमिकों को ग्राम प्रधान/सरपंच या पंच की उपस्थिति में समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। यदि कार्यकारी एजेंसियां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत रोजगार की सम्बद्ध अनुसूची के लिए अधिसूचित दर पर रोजगार की श्रेणी हेतु मजदूरी नहीं देती है तो संबंधित प्राधिकरण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि राज्य सरकारों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय

2432. **श्री वी. वेत्रिसेलवन :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मुद्दों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग और गैर-अध्यापक वर्ग के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रति असंतोष था;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टाफ ने विश्वविद्यालय अनुदान के मानदंडों के विरोध में सप्ताह भर की हड़ताल की थी जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में काम ठप्प रहा;

(ग) यदि हां, तो विवादास्पद मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुद्दों को हल कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजों में सभी रिक्त पदों को भरने पर रोक लगाने और शिक्षकों के कार्यभार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार वृद्धि करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णयों का विरोध करने के लिए एक सप्ताह की हड़ताल की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेज कर्मचारी संघ ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक दिन की हड़ताल की थी।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि रिक्त पदों को भरने पर रोक शिक्षण पदों के लिए लागू नहीं है। जहां तक शिक्षकों के कार्यभार में वृद्धि करने के मुद्दे का संबंध है, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने और अन्य संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में सिफारिश करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ''उत्तरदायित्व और शैक्षिक सुधार पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति'' को पहले से ही इस मामले की जानकारी है।

वी. कोलरा एए-3 वैक्सीन का विकास

2433. **श्री वाई.वी. राव :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वी-कोलरा एएएल-3 के रिकौम्बीनैन्ट स्ट्रेन पर आधारित जैविक रूप से तैयार किए गए मुंह से दिए जाने वाले टीके को मानव परीक्षणों की स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या परीक्षण किए जा चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इसके वाणिज्यिक उत्पादन के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) से (घ) वाइब्रो कोलराई के पुनर्योगज प्रभेद वी ए 1.3 पर आधारित एक आनुवंशिक रूप से तैयार किया गया ओरल कालरा टीका 1998 में मानव परीक्षणों के लिए स्वीकृत किया गया था। चरण-1 के मानव परीक्षण 1998-99 में किए गए थे और यह टीका मानव प्रयोग के लिए सुरक्षित पाया गया था। इस समय टीके की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए चरण-II के परीक्षण चल रहे हैं। चरण-III के नैदानिक परीक्षणों के लिए एक क्षेत्र का स्थल तैयार किया जा रहा है। चरण-III के स्वैच्छिक परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और भारत के औषध महानियंत्रक की स्वीकृति के पश्चात, औद्योगिक स्तर पर प्रगति कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए उद्योग के साथ विचार-विमर्श शुरू हो गया है। ये सभी कार्य 2004 तक पूरे होने की संभावना है।

भारतीय प्रबंध संस्थान

2434. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी भारतीय प्रबंध संस्थानों का वार्षिक परिव्यय कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के भारतीय प्रबंध संस्थानों की संख्या कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि प्रबंध अध्ययन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के अनेक संस्थानों का प्रवेश हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि भारतीय प्रबंध संस्थानों के स्नातक की संख्या उनकी मांग से ज्यादा न हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर तथा कोजीकोड में स्थित छः भारतीय प्रबंध संस्थानों हेतु वर्तमान वित्त वर्ष 2002-2003 के लिये योजनागत के अन्तर्गत 22.50 करोड़ रु. तथा योजनेतर के अन्तर्गत 49.73 करोड़ रु. का वार्षिक परिव्यय है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय प्रबंध संस्थान उत्कृष्ट संस्थायें हैं जिनकी स्थापना उच्च कोटि की प्रबंध शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने, शोध करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रबंध के क्षेत्र में परामर्शी सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। भारतीय प्रबंध संस्थान राष्ट्र में प्रबंधकीय जनशक्ति विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अत: भारतीय प्रबंध संस्थानों की संख्या कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रबंध शिक्षा के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित स्ववित्तपोषित निजी संस्थाओं की कुल संख्या 640 है जिनमें संस्वीकृत दाखिला क्षमता 46,345 है।

(च) भारतीय प्रबंध संस्थान से उत्तीर्ण लगभग सभी स्नातक परिसर साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर चुके हैं जो यह दर्शाता है कि आपूर्ति मांग से अधिक नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण रोजगार योजनाएं

2435. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामदास रुपला गावीत :
श्री महबूब जाहेदी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक देश में ग्रामीण रोजगार योजना तथा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित धन का राज्यवार तथा योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं के द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कदाचार की जांच की है तथा गरीबों के लिए रोजगार पैदा करने की समस्या विशेष रूप से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना के मामले का समाधान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रोजगार आश्वासन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(च) अब तक जिन खंडों और राज्यों में रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई है, उनकी संख्या कितनी है;

(छ) देश के सभी खंडों को योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या कुछ राज्य उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी करने में असफल रहे हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) और सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) नामक दो ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जो वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर देश भर में संचालित थे, को 25 सितंबर, 2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक एक नई योजना में मिला दिया गया है जिससे कि अतिरिक्त मजदूरी रोजगार पैदा करने, ढांचागत विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा पर अधिक से अधिक बल दिया जा सके। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) जैसा स्वरोजगार कार्यक्रम वर्ष 1999-2000 से देश भर में लागू था।

वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों, रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित श्रम दिवस और स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (घ) इन योजनाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निधियों के अन्यत्र उपयोग, राज्य अंश रिलीज नहीं होने, निधियों के दुरूपयोग आदि जैसे कतिपय अनियमितताएं बताई गई हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

को अपेक्षित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। राज्यों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर निदेश जारी किए गए हैं ताकि योजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) सुनिश्चित रोजगार योजना को जिला परिषद्/डीआरडीए और मध्यस्तरीय पंचायत के जरिये देश में ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार पैदा करने के लिए कार्यान्वित किया। जिला परिषद्/डीआरडीए और जिले की मध्यस्तरीय पंचायतों के बीच 30 : 70 के अनुपात में निधियां आबंटित की गई। दिनांक 25 सितम्बर, 2001 से यह योजना एस.जी.आर.वाई. में मिला दी गई है।

(च) और (छ) सुनिश्चित रोजगार योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी ब्लॉकों/राज्यों में कार्यान्वित की गई।

(ज) और (झ) असम सबसे बड़ा चूककर्ता था क्योंकि वित्तीय संकट के कारण राज्य के सभी जिलों में वर्ष 1999-2000 तक जे.जी.एस.वाई. और एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निधियों का पूरा राज्य अंश रिलीज नहीं किया गया।

विवरण

योजना का नाम-जे.जी.एस.वाई. (एस.जी.एस.वाई.-II)

(लाख रुपए में)

लाख श्रम दिवस

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03	
		केन्द्रीय रिलीज	सृजित श्रम दिवसों की सं.	केन्द्रीय रिलीज	सृजित श्रम दिवसों की सं.	केन्द्रीय रिलीज	सृजित श्रम दिवसों की सं.	केन्द्रीय रिलीज	सृजित श्रम दिवसों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	9617.32	133.89	8224.23	156.37	9980.37	143.94	9525.83	80.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	142.71	5.92	367.68	6.59	556.49	8.57	228.45	0.21
3.	असम	3787.01	132.86	0	22.38	13495.28	206.71	6408.02	57.2
4.	बिहार	28484.06	424.9	13707.02	249.85	18730.78	233.19	8174.66	128.44
5.	छत्तीसगढ़	0	0	3604.68	68.96	4197.63	76.09	3951.95	28.79
6.	गोवा	124.11	1.26	128.41	2.63	145.98	1.86	64.21	0
7.	गुजरात	3508.03	44.75	3273.12	46.72	3734.65	39.32	1642.72	17.87
8.	हरियाणा	2063.87	18.84	1863.61	24.38	2793.65	48.84	2197.16	41.19
9.	हिमाचल प्रदेश	1752.41	14.43	661.34	13.885	925.31	13.899	355.66	2.44
10.	जम्मू एवं कश्मीर	897.74	9.74	720.25	16.24	1411.76	21.51	505.95	1.3
11.	झारखंड	0	0	9644.14	172.51	13771.01	148.999	6057.30	22.407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	7037.56	175.49	5165.38	128.95	7569.55	140.79	6946.06	64.55
13.	केरल	3157.72	37.17	2725.5	27.93	3361.7	31.71	1478.67	8.65
14.	मध्य प्रदेश	16926.38	265.27	10574.87	208.44	12276.62	242.52	8358.68	90.16
15.	महाराष्ट्र	13911.47	341.55	9673.91	316.43	14810.16	229.39	6514.38	44.99
16.	मणिपुर	115.54	1.105	530.58	1.857	399.45	3.67	238.51	0
17.	मेघालय	132.18	2.76	763.61	11.21	835.53	17.25	445.85	0.44
18.	मिजोरम	92.37	2.23	206.33	3.947	304.9	4.238	103.16	0.84
19.	नागालैंड	223.9	6.96	454.48	14.17	750.98	4.28	246.01	0
20.	उड़ीसा	15974.14	211.51	8971.67	248.51	11348.19	236.8	10542.48	110.36
21.	पंजाब	975.08	6.62	901.02	12.31	1067.8	8.75	469.68	2.45
22.	राजस्थान	5343.85	105.06	4781.45	96.71	5689.05	72.13	5291.01	56.27
23.	सिक्किम	102.45	2.89	228.45	3.8	337.59	3.39	123.31	0
24.	तमिलनाडु	9163.14	170.27	7716.72	137.017	9967.89	139.54	8185.79	62.146
25.	त्रिपुरा	487.95	14.49	1437.02	24.484	2075.78	30.059	718.51	23.216
26.	उत्तरांचल	0	0	1513.13	40.07	2228.37	26.74	980.17	8.64
27.	उत्तर प्रदेश	3593.14	438.89	25274.21	412.59	33551.39	394.65	18115.81	259.43
28.	प. बंगाल	800.26	113.86	9469.13	133.02	12611.24	94.56	5930.86	109.44
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	13	0.21	54.04	0.49	96.21	0.35	42.32	0
30.	दा. न. हवेली	30.98	0.01	54.23	0	63.51	0	34.93	0
31.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	23.53	0.11	0	0.33	24.12	0.21	0.00	1.1
33.	पांडिचेरी	45.96	0.03	66.56	0.16	97.76	0.28	43.00	0.73
	अखिल भारत	168527.9	2683.075	132756.8	2602.94	189210.7	2624.235	113921.10	1223.44

योजना का नाम : ई.ए.एस. (एस.जी.आर.वाई.-I)

रिलीज : रुपए लाख में
श्रम दिवस : लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-03	
		रिलीज की गई निधियां	सृजित श्रम दिवस	रिलीज की गई निधियां	सृजित श्रम दिवस	रिलीज की गई निधियां	सृजित श्रम दिवस	रिलीज की गई निधियां	सृजित श्रम दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10288.76	175.63	6483.22	111.32	9952.70	159.45	9451.49	27.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	719.27	26.25	812.95	20.10	592.30	4.84	246.88	1.31
3.	असम	4701.11	148.52	5273.31	78.04	13490.97	200.66	6405.2	62.03
4.	बिहार	25388.02	384.62	9714.15	211.65	19671.60	138.13	8662.4	0
5.	छत्तीसगढ़	-	-	3725.40	83.32	6583.59	299.00	5300.87	130.28
6.	गोवा	55.00	1.05	15.18	0.86	22.94	0.11	10.83	0
7.	गुजरात	4301.49	48.49	3779.32	80.00	3604.51	30.42	1768.97	0
8.	हरियाणा	1981.53	22.65	2007.25	20.19	2904.06	57.94	2093.08	40.49
9.	हिमाचल प्रदेश	945.06	25.65	429.28	11.51	928.21	11.91	438.16	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2755.00	26.27	2251.46	25.75	1448.80	11.34	614.16	0
11.	झारखंड	-	-	6870.60	100.31	11700.79	121.37	5984.07	39.43
12.	कर्नाटक	6670.05	185.95	5577.10	103.56	7520.70	142.40	6922.18	56.27
13.	केरल	3486.12	42.94	2200.90	30.49	3371.26	33.11	1591.86	9.55
14.	मध्य प्रदेश	17464.11	288.90	7711.15	159.37	12256.71	225.82	9789.99	87.17
15.	महाराष्ट्र	11002.98	234.67	7285.68	216.82	14131.25	217.08	7012.95	40.81
16.	मणिपुर	307.87	9.70	478.58	3.97	523.72	0.00	270.04	0
17.	मेघालय	220.74	7.67	500.88	5.87	833.84	12.86	389.79	0.5
18.	मिजोरम	402.16	4.95	183.36	5.97	334.48	5.77	111.5	1.9
19.	नागालैंड	276.09	22.92	403.52	26.43	695.06	8.05	330.48	0
20.	उड़ीसा	17621.12	215.42	10866.23	195.20	12350.52	244.16	10810.74	101.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब	813.98	16.81	615.60	15.72	1048.38	9.75	505.64	3.05
22.	राजस्थान	6888.13	91.89	3509.96	76.38	5706.92	82.56	5419.58	45.55
23.	सिक्किम	313.10	5.34	403.84	9.15	259.60	2.01	123.44	0
24.	तमिलनाडु	10597.49	166.79	7324.00	110.38	10134.03	132.51	8357.27	30.83
25.	त्रिपुरा	711.46	17.91	1276.22	19.53	1604.69	43.52	776.61	16.29
26.	उत्तर प्रदेश	36155.49	485.73	18544.23	333.02	34002.10	313.63	15876.88	209.85
27.	उत्तरांचल	–	–	1135.06	11.07	2220.90	12.38	1315.97	8.6
28.	प. बंगाल	9483.71	127.70	6631.13	116.27	11668.18	84.22	5305.29	73.01
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	27.36	0.39	0.00	0.39	0.00	0.13	0	0
30.	दा. न. हवेली	27.36	0.21	17.52	0.18	26.47	0.03	26.47	0
31.	दमन व दीव	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
32.	लक्षद्वीप	1.82	0.87	0.00	0.34	1.77	0.15	0	0
33.	पांडिचेरी	34.66	0.286	0.00	0.76	67.06	0.23	31.66	0.73
	जोड़	173641.95	2786.17	116027.08	2183.92	189658.11	2605.54	115944.45	986.25

एन.आर.-शामिल नहीं

योजना का नाम : एस.जी.एस.वाई.

रिलीज : रुपए लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-03	
		केन्द्रीय रिलीज	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल सं.	केन्द्रीय रिलीज	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल सं.	केन्द्रीय रिलीज	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल सं.	केन्द्रीय रिलीज	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6219.57	165190	5283.98	83084	3068.31	79211	2611.86	35461
2.	अरुणाचल प्रदेश	92.14	3060	99.26	1403	106.34	1564	45.39	42
3.	असम	3062.36	17974	0.00	12282	3328.48	15805	1651.30	6252
4.	बिहार	11918.05	106393	2978.76	125792	3348.37	146925	3070.00	31734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	1138.08	25423	1467.21	26907	769.40	5372
6.	गोवा	59.78	0	25.00	23	25.00	1150	0.00	18
7.	गुजरात	2340.56	19341	1216.65	29241	885.51	20963	611.75	7391
8.	हरियाणा	1784.18	17348	1088.61	25853	679.48	14847	560.10	4478
9.	हिमाचल प्रदेश	475.99	8638	245.91	11647	286.16	9091	141.86	2002
10.	जम्मू एवं कश्मीर	411.69	5835	195.23	9302	342.81	14978	204.36	0
11.	झारखंड	0.00	0.00	808.88	55038	1196.01	70699	1149.52	19485
12.	कर्नाटक	2348.35	19184	1600.56	29026	1659.33	42944	1184.22	10267
13.	केरल	2083.35	29485	919.53	37926	1039.64	22046	898.48	6693
14.	मध्य प्रदेश	10013.58	112118	3420.63	71823	3425.29	63910	2164.43	12409
15.	महाराष्ट्र	9384.11	87994	5770.72	87998	3842.09	70602	2430.27	11020
16.	मणिपुर	119.097	एन.आर.	24.94	0	13.02	एन.आर.	0.00	एन.आर.
17.	मेघालय	131.52	741	23.89	1671	83.38	743	19.38	905
18.	मिजोरम	58.15	0	62.56	1352	64.17	3822	57.38	150
19.	नागालैंड	102.087	4749	174.94	1364	69.98	3681	37.64	0
20.	उड़ीसा	7222.67	74633	4353.99	86171	2744.13	59233	1892.01	7610
21.	पंजाब	664.98	1694	454.49	11990	325.37	6272	169.94	1621
22.	राजस्थान	3566.34	34120	2594.50	44504	1759.38	36053	909.50	4439
23.	सिक्किम	68.38	686	136.83	2181	82.38	2145	31.78	518
24.	तमिलनाडु	6999.46	65427	4626.30	83393	2713.06	54614	1745.13	20112
25.	त्रिपुरा	488.12	8450	860.44	14640	622.08	20625	359.78	383
26.	उत्तर प्रदेश	13337.96	60647	7737.07	124064	6316.37	121400	4149.14	14020
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	344.28	7234	496.90	11767	302.48	2133
28.	प. बंगाल	3952.84	88826	0.00	21230	78.26	15480	697.95	12869
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	29.90	795	0.00	448	12.50	462	0.00	42
30.	दा. न. हवेली	29.89	6	0.00	6	0.00	84	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दमन व दीव	29.89	एन.आर.	0.00	0	0.00	00	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	29.89	3	0.00	4	0.00	0	0.00	1
33.	पांडिचेरी	29.89	531	25.00	39	28.93	437	25.00	231
	जोड़	86954.73	933868	46211.03	1006152	40109.94	938460	27890.05	217823

[अनुवाद]

लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड भूमि में परिवर्तित किया जाना

2436. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री जय प्रकाश :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अगस्त, 2002 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''इंडस्ट्रीयल प्लॉट्स टू बी फ्री होल्ड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को भूमि के स्वामित्व को लीज होल्ड से फ्री होल्ड स्वामित्व में परिवर्तन करने संबंधी कोई दिशा-निर्देश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डी.डी.ए. ने बहुत से मामलों में दुरूपयोग के आधार पर इस परिवर्तन की अनुमति रोक दी है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने उक्त परिवर्तन का दिल्ली के मास्टर प्लान पर पड़ने वाले प्रभावों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के ऐसे प्रभावों से निपटने के सामर्थ्य का मूल्यांकन किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) ऐसी परिस्थितियों में कनफर्मिंग और नॉन कनफर्मिंग क्षेत्रों में आने वाली भूमि की पहचान किस तरह से की जायेगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में औद्योगिक और वाणिज्यिक संपत्ति को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) से (च) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को रिहायशी संपत्तियां लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की पहले अनुमति दी थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रिहायशी संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के आवेदनपत्रों पर कार्रवाई की जा रही है और इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि कोई उपयोग उल्लंघन अथवा भवन उप नियमों का उल्लंघन है या नहीं, इन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा उपयोग उल्लंघनों तथा अवैध निर्माण, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध प्रारंभिक नियमों के तहत अलग से कार्रवाई की जा रही है। तथापि दुरूपयोग की जा रही संपत्तियों के मामले में आवेदकों को दुरूपयोग का पता चलने की तारीख से दुरूपयोग समाप्त करने की तारीख तक अथवा दिनांक 28.6.1999 तक इनमें जो भी पहले हो, दुरुपयोग प्रभार जमा कराना होगा।

(छ) से (झ) संपत्तियों को लीजहोल्ड में फ्रीहोल्ड में बदलने के बाद स्थानीय निकायों द्वारा मास्टर प्लान मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

(ञ) मास्टर प्लान तथा संबंधित क्षेत्रीय प्लानों के आधार पर भूखंडों की पहचान की जाती है।

राष्ट्रीय महिला कोष के अधीन कार्यरत गैर-सरकारी संगठन

2437. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय महिला कोष के अधीन निर्धन और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के राज्यवार नाम और संख्या कितनी है; और

(ख) इन एन.जी.ओ. को पिछले तीन वर्षों में दी गई सहायता का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

2438. **श्री वी.एस. शिवकुमार :**
श्री के. फ्रांसिस जार्ज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों से, विशेषकर केरल सरकार से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। कई राज्य सरकारों विशेषकर केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा कर्नाटक से नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिये प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। चूंकि नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के लिये अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है, अत: फिलहाल भारत सरकार देश में कोई नया प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने पर विचार नहीं कर रही है। वैकल्पिक रूप में विद्यमान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिला क्षमता बढ़ाने तथा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा अन्य उत्कृष्ट संस्थाओं का स्तरोन्नयन करने जैसे लागत प्रभावी विकल्पों को कारगर बनाया जा रहा है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

2439. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2002 तक राज्यों को विशेषकर महाराष्ट्र को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां आवंटित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत मांगी गई और आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो अभी तक क्या उपलब्धि रही और इसके अन्तर्गत कितना खर्च किया गया; और

(च) योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन हेतु 10वीं योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) चालू वर्ष 2002-03 के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन किया गया है। निधियों के केंद्रीय अंश की पहली किस्त महाराष्ट्र के सभी 33 जिलों को मई 2002 में ही रिलीज कर दी गयी थी।

(ग) और (ङ) एस.जी.आर.वाई. आबंटन आधारित है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन देश में कुल ग्रामीण निर्धनों की तुलना में राज्य के ग्रामीण निर्धनों की संख्या अनुपात के आधार पर किया जाता है।

आबंटन, रिलीज, कुल उपलब्ध निधियां, निधियों का उपयोग, प्राधिकृत खाद्यान्न और उठाये गये खाद्यान्न का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (च) इस बात को ध्यान में रखा गया है कि योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के 50 लाख टन वार्षिक आबंटन

के साथ प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ श्रमदिवस उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि मजदूरी के भाग के रूप में प्रति श्रम दिवस 5 किलो ग्राम खाद्यान्न देना अपेक्षित है। परन्तु राज्य खाद्यान्न की सीमा को मजदूरी के 75 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए और लाभार्थियों को बी.पी.एल. अथवा ए.पी.एल. की दरों अथवा इन दोनों के बीच की किसी दर पर खाद्यान्न देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए श्रम दिवसों के लिए लक्ष्य तय करना संभव नहीं हो सकता।

विवरण

2002-03 के दौरान एस.जी.आर.वाई. (चरण I+II) के अंतर्गत आबंटन, रिलीज, कुल उपलब्ध निधियां, निधियों का उपयोग, प्राधिकृत खाद्यान्न और उठाया गया खाद्यान्न

(रुपये लाख में)
(खाद्यान्न टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.02 में अथशेष	आबंटन			निधियों की रिलीज			
			केंद्र	राज्य का अंश	कुल	केंद्र	राज्य का अंश	राज्य का अंश वास्तविक रिलीज	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3302.20	18977.31	6325.77	25303.08	18977.32	6325.77	3628.41	22605.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	651.88	986.98	328.99	1315.97	475.33	158.41	0.00	475.41
3.	असम	8596.30	25626.43	8542.14	34168.57	12813.22	4271.07	0.00	12813.22
4.	बिहार	8362.82	36327.51	12109.17	48436.68	16837.06	5612.35	39.97	16877.03
5.	छत्तीसगढ़	1289.78	9286.06	3095.35	12381.41	9252.82	3084.27	2799.11	12051.93
6.	गोवा	6.07	158.36	52.79	211.15	75.04	25.01	9.06	84.10
7.	गुजरात	202.63	7728.31	2576.10	10304.41	3411.68	1137.23	538.49	3950.18
8.	हरियाणा	832.00	4290.25	1430.08	5720.33	4290.24	1430.08	668.95	4959.19
9.	हिमाचल प्रदेश	377.11	1806.79	602.26	2409.05	793.82	264.61	128.29	922.11
10.	जम्मू एवं कश्मीर	251.42	2154.84	718.28	2873.12	1120.11	373.37	153.75	1273.86
11.	झारखंड*	10801.84	24828.98	8276.33	33105.31	12041.37	4013.79	1186.68	13228.05
12.	कर्नाटक	3909.31	14098.08	4699.36	18797.44	13868.24	4622.75	2617.31	16485.55
13.	केरल	1265.17	6325.52	2108.51	8434.03	3070.53	1023.51	967.00	4037.53
14.	मध्य प्रदेश	1933.63	21841.08	7280.36	29121.44	18148.67	6049.56	4326.90	22475.57
15.	महाराष्ट्र	3397.37	28002.67	9334.22	37336.89	13527.33	4509.11	3750.50	17277.83
16.	मेघालय	0.00	1719.36	573.12	2292.48	508.55	169.52	0.00	508.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	410.63	1926.22	642.07	2568.29	835.64	278.55	40.57	876.21
18.	नागालैंड	210.79	445.73	148.58	594.31	214.66	71.55	0.00	212.66
19.	मिजोरम	0.00	1321.29	440.43	1761.72	576.49	192.16	0.00	576.49
20.	उड़ीसा	4992.90	21353.15	7117.72	28470.82	21353.22	7117.74	4435.20	25788.42
21.	पंजाब	267.03	3461.06	1153.69	4614.79	975.32	325.11	336.15	1311.47
22.	राजस्थान	2047.29	10710.59	3570.20	14280.79	10710.59	3570.20	2661.64	13372.23
23.	सिक्किम	0.00	493.50	164.50	658.00	246.75	82.25	0.00	246.75
24.	तमिलनाडु	515.50	16564.43	5521.48	22085.91	16543.06	5514.35	3629.24	20172.30
25.	त्रिपुरा	491.67	3104.49	1034.83	4139.32	1495.12	498.37	647.77	2142.99
26.	उत्तर प्रदेश	1818.93	4258.87	1419.62	5678.49	2296.14	765.38	0.00	2292.14
27.	उत्तरांचल*	37928.16	63243.32	21081.11	84324.00	33992.69	11330.90	0.00	33992.69
28.	प. बंगाल	19598.14	23729.76	7909.92	31639.68	11236.13	3745.38	3645.61	14811.76
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.00	139.88	0.00	13.88	42.32	0.00	0.00	42.32
30.	दा. न. हवेली	0.00	109.27	0.00	109.27	61.40	0.00	0.00	61.40
31.	दमन व दीव	0.00	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	17.33	40.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	279.18	154.50	0.00	154.50	74.66	0.00	0.00	74.65
	कुल	113097.07	355253.02	118256.98	473510.00	229865.55	76562.39	36210.59	266076.14

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्य से प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग खर्च	खाद्यान्न 1.4.02 का अथशेष	आबंटन	प्राधिकृत खाद्यान्न			कुल उपलब्ध खाद्यान्न	उठाया गया खाद्यान्न
							गेहूं	चावल	कुल		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1.78	25909.71	12463.40	0	237497	0	237447	237447	237447	237447
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1127.21	84.04	7013	13853	0	4094	4094	11107	0

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	असम	4836.36	26245.88	6275.23	212851	359679	0	179819	179819	392670	174910
4.	बिहार	1.49	25241.34	5564.53	203581	454594	0	159198	159198	362779	108370
5.	छत्तीसगढ़	25.65	13367.36	7843.79	0	116184	0	113824	113824	113824	2140
6.	गोवा	0.00	90.17	0.16	995	1982	0	665	665	1660	0
7.	गुजरात	0.00	4152.81	984.60	80703	96725	40847	0	40847	121550	49870
8.	हरियाणा	73.98	5865.17	4789.73	22820	53689	53689	0	53689	76509	69920
9.	हिमाचल प्रदेश	1.46	1300.68	213.78	5698	22608	4082	3954	8036	13734	5420
10.	जम्मू एवं कश्मीर	5.40	1530.68	145.78	15919	26965	3635	7727	11362	27281	9490
11.	झारखंड*	0.00	24029.89	6339.08	154003	310741	37007	78781	115788	269791	34360
12.	कर्नाटक	0.00	20394.86	9233.13	45742	176418	17270	155717	172987	218729	218729
13.	केरल	13.32	5316.02	2390.24	28269	79164	0	51485	51485	79754	43310
14.	मध्य प्रदेश	149.57	24558.77	11891.65	23477	273357	156171	68925	225096	248573	216030
15.	महाराष्ट्र	609.61	21284.81	7168.96	171360	350437	90515	49906	140421	311781	139770
16.	मेघालय	0.00	508.55	0.00	1084	24129	0	5557	5557	6641	1020
17.	मणिपुर	0.00	1286.84	78.86	1850	27040	0	7231	7231	9081	4410
18.	नागालैंड	0.00	425.45	196.24	870	6257	0	1852	1853	2733	2800
19.	मिजोरम	0.00	574.49	0.00	4314	18508	1960	3582	5542	9856	4270
20.	उड़ीसा	0.00	30121.32	11394.69	13106	267209	0	263041	263041	276227	276227
21.	पंजाब	5.75	1584.25	779.81	9642	43341	11978	0	71978	21620	7790
22.	राजस्थान	0.00	15419.52	7569.49	128066	134038	134030	0	134030	262096	7790
23.	सिक्किम	0.00	246.75	0.00	1303	6931	0	2770	2770	4073	20
24.	तमिलनाडु	65.56	20753.36	8065.02	117471	207288	0	207118	207118	324589	106080
25.	त्रिपुरा	0.00	2634.56	165497	15310	43573	0	12891	12891	28201	18350
26.	उत्तर प्रदेश	16.15	4131.22	1444.78	18593	52302	9184	15200	24384	42977	24650

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27.	उत्तरांचल	0.00	71920.85	26504.65	369667	791053	293351	81339	374690	744357	429620
28.	प. बंगाल	138.50	34618.40	11298.95	67367	296597	0	99844	99844	949	570
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.00	42.32	0.00	570	1753	0	379	379	949	570
30.	दा. न. हवेली	0.00	61.40	0.00	690	1370	0	560	560	1250	0
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0	378	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0.34	17.67	2.94	310	602	0	0	0	30	0
33.	पांडिचेरी	0.00	353.84	123.68	330	1938	0	648	648	978	320
	जोड़	5944.92	385118.14	143702.17	1723044	4500000	853719	1813555	2667274	4390318	2552509

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. की बकाया धनराशि

2440. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय पर कोल इंडिया लिमिटेड का करोड़ों रुपए बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बकाया धनराशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) दिनांक 31.10.02 की स्थिति के अनुसार विद्युत क्षेत्र की कोयला बिक्री देय बकाया राशि 6024.40 करोड़ रु. है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस देय राशि के इकट्ठा होने के कारण नीचे दिए गए है:

(1) कोयला बिक्री बकाया देय राशि के संचय के मुख्य कारणों में से एक विद्युत क्षेत्र की खराब वित्तीय स्थिति है। अधिकतर राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.)/विद्युत उपयोगिताओं (पी.यू.) में नकद धन की कमी है और वे कोयला आपूर्तियों से संबंधित अपनी देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

(2) नमूनाकरण स्थल, भार लेने तथा अन्यों से संबंधित विवाद भी उस विवादित राशि के संचय में योगदान देते हैं जिसके एवज में सी.आई.एल. की कोयला कंपनियों को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ होता है।

(ग) बकाया देय राशि की वसूली के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

(1) दिनांक 30.9.02 तक की अवधि के विद्युत क्षेत्र के संचित बकायों के समाशोधन के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार की देय राशि के प्रत्याभूतिकरण की योजना को स्वीकृत दी गई है और यह योजना पहले से ही प्रचालन में है। विद्युत क्षेत्र के 1914.13 करोड़ रु. की स्वीकारित देय राशि को प्रत्याभूतिकरण के लिए विद्युत मंत्रालय को पहले ही संदर्भगत किया जा चुका है।

(2) नमूनाकरण का स्थल, भार तथा अन्यों जैसे सभी विवाद वर्ष 1997 में विद्युत तथा कोयला मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सुलझा लिए गए थे। विवादित मुद्दों के संबंध में ऐसे अभी समाधानों को कार्यान्वित किए जाने के लिए सी.आई.एल. तथा विद्युत उपयोगिताओं की परिषद

(सी.पी.यू.) द्वारा मसौदा ईंधन आपूर्ति करार तैयार किया गया था। तथापि अधिकतर एस.ई.बी. ने मुख्य रूप से सहमति भुगतान पद्धति का पालन करने की उनकी अनिच्छा के चलते कोयला कंपनियों के साथ इस प्रकार का करार नहीं किया है। वर्ष 2002 के दौरान, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने एक अन्य ईंधन आपूर्ति करार का प्रारूप परिचालित किया है और सी.आई.एल. की कोयला कंपनियां तथा एस.ई.बी./पी.एस.यू. इस प्रकार के ईंधन आपूर्ति करारों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

सरकार द्वारा एक त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) आरम्भ किया गया है ताकि अन्य बातों के अतिरिक्त, कोयला बिक्री देय राशि के और अधिक संचय को रोकने के लिए विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को पुनः प्राप्त किया जा सके।

विवरण

31.10.2002 की स्थिति के अनुसार विद्युत क्षेत्र की कोयला बिक्री बकाया देश राशि का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उपयोगिताओं का नाम	विवादित बकाया देय राशि	अविवादित बकाया देय राशि	जोड़
1	2	3	4
बिहार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	33.43	204.31	237.74
झारखंड स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	-	-1.00	-1.00
उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि.	22.05	359.21	381.26
पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	194.41	71.94	266.35
तमिलनाडु स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	183.92	265.53	449.45
हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.	0.04	24.31	24.35
राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि.	16.09	78.64	94.73
महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	408.14	95.62	503.76
मध्य प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	233.11	910.49	1143.60
छत्तीसगढ़ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	7.29	26.39	33.68
गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	10.05	442.45	452.50
वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	4.11	-	4.11
वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	27.57	1103.87	1131.44
आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन	-	-0.14	-0.14
असम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	-	-0.01	-0.1
कर्नाटक पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.	-	1.62	1.62

1	2	3	4
दुर्गापुर पावर लि.	1.86	251.87	253.73
दामोदर वैली कारपोरेशन	84.74	14.65	99.39
दिल्ली विद्युत बोर्ड	4.79	-0.79	4.00
बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	267.31	284.97	552.28
नेशनल थर्मल पावर स्टेशन	219.95	124.00	343.95
सेंट्रल इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन	0.68	16.50	17.18
तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन	-	24.07	24.07
उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.	6.80	5.35	12.15
अन्य	0.21	-6.00	-5.79
जोड़ : विद्युत क्षेत्र	1726.56	4297.85	6024.40

[अनुवाद]

आतंकवाद निवारण अधिनियम

2441. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री जे.एस. बराड़ :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री अम्बरीश :
श्री वरकला राधाकृष्णन :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों और राजनीतिक पार्टियों ने आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा) की समीक्षा की मांग की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार विचार पोटा के प्रावधानों में कुछ संशोधन करने का है, जैसाकि दिनांक 10.11.2002 के 'द संडे पयोनियर' में समाचार प्रकाशित हुआ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन प्रावधानों का ब्यौरा क्या है जिनमें संशोधन किए जाने की संभावना है;

(च) वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्यों में पोटा के प्रावधानों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया है; और

(छ) इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) पोटा, 2002 के उपबंधों की पुनरीक्षा करने के लिए किसी राज्य सरकार अथवा राजनीति पार्टी से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(च) और (छ) पोटा, 2002 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है और यह पूरे भारत पर लागू है जैसा कि इस अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट है।

कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन

2442. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अवैध कोयला खनन को रोकने की दृष्टि से कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारी अवैध खनन में संलिप्त रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का अवैध खनन में संलिप्त सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जी, हां। अवैध खनन किसी वैध पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टे के बिना किए जा रहे खनन के लिए सामान्यत: प्रयुक्त किए जाने वाला एक शब्द है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और अन्य विभिन्न अधिनियमों के विद्यमान प्रावधान अवैध खनन से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 30 में अवैध खनन सहित अपराधों के लिए 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

(ग) सी.सी.एल. के कर्मचारियों के अवैध खनन में संलिप्त होने की कोई सूचना नहीं है।

(घ) भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से वर्ष 2002-03 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्य-वार्षिक समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6185/2002]

[अनुवाद]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 572(अ) जो 16 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी में) जो 17 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 652(अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6186/2002]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सीमा सुरक्षा बल (तैनाती और प्रतिनियुक्ति की अवधि संशोधन) नियम, 2002 जो 20 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 264 में प्रकाशित हुए थे।

(2) इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स, प्रिन्सिपल सिस्टम एनेलिस्ट/एडीशनल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एण्ड प्रोग्रामर/असिस्टेंट कमान्डेन्ट भर्ती नियम, 2002 जो 10 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6187/2002]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6188/2002]

(ख) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, धनबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, धनबाद का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये।। **देखिए** संख्या एल.टी. 6189/2002]

(ग) (एक) पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड कैमीकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड कैमीकल्स लिमिटेड, रोहतास का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6190/2002]

(घ) (एक) फर्टिलाइजर्स एंड कैमीकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एंड कैमीकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6191/2002]

(ङ) (एक) राष्ट्रीय कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6192/2002]

(2) (एक) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6193/2002]

(3) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6194/2002]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, मैं राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत राजभाषा संसदीय समिति के प्रतिवेदन (भाग 7)-2002 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6195/2002]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6196/2002]

(3) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6197/2002]

(5) (एक) उत्तर प्रदेश महिला सामख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश महिला सामख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6198/2002]

(7) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6199/2002]

(9) (एक) कर्नाटक महिला सामख्या सोसायटी, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक महिला सामख्या सोसायटी, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6200/2002]

(11) (एक) केरल महिला सामख्या सोसायटी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल महिला सामख्या सोसायटी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6201/2002]

(13) (एक) गुजरात महिला सामख्या सोसायटी, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात महिला सामख्या सोसायटी, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6202/2002]

(15) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6203/2002]

(17) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6204/2002]

(19) (एक) आंध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद्, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद्, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6205/2002]

(21) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6206/2002]

(23) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 150 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के उप-कुलपति की शक्तियों और कृत्यों से संबंधित परिनियम 2 के खंड 6 में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6207/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित काउंटेस ऑफ डफरिन निधि (निरसन) विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 29 नवम्बर, 2002 को राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं:

(1) काउंटेस ऑफ डफरिन निधि (निरसन) विधेयक, 2002

(2) पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002

अपराह्न 12.03$^1/_2$ बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और तत्संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (तेरहवीं लोक सभा) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

मुम्बई में घाटकोपर में एक बस में हुए बम विस्फोट के बारे में

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में कल घाटकोपर में बैस्ट की बस में बम विस्फोट हुआ।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): क्या गृह मंत्री जी हमें इस संबंध में बतायेंगे कि वह देश को आतंकवाद से बचाने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध कब चौथा आक्रमण आरंभ करेंगे? ...*(व्यवधान)* श्री बालासाहेब ठाकरे से लेकर हम सब उस समय का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं जब गृह मंत्री जी देश को आतंकवाद से बचाने के लिए चौथा हमला आरंभ करेंगे ...*(व्यवधान)* वह अचानक चले गए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने किरीट जी को बुलाया है, आप बैठिए।

श्री किरीट सोमैया: यह क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। उस बम विस्फोट में तीन लोगों की मृत्यु हो गई और 31 लोग घायल हुए। कल रात को दो बजे वहां से तीन किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर इसी प्रकार का एक बम पाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व दक्षिण मुम्बई में नवी नगर में एक झोपड़ी में बम बनाते हुए विस्फोट हुआ था और कुछ लोग पकड़े भी गए थे। 1992-93 में मुम्बई में जो बम कांड हुआ था, उसकी कार्यवाही कोर्ट में चल रही थी। कल वहां दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट समाप्त हुए हैं। मुम्बई के लोगों के मन में आशंका है कि कहीं इस घटना का सम्बन्ध 6 दिसम्बर या 1992 के बम कांड से तो नहीं है और

[श्री किरीट सोमैया]

क्या इसमें भी आरडीएक्स का प्रयोग तो नहीं हुआ। लगता है कि यह पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित किसी आतंकवादी ग्रुप से संबंधित घटना है।

मैं मुम्बई की जनता की प्रशंसा करना चाहूंगा कि इतनी विचित्र घटना होने के बाद भी घाटकोपर के लोगों ने अपना दैनंदिन कार्य यथावत रखा। मैं कल रात वहीं पर था। राज्य सरकार आतंकवाद के विरुद्ध जो कार्रवाई कर रही है, उसका पूरा समर्थन केन्द्र सरकार को करना चाहिए और उसके लिए मदद देनी चाहिए। इसके पीछे किसका हाथ है, यह भी फाइंड आउट करना चाहिए। मैं यह भी चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस घटना पर सदन में एक स्टेटमेंट दें। अगर वहां की राज्य सरकार यह चाहती है कि किसी को यहां से वहां भेजा जाए, तो आवश्यकता पड़ने पर किसी अधिकारी को वहां जाना चाहिए। इस विषय पर मुम्बई के लोगों को विश्वास में लेकर वहां शांति का वातावरण बनाने के लिए केन्द्र सरकार को कदम उठाना चाहिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, कल शाम सात बजे मुम्बई में घाटकोपर में बैस्ट की एक बस संख्या 416 में बम ब्लास्ट हुआ। इससे वहां तीन लोगों की मृत्यु हो गई और 31 लोग जख्मी हुए। मुम्बई शहर देश की आर्थिक राजधानी है। मुम्बई भी आतंकवादियों के निशाने पर है। मुम्बई की रक्षा करने का मतलब देश की रक्षा करने जैसा है। मुम्बई में 1992-93 में भी इसी तरह का ब्लास्ट हुआ था। कल भी वहां दूसरी बार यह विस्फोट हुआ है। केन्द्र सरकार आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है, इस बारे में हमें बताए? हर रोज देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में भी 13 दिसम्बर को संसद पर अटैक हुआ था। उसके बाद गुजरात में अक्षरधाम में आतंकवादी हमला हुआ। इन आतंकवादी गतिवधियों को खत्म करना चाहिए। इसके लिए सरकार की इच्छा है या नहीं, हमें लगता है कि नहीं है। आखिर कितने लोगों की जान सरकार लेने वाली है। सरकार मुम्बई के लोगों की रक्षा करे। हमारा निवेदन है कि सरकार को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं। मुम्बई की रक्षा होनी चाहिए। अटल जी से और आडवाणी जी से हम लोगों का निवेदन है कि शीघ्र ही पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा करें और इन आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, मुम्बई में कल जो हुआ है, यह न सिर्फ दुखद है, बल्कि पूरे देश के लिए अलार्मिंग स्थिति भी है। हमने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और शून्य काल में भी नोटिस दिया है। यह सिर्फ मुम्बई का ही मुद्दा नहीं है। प्रधान मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है, उग्रवाद आखिरी सांस ले रहा है। मैं देख रहा हूं, सदन भी देख रहा है कि आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है, उग्रवाद आखिरी सांस ले रहा है। मैं देख रहा हूं, सदन भी देख रहा है कि उग्रवाद अंतिम सांस नहीं ले रहा, बल्कि यौवन पर है। जो उग्रवाद जम्मू-कश्मीर तक था, वह अब दिल्ली में संसद भवन और गुजरात में अक्षरधाम तक पहुंच गया है। आज के तारांकित प्रश्न संख्या 210 के जवाब में लिखा गया है कि लश्करे तोइबा न सिर्फ जम्मू-कश्मीर में, बल्कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी अपना नेटवर्क फैला रहा है। कुल मिलाकर पूरे देश में उग्रवाद फैलता जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि उग्रवाद अंतिम सांस ले रहा है, मुझे नहीं मालूम कि कैसी अंतिम सांस ले रहा है। अभी यहां गृह मंत्री जी को होना चाहिए था। वे पाकिस्तान को चौथे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनको चाहिए कि पहले अपने घर को सम्भालें। वे पाकिस्तान को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, यह गुजरात के चुनाव के संदर्भ में बात कही गई है या देश को बचाने के लिए कहा गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का चुनाव घोषणा पत्र देखा है। ...*(व्यवधान)* यह एक-दूसरे से संबंधित बातें है। यह कोई मामूली चीज नहीं है। गुजरात का मैनिफैस्टो आपने निकाला है और कहा है यूथ को लड़ाई पर भेजेंगे। बोर्डर से फौज को हटाया जा रहा है और बी.जे.पी. के यूथ वहां लड़ेंगे और आतंकवाद से लड़ेंगे। इस प्रकार से वे फौज का काम करेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह सरकार आतंकवाद से निपटने के मामले में टोटल फेल्योर रही है। प्रधान मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को यहां आकर पूरे देश को विश्वास में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि आतंकवाद घट रहा है या बढ़ रहा है। यदि बढ़ रहा है तो उसे घटाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, यह सदन में बताना चाहिए।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मुम्बई में यह बम ब्लास्ट हुआ है, यह बड़ी दुखद और चिंतनीय घटना है। इस पर सदन को उसी लहजे में विचार करना चाहिए था। मुझे दुख हुआ कि राम विलास पासवान जी ने इसमें राजनीति लाने की कोशिश की है।

श्री राम विलास पासवान: हमने कोई राजनीति नहीं की।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर राजनीति लाने की यह कोशिश है तो मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और एन.सी.पी. की मिलीजुली सरकार है। वहां पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी है। यदि आज इस तरह की बात

करेंगे कि प्रधान मंत्री जी ने यह कहा और दूसरों ने यह कहा, तो फिर हम भी यह पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं और क्यों मुम्बई में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी आंतरिक सुरक्षा की बात करती है, पासवान जी गुजरात की बात करते हैं। यह क्यों नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान को कि इस तरह की घटनाएं करने और प्रच्छन्न युद्ध करने के बजाय सीधे-सीधे युद्ध करे। यह कहने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश भर में आईएसआई का जाल बिछ रहा है। यहां पर वैस्ट बंगाल के मुख्य मंत्री आए थे और उप प्रधान मंत्री जी से मिले थे। वैस्ट बंगाल में आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं, जो बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने सहायता मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं सभी राज्यों को पूरी सहायता देने को तैयार हूं। मुम्बई में 1992-93 में जो घटना हुई, आज तक उसके मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो घटना हुई थी, तो वहां पर एक साल के अंदर किसी को 150 साल, किसी को 200 साल और किसी को 300 साल तक की सजा सुना दी गई है। हमें विचार करना है कि अगर आतंकवाद को कुचलना है तो क्यों नहीं पोटो सभी राज्यों में लागू किया जाए। जो जेहादी आतंकवादी पैदा करने वाली फैक्टरीज हैं, कुछ मदरसे भी इस काम में शामिल हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। इस देश में जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आकर बस गए हैं, उनको बाहर निकालने की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। यह जो घटना हुई है, यह बड़ी दुखद घटना है। सारे सदन को मिलकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को कुचलने के लिए अपना संकल्प प्रस्तुत करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): श्री किरीट सोमैया जी ने सभा में एक वक्तव्य दिया है, और मैं उनसे सहमत हूं कि मुंबई भारत की औद्योगिक राजधानी है, और यह आवश्यक है कि शहर में कानून और व्यवस्था उचित ढंग से बनायी रखी जाए। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार राज्य में भली प्रकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठायेगी।

जैसाकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कहा है भारत सरकार को देश में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह एक गंभीर मुद्दा है। यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते तो यह कठिन हो जाता है। इस मामले में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। राज्य सरकार अपना कर्त्तव्य निभायेगी और मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार भी अपना कर्त्तव्य निभायेगी। इन परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कभी पूरे न होने वाले अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्यों से बचना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, सभा में उठाये गये इस मामले पर हम सभी बोलना चाहेंगे। हम इस घटना की तीव्र निन्दा करते हैं और हम घायलों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और निःसन्देह, हम शोकाकुल परिवारों के सदस्यों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। बेकसूर लोग मारे गये हैं। आतंकवादियों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति अथवा नरमी बरतने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम सभी ने इसके विरुद्ध मिलकर लड़ने का निर्णय लिया है और सरकार को इससे लड़ना है। यह काम सरकार का है। दुर्भाग्यवश, समस्या यह है कि इसका इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जोकि चिन्ता का विषय है।

महोदय, यह हमेशा कहा जाता है और अब भी ऐसी बातें कही जाती हैं, श्री मलहोत्रा अपने आपको इससे बचा नहीं पाये *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्राः आप रामविलास जी से कहिए, हमें क्यों कह रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम आपके लिए क्या बोलते हैं आप जानते भी नहीं हैं।

[अनुवाद]

आप 'पोटा' पर बोले बगैर नहीं रह सकते। 'पोटा' गुजरात में पूरी तरह से लागू किया गया है लेकिन वहां भी घटनाएं घटी हैं। श्री मल्होत्रा, इस प्रकार के बहाने मत बनाइए कि कुछ राज्यों द्वारा पोटा का प्रयोग नहीं करने के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसा उन अनेक राज्यों में भी हो रहा है जहां 'पोटा' को कड़ाई से लागू किया गया है। इससे निपटने का यह तरीका नहीं है। यह केवल कानून एवं व्यवस्था की समस्या ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी है। इसलिए, इस स्थिति में सर्वाधिक परेशानी की बात यह है कि इस विषय में ऐसा कुछ कहा या किया नहीं जाना चाहिए जिससे भविष्य में यह मामला और उलझे। इसलिए हम कहते रहे हैं कि दुर्भाग्य से कुछ जगह चुनाव की वजह से लोगों में युद्धप्रियता और कटुता बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे गलत संदेश जा रहा है और इस सभा को एकदम अंधकार में रखा गया है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

महोदय इस प्रकार की घटनाओं की किसने निन्दा नहीं की है? क्या कोई ऐसी घटना है जिसकी हमने निन्दा न की हो? क्या हमने हर अवसर पर सरकार के सभी प्रकार के दृष्टिकोण को समर्थन नहीं दिया है? हमने सैद्धांतिक रूप से 'पोटा' का विरोध किया था क्योंकि हमें पता था कि 'पोटा' अर्थहीन हो जाएगा जैसेकि यह आज अर्थहीन है। हमने सैद्धांतिक रूप में 'पोटा' का विरोध किया था, आतंकवाद के प्रति कमजोरी के कारण नहीं। यह सही नहीं है। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि यह ऐसा मामला है जिससे किसी को राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए लेकिन इस संबंध में केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमें पता है कि आइएसआई की गतिविधियों को कहां से बल मिल रहा है। हमें पता है कि वे कहां से आ रहे हैं। हम सीमा पार आतंकवाद की पुरजोर निन्दा कर रहे हैं। कोई राज्य सरकार आइएसआई की ये गतिविधियां नहीं रोक सकती। इसे रोकने के लिए भारत सरकार को ही कठोर कदम उठाने होंगे। इसलिए, हम चाहते हैं कि ऐसा संदेश जाए कि आतंकवाद के मामले पर सारा देश एक है। लेकिन ऐसा कुछ भी किया या कहा नहीं जाना चाहिए जैसाकि वर्तमान स्थिति का लाभ लेते हुए किया जा रहा है और जिससे देश में अव्यवस्था फैल रही है और जिससे आतंकवादियों के देश में प्रवेश और उनके द्वारा अर्थव्यवस्था फैलाने को प्रोत्साहन मिल रहा है, जैसा कि मुम्बई में हुआ है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यहां जो सवाल उठाया है, यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। मुंबई पहले से ही पीड़ित है और यह इसलिए भी दहशत में ज्यादा है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थान हैं, जिसे स्वयं सरकार या प्रधानमंत्री जी भी स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपति जी से जो इनकी बातचीत हुई, उनके माध्यम से या उनकी तरफ से कहते हैं कि आतंकवादियों के हाथों में पाकिस्तान का एटम बम चला गया था। यह राजनैतिक सवाल नहीं है और न ही यह राजनीति है, यह मल्होत्रा साहब बता रहे हैं। आपकी तरफ से हमेशा राजनीति होती रही। अभी सोमनाथ जी यहां कह रहे थे कि हर मौके और हर वक्त पर सरकार का समर्थन पूरे देश की जनता ने, पूरी तरह फौज और विपक्ष ने दिया है। इतना समर्थन किसी भी सरकार को कभी नहीं मिला है, यह हमारी जानकारी में है। उसके बावजूद भी पूरी तरह से असफलता छिपाने की कोशिश की गई है। आपने देश का पूरा समय और हिन्दुस्तान का पूरा धन बर्बाद किया। आप केवल न्यूयार्क में बैठे रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह से हमारी छवि अच्छी रही।

आतंकवाद चाहे जितना बढ़ता रहे। सर्वदलीय बैठकों में भी गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी की तरफ से हमेशा कहा गया है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि आतंकवाद के खिलाफ सुधर गयी है। आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरा सेहरा आपने लिया है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या पूरा सदन युद्ध के हक में था ...*(व्यवधान)* आप चाहते थे लेकिन सदन के बाकी लोग तो युद्ध नहीं चाहते थे। सीपीएम वाले कह रहे थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: जहां तक युद्ध का सवाल है हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं लेकिन अगर आप युद्ध करेंगे तो हम देश के साथ हैं। आपकी मजबूरी हो या सरकार हमें विश्वास में लेती हो तो हम साथ हैं। लेकिन आपने तो कभी हमें विश्वास में लिया ही नहीं, विश्वास तो विपक्ष ने आपको दिया है। आपने हुर्रियत के लोगों के साथ समझौता किया, पाकिस्तान भेजने के लिए काम किया, लेकिन आपने कभी भी हें विश्वास में नहीं लिया। आप अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारते रहे, लेकिन हमें कभी भी विश्वास में नहीं लिया। अमरीका में जब घटना हुई तो तत्काल आपने घोषणा कर कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या आपने हमसे सहमति ली। कांग्रेस की तरफ से भी तीन लीडर थे, जिनमें राज्य सभा के विपक्ष के लीडर थे। कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड सुरजीत थे। हमने कहा था कि जिस तरह से सहानुभूति अमरीका बनाता है उसी तरह से आप कीजिए। खुले-आम आतंकवादियों को निमंत्रण मत कीजिए। आप अपनी शर्तों के साथ अमरीका को मदद करना चाहें तो कीजिए। हमने कहा था कि सहानुभूति प्रकट जरूर कीजिए लेकिन अपनी शर्तों पर कीजिए। यहां पर अगर माननीय प्रधान मंत्री जी या माननीय गृह मंत्री जी होते तो कहते कि मुलायम सिंह जी ठीक कह रहे हैं। आपने इतने खतरनाक आतंकवादियों को खुद निमंत्रण दिया। क्या आपने हमारी राय ली थी। क्या हमने आपको नहीं रोका था। आज हम यहां पर जाहिर करना चाहते हैं कि हमने आपको रोका था। प्रमुख दलों के लोग प्रधान मंत्री जी के निवास स्थान पर गये थे। उस वक्त हमने सावधान किया था कि अमरीका पर हमला करने के बाद यह मामला बहुत संवेदनशील हो गया है। आज अमरीका घबरा रहा है, थर्रा रहा है। लेकिन आपने तो आतंकवादियों को खुले-आम चुनौती दे दी। आपने चुनौती दे दी कि स्थान चुन लो, तारीख तय कर लो। आपने हमेशा चुनौती ही दी है। युद्ध की चुनौती आप देते हैं, युद्ध की घोषणा आप करते हैं और आज हमसे पूछते हो कि हम युद्ध चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यह गलत बात है। आईएसआई जो कर रही है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। मुम्बई में घटना हुई, संसद में हुई, लालकिले में हुई, कश्मीर विधान सभा में हुई, हमने आपको समर्थन दिया, लेकिन इतनी निकम्मी, इतनी असहाय यह सरकार है जिसके कारण पूरा देश आज दहशत में है।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में न तो कोई राजनैतिक इच्छा शक्ति है, न कोई संकल्प-शक्ति है और न इस प्रकार में पुरुषार्थ बाकी बचा है।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: महाराष्ट्र सरकार में भी नहीं है क्या?

श्री मुलायम सिंह यादव: महाराष्ट्र सरकार क्या कर लेगी जब आप स्वयं कहते हो कि आतंकवादियों के हाथ में एटम-बम आ गया है। महाराष्ट्र सरकार कानून-व्यवस्था सुधारेगी। लेकिन आप बताएं कि पोटा का क्या हुआ और क्या अकेला पोटा इसी के लिए था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: आज माननीय वाइको कहां हैं। क्या इस सरकार को शर्म आती है, पोटा में वाइको जी को बंद किये हुए थे। आपको दखल देना चाहिए था। सरकार बताए कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आपने क्या-क्या उपाय किये हैं, क्या-क्या काम किये हैं। आप अपने निकम्मेपन को मत छुपाइये।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष जी, यह जो घटना हुई है, इस पर सारा सदन एक मत है। इसकी मुझे खुशी है लेकिन सर, मुम्बई में 12 मार्च को भी बम-ब्लास्ट हुए थे।

इससे पहले 12 मार्च 1993 को मुम्बई में बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें साढ़े तीन सौ लोग मारे गए थे। उस समय सदन में इस पर चर्चा हुई थी। आदरणीय शिवराज पाटील जी यहां बैठे हैं। यह मुम्बई में पहला हादसा नहीं है। वहां के बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट हुआ। जब इस विषय पर चर्चा हुई थी उसके बाद हमारी सरकार सत्ता में आई थी। उस समय जसवन्त सिंह जी विपक्ष में थे। आदरणीय गृह मंत्री ने उस चर्चा को उस समय आरम्भ किया था। उन्होंने सवाल किया कि जो 20 आतंकवादी पाकिस्तान के पास थे, उनका क्या हुआ और क्या पाकिस्तान का उन आतंकवादियों को देने का इरादा है या नहीं? मैं सदन को कहना चाहता हूं और राम विलास पासवान जी से भी कहना चाहता हूं कि हमें इस मामले में एक रहना चाहिए। 1993 में आतंकवादियों ने अमेरिका के डब्ल्यूटीसी सैंटर पर हमला किया था और उसमें छः लोग मारे गए थे। एक बार और बाद में 2001 साल में डब्ल्यूटीसी पर हमला किया। 13 दिसम्बर 2001 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ। आप यह मत सोचें कि हम पर हमला नहीं होगा। आतंकवादियों का एक ही मकसद होता है और वह उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास स्यूसाइडल स्कवॉयड हैं। मैं मांग करता हूं कि हमें इस मामले में एक होना चाहिए। जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं, उन्हें सहायता के रूप में कम से कम पांच लाख रुपए देने चाहिए।

लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी यहां नहीं हैं। रघुनाथ मंदिर पर हमले के समय हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित प्रॉक्सी वार चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं क यह प्रॉक्सी वार नहीं युद्ध चल रहा है। आतंकवादी हमलों में अभी तक 24 हजार लोग मारे गए हैं। प्रमोद महाजन जी यहां बैठे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अपने देश में ही लोग क्यों मारे जा रहे हैं? पाकिस्तान में ऐसे हमलों से कितने लोग मारे जा रहे हैं, हमें इसकी कोई खबर नहीं होती है। यहां भी उस समय राजनीति लाने की कोशिश की गई, जब प्रधान मंत्री ने एक बयान दिया कि दूसरे मन्दिरों पर भी आतंकवादी हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान को पता है कि हम सीधे युद्ध नहीं कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान को चार बार युद्ध में हराया है। आप पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करते और उनके टैरारिस्ट कैम्पों पर हमला क्यों नहीं करते। सरकार क्यों चुपचाप बैठी है। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार से इस बारे में निवेदन करें और गृह मंत्री को तुरन्त सदन में बुलाया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जिन्होंने नोटिस दिया है, उसमें अभी केवल खैरे जी का नाम है।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, कल मुम्बई में जो घटना हुई, वह बहुत दुखद है। घाटकोपर परिसर जहां बहुत भीड़-भाड़ रहती है, वहां पौने सात बजे यह हादसा हुआ। कुछ लोगों का सौभाग्य था कि वे बस में नहीं बैठे थे और बस भी खड़ी थी। यदि बस चल रही होती तो कम से कम सौ लोग मारे जाते। ऐसा कितने दिन चलेगा? पहले आतंकवादियों ने कश्मीर विधान सभा पर हमला किया, फिर अमरनाथ यात्रियों पर, फिर रघुनाथ टैम्पल पर, फिर अक्षरधाम पर हमला हुआ। ये सब हमले आतंकवादी कर रहे हैं। 13 दिसम्बर को संसद भवन पर आतंकवादियों ने हमला किया। हम सांसद भाग्यशाली थे कि एक भी सांसद इस घटना में मारा नहीं गया। यदि एक-दो सांसद मारे जाते तो बहुत दुखद बात होती। हम आतंकवाद खत्म करने के बारे में कब तक चर्चा करते रहेंगे? शिव सेना की यह मांग है ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आपकी पार्टी की स्यूसाइडल स्कवॉयड बनाने वाली बात कहां गई?

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान मत करिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे: मैं उस पर भी आ रहा हूं। जी टेलीविजन ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों की पूरी गतिविधियों को दिखाया। जहां आतंकवादियों के कैम्प हैं आप वहां हमला क्यों नहीं करना चाहते हैं? अमेरिका में 11 सितम्बर को जो हादसा हुआ उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के आतंकवादी कैम्पों पर हमला किया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं जीरो आवर में केवल दो मिनट बोलने के लिए दूंगा। मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री महोदय क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: आतंकवाद खत्म करने के लिए हम सुईसाइडल स्कवायड चाहते हैं। हमारे पास लिस्ट आई हुई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिव सेना इसके लिए तैयार है लेकिन इसके लिए सारे पक्ष एक होने चाहिए, उन्हें सहयोग देना चाहिए ताकि इस देश से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: बाकी सभी लोग एसोसिएट किए जाते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप अब कुछ कहना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, हम भी घटना की निन्दा करते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि यह गंभीर घटना थी, अत: जब यह मुद्दा उठाया गया, मैंने इस पर 8-9 सदस्यों को बोलने की अनुमति दी। यदि सभा चाहे तो पूरे 'शून्य काल' में प्रत्येक सदस्य इस पर बोल सकता है। लेकिन और भी अनेक विषय हैं जिन्हें माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं। अत:, जिन सदस्यों ने इस विषय को उठाने के लिए नोटिस दिया था, उनके साथ-साथ कुछ नेताओं को बोलने की अनुमति दी गई। अब मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद मुझे अन्य मामले लेने हैं अन्यथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किए बगैर ही सभा को स्थगित करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी विचार हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, हम घटना की निन्दा के मामले में हम भी स्वयं को उनसे सम्बद्ध करते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, मैंने आपकी बात पर ध्यान दिया, श्री जी.एम. बनातवाला भी मेरे ध्यान में हैं। मैंने देखा कि बोलने के लिए जो भी सदस्य खड़ा हुआ उसने मुम्बई में आतंकवादियों की कार्रवाई की निन्दा की है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई बार ऐसी घटनाओं पर चर्चा होती है। मेरा निवेदन है कि आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पर इस सदन में विस्तृत बहस कराने का विषय ले लिया जाये ताकि सदन में सारे सदस्य चर्चा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: यह विषय बी.ए.सी. में जायेगा।

[अनुवाद]

मैंने किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी है। अब मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, मुम्बई में हुई घटना के संबंध में सदन में सभी माननीय सदस्यों की ओर से जो निन्दा की गई है, मैं अपने आपको उसके साथ जोड़ता हूं। दुर्भाग्य से जो व्यक्ति इस घटना में मारे गये हैं, उनका एक तरह से बलिदान ही मानना चाहिए। घटना को देखकर ऐसा लगता है कि हम समय की दृष्टि से थोड़ा भाग्यशाली रहे। जब बम विस्फोट हुआ, उस

समय पास में कोई यात्री नहीं था। मैं इस चुनाव क्षेत्र से एकाध बार जीता हूं और हारा भी हूं, इसलिए उस क्षेत्र का भूगोल मुझे मालूम है। यह घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर का बस स्टॉप है और जैसे ही ट्रेन आती है, उन यात्रियों से बसें भर-भर कर चली जाती हैं। जिन लोगों ने इस घटना में मारे गये लोगों और बस का चित्र देखा है, उससे ऐसा लगता है कि अगर दुर्भाग्य से वह बस भरी होती तो कम से कम 30-40-50 व्यक्तियों की हत्या हो सकती थी। इसलिए मैं मानता हूं कि केवल दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई, इस कारण से घटना की भयानकता कम नहीं हो जाती क्योंकि हम भाग्यशाली रहे।

अध्यक्ष जी, जब विस्तृत चर्चा करनी है तो की जा सकती है लेकिन अन्य विषय, जिनका संबंध इस घटना से नहीं है, वे भी महत्वपूर्ण हैं। उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। मैं इस क्षण केवल यही कह सकता हूं कि आतंकवाद का मुकाबला हम सब को मिलकर करना है। मैं श्री सोमनाथ बाबू की इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार का आतंकवाद सामान्य कानून-व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक ऐसा आतंकवाद है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने वाला है। यह बम उपयोग करने वाला आतंकवाद है। इसलिए प्रदेश की सामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति होती है, इसे उस स्थिति से नहीं जोड़ना चाहिये। इसलिए स्वाभाविक रूप से केन्द्र सरकार का जो दायित्व है, उस दायित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार सीमा पर खुद खड़ी हो सकती है लेकिन प्रदेश सरकारों से सहायता लेनी पड़ेगी। इस मामले में सूचना देनी होती है, गोपनीय जानकारी होती है, केन्द्र सरकार से सम्पर्क होता है, पहचानने के लिए बातें होती हैं।

ऐसी अनगिनत बातें हैं, जिनमें केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी होती है और मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, जैसा मैंने कहा वे धरातल पर होती हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। मैं किसी राज्य सरकार पर आरोप नहीं लगाता कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी की है। क्योंकि मुम्बई लगभग सवा करोड़ की आबादी वाला शहर है, जहां 10-20 हजार बसें चलती हैं और आतंकवाद इतना आसान नहीं है। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि हम सब मिलकर जितना जल्दी-जल्दी उपाय सुझाते हैं या बहस करते हैं, काश उसके साथ मुकाबला करना उतना आसान होता। दुनिया भर में आतंकवाद की एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए एक चुनौती है। मुझे लगता है कि राजनीति तो हम सब करते रहे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और जनता को एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज इस घटना से हम सबको सबक लेना चाहिए। यदि केन्द्र सरकार की कोई कमी है तो उसे सबक लेना चाहिए और यदि राज्य सरकार की कोई कमी रही है तो उसे सबक लेना चाहिए। मुझे बताया गया है कि गृह राज्य मंत्री श्री आई.डी. स्वामी मुम्बई जा रहे हैं। वहां जाकर वह राज्य सरकार से बातचीत करके जानकारी लेंगे और ऐसी घटनाएं न हों, इसकी कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा जनता को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सदन ने इस बात पर हमेशा समर्थन दिया है और इस समर्थन का उपयोग आतंकवाद का मुकाबला करने में जरूर होगा।

श्री मोहन रावले: सर, यह कितने दिन ऐसे ही निवेदन करते रहेंगे। वहां लोग मारे जा रहे हैं। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ तुरंत कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब दूसरा विषय शुरू हो रहा है। अभी मंत्री जी ने निवेदन किया है। आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने भी इस पर सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने को इससे सम्बद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से कई जीवन रक्षक दवाइयां बाजार से गायब हो गई हैं। इनमें कैंसर, हृदय रोग, पेट की बीमारी और दिमागी संक्रमण की दवाइयां प्रमुख हैं। इसमें तकलीफ की बात यह है कि जो दवाइयां बच्चों के लिए जीवन रक्षक दवाइयों का काम करती हैं, वे बाजार से ज्यादा गायब हुई है और उसका कारण यह है कि वे शायद मुनाफा कम देती हैं, इसलिए बाजार में उनकी उपलब्धता कम हो गई है। बाजार में इन दवाइयों के जो विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, वे विकल्प भी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। जीवन रक्षक दवाइयों की कीमत नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी नियंत्रित करती है। जब कंपनियों को लाभ मिलना कम हो जाता है तो वे कोशिश करती हैं कि उन्हें दवाओं की कीमत बढ़ाने की अनुमति मिले। जब उन्हें मनमाने ढंग से दवाओं की कीमत बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती है तो या तो वे उन दवाइयों का उत्पादन कम कर देती हैं या बंद कर देती हैं और इस तरह से बाजार

[श्री शिवराज सिंह चौहान]

से जीवन रक्षक दवाइयां गायब हो जाती हैं। अभी बाजार से जो प्रमुख दवाइयां गायब हैं, उनमें शिशुओं के हृदय रोग में लेनाक्सिन सिरप काम आता है, यह पिछले छः महीनों के बाजार में नहीं है। नेपरीसॉल हृदय रोगियों के लिए उपयोगी है। कैंसर के लिए मेलारान, अल्करान, ल्यूकरान आदि दवाइयां काम में आत्ी हैं। इन दवाइयों के अभाव में कैंसर विशेषज्ञ मरीजों के इलाज पद्धति तक बदलने को मजबूर हो गये हैं। ऐसी अनेक दवाइयों की सूची मेरे पास है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर सरकार ऐसा कोई मापदंड निर्धारित करे ...*(व्यवधान)*

सरकार कोई ऐसी प्रक्रिया तय करे कि कम लाभ मिलने के कारण कम्पनियां इन जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन न घटायें। कई बार कंपनियों के अनुरोध पर सरकार द्वारा दवा मूल्यों को संशोधित कर बढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन संशोधित मूल्य लागू करने में कई माह लग जाते हैं। इस स्थिति में कंपनी स्टाक रख लेती है या कुछ समय के लिए निर्माण बंद कर देती है। ताकि कंपनी घाटे में न रहें। सरकार कोई न कोई ऐसी प्रक्रिया या नियम बनायें, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो और जानबूझकर जो कंपनियां ऐसा काम करती हैं, उनके लिए कड़ा दंड देने का प्रावधान किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): महोदय, मैंने भी सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना इस विषय पर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री धर्मराज सिंह पटेल आपका नोटिस इसी विषय पर है। आप इस पर केवल दो शब्द बोलिये।

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर): मैं माननीय सदस्य की बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए कुछ बातें और कहना चाहता हूं कि एक तरफ दवाइयां नहीं मिल रही हैं और इसके अलावा जो गरीब लोग हृदय रोग, कैंसर आदि गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। चाहे वे हृदय रोग, कैंसर या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन सबके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भारत सरकार करे। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि चूंकि हजारों लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। इसलिए भारत सरकार इन लोगों के बारे में विशेष रूप से विचार करे।

[अनुवाद]

श्री वी. वेत्रिसेलवन: अध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु से संबंधित अत्यन्त गंभीर एवं महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कृष्णागिरी जो कि धरमपुरी जिला के अंतर्गत आता है, में गत 10-15 दिनों से नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ी हैं जिससे कानून एवं व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है। इस संबंध में 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति पुलिस द्वारा मारा गया। गिरफ्तारी अभी भी चल रही है। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति शिक्षित एवं युवा हैं। गरीबी एवं बेरोजगार युवाओं के कारण पूरे राज्य में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही हैं।

महोदय, धर्मपुरी राज्य का अत्यंत पिछड़ा जिला है और यहां कृषि एवं औद्योगिक विकास नहीं के बराबर हुआ है। शैक्षणिक संस्थानों की भरमार के कारण शिक्षित एवं बेरोजगार युवकों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। बेरोजगारी की समस्या की समाप्ति के लिए मध्यम और बड़े उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र को चाहिए कि उदार वित्तीय सुविधाएं मुहैय्या कराए। बेरोजगारी और नक्सलवादी समस्या को हल करने के लिए बीएचईएल जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उर्वरक उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि न केवल बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बल्कि राज्य के सभी जिलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु भी विशेष ध्यान दे।

श्री कुडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, मैं आपको लोक महत्व के अत्यावश्यक मामले को उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

हाल ही में, एयर इंडिया ने खाड़ी क्षेत्र में कार्य करने वाले उन भारतीय कामगारों के लिए मृतकों और अधिकतम 50 किलोग्राम तक निजी सामान ले जाने की निशुल्क सुविधा दी है जो इस कीमत को वहन नहीं कर सकते। यह सुविधा भारतीय दूतावास की सहमति के आधार पर प्रदान की गई है। मैं एयर इंडिया के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। इस निर्णय से खाड़ी के देशों में कार्य करने वाले मध्यम दर्जे के और कम वेतन पाने वाले कामगारों को बहुत राहत मिली है। शव के साथ आने वाले व्यक्ति को निशुल्क टिकट दिया जाएगा। एयर इंडिया स्ट्रेचर में ले जाए जाने वाले मरीजों के लिए 50 प्रतिशत से भी अधिक छूट देती है। खाड़ी में रहने वाले मलयाली लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। लेकिन यह सुविधा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नहीं दी जा रही है। इंडियन एयरलाइन्स केरल विमानपत्तन और अन्य अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों से भी लगभग सभी खाड़ी देशों को उड़ान सेवाएं संचालित कर

रही है। खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले मलयाली लोगों की यह मांग है कि मानव शव को ले जाने की यह सुविधा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भी दी जानी चाहिए।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इंडियन एयरलाइन्स को चाहिए कि शव को निशुल्क ले जाने और उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को निशुल्क टिकट की अनुमति दे।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं भी अपने को इस मामले से सम्बद्ध करता हूं।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, मैं भी अपने को इस बात से सम्बद्ध करता हूं।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के सात जिलों विशेषकर मुर्शिदाबाद, नाडिया, माल्दा, मिदनापुर आदि में नदी कटाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। महोदय, गत दो दशकों में लाखों लोग बेघर हो गए। पश्चिम बंगाल के इन जिलों के विभिन्न भागों में नदी का कटाव गंभीर रूप धारण करता जा रहा है।

कच्छ वनस्पति, सिंचित भूमि और पशुधन की क्षति हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार को अकेले इस समस्या से निपटना संभव नहीं है। भारत सरकार से उचित सहायता मिलनी चाहिए। कुछ वर्ष पहले योजना आयोग का एक कार्यक्रम आया था लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले को गंभीरता से ले और लोगों की समस्या को हल करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन वर्ष 2002 में बिहार के बहुत से छात्रों का चयन हुआ और चयन के बाद उनकी कौंसलिंग भी हुई, लेकिन हरियाणा के एन.आई.टी. कुरुक्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज और राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिहार की इंटरमीडिएट कौंसिल द्वारा उत्तीर्ण छात्रों का उसके सर्टिफिकेट के आधार पर नामांकन नहीं किया जा रहा है। जब विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, तब इस तरह का कोई उल्लेख नहीं था कि बिहार इंटरमीडिएट कौंसिल द्वारा उत्तीर्ण इंटरमीडिएट के छात्रों को इस परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने परीक्षा दी। वे परीक्षा में पास हो गए। उनकी काउंसिलिंग भी हो गई, लेकिन अब उन्हें राजस्थान और हरियाणा के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हम इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार से मिले। उनके मंत्रालय हरियाणा और बिहार सरकार के अधिकारियों की एक मीटिंग कराई गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार की इंटरमीडिएट कौंसिल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए इस आधार पर कौंसिल के सर्टिफिकेट प्राप्त छात्रों को हरियाणा और राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें प्रवेश दिया जाएगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बिहार के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं बरता जाए और जो छात्र हरियाणा के एन.आई.टी. कुरुक्षेत्र और राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं जिनकी कौंसलिंग हो चुकी है, उन्हें हरियाणा और राजस्थान के कॉलेजों में प्रवेश दिया जाए। एक मेरे संसदीय क्षेत्र के श्री शशि रंजन भी ऐसे ही छात्रों में से एक है। उनके माध्यम से मुझे पता लगा कि ऐसे वे अकेले नहीं बल्कि बिहार के दर्जनों छात्र हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनकी काउंसलिंग भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हरियाणा और राजस्थान के कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तब मुझे इस वास्तविकता का पता लगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि बिहार के छात्रों को न्याय प्रदान किया जाए और उन्हें हरियाणा तथा राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश दिया जाए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में जो बैठक हुई थी, उसकी प्रोसीडिंग्स लगता है अभी तक राजस्थान और हरियाणा को नहीं भेजी गई हैं। इसलिए यह मामला अधर में लटका हुआ है। बिहार के मेधावी छात्रों ने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने मेधा-सूची में स्थान प्राप्त किया है। उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पदाधिकारियों की जो बैठक हुई है उसकी प्रेसीडिंग्स हरियाणा एवं राजस्थान सरकारों को भिजवाने की जरूरत है जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि बिहार की इंटरमीडिएट कौंसिल को सरकार की मान्यता प्राप्त है।

संसदीय कार्य-मंत्री यहां बैठे हैं। वे मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे तत्काल इस बारे में कार्रवाई करें जिससे बिहार के छात्र हरियाणा एवं राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश से वंचित न हों।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में वैसे ही घोर अकाल की स्थिति व्याप्त है और इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी ताजा निर्णय के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के खनन को प्रतिबंधित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उससे मार्बल खनन एवं उससे सबंधित अन्य उद्योग धंधों पर खतरे की तलवार लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अरावली शृंखला में आने वाले राजस्थान के 14 जिलों में वैध रूप से चल रही सभी तरह की खनन गतिविधियां बन्द हो जाएंगी। इससे संपूर्ण अरावली क्षेत्र में हड़कम्प मचा हुआ है। परिणामस्वरूप वर्तमान में अकाल की विभीषिका से जूझ रहे राजस्थान को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि व लाखों लोगों को बेरोजगारी की भयावह स्थिति झेलनी पड़ेगी।

अरावली पर्वत शृंखला सिरोही व उदयपुर से लेकर अजमेर जिले तक विस्तृत है। राजस्थान के करीब 3.42 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस अरावली पर्वत शृंखला में राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमन्द, भीलवाड़ा, अजमेर, टौंक, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर, पाली, भरतपुर व झुंझुनू जिले इसकी जद में है।

यह पूरा भू-भाग विपुल खनिज सम्पदा वाला है और कई वर्षों से खनन गतिविधियां चल रही हैं जिसकी वैधानिक स्वीकृति लीज डीड के जरिये राज्य सरकार ने दे रखी है। इस रोक के कारण मार्बल उद्योग के साथ-साथ लगभग 66,553 इकाइयों में कार्य करने वाले 4 लाख श्रमिक बेकार हो जाएंगे और 400 करोड़ के राजस्व की हानि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को होगी। राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनहित में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर करे तथा प्रदेश को राहत प्रदान करे और इस निर्णय पर पुनर्विचार विचार किया जाए ताकि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो और लाखों लोगों की रोजी-रोटी भी बची रहे व राज्य तथा केन्द्र सरकार को करोड़ों के राजस्व से भी वंचित न होना पड़े और अरावली पर्वत शृंखला में वैध खनन का जो कार्य हो रहा था वह चला रहे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, गत सप्ताह, हमने बीमार उर्वरक इकाइयों की बन्दी का सवाल उठाया। केवल उर्वरक इकाइयां ही नहीं बल्कि भारत सरकार के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां भी बन्द की जा रही हैं।

अन्ततः, सरकार ने कुल्ती स्टील प्लान्ट जैसी प्रमुख इंजीनियरिंग इकाई को भी बन्द करने का निश्चय किया है। इससे लगभग 2400 कामगार अधिशेष हो जाएंगे। उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने को बाध्य किया जा रहा है। देश में बीओजीएल ही फ्लिन्ट बटन का उत्पादन करने वाला उद्योग है। इस सरकार ने बीओजीएल में उत्पादन पुनः शुरू करने का निर्णय नहीं लिया है।

कल्याणी और आसनसोल के नजदीक स्थित साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया की दोनों इकाइयां बन्द की जा रही हैं।

आईडीपीएल, एसएसपीएल और बंगाल इम्यूनिटीज जैसी औषधीय इकाइयां बंद की जा रही हैं। सरकार ने इन तीनों इकाइयों के पुनरुद्धार और उनमें पुनः उत्पादन शुरू करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया है।

जहां तक रुग्ण जूट उत्पादक इकाइयों का संबंध है, सरकार ने एन.जे.एम.सी. की इकाइयों का पुनरुद्धार नहीं करने का निर्णय लिया है बल्कि उसने इन इकाइयों को बन्द करने का निर्णय लिया है। जूट के विविधीकरण में बार्ड, जूट और निर्यात अत्यन्त महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। हाल ही में, सरकार ने इसे बन्द करने के आदेश जारी किए हैं और कामगारों को एक माह के अन्दर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने को कहा गया है। अन्यथा वे सभी बरखास्त कर दिए जाएंगे।

भारत सरकार के दो मुद्रणालय हैं। एक मुद्रणालय शिमला में है और दूसरा गंगटोक में है। कोलकाता में प्रपत्र भंडार है। सरकार ने इन इकाइयों को बंद करने और उनका आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारी बेकार हो जाएंगे। उन्हें वी.आर.एस. लेने पर बाध्य किया गया। सरकार बाहरी निजी मुद्रणालयों को मुद्रण के आदेश देने की योजना बना रही है जबकि भारत सरकार के पास बहुत अच्छे मुद्रणालय हैं। लेकिन इन मुद्रणालयों को बंद किया जा रहा है।

सैकड़ों उर्वरक और अभियंत्रण इकाइयों को बंद किया जा रहा है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान केबल्स विनिवेश मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। अब, विनिवेश मंत्रालय यह सिफारिश कर रहा है कि इनमें से कुछ इकाइयों को बंद कर दिया जाना चाहिए। हाल ही में, विनिवेश मंत्रालय ने हिन्दुस्तान केबल्स को बंद करने की सिफारिश की है। कई इकाईयों को बंद किया जा रहा है। हजारों कामगार बेकार हो रहे हैं और उन्हें वी.आर.एस. लेने पर बाध्य किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से वक्तव्य देने की मांग करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं। उन्हें संबंधित मंत्री को हमारी भावनाओं से अवगत कराना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमनाथ चटर्जी ने इसी मुद्दे पर सूचना दी है। उन्होंने दो सूचनाएं दी हैं। अब मैं विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को बंद करने संबंधी विषय को ले रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैंने इस मुद्दे पर सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, आप जानते हैं कि हम इस मुद्दे पर बहुत परेशान हैं। यह देश के विकास के अलावा मानवीय मुद्दा भी है। यह एक गंभीर मामला है। सरकार को इस देश और इस देश के कामगार लोगों की खातिर इसे हल्के से नहीं लेना चाहिए। वे कहां जाएंगे? यदि किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपये दिए गए तो वह उस राशि के साथ क्या करेगा जब बैंकों से उचित ब्याज उपलब्ध नहीं है? ब्याज दर 5 प्रतिशत से नीचे आ गया है। वरिष्ठ नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे भविष्य के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए में वे क्या करेंगे? 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सेवा से निलंबित कर दिया गया है। यह गंभीर चिंता का विषय है। महोदय, मैं नहीं जानता कि वे स्कीम्स की तरह क्यों बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री हन्नान मोल्लाह और श्री अजय चक्रवर्ती ने भी इसी मुद्दे पर सूचनाएं दी हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मैं इस मुद्दे को उठाने में श्री बसुदेव आचार्य के साथ हूं। सरकार को यह देखना चाहिए कि इनमें से कम-से-कम कुछ फैक्ट्रियों को पुनः खोला जाए। धन्यवाद।

श्री अजय चक्रवर्ती: मैं अपने आपको माननीय सदस्यों, श्री बसुदेव आचार्य, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं। भारत सरकार ने हमारे देश की सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को विघटित करने और विनष्ट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया और अन्य महत्वपूर्ण एवं प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है ...*(व्यवधान)* वे नाल्को (एन.ए.एल.सी.ओ.) का भी निवेश करने जा रहे हैं जो पूरे एशिया में सबसे बड़ी अल्यूमीनियम निर्माण इकाई है। सरकार ने एक के बाद एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने और विघटित करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप, हजारों कामगारों और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अपने पद का सदुपयोग करते हुए भारत सरकार को देश के हित के विरुद्ध घातक निर्णय लेने से रोकें।

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता, उत्तर पश्चिम): महोदय, मैं लोक सभा चुनाव क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन के संबंध में लोक महत्व के तात्कालिक मामले को उठाना चाहूंगा। एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे जून में लागू किया गया। अधिनियम की धारा 5 माननीय अध्यक्ष को सदस्य नामांकित करने का निर्देश देता है। आपने दो माह के भीतर ही अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह किया। पश्चिम बंगाल राज्य से पांच सदस्यों को चुना गया था। मैंने कुछ सदस्यों से बात की और यह जाना कि तब से एक भी बैठक नहीं हुई। आज, अत्यधिक प्रसार वाले और विश्वसनीय बंगाली समाचार पत्र, ''आज कल'' में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि मेरे चुनाव क्षेत्र सहित कोलकाता के चुनाव क्षेत्रों को इस तरह से बांटा जा रहा है कि चार चुनाव क्षेत्रों वाले कोलकाता को दो चुनाव क्षेत्र में सीमित कर दिया जाएगा। हम संसद के सदस्य हैं। लोगों की इच्छा से मैं लगातार छः बार चुना गया। मैं अपने चुनाव क्षेत्र का कोना-कोना जानता हूं। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की भौगोलिक और जनसंख्या प्रणाली को जानता हूं। मुझे नहीं बुलाया गया। मैंने पुनर्सीमांकन आयोग को यह कहते हुए एक पत्र लिखा है कि संसद के वर्तमान सदस्य, केवल मैं नहीं सभी वर्तमान सदस्यों, को सुना जाए। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, इन पांच सदस्यों से कोई बैठक नहीं हुई। हमारे चुनाव क्षेत्रों के संबंध में क्या हो रहा है? मुझे पक्का यकीन है कि अन्य सभी सदस्य भी अंधेरे में हैं। इसलिए, महोदय, आपके द्वारा नामांकित पांचों सदस्यों को कम से कम यह निर्देश दिया जाए कि वे हमें सुनें। उन्हें आयोग से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। सरकार को यह मुद्दा आयोग के साथ उठाना चाहिए और इसे यह निर्देश दिया जाए कि संसद के उन वर्तमान सदस्यों जिनके चुनाव क्षेत्र विचाराधीन हैं, कम से कम उनकी बात सुनी जाए।

अपराह्न 1.00 बजे

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु में उन चाय उत्पादकों के पलायन को आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जो चाय पत्तियों के कम खरीद मूल्य से प्रभावित हैं इसे वर्तमान दर 5 रु. प्रति किग्रा. से बढ़ाकर 15 रु. प्रति किग्रा. किए जाने की आवश्यकता है। चार किलोग्राम चाय पत्तियों से एक किलोग्राम चाय की धूल (टी डस्ट) प्राप्त होती है। यहां तक कि नीलामी केन्द्रों पर 40 रु. से 45 रु. प्रति किग्रा. की दर पर इस चाय पत्ती की धूल (डी डस्ट) की खरीद की गई। लिप्टन, ब्रुक बांड, हिन्दुस्तान लीवर आदि बड़ी चाय कंपनियों द्वारा बनाए गए

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. मोहन]

सिंडीकेट ने आशाओं पर पानी फेर दिया और छोटे चाय उत्पादकों को उन्हें देय लाभकारी मूल्य प्राप्त करने से रोक दिया। यूनाइटेड प्लांटेशन ऑफ साउथ इंडिया-यू.पी.ए.एस.आई. ने अनुमान लगाया है कि एक किग्रा. चाय पत्ती के उत्पादन के लिए न्यूनतम 8.45 रु. की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एक किग्रा. चाय पत्ती की धूल के लिए 35 रु. से लेकर 40 रु. मूल्य तक की चाय पत्ती का उत्पादन करना पड़ेगा। खरीद मूल्य के अनुसार छोटे चाय उत्पादकों को चाय पत्ती की धूल का 40 रु.-45 रु. प्रति किग्रा. मूल्य मिलना भी सुनिश्चित नहीं है और खुले बाजार में इसे न्यूनतम 90 रु. प्रति किग्रा. से लेकर अधिकतम 240 रु. प्रति किग्रा. तक के मूल्य पर बेचा जाता है। चाय उत्पादक संकट में फंस जाते हैं और बड़ी कंपनियां पैसे बनाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि चाय पत्ती का न्यूनतम खरीद मूल्य 15 रु. प्रति किग्रा. सुनिश्चित किया जाए और वही लाभकारी हो सकता है। सिर्फ नीलगिरी जिले में ही लघु चाय उत्पादकों द्वारा करीब 43,000 टन चाय पत्ती उत्पादित की जाती है और उनका इस तरह से शोषण किया जाता है एवं जिसके वे हकदार हैं, जो उनको देय है, उससे वे वंचित हैं। इसलिए मैं सरकार से न्यूनतम खरीद मूल्य 15 रु. प्रति किग्रा. चाय पत्ती की खरीद को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने का निवेदन करता हूं जिससे निश्चित रूप से लघु चाय उत्पादकों को लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं इसे सभा के ध्यान में ला सकता हूं कि इस तरह की सूचनाओं को सभा में नहीं पढ़ा जाए? माननीय सदस्यों को धारा प्रवाह बोलना है। इस तरह के मामलों को सभा में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया बैठिए ...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, भारत सरकार के विनिवेश आयोग ने कोचीन शिपयार्ड लिम्टिड के नकदी भंडार को लेकर इसके 51 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश कर और इसकी अप्रयुक्त भूमि को भी बेचकर निजीकरण और विनिवेश की सिफारिश की है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल में सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। यह वर्ष 1996-97 से 2001-02 तक लाभ अर्जित करता रहा है। इसे करीब 184.95 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। इसने केन्द्रीय और राज्य राजकोष को कर के रूप में करीब 85 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसने बड़ी सफलता से सौंपे गए जहाज निर्माण और मरम्मत कार्य को पूरा किया। चालू वर्ष में इसे 30 करोड़ रुपए का लाभ होने की आशा है।

इसके निजीकरण के पूर्व शिपयार्ड की महत्वपूर्ण अवस्थिति और महत्ता को समझा जाए। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग में अवस्थित है। साथ ही वहां पर प्रस्तावित वल्लारपदम कन्टेनर टर्मिनल, प्रस्तावित एल.एन.जी. टर्मिनल और सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। ये सब इसी के पास हैं। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से 600 मीटर की दूरी पर ही दक्षिणी नौसेना कमान स्थित है। साथ ही, रक्षा मंत्रालय इसी शिपयार्ड को नौसेना के लिए वायु-रक्षा पोत के निर्माण का कार्य सौंपने की योजना बना रहा है। इसलिए, कोचीन शिपयार्ड के प्रबंधन में निजी कंपनियों को अनुमति देना जिनमें से अधिकांश विदेशी हैं, हमारे देश की सुरक्षा के हित में नहीं है।

इसलिए, उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं सरकार से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के विनिवेश के प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान उस बड़ी खतरनाक स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो आंध्र प्रदेश से लगे हुए उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट जिले में उत्पन्न हुई है। विशेषकर रायगढ़ जिले में, नक्सलवादी आंदोलन के नाम पर धड़ल्ले से हत्या, आगजनी एवं लूटपाट हो रहा है। पिछले सप्ताह, रायगढ़ जिले में मेरे दल के महासचिवों में से एक 30 वर्षीय युवा जमाथी साहू के घर से बाहर खींचकर दिनदहाड़े तथाकथित नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। दो माह पहले ही इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के राज्य के कैबिनेट मंत्रियों में से एक के घर आग लगा दी गई और उसे भस्म कर दिया गया। उनकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी कि शाम को पुलिस के लोग भी अपने पुलिस थानों अथवा घरों से बाहर नहीं निकले। फिर, उस क्षेत्र की आम जनता के बारे में क्या कहें। दुर्भाग्यवश, ऐसे समय में भारत सरकार ने वहां तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को वहां से हटाने का निर्णय लिया है। जब राज्य सरकार केन्द्र सरकार से स्थिति को नियंत्रण करने हेतु और अधिक संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों को भेजने की पुरजोर मांग कर रही है भारत सरकार ने गुजरात चुनावों के बहाने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को वापस बुला लिया है। इसलिए, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है।

अतएव, मैं केन्द्र सरकार से स्थिति पर गौर करने और पुलिस के बदले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को भेजने का अनुरोध करता हूं क्योंकि राज्य सरकार एवं पुलिस इस संबंध में बुरी तरह असफल रही है। इसलिए, इस स्थिति पर ध्यान देना केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है। धन्यवाद।

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): महोदय, इस मामले को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री का ध्यान केरल के पारंपरिक मछुआरों को मिट्टी के तेल की अपर्याप्त आपूर्ति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

वे केरल में 13,000 आउट बोर्ड मोटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन आउट बोर्ड मोटरों में 1,65,000 किलोलीटर मिट्टी तेल की खपत होती है बकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इस क्षेत्र में आवंटन लगभग 57,500 किलोलीटर का होगा। मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर से मिट्टी के तेल की कालाबाजारी होती है और इससे मछुआरे ऋण के जाल में फंस गए हैं।

चूंकि मिट्टी के तेल का खुले बाजार में मूल्य 16 रुपए प्रति लीटर है। भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का मूल्य 2.50 रुपए से 8.65 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मिट्टी के तेल के अपर्याप्त कोटे के कारण मछुआरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल को खुले बाजार के मूल्य पर खरीदने को बाध्य हो गये हैं। प्रणाली का लाभ साधारण मछुआरों तक नहीं पहुंच रहा है।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से मिट्टी के तेल की थोक डीलरशिप मत्स्यफेड को संस्वीकृत करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा मछुआरों को सीधे मिले।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों, विशेषकर तमिलनाडु सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता आवंटित करनी चाहिए जिससे कि सभी धार्मिक पूजा स्थलों की सुरक्षा हेतु एक विशेष सुरक्षा बल गठित किया जा सके। भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि देश भर के सभी महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध हो क्योंकि देश में आईएसआई एवं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और अब वे सभी राज्यों में एवं तमिलनाडु में भी सभी मंदिरों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इसलिए, मैं सरकार से इस पर गौर करने और सभी धार्मिक स्थलों, विशेषकर प्रसिद्ध हिन्दू और मुस्लिम स्थलों की सुरक्षा करने का अनुरोध करती हूं तथा साथ ही तमिलनाडु सरकार को और अधिक धन आवंटित करने का भी अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद का आज तीन दिसम्बर को जन्मदिन है और राजेन्द्र बाबू के बिहार की यह दुर्दशा है। वहां राष्ट्रीय राजमार्गों की इतनी खराब स्थिति है, जो हमारे क्षेत्र से गुजरती है। मैं वहां शनिवार और रविवार को गया था, मैंने देखा कि वहां सड़क की हालत बहुत खराब है। हमने इस बारे में सवाल किया तो सरकार ने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन है। वह प्रस्ताव कब तक विचाराधीन रहेगा। पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा-एनएच नम्बर 77, 102, 103 और 104—इन चारों राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब और दयनीय स्थिति है। ये पूरी तरह से चौपट हैं। यहां तीन महीने तक रास्ता बंद रहता है और लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है। उत्तर-बिहार का यह लाइफ लाईन है—बंगाल, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा-एनएच नम्बर 77 है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति, भारतरत्न डा. राजेन्द्र प्रसाद जी के जन्मदिन पर सरकार इसे सीरियसली ले। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो दुर्दशा है, खराब हालत है, उसे दुरुस्त कराए। ...*(व्यवधान)* भारत सरकार इसके लिए वहां पैसा देगी तो यह काम होगा।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): अध्यक्ष महोदय, हाल में केरल सरकार के चार मंत्री दिल्ली आए और माननीय प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और उनका नेतृत्व केरल के वित्त मंत्री ने किया था। उन्होंने जिन बातों के लिए ज्ञापन दिया था, उनमें से लगभग दो बातों का उल्लेख मैं इस सभा में विशेष उल्लेख के साथ करना चाहता हूं। जिसमें से पहली बात काली मिर्च के उत्पादकों की समस्याओं के संबंध में है। हम सभी जानते हैं कि काली मिर्च हमारे मानक की एक प्रमुख वस्तु है और हम सभी काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, परन्तु उत्पादक काली मिर्च के मूल्य में गिरावट के कारण बड़े गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। काली मिर्च के मूल्य में इतनी गिरावट आई है कि वे कालीमिर्च की खेती को आगे जारी नहीं रख सकते हैं और उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है।

दूसरी बात सुपारी उत्पादक भी मूल्यों में आई भारी गिरावट के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सुपारी का औसत मूल्य 116 रु. प्रति किलोग्राम था और अब उसमें 38 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप सुपारी उत्पादकों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से काली मिर्च उत्पादकों एवं सुपारी उत्पादकों को उभारने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः सुरेश जी, आप संक्षेप में बोलिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत समेकित बाल विकास योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। उसका क्रियान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत बच्चों के पोषण और शारीरिक विकास के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना चल रही है। महाराष्ट्र सरकार को इस योजना के तहत वर्ष 2001, 2002 और 2003 तक के लिए केन्द्र सरकार ने पैसा दिया है।

लेकिन केन्द्र सरकार ने जिस पैसे का महाराष्ट्र सरकार को आवंटन कया है, उस 2001 के पैसे को भी महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक खर्च नहीं किया है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, गंभीर स्थिति है। यह बाल-विकास-पोषण की योजना है। आंगनवाड़ी का जो केन्द्र होता है, उसमें बाल विकास योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस पर खर्च होने वाले पैसे को खर्च नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पैसे को खर्च करने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डालें, नहीं तो किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा इस पर अमल करवाने की कार्यवाही करें।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

(एक) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को शीघ्र चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, स्वर्णिम चतुर्भुज के एक भाग के रूप में, उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को जलेश्वर से इल्हापुरम तक चौड़ा किया जा रहा है। भारत सरकार ने 50 किलोमीटर की लंबाई तक इसे चौड़ा किए जाने के कार्य के लिए धन की संस्वीकृति दी है। उड़ीसा में जगतपुर एवं भुवनेश्वर के बीच सड़क को चार लेनों वाला बनाया गया है जिस पर लंबे एक्सल वाले भार से लदे 20 पहियों वाले ट्रकों के चलाये जाने की अपेक्षित विशिष्टताएं होंगी। तथापि, यह सुविधा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के अन्य हिस्सों में उपलब्ध नहीं है। इससे अन्य स्थानों पर सड़क पर गड्ढा हो जाता है और कुछ स्थानों पर यातायात की भी भीड़-भाड़ सी हो जाती है।

तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु समुचित एवं प्रभावी कदम नही उठाए हैं। इस विलंब का मुख्य कारण निजी भूमि का अधिग्रहण न करने और ठेकेदारों के ऊपर निगरानी नियंत्रण की कमी है।

मैं भारत सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(दो) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में इफको के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राज नारायण पासी (बांसगांव): उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद कारखाना, गोरखपुर, 10 जून, 1990 से बंद है। यह खाद कारखाना बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित है। परन्तु प्रबंध तंत्र ने 16 सितम्बर, 2002 को एक परिपत्र जारी किया है कि जो कर्मचारी 20 दिसम्बर, 2002 तक वी.आर.एस. नहीं लेगा, उसे आई.बी. एक्ट, 1947 के तहत छंटनी कर दी जायेगी। इस वी.आर.एस. में कई विसंगतियां हैं। यह योजना उन्हीं कर्मचारियों को लाभप्रद होगी जिनकी नौकरी 30 वर्ष पूरी होगी। उन्हें बाकी के समय की दुगनी धनराशि मिलेगी। इसके विपरीत जो कर्मचारी कम समय तक कार्य किये हैं, उनके ऊपर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बची हुई सेवा अवधि का भी पैसा नहीं मिल पा रहा है।

उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से मेरी विनम्र मांग हैः

1. वी.आर.एस. लेने वाले कर्मचारियों को भुगतान के बाद भी आवास खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया जाये।

2. वी.आर.एस. को खुला रखा जाये, जो कर्मचारी नहीं लेना चाहते हैं, उन पर दबाव न डाला जाये।

3. पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग तथा विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जिन कर्मचारियों की नौकरी अधिक बची हुई है अथवा जिनकी सेवा अवधि 30 वर्ष से कम है, उन्हें अन्यत्र समायोजित किया जाये।

4. पूर्वांचल के विकास के लिए गोरखपुर में खाद कारखाना के स्थान पर गैस पर आधारित एक कारखाना लगाया जाये।

[अनुवाद]

(तीन) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुम्बई के पश्चिमी भाग में स्थित वन भूमि पर अतिक्रमण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, पर्यावरण मंत्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि मुम्बई में कुछ तत्वों ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुम्बई के पश्चिमी भाग में भूमि पर कब्जा करना आरंभ कर दिया है, और निर्धन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों से भीमनगर, दामुनगर, गांधीनगर एवं अन्य क्षेत्रों के निकट वन भूमि पर उन्हें सुव्यवस्थित करने एवं उन्हें वह भूमि आवंटित करने का आश्वासन देते हुए उनसे 500 रुपए लिये गये हैं। वन भूमि का अतिक्रमण रोकने एवं उन लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

(चार) छावनी बोर्ड क्षेत्रों में, विशेष रूप से अंबाला छावनी बोर्ड में जिन लोगों को बंगले आवंटित किए गए हैं, उनसे ये बंगले खाली न कराया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में स्थित कैन्टोनमेंट बोर्ड एरिया में सैंकड़ों वर्ष पहले कुछ लोगों को बंगले दिये गये थे। कैन्टोनमेंट बोर्ड एरिया की आबादी बढ़ने के कारण काफी स्थानों पर ये बंगले सिविल एरिया में आ गये हैं। अब इन बंगला मालिकों को बंगला खाली करने के आदेश आ रहे हैं। नोटिस में खाली कराने की वजह सुरक्षा व सैनिकों के लिए नये मकान बनाकर देना आदि है। मैं चाहूंगा कि जब तक अन्य सभी विकल्प बंद न हो जायें, इन्हें बेदखल न किया जाए।

मैं मान्यवर मंत्री महोदय से इस विषय पर वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा क्योंकि मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला में स्थित अम्बाला कैन्ट के बंगला मालिकों में इस विषय को लेकर भय का वातावरण बना हुआ है।

[अनुवाद]

(पांच) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान असम में फकीराग्राम और धुबरी के बीच विद्यमान छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल हमीद (धुबरी): फकीरग्राम से धुबरी (70 किलोमीटर) तक के रेल मार्ग को ब्राडगेज लाइन में बदले जाने की असम के धुबरी जिले के लोगों की यह लंबे समय से चली आ रही मांग है। यह भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय नीति भी है कि पूरे देश के सभी मीटर-गेज रेल मार्गों को ब्रॉडगेज मार्गों में बदला जाना है। परन्तु, दुर्भाग्यवश, उत्तर सीमांत रेलवे द्वारा फकीरग्राम से धुबरी तक के 70 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को महत्व नहीं दिया जा रहा है। न्यू अलीपुर से न्यू बोंगाईगांव तक वे आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है परन्तु फकीरग्राम से धुबरी के कार्य को छोड़ दिया गया है। यह उत्तर सीमांत रेलवे की पुरानी रेलवे लाइन है। समस्त रेल मार्ग की स्थिति चिंताजनक है। लंबे समय से यात्री रेलगाड़ियां बंद पड़ी हैं। खाद्यान्न ले जाने वाली मालगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन रेल सेवाओं की कमी के कारण समुचित ढंग से नहीं किया जाता है। इसलिए, मैं रेल मंत्रालय से इस वित्तीय वर्ष के दौरान फकीरग्राम से धुबरी तक के रेलमार्ग को ब्राडगेज लाइन में बदले जाने का अनुरोध करता हूं।

(छह) एच.एफ.सी.एल. और एफ.सी.आई.एल. के पुनरुद्धार के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सरकार ने 1-1-2003 से एचएफसीएल एवं एफसीआई बल के 12000 कामगारों एवं कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का निर्णय किया है। उन्हें 20.12.2002 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने एवं 31.12.2002 तक क्वार्टर खाली करने अन्यथा किराया भुगतान करने का आदेश दिया गया है। अभागे कामगार 1987 से ही वेतनमान से वंचित हैं। उन्हें भविष्यनिधि खातों के समयावधि से पहले बंद होने के कारण भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ेगा। क्वार्टरों को खाली करने के आदेश से उसका सारा परिवार 1 जनवरी 2003 से सड़कों पर आ जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के विद्यालय को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। मैं सरकार से इस आदेश की समीक्षा करने का आग्रह करता हूं

[श्री सुनील खां]

क्योंकि इन 12000 परिवारों में से अधिकतर खुले आकाश के तले आ जाएंगे और विद्यालय जाने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तत्काल आदेश का दुष्प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। दूसरी तरफ, एएआईएफआर ने नवम्बर, 2002 के अंतिम सप्ताह में एच.एफ.सी.एल. के दुर्गापुर एवं बरौनी स्थित इकाईयों की समीक्षा करने के पक्ष में फैसला दिया है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एवं क्वार्टरों को खाली करने संबंधी अंतिम तिथि को वापस लेने और इन इकाईयों को पुनर्जीवित करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) आंध्र प्रदेश में महबूबनगर तथा अन्य जिलों के किसानों के लाभ के लिए अलमट्टी बांध से 70 टी एम सी पानी छोड़े जाने के लिए कर्नाटक सरकार को राजी किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): आंध्र प्रदेश को तेलंगाना क्षेत्र प्रदेश के गंभीर सूखे से जूझ रहे महबूबनगर एवं अन्य जिले को सिंचित करने हेतु जल की आवश्यकता है। इसी प्रकार, कुरनुल एवं कई अन्य जिले पेयजल की कमी के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। थोड़ा सा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य की पेयजल समस्या का समाधान कर सकता है। कर्नाटक का अलमट्टी बांध लबालब भरा हुआ है और वहां संग्रहित जल से लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यदि कर्नाटक राज्य 70 टी एम सी जल छोड़ता है, तो आंध्र प्रदेश की पेयजल की कमी और सिंचाई हेतु जल की कमी की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है।

चूंकि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के कर्नाटक द्वारा जल छोड़े जाने के लिए तैयार करने के सभी प्रयास असफल हो गए हैं, मैं माननीय प्रधान मंत्री से जनहित में कर्नाटक राज्य को पानी छोड़ने के लिए हस्तक्षेप करने और मनाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(आठ) आकाशवाणी केन्द्र, परभनी, महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर रेडियो स्टेशन का दर्जा दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): महोदय, आल इंडिया रेडियो, परभनी को आत्मनिर्भर रेडियो स्टेशन का दर्जा देने के बारे में सरकार पिछले 20 वर्ष से ढुलमुल रवैया अपना रही है। पहले सरकार ने वर्ष 1983 और 1992 में रेडियो परभनी को आत्मनिर्भर रेडियो स्टेशन का दर्जा देने की घोषणा की, परंतु कुछ ही दिन बाद इस निर्णय को रद्द कर दिया गया। अब प्रसार भारती, मुम्बई में अपनी 21.11.2002 के पत्र द्वारा रेडियो परभनी को औरंगाबाद स्टेशन से अलग करके आत्मनिर्भर रेडियो स्टेशन बनाने की घोषणा की तथा कहा कि 1.12.2002 से परभनी रेडियो स्टेशन से आत्मनिर्भर प्रसारण शुरू हो जायेगा, परंतु पांच दिन बाद ही प्रसार भारती, मुम्बई ने अपने 26.11.2002 के अपने आदेश को रद्द कर दिया।

अतः इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे तथा निश्चित तारीख 1.12.2002 से ही परभनी स्टेशन से आत्मनिर्भर रेडियो प्रसारण आरम्भ किए जाने के निर्देश दे।

[अनुवाद]

(नौ) जोलारपेट्टी और होसुर बरास्ता कृष्णागिरि के बीच एक नई रेल लाइन बनाए जाने की मांग पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागीरि): महोदय, कृष्णागिरि होकर जोलारपेट्टी और होसूर के बीच एक नई रेल लाइन बनाने की मांग केन्द्र सरकार के पास काफी दिनों से लंबित है। आजादी के पूर्व, कृष्णागिरी तक रेल लाइन थी लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। वर्ष 2000 में इस संदर्भ में एक सर्वेक्षण भी किया गया था और दिसंबर, 2000 के अंत तक रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दी गई थी। लेकिन सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसकी आवश्यकता तथा महत्व की सही स्थिति नहीं बताई गई थी और इसी कारण हम रिपोर्ट को व्यवहार्य नहीं पाया गया एवं जोलारपेट्टी से होसूर के बीच रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। लेकिन वास्तव में, महोदय, कृष्णागिरी और बर्गुर एवं अन्य गांवों के लोगों को इस रेलवे लाइन की बहुत आवश्यकता है क्योंकि कृष्णागिरी दो राज्यों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से घिरा हुआ है और कृष्णागिरी के लोग जो वस्त्र, ग्रेनाइट, अन्न, आम, नारियल, धान आदि का व्यापार कर रहे हैं वह देश के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में जाते हैं। रेल सुविधा के अभाव में उक्तोल्लिखित स्थानों के बीच के लोगों को परिवहन हेतु रेल सुविधा का लाभ लेने के लिए लंबी यात्रा करने के बाद जोलारपेट्टी जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस तरह से उनको अधिक समय और धनराशि व्यय करनी पड़ रही है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मांग पर नए सिरे से ध्यान दें तथा रेल लाइन के निर्माण के लिए नया सर्वेक्षण करवाएं।

(दस) भारतीय खाद्य निगम को उड़ीसा में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर धान खरीदने के बारे में निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, यह बहुत ही चिंता का विषय है कि विशेष रूप से गत लगातार 2 वर्षों से देश के विभिन्न भागों में किसान अपने कृषि उत्पादों को मजबूरी में बेचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। मेरे राज्य उड़ीसा में इस समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक तरफ तो लोग खाद्यान्नों के अभाव में भूख से मर रहे हैं तो दूसरी ओर कृषि उत्पादों का कोई खरीददार नहीं है। उड़ीसा के सिंचित क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी उड़ीसा में हीराकुंड सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आने वाले झारसुगुडा, सम्बलपुर, बारगढ़ और बीमा आदि जैसे पश्चिमी उड़ीसा के क्षेत्रों के विभिन्न बाजारों में धान की हजारों बोरियां पड़ी हैं, लेकिन न तो राज्य सरकार की एजेसियां और न ही भारतीय खाद्य निगम धान खरीदने के लिए आगे आ रहा है जिसके कारण किसानों के बीच बेचैनी है। किसान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पर अपने धान बेचने के लिए मजबूर हैं।

उक्त तथ्यों के मद्देनजर, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और भारतीय खाद्य निगम को उड़ीसा में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश दे।

(ग्यारह) संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, 'मिथिला' के नाम से जाने जाने वाले बिहार के एक बड़े हिस्से के करोड़ों लोगों द्वारा मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। मिथिला पूरे विश्व में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपने गौरवपूर्ण इतिहास और गतिशील वर्तमान के लिए विख्यात है।

मैथिली एक स्वतंत्र भाषा है। भारत की अन्य मान्यताप्राप्त भाषाओं की तरह इसकी अपनी लिपि है जिसे तिरहुत का मिथिलाक्षर के नाम से जाना जाता है। यह करीब 1300 वर्ष पुरानी है। तिरहुत में मुद्रण सुविधाओं के अभाव के कारण ही मैथिली किताबें 'देवनागरी' लिपि में छप रही हैं। इसे साहित्यिक भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगठन पी.ई.एन. से भी मान्यता मिली हुई है।

एक आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में मैथिली को अध्ययन विषय और अनुसंधान विषय के रूप में न केवल बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी मान्यता मिली हुई है। मैथिली भाषा का अपना व्याकरण है और 1881 में डा. जी.ए. ग्रीयर्सन द्वारा लिखित किताब सहित इसके व्याकरण पर कई किताबें लिखी गई हैं। इसका अपना शब्दकोष है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि मैथिली भाषा के मामले में कृपापूर्वक विचार किया जाए और इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

(बारह) महाराष्ट्र के जलगांव जिले को "केला निर्यात क्षेत्र" घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जलगांव (महाराष्ट्र) केले के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। यहां के केले काफी प्रसिद्ध हैं। जहां से सैंकड़ों टन केला प्रतिदिन देश के अन्य राज्यों में भेजा जाता है तथा विदेशों को भी काफी मात्रा में यहां से केले का निर्यात किया जाता है। हाल ही में बंगलोर में सम्पन्न हुई अन्तर्राष्ट्रीय केला परिषद ने जलगांव जिले के केले की काफी प्रशंसा की है। जलगांव जिले का वातावरण केले के उत्पादन के लिए पोषक एवं लाभदायक है। अन्तर्राष्ट्रीय केला परिषद में जलगांव को केले की राजधानी के रूप में सम्मानित किया गया है और केले का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जलगांव जिले को केला निर्यात क्षेत्र घोषित किये जाने की सिफारिश की है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में केले के विकास एवं निर्यात में कमी आ रही है। यदि जलगांव जिले को केला निर्यात जोन घोषित कर दिया जाये तो इस क्षेत्र का विकास भी होगा और क्षेत्र से काफी मात्रा में केले के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो सकेगी।

अत: मैं आपके माध्यम से वाणिज्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि केले के लिए प्रसिद्ध जलगांव जिले को अविलम्ब केला निर्यात जोन घोषित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(तेरह) पश्चिमी बंगाल में मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, पश्चिमी बंगाल के मालदा, उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर जिलों में प्राचीन इतिहास का समृद्ध भंडार है जिसका पता व्यापक पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

तथा उत्खनन द्वारा लगाया जा सकता है। ''पुन्दरवर्धन'' और ''वरेन्द्र भूमि'' के स्वर्ग युग के संकेत अविभाजित दिनाजपुर और मालदा जिलों में व्याप्त हैं जो रानीगंज, रसखोवा, असूरगढ़, बाजे बिकोल, बानगढ़, तपन, फकीरदिफी, गौरी, हेमताबाद, कस्बा-महासो, करनदिफी, अदिपालदिखी, पंचनगर, पतिराज और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के राधिकापुर जिसमें रायगंज, कलियागंज, इतहार, कुशमंडी, करनडिफी आदि शामिल हैं, में फैले हैं। तीस के दशक में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बानगढ़ के पास उत्खनन कार्य शुरू किया था जो काफी लाभदायक रहा। रानीगंज में और उसके आस-पास या इससे जुड़े जिलों के अन्य क्षेत्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।

मुझे विश्वास है कि यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमारे प्राचीन इतिहास के भंडार का पता लगाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से मेरे अनुरोध पर यदि अनुकूल कार्यवाही करता है तो न सिर्फ पालवंश बल्कि पुरातन काल के इतिहास का भी पता चल सकता है जिससे उत्तर बंगाल के इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह दे।

अपराह्न 2.23 बजे

सरकारी विधेयक—*पारित*

(एक) मैसूर स्टेट लैजिसलेचर (डेलिगेशन आफ पॉवर्स) निरसन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः सभा अब विधायी कार्यों पर विचार शुरू करेगी। यह संख्या-12 के लिए आधे घंटे का समय आवंटित है। माननीय मंत्री महोदय अब विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि मैसूर स्टेट लैजिसलेचर (डेलीगेशन ऑफ पावर्स) अधिनियम, 1971 के निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

महोदय, यह एक साधारण विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदयः हां, यह बहुत ही साधारण विधेयक है।

श्री सीएच. विद्यासागर रावः पूर्व मैसूर राज्य, जो कि अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, 27 मार्च, 1971 और 20 मार्च, 1972 के बीच राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। इस अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां सौंपने की दृष्टि से यह कानून बनाया गया था। राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के तुरन्त बाद अर्थात 20 मार्च, 1972 को यह अप्रभावी हो गया और इस कानून के बने रहने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह निरसन विधेयक अब सभा के सामने लाया गया है।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि बिना चर्चा के इस विधेयक को पारित करने पर सहमत हो जाएं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> ''कि मैसूर स्टेट लैजिसलेचर (डेलीगेशन ऑफ पावर्स) अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, इस मैसूर स्टेट लैजिसलेचर (डेलीगेशन ऑफ पावर्स) अधिनियम, 1971 को तब कानून बनाया गया था जब मैसूर राज्य 27 मार्च, 1971 से 20 मार्च, 1972 तक राष्ट्रपति शासन के अधीन था। इसी अवधि के दौरान संसद ने इस अधिनियम को कर्नाटक, तत्कालीन मैसूर के प्रभारी राज्यपाल को शक्तियां प्रत्यायोजित करने की दृष्टि से लागू किया था जब वहां पर कोई लोकप्रिय सरकार नहीं थी। 1972 के तुरन्त बाद इस अधिनियम का निरसन किया जाना चाहिए था। जब लोकप्रिय सरकार वहां पर है तो यह अधिनियम अप्रभावी हो जाता है। इसी कारण, इस अधिनियम को निरसित करने के लिए यह विधेयक संसद के समक्ष लाया गया है। हमें इसके निरसन पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ने इस विधेयक को वहां की लोकप्रिय सरकार के हित में लाया है। जब किसी राज्य में कोई लोकप्रिय सरकार कार्य कर रही हो और वहां राष्ट्रपति शासन नहीं है, तो ऐसे अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इन परिस्थितियों में इस निरसन की आवश्यकता है और विधेयक को पारित करने पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो यह विधेयक लाए हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि जैन कमेटी ने 1998 में जो रिकमंडेशन की थी रद्दी कानूनों को हटाने की, उसी के तहत यह रिपील का विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है। जैन कमेटी ने 1324 कानूनों के बारे में कहा था कि इन प्रभावहीन

कानूनों को एक ही बार में समाप्त कर दिया जाए। 1971 में मैसूर राज्य था, फिर कर्नाटक राज्य बना और वहां राष्ट्रपति शासन हो गया। 1998 में जैन आयोग की रिपोर्ट आई, तो पिछले चार वर्षों में मंत्री जी क्यों नहीं इसको लेकर आए, इस बारे में स्पष्ट करें? मंत्री जी यह भी बतायें कि 1324 में से कितने कानून बचे हुए हैं और उनको भी खारिज करने के लिए आप सदन में रिपील बिल कब लेकर आएंगे?

कर्नाटक राज्य के पूर्व मंत्री नागप्पा जी को, जो जनता दल के नेता हैं, रिहा कराने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर मंत्री जी अपने जवाब में स्पष्टीकरण दें? मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन वीरप्पन जो इनके बस के बाहर है, उसने नागप्पा जी का अपहरण किया हुआ है, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और विधि व्यवस्था ठीक से लागू हो, इस पर विचार करना चाहिए। यह दो राज्यों का विवाद है, भारत सरकार को इसमें कार्यवाही करनी चाहिए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): ये आंध्र प्रदेश के हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: लेकिन मंत्री तो भारत सरकार के हैं। इसीलिए हम इनसे पूछ रहे हैं कि नागप्पा की रिहाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। अब सुना गया है कि वीरप्पन के पास दूत भेज रहे हैं, लेकिन इस सरकार को इस बारे में मालूम नहीं है। इसलिए सरकार को नागप्पा की रिहाई के लिए पहल करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक श्री नागप्पा के मुद्दे का संबंध है, राज्य सरकारें इसकी जांच कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नागप्पा, वीरप्पन से संबंधित मामले इस मामले से जुड़े हुए नहीं हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, जैन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न विभागों से संबंधित अनेक कानून व्यर्थ हो गए हैं। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह विधेयक आज आया है और मैं इसे पारित करने के लिए सम्मानित सभा से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जो रेलेवेंट है, उतना ही जवाब दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभी व्यर्थ कानूनों को एक साथ रखा जाना चाहिए और फिर एक बारे में ही उनका निरसन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जैन कमीशन ने कहा था कि 1998 में 1324 कानून हैं। कितने कानून को आपने अभी तक रिपील किया है और कितने कानून बचे हुए हैं, यह बताएं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: 1300 ऐसे कानून हैं। कितने आए और कितने गए। यह सब इंफार्मेशन अभी इनके पास कहां होगी? आपके पास पहुंचा देंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सब बिना हिसाब-किताब के चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप यह सूचना ले सकते हैं और उन्हें सूचित कर सकते हैं।

प्रश्न यह है:

"कि मैसूर स्टेट लेजिसलेचर (डेलिगेशन आफ पॉवर्स) अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.33 बजे

(दो) सूचना स्वातंत्र्य विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 13 को शुरू करेगी। पिछली बार श्री पवन कुमार बंसल बोल रहे थे और उन्हें आज अपना भाषण जारी रखना था। चूंकि वह यहां नहीं हैं इसलिए मैं श्री रमेश चेन्नितला को बोलने का अवसर देता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जगजाहिर है कि खुलापन, अभिगम्यता और सरकार के कार्यकरण के बारे में लोगों को सूचना देना हमारे प्रजातंत्र के आवश्यक घटक हैं। हम मुक्त समाज में रह रहे हैं। मुक्त समाज में इस तरह का विधान एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। मुक्त समाज में हम गोपनीयता का पर्दा उत्तरोत्तर ढंग से उठाते हैं और सरकार के कार्यकरण में लोगों की भागीदारी की आजकल बहुत जरूरत है। लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले बड़े क्षेत्रों में अर्थपूर्ण भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है। सूचना और ज्ञान तक पहुंच के माध्यम से ही जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। आजकल हम एक परिपक्व लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं। परिपक्व लोकतांत्रिक समाज में सूचना और जानकारी उपलब्ध कराना प्रत्येक सरकारी संस्था का दायित्व है और लोगों को यह मिलनी चाहिए।

ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे नागरिकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और तो और लोगों को इस प्रकार की सूचना देकर हम भ्रष्ट आचरण पर नियंत्रण लगा सकते हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। हमें आज न केवल सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के अनेक मामले सुनने को मिलते हैं बल्कि देखने को भी मिलते हैं। सरकार में उत्तरदायी लोगों पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में यदि लोगों को सूचना मिल जाये तो इनमें कमी हो सकती है।

महोदय, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुपालन के संबंध में है जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य और वाक् स्वातंत्र्य आदि की गारंटी देता है और यह विधेयक मानवाधिकारों की 19वीं सार्वभौम घोषणा के अनुपालन के संबंध में भी है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों ने इस विधेयक को पारित करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की है।

महोदय, आज की दुनिया में प्रभावकारी और उत्तरदायी सरकारें आवश्यक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव जाति प्रगति कर रही है और मुक्त समाज की अवधारणा की बात भी आज की दुनिया में चल रही है। सरकारों को और अधिक पारदर्शी होना होगा। सरकारों को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह होना होगा। ऐसा विधेयक, जिसमें खुलापन और पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है, से समाज को और सारी मानवजाति को शक्ति मिलेगी। इसलिए यदि हम सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित कर सकें और वह सूचना सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए तो फिर वर्तमान स्थिति में और अधिक उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित हो सकेगी।

महोदय, विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में सूचना के अधिकार के संबंध में सहमति है। अमेरिका ने इस संबंध में वर्ष 1966 में एक विधेयक पारित किया था। जापान, आयरलैंड, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में पारदर्शिता की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा ही विधान बनाया है। आस्ट्रेलिया में सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 1982 अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और कर विभागों द्वारा रखी जाने वाली निजी फाइलें देखने का अधिकार देता है। दक्षिण अफ्रीकी देश भी इस राह पर चल रहे हैं। हमारे देश में तमिलनाडु और गोवा राज्यों ने ऐसा ही विधान बनाया है। राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य भी ऐसे कानून बनाने की प्रक्रिया में हैं।

महोदय, सूचना के अधिकार की न्यायिक मान्यता भी रही है। विद्वान न्यायाधीशों ने समय-समय पर अपने निर्णय में इस बारे में उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि राज्य का विशेषाधिकार के अनुच्छेद 19(i)(क) के अधिदेश के विरुद्ध बचाव नहीं हो सकता। ऐसा श्री जे. मैथ्यू द्वारा कहा गया था और मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> "हमारी जैसी उत्तरदायी सरकार में सभी जनप्रतिनिधि कुछ गोपनीय अपवादों को छोड़कर अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस देश की जनता को उस प्रत्येक लोक कृत्य को जानने का अधिकार है जो उनके लोक कृत्यकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जाता है। उन्हें प्रत्येक लोक संव्यवहार के विवरणों को जानने का अधिकार है। यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा कोई परम अवधारणा नहीं है

तथापि यह एक ऐसा कारक अवश्य है जिससे ऐसे संव्यवहारों में गोपनीयता का दावा करने पर लोगों को सतर्क रहना चाहिए जिनकी सार्वजनिक जांच करने से किसी भी स्थिति में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्य प्रख्यात निर्णयों में उदाहरणार्थ, एस.पी. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, दि इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम मनुभाई डी. शाह के मामले में सूचना के अधिकार के महत्व के बारे में स्पष्टतया बताया गया है और इस पर जोर दिया गया है।

इन महत्वपूर्ण निर्णयों में हमारे देश के नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया था। इस विधेयक में विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझाव शामिल हैं। गृह मंत्रालय की विभागीय स्थायी समिति ने इसकी बहुत सावधानीपूर्वक जांच की है और कुछ सुझाव दिए हैं। सरकार को इन बहुत महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार करना चाहिए।

सर्वप्रथम, इस विधान को सूचना स्वातंत्र्य विधेयक के बजाए सूचना का अधिकार कहना उपयुक्त होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इसे सूचना का अधिकार विधेयक करने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है। अधिनियम की प्रयोजननीयता देश के नागरिकों तक ही सीमित हैं। इसक प्रयोजनीयता गैर-नागरिकों तक क्यों नहीं है? इससे यह अधिनियम अधिक मुक्त और अधिक पारदर्शी ही होगा। सूचना तक देश के नागरिकों की एक बार पहुंच हो जाती है तो नागरिकों और गैर-नागरिकों के बीच अन्तर करने में कोई बात नहीं है। सरकार को इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए।

इस विधेयक में सार्वजनिक सूचना अधिकारी के प्राधिकार के प्रत्यायोजन का उपबंध होना चाहिए। विधेयक के उपबंधों के अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकार के प्रमुख में निहित होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि सरकार को इस पर कोई आपत्ति होगी।

इस विधेयक में स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानवाधिकारों से संबंधित सूचना का अनिवार्यत: उपबंध होना चाहिए। जनता इन सब बातों से अवगत है। लोगों की इन बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना जनतांत्रिक रूप से चुनी गई प्रत्येक सरकार का अहम कर्त्तव्य है। अत: इसे भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

इस विधेयक में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जहां मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के बारे में है तो यह सूचना 24 से 48 घंटे के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की सूचना दी गई है। कठोर उपाय अपनाकर ही ऐसे उल्लंघनों को रोका जा सकता है। इस प्रसंग में व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के बारे में सूचना को अधिक महत्व मिलता है। लोगों को हिरासत में रखे जाने और 24 घंटे पूरे हो जाने के बाद भी उन्हें न्यायालय अथवा उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न किए जाने के उदाहरण हैं। यह एक वास्तविकता है। लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। इसलिए मानवाधिकारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा लागू करने हेतु इस सुझाव को शामिल किया जाए।

विधेयक में यह स्पष्टतया यह उपबंध होना चाहिए कि जिस सूचना को संसद सदस्यों और विधायकों को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता न ही सूचना जनता को देने से भी इन्कार नहीं किया जाना चाहिए। जिस सूचना को संसद सदस्य और विधायक पाने के हकदार हैं वह सूचना जनता को भी दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से विधायकों और संसद सदस्यों के विशेषाधिकार होते हैं और उनके कुछ अधिकार होते हैं। साथ ही, जब आप सूचना तक पहुंच के अधिक अवसर प्रदान कर रहे हैं तो जनता को भी उस सूचना को जानने का अधिकार होना चाहिए जो उनके संसद सदस्यों और विधायकों को भी प्रदान की गई है। खंड 8(2) में सूचना जारी करने के लिए 25 वर्षों की अवधि का प्रावधान है। यह अवधि बहुत लम्बी है। मैं समझता हूं कि इसे घटाकर 15 वर्ष किया जाना चाहिए। दोषपूर्ण और भ्रामक सूचना देने की स्थिति में दंड का प्रावधान होना चाहिए।

ऐसे निवारात्मक उपाय बहुत जरूरी हैं क्योंकि लोगों को गुमराह करने की प्रवृत्ति हमेशा विद्यमान होती है। मैं समझता हूं कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए वैसे व्यक्तियों को कड़े दंड दिए जाने चाहिए जो गुमराह करने या दोषपूर्ण सूचना देने की कोशिश करते हैं।

स्वतंत्र रूप से अपील करने के तंत्र का भी प्रावधान होना चाहिए।

इसी प्रकार इस अधिनियम को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने हेतु स्थानीय निकायों को सक्षम प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार वर्तमान पंचायती राज प्रणाली बहुत ही प्रभावी तरीके से काम कर रही है। स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। ये अपने आप में पर्याप्त हैं। इसलिए इस तरह के अधिनियम को और अधिक सक्षम और प्रभावी तरीके से पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जा सकता है। इसलिए, मैं पुन: कहता हूं कि इस अधिनियम

[श्री रमेश चेन्नितला]

के कारगर क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकरण के रूप में स्थानीय निकायों को मान्यता दी जाए।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। यह विधेयक समय की मांग है। यह बहुत ही प्रगतिशील विधान है। इससे निश्चय ही भ्रष्टाचार में कमी आएगी क्योंकि यह तेजी से पनप रही है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। मैं समझता हूं कि इस अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन के लिए सरकार को चाहिए कि वह इसका जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करे। हमारे जागरूकता अभियान को सुदृढ़ किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को यह पता चले कि ''यह एक ऐसा अधिनियम है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सूचना और ज्ञान की जानकारी मिल सकती है।''

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, इस विधेयक के प्रभारी मंत्री कौन हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वहां बैठे हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह: वहां कोई नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, संबद्ध मंत्री उपस्थित नहीं हैं। उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. सत्यनारायण जटिया हैं और वे ही इन सभी चीजों को नोट कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। संबद्ध मंत्री की यहां उपस्थित होना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती वसुन्धरा राजे ने मुझसे अनुमति ले ली थी। मैंने उन्हें अनुमति दे दी थी।

जो भी विषय उठाए जा रहे हैं उन सभी को डा. जटिया को नोट कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं समझता हूं कि वे इसे कविता के रूप में रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एनडीए सरकार को यह बिल लाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने अपने नेशनल एजेंडा में वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ट्रांसपेरेंसी एण्ड डिसिजन मेकिंग प्रोसैस के अन्दर तेजी लाने के लिए ऐसा बिल लाएंगे, जिसके अन्दर जनता को सरकार के बारे में महत्वपूर्ण फैसले जानने की पूरी स्वतंत्रता होगी। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि देश ने जो संविधान अपनाया, उसकी धारा 19 क्लॉज (1) में जो फंडामैंटल राइट्स हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एण्ड एक्सप्रैशन में कहा गया है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने का पूरा हक होगा। इसके साथ-साथ धारा 19 क्लॉज (2) में इस बात का प्रावधान किया गया था कि कोई भी सूचना जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक हो सकती है, उस पर अंकुश जारी रहेगा। धीरे-धीरे और जैसे-जैसे सूचना टैक्नालोजी का जमाना आगे बढ़ा और दुनिया गेंद की तरह छोटी सी बनी, दुनिया के बहुत से देशों ने एक के बाद एक अपने देशों में इस प्रकार के फ्रीडम ऑफ इनफर्मेशन से संबंधित बिल को पास किया। अमेरिका में इस प्रकार का प्रयत्न 1966 में हुआ। उसके बाद एक और बिल अमेरिका के अन्दर 1974 में फ्रीडम ऑफ इनफर्मेशन के बारे में लाया गया।

यद्यपि इंग्लैंड के अंदर इस प्रकार के बिल का स्टैचुटरी प्रोवीजन नहीं है, वहां पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी की कन्वैंशन अपने आप में है और उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट अपनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने नेशनल सिक्यूरिटी और कांफिडेंशिएलिटी के मैटर्स को छोड़कर अन्य बातों को जनता के बीच में रखने की बात कही गई है। इस क्षेत्र में दुनिया में स्वीडन ने 1776 में सब से पहले कदम उठाया और वहां की जनता को राइट ऑफ इनफोर्मेशन का हक दिया। इसी प्रकार फ्रांस ने 1978 व 1979 में, आस्ट्रेलिया व कनाडा ने 1980 व 1982 में और न्यूजीलैंड में 1982 में इस प्रकार के बिल लाये गये जिनसे वहां की जनता को राइट ऑफ इनफौर्मेशन का हक मिला। भारतवर्ष में पहली बार ज्युडिशियरी के क्षेत्र में इस प्रकार की जरूरत महसूस की गई। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण के मामले में पहली बार ऐसा फैसला आया जिसके अंतर्गत जस्टिस मैथ्यूस ने कहा:

[अनुवाद]

''हमारी जैसी उत्तरदायी सरकार में सभी जनप्रतिनिधि कुछ गोपनीय अपवादों को छोड़कर अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस देश की जनता को उस प्रत्येक लोक कृत्य को

जानने का अधिकार है जो उनके लोककृत्यकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जाता है। उन्हें प्रत्येक लोक संव्यवहार के विवरणों को जानने का अधिकार है। यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा कोई परम अवधारणा नहीं है तथापि यह एक ऐसा कारक अवश्य है जिससे ऐसे संव्यवहारों में गोपनीयता का दावा करने पर लोगों को सतर्क रहना चाहिए जिनकी सार्वजनिक जांच करने से किसी भी स्थिति में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।''

[हिन्दी]

इसलिए 'इंडियन एक्सप्रेस' के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया जिसके अंतर्गत कहा गया:

[अनुवाद]

''वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी प्रेस के फायदे के लिए उतनी नहीं है जितनी की यह आम लोगों के फायदे के लिए है। लोगों को यह अधिकार हैं कि वे किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में घटने वाली घटनाओं से अवगत हों और प्रेस इस घटना से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।''

[हिन्दी]

इस प्रकार एक के बाद एक ऐसा फैसले सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टस के आये जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि भारत के अंदर जनता को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसे बिलों की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल पर चर्चा हो चुकी है और उसकी कुछ सिफारिशें इस बारे में आई हैं। हम समझते हैं कि जो सूचनायें देश का एम.पी. या एम.एल.ए. प्राप्त कर सकता है और जो सूचनायें लोक सभा या राज्य विधान सभा के पटल पर रखी जा सकती हैं, उन सूचनाओं को प्राप्त करने का हक इस देश की जनता को होना चाहिए। आज देश का प्रत्येक नागरिक प्रजातंत्र में विश्वास रखता हुआ हर पांच साल में जब अपने मत का प्रयोग करता है, उस समय प्रत्येक राजनैतिक दल उससे इस बात का वायदा करता है कि अगर उन्हें चुनकर भेजा जाता है तो वे सार्वजनिक जीवन में अपनी पालिसीज को देश की जनता के हित में, उन सबके सामने रखेगा और देश की जनता को पारदर्शी और स्वस्थ सरकार प्रदान करेगा।

आज उसी पर चलते हुए इस प्रकार का बिल लाया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रावधान किये गये हैं कि अगर किसी आम नागरिक को कोई भी कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटी इंफार्मेशन देने से इनकार करती है तो उस नागरिक को पूरा हक होगा कि वह उस मामले को लेकर कोर्ट में जा सकता है। इतना ही नहीं उसे उस फैसले के विरुद्ध अपील करने का भी हक होगा। यदि उस अपील पर भी कार्यवाही नहीं होती है तो उसकी जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उसके अंतर्गत दूसरी अपील में भी जाने का उसे पूरा हक होगा। आज इसके बारे में कुछ आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि क्या एक मिनिस्टर तथा भारत सरकार के सैक्रेटरी के मध्य जो आदान-प्रदान होता है, विचार-विमर्श होता है, क्या उस फाइल की सीक्रेसी को जनता के बीच में जाहिर किया जा सकता है। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है, आज इंफॉर्मेशन टैक्नोलोजी का जमाना है। आज हम अपने कंप्यूटर पर वैबसाइट के माध्यम से सारी दुनिया के बारे में जानकारी रखते हैं। वहीं इस प्रकार की जानकारियों में जो जानकारियां देश की सॉवरेनिटी के मामले से संबंधित न हों या जो देश के डिफैन्स सिस्टम से संबंधित न हो और जिन बातों को भारत सरकार समझती है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के टॉप सीक्रेट्स हैं, ऐसी तमाम बातों को छोड़कर जो रोजाना सामान्य जीवन से संबधित है, जिनसे आम नागरिक का जीवन प्रभावित होता है, उन सब बातों का जनता तक पहुंचना एक आम बात हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि इस बिल के पास होने से देश के अंदर इंफॉर्मेशन टैक्नोलोजी के क्षेत्र में जो क्रांति आ रही है, उसके साथ एक और क्रांति आयेगी और जनता को यह जानने का पूरा हक प्राप्त होगा कि देश की विभिन्न कांस्टीट्यूशनल एजेन्सीज जनता के हित में किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। एक बार फिर से मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के उद्देश्यों को लेकर जिन बातों की परिकल्पना की गई हैं उन पर किसी को कोई शिकायत नहीं है न ही इन पर किसी ने सवाल उठाया है, किन्तु इस विधेयक का गहराई से अध्ययन करने से यह पता लगेगा कि यह जनता को अधिकार देने से कहीं अधिक जनता को बहलाने के लिए है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार को हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित बताया गया है। इसलिए, सूचना प्राप्त करना इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। किन्तु, इसके लिए कोई तंत्र नहीं है। इस मार्ग में जो अड़चनें हैं और अभी भी जो रुकावटें हैं वे ये हैं कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम और कुछ अन्य अधिनियमों के कुछ ऐसे प्रावधान जो सुरक्षा, रक्षा शासकीय गोपनीयता, आदि के नाम पर नागरिकों को सूचना प्राप्त

[श्री सोमनाथ चटर्जी]
करने से वंचित करने या यूं कहें कि प्राधिकरण को सूचना न प्रदान करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, वर्ष 1982 में मैथ्यू समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। उनमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन करने की बात कही गई थी। भारतीय प्रेस परिषद् (द प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया) ने एक प्रारूप विधेयक तैयार किया था, किन्तु उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई। दिसम्बर, 1989 में संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में आई। जनवरी, 1990 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था:

"जनता का नियंत्रण बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को सूचना तक जनता की पहुंच बढ़ानी होगी। यदि सरकार का कामकाज पूरी तरह जनता की नजरों के सामने होगा, तो गलत काम बहुत हद तक कम होंगे। शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और हम सरकार के काम-काज को और अधिक पारदर्शी बनाएंगे। गोपनीयता तभी बरती जाएगी जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और विदेशी संबंधों के मामले में आवश्यक हो। लोकतंत्र के लिए सूचना उन्मुक्त प्रवाह अपेक्षित है। सूचना के अधिकार को हमारे संविधान में शामिल किया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता दो जाएगी।"

महोदय, संयुक्त मोर्चा की सरकार ने भी श्री एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसमें कई अनुभवी और वरिष्ठ नौकरशाह शामिल किए गए थे। इस समिति ने अंततोगत्वा एक प्रारूप तैयार किया। वर्तमान विधेयक को श्री शौरी के उसी प्रारूप के आधार पर तैयार किया गया है।

महोदय, यदि आप इनके कुछ उपबंधों पर सरसरी निगाह डालने के लिए कुछ समय निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि विधेयक के खंड 3 में इस प्रकार कहा गया है:

"इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता होगी।"

इस विधेयक में सूचना स्वातंत्र्य को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है:

"(ग) 'सूचना स्वातंत्र्य' से निम्नलिखित के माध्यम द्वारा किसी लोक प्राधिकारी से सूचना अभिप्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है-

(एक) निरीक्षण, उद्धरण और टिप्पण लेना;

(दो) ऐसे लोक प्राधिकारी के किन्हीं अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करना;

(तीन) जहां ऐसी जानकारी का भंडारण किसी कंप्यूटर में या किसी अन्य युक्ति में किया जाता है वहां डिस्केटों, फ्लापियों, इलेक्ट्रानिक साधनों या प्रिन्ट-आउट के माध्यम से अभिप्राप्त करना;

महोदय 'सूचना' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"(घ) 'सूचना' से किसी लोक प्राधिकारी के प्रशासन, कार्यों या विनिश्चयों के संबंध में किसी रूप में, कोई सामग्री अभिप्रेत है;

अब, 'लोक प्राधिकारी' कौन है? विधेयक में बताया गया है:

"(च) 'लोक प्राधिकारी' से-

(एक) संविधान द्वारा या उसके अधीन

(दो) समुचित सरकार द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या सारभूत रूप से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित कोई अन्य निकाय है;"

अब, खंड 4 में लोक प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है:

"(क) अपने सभी अभिलेख ऐसी रीति और प्रारूप में रखेगा जो सम्यक् रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध कार्यात्मक अपेक्षाओं के संगत हो;

(ख) ऐसे अन्तरालों पर जो समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए,....."

इसमें किसी व्यक्ति की जरूरत की सभी सूचना की बात कही गई है। यह सभी संबद्ध तथ्यों को प्रकाशित करेगा और अपने उस निर्णय के कारणों को बताएगा जिसका अर्थ है 'स्पीकिंग ऑर्डर्स'।

खंड 4(ङ) में कहा गया है:

"किसी परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व जनता को साधारणतः या प्रभावित व्यक्तियों को या जिनका उक्त परियोजना से विशिष्टतः प्रभावित होना संभाव्य है उसे उपलब्ध तथ्यों को प्रकाशित या संसूचित करेगा।"

महोदय, यदि लोक प्राधिकारी खंड 4 के अधीन कर्त्तव्यों का निर्वहन करे तो किसी भी व्यक्ति को सूचना की जरूरत नहीं होगी क्योंकि प्रारंभिक रूप में सूचना प्रदान करना ही उनका कर्त्तव्य होता है। किन्तु, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस विधेयक में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन न करने पर लोक प्राधिकारी के लिए किसी प्रकार का कोई दंड जैसी चीज का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इस मामले में बिलकुल ही कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि इसमें जो कुछ भी कहा गया है उसका मैं स्वागत कर रहा हूं। फिर भी मैं इस विधेयक में रह गई कमी को बताने जा रहा हूं। संभव है, कि लोगों अब सूचना की जानकारी के लिए कुछ साहस जुटा पाएंगे। किन्तु, इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, इसमें सुधार की गुंजाइश है। विधित: या वस्तुत: इसमें क्या है? वह मैं नहीं जानता हूं, किन्तु इस विधेयक के मामले में माननीय मंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अब इस कानून के अंतर्गत क्या हो सकता है? सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने का प्रावधान किया गया है। यदि अनुरोध पर विचार नहीं किया गया, तो अपील की जा सकती है। आप किसे अपील करेंगे? इसमें कहा गया है:

> "लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय द्वारा व्यक्ति कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय के प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो विहित किया जाए।"

यह कोई नौकरशाह अर्थात् सचिव या अतिरिक्त सचिव हो सकता है यदि न्यायपालिका से संबंधित कोई प्राधिकरण हो, तो जैसाकि आप जानते हैं कि वहां काफी समय लगेगा। फिर एक दूसरी अपील केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामलों हो, के यहां की जा सकती है। इसलिए, यदि लोक प्राधिकारी अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहता है, तो सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचनाधिकारी के पास पहुंचा जा सकता है।

प्रत्येक राज्य में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। यदि वह सूचना नहीं देता है तो एक अपील और की जायेगी। यह "आसमान से गिरा खजूर पर अटका" वाली कहावत चरितार्थ होने के समान है। यह सब खामियां हैं। संभवत: यह सरकार और अधिक परिवर्तनवादी नहीं हो सकती। परिवर्तन उनके लिए एक बहिष्कृत वस्तु है। इसलिए वे केवल इस प्रकार का गतिरोध पैदा करने वाला तथा जनता को भ्रम में डालने वाला विधान ही ला सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कम से कम इतना तो हुआ।

बहुत सारी छूटें दी गयी हैं। जानकारी की लम्बी सूची है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। उसमें कहा गया है:

> "ऐसी सूचना जिसके प्रकट किये जाने से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, भारत के नीति संबंधी हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हों।" ये सभी आम बातें हैं। आप खंड 8 का अध्ययन कीजिए। इसमें जितनी सूचना देने की बात कही गई है यह उससे भी नहीं अधिक सूचना प्रकट करने की छूट देता है। मैं आशा करता हूं कि सरकारी संगठन इनके खुलासे की मांग और जोर से करेंगे। मान लिया जाए कि मंत्रिमण्डल राष्ट्रीय हित के कारणों से अलग चुपचाप किसी कम्पनी के विनिवेश का निर्णय लेता है तो किसी को मंत्रिमंडल से जानकारी लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस कानून के अंतर्गत विनिवेश प्रस्ताव से संबंधित जानकारी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें पता चल चुका है कि सेण्टूल होटल का मामला कैसे हैंडल किया गया है। इस बात को कोई नहीं जानता कि मेज के ऊपर का सौदा क्या था और मेज के नीचे का क्या सौदा था।

कार्यवाही-वृत्तांत, सलाह के रिकार्ड, कानूनी सलाह अथवा मत का खुलासा भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? यह एक अजीब बात है। इस देश में हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है जिसमें महान्यायवादी ने दूरसंचार राजस्व बंटवारे के मामले में अपने मत में परिवर्तन किया था। इसमें कैसे परिवर्तन किया गया था? इसमें क्यों परिवर्तन किया गया? इस अधिनियम में क्या कारण बताए गए हैं? आज तक इस बारे में किसी को पता नहीं चला है। हमने इसका ऐतराज किया था। लेकिन इस छूटवाले खंड के अंतर्गत इस जानकारी का कोई भी हकदार नहीं है।

इसमें कहा गया है:

> "विधि द्वारा संक्षिप्त व्यापार या वाणिज्यिक गोपनीय बातें या ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से विधिपूर्ण, आर्थिक और वाणिज्यिक हितों या किसी लोक प्राधिकारी की प्रतियोगी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।"

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों की ऐसी कौन-कौन सी व्यापारिक और वाणिज्यिक गुप्त बातें हैं जिनका रहस्योद्घाटन इस देश के आम आदमी के समक्ष नहीं किया जा सकता? ये सभी बेकार की बातें हैं जिनके सहारे लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है।

जैसा कि मैंने कहा, मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ गया तो वह बढ़ गया। यह

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

शुरुआत है। इसका उद्देश्य जनता को सूचना देने की अपेक्षा इसे जनता के दिलोदिमाग में बैठाने का है। केन्द्र-राज्य संबंध प्रभावित हो रहे हैं और इस तरह की बातें केवल दलीलें हैं। इसीलिए, पारदर्शिता पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

पारदर्शिता की बात मत कीजिए। छूट खंड 8 को लागू करने के बाद पांच अथवा छः दौरों के पश्चात उन लोगों के लिए क्या जानना शेष रह जाएगा जिसको वे नहीं जाने सकते? संभवतः, किसी को घूस देकर वे इसे प्राप्त कर सकते हैं।

इसके पश्चात् तृतीय पक्ष की जानकारी का प्रश्न आता है। इसमें नोटिस देना होगा। यह माननीय मंत्री जी का प्रस्तावित संशोधन है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री की हैसियत से इसे उस संशोधन की प्रतिलिपि दी जा चुकी है, विधिसम्मत मंत्री उपलब्ध नहीं है। यह कहा गया है कि 25 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात् उसके पास 30 अथवा 60 दिन होंगे और फिर उन्हें 25 अथवा 30 दिन और मिल जायेंगे। इसी तरह, चार अथवा पांच अथवा छः महीने में सिर्फ यह पता लगा है कि सूचना उपलब्ध है अथवा नहीं। इसके पश्चात् अपील अथवा द्वितीय अपील का स्थान आता है। मैं यह प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता कि हम जानकारी के खुलासे के विरोधी हैं।

मैं दो अथवा तीन बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक कहना चाहता हूं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सार तत्व को एक चीज जो खाये जा रही है वह है-भ्रष्टाचार। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। क्या ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिससे भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आ जायें? इन सभी को छूट खंड 8 में कवर किया जा सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति दो बातें कहता है। यहां तक कि भा.ज.पा. का घोषणापत्र भी यह कहता है। मैं नहीं जानता कि इसे कोई पढ़ता है अथवा नहीं अर्थात् भ्रष्टाचार को रोकने अथवा कम करने के लिए और पारदर्शिता के लिए, जानकारी का अधिकार आवश्यक है। इसके अंतर्गत आप भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे? ऐसी एक भी बात नहीं है जो इस छूट खंड के जरिये कवर न की जाती हो और जन सूचना अधिकारी कौन है? उसका स्तर और उसकी योग्यता क्या होगी? किस सेवा से उसका चयन किया जायेगा? ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह निर्णायक प्राधिकारी होगा। अपीलीय प्राधिकारी कौन होगा? हमारे समक्ष आने वाले कुछ महत्वपूर्ण कानूनों में और हमारी समितियों में भी यही देखने को मिल रहा है कि इस विधेयक के कई महत्वपूर्ण उपबंध किये गये हैं लेकिन उनका निर्णय नियम बनाकर किया जायेगा और वे नियम विधेयक के साथ कभी भी उपलब्ध नहीं कराये गये। इसीलिए, हम यह अधिकार सरकार को देते हैं। तत्पश्चात् नियम बनेंगे। एक दिन माननीय मंत्री जी खड़े होकर यह कहेंगे कि वह सभा पटल पर नियम रखते हैं अथवा पत्र। उन्हें कौन पढ़ता है और वे कब उपलब्ध होंगे? यह कार्य कभी नहीं किया जाता जबकि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने यह निर्धारित किया था अथवा सिफारिश की थी कि विधेयक के साथ-साथ मसौदा नियम भी परिचालित किये जाने चाहिए। आप अध्यक्ष हैं लेकिन आप इसे लागू नहीं कर सकते। आप जानते हैं यह क्या है। कोई अधिकार नहीं दिया गया है केवल बातचीत करना और उनकी सहायता करना, दिया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): किसी विधान में, हमने सरकार को यह नियम लागू करने का निदेश दिया था ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: लेकिन वह यह नहीं कर रहे हैं। अगर तुममें हिम्मत है और अगर तुम्हें चैन्नई से स्वीकृति मिलती है तो अब आप उन्हें पकड़े रखो। ...*(व्यवधान)* यदि एक अथवा दो संगठन बहुत दृढ़ हों तो वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनमें एक तो मीडिया है। यदि वह छूट खंड के अंतर्गत आता हो और मीडिया सतर्क हो तो वह सीधे जानकारी प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः हमारा मीडिया सजग है। कुछ गैर-सरकारी संगठन अच्छा कार्य कर रहे हैं और देश के लोगों को लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के स्वनियुक्त हितकारी हैं। ऐसे संगठन भी मौजूद हैं।

उनके साथ-साथ, किसे सबसे अधिक लाभ मिलेगा? व्यवसाय और वाणिज्य से जुड़े लोगों को सरकार से जानकारी मिल जायेगी क्योंकि जानकारी सरकार के पास उपलब्ध होती है। उन्हें व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्वियों की गतिविधियों की जानकारी मिल जायेगी। मैं नहीं जानता कि नियम इसकी रक्षा कर सकते हैं अथवा नहीं?

इस विधेयक की एक अन्य सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जानकारी का अधिकार लोक अधिकारियों तक ही सीमित है। आज कल लगभग सभी चीजें निजी प्रतिष्ठानों को बेच दी जाती हैं। अब यहां तक कि निजी प्रतिष्ठानों द्वारा हथियार भी बनाए जा रहे है। सभी बड़ी लाभकारी इकाइयों को निजी प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है। आपको उनसे कोई जानकारी नहीं मिल सकती। बाल्को को बेच दिया गया है। यदि नाल्को को बेचा जाता है, तो नाल्को हमसे दूर चली जायेगी। प्रत्येक वस्तु का निजीकरण हो रहा है। इसके साथ ही जानकारी का भी निजीकरण कर दिया जायेगा। यह जन प्राधिकारियों के दायित्व के क्षेत्र से बाहर हो जायेगी। इसीलिए, स्वाभाविक रूप से वे इस देश की परिसम्पत्ति और सम्पत्ति के मालिक बन बैठे हैं। मैं इसका अनिवार्यतः ऐतराज नहीं कर रहा हूं। अब इस बात का ढिंढोरा पीट दिया जायेगा कि जनता जानकारी

प्राप्त कर पायेगी, पारदर्शिता आयेगी और भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कहा है। यह कहा जायेगा कि उन्होंने चुनाव घोषणापत्र में दिए गए एक महान वचन को पूरा किया है। श्री पांडियन जी, क्या आपने इसे पढ़ा है? आप उनका समर्थन कर रहे हैं।

श्री पी.एच. पांडियनः हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जीः क्या आप उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं?

श्री पी.एच. पांडियनः केवल मुद्दों पर ही तो हम उनका समर्थन कर रहे हैं। जब मुद्दे लोगों के पक्ष में होते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। हम मुद्दों का समर्थन करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जीः हाल ही में, उनके सभी मुद्दे आपको स्वीकार्य थे।

इसीलिए, यही खतरा है। यह इस विधेयक की एक अन्य बड़ी कमजोरी है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े संगठन इस विधेयक की पहुंच से बहुत दूर हैं। भारतीय पोत निगम श्री शौरी जी की सूची में है। श्री गोयल जी एक अच्छे मित्र हैं जो पोत उद्योग की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। वह सहमत हों या न हों, वह चाहें अथवा न चाहें, यह उनके नियंत्रण से बाहर चला जायेगा।

श्री पी.एच. पांडियनः नेयवेली लिग्नाइट निगम के मामले में हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जीः इस लक्ष्य के पीछे सिद्धांत अच्छा है। इस विधेयक का लक्ष्य अच्छा है। लेकिन सरकार के इरादे सही नहीं है। इसीलिए, जो भी संशोधन किए गए हैं वे आम जनता को जानकारी न देने में नौकरशाही को और मजबूत करेंगे।

हमने इतने खुले रूप से और इतने उत्साह से इस कदम का समर्थन किया है मानों लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नहीं, दुर्भाग्यवश, इससे उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। लेकिन कुछ प्रगति हुई है। कम-से-कम कुछ नये पद बनेंगे जैसे जन सूचना अधिकारी। किसी को कोई पदोन्नति आदि भी मिल जायेगी। अपीलीय प्राधिकरण भी गठित किये जायेंगे। वे कुछ कुर्सी और मेज खरीद सकते हैं। कार्यालय और लिये जायेंगे ...*(व्यवधान)* मैं नहीं जानता कि वकीलों को अनुमति दी जायेगी अथवा नहीं। इस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री अरुण जेटली आपको इसमें वकील नजर आयेंगे। यह केवल गुजरात चुनावों तक ही है। उसके पश्चात् उन्हें हटा दिया जायेगा। कम-से-कम कुछ शुरुआत तो हुई है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं मैं केवल यह कह रहा हूं कि लोगों को अधिक जागरूक होना होगा और उन्हें इसके लिए लड़ना होगा।

यदि यह एक मौलिक अधिकार है जैसाकि उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कहा है, तो यह एक अर्थपूर्ण अधिकार होना चाहिए जिसका आम आदमी सरलता से और ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सके, इससे ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जिससे कि यह कागजी अधिकार बनकर रह जाये।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदयः इन्हीं टिप्पणियों के साथ, आप इस विधेयक का समर्थन करते हैं। क्या यह बात नहीं है?

श्री पी.एच. पांडियनः श्री सोमनाथ चटर्जी जी, आप भी इसका हमारी तरह समर्थन करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हूं। यह विधेयक काफी लंबे समय से विचाराधीन है। पिछले अनेक वर्षों से इस पर चर्चा की जा रही है।

अपराह्न 3.24 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

जैसाकि मेरे पूर्ववर्ती माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि अभी आधा काम ही हुआ है। लेकिन वाकई यह कदम सही दिशा में है। मैं इसे छोटा कदम कहूंगा जो सही दिशा में है। निश्चित तौर पर देश के सभी सही सोच वाले नागरिक हमारी सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास का समर्थन करेंगे।

इस पर चर्चा हुई हैं। जब हम सूचना स्वातंत्र्य विधेयक, 2000 या 2002 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए संशोधन प्रस्तुत किया गया है-हमें पहले अधिनियमित अधिनियमों पर भी चर्चा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)* श्री साहू सभा से ला जा चुके हैं, मैं उस पेशे से हूं जिसने सदैव प्रतिष्ठान से सूचना मांगी है। श्री साहू नौकरी पेशा में थे। हम मित्र थे इसलिए कुछ सूचना मिल सकी-कई बार प्रत्यक्ष रूप से, कई बार सूत्रों से लेकिन कभी भी नियम विरुद्ध ढंग से नहीं। लेकिन वैयक्तिक संबंधों से ही मीडिया को प्रतिष्ठान से सूचना मिल पाती है। प्रतिष्ठान कई अधिनियमों और नियमों से निर्देशित होता है। यही उनकी बाधा थी।

[श्री भर्तृहरि महताब]

सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम, 1889 में अधिनियमित शासकीय गुप्त बात अधिनियम था। वर्तमान शासकीय गुप्त बात अधिनियम जो आज भी लागू है, 1923 में पारित किया गया था। इसकी विशेष रूप से तीन धारायें हैं। अधिनियम की धारा 3 में राज्य की सुरक्षा और हित के प्रयोजनार्थ जासूसी करने पर दंड का प्रावधान है। इसी धारा के अंतर्गत स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला गया। धारा 3 में शासकीय गुप्त बात अधिनियम के गलत संचार पर पेनाल्टी का प्रावधान है।

मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह इतिहास का मामला है 1942 में आठ अगस्त की शाम को प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखने से पहले बम्बई में गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पहले यह पत्र एक प्रमुख कांग्रेस नेता के हाथ में पड़ गया। उसके पहले कांग्रेस कार्यसमिति की एक और बैठक वर्धा में हुई थी। इस अवधि के बीच में तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा संबंधित विभिन्न राज्यों को लिखे गोपनीय पत्र महात्मा गांधी को मुंबई में सौंपे गये थे।

तभी गांधी जी ने अपना फैसला बदला। यह सब इतिहास की बात है। यही मुख्य कारण था कि हमारे राज्य के दो प्रमुख नेताओं पर धारा 5 लगाई गई थी। पहली श्रीमती मालती चौधरी थी, जो बाद में संविधान सभा की सदस्य बनीं और दूसरे श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी थे जो काफी लंबे समय तक वर्ष 1971 तक विपक्ष में रहे। उन पर शासकीय गुप्त बात अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया।

महोदय, एक और धारा 14 है, जिसमें न्यायालय को यह शक्तियां दी गई हैं, कि यदि उसे लगे कि किसी साक्ष्य के प्रकाशन से राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो वह पूरे साक्ष्य या उसकी किसी अंश को निकाल सकती है।

एक अन्य पहलू केन्द्रीय सिविल सेवायें (आचरण) नियम, 1964 का है। कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में कहा गया है:

"केवल मंत्री, सचिव या मंत्री द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अन्य अधिकारी ही प्रेस प्रतिनिधियों को सूचना दे सकते हैं या उसके समक्ष बयान दे सकते हैं। यदि किसी अन्य अधिकारी को प्रेस प्रतिनिधि संपर्क करते हैं तो उन्हें उसे भारत सरकार के प्रधान सूचना अधिकारी के पास भेज देना चाहिए।"

इसी तरह व्यवस्था काम करती है और हम इस विधेयक के माध्यम से सुधार करना चाहते हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 भी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के अनुसार कोई भी सरकारी अधिकारी सरकारी गोपनीयता बताने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा यदि उसे लगता है, इस गोपनीयता को प्रकट करने से सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंच सकता है। अतः जब अनादि साहू सेवारत थे तो उन्होंने कई बातों को अपनी इच्छानुसार प्रकट नहीं किया था, ऐसा ही प्रतिष्ठान को प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य लोग भी करते हैं। बाद में जैसाकि मेरे पूर्ववर्ती ने अभी उल्लेख किया है। वर्ष 1948 में प्रेस कानून जांच समिति, 1954 में प्रेस आयोग, वर्ष 1971 में विधि आयोग का गठन किया गया, 1977 में विशेष अध्ययन दल और बाद में मैथ्यू आयोग का भी गठन किया गया। बाद में वर्ष 1997 में जैसा कि श्री रमेश चेन्नितला ने चर्चा के दौरान अपने भाषण में उल्लेख किया कि मुख्य मंत्री सम्मेलन में सहमति बनी और तत्पश्चात् श्री एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में कार्यदल ने कार्यपत्र तैयार किया। बाद में मंत्रिदल ने मसौदा विधेयक का अध्ययन किया और अन्ततः अब हमारे सामने यह विधेयक है।

महोदय, सूचना अधिकार के बारे में कानून बनाना मूल विचार है और यह बात मुख्यमंत्री सम्मेलन और गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार की गई है। शासन प्रणालियों आज का रुख यह है कि पिछले 20 से 25 वर्षों से विश्वभर के सभी गतिशील संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी सरकार है।

आज इस सरकार ने एक छोटा सा कदम उठाया है। अभी काफी किया जाना है। परास्नातक कॉलेजों के छात्रों के रूप में हम सबने राजनीति विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा है कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है। आज लोकतंत्र अधिक गतिशील हो गया है। यदि लोगों की सहभागिता बढ़े तो यह और गतिशील बनेगा। पहले जनसहभागिता का आशय लोगों के मतदान अधिकार से था। उसके बाद उनकी तब तक निष्क्रिय भूमिका थी जब तक कार्यदल की समाप्ति के बाद उनसे पुनः मतदान के लिए नहीं कहा जाता। यही प्रणाली व्याप्त थी। लेकिन अब यह बदल गया है। आज की मांग अधिक सहभागिता और विचार-विमर्श की है।

मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा 'नवनिर्माण' का आह्वान किया गया। उस दौरान गुजरात के छात्रों की क्या मांग थी? आज गुजरात की अलग संदर्भ में चर्चा की जा रही है। लेकिन उस अवधि के दौरान क्या बात की गई? उस समय मांग यह थी कि एक बार प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाने पर हमें उन्हें वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। श्री जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें श्री मोरारजी देसाई ने भी भाग लिया। दलगत भावना से ऊपर उठकर कई लोगों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया। उस

अवधि से लेकर आपातकाल तक उसका बिहार में प्रभाव पड़ा। हम जानते हैं कि आपातकाल में क्या हुआ। लेकिन उस अवधि के दौरान पूरी दुनिया में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में परिवर्तन हो रहा था। संयुक्त राज्य अमरीका में एक परिवर्तन हुआ। उनके संविधान में पहला संशोधन दो सौ वर्षों पहले हुआ। उसके द्वारा अभिव्यक्ति और प्रेस का अधिकार दिया गया। यह अमरीका के संदिधान में पहला संशोधन था। लेकिन सूचना का अधिकार संबंधी अधिनियम वर्ष 1966 में अस्तित्व में आई। अधिनियम में वर्ष 1974 में फिर संशोधन हुआ। इलेक्ट्रानिक सूचना अधिकार (संशोधन) अधिनियम काफी बाद नवें दशक में आया। इसी प्रकार इंग्लैंड में एक नियमन है। यह गैर सांविधिक संहिता है। लेकिन स्वीडन में जैसे कि अम्बाला के माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वर्ष 1766 से ही सूचना का अधिकार स्वीकृत है। फ्रांस ने फ्रांस की क्रांति के 200 वर्षों बाद जुलाई 1978 में सूचना का अधिकार अधिनियमित किया। आस्ट्रेलिया में वर्ष 1982 में यह अधिकार दिया गया। कनाडा में सूचना प्राप्त करने संबंधी अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया गया। सरकारी सूचना अधिनियम, इंग्लैंड में वर्ष 1982 में अस्तित्व में आई। ये सभी विकसित लोकतंत्र हैं। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया जैसे विकासशील देशों में भी इस तरह के अधिनियम हैं।

जैसाकि कहा गया है कि भारत में स्थिति यह है कि राजस्थान, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसी तरह के कानून हैं। उन्होंने कुछ नियम बनाये हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान न्यायमूर्ति भगवती द्वारा दिये गये आदेश की ओर दिलाना चाहूंगा। यह एक बहुत बड़े स्तर पर आह्वान था। उन्होंने कहा था: 'सरकार के कामकाज के संबंध में सूचना की जानकारी नियम होना चाहिए और गोपनीयता अपवाद होनी चाहिए।''

मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि आज यह छोटी सी शुरुआत है लेकिन फिर भी भारतीय लोकतंत्र के क्षेत्र में बड़ा कदम है।

साथ ही मैं कहूंगा कि हमें कुछ और जोड़ने तथा सुधार करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधेयक के प्रथम पृष्ठ में कहा गया है कि 'यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू है।

क्या मैं इस बात को विस्तार से कहूं कि यह अधिनियम एक छोटा सा कदम है। हमें और प्रगति करनी है कि 'उस राज्य के अलावा' की रेखा एक निश्चित समय पर समाप्त होनी है। इस वर्ष एक शुरुआत हुई है। वहां सफलतापूर्वक संसदीय चुनाव संपन्न हुए। न केवल हमारे देश, बल्कि विश्वभर में गतिशील चुनाव संपन्न कराने पर हर व्यक्ति ने प्रशंसा की। उसी समय हम चाहेंगे कि बाकी देश में लागू होने वाले कानून उस राज्य में भी लागू हों। इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसा उल्लेख किया गया है एक संशोधन इस संबंध में किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया और सुरक्षा संगठन पर वह लागू नहीं होता और अंतिम है लक्षद्वीप पुलिस की विशेष शाखा।

मैं समझना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? इन्हें क्यों बाहर रखा गया है? पुलिस की बहुत सीमित भूमिका है। विशेष शाखा की विशिष्ट क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार है।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी को तीन मिनट का समय आवंटित था और आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, ऐसा आपके कारण हुआ।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

भर्तृहरि महताब: मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि जैसा कि सरकार का विचार चरणबद्ध तरीके से इन सभी विषयों से निपटने का है, मैं भी सरकार से जानना चाहूंगा कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम साक्ष्य अधिनियम और सिविल अधिकारियों पर लागू होने वाले अधिनियमों पर भी नजर रखी जाये। चूंकि इस विधेयक का उद्देश्य समुचित, ईमानदार, पारदर्शी और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय धन्यवाद। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को विगत में पुरः स्थापित किये जाने के पश्चात स्थायी समिति में गहन अध्ययन के बाद इस विधेयक को इस सभा में पुनः लाया गया है।

सभापति महोदय, अधिकांश वक्ता इस बात से सहमत हैं कि यह एक नई शुरुआत है और यदि नहीं, तो यह कम से कम एक कदम आगे ही है। जब संसद की स्थायी समिति को किसी विशेष विधान पर बुलाया जाता है तो यह किसी दलीय आधार पर कार्य नहीं करती है, बल्कि विधान के प्रत्येक पहलू की सावधानी से संवीक्षा करने के बाद सभा की सामूहिक बुद्धिमत्ता पर कार्य करती है।

मैं विधेयक के संबंधित खंड की बजाय स्थायी समिति की रिपोर्ट ज्यादा पढ़ रहा था और मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि स्थायी समिति के प्रमुख टिप्पणियों में जैसाकि रिपोर्ट में कहा गया है और जैसाकि खंडशः वर्णन किया गया है विशेषकर

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

खंड 8 और 9 में, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे मंत्रालय और सरकार से समर्थन नहीं मिला। इसलिए मुझे आपत्ति है।

सूचना स्वातंत्र्य जैसा कोई विधेयक न सिर्फ एक विधान है बल्कि विधेयक के अलावा यह महत्वपूर्ण रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और सर्वाधिक पारदर्शी तरीके से अपने सभी दायित्वों के निर्वहन में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से जुड़ा है।

सभापति महोदय, मेरे पास सम्पूर्ण रिपोर्ट और इसकी विशिष्ट सिफारिशों का वर्णन करने का समय नहीं है। लेकिन भविष्य में यदि वे इसमें सुधार करना चाहते हैं तो मैं सरकार की समझ तथा सभा के लाभ हेतु कुछ सिफारिशों को उजागर करना चाहूंगा।

मैं प्रथम रिपोर्ट की अंतिम सिफारिश से शुरू करूंगा। सिफारिश सं. (चौबीस) में कहा गया है:

"विधेयक में एक विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए जो दस्तावेजों को तैयार करने के लिए लोक प्राधिकारियों को ड्यूटी सौंपे जिससे लोग इसमें सक्षम हों कि किस प्राधिकारी कार्यालय से जानकारी मिलेगी और यह कहां उपलब्ध होगी।"

यह विधेयक में शामिल नहीं है इसकी कोई भी व्याख्या नहीं है कि इसे कैसे किया जा सकता है।

अब, मैं एक दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश पर आता हूं जो स्थायी समिति सिफारिश संख्या (आठ) है। जिसमें कहा गया है:

"चूंकि विधेयक का आशय सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया को अपनाना है इसलिए प्रक्रियात्मक मुद्दे विस्तृत होने चाहिए और स्पष्ट रूप से वर्जित होने चाहिए।"

इसका भी विधेयक में उल्लेख नहीं है। यदि प्रक्रियात्मक मुद्दे विस्तृत नहीं हैं तो आप यह किसी व्यक्ति से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चाहे वह व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों न हो। यदि उसका आशय किसी प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने का है तो इसे किस प्राधिकारी से प्राप्त करेगा? ऐसा नहीं किया गया है?

सिफारिश सं. (चार) कहती है:

"यह विधेयक सरकारी निकायों और एजेंसियों के अलावा संगठनों/एसोसिएशनों/पार्टियों/न्यासों/मजदूर संघों/सोसाइटियों/प्राइवेट अथवा गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी पर लागू होना चाहिए।"

ऐसी अनेक अन्य सिफारिशें हैं जिनका शायद मंत्रालय, सरकार और मंत्री ने अध्ययन किया है। अवधि संबंधी दो सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। सिफारिश संख्या (चौदह) कहती है:

"धारा 8(2) में सूचना जारी करने के लिए 25 वर्ष की अवधि का प्रावधान है जो निश्चित रूप से लम्बी अवधि है। यह 15 वर्ष की होनी चाहिए।"

मैं समझता हूं कि हर जगह ऐसा ही है। इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

सिफारिश सं. (सत्रह) कहती है:

"इसके अतिरिक्त तीसरे पक्ष के प्रतिनिधित्व के लिए 50 दिन की अवधि काफी अधिक है और यह अनुरोधकर्त्ता के हित में हानिकारक होगा। यह केवल 15 अथवा 30 दिन होनी चाहिए।"

इसे भी नहीं स्वीकार किया गया है। ये कुछ सिफारिशें हैं जिन्हें मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं।

रिपोर्ट के अलावा मैं समझता हूं कि धारा 16(1) पर विचार किया जाना चाहिए। धारा 16(1) और अनुसूची को फिर से लिखा जाना चाहिए जिससे कि बाहर रखे गए संगठनों को सीमित किया जा सके। विधान के अधिकार क्षेत्र से कतिपय संगठनों को पूरी तरह बाहर रखा जाना कानून के उद्देश्य की असफलता है। संबंधित सूचना के उजागर होने से इस संगठन के प्रशासनिक स्कंध को छूट देने का कोई तर्क आधार नहीं है। फिर भी इन सबके बावजूद सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया और हम इसका समर्थन कर रहे हैं।

यहां एक दिलचस्प क्षेत्र है जिस पर शायद ही किसी सदस्य ने मनन किया है। अंततः छूट देने वाले खंड अनुच्छेद 8 और 9 को परिभाषित किया जाए और इसका वर्णन किया जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जिस क्षेत्रों के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है उनको किस तरह से संतुष्टिजनक मान लिया जाए। यदि मैं व्यक्ति विशेष के रूप में सूचना मांगू, न कि रक्षा संबंधी वर्गीकृत फाइलों के बारे में और लेकिन यदि मैंने ऐसी सूचना मांगी जो भारत की सुरक्षा के हितों से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी है तो कम से कम भारत के नागरिकों की जानकारी में होना चाहिए कि वह क्या विशिष्ट बात है। अब मैं देखता हूं कि भारत अपनी जल सीमाओं और नदियों और समुद्री सीमाओं तथा तटरक्षक बलों द्वारा सही ढंग से सीमाओं को व्यवस्थित कर रहा है।

लेकिन भारत के नागरिक के रूप में और कल्याणकारी संगठन के रूप में मैं महसूस करता हूं कि यदि कल या परसों खाड़ी में तैनात अमेरिकियों अथवा चीन द्वारा कराची पत्तन का उपयोग कर हिन्द महासागर में हमला करने की धमकी दें तो इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे देश के पास सभी आधुनिक व्यवस्थाओं, गोला-बारूद और ऐसी सभी चजों से सुसज्जित पर्याप्त विमान बाधक हैं और यदि उस समय यह वर्गीकृत सूचना अथवा गोपनीय समझी जाती है तब भारत के लोगों की जानकारी में क्या यह बहुत अधिक पारदर्शी नहीं होगा। पारदर्शिता जानकारी से भी जुड़ी है। अत: भय की स्थिति पैदा करने के लिए अफवाह, भ्रम और प्रचार किया जा सकता है? लेकिन यदि यह कहकर सूचना दी जाती है कि चिंता नहीं करें भारत के पास नौ विमानवाहक है जबकि चीन के पास 7 या 12 अथवा 14 विमानवाहक हैं और हमारे दो विमानवाहकों की क्षमता चीन अथवा अमेरिका के नाभिकीय पोतों से आने वाली सभी खतरों से मुकाबला करने के लिए सक्षम है तब राष्ट्र बिल्कुल सुरक्षित है। इस विशेष परिस्थिति में यदि इसे गोपनीय समझा जाता है तब यह पारदर्शी नहीं है। यहां कोई परिभाषा नहीं है। यदि एक कार्यक्रम होता कि रक्षा संबंधी जानकारी जो राष्ट्रहित से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी है तो इसे दुश्मनों की जानकारी में लाने के लिए खुलासा नहीं किया जाता है तो मैं इसे समझ सकता हूं। लेकिन आपने मात्र यह उल्लेख किया है कि "यह राष्ट्र की सुरक्षा और सम्प्रभुता के हित में है। राष्ट्र की सम्प्रभुता और सुरक्षा के हित का निर्णय कौन कहेगा? यह पूर्ण सरकार नहीं है, बल्कि यह प्राधिकारी है। राजनीतिक छत्रछाया के अंतर्गत कोई प्राधिकारी एक बार जानकारी दे सकता है तो दूसरी बार जानकारी नहीं दे सकता।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसे अन्यथा न लें। मैं केवल रौब डालने के लिए नहीं कह रहा हूं। कुछ दिनों पहले भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो रक्षा मामलों से जुड़ी है जब लोक लेखा समिति ने सामूहिक और सर्वसम्मत रूप से रक्षा मंत्रालय की कुछ फाइलों की जांच के लिए कतिपय सूचना मांगी तो संसद द्वारा गठित की गई समिति ने इसे देने से इंकार कर दिया। समिति को सर्वसम्मति से इस मामले को अध्यक्ष महोदय की जानकारी में लाना था कि इन बातों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। अब क्या आप संसद की लोक लेखा समिति के इस तरह पहले से खुलासा किए जाने पर विचार करते हैं जो भारत के हित, सुरक्षा, संरक्षा और संप्रभुता के समान है। ये राजनीतिक निर्णय अथवा फैसले हैं। राजनीतिक निर्णय यह है कि किसी विशेष सूचना के खुलासा होने से सरकार के किसी व्यक्ति अथवा एक पार्टी अथवा सभा के एक सदस्य या एक अधिकारी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप इसे खंड 8 और 9 के अंतर्गत वर्गीकृत और सम्मिलित करते हैं जो हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा के हित में है तब इस विधेयक का महत्वपूर्ण उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। अत: मेरी इच्छा है कि दूसरी अनुसूची के कतिपय बातों के ब्यौरे को रखा जाना चाहिए था क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको छूट प्राप्त है। हम यह जानने को इच्छुक नहीं हैं कि भारत सरकार कहां से योजना बना रही थी अथवा देश कहां से पोखरण के प्रथम परीक्षण पर विचार कर रहा था। नहीं, यह गोपनीय हो सकता है। हम देश के हित में यह मांग नहीं करेंगे। लेकिन अन्य जानकारी जो प्रशासन की पारदर्शिता, सरकारी राजकोष, लोगों के राजस्व, करदाताओं के लाभ के लिए तथा व्यक्ति विशेष के हित में, राष्ट्र के हित और सुरक्षा में परिभाषा के अंतर्गत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में सरकार द्वारा और वर्गीकृत वर्णित और व्याख्या किये जाने की आवश्यकता है।

अब, उदाहरण के लिए हम यह कह सकते हैं कि विधेयक का भूतलक्षी प्रभाव है। यदि सभा का कोई सदस्य अथवा देश का निवेशक उचित माध्यम से यूटीआई से जानकारी मांगता है कि यूटीआई घोटाले के पहले कुछ निवेशकों द्वारा कितनी धनराशि का आहरण किया गया, कौन-कौन सी बड़ी कंपनियां है और मेरे निवेश की कुल कितनी धनराशि दांव पर लगेगी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरी अपनी धनराशि निकालने का समय आया है या नहीं।

यदि ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है और इसे देश की अर्थव्यवस्था और संप्रभुता के संपूर्ण हित में समझा जाता है और फिर ऐसी कुछ अप्रिय बातें घटित होती हैं और यह उजागर हो जाती है और यदि हम आरोप लगाते हैं कि एक घोटाला हुआ है तब आप कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में इसे क्या समझा जाएगा? अत: मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि बाद में वे कतिपय अनुसूची जैसे अनुसूची क, अनुसूची ख, अनुसूची ग, अनुसूची घ इत्यादि, जिन्हें सूचना देने से छूट दी जानी चाहिए। वे कह सकती हैं कि इस प्रकार की सूचना को छूट प्रदान की गई है और इसे नहीं प्रदान की जा सकती। अन्यथा जिस प्रकार विधेयक का प्रारूप किया गया है मैं इसे बिना किसी परिभाषा के पढ़ता हूं और यह एक कोरी बात है। आप कहते हैं कि यदि आपकी इच्छा है तो आप जानकारी दे सकते हैं अन्यथा ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती है जिसके पहले से खुलासा होने से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, भारत की रणनीति, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित या अंतर्राष्ट्रीय संबंध संहिता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है।

अब मैं भारत के आर्थिक हितों पर आता हूं। भारत का आर्थिक हित क्या है? खुली अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का आर्थिक हित क्या है। तेल क्षेत्र

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

खुला है, अल्मुनियम क्षेत्र खुला है और ऊर्जा क्षेत्र खुला है। मुझे इस पर शक है। यदि मैं कोई सूचना चाहता हूं जिसके खुलासा होने से एक गम्भीर भ्रष्टाचार अथवा घोटाले का भंडाफोड़ होगा तो आप इसे भारत के आर्थिक हित की परिभाषा के अंतर्गत परिभाषित करेंगे और इसलिए इसे छूट प्राप्त होगी। अत: ये ऐसी बातें है जिन्हें पूरी तरह स्पष्ट किए जाने और व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है। अब यहां इसकी स्पष्टता की कोई आवश्यकता नहीं है।

आपने भारत के आर्थिक हित के बारे में बात कही। आपने कहा ''ऐसी सूचना का खुलासा किये जाने से लोक सुरक्षा एवं व्यवस्था तो प्रभावित होगी ही उसके साथ ही किसी अपराध की जांच भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी अथवा यह किसी को कोई अपराध करने के लिए भड़का भी सकती है अथवा उचित विचारण अथवा किसी लंबित मामले के अधिनिर्णय को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। जी हां, मैं आपसे सहमत हूं। परन्तु आप मुझे एक बात बताएं। यदि न्यायपालिका केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की मांग करती है जैसाकि आजकल आए दिन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में हो रहा है इस विशिष्ट मुद्दे के लिए वे न्यायालय के समक्ष सात दिन के अन्दर दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करते हैं, ऐसी स्थिति में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी राजस्व सचिव के पास आते हैं और यह कहते हैं: ''महोदय, न्यायाधीश द्वारा अब उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ये दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।'' न्यायाधीश सम्मन जारी कर सूचना प्राप्त कर सकता है।

आप कह सकते हैं कि यह न्यायपालिका की मांग है। परन्तु यदि संसद सदस्य, जन संगठन उक्त सूचना की मांग करता है तो आप यह कहते हुए यह इंकार करते हैं कि इस मुकदमे को और लंबित मामले के अधिनिर्णय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। इससे कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं यह नहीं जानता। पूरी बोफोर्स जांच, चाहे वह सही हो अथवा गलत, अब यह आपके समक्ष है। न्यायालय में कही गई बातों से भी ज्यादा बातें चाहे वे असली हों या कपटपूर्ण, समाचार मीडिया द्वारा लीक हुई है और इसकी कोई चुनौती नहीं दी गई है। क्या इसने न्यायालय में मुकदमे को किसी चरण में प्रभावित किया था? इसने नहीं किया था, अतएव, मैं महसूस करता हूं कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विधेयक के मूल पाठ में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है।

मैं मंत्रिपरिषद, सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के विचारों अथवा अभिलेखों सहित कैबिनेट दस्तावेजों के बारे में समझ सकता हूं जिन्हें नहीं दिया जाना चाहिए और उन्हें सूचना के रूप में नहीं मांगा जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं।

अब, मैं व्यापार और व्यावसायिक गोपनीयता की बात करता हूं। व्यापार और व्यावसायिक गोपनीयता क्या है? केन्या चाय का अम्बार लगा रहा है, चीन आपने लघु उद्योग की वस्तुओं की भरमार लगा रहा है जिससे भारतीय उद्योग धंधे बर्बाद हो रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि फलां-फलां मंत्री अथवा फला-फलां सरकार, अथवा फलां-फलां प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान, सरकार उस देश, चाहे वह चीन रहा हो, संयुक्त राज्य अमरीका रहा हो अथवा कोई अन्य देश रहा हो, की राजनीतिक सत्ता को प्रसन्न करने और किसी पण्य के बढ़ते अम्बार का समंजन करने पर सहमत हो गई है ताकि यह भारत के किसानों की बदौलत यूनाइटेड नेशनल में अपना मत हासिल कर सके और यदि उसे व्यापार गोपनीयता अथवा व्यावसायिक गोपनीयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो मेरे विचार से यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में उचित नहीं है। ऐसा क्यों है? यह सही नहीं है।

मैं इससे सहमत हूं। उदाहरणार्थ एक बात लीजिए। मैं पूर्णतया आश्वस्त नहीं हूं और यदि मैं गलत होऊं तो सरकार मुझे सही कर सकती है। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जनाब नवाज शरीफ एवं संयुक्त राज्य अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन ने एक बार यह समझौता करना चाहा कि पाकिस्तान सरकार ओजीएल के अंतर्गत अत्यधिक मूल्य पर भारत में गेहूं एवं चीनी का अम्बार लगाये। और वे उसे लाने के लिए अपने लोगों को भेजते तो फिर वे तथाकथित लाहौर घोषणापत्र से थोड़ा समझते। फिर भारतीय बाजार में उन चीजों की बाढ़ आ गई होती और भारतीय किसान रो रहे होते। बिल क्लिंटन महोदय ने भारत को संयुक्त राज्य अमरीका से अधिक से अधिक बादाम एवं अन्य प्रकार की वस्तुओं को मंगाने के लिए राजी किया और चीजें भी इतनी जिनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, ताकि किसी प्रकार की सहायता की जा सके। यदि सीआईआई, फिक्की और एसोचैम से कोई सज्जन या कोई व्यक्ति विशेष यह पूछता है कि सरकार उसकी सूचना देगी जो कि इन दो सरकारों के बीच व्यावसायिक रूप से प्रकट हुआ है और यह भारत के लिए सहायक है या नहीं, 'मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि यह व्यापारिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से गोपनीय हैं का खण्ड लाना होगा। फिर मैं इसे कैसे सत्यापित कर सकता हूं? महोदय, इन सभी मामलों पर, विधेयक में पारदर्शिता एवं कुछ स्पष्टता होनी चाहिए थी। इस विधेयक में ऐसा नहीं है।

तहलका का मामला लें। मैं बहस नहीं कर रहा कि तहलका सही था या गलत। एक तरफ आप स्वच्छ प्रशासन का लक्ष्य रख रहे हैं तो दूसरी तरफ आप ऐसा मीडिया के साथ कर रहे हैं। मीडिया राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह लोकतंत्र का तीसरा क्षेत्र है-त्रिनेत्र। वे इसे ठीक कर सकते हैं अथवा गलत कर सकते हैं।

परन्तु जब तक आप भारतीय संविधान के अंतर्गत 'आपातकाल' नामक उपबंध नहीं करते, वे संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करेंगे। यदि वे मेरे विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में सामने आते हैं या आपके सामने आते हैं, फिर आपको उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करने का अधिकार है, आपको भारतीय प्रेस परिषद् के पास जाने का अधिकार है और आपको विधि न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है। यह ठीक है। परन्तु यदि मीडिया-चाहे वह इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, निजी मीडिया हो अथवा तहलका जैसा मीडिया कुछ करती ही है। दूसरे दिन ही, यदि आप बिल किसी औचित्य के कि यह ठीक है या गलत, आप इसकी आवाज दबाते रहे तो यह ठीक नहीं होगा।

मैंने तहलका के मामले में ऐसा देखा है। फर्स्ट ग्लोबल नामक एक कंपनी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन विभाग, सेबी इत्यादि से पूछा गया था कि श्री बंगारू लक्ष्मण द्वारा लिया गया पैसा कहां से आया और कौन लेकर आया और उनसे कहा गया था कि उन्हें मार डालो, गिरफ्तार करो या पकड़ों, परन्तु उन्हें यह पता लगाने के लिए नहीं कहा गया था कि इस सरकार के महत्वपूर्ण अतिविशिष्ट व्यक्तियों के संरक्षण से मॉरिशस रूट की कंपनियां कहां से कार्य कर रही हैं। क्या यह पारदर्शिता है? क्या यही सूचना का अधिकार है?

आउटलुक पत्रिका का मामला लें। मैं जानता हूं कि डेढ़ वर्ष पहले कुछ बातों पर वे निश्चित रूप से सरकार के आलोचक बन गए थे। आप देखिए कि आउटलुक पत्रिका का क्या हुआ। क्या यह सूचना की स्वतंत्रता है? मैं जानता हूं कि उनके साथ कैसा उत्पीड़न किया गया है। मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहता।

आपको अपने उद्देश्य में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। विधेयक ठीक-ठाक है। परन्तु आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि मीडिया के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो आपकी राजनीतिक सुविधा के लायक हो और फिर आप आपकी इच्छानुसार उन पर शासन कर सके। तथापि, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, फिर भी मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशेषकर खण्ड 8 एवं 9 के संबंध में छूट से संबंधित खण्डों का विस्तार से वर्णन करना चाहिए जहां वे यह महसूस करते हैं कि सूचना नहीं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि इसकी संकल्पना 1997 में तब की गई थी जब संयुक्त मोर्चे की सरकार वहां थी। चूंकि विश्व के कई हिस्सों में इसे स्वीकार किया है और चूंकि भारत के कई राज्यों ने इसे स्वीकार किया है, केन्द्र सरकार को अवश्य इसे कानून का रूप देना चाहिए। मैं दलीय सम्बद्धता से परे स्थायी समिति के सभी सदस्यों को सादर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने काफी परिश्रम के साथ कार्य किया है और बहुत बढ़िया सिफारिशें की हैं, जिनका भले ही सरकार ने व्यावहारिक रूप से अनुमोदन नहीं किया है। अभी भी, मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि भविष्य में यदि उन्हें समय मिलता है तो वे कुछ सुझावों को शामिल करे जिससे कि इस विधेयक को और लचीला और पारदर्शी बनाया जा सके।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं सूचना स्वातंत्र्य विधेयक, 2000 के समर्थन में बोल रहा हूं। विधेयक के बारे में कहने से पहले मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के वक्तव्य की कमियों के बारे में बताना चाहूंगा। वे यहां नहीं हैं, परन्तु मैंने उनकी अनुमति नहीं ली है। जब वह बाहर जा रहे थे तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपके वक्तव्य की कमियों के बारे में बताऊंगा। और उन्होंने बड़ी ही उदारतापूर्वक कहा ''आपका स्वागत है'। मेरे विचार से, वह अवश्य दूरदर्शन पर देख रहे होंगे। श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा है कि यह विधेयक लोक उपयोग के लिए है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि यह लोक उपयोग के लिए होता, तो सरकार इस विधेयक को संपूर्ण रूप से रखती। क्या मैं उन्हें शेक्सपीयर की रचना जूलियर सीजेट में कहीं गई एक सुंदर उक्ति की याद दिला सकता हूं। क्या मैं उसे उद्धृत कर सकता हूं। यह इस प्रकार है: इन लोगों ने जल्दी में ही यह काम किया है जिसका प्रभाव शुरू में भले ही कम रहे लेकिन जल्द ही इसका प्रभाव व्यापक हो जायेगा। हमने यह अल्प प्रावधानों के साथ शुरू किया है परन्तु आने वाले दिनों में इसमें प्रचुर प्रावधान कर दिये जायेंगे। यह एक शुरुआत है जिसके साथ इस विधेयक की शुरुआत हुई है और हम यहां इस पर चर्चा कर रहे हैं।

क्या मैं श्री चटर्जी जी को यह स्मरण दिला सकता हूं कि उन्होंने नॉन ऐब्सटेंटे खण्ड को नहीं पढ़ा है जिसका प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। नॉन एब्सटेंटे खण्ड शासकीय गुप्त बात अधिनियम एवं अन्य किसी का उल्लेख करता है जो इस विधेयक को पारित करते समय लागू है। इसका अर्थ है शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 5 पर गौर नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 123 एवं 124 पर गौर नहीं किया जाएगा। अथवा उस मामले में, कोई अन्य कानून जो इस कानून विशेष के विरुद्ध होगा। उसकी न्यायालय में बातचीत का समर्थन नहीं करेगा। मेरे विचार से, उन्होंने केवल लोक उपयोग के लिए वक्तव्य नहीं दिया है। इस मुद्दे पर इतना ही।

[श्री अनादि साहू]

सभापति महोदय, इस विधेयक की नींव 1982 में ही रखी गई थी। मैथ्यू समिति ने इसका शुभारंभ किया था, संयुक्त मोर्चे की सरकार ने इसका आधार तैयार किया राजग की सरकार ने इस मामले में ठोस महल तैयार किया है। महोदय, आप कृपया मुझसे सहमत होंगे कि सूचना लोकतंत्र की प्राणवायु है। यह किसी भी लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण चिन्तन है। श्री वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार इसे बहुत ही पारदर्शी और प्रभावी बना रही है क्योंकि यह इसे सबके लिए जानकार बनाता है कि हम कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं? हम वही कहना चाहते हैं जो वह कहना चाहते हैं न हम वह दिखाना चाहते हैं जिसे दिखाया जाना है, हम लोगों के साथ सभी रूप में सहयोग करना चाहते हैं।

फिर, जहां तक प्रक्रिया का संबंध है, अधिनियम में कोई भी प्रक्रिया नहीं रखी जा सकती है। यह प्रक्रिया का प्रश्न है। हम अगत पथ पर चल रहे हैं। यह सच है।

मानवाधिकार आयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमने मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनुच्छेद 19 पर गौर किया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि पूर्व में वक्ताओं ने इसका वर्णन किया है। हम बिल्कुल दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं और हम यह नहीं जानते कि हम कौन सा मार्ग अपनाएंगे और किस प्रकार की कठिनाइयां हमारे रास्ते में आयेंगी। इसीलिए, आप कृपया यह देखें कि विधेयक में खण्ड 20 एवं 21 का उपबंध है। कानून बनाना विधेयक का अन्तर्निहित हिस्सा है। कोई अधिनियम कार्यकरण के सभी पहलुओं पर विचार नहीं कर सकता है। इसीलिए कानून बनाने का प्रावधान किया गया है और इसीलिए अनुच्छेद 105 के अंतर्गत आपने समितियों के बारे में संकेत दिया है। अधीनस्थ समिति संबंधी समिति एक उच्चाधिकार समिति है जहां मैं एक सदस्य हूं, यहां पीठासीन सभापति श्री पांडियन हैं एवं हमारे मित्र प्रोफेसर सनदी साहेब भी यहां है। हम समिति का ब्यौरा दे रहे हैं।

अपराह्न 4.04 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

जब भी आप किसी कानून को लागू करते हैं, तो इसके लागू करने में कठिनाई आती है। मुझे सभी को यह बताने दीजिए कि कानून अच्छे होते हैं परन्तु कार्यान्वित करने वाली एजेंसी भिन्न-भिन्न हो सकती है वे कानून की भावना को ध्यान में नहीं रख सकते हैं। जैसाकि श्री महताब कह रहे थे, यदि कार्यान्वयन एजेंसियां, प्रशासनिक कार्यप्रणालियां उचित ढंग से कार्य करें तो मुझे पक्का विश्वास है। यदि जब सूचना अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हैं तो हमारे 90 प्रतिशत कानून प्रभावी होंगे और यह एक ऐसा कानून है जो प्रभावी हो सकता है। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो मुझे विश्वास है कि ये सभी तथ्य जो समालोचन से सामने आए हैं, वे नहीं रहेंगे। मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी का ध्यान उन बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो उन्होंने सिफारिश 24 इत्यादि के बारे में बताई हैं। महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि उन्हें पश्चिम बंगाल में सक्रिय लगभग 15-16 और उत्तर प्रदेश में सक्रिय लगभग 59 आईएसआई के मोडयूलज के संबंध में अवक्रम पता होगा; और तो और हमारे देश के अन्य प्रांतों में भी आईएसआई के मोड्यूलज हैं। आईएसआई के मोड्यूल के बारे में जानने में लगभग एक वर्ष अथवा दो अथवा तीन वर्ष लगते हैं। जानकारी हासिल करने, उन्हें मिलाने तथा फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचने कि वे लोग किस प्रकार की गतिविधियां चला रहे हैं, थकाऊ रास्ता है। यदि ऐसी जानकारी जनता को सूचना के अधिकार के द्वारा दी जाती है तो मुझे विश्वास है कि बाद में वह कहेंगे कि उन लोगों को जानकारी देने का निर्णय ठीक नहीं था और उन्हें यह जानकारी नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि इससे राष्ट्रीय की सम्प्रभुता और एकता प्रभावित होती है।

मैं धन शोधन विधेयक की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर और देश से बाहर धन का शोधन जैसा ही है। आप देखेंगे कि वेश्यावृत्ति के लिए धन उपयोग किए जाने के संबंध में एक खण्ड है। वेश्यावृत्ति में ही आप देख सकते हैं कि काफी बातें ऐसी हो रही हैं जो देश की सम्प्रभुता और एकता के खिलाफ जाती हैं। वेश्यावृत्ति का देश के खिलाफ भी प्रयोग किया जा सकता है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का मामला ही लें। स्वर्ण त्रिभुज में जैसा हम पाकिस्तान-बर्मा-अफगानिस्तान को कहते हैं उसमें बहुत अधिक नशीले पदार्थों का व्यापार हो रहा है और नशीले पदार्थों के व्यापार के साथ-साथ हथियारों का व्यापार भी हो रहा है और हमारे पूर्वोत्तर में नशीले पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बहुत सी जानकारी विशेष शाखा अथवा आसूचना ब्यूरो अथवा बैंककारी प्राधिकारियों के पास थोड़ा-थोड़ा करके आती है। अब, यदि आप बैंकों से ही जानकारी मांगते हैं तो वे कहेंगे कि आपको नहीं दे सकते क्योंकि यह एनडीपीएस अधिनियम से जुड़ी है या यह राष्ट्र की सम्प्रभुता और एकता से सम्बद्ध है। मैं बहुत से मामले हैं जो साधारण आदमी को अहानिकारक लगती हों परन्तु यदि इनका ठचित ढंग से विश्लेषण किया जाए तो इनके दूरगामी परिणाम होते हैं।

कतिपय कार्यों की सूचना विधेयक से दूर रखते हुए इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया है।

महोदय, मेरा कहना है कि सूचना लोकतंत्र की ऑक्सीजन है। यह सच है कि हमें जीवित रहने हेतु आक्सीजन की जरूरत होती है। यदि बहुत अधिक आक्सीजन हो तो क्या कठिनाई होगी? यदि बहुत अधिक सूचना होगी तो क्या कठिनाई होगी? कृपया इन सब बातों की सराहना करें। यह नया कानून है जिसे हम लागू कर रहे हैं और इसमें बहुत सी बातें देखनी होंगी।

आपने खण्ड 8 की आलोचना की है। मैं भी इससे सहमत हूं कि खण्ड 8 को और दूरदर्शी बनाना होगा। यह हम समझते हैं परन्तु हम एक शुरुआत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि खण्ड 20 और 21 इन कठिनाईयों का ध्यान रखेंगे परन्तु एक मामला जिस पर माननीय मंत्री ने ध्यान नहीं दिया वह है सक्षम प्राधिकारी के संबंध में। क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा की ओर आकृष्ट कर सकता हूं जिसकी खण्ड 2(ख) में व्याख्या की गई है अब सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, है। आपने उन्हें नियम बनाने की शक्तियां दी हैं।

जहां तक राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियों का संबंध है नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। जहां तक केन्द्र सरकार की शक्तियों का संबंध है नियम संसद के समक्ष रखे जाएंगे। किंतु जहां तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गए नियमों का संबंध है तो इन्हें कौन देखेगा? रक्षक की रक्षा कौन करेगी। यह एक लेटिन कहावत है जिसका अर्थ है कि 'रक्षकों की कौन रक्षा करेगा'। क्या ये सक्षम प्राधिकारी सांसद के पर्यवेक्षण के अध्यधीन नहीं है? यह एक विवादास्पद मुद्दा है जिस पर गम्भीरता से चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि उन्हें नियम बनाने पड़ते हैं चाहे उच्चतम न्यायालय हो अथवा सभा के अध्यक्ष हों अथवा ऊपरि सदन के सभापति हों अथवा कोई और व्यक्ति हो। नियम संसद में रखे जाने चाहिए। वे जो भी नियम यह बनाते हैं उन्हें संसद में रखा जाना चाहिए। यह एक कमी है और इसे नियम बनाते समय ठीक करना पड़ेगा। खण्ड 18 और 19 के अनुसार जैसा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है, नियम बनाते समय इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यथा, यह दोषरहित नहीं होगा और बहुत सी कठिनाईयां सामने आएंगी।

महोदय, जब विधेयक एक अधिनियम बन जाता है तो इसके प्रावधानों को लागू करने में तीन अन्य कठिनाईयां आ सकती हैं। पहली इसका राजनैतिक पहलू होगी। मैं भाजपा के सदस्य के रूप में कोई बात नहीं कर रहा हूं अथवा मेरे दूसरी ओर के मित्र भी कांग्रेस की ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि जब भी लोग सूचना मांगे तो उन्हें सूचना दी जाए, के लिए राजनीतिक लोकाचार तैयार किया जाना चाहिए। भाजपा केन्द्र में सत्ता में है। कांग्रेस कुछ राज्यों में सत्ता में है परन्तु जब तक हम राजनैतिक लोकाचार तैयार नहीं करते तब तक यह विधेयक कुल मिलाकर प्रभावी नहीं होगा। जिस मामले पर सभी जन प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए वह यह है कि हमें राजनैतिक लोकाचार बनाना होगा।

महोदय, दूसरी कठिनाई जो पैदा हो सकती है वह सार्वभौमिक आपत्तियों के संबंध में है जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम संवैधानिक मामलों पर विचार करते हैं तो हमें मंत्रियों और सिविल सेवकों के बीच संबंधों के बारे में सोचना पड़ेगा। श्री दासमुंशी विधेयक में प्रावधान किए गए खण्डों के अनुसार मंत्रिमंडल के निर्णयों का उल्लेख कर रहे थे। यदि हमें उसके बारे में सोचना है तो मंत्री और सिविल सेवकों के बीच संबंध गोपनीय मामले की जानकारी उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जो इनकी मांग करते हैं। यह बिल्कुल गोपनीय मामला है और किसी को भी ऐसी जानकारी नहीं मांगनी चाहिए। मंत्रिमंडल के निर्णय संबंधी जानकारी भी नहीं मांगी जानी चाहिए। यह अच्छे शासन की कुंजी है।

सभापति महोदयः कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। भाजपा की ओर से एक ओर सदस्य को बोलना है।

श्री अनादि साहुः महोदय, मैं एक मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करता हूं।

महोदय, तीसरी कठिनाई जो उत्पन्न हो सकती है वह है लागत के संबंध में। इसके लिए कितनी लागत की आवश्यकता होगी और ये रिकार्ड तैयार करने और उन्हें लोगों को देने से संबंधित है? हमें इन तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। चूंकि माननीय सभापति ने मुझे अपना भाषण समाप्त करने का आदेश दिया है इसलिए मैं विधेयक के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली)**:** सभापति महोदय सूचना का अधिकार मूल अधिकार है। यह पूरे विश्व में स्वीकार्य सच्चाई है कि प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए और हर नागरिक को सार्वजनिक रिकार्ड का पता होना चाहिए और लोगों को सरकार के कार्यकरण का पता होना चाहिए।

अब, इस विधेयक को पारित किए जाने से पूर्व नागरिकों को सार्वजनिक रिकार्डों का कोई पता नहीं लगता था और कुछ मामलों में सूचना सुरक्षित हाथों में रखी जाती थी। वर्ष 1996 में मैंने एक ठेकेदार के विरुद्ध एक चुनाव याचिका दायर की थी। मैंने कार्यपालक इंजीनियर, लो.नि.वि. (राजमार्ग) को ठेके का विवरण प्रस्तुत करने

[श्री पी.एच. पांडियन]

हेतु लिखा था। परन्तु इंजीनियर ने मुझे यह कहते हुए जवाब दिया कि वह जानकारी नहीं दे सकते। मामला उच्च न्यायालय की ओर से उठाया जाना था जो चुनाव याचिकाओं पर विचार कर रहा था। इसने आदेश दिया था कि सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों पर याचिकाकर्त्ताओं को जानकारी देने का दायित्व होता है। मेरा कहना है कि उन विवरणों की कमी के कारण चुनाव याचिकाओं का उचित रूप से प्रारूपण नहीं किया जा सकता। यदि मुझे याचिका दायर करने के समय वह विवरण दिये गए होते तो याचिका में उनकी कमी नहीं खलती। अब, भारत सरकार यह विधेयक लाई है। यह स्वागत योग्य उपाय है। मैंने और श्री साहू ने स्थायी समिति के सदस्य के रूप में इसके बारे में विस्तार से विचार किया था।

समिति द्वारा सभी कानूनी औपचारिकताओं और कानूनी रुकावटों को दूर कर दिया गया है। अब, यह पूर्ण रूप में सभा में लाया गया है। मैं इस रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह अच्छी तरह प्रारूपित है और हम सबने इसे संसद में प्रस्तुत किया है।

श्री दासमुंशी ने कहा है कि यदि न्यायालय सार्वजनिक रिकार्ड मंगवाते हैं तो प्राधिकारियों का दायित्व है कि वे इसे न्यायालयों को दें। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, याचिकाकर्त्ताओं की सभी रिकार्ड नहीं देता। यदि न्यायालय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कतिपय रिकार्ड देने के लिए निर्देश देता है तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ये रिकार्ड न्यायालय को देने पड़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालयों को मंत्रिमंडल के कार्यवाही सारांश सहित कोई भी रिकार्ड मांगने का अधिकार होता है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में भी न्यायालय को सभी तथ्य मांगने का अधिकार है। उस मामले में कुछ भी गोपनीय नहीं था। इसलिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा विधेयक लाया गया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। विश्व के अन्य भागों में प्राप्त करने से इसकी तुलना करें तो यह एक अच्छा उपाय है।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक के बारे में कहा जाता है कि यह लोकतंत्र की पहली लड़ाई और आजादी की दूसरी लड़ाई है। इतिहास है कि 1978 में द्वितीय प्रेस आयोग का गठन हुआ था और उसने कहा था कि सबको सूचना का अधिकार हो। उसके बाद 1989 में नेशनल फ्रंट की सरकार के समय श्री वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री बने तो सर्वप्रथम उनके घोषणा पत्र में सूचना के अधिकार का जिक्र किया गया था। उस समय देश भर के एनजीओज और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली शक्तियों ने कहा था कि सब को सूचना का अधिकार मिलना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत और सफल होगा। सभी लोगों ने इस बात को माना है कि लोकतंत्र में लोगों को सूचना का अधिकार हो और पारदर्शिता हो।

यहां सवाल आया कि दुनिया के विभिन्न मुल्कों में यह लागू है और कई विकसित तथा विकासशील देशों ने इसे लागू किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और छोटे-छोटे कई देशों ने इसे लागू किया है। पहले विभिन्न राज्यों ने इसे जैसे-तैसे लागू किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में यह लागू हुआ। देर से ही लेकिन केन्द्र सरकार चौंकी है। पहले 1989 में इसकी घोषणा हुई थी लेकिन वह सरकार जल्दी चली गई। उसके बाद नरसिंह राव जी की सरकार आई लेकिन कुछ काम आगे नहीं बढ़ा। 1996 में जब यूनाइटिड फ्रंट की हुकूमत आई, उस समय प्रेस काउंसिल को कहा गया कि वह इस बारे में अपनी राय दे। उन्होंने बिल का प्रारूप बना कर दिया। 1997 में श्री एस.डी. शौरी की अध्यक्षता में अफसरों की एक कमेटी बनी। इसके पहले इसका नाम राइट टू इनफर्मेशन था लेकिन अफसरों की कमेटी बनने के बाद इसका नाम फ्रीडम ऑफ इनफर्मेशन हो गया। हमें इस पर भारी आपत्ति है। राइट टू इनफर्मेशन करने से, बोलने से और व्यवहार में लाने से जनता को ज्यादा ताकत मिलती है। अफसर लोगों ने अपनी मैनटैलिटी के मुताबिक इसका नाम बदल दिया और सरकार ने उसे मान लिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि राइट टू इनफौर्मेशन नाम होना चाहिए, आपने क्यों सूचना स्वातंत्र्य नाम रख दिया? इसके लिए लड़ाई होती रही है। राज्यों में राइट टू इनफौर्मेशन नाम है लेकिन आपने उसे कमजोर कर दिया। विधेयक के नाम से लगता है कि इसमें हेराफेरी है। क्या इससे लोगों को राइट टू इनफौर्मेशन मिलेगा?

सभापति जी, माननीय मंत्री जी विधेयक लाये हैं। जब मंत्री शपथ लेते हैं तो मंत्री पद ग्रहण करते समय कहते हैं कि हम न्याय करेंगे और संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे। इसके अलावा एक और शपथ होती है-पद और गोपनीयता की। जब गोपनीयता वाला कानून मौजूद है तो राइट टू इनफौर्मेशन का क्या हुआ? क्या राइट टू इनफौर्मेशन से ट्रांसपेरेंसी का मामला हल होगा, यह हम जानना चाहते हैं। जब मंत्री बन जाते हैं, तब कैसे सूचना देंगे और कौन देगा? इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस पद की गोपनीयता खत्म करना चाहती है, अगर लोगों को राइट टू इनफौर्मेशन देना चाहती है?

सभापति महोदय, औफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1924 में अंग्रेज सरकार ने बनाया था। वह यहां लोगों को दबाकर अपना शासन करना चाहती थी। उनके द्वारा जनता को राइट टू इनफौर्मेशन से क्या मतलब था? जब संविधान की धारा 19 में कहा गया है-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता-तो उसी में राइट टू इनफौर्मेशन लोगों को होनी चाहिए। लेकिन आज इस देश में भ्रष्टाचार और घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं-यू.टी.आई., एक्साइज घोटाला, शेयर घोटाला, प्रतिभूति घोटाला, हवाला घोटाला-ये सब ऊपर से नीचे तक हैं। दुनिया के जितने इंटैलीजेंट और इंटलैक्चुअल्स हैं, जितने जानकार लोग हैं उनका कहना है कि सूचना में पारदर्शिता होनी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, उस पर अंकुश लगेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस निष्कर्ष पर पुहंचा है कि जहां जहां ट्रांसपेरेंसी है, वहां-वहां भ्रष्टाचार कम मात्रा में है। ट्रांसपेरेंसी खुली रहे और यही डेमोक्रेसी का अर्थ है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं, फिर भी वहां राइट टू इनफार्मेशन है। कई देशों में कमजोर कानून रखे हुए हैं, तब यहां क्यों कमजोर कानून बन रहा है?

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में कहा गया कि राइट टू इनफौर्मेशन होना चाहिए। जस्टिस पी.वी. सामंत ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। जस्टिस भगवती ने भी यही कहा है। इसके अलावा जानकार लोगों और कानूनविदों ने भी यही कहा है कि राइट टू इनफौर्मेशन होनी चाहिये और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन यहां पारदर्शिता का अभाव है। इस बिल में यही कमजोरी है। हमारे गांव में एक कहानी है-'ऐसन देहात न जहां पनिया की भाप न निकलत आंगनिया'। हम लोग सरकार में देखते हं कि इस तरह से भाप ढक कर रखी जाती है कि बाहर के लोगों को कोई जानकारी नहीं रहे कि सरकार की हर जगह पर हेरा-फेरी हो रही है। गांव में जो कुछ करना है, उसके लिए ग्राम सभा जवाबदेह है। इन्होंने यही पारदर्शिता का गला घोंटने का काम किया है। आपने इसका प्रचार नहीं किया। प्रचार में खाली अपना फोटो और सरकार की चापलूसी का प्रचार हो रहा है। असली बात की जानकारी जनता को होनी चाहिए। ग्राम सभा के सभी लाभार्थी ग्राम सभा से तय होंगे, कहां है सूचना का अधिकार। वहां कहां उनके लिए जानकारी और ट्रांसपेरेन्सी है। इंदिरा आवास योजना में कौन गरीब का मकान बनेगा। अंत्योदय अनाज योजना, अन्नपूर्णा योजना आदि जितने गरीबी उन्मूलन वाले कार्यक्रम हैं, उनमें ट्रांसपेरेन्सी का भारी अभाव है। इस कारण उनमें भारी गड़बड़ी और घोटाले हो रहे हैं। इसलिए सरजमीन पर जो अनपढ़ तबका है, उनका क्या राइट टू इंफोर्मेशन होगा। इसमें सरकार की जवाबदेही बनती है कि उन कार्यक्रमों, उन योजनाओं के बारे में जनता के बीच में प्रचारित और प्रसारित किया जाए। विभिन्न मीडिया, टी.वी., रेडियो, अखबारों के जरिये सरकार के कार्यक्रमों के बारे में सभी को बताया जाना चाहिए। जो ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें भी निदेश दिया जाना चाहिए कि जनता के बीच में चीजों को खुला रखें, ट्रांसपेरेन्सी रखें।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः सभापति महोदय, आप पार्टी के समय को देखते हैं, लेकिन विधेयक पर बहस में पार्टी का समय देखना क्या उचित है। कितनी पार्टियों के लोग एबसैन्ट है। उन पार्टियों से बोलने वालों का नाम है। उनका समय कौन लेगा। उनके समय का क्या होगा। उन सबके बदले हम बोल रहे हैं। इसमें कई पार्टियां अनुपस्थित हैं। उन सबके द्वारा बोला जाता, उनके समय का क्या होगा।

सभापति महोदयः रघुवंश बाबू, काफी लोग बोलने वाले हैं, कृपया आप समाप्त करिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः हम सरजमीन की रेलिवैन्ट बात कर रहे हैं। सरकार कागज की बात कह रही है, "तुम कहते कागज की लेखी, हम कहते आंखिन की देखी।" सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में राइट टू इंफोर्मेशन होना चाहिए, नहीं तो जो सूचना स्वतंत्रता विधेयक है, उसका थीम क्या है। सूचना पाने की जनता को स्वतंत्रता है और इसमें सूचना देने या न देने की इन्हें स्वतंत्रता है। यही सूचना स्वतंत्रता विधेयक है। जिसमें सरकार चाहेगी, उसी बात की सूचना देगी, जो नहीं चाहेगी, नहीं देगी। यह क्या ट्रांसपेरेंसी हुई। हमारा राइट टू इंफोर्मेशन कहां चला गया, जनता का अधिकार कहां चला गया। इस विधेयक में भारी खराबी यही है। सूचना के स्वतंत्रता पाने के लिए जनता स्वतंत्र है और सूचना देने या न देने के लिए सरकार भी स्वतंत्र है। इसमें यही खामी और खोट है। इसमें आप सूचना स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं।

सभापति महोदय, सरकार ने वोहरा कमेटी बैठाई थी और वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि राजनीतिक लोग, अपराधी लोग और अफसर इन तीनों का भारी गठबंधन और नैक्सस है। उसकी रिपोर्ट सरकार ने छिपाकर रख दी। सूचना स्वतंत्रता में सबसे पहले वहीं सूचना हमें दे दें। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट कहां चली गई। उसमें 8, 9, 11 और 16 चार धाराएं हैं, उनमें पर्याप्त गुंजाइश है कि सरकार जिसे चाहेगी, उसे सूचना देगी, जिसे नहीं चाहेगी, उसे सरकार सूचना नहीं देगी। इसलिए लोकतंत्र और प्रजातंत्र का ठीक राज वही कहा जायेगा जिसमें स्वच्छता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही ये चार सूत्र होंगे। श्री अनादि साहू अपने भाषण में बता रहे थे कि बड़ी भारी ट्रांसपेरेन्सी है। कहां ट्रांसपेरेन्सी है। सारे घोटाले आपके राज

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]
में हुए हैं। ट्रांसपेरेन्सी होने से कोई घोटाला नहीं होता। सफाई देने वाले लोग खड़े हो जाते हैं और असलियत से इनकार करने लगते हैं। क्या घोटाले नहीं हुए। सारे घोटालों के बाद क्या आपने वित्त मंत्री को नहीं बदला। वित्त मंत्री बदलने से क्या घोटाले समाप्त होंगे।

हम सरकार से जानना चाहते हैं कि देश भर के कानून केन्द्र सरकार बना रही है, लेकिन जिन राज्यों में राज्य सरकार ने कानून बना लिये हैं, क्या उनमें राज्य सरकार के कानून लागू होंगे या केन्द्र सरकार के कानून लागू होंगे। कृपया इस सवाल का उत्तर दें। जिन राज्य सरकारों ने अपने कानून बना लिये हैं उनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, दिल्ली आदि हैं। क्या इन राज्यों की क्लॉज और केन्द्र सरकार की क्लॉज बराबर होंगी या दोनों फर्क होगा, दोनों के विधान में फर्क होगा तो वहां राज्य सरकार का कानून लागू रहेगा या भारत सरकार का कानून लागू होगा।

मैं मान लेता हूं जिन राज्यों ने कानून नहीं बनाया है, उन राज्यों में केन्द्र सरकार का कानून लागू कर देंगे लेकिन जिन राज्यों में राज्य सरकार ने कानून बनाया, उनके यहां राज्य सरकार वाला कानून लागू होगा या इनका वाला लागू होगा, सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे।

फिर इसमें अपील और दंड का क्या विधान है। मान लिया कि कोई अधिकारी स्पष्टीकरण देने से ईंकार करता है, देरी करता है या एक पन्ना कागज लेने का दाम ही दस रुपया रख देगा तो गरीब आदमी उतना पैसा कहां से लाएगा, आम आदमी को कैसे सूचना मिल सकेगी? अब तो फोटोकॉपी मशीन गांवों में ब्लाक स्तर तक चली गई है। अगर गरीब पता करने जाएगा कि किनका नाम इंदिरा आवास योजना में है तो वह एक महीने में देंगे और तब तक सब काम हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः जी हां, मैं समाप्त कर रहा हूं। जो असली जनता है, असली गरीब आदमी है, जो अनपढ़ है, गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और सरकार दावा करती है कि गरीबी उन्मूलन का हम काम कर रहे हैं, उसमें जो गरीब वंचित रह जाता है, जैसे राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि एक रुपये में से 15 पैसे ही गांवों में पहुंचते हैं। राइट टु इनफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेन्सी होने से रुपये का रुपया गांव में पहुंच जाए इसके लिए सरकार ने कौन सी कार्रवाई की है? इसलिए पंचायत, ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर, बैंकों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना में दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं, दबाकर रखी रहती हैं, ट्रांसपेरेन्सी नहीं है, राइट टु इनफॉर्मेशन नहीं है, वहां भी घोटाला और रिश्वतखोरी हो रही है, इसलिए जो गरीब हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः रघुवंश जी, आपका समय खत्म हो गया है, अब आप समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यह कहा गया है कि प्राइवेट और स्वयंसेवी संस्थाओं में आपको राइट टु इनफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो जब प्राइवेट हो रहा है, सरकार की चीजें बिक रही हैं तो उस मामले में हमें राइट टु इनफॉर्मेशन नहीं रहेगा और वह जब घोटाला करेंगे तो उसमें सरकार कौन सी कार्रवाई करेगी, इन सभी बातों पर सरकार ढंग से उत्तर दे। इसलिए राइट टु इनफॉर्मेशन वाले बिल को असली राइट टु इनफॉर्मेशन बनाना चाहिए।

सभापति महोदयः बालकृष्ण जी, मैंने आपका नाम और रासा सिंह रावत जी का नाम पुकारा था। उस समय आप दोनों ही सदन में नहीं थे।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, मैं विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज के विश्व परिदृश्य में, लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने के अलावा इस विधेयक में कुछ नहीं है।

हम औपनिवेशिक प्रणाली द्वारा शासित किए जा रहे थे और हमने इसे लिखित निर्णय देने की प्रणाली से उधार लिया है और शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत इसे गोपनीय भी रखा है। हमारे लोकतंत्र के 50 वर्षों के इतिहास में, हमने कई बातें लिखी हैं। और शासकीय गुप्त बात के अंतर्गत भी कई बातें सामने आई हैं। भारतीय संविधान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को रिट संबंधी अधिकार दिया है जिसके कारण सरकार को कई गोपनीय बातें जिनका खुलासा आम आदमी को नहीं किया जाता है, उन्हें सार्वजनिक किया गया है और न्यायालय उचित संदर्भ में मामले का निर्णय कर सकते हैं। साथ ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस और मीडिया ने भी इस क्षेत्र में दखल दी है और सरकार की कई गोपनीय बातों का खुलासा दिया है। उन्होंने इसे कई नाम दिया है जैसे घोटाला, धोखाधड़ी आदि।

इस विधेयक का उद्देश्य लोगों को ऐसा अधिकार दिलाना है ताकि सरकार जनता की सरकार हो, जनता के लिए सरकार हो और जनता द्वारा चुनी गई सरकार हो। यदि खंड 4 का अनुपालन

किया जाता है तो जनता के प्राधिकार संबंधी दायित्व का पालन करना होगा। किसी रिट संबंधी अधिकार की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस प्रकार हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया और प्रेस में रिक्तता आ जाएगी।

विधेयक का मूल खंड 4 में निहित है, लेकिन खंड 8 सब अधिकार वापस ले लेता है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह खंड न्यायपालिका की नियुक्तियों विशेषकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति पर लागू होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कार्यकारी और प्रशासकीय कार्यवाही है। लेकिन विधेयक में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश सक्षम प्राधिकारी हैं इसका अर्थ यह हुआ कि इस विशेष खंड के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति उनका हस्तांतरण और अन्य बातें भी शामिल की जा सकती हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह यही चाहती है?

मैं सरकार का ध्यान शासन के तीसरे स्तर यानि स्थानीय निकायों, जिला परिषदों और उस निचले स्तर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें आम आदमी की रुचि है और जो जानना चाहता है कि कितना धन उपलब्ध है, धन का उपयोग कैसे किया गया, धन किसके नियंत्रण में है और सरकारी काम किस तरीके से किया जा रहा है। वह यह भी जानना चाहता है कि वहां भ्रष्टाचार है या नहीं। ये चीजें लोगों को ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन खंड 2(क) के उपखंड (एक) और (दो) में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का उल्लेख है लेकिन तीसरी श्रेणी यानी स्थानीय प्रशासन का उल्लेख नहीं है। अत: भविष्य में इस खंड का संशोधन करना किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय निकायों को इसमें शामिल किया जा सके और इसमें आम आदमी की चिंताओं को भी शामिल किया जा सके तथा स्थानीय प्रशासन संबंधी सूचना आम आदमी को मिल सके।

खंड 4 के संबंध में, मैं यह बात जोर देकर कहना चाहूंगा कि खंड 4(ङ) में दी गई परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है, यह परिभाषा विधेयक का ह्दय है। इसमें कहा गया है:

> ''(ङ) किसी परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व जनता को साधारणत: या प्रभावित व्यक्तियों को या जिनका उक्त परियोजना से विशिष्टत: प्रभावित होना संभाव्य है, या जिस तक उसकी युक्तियुक्त रूप से पहुंच है, जिसकी, उसकी राय में, उन्हें लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के सर्वोत्तम हित में जानकारी होनी चाहिए, उसे उपलब्ध तथ्यों को प्रकाशित या संसूचित करेगा।''

यह विधेयक का सार है। मैं यह महसूस करता हूं कि जब भी सूचना की जरुरत हो तो इस सिद्धांत पर प्रत्येक पक्ष और संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को सूचना की जरुरत हो, तो यह पूरा स्पष्ट होना चाहिए कि उस व्यक्ति विशेष को यह सूचना क्यों देनी चाहिए।

जहां तक 30 दिनों में सूचना देने की बात है, तो यह काफी लंबी अवधि है। हम इलेक्ट्रॉनिक युग में हैं और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रत्येक सूचना दी जा सकती है। सरकारी गतिविधियों के संबंध में कई सूचनाएं विभिन्न वेबसाइटों द्वारा दी जा रही हैं यूरोपीय देशों के प्रधान मंत्री भी अपने प्रशासनिक आदेश दूरदर्शन के माध्यम से दे रहे हैं। उन देशों में, प्रधान मंत्री सुबह से शाम तक अपने कार्यालयों में बैठते हैं और उसका प्रसारण होता है। वे कौन-से आदेश दे रहे हैं। किन्हें आदेश दे रहे हैं और उन्होंने क्या निर्णय लिया, इन सब चीजों का प्रसारण किया जाता है। इस तरह की पारदर्शिता आनी चाहिए। लेकिन खंड 8 जो कुछ चीजों में छूट का अधिकार देता है, वह सर्वाधिक गैर जरूरी चीज है। खंड 8(1)(ख) में कहा गया है:

> ''ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से लोक सुरक्षा और व्यवस्था, किसी अपराध के पता लगाने और अन्वेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या जिसके कारण कोई अपराध पारित करने के लिए उत्प्रेरणा उत्पन्न होती हो अथवा किसी लंबित मामले के निष्पक्ष विचारण या न्यायनिर्णयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।''

महोदय, ''अपराध का पता लगाने'' जैसे शब्दों के स्थान पर ''अपराध के अन्वेषण के दौरान'' रखा जाना चाहिए। स्वयं अपराध का पता लगाने के दौरान ही हिरासत में मौत और बलात्कार की कई घटनाएं हो जाती हैं, जब आप पुलिस को अधिक अधिकार देते हैं, तो अपराध की जांच स्वयं गोपनीय है। तब, वे स्थिति को उसी तरह से निपटाएंगे। हम किसी भी तरह से पुलिस को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं होंगे। लेकिन हमें कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि उन्हें नियंत्रित किया जा सके।

अब, मैं सभा का ध्यान खंड 8(1)(ग) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है:

> ''ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से केन्द्र-राज्य संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों या उनके किसी प्राधिकारियों या अधिकरणों के बीच गोपनीय रूप से आदान-प्रदान की गई सूचना भी है।''

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

यह वैसा देश नहीं है जहां हमें कुछ स्वतंत्र लेन-देन का प्रावधान है। यह वह देश है जहां जनतांत्रिक प्रणाली है। राज्य सभा सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोक सभा में प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि आते हैं। इसलिए, राज्यों के बीच कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। राज्यों के बीच सभी तरह के लेन-देन में पारदर्शिता होनी चाहिए। केन्द्र सरकार की गतिविधियों में भी पारदर्शिता होनी चाहिए।

उप-खंड (घ) और (ङ) ही भ्रष्टाचार के स्रोत हैं। जब तक इस तरह के खंड मौजूद हैं, तब तक हम भ्रष्टाचार को नहीं खत्म कर सकते; हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी है; हम यह नहीं कह सकते कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं; हम यह नहीं कह सकते कि वहां कोई दलाल नहीं है; तहलका जैसा कोई घोटाला नहीं है; कोई जी हजूरी नहीं है; या कोई अन्याय नहीं है। मैं उप-खंड को पढ़कर ही इसे स्पष्ट कर सकता हूं। इसमें कहा गया है:

> ''कि मंत्रिमंडलीय कागज-पत्र, जिसके अन्तर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख भी हैं।''

इस तरह के उपखंड क्यों होने चाहिए। जब मंत्री कुछ विचार व्यक्त कर रहे हों, तो उसकी जानकारी संसद और लोगों को होनी चाहिए। मंत्रीमंडल में सचिवों और अन्य अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई राय भी जनता को बतानी चाहिए। इस मामले में गोपनीयता क्यों होनी चाहिए? तभी कोई घोटाला या जी हजूरी नहीं होगी। नहीं तो, सचिव अपना विचार स्पष्ट तरीके से नहीं रख पाएगा। हमने तमिलनाडु में 16 महीनों के भीतर तीन मुख्य सचिवों का स्थानांतरण देखा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि सरकार गोपनीयता बनाए रखना चाहती थी। वह यह चाहती थी कि सचिव सरकार की जी-हजूरी करें। ऐसा नहीं हुआ। जो भी जनता के लिए और सरकार के लिए अच्छा है, उसे उन्हें स्पष्ट रूप से रखना चाहिए।

इसी तरह से, उपखंड (ङ) में लोगों को सूचना देने से इन्कार करने की बात ओर उग्र रूप से कही गई है। इसमें कहा गया है:

> ''कार्यवृत्त या सलाह अभिलेख जिसके अन्तर्गत कार्यपालक विनिश्चय या नीति निर्धारण से पूर्व विनिश्चय करने की प्रक्रिया के दौरान लोक प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा दी गई विधिक सलाह, राय या की गई सिफारिशें भी हैं।''

आप क्या कहना चाहते हैं कि विधिक सलाह या राय भी जनता को नहीं उजागर की जानी चाहिए? आजकल, विधिक अधिकारीगण भी गुमराह करने वाली राय दे रहे हैं। अथवा इसका अर्थ यह है कि आप जनता से सभी स्पष्टवादी अधिकारियों की राय को दूर रखना चाहते हैं। स्पष्टवादी अधिकारी होने चाहिए। नौकरशाही को स्पष्टवादिता बनाए रखनी चाहिए और इस उप-खंड को हटा देना चाहिए।

इसी तरह से, व्यापारिक और वाणिज्यिक गोपनीयता संबंधी उप-खंड में कुछ कम प्रभाव वाले प्रावधान हैं। ऐसा इसलिए कि इस युग में कोई व्यापार संबंधी गुप्त-बात नहीं है क्योंकि आज विश्व व्यापार संगठन है, सरकार को विश्व व्यापार संगठन के प्रति दायित्वों को भी पूरा करना है; सभी सूचनाओं को वेबसाइट में दिया गया है और इसे जनता को दिखाया गया है। इसलिए, इस उप खंड की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया है:

> ''विधि द्वारा संक्षिप्त व्यापार या वाणिज्यिक गोपनीय बातें या ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से विधिपूर्ण, आर्थिक और वाणिज्यिक हितों या किसी लोक प्राधिकारी की प्रतियोगी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ या हानि होती हो।''

इस तरह से, केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट तैयार करने के पूर्व गुप्त रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए कि अम्बानी जैसे निजी उद्योगपति बजट प्रस्तुत किए जाने के पूर्व भी गुप्त सूचनाएं प्राप्त कर धनी हो रहे हैं। टाटा, बिड़ला जैसे कई अन्य लोग भी सरकार के अंदर की सूचनाएं प्राप्त कर धनी हो रहे हैं। सरकार को पारदर्शी होना चाहिए और यूं कहिए कि इसी तरह से हम उद्योग जगत पर कर लगाने जा रहे हैं और इसी तरह से हम बकाए की वसूली करने जा रहे हैं। वास्तव में, यदि पारदर्शिता की नीति लागू की जाती है तो इस तरह के अवैध धन शोधन और भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है और जनतंत्र में कोई घोटाला नहीं होगा।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं तीसरे पक्ष से सूचना प्राप्त करने के लिए लोगों को अधिक अधिकार देने और अपीलीय प्रावधान प्रदान करने हेतु सरकार को बधाई देता हूं। मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि सरकारी निकायों और एजेंसियों द्वारा की गई सिफारिशों के अलावा संगठनों, संघों, पार्टियों, न्यासों, यूनियनों और निजी एवं गैर-सरकारी समितियों सहित विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को भी विधेयक में शामिल करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, अभी-अभी कहा गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है और जहां पर लोकतंत्र का तकाजा है कि जनता की सरकार जनता के लिए है और जनता द्वारा निर्वाचित है। एनडीए सरकार वास्तव में बधाई की पात्र है जिन्होंने यह सूचना की स्वतंत्रता का विधेयक सदन के अंदर प्रस्तुत किया है। हालांकि पहले की सरकारें जितनी भी रहीं, वे बातें तो दुनिया भर की करती रहीं और आज उनकी विचारधारा के मानने वाले लोग गला फाड़-फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, स्कैम हो गया, यह स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह स्वाधीनता होनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछली जो उनकी सरकारें थीं, उन्होंने कितनी सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की? कब से यह मांग रखी जा रही है? इसलिए एनडीए सरकार वास्तव में बधाई की पात्र है जिन्होंने जैसा कहा, वैसा करके दिखाया और अपने मैनीफेस्टो में लिखा कि हम जनता को सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार देंगे और इसी बात को चरितार्थ करके दिखाया। इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

महोदय, जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, उससे लगता है कि ये गोयबल्स थ्योरी को मानने वाले हैं, झूठ बात को बार-बार कहें, तो शायद लोग यह मानने लग जायेंगे कि इसमें वास्तव में कहीं-न-कहीं सच्चाई है। माननीय सदस्यगण सदन के अन्दर आंतरिक स्वतंत्रता का लाभ उठाकर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाकर, दुनिया भर के भ्रष्टाचार, घोटाले और कई अन्य प्रकार की बातें यहां पर कह देते हैं। मैं उनको चेतावनी भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि वे बाहर जाकर जनता के बीच इन बातों को कहें, तो उनको अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ेगा और मानहानि के दावों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम जो भी बातें कहें, उत्तरदायित्व पद का निर्वहन करते हुए कहें। यहां पर सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस प्रकार की बातों को सामान्य ढंग से न कहें। मैं एनडीए की सरकार के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने पारदर्शिता अपनाई है। हर बात को जनता के सामने रखा है और अगर कहीं गड़बड़ी हो गई है, तो भी बात को रखते हुए कहा है कि ऐसा हो गया है और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। भ्रष्टाचार और घोटालों के बारे में जो कहा जाता है, वह सर्वथा निराधार है। मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा पारदर्शिता बरती जाती है।

मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। यहां विचार व्यक्त किया गया कि इसमें जुडिशियरी को भी शामिल होना चाहिए। बजट के बारे में भी बहुत सी बातें कही गईं। हमारे यहां कहा जाता है-''आचार: परमोधर्म:''-आचार परमधर्म है। सदाचार का पालन होना चाहिए। 'आचार' के पहले यदि 'अति' लगा दिया जाए, तो 'अत्याचार' बन जाता है और अत्याचार का हम सब विरोध करते हैं। अति हर वस्तु की बुरी होती है। महोदय, हम सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन हर चीज की सीमा होता है। उसमें मर्यादा होनी चाहिए और लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। क्लाज-8 में बहुत सी बातों के बारे में कहा गया है। मैं समझता हूं कि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की अखण्डता के लिए और राष्ट्र की सम्प्रभुता के लिए तथा जो बातें जनहितकारी नहीं है या शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिन बातों को छिपाना जरूरी है, प्रकट करना आवश्यक नहीं है, उस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए।

मैं आपको अपने राज्य के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में वामपंथियों का तथाकथित एक समाजसेवी संगठन है, जिसको सेवा-निवृत्त आईएएस, श्रीमती अरुणा राय, चला रही हैं। वामपंथियों द्वारा इस संगठन का आपरेशन हो रहा है। इस संस्था में राष्ट्रीय स्तर के और दिल्ली के बड़े-बड़े पत्रकार हैं। ये पत्रकार राजस्थान में कई जगहों पर जाते हैं और भोले-भाले लोगों से पूछते हैं कि तुमको मजदूरी का कितना पैसा मिलता है। आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गांवों के अन्दर काम करवाया जाता है, जिसमें कच्चे और पक्के का 60 और 40 का रेशो होता है, यानि 60 लेबर और 40 सामग्री। गांव के लोग बैठकर तय करते हैं कि यह काम होना चाहिए और इसमें इतनी राशि सीमेंट और चूना के लिए और इतना पैसा मजदूरी के लिए दिया जाएगा। गांव सभा इसको तय करती है और काम को करने के लिए एटेंडेंस में कुछ व्यवस्था कर दी जाती है। इस बात को यदि कोई कह देता है, तो ब्लैकमेल किया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ केस किया जाएगा, नहीं तो हमारे संगठन में शामिल हो जाओ। इस तरह से इसका दुरुपयोग कई स्थानों पर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति के अन्दर ग्राम सभा के हितों का कोई काम किया जाता है और रसीदें वगैरह बनाई जाती है तथा जो वास्तविक स्थिति आपके सामने रखी, उस स्थिति के अन्दर इस प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओपननैस, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता-इन चारों चीजों का दिग्दर्शन इस बिल के माध्यम से किया गया है। ...*(व्यवधान)* जो लोग कहते हैं कि सरकार के समर्थक थे, पोषक थे, उस समय उन्होंने इस बिल को लाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने कानून को बदल दिया। बड़े-से-बड़ा कानून बदल दिया। लेकिन यह सरकार कम से कम जनता के प्रति जवाबदेह है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अधिकारियों पर भी थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। कार्मिक मंत्री महोदया, श्रीमती वसुन्धरा राजे जी से कहना चाहता हूं कि जो

[प्रो. रासा सिंह रावत]

बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वे आफिस के सिक्रेट्स के नाम पर सार्वजनिक हित की बातें नहीं बताते हैं। वे बातें जनहित के अंदर अगर ये बता दें तो ठीक रहेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं पुनः इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और जो बहुत समय से चिर प्रतीक्षित सूचना प्राप्ति का अधिकार इस सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से चरितार्थ करके दिखाया है, उसके लिए यह बधाई के पात्र हैं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं सूचना की स्वतंत्रता के विचार का पुरजोर समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण संक्षिप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी हां, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा।

किन्तु मैं विधेयक के सभी उपबंधों का समर्थन नहीं कर सकता। मैं ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य हूं। प्रशासन में पारदर्शिता संसदीय लोकतंत्र का मूल तत्व है। यह इसलिए है क्योंकि इससे काफी हद तक भ्रष्टाचार रोकने में सहायता मिलेगी। इसीलिए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। किन्तु दुर्भाग्यवश इस विधेयक के उपबंधों से ऐसा परिणाम नहीं निकलेगा। मैं अपनी स्थिति कुछ ही शब्दों में बता दूंगा। विधेयक के खंड 5 में एक जनसम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। जन सूचना अधिकारी इस विधेयक का मूल तत्व है। उसके माध्यम से ही सूचना प्राप्त की जानी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जन सूचना अधिकारी के बिना यह विधेयक शून्य हो जाता है। इसे विधेयक में जनसम्पर्क अधिकारी को भी कर्तव्य दिए गए हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान विधेयक के खंड 6 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूं और मैं उन्हें इससे संबंधित मांग पत्र देता हूं। मांग पत्र के प्राप्त होने पर सूचना अधिकारी से कहा जाएगा कि वह मुझे सूचना दे। अगर वह सूचना देने से मना करता है तो उसे कारण बताने पड़ेंगे कि वह सूचना क्यों नहीं दे रहा है। मैं सूचना अधिकारी को अनुरोध करता हूं और वह मुझे उत्तर नहीं दे रहा है। वह चुप रहता है। संबंधित अधिकारी के दबाव के अंतर्गत जो उसके अधीनस्थ काम कर रहा है अथवा किसी अन्य कारण से जिसे वही जानता है, सूचना अधिकारी मुझे वह सूचना नहीं दे रहा है जिसकी मुझे जरूरत है। तो क्या किया जा सकता है? सूचना अधिकारी को उत्तरदायी बनाने के लिए इस संविधि में कोई प्रावधान नहीं है। मान लीजिए, वह बिल्कुल उत्तर नहीं दे रहा है तो क्या उपचार है? इस संविधि में कोई उपचार उपलब्ध नहीं हैं। तब इस विधेयक का क्या अर्थ है? हमें इस संविधि में ही दांडिक प्रावधान करने होंगे अधिकारियों को भी सांविधिक सुरक्षा दी जाती है। अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए सांविधिक सुरक्षा दी जाती है। यदि कोई इस अधिनियम के उपबंधों के तहत विश्वासपूर्वक कार्य कर रहा है तो किसी न्यायालय को उसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। यह उपबंध भी है। विधेयक में विश्वासपूर्वक कार्य करने का प्रावधान है किन्तु इसका उल्लंघन करने पर कोई प्रावधान नहीं है। आप उसे कुछ करने के लिए कैसे विवश कर सकते हैं? हमारे देश में नया कानून है, अर्थात् जनहित में मुकदमेबाजी का कानून है।

यदि उत्तरदायी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर कर सकता है। सूचना अधिकारी के विरुद्ध कैसे कार्रवाई की जा सकती है? क्या संविधि में सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए कोई प्रावधान है? इसके बिना इस विधेयक का सार क्या है? हमें सूचना कैसे प्राप्त हो सकती है? महोदया, इस बारे में मुझे बताएं। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे समझाया जाए।

इसके अतिरिक्त, मैं एक आवेदन पत्र देता हूं। कोई उत्तरदायित्व नहीं है और कोई टिप्पणियां नहीं की जाती हैं। अधिकारी चुप रहता है। मैं उन्हें सूचना देने के लिए कैसे विवश कर सकता हूं? अपील तभी की जा सकती है यदि आदेश जारी किया जाए। मैं अपील कर सकता हूं। निःसंदेह दूसरी अपील के लिए भी इसमें प्रावधान है। मैं यह बात समझता हूं कि। किन्तु आदेश के बिना मैं अपील कैसे कर सकता हूं? उदाहरणार्थ, संबंधित व्यक्ति ने कार्रवाई नहीं की है तो मैं किसी से अपील नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। वह मुझे अपेक्षित उत्तर नहीं दे रहे हैं? उन्हें मुझे उत्तर देने और सूचना देने हेतु कौन बाध्य करेगा? मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैंने पूर्ण रुप से विधेयक को पढ़ा है। विश्वासपूर्वक की गई कार्रवाई की रक्षा की गई है। किन्तु इसमें कोई दांडिक प्रावधान नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह तो एक पहलू है।

इसके बाद मैं छूट की बात पर आता हूं। खंड 8 में दी गई छूट भी ठीक नहीं है। राय दी गई है। सलाह दी गई है। यदि

एक बार उस सलाह अथवा राय के आधार पर निर्णय लिया जाता है तो सूचना क्यों नहीं दी जानी चाहिए? कानूनी जानकारी के आधार पर कानूनी राय दी जाती है। विशिष्ट जानकारी के आधार पर दूसरी सलाह दी जाती है। निर्णय लेने के बाद आवेदनकर्ता संबंधित व्यक्ति को वह सूचना देने में कोई हानि नहीं है। किन्तु यहां इस पर भी रोक है। इसलिए इस विधेयक को और विस्तृत बनाने के लिए खंड 8 में संशोधन करना पड़ेगा। इस अर्थ में यह प्रतिबंधात्मक है कि इसमें सारे क्षेत्र को शामिल किया गया है और कोई बात छूटने की गुंजाइश बहुत कम होगी। यदि मैं यह कहूं कि यह विधेयक आंखों में धूल झोंकने वाला है। जब हम सूचना की स्वतंत्रता वाले विधेयक पारित करें तो हमें इस प्रतिबंधात्मक नहीं बनाना चाहिए। हमें इसे स्वेच्छाचारी नहीं बनाना चाहिए। यह विधेयक लोकतंत्र के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। हमें इसे स्वेच्छाचारी नहीं बनाना चाहिए। यह विधेयक लोकतंत्र के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। अत: मेरी विनम्र राय यह है कि सरकार इसे व्यापक बनाए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को शामिल नहीं करनी चाहिए। आप प्रत्येक अधिकार नौकरशाही को न दें।

मुझे एक बात याद आ रही है। शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को लीजिए। इस अधिनियम के अन्तर्गत हमारे कुछ पत्रकारों को दंडित किया गया है। पत्रकारिता में एक ब्रांड है जिसे अन्वेषात्मक पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकार अपराध जांचकर्ताओं की भांति काम करते हैं। वे फाइलों की बारीकी से छानबीन करते हैं, सूचना एकत्र करते हैं और इस सूचना को जनहित में समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। किन्तु शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के उपबंधों के अधीन बेचारे पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। वह अधिनियम औपनिवेशिक शासकों द्वारा बनाया गया था। किन्तु हम तो स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। यह अधिनियम हमारे अनुकूल होगा। दुर्भाग्यवश, जब यह अधिनियम लागू होगा तो वह काम करना बंद कर देगा।

सभापति महोदय : कपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं श्री शिवराज पाटिल को बोलने हेतु बुला रहा हूं। मैं किसी और अनुरोध को नहीं मानूंगा। पहले ही दस मिनट हो चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

इन टिप्पणियों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से इसे और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने का अनुरोध करता हूं। इस कानून को लागू कराने का प्रावधान होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटिल (लातूर): महोदय, इस विधेयक पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ताकि सदस्यों और सदन के बाहर लोगों के मन में कोई सन्देह न रहे कि इस कानून को देश में कुछ प्रकार के कार्यों पर कैसे लागू किया जा सकता है।

अपराह्न 5.00 बजे

अब, विधेयक के खंड 8(1)(ख) में कहा गया है:

> "इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित सूचना को जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित सूचना नहीं है प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त होगी, अर्थात्:-
>
> "विधि द्वारा संक्षिप्त व्यापार या वाणिज्यिक गोपनीय बातें या ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से विधिपूर्ण, आर्थिक और वाणिज्यिक हितों या किसी लोक प्राधिकारी की प्रतियोगी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ या हानि होती हो।"

बैंकिंग कानून में व्यवस्था है कि जिन लोगों ने बैंक से ली गई धनराशि वापिस नहीं की है, उनके नाम नहीं बताए जाने चाहिए। इसलिए क्या यह खंड उस कानून अथवा बैंकिंग कार्यकलापों पर भी लागू होगी। सरकार ने बताया है कि गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए पड़े हैं और इस गैर-निष्पादनकारी आस्तियों हेतु उत्तरदायी लोगों के नाम तब तक नहीं बताए जाएंगे जब तक न्यायालय में मामला दायर न किया जाए। इसका अर्थ है कि इससे उन लोगों को अनुचित सुरक्षा मिल रही है जिन्होंने बैंकों से धनराशि ली है। मेरी राय में यदि हम इन उपबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़े तो मैं समझता हूं कि उन लोगों की सुरक्षा की जाएगी और उनके नाम लोगों को बिल्कुल नहीं बताए जाएंगे। क्या मेरी यह व्याख्या सही है? यदि मेरी यह व्याख्या सही नहीं है और माननीय मंत्री महोदय सदन पटल पर यह कहते हैं कि यह सही व्याख्या नहीं है तो इस कानून की स्थिति सर्वथा अलग होगी। मैं केवल यही सूचना माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, मुझे इस वाद विवाद में भाग लेने का अवसर देने हेतु धन्यवाद। आखिरकार यह विधेयक इस सदन में विचार करने और पारित करने हेतु लाया गया है। मैं सूचना और स्वतंत्रता विधेयक 2000 का पुरजोर समर्थन करता हूं। इस विधेयक के सभी उपबंधों को पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि यह विधेयक बहुत कमजोर है। इस विधेयक का

[श्री के. येरननायडू]

नाम पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करता है कि हमें सभी प्रकार की सूचना मिल जाएगी किन्तु इस विधेयक की धारा 8 के अन्तर्गत हमने अनेक प्रकार की सूचना को लोगों को दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

विश्वासपूर्वक किए गए कार्य पर सुरक्षा देने हेतु प्रावधान है। मान लीजिए, किसी अधिकारी ने कुछ गलती की है तो वह कहेगा कि उसने इसलिए सूचना नहीं दी क्योंकि उसने विश्वासपूर्ण ढंग से कार्य किया है। यदि जहां ऐसा अधिकारी जानबूझकर सूचना देने से इन्कार करता है तो इस विधेयक में कोई दांडिक प्रावधान नहीं है। छोटे कानूनों में भी दांडिक प्रावधान होते हैं किन्तु इस विधेयक में कोई दांडिक प्रावधान नहीं है और इस प्रकार इस विधेयक में किसी दांडिक प्रावधान के बिना मैं समझता हूं कि इस विधेयक से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि खुलापन और पारदर्शिता लोकतंत्र के आधार हैं। आंध्र प्रदेश में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व ही उसकी बातों का प्रेस को पता चल गया था। इसलिए पिछले वर्ष से हम बजट स्वयं जारी कर रहे हैं और आम लोगों, व्यापारियों उद्योगपतियों, भारतीय उद्योग परिसंघ आदि की राय पूछ रहे हैं। इस प्रकार से हम अब बजट तैयार कर रहे हैं। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना के 52 वर्ष के बाद इस देश में कोई गोपनीयता नहीं है। बहुत से लोग फाइलों की टिप्पणों और ऐसी ही अन्य चीजों की फोटोप्रति करा रहे हैं। किन्तु अब हम विधेयक के खंड 8 के अन्तर्गत बहुत सारी सूचनाओं पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।

महोदय, यह विधेयक दो वर्ष के पश्चात् इस सदन में विचार-विमर्श के लिए आया है किन्तु हम इस विधेयक के अन्तर्गत अनेक प्रकार की सूचना पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस विधेयक के उपबंधों को पढ़ने से पहले मैंने भी यह सोचा था कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् मुझे प्रत्येक प्रकार की सूचना मिल सकती है। अत: मेरे विचार में इस विधेयक में दांडिक प्रावधान की जरूरत है। लोकतंत्र में जनता के पास सरकार चुनने की शक्ति होती है। हमें खुलापन और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर सूचना देने से इनकार करता है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ प्रावधान होना चाहिए क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं।

पिछले बार श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया था।

तब श्री प्रमोद महाजन ने मुझसे पूछा था। "आप कागजात कहां से प्राप्त करेंगे?" मुझे कागजात प्राप्त हो गये। कैबिनेट सचिवालय से उन्हें कागजात कैसे प्राप्त हुए है। सब कुछ सामने आ रहा है। अनुच्छेद 8 के तहत यदि कोई चीज प्रतिबंधित है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। पारदर्शिता का मतलब पारदर्शिता होता है। यही कारण है कि नवम्बर से आंध्र प्रदेश सरकार इन्टरनेट पर ही फाइलों में नोटिंग और सिफारिशें कर रही है। यहां तक कि नोटिंग भी सदस्य के पास जाने चाहिए। इसमें गलत क्या है?

यदि हम पारदर्शिता और खुलापन चाहते हैं, तो लोगों को भी मंत्रियों और सचिवों द्वारा की गई सिफारिशों की जानकारी होनी चाहिए। सरकार के कार्य निष्पादन को भी उन्हें बताया जाना चाहिए। पांच वर्षों के बाद वे यह निर्णय कर सकते हैं कि सरकार के काम-काज में पर्याप्त पारदर्शिता और खुलापन था या नही। किन्तु, हम नोटिंगों और ऐसी सभी चीजों को बंद कमरे में रख रहे हैं। सूचना के अधिकार के नाम पर क्या सरकार सूचना का अधिकार प्रदान कर रही है? मुझे तो आशंका है।

मैं सूचना के अधिकार से संबंधित इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन ये सभी खंड बहुत ही लचर है। इस विधेयक के पारित होने के बाद भी इससे प्रयोजन पूरा नहीं होगा। आने वाले समय में जब लोग हमें सदस्यों के रूप में चुनेंगे, तो हम संशोधन के लिए आगे आएंगे। भविष्य में इसका संशोधन करने के बजाय इस पर अभी विचार किया जाता, तो अच्छा होता। एक दिन के लिए हम इसे स्थगित कर सकते हैं। आप सभी पार्टियों के लोगों के साथ बैठक कर सकते हैं जिससे कि इसमें कुछ शामिल किया जा सके। मैं सब कुछ बदल देने के पक्ष में नहीं हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं। मैडम सब कुछ जानती हैं। पारदर्शिता का मतलब हमें पूरी तरह से पारदर्शी होना होगा। यह सरकार लोगों की सरकार है। हमें इस देश की जनता को सही खुलापन और पूर्व पारदर्शिता प्रदान करनी है। प्रतिदिन संसद सदस्यों को नोटिंग और रिकार्ड जैसी चीजें हाथ लग जाते हैं। यहां तक कि अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये सभी गोपनीय चीजें सामने आ रही हैं। किन्तु, विधान बनाकर हम इन सभी चीजों को बंद कमरे में रख रहे हैं। इसलिए, मैं इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहता हूं। हम सभा पटल पर इन सभी दस्तावेजों, रिकार्डों और नोटिंगों को देख रहे हैं। कहां गई गोपनीयता?

आजादी के 53 वर्षों के बाद सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 19(1) दिया गया है। यही कारण है कि मैं इस सरकार से नम्र निवेदन करता हूं। सरकार को चाहिये कि वह अच्छा नाम कमाये। यदि हम सभी परिपूर्ण हैं, तो विधेयक भी परिपूर्ण होना चाहिए। इस अधिनियम से हमें वांछित परिणाम प्राप्त करना है। यदि लोगों के पास पूरी सूचना हो,

तभी पारदर्शिता आ पाएगी यह सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए देश में खुलापन और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर मेरे कतिपय सुझावों को स्वीकार करेगी।

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, मूलत: इस विधेयक का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना तथा नीति-निर्माण में लोगों की अधिक-से-अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है और सूचना, लोक प्राधिकारियों के काम-काज के संबंध में आम नागरिकों को सही सूचना प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक देशों में विधान बनाने के विश्वव्यापी ट्रेड को भी बरकरार रखना है।

साथ ही, हम इन वायदों को भी साकार करना चाहते हैं जो न केवल हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं, बल्कि संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा उसके साझा कार्यक्रम में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लोक सभा चुनावों के लिए उसके घोषणा पत्र में और हमारी सरकार द्वारा 1998 के राष्ट्रीय एजेण्डे और 1999 के घोषणा पत्र में भी किए गए हैं।

बहुत-सी रोचक बातें उभरकर सामने आई हैं। मैं समझती हूं कि कोई भी लोकतंत्र जब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक कि लोगों को यह जानने की अनुमति प्रदान नहीं की जाये कि सरकार क्या कर रही है। यह सत्ता का सवाल है। हम सभी जानते हैं कि जिसके पास सूचना होती है असली सत्ता उसी के पास होती है। किन्तु हमारे जैसे लोकतंत्र में सत्ता और सूचना का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए।

मैं आज की इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों से सहमत हूं कि यह निहायत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ इनफार्मेशन एक्ट पर चर्चा सूचना और अप्रत्यक्ष रुप से सत्ता में उन लोगों की भागीदारी की दिशा में महज एक कदम है जो इसके समुचित पात्र हैं।

मैं सरसरी तौर पर उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं विशेष रुप से संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस विधेयक को सामने लाने में कड़ी मेहनत की है।

इस पर विस्तारपूर्वक बहस और चर्चा हो चुकी है और अभी जो आप देख रहे हैं वह उसी मेहनत का परिणाम है।

मेरे पास बहुत-से सुझाव आए हैं; मैं उन सभी का बड़ी शीघ्रतापूर्वक अध्ययन करूंगी। दरअसल, श्री चेन्नितला और रघुवंश प्रसाद सिंह ने सूचना के अधिकार पर एक ही विषय को उठाया है कि क्यों नहीं इसे राइट टु इनफार्मेशन कहा जाता है। इसे फ्रीडम आफ इनफार्मेशन क्यों कहा जाता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 19 में पहले ही शामिल किया गया है। इसलिए वर्तमान अधिनियमन इस अधिनियम को मजबूती प्रदान करता है। कई देशों ने भी इसी तर्ज पर इसका नाम दिया है।

कहा गया है कि क्यों नहीं सूचना से गैर-नागरिकों को वंचित रखा जाए। सुझाव संसदीय स्थायी समिति को दिया गया है और हमारी टिप्पणी में डीओपीटी ने भी इस सुझाव को स्वीकार करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया था। विचार-विमर्श में एक सदस्य ने सुझाव दिया था कि यह अधिकार नागरिकों तक ही सीमित रखना चाहिए और इस विचार को संसदीय स्थायी समिति द्वारा स्वीकार किया गया। संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस मुद्दे पर तदनुसार कोई सिफारिश नहीं की गई।

फिर, जन सूचना अधिकारी के मामले में उनके प्रत्यायोजन को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इसकी रुपरेखा क्या होगी यह स्वयं नियमों के आधार पर तय की जा सकती है। जब हम स्वास्थ्य और जन सुरक्षा के मामले में सूचना को अनिवार्य रूप से उजागर किए जाने की बात करते हैं तो इससे मुख्य रुप से प्रस्तावित विधेयक और विशेष मंत्रालयों से संबंधित अधिनियम में उपबंधों की प्रासंगिकता पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या यह स्वास्थ्य अथवा परिवार कल्याण मंत्रालय ही है जो इस मामले के साथ प्रशासनिक रूप से जुड़ा हुआ है।

जहां तक जीवन और स्वतंत्रता का सवाल है, वर्तमान उपबंध के मुताबिक 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह बात संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों में कही गई है। हम समझते हैं कि ऐसे में यह पर्याप्त साबित होगा।

श्री कड़िया ने इस विधेयक का समर्थन किया और इसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने कई सरकारों की भूमिका का हवाला देते हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कही है। उन्होंने इस बात की भी व्याख्या करने की कोशिश की कि छूट संबंधी सूची बहुत ही लम्बी रही है। एच.डी. शौरी समिति ने महसूस किया है कि कोई 14 मामलों में प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जबकि हमने इसको कम करके 11 मामलों तक ही सीमित रखने की बात कही है। यदि आप इनकी अन्य देशों से तुलना करते हैं, तो हमारे जो भी प्रतिबंध है, उन्हें यहां शामिल किया गया है।

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

यह भी कहा गया था कि जन सूचना अधिकारी कौन या किस स्तर पर होना चाहिए था। दरअसल, हमने सभी पूर्वोदाहरणों पर गौर किया है और पाया है कि ये सब बहुत ही छोटी-छोटी चीजें हैं और इन्हें ही अधिनियम के इस भाग में शामिल किया जा रहा है।

फिर, हमने संयुक्त निजी संगठनों की बात की है। सबसे महत्वपूर्ण बात उस सूचना को उजागर करना है जो जन प्राधिकारियों के पास उपलब्ध है और निजी निकायों को सम्मिलित करने पर कभी विचार नहीं किया गया और न ही यह कभी आदेश पत्र का अंग रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब इसकी चर्चा हुई थी, तो उस समय विनिवेश मंत्रालय नहीं था। मंत्री जी सार्वजनिक क्षेत्र के इन सभी उपक्रमों से अपनी जान छुड़ा चुके हैं। अब उसने कोई भी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है।

श्रीमती वसुंधरा राजे : नौकरशाह को सुरक्षा देने और पारदर्शिता के संबंध में ये संशोधन मूलतः संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों, मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राय पर आधारित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किन्तु, माननीय मंत्री ने विधेयक का समर्थन करने पर मुझे धन्यवाद नहीं दिया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देती हूं।

श्री महताब ने कुछ ऐसे रोचक सुझाव दिए जो मूलतः अन्य देशों के विधान की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि ब्रिटेन में कोई विधान नहीं है। अब चूंकि यह विधान वर्ष 2000 में आया है। उन्होंने कई संशोधनों के बारे में भी कहा है, विशेषकर उन्होंने छूट के बारे में कहा है जिनमें लक्षद्वीप पुलिस को भी शामिल किया गया था। मूलतः यह संघ राज्य प्रशासन की सिफारिश है और गृह मंत्रालय ने भी इसका समर्थन किया है।

श्री दासमुंशी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। वह रिपोर्ट की पैरा 7(1) से उद्धरण दे रहे थे। विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा ये सुझाव दिए गए हैं।

ये संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें नहीं थीं। उन्होंने विधेयक की धारा 16(1) के बारे में भी बोला। धारा 16(1) मसौदा विधेयक का अंग है जिस पर तीन मंत्रिसमूहों ने विचार-विमर्श किया और उन्हें मजूर किया। संसद की स्थाई समिति भी इन्हें शामिल करने पर सहमत थी। आस्ट्रेलिया जैसे देशों के महत्वपूर्ण कानून में ऐसे ही प्रावधान है।

धारा 8(1) के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी मामलों की उद्घोषणा से छूट है। विधेयक के एक बार कानून बन जाने के बाद, उसके क्रियान्वयन के अपने अनुभव के आधार पर हमेशा संशोधित किया जा सकेगा। उद्घोषणा से छूट की सूची काफी लंबी है। मैंने उसके बारे में अभी कहा है। इस विधेयक का समर्थन करने हेतु मैं श्री दासमुंशी जो अभी यहां नहीं है को धन्यवाद देना चाहूंगी।

श्री अनादि साहू ने अधिनियम का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सूचना उद्घोषित की जानी चाहिये। हम करेंगे। और तब उन्होंने सक्षम प्राधिकारी के बारे में बात की। जहां तक क्षम प्राधिकारी का सवाल है, यह कहा गया कि राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष और अन्य जो न्यायालय में उपस्थित हों वे सभा के माध्यम से उपस्थित हों। यह ठीक बात नहीं होगी क्योंकि इससे विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका का एक दूसरे से विभाजन होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। श्री पांडियन ने हमारा समर्थन किया और इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने सूचना के अधिकार के बारे में बात की है। मैं पहले ही इसका उल्लेख कर चुकी हूं। मूलतः उन्होंने यह कहा कि विधेयक में गरीबी-उन्मूलन का मुद्दा शामिल नहीं है। यह अधिनियम भारत के सभी क्षेत्रों में लागू है और लोगों को यह सूचना मांगने का अधिकार है।

राज्य सरकार के बारे में उन्होंने राज्य सरकार के विधान के बारे में पूछा। जब एक ही विषय पर केन्द्रीय और राज्य दोनों विधान लागू हों तो केन्द्रीय विधान प्रभावी होगा। दो अधिनियमों के संगत प्रावधानों में विरोधाभास होने पर इस बीच ऐसे राज्य सरकार से जिसका अपना विधान अधिनियमित किया हो संगत अधिनियम के ऐसे प्रावधान हटाने का अनुरोध किया जायेगा ताकि केन्द्रीय और राज्य विधान में असंगति को समाप्त किया जा सके।

श्री नाच्चीयपन ने छूट के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने न्यायपालिका के बारे में पूछा है। असल में कुछ मामलों को छोड़कर न्यायपालिका को भी सूचना के अधिकार का पालन करना पड़ेगा। मैं उन्हें भी समर्थन देने के लिये धन्यवाद देना चाहूंगी उन्होंने कहा कि सूचना देने के लिये निर्धारित तीन दिन की अवधि काफी लंबी है। यह मंत्री दल द्वारा की गई सिफारिश है और संसदीय स्थाई समिति ने भी कहा है इसी समयावधि का पालन किया जाना चाहिये। जो भी हो आंतरिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया होगी और यह सतत प्रक्रिया है।

जहां तक श्री रावत द्वारा कही गई बातों का संबंध है, मैं श्री रावत को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने भी हमें काफी समर्थन दिया।

श्री वरकला राधाकृष्णन ने सजा के प्रावधानों और छूट के बारे में भी बात की। असल में धारा 5 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, जो विधेयक का मूल स्तम्भ है और जिसके बिना विधेयक के होने के कोई मायने नहीं है, की नियुक्ति उपचार है। विभागीय अपीलीय तंत्र का भी प्रावधान है जहां तीस दिनों के भीतर संपर्क किया जा सकता है और आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इस चर्चा में भाग लेने और हमें समर्थन देने के लिये भी कष्ट करने हेतु भी मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। जहां तक श्री पाटिल का सवाल है, उन्होंने पूछा कि व्यापार और वाणिज्यिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 8(1) एफ के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों पर यह कानून कैसे लागू होगा? महोदय, मूलत: सूचना अधिनियम के अन्तर्गत जो इसके अन्तर्गत आता है उससे अधिनियम की धारा 8 और 9 के अध्यधीन प्राप्त अप्रयोज्यता से अन्य अधिनियमों सभी विपरीत प्रावधान प्रभावित हो जायेंगे।

हालांकि यह विशेष मुद्दा है, इसका निर्णय मामले की सटीक परिस्थितियों के आधार पर किया जायेगा। अत: अग्रिम में काल्पनिक स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

इन सब बातों के अंत में, इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सूचना की आजादी संबंधी विधान ने विभिन्न सरकारों और कार्यदलों का ध्यान आकर्षित किया है। यह विधेयक लोक सभा में 25 जुलाई, 2000 को पेश किया गया था। इसमें लंबित रहते हुये जांच और रिपोर्ट हेतु इसे विभागीय संसदीय स्थाई समिति के पास भेज दिया गया। स्थाई समिति की रिपोर्ट 25 जुलाई, 2001 को दोनों सभाओं में रखी गई। संसदीय स्थाई समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की गई और इस सम्माननीय सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में विधेयक की चर्चा की गई। वाकई यह लंबे समय चले विचार-विमर्श का नतीजा है। मैं सबको उनके अमूल्य विचारों और सुझाव तथा चर्चा के दौरान दिये गये सहयोग के लिये, धन्यवाद देना चाहती हूं और इस विधेयक के आसानी से पारित किये जाने की आशा करती हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील : इस विधेयक पेश करने के लिये मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं इस विधेयक को पेश करने के लिये सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा लेकिन मेरी शंकाओं को स्पष्ट किये जाने की जरूरत है। हमारे यहां वित्तीय समस्याएं हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंक है। वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अरबों रुपये ऐसे लोगों को दिये गये हैं, जो दिये गये कोष को वापस नहीं कर रहे हैं। अब यह सरकार की गतिविधि का भी हिस्सा है। यदि भारत का एक नागरिक जिसे आपने सूचना का अधिकार दिया है, ऐसे लोगों के नाम और इन वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा दी गई धनराशि के बारे में पूछता है और यदि आप उसे यह सूचना नहीं दे रहे हैं, तो आप देश, वित्तीय संस्थाओं, सरकार और लोगों के हितों की सुरक्षा कैसे करेंगे? यह सूचना क्यों नहीं दी जानी चाहिये? अब यदि ऐसा कानून बनाते हैं जिसके अन्तर्गत सूचना न दी जाये तो क्या इससे सरकार को सहायता मिलेगी? लोगों का भला होगा? आप सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं? अब यह कानून मंत्रियों, अधिकारियों और सरकार में कार्यरत लोगों के विरुद्ध प्रयुक्त होगा? लेकिन यह कानून ऐसे सरकारी उपक्रमों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जहां से अरबों रुपये लिये गये थे और वापस नहीं किये गये? यह हमें पता है। वित्त मंत्री खुद कहते हैं कि यह लूट है और वह सूचना आप लोगों को देना नहीं चाहते। क्यों? इस संबंध में सरकार को क्या चीज रोक रही है? यह क्यों नहीं दी जाती है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं? मैं माननीय श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता से पूरी तरह सहमत हूं कि कानून के अन्तर्गत बैंकों से भारी ऋण लेने वाले लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया जाता लेकिन इस समय संसद या सरकार के रूप में हम उस कानून के बारे में सोच सकते हैं जो उधार देने वालों के नाम का खुलासा करने से सुरक्षा प्रदान करता है। इस समय मेरा अनुरोध होगा कि यह शुरुआत है। इसमें जाने इस अधिनियम द्वारा कानून की अनदेखी की बजाए कानून पर किसी समय सुविचारित दृष्टिकोण अपनाई जाये। हालांकि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस समय इस मुद्दे पर ध्यान दे सकते हैं जब हम विपक्ष में थे, तो इस बात के लिये लड़े कि यदि किसी को दस करोड़ रुपये दिये गये तो उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाना चाहिये।

मेरे विचार से मैं उस कानून के मूल कानून निर्माताओं को उनकी भावनाओं से अवगत कराऊंगा और यह देखूंगा कि इस गोपनीयता से सरकारी वित्तीय संस्थाओं को लूटने वालों को सहायता न मिले। लेकिन इस समय इस मुद्दे को न उठायें, हालांकि यह मुझे स्वीकार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस विधेयक के पारित होने में 2 वर्ष और 10 हीने लगे हैं। अगला संशोधन 5 वर्षों में होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अब श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा रखे गए संशोधन सं. 1 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही का संप्रवर्तन करने के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन लोक हित से संगत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रताका और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 परिभाषाएं

संशोधन किया गया

पंक्ति 3 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

"(तीन) संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित या नियंत्रित किसी लोक प्राधिकारी के संबंध में, केन्द्रीय सरकार।" (3)

पृष्ठ 2

पंक्ति 10 के पश्चात, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए–

"(पाँच) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक।"(4)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया। खंड 3, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 31 और 32,–

"लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने" के *स्थान* पर "नैसर्गिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उन्नयन" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (5)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 7 अनुरोधों का निपटान

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 4,–

पंक्ति 12 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

"परंतु जहां किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के संबंध में जानकारी मांगी गई है वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।" (6)

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,–

"परंतु" के *स्थान* पर, "परंतु यह और कि" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (7)

(श्रीमती वसुंधरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 सूचना के प्रकट किए जाने से छूट

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 5, पंक्ति 16,-

''ऐसी किसी घटना, बात या विषय से संबंधित कोई सूचना'' *के स्थान* पर, ''उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रहते हुए, ऐसी किसी घटना, बात या विषय से संबंधित कोई सूचना'' *प्रतिस्थापित किया जाए*। (8)

(श्रीमती वसुंधरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 8, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 कतिपय मामले में पहुंच से इंकार करने के आधार

संशोधन किया गया

पृष्ठ 5, पंक्ति 25-

''आनुपातिक'' *के स्थान* पर, ''अयुक्तियुक्त'' *प्रतिस्थापित किया जाए* (9)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 पृथक्करणीय

पृष्ठ 5, पंक्ति 38,-

''10'' *के स्थान* पर, ''10. (1)'' *प्रतिस्थापित किया जाए*। (10)

पृष्ठ 5,-

पंक्ति 42 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंतःस्थापित* किया जाए।

''(2) जहां उपधारा (1) के अनुसार अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है वहां अनुरोध करने वाले व्यक्ति को यह सूचना दी जाएगी,-

(क) कि उक्त अभिलेख का केवल वही भाग, जिसके लिए अनुरोध किया गया है, उक्त जानकारी को अंतर्विष्ट करने वाले भाग को उस अभिलेख से पृथक करने के पश्चात्, जिसे प्रकट करने से छूट प्राप्त है, दिया जा रहा है; और

(ख) अधिनियम के उन उपबंधों की, जिनके अधीन पृथक किए गए भाग को प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, जानकारी दी जा रही है।''। (11)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 10(1), संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 अन्य पत्रकार को सूचना

संशोधन किया गया

पृष्ठ 6,-

पंक्ति 1 से 8 *के स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए*।

''11. (1) जहां किसी लोक प्राधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर किसी ऐसी जानकारी या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी अन्य पक्षकार से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदाय किया गया है और उसे अन्य पक्षकार द्वारा गोपनीय माना गया है वहां लोक सूचना प्राधिकारी, अनुरोध प्राप्त होने से पच्चीस दिन के भीतर ऐसे अन्य पक्षकार को अनुरोध की और ऐसे तथ्य की लिखित में सूचना देगा कि लोक प्राधिकारी का आशय उक्त जानकारी या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन करने का है:

परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार और वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित ऐसे अन्य पक्षकार के हितों को किसी संभव अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

[सभापति महोदय]

(2) जहां अन्य पक्षकार को किसी जानकारी या अभिलेख या उसके किसी भाग की बाबत उपधारा (1) के अधीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना दी जाती है वहां अन्य पक्षकार को, सूचना जारी किए जाने की तारीख से बीस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए, लोक सूचना अधिकारी, धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात्, साठ दिन के भीतर यदि अन्य पक्षकार को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दिया गया है, इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त जानकारी, अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए अथवा नहीं और अपने उक्त विनिश्चय की सूचना लिखित में अन्य पक्षकार को देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि अन्य पक्षकार, जिसे सूचना दी गई है, धारा 12 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है।" (12)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 और 13 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 14 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

संशोधन किया गया

पृष्ठ 6,-

पंक्ति 30 और 31 के *स्थान पर*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

"14. इस अधिनियम के उपबंध शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के कारण विधि का प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।" (13)

(श्रीमती वसुंधरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16–अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना

संशोधन किया गया

पृष्ठ 66,

पंक्ति 35 से 38 और पृष्ठ 7, पंक्ति 1 से 10 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

"16. (1) इस अधिनियम की कोई बात अनुसूची में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी जानकारी को लागू नहीं होगी।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में, उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को, यथास्थिति, उक्त अनुसूची में सम्मिलित किया गया या उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी। (14)

(श्रीमती वसुंधरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 17 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2-

पंक्ति 20 से 35 *के स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,

"अनुसूची"

(धारा 16 देखिए)

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय की अनुसंधान और विश्लेषण शाखा।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।
5. प्रवर्तन निदेशालय।
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।
7. विमानन अनुसंधान केन्द्र।
8. विशेष सीमांत बल।
9. सीमा सुरक्षा बल।
10. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल।
11. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस।
12. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
13. राष्ट्रीय सरक्षा गार्ड।
14. असम राइफल्स।
15. विशेष सेवा ब्यूरो।
16. विशेष शाखा (सी.आई.डी.) अंडमान और निकोबार।
17. अपराध शाखा-सी.आई.डी.-सी.बी. दादरा और नगर हवेली।
18. सतर्कता निदेशालय जिसके अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा भी है।
19. लक्षद्वीप पुलिस को विशेष शाखा।" (15)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,-

"2000" *के स्थान* पर, "2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"इक्यानवें" *के स्थान* पर, "तिरपनवें" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

[सभापति महोदय]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.34 बजे

(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 14, वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी।

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, आपकी अनुमति से मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं।

भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्गेनाईजेशन जो कि समुद्रीय पोत परिवहन में विश्व मानकों को स्थापित करने और लागू करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र की सभा है का एक सक्रिय और प्रमुख सदस्य है। जब से अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन की कार्यकारी परिषद ने कार्य करना प्रारम्भ किया है तभी से भारत को इसको सदस्य चुने जाने का मौका मिला है।

अपराह्न 5.36 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए*]

विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करे। भारत का लगातार अपने पोत परिवहन की गुणवत्ता में सुधार करने का भी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता है। पोत पविहन और समुद्रीय कार्यों से संबंधित कानूनों का वैश्विक महत्व है। हमारे पोतों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है और विदेशी पत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के अभिसमयों तथा नयाचारों के अनुपालन की जांच करने हेतु उनका निरीक्षण किया जा सकता है। इसी प्रकार विदेशी पोत भी जब भारतीय पत्तनों पर आते हैं तो उनका निरीक्षण करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रहने हेतु भारत को इन अभिसमयों और नयाचारों के प्रावधानों को अपने पोत परिवहन कानून में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता और समय दोनों के प्रति गतिशील और जवाबदेह होना पड़ेगा। प्रस्तावित सशोधन एक बार संसद द्वारा अनुमोदित हो जाते हैं तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करने मे समर्थ हो सकेगा।

वर्तमान विधेयक में तीन प्रमुख मुद्दों पर वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की 11 नई धाराओं को जोड़ने के अतिरिक्त वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की 22 धाराओं में संशोधन तथा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धाराएं हैं। मैं उनकी व्याख्या नहीं करूंगा बल्कि केवल उनका उल्लेख करूंगा। पहली, वे संशोधन जो कि उन पांच अभिसमयों और नयाचारों के प्रावधानों को लागू करने हेतु आवश्यक है जिनमें हाल ही में भारत एक पक्ष बन गया है। दूसरी, महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 116 में परिधानी संशोधन करना है ताकि इसे वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के प्रावधानों के समकक्ष लाया जा सके। तीसरी, उन संशोधनों से संबंधित है जिनकी परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरत है।

यदि मैं एक लाइन में कहूं तो प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य यह है कि हमें विदेशी पत्तनों पर कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस संबंध में प्रस्तावित संशोधनों में इस पक्ष पर ध्यान दिया गया है। दूसरे, नुकसान की पूर्ति की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में वर्तमान नियमों के अनुसार नुकसान की पूर्ति पोत मालिक को

करनी पड़ेगी। संशोधनों में सामुद्रिक दावों के दायित्व की परिसीमा संबंधी आई.एफ.ओ. अभिसमय (एल.एल.एम.सी.), 1976 के प्रावधानों को शामिल किया गया है जिन पर भारत सहमत हो गया है। इस अभिसमय में सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिन तक पोत मालिक द्वारा दावों के भुगतान करने की आशा है। अधिकतम धनराशि सीमा, फ्रेंच फ्रेंक में रखे जाने वाले यूनिट खातों का विशेष आहरण अधिकर से प्रतिस्थापित करना कुछ ऐसे प्रस्तावित संशोधन हैं जो वर्तमान प्रावधानों के रहते मुद्रा में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कराते हैं।

हमारे तट के साथ-साथ तेल की ढुलाई में वृद्धि के मद्देनजर हमारे जल में तेल प्रदूषण का अत्यधिक जोखिम है जिसके परिणामस्वरूप तटवर्ती और समुद्री पर्यावरण को क्षति हो सकती है। बड़े पैमाने पर सफाई कार्यों की भी आवश्यकता होगी जिसके लिए बहुत अधिक धन की जरूरत होगी। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों को आई.एम.ओ. के 1992 के नागरिक दायित्व और निधि अभिसमयों जिनका भारत एक पक्ष बन गया है के अनुसार समग्र दायित्व क्षतिपूर्ति के संबंध में अद्यतन किया जाना चाहिए। प्रस्तावित संशोधन बेहतर सीमाएं तथा दावों की बेहतर सम्भावनाएं प्रदान करते हैं।

कनवेन्शन ऑन लिमिटेशन ऑफ लायविलिटी फार मैरिनटाइम किलेमस, 1976 तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में प्रस्तावित संशोधनों के अभिगमन के परिणामस्वरूप महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 116 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसे वास्तव में बन्दरगाह संबंधी कार्यों, बेसिनों, जलमार्गों और नौवहन में सहायक जो कि क्षति प्रवण हैं के लिए क्षति हेतु दायित्व की परिसीमा के तर्ज पर लाए जाने की आवश्यकता है। अभी, एम.पी.टी. अधिनियम में पोत मालिकों पर असीमित दायित्व का उपबंध है जो कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 में शामिल किए जा रहे अभिसमय के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

पहले, नाविकों का नियोजन नाविक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से विनियमित किया जाता था। कुशल युवाओं हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता के मद्देनजर विदेशी पोत परिवहन कम्पनियों को नाविक रोजगार कार्यालयों के माध्यम के बिना नाविकों की सीधी भर्ती की अनुमति दे दी गई। यह बताया गया था कि वहां बाधाएं एवं असंतोष था।

कुशल लोगों हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से यह हमारी नियंत्रण हटाने और विकेन्द्रीकरण की नीति की तर्ज पर भी है। वे कम कुशल है लेकिन एक बार नियोजित हो जाने पर उन्हें अत्यधिक वेतन दिया जाता है। पोत परिवहन कम्पनियां अपने पोतों पर नाविकों के नियोजन के लिए भर्ती और प्लेसमेंट सेवा प्रदाताओं (मैनिंग एजेन्टस) की सेवाओं हेतु बेसब्र रहती हैं। हमारे अधिकारियों और नाविकों को सभी अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रों में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। उन्हें अधिक से अधिक सेवा में लेने की इच्छा होती है और हम उनके प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं ताकि रोजगार के इस अवसर को व्यापक रूप से खोला जा सके। जैसा कि मैंने कहा कि इससे हमारे नाविकों के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन अभी अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए इन एजेन्टों की जवाबदेही को निर्धारित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि इस जिम्मेदारियों को निर्धारित किया जाता है वे अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते और इससे उस गरीब कर्मचारियों जिसके पास कोई और चारा नहीं है के लिए समस्याएं उत्पन्न होती है। सेवा शर्तें निर्धारित है लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता है और उन्हें पूरा वेतन भी नहीं दिया जाता है, हमारे नाविकों को शोषण से बचाने या विदेशी पत्तनों में बिना वेतन के कार्य करने और उनके घर वापस भेजने का प्रावधान न होने के कारण हमारे नाविकों के हितों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि भर्ती और प्लेसमेंट सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस प्रणाली होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भर्ती और प्लेसमेंट सेवा प्रदाता उन लोगों जिन्हें वे भर्ती करते हैं के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर सकेंगे। ऐसी सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। नाविक नियोजन कार्यालयों के नियोजन को विनियमित करने की उनका पहले की भूमिका के स्थान पर भर्ती और प्लेसमेंट सेवा प्रदाताओं के विनियमन की भूमिका दी जा रही है। इसके अलावा, नाविकों के नियोजन में भेदभाव से बचने और नाविकों के नियोजन में कदाचार को रोकने के लिए भी संशोधनों का प्रस्ताव है।

सुरक्षा की दृष्टि से जैसा कि समुद्र में जीवन सुरक्षा (एस.ओ.एल.ए.एस.) अभिसमय, 1974 में यथा निर्धारित रूप में प्रत्येक भारतीय पोत को यात्रा पर जाते समय पर्याप्त 'मीनिमम सेफ मैनिंग डाकूमेंट' लेकर चलना अपेक्षित है। तदनुसार, संबंधित आई.एम.ओ. प्रस्ताव के दिशानिर्देशों के अनुसार मीनिमम सेफ मैनिंग स्केल्स तैयार किए जाने अपेक्षित हैं। वर्तमान में अधिनियम में मैनिंग स्केल्स् शामिल हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के पोतों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता है इसमें उस लोम का अभाव है। उदाहरणार्थ, बड़े पोतों पर अधिक कर्मियों की आवश्यकता होती है और चूंकि तटीय पोत बहुत छोटे होते हैं इसलिए उनके लिए कम कर्मियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि तटीय जल में प्रचालित होने वाले छोटे पोतों और अपतटीय पोतों को विदेश जाने वाले बड़े पोतों से अलग मैनिंग स्केल्स रखने होंगे।

[श्री वेद प्रकाश गोयल]

तटीय व्यापार में लगे छोटे पोतों और अपतटीय आपूर्ति पोतों के लिए विभिन्न मानकों को विहित करने हेतु मीनिमम सेफ मैनिंग स्केल निर्धारित करने और पोतों के आकार, मात्रा की अवधि आदि के आधार पर विभिन्न मैंनिग स्केल्स उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता से इस सम्बन्ध में नियम बनाने हेतु संशोधन प्रस्तावित है; इससे तटीय पोत परिवहन का विकास को बढ़ाया मिलेगा जिसके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न समितियों द्वारा सिफारिश की गई है।

इन प्रस्तावित संशोधनों से, न केवल भारत विभिन्न आई.एम.ओ. अभिसमयों और नयाचारों में अधिमिलन से उत्पन्न होने वाली अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में समर्थ होगा। बल्कि वह दूसरे विकसित समुद्रवर्ती राष्ट्रों की प्रणालियों और आवश्यकताओं के समतुल्य आ जाएगा।

महोदय, आरम्भिक टिप्पणियों के साथ ही मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

''कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।''

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने हेतु खड़ा हूं। इस संशोधन विधेयक में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 1958 को सभी 22 धाराओं और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को एक धारा में संशोधन किया जाना निहित है। हाल ही में भारत ने पांच अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों और नयाचारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके परिणामस्वरूप वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी है। इस संशोधन के कारण महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 116 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

महोदय, हमारे देश की एक राष्ट्रीय पोत परिवहन नीति है। लेकिन हमारे देश को पोत परिवहन के मामले में विश्व के सभी देशों में चौदहवां स्थान प्राप्त है। यद्यपि यह व्यापक विधेयक है तथापि इस विधेयक के सभी प्रावधानों के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र के सामने आ रही समस्यायें दूर नहीं होगी ...*(व्यवधान)* इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली असंख्य समस्यायें है। अगर सही कहूं तो यह क्षेत्र लम्बे समय से उपेक्षित रही है। इस क्षेत्र को न तो बजट के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता दी गई है और न ही किसी अन्य संस्था द्वारा इस क्षेत्र को गम्भीरतापूर्वक किया गया।

महोदय, रोजगार के अवसरों के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस क्षेत्र में और रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि आप आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। सुरक्षा के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रालय की इस बारे में ढुलमुल रवैया रहा है। हमारे 70 प्रतिशत सामान की सम्हलाई विदेशी पोतों द्वारा की जाती है। भारतीय जहाजों और भारतीय पोतों द्वारा मात्र 30 प्रतिशत सामान की सम्हलाई की जाती है। इससे जाहिर होता है कि हम इस क्षेत्र के बारे में कितने गम्भीर हैं।

महोदय, दसवीं योजना कार्य समूह के प्राक्कलनों के अनुसार आगामी पांच वर्षों में भारत को 63.5 मिलियन डालर मूल्य का सामान ढोने वाले 150 जहाजों का ध्यान रखना होगा। हम इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे? यही प्रमुख चिंता है जिससे आज यह क्षेत्र गुजर रहा है। हमारा देश इस क्षेत्र से काफी राजस्व अर्जित कर रहा है और यदि हम इस क्षेत्र पर और ध्यान देते है तो इस क्षेत्र से कमाई और हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात इस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

हमारा तटवर्ती क्षेत्र विशाल है और हमें इसे गम्भीरता से लेना होगा। सामुद्रिक पोत परिवहन को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए। अभी कतिपय भारतीय पत्तनों पर बड़े पोत लंगर नहीं डाल सकते हैं। सिंगापुर जैसे छोटे देश में सभी प्रकार के पोत खड़े हो सकते हैं। कोलम्बो में भी सभी प्रकार के पोत खड़े हो सकते हैं। तथापि, भारत जैसे विशाल देश जिसका इतना बड़ा तटवर्ती क्षेत्र है वह बड़े पोत लंगर नहीं डाल सकते हैं।

श्री ए.सी. जोस और मैं बलारपदम कन्टेनर टर्मिनल परियोजना के बारे में बात कर रहे थे, यह परियोजना केरल और सामुद्रिक पोत परिवहन के पूर्ण विकास के लिए आदर्शतः उपयुक्त है। दुर्भाग्यवश, केरल सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को लागू करने के लिए गम्भीर प्रयास नहीं किए है। हमें बताया गया था कि इसे तूतीकोरिन को स्थानान्तरित किया जा रहा है। माननीय सभापति जी यदि इसे तूतीकोरिन में स्थानान्तरित किया जाता है तो आपको खुशी महसूस होगी।

इस पर अध्ययन कराया गया था। इस अध्ययन से पता चला कि बल्लारपदुम, कन्टेनर टर्मिनल की स्थापना हेतु आदर्श स्थान है। मैं नहीं समझ पाया कि सरकार इस पर क्यों आंखे मूंदे बैठी है और इस परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु वह गम्भीर प्रयास क्यों नहीं कर रही है। यदि यह बल्लारपदुम कन्टेनर टर्मिनल परियोजना पूरी कर ली जाती है तो सामुद्रिक पोत परिवहन को इससे बढ़ावा मिलेगा। कोचीन में बड़े पोतों के आने से रोजगार के और अवसर सृजित होंगे। इससे निश्चित रुप से सामुद्रिक पोत

परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। तथापि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया है। हाल ही में माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। इसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई।

हमारे देश में 12 पत्तन है। इन 12 पत्तनों में लगभग 194 मिलियन टन माल की संभलाई की जाती है। मैं माननीय मंत्री से हमारे पत्तन न्यासों के कार्यकरण की जांच करने का अनुरोध करता हूं। पत्तन न्यासों में कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और पक्षपात के कारण पत्तनों को ऐसे गतिरोध में ला खड़ा कर दिया है। यह कहा जाता है कि यह पत्तन न्यास घाटे में चल रहे हैं। कुप्रबन्धन, पक्षपात और भ्रष्टाचार के कारण घाटे में चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं पत्तन न्यासों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया जाए। जो लोग इस कुप्रशासन के लिए जिम्मेदार है उन्हें सजा दी जानी चाहिए।

शिपयार्ड के संबंध में, श्री ए.सी. जोस कोचीन शिपयार्ड में एक यूनियन के नेता हैं। मुझे बताया गया था कि कोचीन शिपयार्ड का निजीकरण किया जा रहा है। जब श्रीमती इंदिरा गाधी भारत की प्रधान मंत्री थीं, उन्होंने इन शिपयार्ड का उद्घाटन किया था। कोचीन शिपयार्ड में अच्छे जहाज बनाए जाते थे। निःसंदेह अब कोचीन शिपयार्ड में स्थिति बहुत खराब है क्योंकि इस शिपयार्ड की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस शिपयार्ड में प्रौद्योगिकी का भी उन्नयन किया जाना है। इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया। हमें जानकारी मिली है कि इसका निजीकरण किया जा रहा है। इसे कौन ले रहा है और किसलिए? नए पोतों के निर्माण के लिए इस शिपयार्ड को कोई आदेश नहीं दिए गए थे। धीरे-धीरे इस शिपयार्ड को भारी घाटा होने लगा।

हमारे पत्तन न्यास गुणवत्ता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं बनाए रख रहे हैं। उनका प्रबंधन बहुत खराब है। केन्द्र सरकार ने देश के पत्तन न्यासों और शिपयार्डो पर कोई ध्यान नहीं दिया।

आज गहरे समुद्री पत्तन आवश्यक हो गए हैं। हमें गहरे समुद्री पत्तनों पर अधिक ध्यान देना होगा। मैं इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा।

इस विधेयक का कोई विरोध नहीं कर रहा है। विधेयक लाना स्वागत योग्य कदम है। इसी समय, देश के विकास में इस क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के कारण इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदय, श्री रमेश चेन्नितला द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय : यह भावनाओं की बात नहीं है, यह विचार है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं भी इस अर्थ में दुःखी हूं कि कोचीन शिपयार्ड संकट का सामना कर रहा है। इसे बहुत आशा के साथ शुरू किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश, संबंधित प्राधिकारियों की तरफ से कुप्रबंधन के कारण यह घाटे में चली गई थी। लेकिन अभी भी, हम मानते हैं कि इसका पुनरुद्धार बिना किसी परेशानी के शुरू किया जा सकता है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से कोचीन शिपयार्ड के पुनरुद्धार की पहल करने का अनुरोध करुंगा अन्यथा हजारों शिपयार्ड कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे, यह राज्य द्वारा सामना की जा रहे गंभीर समस्याओं में से एक है।

अब, भारत में पत्तनों के विकास के संबंध में, विशेषकर कोचीन पत्तन के संबंध में, मेरे माननीय मित्र ने पहले ही कहा है कि कोचीन पत्तन भी विनाश के कगार पर हैं। जब तक भ्रष्ट पत्तन न्यास अधिकारियों के विरुद्ध कुछ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हम इसे बचाने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि उन्हें मामले पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए और यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पत्तन न्यास सही तरीके से काम कर रहा है।

अब मैं वल्लारपदम कन्टेनर टर्मिनल के मुद्दे को उठाना चाहूंगा। मैंने इस मुद्दे को सभा पटल पर अनेक बार उठाया है। मंत्री जी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि वे मामले की जांच करेंगे कि इन सब चीजों को सही समय पर किया जाए। इसके अलावा सत्ता पक्ष की ओर से यह वायदा किया गया था कि शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मैं जानता हूं कि निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और उन्हें स्वीकार किया गया था। लेकिन अब तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। एक्सप्रेस राजमार्ग के मामले में छुपा प्रयास किया गया जो कन्याकुमारी तक नहीं गया था। यह घोषणा की गई थी कि एक्सप्रेस राजमार्ग कन्याकुमारी तक जाएगा लेकिन यह कन्याकुमारी तक नहीं आया। यह और कही चला गया। उस समय इसका प्रभार तमिल मंत्री के पास था। उनके प्रयास से यह दूर खिसक गया। इसलिए भी, ऐसा लगता है, यह देखने के लिए कोई गुप्त एजेंडा या गुप्त प्रयास किया गया कि कन्टेनर टर्मिनल को तूतीकोरिन हस्तांतरित कर दिया जाए ...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बातों का गलत अर्थ न लगाएं

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

...*(व्यवधान)* ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि कोचीन पत्तन या वल्लारपदम पत्तन उपयुक्त नहीं लगता। विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के बाद, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि यह उपयुक्त नहीं है। सरकार ने अनेक बार अनेक कोणों से मामले पर ध्यान दिया था। फिर, अंततः यह निर्णय लिया गया कि वल्लारपदम में कन्टेनर टर्मिनल बनाया जाएगा। लेकिन परिणाम क्या निकला? अभी तक किसी तरह का कार्य नहीं शुरू किया गया। यह वास्तव में उपेक्षापूर्ण है।

यहां, मैं आशा करता हूं कि वर्तमान माननीय मंत्री पहल करेंगे और यह देखेंगे कि वायदा पूरा किया जाए।

अब, मैं कानून की बात करता हूं। यह अच्छा विधान है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन यहां कतिपय प्रावधान हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिपूर्ति कोष के गठन से संबंधित एक ऐसा प्रावधान है। यह विधेयक के पृष्ठ 14 पर भाग XC(ग) में है। यह अच्छा कदम है। लेकिन ऐसा हमारे खर्च पर नहीं होना चाहिए। इसलिए, जब तक हम पूरी तरह सावधान नहीं रहते और कुछ ठोस कार्रवाई नहीं करते, तब तक अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिपूर्ति कोष घाटे में बरतेगी। ऐसा मैं पहले के अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए, जब यह कोष गठित किया जाए तो हमें यह देखते हुए सावधान रहना चाहिए कि किसी भी तरह से हम घाटे में न रहें।

महोदय, लोगों द्वारा कोष में योगदान करने के बारे में प्रावधान किया गया है। यह बहुत अच्छा प्रावधान है।

सायं 6.00 बजे

इसलिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। कामगारों की चिंता के संबंध में उनकी सेवा की सुरक्षा अवश्य होनी चाहिए। वे रोजगार के योग्य हैं, लेकिन विदेशी पोत मालिक समुद्र में चलने वाले पोतों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें।

क्या हम सभा का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दें? चर्चा में भाग लेने के लिए चार और माननीय सदस्य हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य केवल पांच मिनट तक बोलना चाहते हैं। इसलिए, अगले बीस मिनट के हम इस चर्चा को समाप्त करने में समर्थ हो जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : हम इस पर कल भी चर्चा कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : हम इसे कल भी जारी रख सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बोलने के लिए केवल चार माननीय सदस्य और है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू : हम आधा घंटा बैठकर इसे समाप्त कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): आज इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए, हम सभा का समय आधे घंटे तक बढ़ाकर इसे पूरा कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। हम समय बढ़ा सकते हैं, श्री शिवराज पाटील आपका क्या कहना है? ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): सामान्य तौर पर, हमें कार्यवाही को खत्म करने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह महत्वपूर्ण विधान है। यदि वे किसी चीज पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं उन्हें इस पर कल चर्चा करने दें ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा केवल यही अनुरोध है। वे सहयोग कर रहे हैं और इसलिए, मैं किसी चीज पर दबाव नहीं डाल रहा हूं। इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : इस विधेयक को मूल कार्य सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : पहले, मैं आपकी बातों पर सहमति जता रहा हूं और तभी मैं यह बात रख रहा हूं। अब, आपकी क्या आपत्ति है? ...*(व्यवधान)* दूसरी, बी.ए.सी. ने इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए सिर्फ एक घंटा आवंटित किया है। हमने पहले ही आधे घंटे की इस पर चर्चा कर ली है। हमने कल किसानों के मुद्दे पर होने वाली चर्चा का समय 4 बजे के स्थान पर 2 बजे कर दिया है क्योंकि कई माननीय सदस्य अनेक बातें कहना चाहते हैं। इसलिए, अब मैं इसे उन्हीं पर छोड़ूंगा। यदि हम अभी उठ जाते हैं, तो इस विधेयक का आधी चर्चा ही हो पाएगी और यह लम्बित रह जाएगी। इसलिए, इसे मैं अब उनके निर्णय पर छोड़ता हूं, वे जैसा चाहें कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं, मैं हम समय बढ़ाकर इसे आज ही समाप्त कर सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : ठीक है।

सभापति महोदय : ठीक है, हम इस चर्चा को जारी रख सकते हैं।

श्री राधाकृष्णन, आप अपनी बात जल्दी खत्म कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : हां, मैं अपनी बात शीघ्र समाप्त कर दूंगा। समुद्री गमन करने वालों के मामले में, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा। भविष्य निधि (पी.एफ.) अंशदान हुआ करता है।

सभापति महोदय : यदि सदस्य अपनी पार्टी को आवंटित समय में ही अपनी बात समाप्त कर लेते है तो हम अगले पांच मिनट में इसे खत्म कर सकते हैं क्योंकि कई दलों को केवल एक मिनट का समय आवंटित किया गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब, एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा भविष्य निधि आयुक्त धनराशि का संग्रहण कर रहा है। इसे वहां जमा किया जाता है। मैं इस मामले को पहले भी उनके ध्यान में लाया हूं। यदि 100 रु. की भी धोखाधड़ी की जाती है। तो गरीब कामगारों को ही भुगतान है। जालसाजी धोखाधड़ी अपराध है और इस पर सजा होगी; लेकिन समुद्र गमन करने वालों द्वारा किये गए भुगतान का कोई विकल्प नहीं है। यह कामगार तथा नियोक्ता का अंशदान है। यह अंतर्राष्ट्रीय पोत निर्माण उद्योग में भी बदनाम हो गया है। विदेशी पोत अब अंशदान नहीं करेंगे क्योंकि भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में सरकारी अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। पूर्व में ऐसा नहीं था। कानून में संशोधन किया गया था और भविष्य निधि आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया गया था। मुझे लगता है, उनके प्रभार ग्रहण करने के बाद, 100 रु. की राशि का दुरुपयोग किया गया था और उस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। प्रश्न यह है कि योगदान देने वाले गरीब कामगारों को कैसे प्रतिपूर्ति दी जाए। उन्हें पैसा नहीं मिलेगा भले ही वह व्यक्ति दोषी पाया जाये और दंडित किया जाये और दंडित किया जाए। लेकिन इसके शिकार कामगार ही होंगे।

इसीलिए, सरकार को ऐसा कोई उपाय ढूंढ़ना होगा जिसके द्वारा गरीब कामगारों को प्रतिपूर्ति दी जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से ऐसा कोई उपाय ढूंढ़ने का आग्रह करूंगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक गारन्टी दे सकता है। जिससे दस साल का ब्याज इकट्ठा करके धनराशि प्रदान की जा सके। इसका कुल परिणाम यह होगा कि न तो लाभ होगा और न हानि। फिर भी, आपको ऐसा तरीका अथवा प्रणाली अथवा उपाय ढूंढ़ना होगा जिसके द्वारा इन गरीब कामगारों को भविष्य निधि की राशि के नुकसान से बचाया जा सके। आखिर इसे उनके वेतन से काटा गया है।

सभापति महोदय : आप आठ मिनट ले चुके हैं। अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इस मामले पर गंभीरता से विचार करें और भविष्य निधि में पैसा जमा करने वाले गरीब नाविकों के साथ न्याय करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, वाणिज्य पोत (संशोधन) विधेयक, 2002 माननीय मंत्री जी लाये हैं। वाणिज्य पोत का हिन्दुस्तान में बड़ा महत्व है। इसे इग्नोर करने से देश का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे देश में तीन तरफ समुद्र है और पुराने जमाने से वाणिज्य पोतों से काम होता रहा है। हमारे देश का सामान दूसरे देश में और दूसरे देश का सामान अपने देश में आता जाता रहा है, लेकिन सरकार इस विभाग की बड़ी उपेक्षा कर रही है। हर महीने, दो महीने में इसके मंत्री बदल जाते हैं। हालांकि यह मंत्री बड़े भले, हमारे नजदीकी और अच्छे आदमी हैं, लेकिन इस विभाग में बराबर मंत्री बदलते रहते हैं। इनके पहले श्री हुकमदेव नारायण यादव और श्री राजनाथ सिंह इस विभाग में मंत्री थे। पता नहीं क्या यह शंटिग विभाग है या क्या है। हालांकि इस विभाग में जो ज्वाइंट सैक्रेटरी थे, वह फाइनैन्स मिनिस्टर हो गये। ज्वाइंट सैक्रेटरी रहते हुए उन्होंने शिपिंग में घोटाला कर दिया और उन्हें फाइनैन्स मिनिस्टर बना दिया गया। इस राज में जहां की चर्चा की जाए, जिसने भी गड़बड़ की, उसे भारी पोस्ट मिल जाती है। हम देख रहे हैं कि यह इस राज का दस्तूर है। शिपिंग कारपोरेशन जो पानी के जहाज का विभाग है, हालांकि हम लोग बिहार प्रांत से हैं, पानी के जहाज और समुद्र से बहुत दूर पड़ते हैं, लेकिन यह खूबी की बात है कि पानी के जहाज के काम में जो नाविक, जहाज चलाने वाले, पनडुब्बी में जाने वाले, मेहनत करने वाले के रूप में बिहार के लोग ही टिकते हैं। दूसरे राज्यों के आदमी इतना कठिन काम करने में हिचकिचाते हैं। उनसे ये काम नहीं हो पाते हैं। इस बार नेवी में बिहार के 22 परसेन्ट लड़कों ने कम्पीट किया है। लेकिन यह विभाग उपेक्षित रहा है। माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और सोलास का दायित्व है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं–

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

द इंटरनेशनल कन्वेशन आन लिमिटेशन आफ लायेएबलिटी फार मैरीटाइम क्लैम्स (एल.एल.ए.एस.) कन्वेंशन, 1974, द कन्वेंशन ऑन लौड लाइन्स, 1966, द सिविल लायेएबलिटी कन्वेंशन (सी.एल.सी.), 1992, द फंड कन्वेंशन, 1992, इन सभी में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते हुए हैं, उन्हीं का प्रावधान करने के लिए माननीय मंत्री जी विधेयक लाये हैं। विधेयक पास हो जाना चाहिए।

इन्होंने यह भी दावा किया है कि जो प्राइवेट शिपिंग है, उसकी बहाली में बहुत हेरा-फेरी, शोषण, घूसखोरी और गड़बड़ी होती है। इस सबको रोकने के लिए केन्द्र सरकार को अधिकार मिलें, इसलिए यह विधेयक लाये हैं। लेकिन असलियत क्या है, यदि देखा जाए तो वह हिन्दुस्तान बिजनेस लाइन, 5 फरवरी, 2002 में लिखी है-'शिपिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स।' यह इसका हैडिंग है।

[अनुवाद]

> ''बाल्टिक फ्रेट इनडैक्स जो वर्ष 2000 में 1700 था, अब वह गिरकर 860 रह गया है। टैंकर रेट में भी गिरावट आयी है। हालांकि वह गिरावट इतनी ज्यादा नहीं है। कंटेनर जहाजों की चार्टर दरों में भी गिरावट आयी है। 2500 टी.ई.यू. की क्षमता के गिअर्ड शिप के औसतन चार्टर मूल्य में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में 12.4 प्रतिशत गिरावट आयी और इंग्लैंड की ड्रिवरी शिपिंग कंसलटैन्ट के अनुसार इस वर्ष की गिरावट इससे भी अधिक हो सकती है और यह लगभग 19 प्रतिशत हो सकती है।''

[हिन्दी]

पिछले साल यह 12.4 तक घट गया, फिर इस साल 19 तक घट गया। अब इस तरह से शिपिंग इंडस्ट्री नीचे जा रही है तो क्या होगा? वरकला राधाकृष्णन जी ने कोचीन शिपयार्ड के विषय में कहा। विशाखापट्टनम को स्वयं हम लोगों ने देखा है। मुम्बई में जाकर देखा है। जो पानी के जहाज अपने देश से अनाज और अनेक सामान लौह-अयस्क आदि ले जाते हैं, गोवा में भी हमने वह काम देखा है। जो पानी के जहाज अपने देश से अनाज और अनेक सामान लौह-अयस्क आदि ले जाते हैं, गोवा में भी हमने वह काम देखा है। आपकी शिपिंग इंडस्ट्री नीचे जा रही है जो हिन्दुस्तान की परंपरागत इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से पुराने जमाने में व्यापार और कारबार चलता था।

फिर आगे क्या कहता है:

[अनुवाद]

> ''वर्ष 1999-2000 में पोत उद्योग की समग्र आय 5700 करोड़ रुपये की जिसमें 3500 करोड़ की निवल विदेशी मुद्रा आयी। वर्ष 1999-2000 में देश का कुल विदेशी व्यापार 366,000 करोड़ रुपये था जिसमें 29000 करोड़ रुपये माल ढुलाई से अर्जित हुए।''

[हिन्दी]

ये सभी आंकड़े जो दिये गये हैं, बताते है कि यह इंडस्ट्री बहुत नीचे जा रही है इसकी बहुत खराब हालत है। इसलिए अंत में क्या कहता है?

[अनुवाद]

''दसवीं योजना के पोत परिवहन संबंधी कार्य दल ने आगामी 5 वर्षों में विभिन्न प्रकार के और विभिन्न क्षमताओं के 150 पोतों (नये और पुराने) दोनों ही प्रकार के पोतों की अनुमानतः 15,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ खरीद का सुझाव दिया। वर्ष 2007 तक नौवहन क्षेत्र पर अनुमानतः 10 बिलियन डालर खर्च होगा। यदि भारतीय माल ढुलाई क्षमता पर्याप्त नहीं होगी तो इस राशि का अधिकांश हिस्सा विदेशी पोत परिवहन कम्पनियों को जायेगा।''

[हिन्दी]

प्रैजेन्ट डायरैक्टर जनरल ने क्या कहा, जरा सुन लिया जाए।

[अनुवाद]

> ''पोत परिवहन के वर्तमान महानिदेशक ने एक बार यह बात कही थी कि वह उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कम-से-कम पांच संसद सदस्यों को लोक सभा में देश के पोत परिवहन उद्योग का मामला उठाते हुए देखेंगे।''

[हिन्दी]

इनके जो डायरैक्टर जनरल हैं, उन्होंने आशा व्यक्त की कि पांच एम.पी. कम से कम सदन में शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बोलने वाले इस मामले को टेकअप करें तो शिपिंग इंडस्ट्री का उद्धार और तरक्की हो सकती है। इसलिए माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि हम सब मुस्तैद हैं आपकी पीठ पर कि शिपिंग इंडस्ट्री आज नीचे जा रही है, यह कानून तो पास कर लीजिए लेकिन जो शिपिंग इंडस्ट्री भारत की परंपरागत इंडस्ट्री है, इसकी तरक्की के लिए आप क्या उपाय करेंगे, हमें यह आश्वासन मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। क्या आपको पता है कि आपकी पार्टी के लिए कितना समय नियत हुआ था?

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, विपक्षी दलों के कई माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं है। अब, उनके समय का कौन उपयोग करेगा? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति जी, रघुवंश जी आसन पर बैठते हैं तो कहते हैं शांति-शांति और यहां से सुनते ही नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हल्दिया से पटना और इलाहाबाद तक पानी के जहाज चलाने के काम में हम तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। माननीय मंत्री जी स्पैसेफिक जवाब हल्दिया से पटना और इलाहाबाद पानी के जहाज चलाने के बारे में दें। नेपाल को कोसी नदी से जोड़ने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित है। उससे शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत माल ढोने का काम होना चाहिए। इसलिए माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान देकर काम करने की चेष्टा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, इस विधेयक को लाने की हमें वास्तव में प्रशंसा करनी होगी। अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के कारण वस्तुत: यह कार्य गत 20 वर्षों में हो जाना चाहिए था। जब पोत परिवहन मंत्रालय को अलग किया गया, समुद्र पर निर्भर रहने वाले लोग यह आशा लगाये बैठे थे कि समुद्री मार्ग के माध्यम से परिवहन पर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

समुद्री क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवक-युवतियों के लिए अधिक अवसर उत्पन्न होंगे और इससे विदेशों में उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। हम सभी यह जानते हैं कि हम चारों और महान संपदा से घिरे हुए हैं जो समुद्र के भीतर है। हम यह भी जानते हैं कि समुद्री मार्ग के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन बहुत लाभदायक और सर्वथा प्रशंसनीय है। हम इस मार्ग के माध्यम से काफी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पोत निर्माण और विश्व भर में कारगो ले जाने के लिए भी हमें काफी अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

हम यह जानते हैं कि सेतु समुद्रम परियोजना महाकवि भारती द्वारा वर्ष 1920 में देखी गई। एक परिकल्पित परियोजना है। उन्होंने यह सपना देखा कि तमिलनाडु समुद्रीतट से सम्पूर्ण संसार को जोड़ने वाली एक परियोजना होगी। कई राजाओं के विभिन्न शासनकालों के दौरान तमिलनाडु और केरल समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध थे। समुद्री नाविक भी थे और यहां से विश्व भर में विशेषकर दक्षिण एशियाई देशों में सौदागर जाते थे।

पतन सुविधाओं और पोत निर्माण में आधुनिकता के प्रवेश के पश्चात् भारत पिछड़ने लगा। जैसा कि श्री रमेश चेन्नितला ने टिप्पणी की कि हमारा स्थान चालीसवां है जबकि हमें पहले स्थान पर होना चाहिए था क्योंकि पोत निर्माण क्षेत्र में हमारे पास पहले दर्जे की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने हमारी आजादी के आरंभिक काल में पोत निर्माण को वरीयता भी दी थी। तत्पश्चात्, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे एक तेजी से विकास करते हुए उद्योग में परिवर्तित कर दिया। लेकिन बाद में यह सब हमसे छूट गया क्योंकि हम निजी क्षेत्र से अधिक धन की आशा कर रहे थे। यदि हम यह चाहें कि निजी क्षेत्र अधिक निवेश करे तो हमें पूरे उत्साह के साथ पोत निर्माण गतिविधि को विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन और कोची में अपनाना चाहिए। इस क्षेत्र में हमारे पास बहुत बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति उपलब्ध हैं। उन्हें बहुत सरलतापूर्वक पोत निर्माण क्षेत्र में लाया जा सकता है।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। उचित प्रशिक्षण के अभाव में बहुत से लोग विदेशी जहाजरानी उद्योग में लग रहे हैं। जब वे इस सेवा में प्रवेश करते है तब उन्हें बहुत छोटी धनराशि दी जाती है। लेकिन, दलाल काफी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। इस प्रकार के नये कानून को बनाकर, मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार यह देखने में सक्षम हो जायेगी कि नवयुवक धोखाधड़ी के शिकार न हों, उन्हें रोजगार के उचित अवसर मिल सकें, उचित उपायों के माध्यम से वे विदेशी जहाजरानी उद्योग में जा सकें और वे भारत में वापस अपना धन लाने की चिंता से युक्त हों फिर भारत में उचित माध्यम से निवेश कर सके। इसीलिए, मैं इस विधेयक के उस विशेष प्रावधान की प्रशंसा करता हूं जिसके अनुसार समुद्री नाविकों की ठीक ढंग से भर्ती की जायेगी और एजेन्सी कानून सम्मत होगी ताकि इसे उचित रुप से विनियमित किया जा सके।

मैं विधेयक के अन्य पहलुओं की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। सर्वप्रथम, भारतीय पत्तनों का ठीक ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता। हमारे पत्तन न्यासों में काफी भ्रष्टाचार है। आप माल उतारने की प्रणाली और पोतों को ठीक ढंग से अंदर लाने हेतु रेट हटाने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। हम इस बात का कोई हिसाब नहीं लगा रहे हैं कि हमने कितना उचित खर्चा किया है और धन का उचित उपयोग किया जाता है अथवा नहीं। अभी तक हमने इसका हिसाब नहीं लगाया है। इस धनराशि का अपव्यय किया जाता है। हमारे पत्तन न्यासों में कितना धन खर्च किया जाता

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

है यह पता लगाने के लिए एक उचित निगरानी प्रणाली होनी चाहिए।

पत्तन न्यासों को आधुनिक बनाये जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसमें काफी आदान होना चाहिए। और काफी कुछ वैज्ञानिक ढंग से किये जाने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मूल्यांकन किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय पोतों को हमारे समुद्रतटों तक लाने में हमे संतोषजनक नहीं पाया गया है। कोलम्बो में सभी पोत वहां के समुद्रतटों पर पहुंच जाते हैं लेकिन इस मामले में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए, हमें अपना तंत्र सुधारना होगा और इस संबंध में जनशक्ति का विकास करना होगा।

जहां तक समुद्रतटों पर प्रदूषण नियंत्रित करने का प्रश्न है, काफी कुछ किये जाने की आवश्यकता है। बहुत से पोत व्यर्थ खड़े हैं और पोत से माल उतारने की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की जाती। काफी समय से पुराने पोतों का रखरखाव किया जा रहा है। गोआ में यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। काफी तेल प्रदूषण भी है जिसे वर्षों से हटाया नहीं गया है। वह अब भी वहां मौजूद है।

श्री रमेश चेन्नितला : यहां तक कि गोआ के लोग भी इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि निहित स्वार्थों की वजह से इस पोत को अब भी खड़ा कर रखा है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : एक चीज जो हमें चैन्नई में प्राय: देखने को मिलती है वह है-पोतों का खड़ा रहना। उन्हें तत्काल नहीं हटाया जाता और यह एक प्रदर्शन की वस्तु बन जाता है और लोग समुद्रतट पर आने से घबराते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर भी गौर करें। साथ ही मछुआरों को होने वाली क्षति और प्रदूषण पर भी ध्यान दें। अपने अल्प निवेश के सहारे मछली पालन पर निर्भर रहने वाले लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है क्योंकि प्रदूषण वैज्ञानिक ढंग से नहीं हटाया जाता और इसे हटाने में अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुसरण नहीं किया जाता। हम उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसीलिए, यह कार्य तत्काल किया जाना चाहिए।

अंतत:, मैं सेतु समुद्रम परियोजना पर जोर देना चाहूंगा जो विशेषकर तमिलनाडु के लोगों की कल्पना में बसा हुआ है। गत वर्ष, इस परियोजना को तैयार करने के लिए मात्र 5 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया। नीरी (एन.ई.ई.आर.आई.) पहले ही जांच कार्य आरंभ कर चुका है। इसने चार वर्ष पहले ही जांच कार्य किया था। इसे पुन: नीरी को सौंप दिया गया है। मैंने एक लेख देखा था जिसमें माननीय मंत्री जी ने सब्ज बाग दिखाए हैं। पूर्ण परिप्रेक्ष्य में सेतु समुद्रम परियोजना के निर्माण का वह भी सपना देख रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी का इरादा भी इस परियोजना को तैयार करने का है। हम खुश हैं कि तमिलनाडु के माननीय मंत्री श्री तिरुनावुकरसर जी इसके प्रभारी हैं। हमें पोत परिवहन मंत्रालय से और अधिक अपेक्षाएं हैं। कम-से-कम आगामी बजट में बड़ी धनराशि आबंटित की जानी चाहिए और परियोजना को आरंभ किया जाना चाहिए और यह केवल कागज पर ही नहीं रह जानी चाहिए।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपटनम): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करने और उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए फरवरी, 1991 में पोत परिवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपना कार्य प्रारंभ किया और वर्ष 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

सचिव, पोत परिवहन की अध्यक्षता वाली समिति ने जनवरी 1999 में अपनी समीक्षा पूरी कर ली थी। समिति ने यह भी महसूस किया कि कुछ धाराओं नामत: धारा 21, 42, 45, 51, 89, 132, 138क, 369, 412, 414 और 436 में उनके महत्व के कारण त्वरित आधार पर संशोधन किए जाने की जरूरत है।

यह विधेयक धारा 76, 87 और 95 में संशोधन करने के लिए लाया गया है जिनका संबंध नाविकों और अन्य कर्मचारियों से है। नाविक संघों द्वारा कदाचार रोकने के लिए धारा 98 में भी संशोधन किया जा रहा है। हमारे पास बहुत से कानून हैं लेकिन हमें पता है कि उनका उचित रूप से कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। कभी-कभी इस कानून का उपयोग महानिदेशक, पोत परिवहन अथवा अन्य सरकारी अभिकरणों द्वारा नाविकों का उत्पीड़न करने हेतु किया जाता है। अत: इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि धारा 76, 87, 95 और 97 में क्यों संशोधन किया जा रहा है। ऐसे विवरण होने चाहिए कि नाविक संघ किस प्रकार कदाचारों में लिप्त हो रहे हैं। यह ज्ञात है कि सर्वेक्षण विभाग अनेक पोत स्वामियों का उत्पीड़न करता है।

भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के बारे में सूचना देने के लिए कानून में कुछ नहीं है। हमारे पास विशाल समुद्रतट है। अब हम यह देखते हैं कि भारतीय पोत परिवहन यानों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विदेशी पोत परिवहन कंपनियां

सस्ती दर पर सामान ले जाती हैं। हमें यह सोचना है कि भारतीय पोत परिवहन को प्रतिस्पर्धात्मक कैसे बनाया जाए ताकि हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें।

सरकार को पुराने कानूनों को बदलना ही नहीं चाहिए बल्कि यह भी पता लगाना चाहिए कि भारतीय पोत परिवहन क्यों प्रगति नहीं कर रहा है। इसके लिए काफी हद तक भारतीय नौकरशाही उत्तरदायी है।

विलम्ब और कार्यकरण की पुरानी शैली ने संभवत: भारतीय पताकाओं के साथ जलयान चलाने में इसे गैर-प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाया है।

अंत में, मैं नहीं जानता क्योंकि भारतीय जलयान तोड़फोड़ उद्योग के लिए कौन उत्तरदायी हैं जो कामगारों के लिए असुरक्षित है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हजारों भारतीय कामगारों को खतरा है जो खतरनाक रसायन और अन्य सामग्री ले जा रहे हैं। कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को कुछ ध्यान देने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामशेठ ठाकुर (कुलाबा): मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत मर्चेंट शिपिंग (एमेंडमेंट) बिल, 2002 को सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मैं मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बेरोजगारों के बारे में बहुत चिन्ता खुद ही जताई है। इस विधेयक में जो नाविक कर्मचारियों की भर्ती होनी है, उस भर्ती में नाविकों के हित के बारे में, उनकी रक्षा करने के लिए कुछ चीजें लाई गई हैं। एक तरफ शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया जहां 5-6 सौ करोड़ रुपये तक प्रोफिट कमाता है, जे.एन.पी.टी. जैसे हमारे पोर्ट्स हैं, वे भी प्रोफिट वाले पोर्ट्स हैं, उनके प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। वहां बहुत सारे तरुण काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं। मंत्री जी वर्कर्स की जो चिन्ता बता रहे हैं, वह चिन्ता सारे बिजनेस के बारे में होनी चाहिए। इसके प्राइवेटाइजेशन से बेकारी बढ़ने का चांस लगता है, इसके कारण हम वहां भी ध्यान देंगे, ऐसा मुझे लगता है।

मंत्री महोदय ने इस बिल में नाविकों के हित की रक्षा करने के लिए अच्छे कदम उठाये हैं और इण्टरनेशनल स्तर पर समानता लाने की बात आई है। यह अच्छी बात है कि किसी की भी कोई भर्ती करता है, एक्चुअली जिसकी भर्ती वहां होनी जरूरी है, जो क्वालीफाइड है, उसकी भर्ती नहीं होती है और किसी की भी भर्ती हो जाती है, इसलिए क्वालीफाइड लोगों की वहां भर्ती होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से एक विनती करूंगा कि अपने चाणक्य करके ट्रेनिंग स्कूल जैसे हैं, वहां भती होते समय ही मछुआरों के बच्चों को ज्यादा प्रिफरेंस देना चाहिए, क्योंकि समुद्र से जन्म से हरदम उनका रिश्ता होता है, मछलियों का बिजनेस आजकल बन्द होता जा रहा है और बारिश में हम समुद्र में मछुआरों को नहीं जाने देने का नियम बना रहे हैं तो इन लोगों को ट्रेनिंग स्कूल में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके लिए ज्यादा प्रिफरेंस मिलना चाहिए, ताकि आगे जाकर हमारे युवकों को ज्यादा रोजगार मिले। हम जानते हैं कि इंडियन नाविकों का पूरी दुनिया में अच्छा नाम है कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, उनका बहुत अच्छा स्टैण्डर्ड है। जैसे जंगल में काम करने वाली आदिवासी बन्धुओं के बच्चे खेलकूद और निशानेबाजी में आगे जाते हैं, इसलिए मछुआरों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा मैं चाहता हूं, इसके लिए जो सारे नियम मंत्री जी बना रहे हैं।

इस विधेयक को मैं सपोर्ट करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं दो पहलुओं की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथम, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय पोत पत्तन नीति की घोषणा करने जा रही है अथवा नहीं। दूसरा पहलू यह है। कुल विश्व जहाज महसूल का लगभग 87 प्रतिशत शून्य से दो प्रतिशत तक कर का भुगतान करते हैं, जबकि भारत में नियमित कर तीस प्रतिशत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे कम करने पर विचार कर रही है।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, बाद में इस विधेयक से समस्याएं उत्पन्न होंगी। खंड 4 के अंतर्गत तटरक्षकों को जांच करने की शक्तियां दी गई हैं।

तटरक्षक अधिनियम में यह संघ के सशस्त्र बल के रूप में है। संघ के सशस्त्र बल से जांच करने की आशा नहीं की जाती है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि नियम बनाने के उपबंधों की व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की गई है। इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी।

[श्री अनादि साहू]

मेरी तीसरी बात यह है कि शिकायत के मामले नामित न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे। जब शिकायत का मामला नामित न्यायालय में उठाया जा रहा है तो यह कोई निश्चित नहीं है कि इसमें क्या होगा। इससे समस्या उत्पन्न होगी। जब हमारे पास नामित न्यायालय द्वारा मामला उठाने के लिए इतने ज्यादा प्रावधान हैं तो विधेयक में न्यूनतम दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय मंत्री इन बातों को विस्तार से बताएं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहती हूं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहती हूं। खंड 27 केन्द्र सरकार को तेल प्रदूषण क्षति 1992 हेतु मुआवजे के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष की स्थापना के संबध में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सदस्य ने यह ठीक ही बताया है कि उनके द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के बारे में विशेषरूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इस नियम में संशोधन कर गोआ पत्तन में तेल प्रदूषण पर किस प्रकार ध्यान दिया जा सकता है।

सभापति महोदय : प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है। यह अनुरोध मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में है। तूतीकोरिन से श्रीलंका तक नौका सेवा शुरू की जानी थी। आप इस सेवा को कब शुरू करने जा रहे हैं? आपके मंत्रालय के राज्य मंत्री ने बहुधा यह कहा है कि इस सेवा को शीघ्र शुरू किया जाएगा।

डा. वी. सरोजा : मैं सेतुसमुद्रम परियोजना के पूरा होने तथा उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहती हूं।

श्री वेद प्रकाश गोयल : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यधिक आभारी हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लिया है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा भय व्यक्त किया गया है।

[हिन्दी]

इसमें हिस्सा लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सात माननीय सदस्यों ने नाम दिया था, लेकिन दस माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है। मैं स्वागत करूंगा कि और अधिक सदस्य इसमें इंटरेस्ट लें। इससे हमें उसमें प्रगति करने का अधिक अवसर मिलेगा।

यहां पर माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा और सभी ने इस बिल का स्वागत किया है। उसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूं। जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं, वे यदि इसमें इन्कार्पोरेट नहीं हुए हैं, तो उन पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्यों द्वारा कुछ स्पेसिफिक विषय उठाए गए हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। श्री रमेश चेन्नितल्ला जी ने लेजिस्लेटिव पावर की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं कि लेजिस्लेटिव पावर के लिए ही यह बिल है।

[अनुवाद]

इस विधेयक में इन वायदों को कार्यान्वित करने के लिए विधायी शक्तियां होने की अपेक्षा है जो अन्तरराष्ट्रीय समुद्री कानून द्वारा हमें प्रदत्त हैं। इस सरकार ने पोत परिवहन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को देखा। सरकार ने पोत परिवहन का पृथक मंत्रालय बनाने की जरूरत को भी देखा। यह पहली बार है कि पोत परिवहन का पृथक मंत्रालय, जो कोई और उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, को यह प्रभार दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने देखा होगा कि इस केन्द्र बिन्दु ने पहले ही इस उद्योग की सहायता करना शुरू कर दिया है।

पोत परिवहन उद्योग को पिछले बजट में दी गई रियायतें किसी अन्य मंत्रालय को दी गई रियायतों से अधिक है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार इस उपेक्षित क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सतत निवेश की जरूरत है, को प्रोत्साहन देने के उत्तरदायित्व के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है। दुर्भाग्यवश, वे निवेश नहीं किए गए हैं। अत: निवेश आकर्षित करने के लिए कर सुधारों में अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं। अधिकतर निवेश जो अपेक्षित धनराशि के लिए विदेशी है, बहुत अधिक है।

कुछ सदस्यों द्वारा एक बात बार-बार कही गई है और बहुत तार्किक ढंग से कही गई है। यह बात वल्लारपदम परियोजना के बारे में है। जितने लोग मुझसे मिले हैं, वे एक बात यह जानना चाहेंगे कि सरकार ने वल्लारपदम परियोजना को प्रतिष्ठा की परियोजना के रूप में लिया है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने महसूस किया है कि हमारा सारा जहाजी माल, जो बड़े जहाजों से आता है को भारत में उतरने हेतु कोई जगह नहीं है और इसे कोलम्बो और सिंगापुर ले जाने में लगभग 40 प्रतिशत समय लग जाता है। अत: हम इस परियोजना के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह उल्लेख किया गया था कि एक निविदा दी गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक निविदा थी किन्तु प्रस्ताव एक ही था और इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। जब हमने निविदा का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि निविदा में ही बदली परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन की जरूरत है ताकि हमारे पास अधिकाधिक राजस्व आए। इससे

पूर्व, निविदा नावा शेवा में जवाहरलाल नेहरू पत्तन में प्राप्त अनुभव पर आधारित थी। तत्पश्चात् हमें चेन्नै टर्मिनल से कुछ अनुभव हुआ जो पी एंड ओ के पत्तनों के पास है। तत्पश्चात् हमने तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम पत्तनों में टर्मिनलों का निजीकरण किया। इसलिए इस पूरे अनुभव ने बेहतर निविदा तैयार करने में हमारी सहायता की है। अन्तरराष्ट्रीय सलाहकारों का इस प्रयोजनार्थ सामान्य प्रक्रिया के द्वारा चयन किया गया वे बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत अच्छी सलाह मिल रही है। नई निविदा तैयार हो जाएगी और यह एक माह के भीतर बाहर हो जाएगी। जैसी कि हमारी आशा थी इस बार हमें बेहतर परिणाम मिल रहा है। अनेक रिपोर्टों के बाद कोच्ची का चयन किया गया है क्योंकि कोची अन्तरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग के सर्वाधिक निकट है जो लगभग आठ नॉटिकल मील दूर है। इसलिए, इसका चयन पहले ही किया जा चुका है और यह कार्य अन्तिम चरण में है। हम बहुत जल्द नई निविदाएं जारी करेंगे और हम कुछ विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से इसके लिए बोली लगाने वाली किन्हीं नई भारतीय कंपनियों का स्वागत करेंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे।

महोदय, कोच्ची शिपयार्ड की मरम्मत करने के स्थान के बारे में भी उल्लेख किया गया था। यह बात भी कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दुहराई गई थी। यह मुनाफा कमाने वाला शिपयार्ड है। इसने स्थिति में परिवर्तन कर दिया है और हम इसके लिए आदेशों की भरमार करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देश में सभी शिपयार्ड आदेशों की कमी से पीड़ित हैं। इसलिए उनके पास कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं है। हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में बात कर रहे हैं। उनके पास प्लेटफार्मों के लिए काफी आदेश हैं और हम एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि देश में मझगांव गोदी सहित देश के सभी शिपयार्डों को कारोबार का उनका हिस्सा मिले और इससे शिपयार्ड को ठीक ठाक रखा जाएगा।

राष्ट्रीयकरण के संबंध में यदि आपको याद हो तो सिंधिया शिपयार्ड निजी यार्डों में से है जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसने कभी लाभ नहीं कमाया। हमने इसके कारणों का विस्तृत अध्ययन किया है। हम इसके लिए अन्य देशों से तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें सकारात्मक उत्तर मिल रहा है इसलिए हम आशावान हैं। उनमें से किसी के भी पास साजोसामान का अभाव नहीं है। उन्होंने सभी आधुनिक उपकरण प्राप्त कर लिये है और यह समस्या नहीं है। उनके पास नये उपकरणों के लिए पर्याप्त अधिकार और पर्याप्त धनराशि भी है।

महोदय, उसमें गहरे समुद्र पत्तनों की गाद निकालने का भी उल्लेख है। उसमें बार-बार उल्लेख किया गया था कि उस पर काफी धन खर्च किया जा रहा है, परन्तु इसके कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। हमने पाया कि लम्बे समय तक गाद निकालना भी अतिसामान्य गतिविधि मानी जाती है। हमने उस पर कुछ तकनीकी अध्ययन किये हैं। हमने पाया कि पोत पानी पर तैरते रहते है और वे बाधा को नहीं काटते है। इसलिए हमें अभी कोलकाता में अत्यंत कठिन परियोजना आरंभ करनी है जहां सभी विदेशी कम्पनियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिये हैं और कोई भी गहरा करने का तैयार नहीं है। सम्पूर्ण धनराशि गाद निकालने पर खर्च की गयी है फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हमने हमारी भारतीय एजेंसियों से विस्तृत अध्ययन कराया है। जिनके पास अच्छे उपकरण है और अब हमें आशा है कि हमारा संगठन ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया इसे सफलतापूर्वक कर लेगा। मुझे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है।

श्री वरकला राधाकृष्णन ने कहा कि वे पीड़ित पक्ष है। मैं नहीं जानता कि वे किससे पीड़ित हैं। इस मामले की जांच का आश्वासन पूरा कर लिया गया है क्योंकि मैं उस आश्वासन पर कार्यवाही कर रहा हूं।

पी और ओ की निविदा के बारे में भी मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

भविष्य निधि भी एक अन्य मामला है जो कई माननीय मंत्रियों को परेशान करता है। इससे मैं भी परेशान हूं। जैसे ही धोखाधड़ी का मामला हमारी जानकारी में आया था, हमारा पहला कार्य उस व्यक्ति को हटाना था जो इसके लिए उत्तरदायी था। यह पहली प्रशासनिक कार्यवाही थी जो बिना किसी देरी और बिना किसी विवरण में जाये की गई थी। इसके तुरंत बाद जांच सी.बी.आई. को दे दी गई। वे इस पर कार्य कर रहे है।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सी.बी.आई. की कार्यप्रणाली पर हमारी ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी को भी बचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम गहराई में जाना चाहते हैं। इसी के साथ-साथ हम नहीं सोचते कि भविष्य में भविष्य निधि का प्रबंध किसी भी सरकारी एजेंसी के अधीन रहे। हम इस विषय पर विचार कर रहे है और लोगों से चर्चा कर रहे है। वहां कोई सोसाइटी या अन्य कोई एजेंसी होनी चाहिए। परन्तु सरकारी विभाग को निधि बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य निधि सदैव अंशदायी होती है। इसलिए, हम यकीन दिलाते है कि अंतिम निर्णय लिया जा रहा है।

विदेशी जहाजों द्वारा रोजगार नहीं दिये जाने की कुछ गलत जानकारी है। विदेशी जहाज हमारे अधिकारियों और नाविकों से प्रसन्न हैं। वे उनसे भी ज्यादा चाहते है। इसलिये हमने प्रशिक्षण

[श्री वेद प्रकाश गोयल]

का क्षेत्र बढ़ा दिया है। अब यह मात्र चाणक्य में ही नहीं है बल्कि देश में और भी जगह खोल दी गई है। कई स्कूलों को अनुमतिं दे दी गई है। अब हम मुंबई में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एक जहाजरानी विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं ताकि यह सब उचित ढंग से नियमित किये जा सकें और पाठ्यक्रम अन्तरराष्ट्रीय स्तर के आधार पर तैयार किये जा रहे है और परीक्षायें आयोजित की जाती हैं। यह भी संभव है कि संस्थान द्वारा पी.एच.डी. और परास्नातक उपाधियां दी जा सके। इस पर कार्यकाही पहले ही प्रारंभ हो गयी है। इसके लिए सोसायटी बना दी गई है।

[हिन्दी]

रघुवंश प्रसाद जी ने कहा है कि बिहार में जो पानी के जहाज चलते हैं, वे समुद्र से बहुत दूर हैं। उनका नजदीक लाने के लिए और उनको सागर में जोड़ने की दृष्टि से इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन को इस मंत्रालय के अधीन लिया गया है। आपको शायद मालूम होगा कि पिछले महीने दो जगहों पटना और गुवाहाटी पर 25-30 करोड़ रु. के बड़े-बड़े टर्मिनल कार्य का उद्घाटन किया गया है। वहां काम शुरू हो गया है। डेढ़ साल के अन्दर माडर्न अपटूडेट रिवर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स बन रहे है। इसके अलावा कई नई रूट्स भी खोलने पर विचार हो रहा है, लेकिन जो पहले के रूट्स हैं, उनको सफल बनाया जाएगा, फिर उसके बाद ही नए रूट्स को लिया जाएगा। एक स्टडी हो रही है। हम तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में घुस रहे हैं, इसलिए हमारे रेट्स जहां पर भी ज्यादा है, उनको कम करेंगे। कम करने पर शिकायत नहीं होनी चाहिए, रेट्स बढ़े तो शिकायत होनी चाहिए। हमने सारे देश में पोर्ट्स में खर्चा कम करने का बोल्ड स्टैप लिया है। एक साल के अन्दर दस प्रतिशत खर्चा कम करें। हम सहायता कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि हमारा कोई इक्विपमेंट नहीं रूके। यह 24 घन्टे चलने वाली व्यवस्था है और उसके अनुरूप हो ट्रेनिंग दी जा रही है।

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन नाच्चीयपन ने हमारे दायित्वों के बारे में उल्लेख किया है। हम उसे कर रहे हैं। एकमात्र बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि तटवर्ती जहाजयान स्टैड मैरिटाइम बोर्डों के कार्य क्षेत्र में आता है। एकमात्र गुजरात राज्य का जहाजरानी बोर्ड सबसे अधिक सक्रिय है। क्योंकि उनका दृष्टिकोण व्यवसायिक है, न की लंबी प्रक्रिया या लंबी चलने वाली व्यवस्था का है। इन्हीं वजहों से वे लोग तटीय जहाजरानी में सबसे सफल हैं।

इसी संदर्भ में हम सेतु समुद्रम की बात करते है। एक माननीय सदस्य ने इसे उठाया है। आप जानना चाहेंगे कि सेतु समुद्रम 19वीं शताब्दी की परियोजना है। यह नयी परियोजना नहीं है। वह 1886 या उसी के आस-पास अस्तित्व में आयी थी। नेवी ने इसे आरंभ किया था। जब प्रधानमंत्री ने चेन्नई के मेरिन बीच में घोषणा की कि हम इसे खोलने जा रहे है तब से हमने इसे अत्यंत ईमानदारी से आरंभ किया है। हमारी अपनी एजेंसियां इसका अध्ययन कर रही है और मैं समझता हूं कि आप रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद ही आप इसे सक्रिय और नावों को चलते हुए देखेंगे।

तेल प्रदूषण को हटाना भी इस विधेयक में है और सभी कदम उठाये जायेंगे ताकि कोई भी अपना तेल यहां छोड़कर न जाए।

श्री ब्रह्मनैया ने उस विधेयक का इतिहास इकट्ठा कर लिया है जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसका उद्धरण भी दिया है। उन्होंने एक नयी चीज के बारे में भी बताया है जो जहाज तोड़ने वाले उद्योग के नीचे गिरने के बारे में है। यह मुख्यतया चीन जा रही है। समुद्र से यात्रा करने वाले मुख्यतया चीन से आते है। वे किसी भी दर पर कार्य करने को तैयार रहते है। हमने अपना स्तर बढ़ाया है। हम बड़ी संख्या में उपलब्ध समुद्री मात्रा करने वालों के पास जा रहे हैं। यहां तक की यदि हम थोड़ा भी समझौता कर ले तो हम उनकी सेवाओं के लिए पूछेंगे। अंततः एक समुद्री काम करने वाला 12,500 डालर लेता है। इस देश में कहीं भी कोई यहां तक की तकनीकी नौकरी करने वालों को भी इतना नहीं मिलता है। मैं तैयार हूं कि यदि वे आधी दर पर भी काम करने को तैयार हों तो हम उन्हें बुलायेंगे और हम चीन की धमकी से निपट सकते है। इस बिन्दु पर हम उनसे वार्ता कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चाणक्य में रामसेठ ठाकुर जी ने कहा है मछवारे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनके लिए सी एकदम प्राकृतिक, नेचुरल है। हम जरूर इसे प्रेफरेंस देंगे। समान में प्रथम, उस रूप में उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। इस तरह के बहुत से स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि केवल कोस्टल ऐरिया में ही नहीं, बल्कि देश के हिंटर लैंड में भी जगह-जगह पर इस तरह की ट्रेनिंग दी जा सके। मैट्रिक के बाद तीन-चार महीने की ट्रेनिंग है, यह बहुत जगह दी जा सकती है। नेशनल शिपिंग पालिसी की रिकवेस्ट की है, प्रो. रावत जी ने कहा है, यह बन रही है और जल्दी आएगी। साहू जी ने पूछा है, उन्होंने पुलिस बैकग्राउंड के हिसाब से कहा है आप लॉज़ बना रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और जहां न कर पाएं, उसके लिए पुलिस है, वे पकड़े। सरोजा जी ने कोस्टल शिपिंग का जिक्र किया है और अंत में चेयरमैन साहब ने टूटीकोरिन के बारे में पूछा है। मैंने बताया है

कि टूटीकोरिन से जो पूर्वी तट है और टूटीकोरिन से श्रीलंका की सर्विसेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। श्रीलंका की डिमांड है और ये सारी कठिनाईयां दूर हो गई हैं, प्राईवेट पार्टियां आ गई हैं। आप देखेंगे कि जल्दी ही श्रीलंका के साथ रेगुलर सर्विस शुरू हो जाएगी।

महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने सब प्रश्नों का संक्षेप में और टू द प्वाइंट उत्तर दे दिया है। मैं आप सब का आभारी हूं कि चारों तरफ से बिल को समर्थन मिला है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि बिल को पास कर दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 28 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री वेद प्रकाश गोयल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.50 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार, 4 दिसम्बर, 2002/13 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.29.11/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।